

सं॰ 10] नई बिल्लो, शनिवार, मार्च 9, 1985 (फोल्गुन 18, 1906) N. 10] NEW DEUHI, SATURDAY, MARCH 9, 1985 (PHALGUNA 18, 1906)

लन आग में भिरन पृष्ठ संख्या दी जाती है जितते कि यह अलग संजलत के कह में रखें। अला सके (Separate paring is given to this Part in order that it may as filed as a separate compilation)

त्राव III--खण्ड 1

[PART III--SECTION 1]

उच्च न्यायालयों, नियन्त्र इ और नत्राले आपरोभक, संघ लोक सेवा आयोग, रेन विभाग और मारत सरकार के संलग्न और अधीन कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं

[Notifications issued by the High Courts, the Comptroller und Artitor General, the Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India]

(8509)

झेवा ग्रायोग

नई, दिल्ली-110011, दिनांक 25 जनवरी 1985

सं० ए० 32014(1)/प्रशा०-III--इस ,कार्यालय ्की ग्रांधसूचना सं० ए-32014/1/84-प्रशा०-III दिनांक 9-1-1985 का आंशिक संशोधन करते हुए संघ लोक सेवा आयोग में के० स० से० के संवर्ग के निम्नलिखित अनुभाग अधिकारियों को रा द्रपति द्वारा प्रत्येक के सामने निर्दिष्ट अवधि के लिए अथवा आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय में डेस्क आधिकारो के पद पर कार्य करने के लिए सहर्ष नियुक्त किया जाता है :---

क्रू नाम सं०∙	ग्रवधि
सर्वश्री 1. के०पो० ग्र/यर 2. राम ग्रवतार 3. सुदेश कुमार	26-11-84 से 30-6-85 तक 30-11-84 से 30-6-85 तक 30-11-84 से 30-6-85 तक

ज्यकारी (उ०

उपर्युंक्त ग्रधिकारी कामिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के का० ज्ञा० सं० 12/1/74-सी० एस० (1) दिनोंक 11 दिसम्बर 1975 की शतों के ग्रनुसार रु० 75/-प्र० मा० की दर से विशेष वेतन प्राप्त करेंगे ।

सं० ए० 32014/1/84-प्रशा०-III---राष्ट्रपति द्वारा संघ लोक सेवा ग्रायोग के कार्यालय में निम्नलिखित सहायकों को प्रत्येक के सामने निर्दिष्ट अवधि के लिए अथवा ग्रागामी प्रादेशों तक, जो भी पहले हो, तदर्थ ग्राधार पर प्रनुभाग अधिकारों के यद पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए सहर्ष नियुक्त किया जाता है

ঙ্গ মৃ		तदर्थं नियुक्ति की प्रवधि '
	सर्वश्रो	
1.	एस० ए ल० कुमार	28-2-85 से 29-3-85 तक
2.	দিলিণ जान	4-2-85 से 29-3-8 5 तक
3.	ए० एस० जाट	14-1-85 से 29-3-85 तक
4.	सी० एल० भाट	24-1-85 से 29-3-85 तक
5.	भ गी रथो कुमार	12-1-85 से 29-3-85 तक
6.	तारा सिंह (ग्न० जा०)	1-5-2-85 से 29-3-85 तक

विनांक 31 जनवरी 1985

सं० ए० 38013/2/83-प्रशा०-ाू--संघ लोक सेवा ग्रायोग के कार्यालय में स्थायी तकनीकी सहायक (हॉलरिथ) ग्रोर निय-मित ग्रधीक्षक (त० सं०) श्रीमती डी० जे० लालवानी को निवर्तन श्रायु प्राप्त होने के परिणामस्वरूप ग्रधीक्षक के पद से 31 जनवरी, 1985 (प्रपराह्य) से सेवा निवृत्त कर दिया गया है।

> एम० पी० जैन मवर सचिव (प्रशा०) संघ लोक नेवा आयोग

केन्द्रीय सलर्कता धायोग

नई थिल्ली, विनांक 12 फरवरी 1985

सं० 2/4/85-प्रशासन---केन्द्रीय संतर्कता ग्रायुक्त एतद्-द्वारा केन्द्रोय संतर्कता ग्रायोग में, स्थायो ग्रनुभाग ग्राधकारी तथा केन्द्रोय संतर्कता ग्रायुक्त के स्थानापन्न निजी संचिव श्री सुरेन्द्र पाल को तदर्थ रूप से ग्रवर सचिव के पद पर वेतनमान रु० 1200-1600 में 10--12--1984 (पूर्वाह्न) से 89 दिन-ग्रयवा श्री ब्रह्म दत्त, ग्रवर सचिव के फिर से काम संभाल लेने तक, जो भी पहुले हो, के लिए नियुक्त करते हैं।

दिनांक 16 फरवरी 1985

सं० डो० के०-पी० ग्रार० एस-61--कामिक तथा प्रशास निक सुधार विभाग में संयुक्त सचिव के पद पर उनकी श्रनुवर्ती नियुक्ति हो जाने पर, श्रो यिनेश चन्द्र गुप्सा, ग्राई० ए० एस० (ग्रो० श्वार०---67) निदेशक, केन्द्रीय संतर्कता ग्रायोग, को नया कार्यभार संभालने के लिए 14--2-1985 (पूर्वाह्न) से कार्यभार से मक्त किया जाता है ।

> क्रुष्ण लाल मल्होत्रा ग्रावर सचिव (प्रशासन) कृते केन्द्रीय सतर्कता धायुक्त

गृह मंत्रालय का० एवं० प्र० सु० विभाग के० भ्र०ब्यूरो

नई दिल्लो, दिनांक 16 फरवरी 1985

सं० ए→19019/1/78-प्र०-5 (खण्ड-2)---मुख्यालय को समसंख्यक ग्रांधसूचना दिनांक 12-2-1985 के ग्राधकमण में, श्रो ई० एन० रेनीसन ने दिनांक 1-8-1984 से दिनांक 31-1-1985 तक पुनर्नियुक्ति की समाण्ति के बाद दिनांक 31 जनवरो, 1985 के ग्रपराह्य को अपर निदेशक, केन्द्रीय ग्रन्वेषण ब्यूरी एवं विशेष पुलिस महानिरोक्षक/विशेष पुलिस स्थापना के पद का कार्यभार त्याग दिया ।

> ंग्रार० एस० नागपाल प्रशासनिक श्रधिकारी (स्थापना) केन्द्रीय अन्वेष्ण क्यूरी

पुलिस मनुसंधान एवं विकास ब्यूरो नई दिल्ली—110001, दिनांक 13 फरवरी 1985 सं० 3/8/85–प्रशा०—1—-राष्ट्रपति, श्री किशोर कुणाल, म्राई० पी० एस० (गुजरात—-1972) को पुलिस मनुसंधान एवं विकास ब्यूरो मे सहायक निदेशक के पद पर दिनांक 29 जनवरो 1985 (मपराह्न) से अगले आदेशो तक के लिए नियुक्त करते है ।

> एस० के० मल्लिक महानिदेशक

- महानिदेशालय, के० रि० पु० बन

नई दिल्ली-110003, दिनांक 13 फरवरी 1985

सं० ग्रोन्दोन् 1896/83-स्थापनाना — केन्द्रीय भौ० सुरक्षा वल में पुलिस महानिरोक्षक (मुख्यालय) की नियुक्ति के फलस्वरूप प्रतिनियुक्ति ग्राधार पर श्री ग्रो० पी० भूटानो, श्राई० पी० एस० (यू० पो०-1952) ने दिनांक 07-1-85 (पूर्वाह्न) पुलिस महानिरोक्षक, से०-4 के० रि० पु० बल, शिलाग का कार्य-भार त्याग दिया ।

सं० डी०-एक--30/84-स्थापना--I---श्री एम० डो० देसमान्य, उप-मध)क्षक, 2री वटा० के० रि० पु० बल को सेवाए दिनांक 23--1-85 (ग्रपराह्न) से लिपुरा सरकार को डेपुटेशन माधार पर सौपो जासी है।

दिनांक 15 फरवरी 1985

सं० ग्रो० दो०--1281/76--स्थापना---श्रो बलवन्त सिंह ने सरकारी सेवा में निवृत्त होने के फलस्वरूप पुलिस उप-ग्रधो-क्षक, ग्रुप सेण्टर, के० रि० पु० बल, नई दिल्लो के पद का कार्यभार दिनांक 31--12--1984 (ग्रपराह्न) को त्याग दिया ।

सं० ग्रो० दो-1466/80-स्थापना-एस० एस० जी० शिमला, हिमाचल प्रदेश डिवोजन में डिवोजनल आर्गनाइजर के पद पर नियुक्ति के फलस्वरूप डेपूटेशन ग्राधार-पर श्री इन्द्र भगत नेगी, भारतीय पुलिस सेवा क्रांग्रेज्य प्र०-1958) ने दिर्नाक 17-10-84 (पूर्वाह्म) उप निदेशक (प्रगासन) महा-निवेशालय, के० रि० पू० बल, नई दिल्लो का कार्यभार स्थाग दिया।

> ग्रणोक राज महीपति सहायक निदेशक (स्थापना)

श्रम एवं पुनर्वास मंत्रालय

श्रम ब्यूरो

शिमला-171004, विनांक 2 मार्च 1985

संख्या 23/3/85-सी.पी.आई^{°.} —-जनवरी, 1985 में आदियोगिक श्रमिकों का अखिल भारतीय उपभाक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 1960≔100) दिसम्यर, 1984 के स्तर 588 (पांच सौ अट्ठासी) पर ही स्थिर रहा। जनवरी, 1985 माह का सूचकांक (आधार वर्ष 1949≕100) पर परियर्तित किए जाने पर 715 (सात सौ पन्ग्रह) आता है।

> जित्तेन्द्र नाथ शर्मा संयुक्त निव`शक श्रम ब्युरों

8511

-

वित्त मंत्रालय

(ग्राधिक कार्य विभाग) बैंक नोट मुद्रणालय देवास, दिनांक 10 फरवरो 1985

क॰ बी॰ एन॰ पी॰/सी॰/5/84---श्री ए॰ के॰ रस्तोगी, तदर्थ हिन्दी ग्राधिकारी (रु० 650-1200 के वेतनमान में) बैंक नोट मुद्रणालय, देवास को दिनाक 10-2-85 (ग्रपराह्न) से रु॰ 425-700 के वेतनमान में हिन्दो ग्रनुवादक के पद पर प्रत्यावर्तित (रिवर्ट) किया जाता है ।

> मु० वै० चार महा प्रबन्धक

भारतः सरकार_्टकसाल

बम्बई, दिनांक 23 जनवरी 1985

आदेश कमांक 284---श्री एस॰ वि॰ खाडोलकर की तदर्थ आधार पर स्थानापन्न रूप से ग्रुप मुख्य धातु परोक्षक के रूप में की गई व्यवस्था को दिनांक 1-10-84 से समाप्त कारने के परिणाम श्री डी॰ डी॰ कोली, स्थानापन्न धातु पराक्षण अधीक्षक (राजगतित) जिनको श्री एस॰ वि॰ खाडोलकर की प्रोन्नति की एवजा में पदोन्नति की गई थी, उनको दिनांक 1 अक्तूबर, 1984 के पूर्वाह्न से सहायक धातु परीक्षण अधीक्षक (अराजपत्नित) के उनके मुख पद पर प्रत्यावर्तित किया गया।

ग्रादश कमांक 285--श्री एस॰ डी॰ दामले की धातु परोक्षण अधीक्षक के रूप में बम्बई टकसाल के दिनाक 1-12-84 के डायरी आदेश कमांक 241 ढ़ारा की गई पदोन्नति एद ढारा रद को गई।

आदेश कमांक 286—वित्त मंतालय, आर्थिक कार्य विभाग, नई दिल्ली के दिनांक 3-1-1985 के अ० शा० पतांक एफ० 2/28-31-कोईन की हिदायत अनुसार श्री एस० वि० खाडीलकर की तदर्थ आधार पर उप मुख्य धातु परीक्षक के रूप में की गई व्यवस्था दिनांक 1-10-1984 से समाप्त की गई है। . अत: श्री एस० वि० खाडीलकर, उसी दिनांक से धातू परीक्षण अधीक्षक के अपने मुख पद पर प्रत्यावर्तित हो गए।

> ग० रा०[ं]कहाते महा प्रबन्धक

भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा विभाग महालेखाकार का कार्यालय लेखा परीक्षा, केरफ, तिख्वनन्तपुरम, दिनांक 14 फरवरी 1985

सं० हकदारी रोकड़/1/10-3/84-85/162----महालेखा-कार (लेखा परीक्षा), केरल, तिख्वनन्तपुरम के कार्यालय के लेखा-परीक्षा अधिकारी श्री पी० एम० तोमस और सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी श्रीमती पी० पी० मरियाम्मा अधिवर्षिता के कारण 31--1985 (अपराह्न) को सेवा निवृत्त हो गंये हैं।

> वि० लक्ष्मीनारायणन, महालेखाकार

कार्यालय महालेखाकार लेखा, मध्य घदेश

ग्वालियर, दिनांक 19. जनवरी 1985

कमांक प्रशासन-एक/ले० अ०/प्रभो०/301----महालेखाकार (लेखा), म० प्र० ने निम्नलिखित अस्थायी अनुभाग अधिकारी को स्थानापन्न लेखा अधिकारी के पद पर वेतनेमान रु० 840--40--1000--द० रो०--40--1200 में उनके नाम के आगे दर्शाय कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से ग्रागामी आदेश तक पदोन्नत किया है।

कै० सं०	नाम	स्थायी क॰	कार्यभार ग्रहण करने का दिनांक तथा आवंटन
1. श्र	ो एन० सी० निम	02/2	31-12-84 पूर्वाह्न

[प्राधिकार-महालेखाकार (लेखा) के आदेश दिनांक 22-12-84]

(ह०) अपठनीय

वरिष्ठ उप महालेखाकार/प्रशासन

महालेखाकार का कार्यालय, उत्तर प्रदेश

इलाहाबाद, दिनांक 8 फरवरी 1985

सं० प्रशा०/ए० जी० (आडिट)-1/13-71---निम्नलिखित स्थायी लेखा-परीक्षा अधिकारी कार्याख्या महालेखाकार (ले० प्र०) 2, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद से निवर्तन की आयु प्राप्त कर 31 जनवरी, 1985 (अपराह्न) को सेवा निवृत्त हो गये हैं :----

1. श्री राम सिंह

2. श्री पुरशोत्तम प्रसाद तिपाठी

बी॰ के० चट्टोपाध्याय वरिष्ठ उपमहालेखाकार (प्रशासन)

कार्यालय निदेशक लेखा परीक्षा, रक्षा सेवाएं नई दिल्ली, दिनांक 14 फरवरी 1985

सं० 5298/ए-प्रशासन/130/82-84-वार्धक्य निवृत्ति आयु प्राप्त करने पर श्री गुरबक्श सिंह, स्थायी लेखा परीक्षा अध-कारी, रक्षा सेवाए, दिनांक 31-1-1985 (अपराह्न) को सेवा निवृत्त हुए ।

> भगवान शरण तार्यल संयुक्त निदेशक लेखा परीक्षण रक्षा सेवाएं, नई दिल्ली

रक्षा मंत्रालय भारतीय आर्डनन्स फैक्टरियां सेवा आर्डनैन्स फैक्टरी बोर्ड

कखकत्ता-16, दिनाक 5 फरवरी 1985

सं० 3/जी/85-वार्धक्य निवृत्ति आयु (58 वर्ष) प्राप्त कर, श्री ननी गोपाल दत्ता, स्थानापन्न सहायक कार्यशाला प्रबन्धक (मौलिक एवं स्थायी फोरमैन) दिनांक 31 अक्तूबर, 1984 (अपराह्न) से सेवा निवृत्त हुए ।

> वी० के० मेहता उप महानिदेशक

वाणिज्य मंत्रासय मुख्य नियंतक व्यान-निर्यात का कार्यालय नई दिल्ली, दिनांक 16 फरवरी 1985 आयात तथा निर्यांत व्यापार नियंत्रण (स्थापना)

सं० 6/1354/81--प्रशासन (राज०)/970-इस कार्यालय के श्री भगत सिंह, सहायक निदेशंक (शुल्क वापसी) सेवा निवृत्ति की आयु प्राप्त कर लेने पर 31 जनवरी, 1985, के अपराह्त से सरकारी सेवा से निवृत्त हो गए हैं।

सं० 6/1429/83--प्रशासन (राज०)/1033--संयुक्त मुख्य नियंतक, आयात-निर्यात के कार्यालय, कलकत्ता में श्री एन० एल० घोष, नियंत्रक, आयात-निर्यात, सेवा निवृत्ति की आयु होने पर 31 मई 1984 को अपराह्न से सरकारी सेवा से निवृत्त हो गए हैं।

दिनांक 11 फरवरी 1985

सं० 1/4/85-प्रशासन (राज०)/1011---राष्ट्रपति वाणिज्य मंत्रालय में डैस्क अधिकारी श्री एस० पी० शर्मा को 30 जनवरी, 1985 (अपराह्न) से मुख्य नियंतक आयात-निर्यात के कार्यालब, नई दिल्ली, में, वरिष्ठ प्रशासनिक विश्लेषक के रूप मे, प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्त करते हैं।

> एम० ,पी० अईसक उप-मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात क्वते मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात

पूर्ति तया ूनिपटान महानिदेशास्त्रय (प्रशासन अनुभाग-6)

नई दिल्ली-110006, दिनांक 14 फरवरी 1985

सं० ए-17011/36/71/प्र--6---निदेशक निरीक्षण, बम्बई के कार्यालय में स्थायी सहायक निरीक्षण अधिकारी (ग्रभियांत्रिकी) श्री ए० जी० थडानी, निवर्तन की आयु प्राप्त होने पर दिनांक 31 जनवरी, 1985 के अपराह्न से सरकारी सेवा से निवृत्त हो गए।

> एस० एल० कपूर उप निदेशक (प्रशासन) क्रुते महानिदेशक, पूर्ति तथा निपटान

नई दिल्ली-110001, दिनांक 13 फरवरी 1985

• सं० ए-17011/291/85-ए-6--राष्ट्रपति, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अधीन हैदराबाद में अधीक्षक अभियन्ता (विद्युत) श्री जे० के० चौधरी को दिनां का 14 जनवरी 1985 के पूर्वाह्न से अधिक से अधिक 3 वर्ष की अवधि के लिए प्रति-नियुक्ति के आधार पर निदेशक, निरीक्षण (भारतीय निरीक्षण सेवा ग्रुप "ए" का ग्रेड-I) के पद पर नियुक्त करते हैं।

2. श्री जे० के० चौधरी ने दिनांक 10 जनवरी 1985 के अपराह्न को हैदराबाद में अधीक्षक अभियन्ता (विद्युत) के पद का कार्यभार छोड़ दिया ग्रौर 14 जनवरी, 1985 के पूर्वाह्न से पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय, नई दिल्ली में निदेशक निरीक्षण के पद का कार्यभार संभाल लिया ।

दिनोंक 15 फरबरी 1985

सं॰ ए-17011/16/71 ए-6---राष्ट्रपति, उप निदेशक निरीक्षण (अभियांत्रिकी) (भारतीय निरीक्षण सेवा ग्रुप "ए" अभियांतिकी शाखा का ग्रेड-II) श्रीटी॰ एस॰ संधू को 4 फरवरी 1985 के पूर्वाह्न से निदेशक निरीक्षण श्री जी॰ शिवरमन जो कि 4-2-85 से 3-5-85 तक 89 दिन के अवकाश पर है के स्थान पर 1500-60-1800-100-2000 रुपए के वेतनमान में तदर्थ आधार पर निदेशक निरीक्षण (भारतीय निरीक्षण सेवा ग्रुप "ए" का ग्रेड-1) के पद पर नियुक्त करते है।

श्री टी० एस० संधू की निदेशक निरीक्षण (भारतीय निरीक्षण सेवा ग्रुप "ए" का ग्रेड-1) के रूप में नियुक्ति भारत संघ द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर की गयी तीन एल० पी० ए० संवे 67/83, 68/83, तथा 69/83 और उप निदेशक निरीक्षण श्री एस० सी० आनन्द द्वारा बम्बई उच्च न्यायालय में दायर की गयी ग्रौर दिल्ली उच्च न्यायालय में स्थानान्तरित तथा दिल्ली. उच्च न्यायालय में अभी लम्बित रिट याचिका सं० 3001/83, 35/83 के निर्णय की शर्तो के अधीन की गयी है।

श्री टी० एस० संधू ने उप निदेशक निरीक्षण (अभि०) के पद का कार्यभार छोड़ दिया है तथा दिनोक 4-2-85 के पूर्वाह्ल से पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय, नई दिल्ली के कार्यालय में निदेशक निरीक्षण का कार्यभार संभाष / लिया है।

> एस॰ एल॰ कपूर उप निदेशक (प्रशासन)

इस्पात, खान झौर कोयला मंद्रालय खान विभाग भारतीय खान ब्यूरो नागपुर,्रदिनांक 11 फरवरी 1985

सं० ए--19011 (20)/84 पी० पी०---निवर्तन की आयु 'पूर्ण कर सेवानिवृत्त होने पर श्री एन० एस० चटर्जी, क्षेत्रीय खान नियतक को 1 फरवरी 1985 के पूर्वाह्न से भारतीय खान ब्यूरो के कार्यभार से मुक्त कर क्यिा गया है ग्रौर तदनुसार उनका नाम इस विभाग की प्रभावी स्थापना से काट दिया गया है।

सूचना श्रीर प्रसारण मंत्रःलय फिल्म प्रभाग

बम्बई, दिनांक 7 फरवरी 1985

गं० 9/31/49-सि०-----श्री एय० जी० भंडारकर ने अपने कार्य के निवर्तन की आयु पूरी कर लेने पर सहायक प्रशासकीय अधिकारी, फ़िल्म प्रभाग के पद का कार्यभार 31 जनवरी 1985 के अपराह्न से छोड़ दिया है।

ंएन०	एन ०	शर्मा
प्रशासकीय	' সাঘি	कारी
क्टले निदेश	ক সহ	सासन

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत।लय (खाद्य विभाग) शर्करा निदेशालय

सं० ए-32014/1/83-स्था०---श्री वेनी प्रसाद, महायक (लेखा एवं सांख्यिकी) (सेलेक्शन ग्रेड), शर्करा निदेशालय को इसी निदेशालय में 5 जनवरी, 1985 (पूर्वाह्न) से अगना आदेश मिलने तक पूर्णतया अस्थायी एवं तदर्थ आधार पर स्थानापन्न रूप में रु० 500--20-700-द० अ०-25--900 के वेतनमान में अनुभाग अधिकारी (लेखा एवं सांख्यकी) ग्रुप "बी" (रांजपवित) पद पर नियुक्स किया गया है ।

> वी० लक्मी रतन मुख्य निंदेशक

deviation and Million -	THE REPORT OF THE PARTY OF THE	nan • πrikama-i⊥⊑ ⊥	
	पर माणु ऊर्जा (वमाग •	
	रिऐक्टर अनुसंधाः	न केन्द्र	
कलपति	कम, दिनांक 2	जनवरी 1985	

सं० आर० आर० सी०/ए-32023/1/83-आर- इस केन्द्र की तारीख 21 नवम्बर, 1984 की समसंख्यक अधिसूचना के क्रम में रिऐक्टर अनुसधान केन्द्र के निदेशक ने इस केन्द्र के स्थायी सहायक लेखापाल श्री किल्लीकुलंगार मामन वेलायुधन की उसी केन्द्र में सहायक लेखा अधिकारी के पद पर तदर्थ आधार पर स्थानापन्न रूप से की गयी पदोन्नति की अर्वाध 1-1-85 से 31-1-85 अथवा, अगला झादेश होने तक के लिए, जो भी पहले घटित हो, बढा धी है ।

> कुमारी एस० गोपालकृष्णन प्रशासन अधिकारी

पू० सी० रे**ल**त्रे मालीगांव, दिनांक 1 फरवरी 1985 ज्ञापन

सं॰ ई॰/55/III/197 (म्रो॰)—भारतीय रेल प्रशासनिक सेवा के अधिकारी श्री के॰ वी॰ नन्दा को एतर् ढारा भारतीय रेल प्रशासनिक सेवा के अवर वेतनमान के एक वर्तमान रि्क्त पद पर दिनांक 1-1-83 से स्थायी किया जाता है ।

इसे महाप्रबन्धक/पू० सी० रेखवे मालीगांव के अनुमोदन से जारी किया जाता है ।

> (ह०) अपठनीय कृते महाप्रबन्धक (का०)

दिनांक 16 फरवरी 1985

सं० ए-19012(100)/77-स्था० ए०--श्री वी० के० तारसेकर, स्थानापन्न सहायक रसायनज्ञ, भारतीय खान ब्यूरो ने पेटेण्ट इन्फारमेगन सिस्टम, नागपुर में प्रतिनियुक्ति पर चले जाने के कारण दिनांक 31-1-85 (अपराह्न) से उपरोक्त पद का कार्यभार छोड़ दिया है ।

> पी० पी० वादी, प्रशासन प्रधिकारी इन्ते महानियंत्रक भारतीय खान ब्यूरो

राष्ट्रीय अभिलेखागार नई दिल्ली–1, दिनांक 15 जनवरी 1985 गाविपन

ম্বুদ্ধিপন্ন

सं० एफ०--8--9/83 स्थापनां---दस विभाग की दिनांक 25 अगस्त, 1984 की समसंख्यक अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन किया जाये ।

उक्त अधिसूचना की पंक्ति 1 ग्रीर 2 में ''श्र,मती सुधा रानी . शर्मा ग्रीरश्रीएस० आर० भयैजा के स्थान पर ''श्रीमती सुधा रानी सर्मा तथाश्री एस० आर० बथेजा'' पढ़ा जाये ।

अधिसूचना की अन्य बातें अपरिवर्तित रहेंगी ।

रा० परती अभिलेख निदेझक

भारत सरकार

आकाशवाणी महानिदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 16 फरवरी 1985

सं॰ 4/34/81-एस-एक----श्री पी॰ श्रीनिवासन, कार्यक्रम निष्पादक, आकाशयाणी, त्रिरुचिरापल्ली अब के॰ पी॰ श्रीनिवासन कहलायेंगे ।

> हरीश चन्द्र जयास, प्रशासन उपनिदेशक क्रुते महानिदेशक

बन एवं वन्य प्राणी विभाग भारतीय वन्य प्राणी संस्थान

देहरादून, दिनांक 17 जनवरी 1985

सं० 1-2/84-भा० व० स०/94---इस संस्थान के अधिसूचना सं० 112/84-डब्स्यू एल० आई/ 3(22) बी दिनांक 27 जनवरी, 1974, के कम में अघोहस्ताक्षरी, भारतीय वन्य प्राणी संस्थान, देहरादून में प्रशासनिक अधिकारी श्री सी० पी० पाहवा की तदर्थ नियुक्ति की अवधि को दिनांक 9 जनवरी से एक साल की आगामी अवधि के लिए या जब तक पद निर्यामत आधार पर भरा जाये, इसमें जो भी पहले हो, बढ़ाते हैं।

> विं० बि० सहारिया निदेशक

महानिदेशक नागर विमानन का कार्यालय

नई दिल्ली, दिनांक 15 दिसम्बर 1984

सं० ए० 32014/3/84--ई० सी०-(पार्ट)—महानिदेशक नागर विमानन ने निम्नलिखित तकनीकी सहायकों को उच्चतर पद का कार्य--भार ग्रहण करने की तारीख से छः मास की भवधि के लिए या पद के नियमित झाधार पर भरे जाने तक, इनमें से जो भी पहले हो, रुपर 650---1200 के बेतनमान में सहायक तकनीकी अधिकारा के भेड में तदर्थ झाधार पर नियुक्त किया है झौर उन्हें प्रत्येक के नाम के सामने दिए गए स्टेशन पर तैनात किया है :---

फ्र० नाम नं०	वर्त्त मान तैनाती स्टे शन	नया सैनाती स्टेशन	कार्यंभारु ग्रहण करने की तारीख
1 2	3	4	5
 पी० एस० नारायणन 	मब्रास	मद्रास	25-8-81 (पूर्वाह्न)
2. एन० के० सूद	बम्बई	भौरंगाबाद	13-9-84 (पूर्वाह्न)
2. के॰ वेलायुधन II	तिवेन्द्रम	तिवेन्द्रम	27 – 8 – 84 (पूर्वाह्न)
4. घी० के० ग्रमा	नुह	लखनऊ	29-9-84 (पूर्वाह्न)
5. के० मृत्यूक्र ^{ुष्णन}	नागपुर	नागपुर	31-8-84 (र् गाँ ज्ञ)
 एस॰ एम॰ भण्डारी 	सिकन्दराबाद	जयपुर	16-10-84 (र्गद्ग)
7. के० वेलायुधन I	क्षिवेन्द्रम	जिवेन्द्र म	28-8-84 (गूर्गा <i>च</i>)
8. ग्रार० एन० गुप्ता	पन्त नगर	लुधियाना	31 – 8 – 84 (र्गो 🛪)
9. एस० के० घोष	मुजक्करपुर	रांची	25-9-84 (पूर्वाह्न)
10. एन० के० गुप्ता	फ र्देखाबाद र	लखनऊ	20-11-84 (तुर्गा ज्ञ)
11. ए० ग्रार० गोस्वामी	म्नहमदाबाव	ग्रहमदाबाव	31884 (पूर्वाह्न)
12 हरीग पन्त	नागर विमानन प्रशिक्षण केन्द्र,	नगर विमानन गुझि झग कन्द्र,	27-8-31 (र्गा ह)
	इलाहाबाद	इसाहाबाद	
13. एम० के० धर्मोधिकारी	बड़ौदा	बेलगाम	28-9-84 (र्रान्न)
14. जे०बी० सोनार	श्रहमवाबांव	ग्रहमवाबाद	31-8-84 (ग्रीझ)
15. डी० सी० दास	कंलकसा	भुवनेश्वर	279-84 (पूर्गाह्न)
16. ए० के० बंसल-	रेडियो निर्माण श्रौर विकास एकक दिल्ली	वैमानिक संचार स्टेशन , दिल्ली -	28-8-84 (यूर्वाह्न)
17. एस० पर्लेनिग्रप्पन	मद्रास	भवास	25-8-84 (पूर्वा ह)
		मंगलोर	28-9-84 (र्राह)
18. क० लारस क 19. सुरजीत सिंह	रेडियो निर्माण भौर थिकास एकक, दिल्ली	वैमानिक सेवार स्टेगन, दिल्ली	28-8-84 (पूर्वा ह)
20. सुभाष चन्द्र	श्रीनगर	ल खाम उ	20-9-े84 (पूर्रा ह)
20. सुमाप पग्र 21. सम्पूर्ण सिंह •	्राग्गर रेडियो निर्माण ब्रौर विकास एकक, दिल्ली	वैमातिक संबार स्टेशत, दिल्ली	28-8-84 (पूर्वाह्न)
22. डी० भट्टाचार्य	गया	गया	28-8-84 (र्ग्ह)
22. छार०पी०गैन्थर 23. ग्रार०पी०गैन्थर	वाराणसी	मंत्रास	25-9-84 (पूर्वाह)
23. जारण्याण्यर 24. एस० के० नन्दा	कलकता	फलकता	2-9-84 (पूर्वाह्य)
25. पी० एस० ढोलकिया	राजकोट	राजकोट	26-9-84 (पूर्वा ह्य)
25. टी० एम० सैनुद्दीन	तिवेन्द्रम	विवेन्द्रम	29-8-84 (पूर्वाह्न)
28. ८१० एल॰ नन्दा 27. एस॰ एल॰ नन्दा	्नागर विमानन प्रेशिक्षण केन्द्र, इलाङ्काबाद	नागर विमानन प्रशिक्षण केन्द्र, इला	1.11 . 1
28. पी० वी० फाथे	वम्बई 	धम्बई	31-8-84 (गूर्राझ)
28. पाण्याण्याय 29. एस० एस० हकीम	बम्बद्	नम्बई	31-8-84 (नूर्गाह्न)
29. एस० एस० हफान 30. वी० एस० मलिक	अन्यद कलकत्ता	कलकता	31-8-84 (पूर्वाह्न)

भाग III---खण्ड 1]

1,	2	3	4	5
31. র্ষ	ी० भ्रार० नायर	तिवेन्द्रम	क्षिवेन्द्रम	
32. ए	म०एच० श्रयूबी	बम्बई	बम्बई	31−8−84 (पूर्वाह्न)
	ी० के ०चकवर्ती	श्रीनगर	कानपुर	29~9-81 (प्रांच)
34. ए	स० एल० भिडे	बम्बई	त्रौरंगा बाद	28984 (पूर्वाह्न)
35. ए	म० एम० भारदाज	जखन <i>ऊ</i>	ग्रहमदाबाद	20-9-84 (पूर्वाझ)
36. ų	म० जे० लुकोसे	घम्बई	बेलगाम	19~9~84 (पूर्वाह्रें)
	ि क्ररुमुघम	कोयम्बतूर	कोयम्बतूर	31−8∼84 (पूर्वाह्न)
	ी० ए० राठौड़	बम्बई	बम्बई	31-8-84 (पूर्वाह्न)
-	ल० एन० शर्मा	गोह <u>ा</u> टी	गोहाटी 	31-8-84 (प्रान्न)
	ल० के० _. मित्तल	ग्वालियर	लखनऊ	16-10-84 (पूर्राझ)
	च० ग्रार० रंजन	वै मानिक संचार स्टेशन दिल्ली	वैमानिक संचार स्टेशत, दिल्ती	2~9~84 (पूर्वाह्न)
	स०टी० क <u>ु</u> मार	वैमातिक भंचार स्टेशन, दिल्ली	मद्रास	30-8-81 (स्रीझ
	ो० एस० परमार	नागपुर	नागपुर	31~8~84 (पान्नि)
	० ग्रार० भ्रानन्द	लखनऊ	भोपाल	31884 (प्राँच)
45. U	स०मी० सूद II	वै मानिक संचार स्टेशन, दिल्ली	बैमानिक संचार स्टेशन, दिल्नी	26-8-84 (नुगोझ)
46. ए	स० के० खन्ना	कलकत्ता	म लकत्ता	29-8-84 (पुत्रांझ)
≨7 .पी	० के० कपूर	जयपुर	जयपुर	24-8-84 (ग्राराज्ज)
48. ए	न० एस० मियां	वैमानिक संचार स्टेशन ,दिल्ली	हैदराबाद	31-8-84 (पूर्वाह्न)
	जे० एन० ना ग	जमशेदपुर	जमगोवपुर	31-8-84 (पूर्वाह्न)
50. š	जे० एस० देयोल	वैमानिक संचार स्टेशन, दिल्ली	वैमानिक संचार स्टेशन, दिल्ली	30~8-84 (पूर्वाह्र)
51.	नन्द किशोर	वैमानिक संचार स्टेशन दिल्ली	वैमानिक संचार स्टेशन, दिल्नी	2−9−84 (पूर्वाह्व)
52. 5	पी० क <u>े</u> ० चन्दा	क लॅकरा ।	पानगढ	31-8-84 (पुर्नाह्न)
53.	एस० के० चन्दा	कलकत्ती	कलकत्ता	2-9-84 (पुर्वाह्र)
54. 3	याकूब ख ा	, मंदसौर ,	`नागर विमानन परिक्षक्षण केन्द्र, इलाहाबाद	22-,9-84 (ग्राराह्न)
55. i	एम० के ० सेनगुप्ता	कलकता	कलक ता	31884 (पूर्वाझ)
56. K	जे० एस० सक्सेना	जयपुर	जयगुर	3∽9−84 (पूर्वाह्न)
57. U	एम० एल० कोचर	वैमानिक संचार स्टेशन, नई दिल्ली	वैमानिक संचार स्टेशन, नई दिल	जी 2—9—84 (पूर्वाह्न)
58. T	एस० ग्रार० मिश्रा	कलकत्ता	फ लकत्ता ं	31-8-84 (पूर्वाह्न)
59. 1	एस० करुणाकरण	काचीपुरम	कांचीपुरम	27-8-84 (पूर्वाह्य)
60. व	बी० पाल	कलकता	क रकता	30-8-84 (ग्रीझ)
61. 1	एम० एल० देबनाथ	<u>सारके</u> ग्वर	पटना	29-9-84 (पूर्वाह्न)
62. 🕏	जी० ए स० विद्यार्थी	वैमनिक संचार स्टेशन, नई दिल्ली	नागपुर	2~9-84 (पूर्गाद्र)
63.	बी० के० मुकर्जो	कलकता	मोहनवाड़ी	279-84 (गुर्गाझ)
64.	स्वामीनाथ	रेडियो निर्माण म्रौर विकास एकक, नई विल्ली	रेडियो निर्माण भौर विकास एकक, नई दिल्ली	24-8-84 (पूर्वाह्र)
65.	म्रार० के० चन्द्रा	फलफ त्ता	कलकता	17~9-84 (स्रांड्र)
66. 1	श।तल सिंह	बैमानिक संचार स्टेशन, दिल्ली 🔹 🔺	वैमानिक संचार स्टेशन, दिल्ती	268-84 (र्राज्न)
	विनयेन्द्रा दत्त	कलकत्ता	कतकता	31-8-84 (रूगांस)
	के० एस० छुग्गड़	रेडियो निर्माण ग्रौर विकास एकक, नई दिल्ली		- 30−8−84 (श्रवराह्न)
	पार्थ सुराप छुलाउ वीर० बी० तनेजा	नागर विमानन प्रशिक्षण केन्द्र,		
		इलाहाबाद	नागर विमानन प्रशिक्षण केन्द्र, इलाहाबाद 	27-884 (पूर्गा द्व)
	एम० एन० जोशी	नागपुर	नागपुर	31−8−8 4 (पूर्वाह्य
71.	म्रार ० एस० पिल्लै	विवेन्द्रम	विवेन्द्रम	29884 (पूर्वाह्न

[भाग II]--खण्ड 1

1 2	3	4	5
72. पी०टी० सैनी	रेडियो निर्माण श्रोर विकास एकक. दिल्ली	बंगलौर	27-9-84 (पूर्वाह्र)
73. यभपाल सिंह	वैमानिक संचार स्टेणन, दिल्ली	वैमानिक संवार स्टेशन; दिल्लो	26884 (पूर्वाह्र)
74. एस० एन० लंहरी	कलकर ा	भुवनेक्ष्वर	31-8-84 (पूर्वाह्ने)
75. जी० एम० गदरे	बम्बई	स म्बर्द्	31 – 8 – 84 (पूर्वाह्न)
76 एम०एल० गिरधर	रेडियो निर्माण भ्रौर विकास एकक, नई दिल्सी	रेडियो निर्माग श्रौर विकास एकक, नई दिल्ली	28-8-84 (पूर्वाह्न)
<i>77</i> . एस०मी० साहनी	वैमानिक संचार स्टेगन, दिल्ली	वैमानिक संचार <i>स्टे</i> णन, दिल्ली	26 - -884 (पूर्वाह्य)*
78. जी० एस० दत्ता	फ लकत्ता	मोहनबाडी	26-9-84 (पूर्वाह्य
79. श्रार० एन० वर्मा	वैमानिक संचार स्टेशन, दिल्ल ी	वैमानिक संचार स्टेमन, दिल्ली	28-8-84 (पूर्वाह्न)
80. म्रार० के०नेगी	वैमानिक संचार स्टेणन, दिल्ली	निपत्नक, केन्द्रीय रेडियो भंडार डिपो, दिल्ली	30-8-84 (अपरीझ)
81. कल्याण कुमार सेन	र्गया	<i>इ</i> म्फाल	18-9-84 (पूर्वाह्र)
82. अणोक जौली	वैमानिक संचार स्टे गन, दिल्ली	वैमनिक संचार स्टेशन, दिल्ली	26-8-84 (पूर्वाह्न)
83. पी० एस०वर्मा	ख∓वई	बम्बई	31-8-84 (पूर्वाह्न)
84. ए० एन० सिंह	सिलचर	सिलचर	318-84 (पूर्वाह्न)
85. एस० के० चन्दा	कटिहार	सिलचर	26-9-84 (पूर्वाझ)
86. पल्लब काति राय	कलकत्ता	तेजू	279-84 (पूर्वाह्न)
87. ए० जे० आइजक	हैदराबाद	हैदराबाद	29-8-84 (पूर्वाह्र)
88. नवेल भटनागर	रेडियो निर्माण श्रीर विकास एकक, दिल्ली	वैमानिक संचार स्टेशन, दिल्ली	28-8-84 (पूर्वाझ)
89. थिजय कुमार न ग्वी	कलकता	कलकता	30-8-85 (भ्रवराह्न)
90. श्रो०पी० सक्सेना	एस० टी० पी० महानिदेशक नागर विमानन	नियंत्रक, केन्द्रीप रेडियो अंडार डियो, दिल्ली	308-84 (पूर्वाह्न)
91. ग्रशोक कुमार सक्सेना	सम्बई	भावनगर	25-9-84 (पूर्वाह्न)
92. जॆ० के० सरकार	पटना	पटना	28-8-84 (पूर्वाह्न)
93. षी० के० राय	गया	गया	28-8-84 (पूर्वाझ)
94. रमेश कुमार	रेडियो निर्माण ग्रौर विकास एकक, दिल्ली	हैवरात्राद	31-8-84 (पूर्वाह्न)
95. टी० के० चौधरी	पोर्ट ब्लेयर	पोर्ट ब्नेयर	29−8 . -84 (पूर्वाह्न)
96. वी० के० दास	कलकत्ता	कलकता	30~- 8~- 84 (पूर्वाह्र)
97. जे० एम० सरकार	कलकत्ता	कलकता	31 - 8-84 (पूर्वाह्न)
98. एस० म्रार० विष्वास	कलकत्ता	कलकता	31-8-84 (पूर्वाह्न)
99. जे०एस० राखड़ा	सखनऊ	हैदराबाद	17-9-84 (अपर्राह्न)
100. इन्द्रजीत	उदयपुर	मंगलीर	27-9-84 (पूर्वाह्र)

दिनांक 4 फरवरी 1985

सं० ए० 32013/6/83-ई० सी०---राष्ट्रपति ने निम्न-लिखित अधिकारियों को दिनांक 9-11-1984 से झौर अन्य आदेश होने तक नागर विमानन विभाग में उपनिदेशक नियंत्रक, संचार के ग्रेड मे नियमित आधार पर नियुक्त किया है :---

ऋ सं०

श्री एन० के० पुरी, सहायक निदेशक संचार
 श्री पी० के० सिंघल, सहायक निदेशक संचार

नाम

क्रमसं० नाम

श्री के० एस० क्रुष्णामूर्ति, सहायक निदेशक संचार

4. श्री बी० एन० एम० राव, सहायक निदेशक संचार

दिनांक 8 फरवरी 1985

सं० ए० 19011/120/80-ई०----निवर्तन आयु प्राप्त कर लेने पर महानिदेशक नागर विमानन, नई दिल्ली के श्री एम० पी० खोसला, सहायक निदेशक (प्रशिक्षण एव अनुज्ञापन) दिनांक 31-1-1985 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से सेवा निवृत्त हो गए हैं।

. •

सं० ए० 14/1/83 ई० सी०—महानिदेशक नागर विमानन ने निर्म्मलिखित सहायक तक्नीकी अधिकारियों को प्रत्येक के नाम के सामने दी गयी तारीख से नागर विमानन विभाग में उसी ग्रेड में स्थायी रूप में नियुक्त किया⊾तै :—

•

ऋ∘ र्स∙० न⊺म	दिनांक
 1 2	3
1. सी० एल० जैन 	1-4-1981
2. ए० के० सक्सेना	वही
3. रंजीत घोष	—वहो
4. ए० एस० पाल	
5. एच० एल० अरोड़ा २	वह्रो
6. सी० के० सोबती	 वह्री
7. वी० के० रस्तोगी	
8. जे०एस० सेरीन	29-4-1981
9. टी॰ एस॰ कुष्णामूर्ति	वही
10. एन० एन० नम्बियार	वही
11. बी॰ एस॰ खुराना	वही
12. सी० वेंकटचलम	वही
13. आर०एस० सोखे	20-8-1981
14. एम० के० कृष्णन्	
15. कुलवन्त सिंह	 -वही
16. एन० वी ० सुब्रह्मण्यम्	वही
17. केशो नाथ	·वही
18. जी०एस० वर्मा	16-12-1982
19. एस० के० सेठ	वही
20. जसवन्त सिंह	वही
21. मो० पी० जुनेजा	वही
22. के॰ सी॰ शर्मा	वही
23. बी॰ के॰ पुरी	
24. जार० जयरमन	
25. के॰ एस॰ मुखर्जी	वही
26: एम० शिवासुबहण्यम	
27. कै॰ टी॰ जान	वही
28. वी॰ जी॰ जीशी — — — — — —	वही
29. एस॰ आर॰ टी॰ बर्मन	वही
30. ज॰ एस॰ नर्रूला	21-4-1983
31. के॰ आर॰ के॰ धर्मा	
32. एन० एस० स्ना	1-6-1983
33. ए० रामदोस	वही
34. एस॰ पी॰ शर्मा	2-6-1983
35. आई० एस० वेदी	वही
36. ए० एन० शिरके	वही
37. पी० एल० बजाज	वही

1	2	3
38. जी०	एल० अ कोलकर	2-6-1983
39. দ্বা০া	एम० प्रभाकर	वही
40. डी ०	पिवू मणि	 -वही
41. দ্বে০া	ত্পত বাৰলা	2-6-1983
42. जी ० म		28-8-1983
	1 ० श्रीवास्तव	नही
44 भ्रो० प		—ाइी——
45. एस॰ ব	ी० चौधरी	वही
4 6 ईश्वर		वही
47. ए० मह	र्हालिंग ेण्वर	वही
48. एफ ० ए	स० भ⊦टिया	
49. आर ०		वही
5 0 वी ० के		1-10-1983
	र सिंह मान	वही
52 पी० एस	'৹ ৰলৰী	1-10-1983
53. एम० ए		वही
54 टी० के	~	वही
•,	गी के० के०	—वही—
56. वी ० एम		5-11-1983
57 एम० के		
58. के० एस		
5 9. ग्रो० पी		
60 जोगिन्दर	•	12-2-1984
61. एम० के		` −−त्रही−−
62. वाई० र्स		19-2-1984
63. ए० एस		
64 पी० एन		वही
65. टी॰ एस		पही
66. बी ० एस		त्रही
67. टी॰ सेल		
68. वी० एम		
69. बी∘ सी		
70. इरनेक ि		
-	० जे० नम्बियार	
72. कृष्ण ना		1-4-1984
	० आह्रलुवालिया ९	30-4-1984
74. ब लबीर	-	वही
75.के० एल	•1	
76. एस० एस	ग० ग्रंवाल 	
	दिनांक 6 फरवर	₩ AT 1985

दिनांक 6 फरवरी 1985

मं० ए० 12025/3//71ई०-J--इस कार्यालय को दिनोक 19-11-84 की अधिसूचना सं० ए० 12025/3,71-ई०-1---के क्रम में महानिदेशक नागर विमानन ने नागर विमानन विभाग मे श्री के० के० शर्मा की हिन्दी अधिकारी के पद पर की गयी तदर्थ नियुक्ति दिनौक 31-12-84 तक जारी रखने की स्वीकृति प्रदान की है।

दिनांक 7 फरवरी 1985

> बी० जयचम्द्रन सहायक निदेशक प्रशासन

वन अनुसंधान संस्थान एवं महाविद्यालय 🚦 वेहरादून, विनाक 13 फरवरी 1985 🚦

सं० 16/425/84-स्थापना-I-अध्यक्ष, बन अनुसंधान संस्थान एवं महाविद्यालय, बेहरादून, डा० सी० बी० एस० दक्षा को दिनांक 1-1-85 की पूर्वाह्न से अगले भावेशों तक बन मुदा एवं वनस्पति सर्वेक्षण वन अनुसंधान संस्थान एवं महाविद्यालय के मिदनापुर केन्द्र में अनुसंधान अधिकारी के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं ।

> जि० एन० सक्सेना क्रिल सचिव वन अनुसंधान संस्थान एवं महाविद्यालय

नीवहन भौर परिषहन मंत्रालय

नौबहन महांनिदेशालय

बम्बई-400 03, विनांक 12 फरवरी 1985 सं॰ II-टी॰ आर॰ (6)/83--राष्ट्रपति मरीन इंजीनियरी प्रशिक्षण निवेशालय, कलकत्ता के ईंजीनियर अधिकारी श्री डी॰ बन्दोपाध्याय का त्यागपत्र 7-10-1984 (पूर्वाह्न) से स्वीकार करते हें ।

> अमिताभ चन्द्र नौ**यहन उप महानि**वेकभ

उद्योग ग्रौर कम्पनी कार्य मंत्रालय (कम्पनी कार्यविभाग) कम्पनी लॉ बोर्ड कम्पनियों आक्ते रजिस्टार का कार्यालय

कम्पनी अभिनियम, 1956 की धारा 445(2) के अधीन सूचना कम्पनी अधिनियम, 1956 के मामले में ग्रौर वेस्टर्न इंडिया स्पीनींग एण्ड मन्युफेक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड के मामले में ।

अम्बई, विसांक 13 फरवरी 1985

कम्पनी आवेदन सं० 40 वर्ष 5 में स्थित माननीय उच्च न्यायालय, बम्बई के आवेश दिनांक 13-1-1977 के द्वारा वेस्टर्न इंडिया स्पीनिंग एण्ड मैन्युफेक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड का परिसमापन करने का आदेश प्रदान कर दिया है।

> मोमप्रकाश जैन अतिरिक्त कम्पनी रजिस्ट्रार

कम्पनी अधिनियम, 1956 और सनगोल्ड फाइनेंन्स एण्ड इन्वेस्टमेंटस लिमिटड के विषय में। जालन्धर, दिनांक 14 फ़रवरी 1985

सं० स्टेट/5228/11226 कम्पनी अधिनियम, 1956 की बारा 560 की उपघारा (3) के अनुसरण में एसदबारा यह सूचना दी जाती है कि इस विनाक से तीन (3) मास के अवसान पर सन् गोल्ड फाइन्नेंस एण्ड इन्वेस्टमेंटस लिमिटेड का नाम इसके प्रसिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायगा और उक्त कम्पनी विषटित कर दी जायगी ।

कम्पनी अधिनियम, 1956 मोर लक्ष्मी, फोरजिंग प्राइदेट लिमिटड के विषय में

जालन्धर, दिनांक 14 फरवरी 1985

स॰ स्टेट/4259/11230 कम्पनी अधिनियम, 11956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि लक्ष्मी फोरजिंग प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रिजिस्टर से काट दिया गया है झौर उक्त कम्पनी विषटित हो गयी है। भौगे III---बाण्ड 1]

"कम्पनी अधिसियम, 1956 ग्रौर गौतेम पेपर मिल्स लिमिटड के विषय में । जालन्धर, दिनांक 14 फरवरी 1985 र्स० स्टेट/4407/11232-कम्पनी⁴⁵ अधिनियम, 1956

को धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतवद्वारा सूचना वी जाती है कि गौतम पेपर मिस्स जिमिटेड को नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है ग्रौर उक्त कम्पनी विघटित हो गयी है।

कम्पनी अधिनियम, 1956 ग्रौर सुपर स्टार पेपर मिल्आ प्राइवेट लिमिटड के विषय में ।

जालन्धर, दिनांक 14 फरवरी 1985

सं॰ स्टेट /560/4466/11234---कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्-ढारा सूचना थी जाती है कि सुपर स्टार पेपर मिल्ज प्राइवेट लिमिटड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विषटित हो गयी है। कम्पनी अधिनियम, 1956 क्रौर वी॰ डी॰ चिट फण्ड एण्ड फाइनेंसर्स प्राइवेट लिमिटड के विषय में ।

जालन्धर, दिनांक 14 फरवरी 1985

सँ० स्टेट/5228/11237—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतवद्वारा यह सूचना घी जाती है कि इस दिनांक से तीन (3) मास के अवसान पर वी०[/]डी० चिट फण्ड एण्ड फाइनेंन्सर्स प्राइधेट लिमिटड का नाम इसके प्रसिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायगा श्रीर उक्त कम्पनी विधटित कर दी जायगी।

>) वीं० एम जैन कम्पनियों का रजिस्ट्रार पंजाब, हिमाचल प्रदेश तथा चण्डीगढ़

प्रकृप बाइ. टी.) एन. एत. ------

वायकर वाधिनियमं, 1961 (1961 का 43) कौ भाष 269-व (1) के अधीन सुचना

्रभाइत बहुकार

कार्वालय, सहायक वायकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेज, अमृतसर

अमृतसर, दिनाक 24 जनवरी, 1985

निदेश सं०ए०एस०आर०/84-85--यत मुझे, एम० सी०/64 कपिल, आई०आर०एस०,

नावकर अभिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), जो कि धारा 269-ख क्रे अधीन सर्थ प्राधिकारों को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित याजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

ग्नौर जिसकी स० भूमि का प्लाट है तथा जो मजीठा रोड के पीछे अमृतसर में स्थित है, (ग्नौर इससे उपाबढ़ अनुसूची मे ग्नौर पूर्ण– रूप से वणित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, अमृतसर, मे रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जून, 1984

को पूर्थों क्त सम्पति के उ चित ज़ाजार मूल्य से कम के इष्यमान अतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुभ्ने यह व्यिवास करने का कारण है कि यथापूर्वोंक्त सम्परित का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, एसे दृश्यमान अतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच एसे अंतरण के बीच तय पाया गया प्रति-फल, निम्नलिखित उद्दोश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्त-विक रूप से कथित नहीं किया गया है .---

- (ना) जन्तरण ते हुई किसी जाव की बावता, उनता जभिनियम के बधीन कर दोने को जन्तरफ बढे दायित्व में केमी करने मा उन्नच्चे बचने में सविधा के लिए; और/दा
 - (व) एसी किसी आय या किसी भन या जन्म जास्तिवों को, जिन्हें भारतीय आग-कर अभिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त जभिनियम, या भनकर अभिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रथोज-नार्भ मन्तरिती ब्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया बाना बाहिए था कियाने में सविधा के लिए;

वतः अव, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरज में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) को अधीन, निभ्नेलिचितः व्युक्तियों अधात् हि—

- (1) श्री सुरजीत चन्द पुद्र श्री किशन चन्द श्रीमति नीलम कान्ता पत्नि श्री विजय कुमार शरीफपुरा, अमृतसर ।
- (2) लखवीर सिंह पुत्र श्री सोहन सिंह वासी बावा बकाला जिला अमृतसर
- (3) जैसा ऊपर स० 2 में कोई किराएवार है। (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)
- (4) और कोई (वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता

है कि वह सम्परित में हितबव्ध है) को यह सुचना जारी करके प्योंक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए दर्ग्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी वाक्षेप इ----

- (क) इस सूचना के राअपत्र में प्रकाशन की तारीचा से 45 दिन की अर्वाध या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्व्याकत व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति खुबारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीस से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबब्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के आप तिचित में किए जा सफोंगे।
- स्पख्यीकरणः:— इसमें प्रयुक्त सब्दों और पदों का, जो उक्त जभिनियम के अभ्याय 20-क में परिभाषित हूँ, वहुरि-अर्थ होगा, जो उस अभ्याय में किया गया हूँ।

<u>संपूर्ण</u>ी

एक भूमि का प्लाट 200 व०ग० जो मजीठा रोड के पीछे, आखो के हस्पताल के पास, अमृतसर में है जैसा सेल डीड न० 2096/12-6-1984 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी अमृतसर में दर्ज है।

> एस० सी० कपिल ्सक्षम प्राधिकारी सहायक भ्रायकर श्रायुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेज, अमृतसर

तारीख: 24-1-1985 मोहर: माग III---बण्ड 1]

अकर वार्ष_{टा} दी. रुष्**य हक्तु-**भ्यान्य-प्रन

नापकर नॉिश्रीन्यम, 1961 (1961 का 43) को भाग 269-म (1) के नमीन स्प्रसा

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रें ज, अमृतसर

अमृतसर, दिनांक 11 फरवरी 1985

निवेश स० ए० एसं० आर०/84-85/165--- यत. मुझे, एस० सी० कपिल, आई०आर०एस०,

वायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके परणात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की भारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विदेवास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, विसका उत्तित बाद्यार मृत्य 25,000/-रु. से अधिक ही

धौर जिसकी स० रिहायशी मकान है तथा जो कष्टरा शेर/सिंह, अमृतसर में स्थित है, (ग्रौर इससे उपाबद्ध अनुसूची मे ग्रौर पूर्णरूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, अमृत्तसर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीखे जून, 1984

को पूर्वोक्त संपत्ति के उपित वाकार मून्य से कम के प्रथमान प्रतिपद्ध को लिए जन्तारित की गई है और मुझे यह विक्वास करने का कारण है कि मवापूर्वोक्त सम्पत्ति का उपित वाजार मून्य उसके कावमान प्रतिकाय से, एसे क्ष्यमान प्रतिफल का वन्द्र प्रविद्यत से जविक है और अंतरक (अन्तरकारें) और बन्तरिती ((प्रन्तरितियां) के बाव एसे जन्तरण के निए तब वावा गया प्रतिफल निज्यित्वित ज्यूवर्ष्स से उपल वेतरण किवित ने वाक्तरिक क्ष से कविव प्रूरी किया का ही द्व-

- (क) अन्तरण से हुइ किसी वाय की बाबत, उपत वाँध-नियम के बधीन कर दोने के अन्तरक के वायित्थ में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या
- (व) ऐसी किसी बाब वा किसी कव वा बन्य वास्तियाँ को, जिन्हें भारतीय वायकर अभिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त जीधनियम, या भनकर वृत्ति्रियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ जन्तरिती व्वारा प्रकट नहीं किवा गया था वा किया काला चाहिए वा किपाने में चुविचा के सिए;

अतः वय उक्त वीधीन्यन की पारा 269-ग के वनुसरव में, में, उक्त वधिनियम की धारा 269-ग को उपभारा (1) के बधीन, निम्नतिविक व्यक्तियों, वर्षात १----

- (1) हरभजन सिंह पुत श्री गुरदित्त सिंह, गली नं० 3, दयानन्द ,नगर, लोरे स रोड, अमृतसर।
 - (अन्तरक)
- (2) श्री बलजीत सिंह पुत्र श्री दयाल सिंह, वासी नौगहरा ढाला तहसील तरन तारन जिला अमृतसर ।

(ग्रन्तरिती)

- (3) जैसा उपर सं० 2 में कोई किराएदार हो। (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्परिस है)
- (4) श्रौर कोई
 - (वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह स्म्परित में हितबब्ध हैं)

को यह सुचना जारी करके पूर्वोक्स सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां लुरू करता हुं।

धन्त बन्गरित के वर्चन के सम्बन्ध् में कोई 'भी जाझेप ≾—–

- (क) इव सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीब से 45 विंग की समीध या तत्संनंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की जवधि, वां थी मवधि बाद जों समाप्त होती हो, के भीतर पूनों कर म्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (व) इस स्वना के रावपत्र के प्रकादन की तारीब से 45 दिन के भीतर उत्तर स्वावर सम्पत्ति के हित-वत्थ किसी जन्म न्यन्ति द्वारा, वधोहत्ताक्षरी के पास सिवित में किए वा ककींचे।

मन्त्रवी

1/4 भाग रिहायशी मकान नं० 1296/12 जो कटरा शेर सिंह, अमृतसर में है जैसा सेल डीड नं० 2150/18-6-84 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी अमृतसर में दर्ज है।

> एस० सी० कपिल, सक्षम प्राधिकारी सह्रायक आवकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज, अमृतसर

तारी**ब**ः 11−2−1985 मो**हर**ः भारत का राजपत, मार्च 9, 1985 (फाल्गून 18, 1906)

प्ररूप आई. टी. एन. एस. ------

आयंकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सुचना (

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अजन रें ज, अमृतसर अमृतसर, दिनाक ेे 1 फरवरी 1985

निदेश स० ए०एस०आर०/84-85/166--- यतः

मुझे, एस० सी० कपिल, आई०आर०एस०,

आयकर अभिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके परचात् 'उक्त अभिनियम' कहा गया है), की भारा 269-ख के अभीन सक्षम प्राधिकारी काँ यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मुल्य 25,000/-रुपये से अधिक है

और जिसकी सैं० रिहायशी मकान है तथा जो कटड़ा शेर सिंह, अमृतसर, मे स्थित है (ग्रौर इससे उपाबद्ध अनुसूची ग्रौर पूर्णरूप से वॉणत है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, अमृतसर मे रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख जून, 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के इस्यमाग प्रतिफल के लिए अंतरित को गई है और मूझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, एरेसे इश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिकात से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकॉ) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तर्यपाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:---

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कभी करने या उसचे बचने में सुविधा के लिए; और/या
- (ख) एसे किसी आय यो किसी धन या अन्य आस्थियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 वा 27) क प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया मा या किया कॉंगा आहिए था, छिमाने में सुविधा को लिए;

कतः अब, उपसते अभिनियम, की धारा 269-ग के बनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के के अधीन, निम्नलिप्रित व्यक्तिसयों, अर्थानु ध— (1) ईरभजन सिंह पुत्र श्री गुरदित सिंह, गली न० 3, दयातन्द नगर, लारेंस रोड, अमृतसर ।

(अन्तर्फ) (2) सतनाम सिंह पुत्र श्री मोहिन्द्र सिंह, वासी नौर्शहरा ढाला तसहसील तरन तरिन अमृतसर ।

- (3) जैसां ऊपर सं० 2 में कोई किंराएदार हो ।
 (बह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)
- (4) ग्रौर कोई

(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह स्म्पत्ति में हितबद्ध है)

को वह त्वना जारी करके पूर्वोक्त तम्बर्ग्तेत के वर्षन के लिए कार्षपाहियां घुरू करता हुं।

उक्त तम्पीत्त के वर्जन के तंबंध में कोई भी बाक्षेय :---

- (क) इस तूचना के राजपत्र में प्रकाशन को तारीब से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तासील से 30 दिन की जनधि, जो भी अवधि बाद में सजाप्त होती हो, के भीतर बूबेक्ति व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;
- (व) इस सूचना के राजवत्र में प्रकाइन की तारीव वे 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिसबद्ध किसी जन्म व्यक्ति इतारा जधोहस्ताक्षरी के वास लिसित में किये जा सकरी।
- स्पच्चीकरण :----इतमें प्रवृक्त खब्दों और क्यों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याद 20-क में परिभाषित हैं, वहीं अर्थ होगी, जो उँत अध्याव में दिवा क्या है .1

a special

1/4 भाग रिहायशी मकान का नं० 1296/12 जो कटड़ा शेर सिंह, अमृतसर में है जैसा सेल डीड बं० 2151/18-6-84 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, अमृतसर में दर्ज है ।

> एस० सौ० कपिल संक्षय प्राधिकारी सहायक ् श्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण) अर्जन रें ज, अमृतसर

तारीख: 11-2-1985 मोह<u>र</u> 🛛

भाग III—-खण्ड 1] भारत की राजपज, मार्च 9, 1	985 (फाल्गून 18, 1906) 8523
प्ररूप थाइ [*] . टॉ., एन., एस.,	1. की इरभजन सिंह, पुन गुरदित सिंह, गली र्नं० 3, दयानम्द नगर, जिला अमृप्तसर। (अन्तरफ)
भारत सुरका ड कार्यालय, सहायक ज्ञायकर जायूक्त (निर स्तिण)	2. श्री वलवीर सिंह, पुक्ष श्री महि्न्द्र सिंह, वासी नौगहरा ठाला,
अर्जन रेंज, अमृशसर	जिला, अमृतसर । (अन्तरिन ी)
अमृतसर, दिनॉक 11 फरवरी 1985	3. जैसा ऊपर स॰ 2 में कोई किए।यदार है।
निवेग सं० एस० सी० आर०/84-85/167अतः मुझे एस०	(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्परित है)
सी० कपिल, आई० भार० एस०	₄ . श्रौर कोई
वायकर वभिनियम, 1961 (1961 का 43) (चिसे इस्वे इसके पर्पात् 'त्रव्रत वृभिनियम' कहा गया ह"), कौ थारा	(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह स्म्पत्ति में हितबद्ध हैं)
269- ज के जभीन संसन प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण ही कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उजित बाजार मूल्य	को यह सुचता जारी करको पुर्वोक्त सम्परित को अर्थान को लि कार्यवाहियां करता हू ।
25,000 ⁷ -रु. से वभिक है श्रौर जिसकी संख्या रिहायशी मकान है तथा जो कटड़ा शेर सिंह, अमृतसर में स्थित है (ग्रौर इससे उपावद्य अनुसूची	उक्त सम्परित के त्रज़ीन के सम्बन्ध में कोई भी वाक्षेय :
में ग्रीर पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय अमृतसर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जुलाई, 1984	(क) इ.स. सूचना को राजपत्र में प्रकाशन की तारीच से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों एर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी जवधि बाद में समाप्त होती हो, को भीतर पुर्वेत्रिय
को पूर्वोक्त सम्पत्ति को उचित बाजार मूल्य से कम को इएयमान प्रति- फल को लिए जंतरिती की गई है और मूफो यह विषयास करने का कारण है यह पूर्वोक्त सभ्यत्ति के उचित बाजार मूल्य, उसके इरयमान प्रतिफल से, एसें इरयमान प्रतिफल को पन्द्रह प्रतिघत से अधिक है और जंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच एसे जंतरण को लिए तय पूर्या गया प्रति-	जयाज कार्यम समाप्त हाता हा, के मातर पुवावत. व्यक्तियाें में से किसी व्यक्ति द्वारा; (ज) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के मौतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी जन्म स्थक्ति द्वारा कथोहस्ताकारी के पाब लिखित में किए जा सकरों।

णो उमर अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभावित हीं, बही अर्थ होगा जो उस अध्याय में विया त्रवा हो।

मग्रहामी

1/4 भाग रिहायशी मकान नें० 1296/12 जो भटडा शेर सिंह, अमृतसरमें है जैसा सेल डीड नं० 3051/27-7-84 रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी असृतसर में दर्ज है।

> एस॰ सी॰ कपिल, सक्षम प्राधिकारी, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज, अमृतसर

तारीच : 11-2-1985 मोहर ः

से अप (अंतरि कल, निम्नलिखित उद्वेश्य से उक्त अंतरण लिखित में * रत-

विक रूप से कथित नहीं किया गया है :---

- (क) जन्तरण ते हुई किंती जान की बावर्ष, ं पर वीपीयक के वभीष कर रने के मन्त्रक के बाँबत्व वें केनी करने या उससे वचने में सुविधा के मिए; बीर/बा
- (ब) एेसी किसी जाय या किसी भन या जन्य आस्तियों को, जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उत्पत्त जीभनियम, या भवकर नीवनियस, 1957 (1957 क्यु. 27) के प्रयोधनार्थ अन्तरीरती ब्याप्रा शकद नहीं किया गया था या किया जाना जाहिए था. छिपाने में त्रवियां के लिए;

जतः गम, जमत अभिनियम की भारा 269-ग के अनुसरण् में, मैं, उक्त वीधीनयम की धगरा 269-भ की अपभारा (1) के बंधीन निम्नलिखित व्यक्तियाँ न्यात् ----

प्ररूप मार्<u>द्दी.</u> एन.. एस------

आयकर् अभिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-घ (1) के अधीन सुचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज अमुससर कार्यालय

अमृतसर, दिनांक 11 फरवरी, 1985

सं० ए एस० आर०/84--85/168ः--अतः मुझे, एस० सी० कपिल, आई० आर० एस

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पद्मवाद 'उक्त अधिनियम' कहा गया ही), की भारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विदवास करने का कारण ही कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु. से अधिक ही

त्रौर जिसकी संख्या रिहायगी मकान है तथा जो कटड़ा शेर सिंह, अमूतसर में स्थित है (ग्रीर इससे उपाबद्ध अनुसूची में ग्रीर पूर्ण रूप से वर्णित है रजिस्ट्रीकर्ला अधिकारी के कार्यालय अमृतसर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जुलाई, 1984।

को पूर्वोक्त सम्पत्ति को उचित नाखार मूल्य से कम को इत्यमान प्रतिफल को लिए अन्तरित की गई है और मुफ्ने यह विक्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दरयमान प्रतिफल से, एसे इत्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिक्षत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नझिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :---

- (क) अन्तरण से हुर्द्र किसी आय की बाबत, आयकर अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक को दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या
- (स) ऐसी किसी आय या किसी भन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती ख्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपान में सुविधा के लिए;

अतः अस, उक्त अभिनियमं की भारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, ठक्त अभिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, बर्धात् :~~

 1. वी हरभजन सिंह,

 पुत्र श्री गृरदित्त सिंह,

 गसी न० 3, दयानन्द नगर,

 अमृतसर।

 (अन्तरक)

 (2) विकम जीत सिंह

 पुत्र श्री मुखतार सिंह

 यासी नौगहरा ढाला,

 जिला अमृतसर

 (अन्तरिनी),

 (वह व्यक्ति जीव से जोव मोग में

 सम्पत्ति है)

 से(3) जैसा ऊपर स० 2 में कोई किराएवार हो ।

 (4) ग्रीर कोई

 यह व्यक्ति, जिसके बारे में

अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह

सम्पत्ति में हितबड है) ।

को यह सूचना जारी करने पूर्वीक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहिया करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की सारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की सामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो; के भीतर पूर्वीक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (स) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 विन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति दुवारा अभोहस्ताक्षरी के पास लिसित में किए जा सकोंगे।

अनुसूची

1/4 भाग रिहायशी मकान न॰ 1296/12 जो कटड़ा बोर सिंह, अमृतसर, में है जसा सेल डीड न॰ 3052/27,7/84 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी अमृतसर में दर्ज है।

ए०ससां० कपिल आहें०आर०एस०

सक्षम अधिकारी

– सहायक आयकर क्रायुक्त (निरीक्षण)

अजनरें ज, अमृतसर

तारी**व**ः 11-2-1985 मोहर ः प्ररूप आर्ड.टी.एन.एस.-----

जायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) कीं भारा 269-घ (1) के अधीन संचना

भारत सरकार

कार्यानय, सहायक जायकर आयुंक्स (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, अमृतसर

अमृतसर दिनांक 14 फरवरी, 1985

निदेश सैं० अमृतसर, 84-85/169-यतः मुझ, एस० सी० कपिल, आई०आर०एस०,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पद्रचाल 'उक्त अधिनियम' कहा गया हुँ), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम पाधिकारी को यह विख्यास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उंचित बाजाए मुख्य 25,000/- रु. से अधिक है

ग्रीर जिसकी सें० कृषि भूमि वड़ियाला है तथा जो अमृतसर में स्थित (ग्रीर इससे उपावढ अनुमूची में ग्रीर पूर्णरूपसे वर्णित है), रजिस्टीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, पट्टी में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 29-6-84

का पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित गाजार मूल्य से कम क उध्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुफ्के यह जिल्यास करने का कारण है कि स्थाप्योंकत सम्पत्ति का उक्तिन कापार मूल्य, उसके इध्यमान प्रतिफल से, एसे इध्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अत-रिसी (अंतरितियों) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में बास्तयिक रूप से कथित नहीं किया गया है :---

- (क) अन्तरण तं हूर्द किवी साथ कौ बाबस, उक्त अधिनियम के जधीन कर दोने के अन्तरक दायित्व में कमी करने या उससे बचन में सुविधा के लिए; बौर∕या
- (श्र) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य त्रास्तियो को जिन्हें भारतीय जायकर जधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर जभिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ जन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गय-था या किया जाना जाहिए था, छिपाने में स्विधा के लिए ।

त: जब उक्त वधिनियम की भारा 269-ग के अनुसरण में, मैं', उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (;े के बभीम, निस्तनिस्ति त्यक्तियों, बर्थात -⁴---3 – 486GI/84

- (1) प्री पाला सिंह पुत्र श्री सरैंध सिंह गांव धड़ियाला पट्टी जिला अमृतसर (अन्तरफ)
- (2) गेजासिंह पुद्र श्री बाहलसिंह गौव घड़ियाला पटटी जिला अमृतसर
- (3) जसा कि उपर ने० 2 में कोई किराएदार हो। (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग सें सम्पत्ति है)।
- (4) श्रौर कोई

वह व्यक्ति, जिनके बारे में ृअधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है) ।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए। कार्यवाष्ठियां करता हुने।

उक्त सम्पत्ति को अर्जन को सम्बन्ध मों कोई भी लाक्षेए ---

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारोख ते 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, धो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर प्वोंकन व्यक्तियों में से फिसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र को प्रकाशन की तारीस सं 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मो हितवद्र्भ किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास रिस्तीखि(/ मों किए जा सकोगे।
- स्प्रख्डीकरणः इसमें प्रयुक्त शब्दों और पर्धों का, जो उक्क जिम्नियम के अभ्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अभ्याय में दिखा नुया है।

अम्यू से

कनाल मरला कृषि भूमि 24- 2½ स्थिर गांव घड़ियाला पट्टी जिला अमृतसर रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी

> (एस० सी० कपिल) आई०आर०एस० सक्षम अधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) / अर्जनरेंज, अमृतसर

सारोख : 14-2-1985

मोहर ः

प्ररूप आर्ह.टी.एन,एस.------

आयकर अभिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्स (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, अमृतसर

अमृतसर, धिनांक 14 फरवरी, 1985

निदेश र्स०अमृतसर, 84-85, 170— यत: मुझे, एस० सी० कपिल

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके परुवात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है)', की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विक्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्परित जिसका उचित बाजार मूल्य 25,0(0/- रापए से अभिव है

भौर जिसकी सं० क्रवि भूमि गांव घड़ि थाला में स्थितहै (भौर इससे उपाबद्ध अनु मूची में भौर पूर्णरूप से वणित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधि --कारी के कार्यालय, एस० आर० पट्टी में रजिस्ट्रीकरण अधि-नियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 29-6-84 को पूर्वोंक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुफे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से एसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए गय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्दरेय से उक्त अंतरण लिखित मे बास्तविक रूप से कथित नहीं कि या गया है:----

- ∜क) अन्तरण संहर्ृ्डफिस्सी आय की बाबल, उक्त अधि-निवम के अभीन कर दोने के वंतरक के दायित्व क कमी करने या उससं बुजने में स्टुविधा क्ले बिस्ट्र; अधि:∕या
- (ब) एरेसी किसी आम या किसी धन यह झत्य झास्तियों करें, जिन्ह भारतीय जायकर संधिनियस, 1922 (1922 का 11) या उक्त जॉधनियस, या धन-कर अधितिपय, 1957 (1957 का 27) के प्रक्षेजनार्थ अन्तरिती ब्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया बानर जाहिए था, छिपाने में सुविधा के 'क्रए;

बत: अब, उजरा अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उथत अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :---

- गांव घड़ियाला पट्टी अम्तसर (अन्तरिती)
- (3) जैसा उपर नं० 2 में कोई किराए दार हो । (वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पन्ति है) ।
- (4) मौर कोई

(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है) ।

को यह सुचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करना हु⊤।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आ कोप :----

- (श) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियां पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति इवारा;
- (ब) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की सारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित-बब्भ किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अभोहस्ताक्षरी के पास निरिखित में किए जा सकोंगे।
- स्पष्टीकारण :----इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अभ्याय 20-क में परिभाषित हू⁴, वहीं अर्थ होगा, जो उस जुम्याय में दिवा यया हू⁷।

*ৰদ্*শ্ৰী

कृषि भूमि 24-21 कनाल मरला स्थिर गांव घड़ियाल पट्टी म डीड र्न॰ 1030 तिथि 29-6-84 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी

> एस० सी० कपिल संत्रम अधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रें ज, अमृतसर

तारीख : 14--2--1985 माहर : भीग 111---खीण्ड 1]

8527

प्ररूप बाइ. टी. एन. एस.-------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 260-भ (1) के अभीन संखना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्स (निरीक्षण)

अर्जन रेज, जयपुर

जयपुर, दिनांक 15 फरवरी, 1985

र्सं० राज० सहा० आ० अर्ज न/2537:--अत. मुझे, मोहन सिंह,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विद्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 100,000/- रु. से अधिक है

श्रौर जिसकी सं० जयपुर है, तथा जो प्लाट मे स्थित है (श्रौर इससे उपाबद अनुसूची में श्रौर पूर्ण रूप से वर्णिस है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय जयपुर में रजिस्ट्री-करण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 6 जून, 1984।

का प्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मुल्य से कम के स्वयमान प्रतिफल के अन्तरित लिए की गह और म्भो विद्यास करने का यह कारण हैं कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मुल्य, उसके धरयमान प्रतिफल स,, एसे टरगमान प्रतिफल का पद्रेष्ठ प्रतिशत से अधिक है और अतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंत-रितियों) के बीच एंसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्युदंश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहाे किया गया है:---

- (क) अंतरण से हुई किसी जीय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर दोने के अंतरक के वायित्व में कमी करने या उससं बचने में स्तिभा के लिए, आर/या
- (श) एरेसी किसी आय या किसी भन या अन्म आस्तियों को जिन्हुं भारतीय वायकर अभिनियम, 1922 (1922 का 11) या उन्न अभिनियम, या घक-कर अभिनियम, 1957 1957 को 27े के अयोजनार्थ बन्तरिती द्वारा स्वट नहीं किया गया भाषा 'कया जाग जाहिंग ता, म्हरगर मा सुविधा के सिए।

बतः अव, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम को धारा 269-ग को उपधारा (1) को अधीन, निम्नलिसित व्यक्तियों, अर्थात् ----

- श्री ज्ञान प्रभास, श्रीमती विश्वमोहिनी, शरद प्रकास, कुमारी रीना नियासी चिथवाड़ी का बाग, आमेर रोड, जयपुर।
- 2. मैंसर्स राजेश कोरपेट, बावड़ी ग*ेट,* तेहपुरा, जिला सकर ।

(अन्तरिती)

(अन्तरक)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्थन के लिए कार्ययाहिण करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोइ' भी आक्षप :----

- (क) इस सुचना के राजपत में प्रकाशन की शारीच से 45 दिन की अवधि या तरसम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की सामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त 'स्मक्तियों में स्टिंक्सी व्योक्त क्यारा,
- (*) इस मुभनः के राज्यात्र मा प्रकाशन की तारील र १९ दिल ीनगात शाला शाम्पत्ति मा हितबद्ध किसी अध्य व्याप्त देवारा ताला के पास किसी अध्य व्याप्त देवारा ताला के पास किसी भाषा के ताला करना।
- स्पष्टीकाण, २२का प्रपुक्त इन्वेंदों और पदों का, जो उदत अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

मन्दर्भ

प्लाट स्थित रावतों की गली, चिछवाड़ी का बाग, जयपुर जा उप पजियक, जयपुर द्वारा क्रम संख्या || 1388 दिनांक 6–6–1984 पर पैचिबद्धं विकय पन्न में विस्तृत रूप से विवर्राक्षत है।

> मोहन सिंह, सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज, जयपुर

तारोख: 15-2-1985

अक्तम आहू, टी. पुन. एव...------

साथकर अभिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-म (1) के अभीन स्वना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जयपुर

जयपुर, दिनाक 15 फरवरी 1985

सं० राज० सहा०आ०अर्जन, 2538:—अतः मुझे, मोहन सिंह,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इ.समें इसके पक्ताल् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269--ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विक्वास करने का कारण है कि स्थावर समल्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

मौर जिसकी सं० 66 बी है तथा जो जोधपुर में स्थित है (ग्रीर इससे उपाबद्ध अनुसूची में ग्रीर पूर्ण रूप से वणित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय जोधपुर में, रजिस्ट्री-करण अधिनियम 1908 (1008 का 16) के अधीन, तारीख 23 जून, 1984।

को पूर्वोकन गंपरित के उचित बाजार मूल्य से कम के इपयमान प्रतिफल को लिए अन्तरित की गई है और मुभे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मुल्य, उसके इप्रयमान प्रतिफल से एसे इस्थमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) बार अन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) बार बन्दरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण किखित में वार्स्तावक रूप से कथित नहीं किया गया है :----

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर दोने के अन्तरक को धायित्व में कमी करने या उससे अखने में सुविधा के लिए; और/या
- (रू) एरेसी किसी या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना पाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अस, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अन्सरण में में, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तिगां, अर्थात् यू----

1. बुज मोहन शर्मा पुझ	
श्री सावल मल शर्मा	
मेओ कालिज	
अजमेर ।	
	(अन्तरक)
3. बा दल चन्द, म्रोसवाल	. ,
प्लाट नं० 66 की०,	
अजीत कालोनी,	
राईका बाग एरिया,	
जोधपुर	
3	(अन्तरिती)
	· · · ·

को यह सुचना चारी करके पुर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :---

- (क) इस सुचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्भी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि,, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पृर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी क्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सर्कोंगें।
- स्पर्ध्वीकरणः इसमें प्रयुक्त इाख्वों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, भुबही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया.है

मभूस् ची

प्लाट नं० 66 बी०, अजीत कालोनी, राईका बाग एरिया, जोधपुर जो उप पंजियक जोधपुर ब्रारा ऋम संख्या 1688 दिनक 23-8-84 पर पंजिबद्ध विक्रय पक्ष में श्रौर विस्तुत रूप से विवरणित है।

> मोहन सिंह, सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) क्षर्जन रेंज. जयपुर

तारीखः 15-2-1985

```
मोहर 🕸
```

प्ररूप आई., टी., एन.) एसु.,≻---=

कायकर वर्षिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-म (1) के अधीन सूचना

শাকে বাবৰাৰ

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेज, जयपुर

जयपुर, दिनांक 15 फरवरी 1985

सं० राज,सहा० आ० अर्जन, 2539:----अत मुझे, मोहन सिंह,

आगकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43), (जिसे इसमें इसके पक्ष्यात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विक्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, प्रिसका उचित वाजार मुल्य 25,000/- रउ. से अधिक है

ग्रौर जिसकी स० प्लाट नं० 66 बी है तथा जो जोधपुर में स्थित है, (ग्रौर इससे उपाबद्ध अनुसूची में ग्रौर पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकत्ती अधिकारी के कार्यालय जोधपुर में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम (1908 का 16) के अधीन, तारीख 23 जून, 1984

को प्सांकत सम्परित के लोचन वाजार मल्य सं कम के एसमान प्रतिफल को लिए अन्तरित को गइ है और मुझे यह विष्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का जोचत बाजार मुख्य, उसके दश्यमान प्रतिफल से, एसे दश्यमान प्रतिफल का बंद्रह प्रतिघात से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया पया मतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण सिवित में बास्तविक रूप से कथित नहीं किया गवा है क्षेत्र-

- (क) अन्तरण से ट्राइर फि़सी आंध की बाबत उक्त अधि-नियम के अधीन कर दोने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; बार/या
- (क) एरेसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय जायकर अधिनियम, 1922 (1922 को 11) या उक्त अधिनियम, या भनकर अभिनियम, 1957 (1957 को 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

सत अब, उक्त अभिनियम, की भारा 269-ग के अनुसरण में, में, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग की उपधारा (1) के सभीन, निम्नलिसित व्यक्तियों, अर्थात् ध----

- 1. श्री वज मोहन शर्मा पुल श्री सौवल राम शर्मा मेयो कालेज, अजमेर।
- (अन्तरक) 2. श्री शान्ती चन्द पुल श्री बादल चन्द ग्रोसवाल, निवासी प्लाट न० 66 बी०, अजीत कालोनी, राईका बाग, परिाया, जोधपुर। (अन्तरिती)

को गह सुचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपरित के वर्जन के संबंध में कोई भी वाक्षेप :----

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीव से 45 दिन की अत्रीध या तत्संबंधी क्यक्तियाँ पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारोब सैं 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबब्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए भा सकने।
- स्पष्टीकरणः -----इसमें प्रयुक्त झब्दों और वर्षों का, जो उपस वरिधनियम, के अध्याय 20-क में परिशाणित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया पया है।

अन्स्ची

प्लाट नं०,66 बी स्थित अजीत कालोनी, राईका बाग एरिया, जोधपुर जो उप पंजियक, जोधपुर द्वारा कम संख्या 1689 दिनांक 23-6-84 पर पंजिबद्ध विक्रय पन्न में ग्रौर विस्सूत रूप से विवरणित हैं।

> मोहन सिं**ह**, सक्षम प्राधिकारी, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अ**र्जन रेंज, जयपुर**

तारीख: 15—2—85 मोह्रु ु प्ररूप आह. टी. एन. एस.------

आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) को धारा 269-म (1) के अधोन स्थना

धारण बहुकार

कार्यालय, यहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जयपुर

जयपुर, दिनांक 15 फरवरी 1985

स० राज०सहा०आ०अजन/2520:—अत: मुझे, मोहन सिंह,

जायकर अभिनियम, 1961 (1961 का 43) (चिसे इसमें इसके पदचात्ं 'उक्त अभिनियम' कहा गया है), की भारा 269-« के अभीन सक्षम प्राभिकारी को यह विदयास करने का कारज है कि स्थायर सपत्ति जिसका उण्यित बाजार मूल्य 100,000/-5. से अभिक है

भौर जिसकी संख्या मकान सम्पत्ति है तथा जो अजमेर में स्थित है (ग्रोर इससे उपापढ अनुसूची में ग्रौर पूर्ण रूप से र्वाणत है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय अजमेर मे, रजिस्ट्रीकरण, अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख, 14-6-1984

को पूर्वाक्त सम्पत्ति के उच्चित बाजार मूल्य स कम के स्वयमान प्रतिफल को लिए अंसरित की गई है और मुर्भे यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य भूल्य. उसके दश्यमान प्रतिफल से, एरेसे ध्र्यमान प्रतिफल का पन्द्रहू प्रसिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और (बन्तरितिभी) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उष्यदेय से उक्त अन्तरण लिखित भारतीयक रूम से अपिक पड़ी जिला भवा है धूल्ल

- (क) अन्तरण सं**हुद्दं किसी जा**य की बाबत उक्त जीभ-नियम के अभीन कर दोने के अन्तरक के सायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; जौर/या
- (ब) एंसी किसी आय या किसी भन या अन्य आस्तियों क्ये, जिल्हें भारतीय आयकर शॉभनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्स अभिनियम, बाभन-कर अभिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्सरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए; जॉर/या

अतः अथ, उक्त आंधोनियम की धारा 269-ग को अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1)' के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :---- श्री कीरतमल पूत्र लाल चन्द दारा मुक्तार श्री पारसराम पुत्र श्री घनण्यामवास, खारी कुई, अजमेर वर्तमान निवासी 5 बेगमपुरा, मुमबई रोड, सूरत। (अन्तरक)
 श्री रमेश चन्द, कुन्दन लाल, उसरी गेट, अजमेर।

(अन्तरिती)

को यह सुचना आरी करके पूर्वाकत सम्पत्ति के वर्जन के लिए कार्यवाडियां झरु करता हूं।

अवल सम्परित के प्रजेन के एकभ मा कोड़ों भी आक्षप '---- \

- (क) इस सूचना को राजपत्र में प्रकाशन की तारीस से 45 दिन की अवधि या तरसवधी व्यक्तियाँ पर सूचना की तामील स 30 दिन की अवीध, जा भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वीक्त व्यक्तियां मे से किसी व्यक्ति दुवारा;
- (च) इस सुचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से ' 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सपस्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी की पास सिखित में किए जा सकोंगे।

अनुसूची

सम्पत्ति संख्या 630,23(30/405) ब्लू कैंसल पड़ाव, अजमेर जो उप पजियक, अजमेरे ढारा कम संख्या 2122 दिनांक 14–6–84 पर पजिबद्ध विक्रय पत्न में झौर विस्तृत रूप से विषरणित हैं।

> मोहन सिंह, संहोयक आयकर आयुक्त निरीक्षण अर्जन रेंज, जयपुर

तारीख: 15-2-1984 मोहर: प्ररूप आई टी. एन. एस. ------

अगिकर अर्थिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेज, जयपूर

जयपुर, दिनाह 15 फरवर,, 1985

सं० राज०/महा० आ० अर्जन/2541,---अतः मुझे, मोहन सिंह.

बायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पदचात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), का धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विष्वार करने का कारण ही कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मुल्य 25,000/-रु. से अधिक ही

और जिसकी संख्या प्लाट नं० 1 है तथा जो जोधपुर में स्थित है (और इससे उपाबद अनुसूच। में और पूर्ण रूप से वणित है), रजिस्ट्राकर्त्ता अधिकार। के कार्यालय, जोधपुर में रजिस्ट्रं -करण अधिनियम, 1908 (1908 ट्या 16) के अधान', तारीख 16-6-1984

को पृथेक्ति सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दरयमान प्रसिफल के लिए अन्तरित की गई के और मझे यह विषवास करने का कारण है कि गधाएवोंक्त सम्पत्ति का उचित वाजार मूल्य, उसके सरयमान प्रतिफल से, एसे ध्रुयमान प्रसिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (जन्तरितियों) के बीथ एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथिस नहीं किया गया है ---

- र्पुक) जन्तरण से हुई किसी थाय की थायत, उक्त अभिनियम के अभीग कर दोने के अम्लरक के दायित्ज के कमी करने था संससं थयने में भूविभा जी लिए;
- (क) एरेसी किसी जाय या किसी धन या जन्य जास्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 फा 27) को प्रयोजनार्थ अन्तरिती दुप्तारा प्रकट नहीं किया गया या या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सृतिभा में दिवस्

अतः अत्र, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीम, निम्नलिखित व्यक्तियाँ, अर्थात :----

 1. श्री धर्म दास पुत्र

 एवं श्रे. इयाल दास पुत्र

 श्री मगण्मल लिन्ध

 5 वाँसा रोड,

 सरदारपुरा, जीवपुर ।

 (अन्तरक)

 2. श्री नग्द लाल

 एव श्री गोपात दास,

 पुतान श्रो मगरभल

 निर्धासी पांचवा सी रोड,

 सरदारपुरा, जाधपुर ।

 (अन्तरिती)

को यह सूचना आरो करके पूर्वेक्ति सम्पत्ति को <mark>अर्जन के लिए</mark>ं कार्यवाडियां कण्णा हो।

अवत संपरित के नर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप ---

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीब से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों से से किसी व्यक्ति दुवारा;
- (ख) इस सुचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उपत स्थावर सम्पत्ति में हित-धव्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकोंगे।
- म्पष्टीकरणः—— इसमे प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

मनुसूची

ष्लाट न ० 1, ग्र ० बी० सें। ० टी० रोड, (नई सड़क) का वेसमेन्ट पोरसन जो उप पंजियक, जोधपुर द्वारा क्रम संख्या 1637 दिनाक 16-6-1984 में और विस्ततरूप से विवरणित है।

> मोहन सिंह, सक्षम प्राधिकार्र। महायय आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज,जयपूर

तारीखाः 15→2--1985 मोहर ⊔ प्ररूप आर्ह.टी.एन<u>.</u>एस.-------

आयकर अभिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन क्षेत्र, भोषाल

भोपाल, दिमाक 6 फरवर्र, 1985

सं० आई० ए० सी०/अर्जन/भोपाल 5607---अत: मुझे, वीरेन्द्र कुमार बरनवाल,

वायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पक्षात् 'उक्त वधिनियम' कहा गया है). की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विक्षास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उच्चित बाजार मुल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जितकी संख्या भूमि सर्वे० नं० 312 है, तथा जो ग्राम सेजवाया में स्थित है (और इससे उपावढ अनुसूत्री में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ना अधिकार्र, के कार्यालय् धार में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अर्धान, जून, 1984।

को पूर्वीक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृष्यमान ग्रेतिफल के लिए अन्तरित की गई है

है, और मुफ्ते यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त खम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दश्यमान प्रतिफल से, ऐसे ख्र्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच जन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखिस उद्देश्य से उक्त अन्त-रण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:---

- (क) अन्तरण से हुई किसी आग की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के जन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे अखने में सुंविधा के लिए; और/या
- (व) एरेसी किसी भाग था किसी भग्न या अग्य आस्तियाँ को, जिन्हु¹ भारतीय जाव-कर अभिनियम, 1922 (1922 का 11) वा उन्स्त अभिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती ब्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना थाहिए था, छिपाने में ब्हीव्या के विद्या;

वतः अव, उक्त वधिनियम की भारा 269-ग के अनुसरण मैं. मैं, उक्त जीधनियम की भारा 269-म की उपभारा (1) के अधीन, जिस्तलिखित व्यक्तियों, अर्थांतु :--- श्रं। बाबू लाल पिता दौलाजा राजपूत निवासी—सेजवानी तहर्साल धार।

(अन्तरक) 2. डिवेतपमेट लेबोरेट्राज प्रा० लि० के० मैनेजिंग डायरेक्टर वासु साढ़ानी पिता श्रा बद्रे।नारायण सोढ़ानी अमेरिश्रा ढारा मू० आम रामअवतार पिता बद्रे।नारायण सोढ़ानी निवासी⊶7, सीता बिल्डिंग यणवन्त रोड, इन्दौर ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वाक्त सम्परित के अर्जन को लिए कार्यवाहियां शुरू करता हुं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 बिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 बिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकोंगे।
- स्पष्टीकरणः——इसम^{ें} प्रयूक्त शब्दों और पदौं का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, बही अर्थ होमा, जो उस अध्याय मे दिया गया **ह**ै।

नप्स्ची

भूमि सर्वे॰ नं॰ 312, ग्राम सेजवाया जिला धार में स्थित है। यह स्थावर सम्पत्ति है जिसका सम्पूर्ण विवरण अन्तरिती द्वारा पत्यापित फार्म नम्बर 37 जी में निहित है।

वी० कु० बरनवाल, सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज, भोपाल तारीख: 6→2−1985

मोहर 🖁

भाग 111--- बण्ड 1

्रप्रकृप आहाँ, टी. एन, एस. ----- 🌹

आयकर अधितियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सुचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जनक्षेत्र भोषाल

भौपाल, दिनांक 6 फरवरी, 1985

सं० आई० ए० सी०/अर्जन/भोपाल 5608.--अत: मुझे, वीरेन्द्र कुमार बरनवाल

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिस इसमें इसके पश्चाह ('उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विषयास करने का कारण है कि स्थावर सम्परित, जिसका उचित बाजार मुल्य 100,000/- रु. से अधिक है

और जिनकी संख्या भूमि सर्वे० नं० 1541 है, तथा जो जिमनगंज मण्डं।, उजजैन में स्थित हैं (और इससे ज्याबद अनूसूची में और पूर्ण फ़ेंप से वणिन ई), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय उज्जैन में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन, जून, 1984

को पूर्वोक्त सम्परित के उचित बाखार मूल्य से कम के इत्यमान प्रतिफल को लिए अन्तरित की गई है और मूफे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापुर्वोक्त सम्परित का उचित बाखार मूल्य, उसके दश्यमान प्रतिफल से, ऐसे इत्यमान प्रतिफल का पंडह प्रतिशास से अधिक है और अंतरक (अंतरोकों) और अंतरिती (जन्तरितियों) के बीच ऐसे जन्तरण के निए तम थाया गवा प्रतिफन, जिम्नजिखित उद्देश से उक्त जन्तरण तिचित में गास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :--

- (क) वीतरण ते हुद्द किसी जाव की वायत.) उसत अभिगियम के अभीन कर दोने के वन्तरक के दायित्य में कमी करने या उससे वचने में सुविधा की जिए; बीर/जा
- (ब) ऐसी किसी जाय या किसी धन या जन्म आस्तियों को, जिस्हु भारतीय आगकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-का अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ सन्तरिती दवारा प्रकट नहीं किया गया था या किया भाग भाहिए जा, डिमाने में सुविधा के निए;

वतः अम, उक्त अभिनियम की धारा 269-ग के अन्सरण में, मैं उक्त अभिनियम की धारा 269-ग की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :---4---486 GI/84

 1. श्व: हरिणचन्द्र गोपल

 आत्मज श्व: फुलचन्द्रजे: गोयल

 तिवामं ----गोयल निवास,

 लखीपुरा, उज्जैन ।

 (अन्तरक)

 2. भारत हाउमिंग कोआपरेटिव मोसा०

 मर्यादित लार्यालय गोधी भवन,

 नई सड़क, उज्जैन

 द्वारा अध्यक्ष चन्द्रभान गुप्ता,

 तिवामी---उज्जैन ।

 (अन्तरिती:

की यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्परित के वर्जन के पिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति को अर्जन को मम्बन्ध में कोई भी काक्षेप :----

- (क) इस सुचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीक क्ष 45 दिन की बबाध या तरसंबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी बधीय बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वीक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति इवारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 45 दिन के भीतर उक्क स्थावर सम्पत्ति में हितबक्ष किसी जन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पार तिखित में किए जा सकने।
- स्पष्टीकरणः इसमें प्रयुक्त शब्दाें और पदाें का, जो अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वहीं अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

बन्स्ची

भुमि सर्वे० नं० 1541, चिमनगज मण्डी, उज्जैन में स्थित हैं।

वी० के० वरनवाल, सक्षम प्राधिकारी, सहायक, आयकर आयुक्स (निरीक्षण) अर्जन रेंज, भोपाल तारीख: 6-2-1985 मोहर · प्ररूप बाइ. टी. एन. एव. .

जायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 (घ) (1) के अधीन स्पना

भारत सरकार

कार्यालयं, सहायक आयकर आयुक्त (निरक्षिण)

• अर्जन क्षेत्र, भौषाल

भोपाल, दिनाक 6 फरवरी 1985

स० जाई० ए० म ०/अर्थन/भोषाल 5609----अत मुझे, व रेन्द्र क्रमार यन्तवाल,

नायकर गांधनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इनके पश्वात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की भारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारों को, यह वि-व म करने का कारण हो कि स्थारूर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मृत्य 25,000/- रु. से अधिक ही

और जिनक, संख्या भूमि सर्वे० नं० 1537 है, तथा जो चिभनगंज मण्डा, उज्जैन में स्थित है (और इससे उपावड अनूसूचा मे और पूर्ण रूप से वॉणन है), रजिस्ट्र..स्त्री अधिवार के कार्यानन, उज्जैन में रजिस्ट्राइरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, जून, 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कुम के इश्यमान पतिफल को लिए अंतरित की गई है और मुफे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंत-रिती (अतार्रातयों) के बीच एसे अंतरण के लिए तय/पाया गया प्रतिफल निम्नलिखत उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित मे वास्तविक रूप से कशित नहीं किया गया है :---

- (क) वंद्रिया से हुइ' किसी काय की बाबत, जक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के दायित्व में कमा करने या उससे चलने में मुविधा के लिए; बौर/या
- (ख) एमी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 41) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया गया था या फिया जाना चाहिए था, छिपाने में मुविधा के लिए;

कत: बद, उक्त अधिनियम को धारा 269-ग के अन्सरर मैं, मैं, उक्त अभिनियम को धारा 269-म को उपधारा ! ' 'के अधीन, निम्नलिसित व्यक्तियों, अधाँक:---- •1. श्री: हरीशचन्द्र गोयल आत्मज फुलचन्द जं। गोयल निवासी.---गोयल् निवास, सर्खापुरा, उज्जैन ।
2. भारत हाउसिंग कोअपरेटिव सोसायटी मर्याधित कार्यालय गार्धा भवन, नई सडव: उज्जैन द्वारा अध्यक्ष श्री, चन्द्र भान गुप्ता,

निवार्स, उज्जैन।

कार्यवाहियां करता हुं।

को यहस्चनाजारी करके प्वोंक्त सम्पत्ति के वर्जन को लिए

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :----

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीच सें 45 दिन की जवधि या तरसम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामीस से 30 दिन की जवधि, जो भी जवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ब) इस स्चना के गजपत्र में प्रकाशन को तारांख स 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी जन्म व्यक्ति द्वारा ज्योहस्लाक्षरी के पास तिखिन में किए जा सकोंगे।
- स्पच्टीकरणः इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित ह⁵, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में <u>दि</u>यम गवा है।

णन्सूची

भूमि सर्वे० नं० 1541, चिमन गूंज मण्डी, उज्जैन में स्थित है।

> र्वा० के० बरनवाल, सक्षम प्राधिकार्र; सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन क्षेत्र, भोपाल 2–1984

तारीख: 6-2-1984 मोहर; (अन्तरिती)

अरूप जाई.टी.एन.एस_ =----------

वायकट जभिनियम, 1961 (1961 का 43) कौं भाडा 269-ण (1) के जभीन स्थना भाइत उटरकाइ।

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन क्षेत्र, भोषाल

भोपाल, दिनांश 6 फरवरी 1985

निदेश सं० आई० ए० सी॰/अर्जन/भोपाल 5610---अत. मूझे, वी॰ कु० वरनवाल,

वायकर अभिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अभिनियम' कहा गया हैं), की धारा 269-च के अभीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विद्वास करने कारण है कि स्थावर संपरित, जिसका उचित बाजार संल्य 25,000/- रठ. से अधिक है

और जिसकी सं० भुमि सर्वे नं० 1541 है, तथा जो चिमन-गंज, मण्डी उज्जैन में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनूसूच. में और पूर्ण रूप से वर्णिल है), रजिस्ट्र,वर्ता अधिकार के नार्यालय, उज्जैन में रजिस्ट्र,करण अधिनियम, 1908 (19 का 16) के अधीन, जून 1984

को पूर्वोकत सम्पत्ति के उचित बाजार मूलय से कम के दृष्यमान प्रतिफन के लिए जन्तरित की गृद्द है जोर मुफ़े यह जिक्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित वाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से एसे दृष्यभान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिवात से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रति-फन, निम्नलिखित उद्देदेय से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक इप से अधित नहीं किया गया है :---

- (क्ष) अन्तरण से हुद्द किसी जाब की बाबत, उत्त अभिनियम के अभीन कर दोने के जन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बभने में सुविधा के निए; थार/या
- (क) एरेसी किसी बाय या किसी धन या अन्य बास्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर बाधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ बन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाता थाहिए था, छिपाने में सुनिधा को लिए।

बतः जब, उक्त अभिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-व की उपधारा (1) को अधीय, निभ्नलिकित व्यक्तियों, अर्थात् ह----

 1. श्री हरिश्चन्द्र गोयल

 पिता फुलचंद जी गोयल

 नि० गोयल निवास,

 सखी.पुरा,

 उज्जैन।

 (अन्तरवा)

 2. म० सारत हाउगिग कोआपरेटिव सोगायर्टा,

 मयदित कार्यालय,

 गाधा भवन,

 नई सड़क,

 उज्जैन।

 (अन्तरिक्ष)

को सह सूचना जारी करके पुर्वोक्त संपरिश के बर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हो।

उक्त सम्परित के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :----

- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की सामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में संयापा होती हो, के भींतर पूर्वोक्स व्यक्तियों में में किसी व्यक्ति द्वारा;
- (श) इस सूचना को राजपत्र मों प्रकाशन की तारीक्ष से 45 दिन को भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मों हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी को पास लिखिन में किए जा सकोंगे।
- स्पष्टीकरणः इसमें प्रयुक्त शब्दों और पक्षों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अभ्याय में तिश्म गथा है।

मम्स्जी

भुमि सर्वे नं० 1541, चिमनगंज मण्डी, उज्जैन में स्थित है ।

> वी० कु० **थरनवाल** सक्षम प्राधिकारी सहत्यक आयवार आयूक्त. (निरीक्षण) अर्जन रेज, भोपाल

त।र,िख: 6−2−1985 मॉहर : प्ररूप् आर्ड्र.टी.एन.एस.-----

अगयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-च (1) के अभीन सूचना

भारत तरकार

कार्यालय. सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भोषाल

भोताल, दिनांक 6 फरवरा 1985

निदेश मं० आई० ए० र्स.०/अर्जन/भोप.ल---5611--- अतः मुझे, वं:० कु० बरनवाल.

गोयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (खिस इसमें इसके अश्यात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269 अ को अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विषवास करने का आरण है कि स्थायर सम्पत्ति, किंगका उचित बाजार मुल्य 25,000/-रड. से अधिक है

और जिसके नंध महान स्युध पाठ नंध 15 है, तथा जो हुकुमचद मार्ग, इंदौर में स्थित है (और इसमें उपावद अनूसूत्रा में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधि-कारा के कार्यालय, इंदौर में रजिस्ट्री: रण जाधिनियम, 19.08 (1908 का 16) के अवील, तरंख जुन 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के इदयमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुफे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके इश्यमान प्रतिफल से, एसे इश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंत-ारती (अत्तरित्यों) के बीच एसे जतरण क लिए तथ पाया गया अतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में बाम्तविक रूप म, कथित नहीं किया गया है ----

- ,क) जतरण से हुई। किंसी आय की बाबत, उक्त अधिरियम के अभीन कर देने के अंतरक के दायित्य में कमी करने या उसमें बचने में सुत्रिभा के लिए; बॉर∕या
- (थ) ए`सी किसी आय या किसी भन या अन्य आस्सिय! को, जिन्ह³ भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या भन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया भा या किया जाना चाहिए था, प्रिष्ठपाने में मयिका के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण भी, भी, उक्त अधिनियंत्र की धारा 269-घ की उपधारा (1) बे बधीन, निम्नलिविस श्वमितयों, बर्णात क्षा--

रन. एस. ----- 1. श्री।मता तुलसीबाई

पतन, रेवाशकरजी दुबे,

- (2) श्रीं, बालकृष्ण,
- (3) श्री गूलत्बचंद,
- (4) श्री अशोक कुमार
- पिता श्रीं रेवाणंकरजी दुबे,
- (5) श्रीमती पुष्पःबाई,
- (6) 1 से 4 नंतर तक
- िंन० सर सेठ्रुहुकुमचंद मार्ग 15,
- इंदौर व नं०ैि5,
- नि० रतलाम व
- %া ল⊺লৰ্ঘ
- पिता श्रः रामजेन्दुबे,
- निवास.---नेली बाखल,
- मक्शन नं० 60,

इंदौर ।

2. श्रा कमल किशोर वर्मा

पितः श्री वणीधरजः वर्मा,

निवास:--मकास नं० 20,

लोधोषुरा नं० 1, इंदीर ।

(अन्तरिर्तः)

(अन्तरक्)

को यह सूचना जारी करके पूर्वीक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए. कार्यवाहियां करता हुई ।

उक्त सम्पति को अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :--

- (क) इस स्चना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तरसम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वाग;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्साक्षरी के पास लिखित में किए जा सकोंगे ।
- स्पष्टग्रीकरणः इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मकान म्मु० पा० नं० 15, हकुमचंद मार्ग, इंदौर में स्थित हैं। यह वह स्थावर संपत्ति है जिसका संपूर्ण विवरण अस्तरिती ढारा सत्यापित फाुर्म नंबर 37 जं। में निहित है।

> वी० कु० वरनवाल सक्षम प्राधिकारी सह्यद्ध अ.पहर अ।युक्त (निरीक्षण) अर्जन रेज, भोषाल

लार्च;ग्रा : - 6⊷ 2⊶ 1985 |मोहर : प्ररूप आई. टी. एन. एस. ----===

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सुचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन क्षेत्र, भोपाल

भोपाल, दिनाक 6 फरवर 1985

निदेग ग० अ ई० एँ० म₁०/अर्जन/भोषाल-5612---अत: मुझे, वी० कू० बरनवाल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जि क स० कृषि भुमि है, तथा जो उज्जैन में स्थित है (और इन्से उपाबढ़ अनूसूच में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्र, इन्ती अधिवार के वार्यालय, उट्जैन में, जिन्ट्र, वरण अधिनियम, 1908 (1908 वा 16) के अर्ध, न, तराख जून 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के इश्यमान प्रतिफल के फिए अन्तरित की गई है और मुफो यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सपत्ति का उाचन बाजार मृन्य, उसके इश्यमान प्रतिफल से, एसे इश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और बन्तरिती (अन्तरितियां) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित मे वास्तविक रूप से कथित नही किया गया है :---

- (क) अन्तरण से हुई किसी गय की गबत, क्षक्त अधिनियम के अधीन कर दोने के जन्तरक को दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और या/
- (ख) एरेसी किसी आग या किसी धन या अन्य आस्तियाँ को, जिन्ह⁵ भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1027 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अक्कतरिती दवारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनसरण म, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात ---

-		
1. \$	श्री भागीरथ	
	पिता • गनपत.ज.,	
	निवन्सीमालीपुरा,	
	उज्जैन ।	
		(अन्तरक)
2.	नव आकाश गृह	
	निर्माग सहकार सस्था	
	उज्जैन ।	
		(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पृवाँक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबध में कोई भी आक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना को तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में में किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के रजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहम्ताक्षरी के पास लिप्रित में किए जा सकर्ग।.
- •स्पाध्दीकरणः--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

मन्स्ची

ग्रंषि भूमि सर्वे नं० 3793/1, 3794, 3795, 3796, 3807 ण्वं 3808/1 उज्जैन में स्थित है। यह वह स्थावर संपत्ति है जिसकी संपूर्ण विवरग अन्तरित, द्वारा सत्यान्ति फार्म नंबर 37-र्ज, में निहित है।

> वी० कु० बरनवाल संक्षम प्राधिकारी सहायक आयवप्र आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेज, भोपाल

नारीख: 6-2-1985 मोहर: भूरुषु बाई. टी. एन्. एस.---

बाय़कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन स्चना

भारत बरकाब

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन क्षेत्र, भोपाल

भोपाल, दिनांश 6 फरवर: 1985

निदेश सं० अर्द्ध० ए० सी० अर्जन भोपाल- 561 3----अत: मुझे, वा० कु० बरनव.ल,

आयकर अधिनियम, 196 ! (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति ,जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जितका सं० ट्रांधि भूमि है, तथा जो उज्जैन में स्थित है (और इमस उपावद्ध अनूसूची में ओर पूर्ण रूप से द्वणित है), रजिस्ट्राय्यां अधिवनारा के दार्याप्या, उज्जैन में रजि-स्ट्राय्यरण अधिनियम, 1908 (1908 दा 16) के अधान, तर्राख जून 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दरयमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मूर्भ यह विश्वाल करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मुल्य, उसके दरयमान प्रतिफल से, एसे दरयमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ही और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तथ बाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उजत अन्तरण लिखित में नास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:----

- (क) अन्तरण से हुई किसी आब की बाबस, उक्स अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के बायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के सिए; और/या
- (ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय जाय कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, 47 धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वार एक्ट नहीं किस्न गया था या किया काता चाहिए था छिपाने में स्नोवना के निए:

अतः अच, उंचत अधिनिश्रम की धारा 269-ग के अनुसरण में. मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-च के उपधारु (1) के अधीन, निम्नसिखित व्यक्तियाँ. अर्थार अल्ल 1, श्रीमती भुरीबाई पत्नी गोरधनजी, श्री रामेश्वर, श्री वाबूलाल, श्री चैनश्र*ा*, श्री जमनालाल, उज्जैन।*

(अन्तरक)

 तद अत्याण गृह निर्माण सहकारी संस्था, उज्जैन।

(अन्तरिती)

को यह सुचता जारी करके पुर्वोक्त, सम्पत्ति **के अर्जन के [ैल्ए** कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी बाक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राजपत्र मों प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकोंगे।
- स्पष्टीकरणः----इसमें प्रयुक्त झब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ द्रोगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसुची

कृषि भूमि, उज्जैन में स्थित है यह वह स्थावर सम्पत्ति है जिन्कः सपूर्ण विवरण अन्तरितः द्वाराम् सत्यापित फार्म नंबर 37–जः में निह्ति है।

> 'वीं० कु० बरनवाल सक्षम प्राधिकारी सह यक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रोंज, भोपाल

तारे,ख: 6-2-4985 मोहर ध भाग [[[---खण्ड 1]

ं प्ररूप बाई, टी. एग.; एस. ~~~~

मायकर अभिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-म (1) के अभीन समना

भारत् सरकाड

कार्यालय, सहायक आयकार आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 6 फरवरी 1985

निदेश सं० आई० ए० सी०/अर्जन/भोपाल-5614--अत: मुझे, वी० कु० बरनवाल,

आयकर अभिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके ५ इसात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उमित बाजार भूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

श्रौर जिसकी सं० प्लाट न० 56 पर बना मकान है, तथा जो साकेत नगर कालोनी, इंदौर में स्थित है (श्रीए इससे उपाबद्ध अनुसूची में श्रौर पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, इदौर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जून, 1984 को पूर्वीकत सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के ध्रथमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुफे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वीक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके इश्यमान प्रतिफल से ,, एसे दश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक(अंतरकों) और अंतरिती (अंत-रितयाँ) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में

- (क) वन्तरण से हुइ किसी काय की बाबत, उक्त अधिनियम के जभीन कर देने के वन्तरक के बायित्व में कुमी क<u>र</u>ने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और∕या
- (का) एरेसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियो को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिमियम, या भन-कर मर्थिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ जंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना धाहिए था, छिपाने ये सुविभा को निए;

अत: अब, उत्तर अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ध की उपधारा (1) के बधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों के वर्षांत क्ष---- श्री यणवर्धन,
 पिता श्री किंशन चोपड़ा,
 215, साकेत नगर कालोर्ना,
 इदौर।

(अन्तरक)

श्री हराकिशन
 पिता श्री हनुमानदास जा,
 (2) उमिला देवी
 पति श्री हरीकिशन जी अग्रवाल,
 6, गता बिल्डिंग,
 इंदौर।

(अन्तरिती)

को यह सुचना जारी करके पुर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :---

- (क) इस सुभना के राजपत्र में प्रकासन की तारीस से 45 दिन की क्षवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सुचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति दवारा;
- (ब) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन को तारीब से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकोंगे।
- स्पख्टीक रुणः——-इसमें प्रयुक्त शब्दां और पर्दाका, जो जक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थहोगा जो उस अध्याय में दिया गया हैं।

- **अन्युची**

प्लाट नं० 56 पर बना मकान साकेत नगर कालौनी, इंदौर में स्थित है।

> वी० कु० बरनवाल सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज, भोपाल

तारीख: 6-2-1985

मोहर 🗉 –

```
- अष्मद नाइ. . टी. एन . एए . -------
```

आयकर अभिनियम, 1961 (1961 का 43) की धार्य 269-घ (1) के अधीन सुचना

TIME LANGE

कार्यालय,, सह्यायक आयकर जायुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 फरवर्रा 1985

निदेश सं० आई० ए० सी०/अर्जन/भोपाल–5615----अत: मुझे, वीरेन्द्र कुमार बरनवाल,

माधकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ड के अधीन सक्षम प्राधिकारों को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्परित, जिसका उचित वाजार मूल्य 1,00,000/- रा. से अधिक है

श्रीर जिसकी सं० मकान म्यू० नं० 32/1595 है, तथा जो मैना वाली गली, लक्ष्कर, ग्वालियर में स्थित है (श्रौर इससे उपाबद्ध अनुसूची में श्रौर पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, ग्वालियर में रजिस्ट्री-करण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख जून, 1984

को पूर्वोंक्त सम्परित के उचित बाजार मूल से कम के इत्यमान प्रतिफन को लिए अंतरित की गई है और मूफे यह विद्यास करने का कारण है कि यथापूर्वोंक्त सम्परित का उचित बाजार मूल्य उसके इत्यमान प्रतिफल से, एसे इत्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिघत से अधिक है और अन्तरक (अंतरकों) और अंतरिती (बन्तरितियाें) के बीच एसे बन्त्रच के लिए तब पावा गया इतिफल, निम्नलिखित उद्वेदयों से उक्त अन्तरण निर्विह में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :---

(क) जन्तरफु से हुई जिल्ही जाव की बावस, उक्त जभिषियम के सभीन कर दोने के जन्तरकः कें दारीवरल में कमी करने राउससे वथने में सुविधा के जिए; बीर/वा

(ख) एरेसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियनम, 1922 (1922 को 11) या उक्स अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ जन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया भा या किया भाना चाहिए था, डिपाने में सुनिधा के विए?

भातः म4, उभत वभिनियम की भारा 269-ग के जनुसरज में., मैं, उभत अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिसित व्यक्तियों, अर्थातुः ----

को यह स्थना जारी करके पूर्वोक्स सम्परिस के अर्थन के जिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्प्रित के जर्मन के सम्बन्ध को कोई भी वाशोदेः---

- (क) इस सुचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सुचना की मामील से 30 दिन की अवधि, जो भी ें अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वीक्त आवित्तयों में से किसी व्यक्ति बुवारा;
- (व) इस सुचना के राजपत्र में प्रकासन की तारीब से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिंतवड्थ किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोह्तरताकारी के पाद लिकित में किए था धर्कोंगे।
- स्पक्तीकरणः—--इसमें प्रयुक्त शब्दों भौर पदों का, जो उक्त अभिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित ह⁴, बही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया ह⁸।

अनुस्ची

मकान (का भाग) म्यू० नं० 32/1595, मैना वाली गली, लक्ष्कर ग्वालियर में स्थित है। यह वह स्थावर संपत्ति है जिसका संपूर्ण विषरण अन्तरिती द्वारा सत्यापित फार्म नंबर 37-जी में निहित है।

> वी० कु० घरनवाल सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्स (निरीक्षण) अर्जन रेंज, भोपाल

तारीख[:] 11-2-1985_. मोहर[:] प्रस्थ वार्डः दी. एन. एत<u>.</u>.....

जायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-म (1) के अधीन समना

भारत सरकाड

कार्यालय, सहायक जायकर जायुक्त (निरुक्तिण)

अर्जन रेंज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 फरवरी 1985

्निदेश सं० आई० ए०सी०/अर्जन/भोपाल--5616---अतः मुझे, वी० कू० थरनवास,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पद्यात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विक्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मृत्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

घौर जिसकी सं० मकान म्यु० नं० 32/1595 है, तथा, जो मैना वाली गली, लक्ष्कर, ग्वालियर में स्थित है (ग्रौर इससे उपाबद्ध अनुसूची में ग्रेंबेर पूणं रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, ग्वालियर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जून, 1984

भो पूर्वोक्स सम्पति के उचित बाजार मुख्य से कम के इत्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई और मुभ्ने यह विद्वीस करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दश्यमान प्रतिफल से, एसे दश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकाों) और अंतरिती (अंतरितयों) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप में कथित नहीं किया गया है :----

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधि-अधिनियम के अधीन कर, दोने के जन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे क्ष्वने में सुविभा के लिए; और/या
- (ल) एरोी किसी आय या किसी भन या अन्य आस्तियों को, जिन्ही भारतीय आयकर अभिनियम, 1922 (1922 को 11) या उक्त अभिनियम, याँ भन-कर अभिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया भाया किया जाना भाहिए था. छिपाने में सुविधा के लिए;

-	
पी० डे,	
23,	
	(अन्तरक)
दिवेषी,	. ,
पीं० ब्रिवेदी,	
वाली गली,	
	(अन्सरिती)
	23, दिवेषी, पीं० द्विवेदी,

को यह सुचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के सिए कार्यवाहियां करता हूं:

उक्त सम्पत्ति के अर्थन के संबंध में कोर्ड भी आक्षेप 🛶

- (क) इस सूचनाको राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति दवारा;
- (ब) इस स्वना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के मीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहम्ताक्षर्रों के पास लिखित में किए जा सकोंगे।
- स्पच्टीकरणः---इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित ह^ह, वही अर्थ डोगा जो उस अध्याय में दिया गया ह**ै।**

मन्स्**वी**

मकान नं० 32/1595 (का भाग) मैना वाली गली, लष्टकर, ग्वालियर में स्थित है यह ेवह स्थावर संपत्ति है जिसका संपूर्ण विवरण अन्तरिती द्वारा सत्यापित फार्म नेवर 37–जी में निहित है।

> वी० कु० अरनवाल सक्षम प्राधिकारी महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज, भोपाल

तारीख: 11-2-1985 मोहर : प्रकर बाह. टी., एन., एस. -----

अायकर वीभनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-म (1) के अभीन सुचना

भारत तरकार

खार्बासय, सहायक नायकर नायुक्त (निरीसन)

अर्जन रेज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 8 फरवरी /1985

निदेश सं० आई० ए० मी०/अर्जन/भोपाल-5617--अत: मुझे, धीरेन्द्र कुमार बरनवाल,

वासकर वभिनियम, 1961 (1961 का 43) (चिसे इसमें इसके पश्चातु 'उक्त, अधिनियम' कहा गया है), को भारा 269-च को वभीन सक्षम प्राधिकारी को यह विष्यास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित याजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

प्रौर जिसकी सं० भूमि ख० नं० 79/2, 70/2 है, तथा जो ग्राम बावड़िया कलां, जिला भोपाल में स्थित है (ग्रोर इससे उपाबद्ध अनुसूची में ग्रौर पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, भोपाल में रजिस्ट्री-करण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जून, 1984

का' पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाबार मुख्य से कम के द्वयमान प्रतिकत के लिए लन्तरित की गई है और मुफे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का अधित बापार मूल्य, उसके अध्यमान प्रतिफल् से, एसे ध्वयमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और जंतरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तम बाया नया प्रतिफल, निम्नसिचित उद्देश्य से उक्त अंतरण किचित में वास्त्रविक रूप से कथित नहीं किया गया है अन्यर

- (क) अन्तरण से हुई किसी थाय की बाबत, उक्त अधिनियम के अभीन कर दोने के बलारक को बाबिर्स में कभी करने वा उन्नचे बचने में सुविधा के (लिए) और/या
- (क) एोसी किसी आय या किसी धन या जन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 को 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 को 27) के प्रयोजनार्थ अन्सरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविभा के लिए;

बतः अथ, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनूसरण बॉ, मॉ, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्मलिखित व्यक्तियॉ, अर्थात् :--- 1. श्री जगन्नाथ आत्मज श्री ऊंकार, बावड्रिया कलां, जिला भोपाल।

(अन्तरक)

 मै० रोहित सहकारी गृह निर्माण संस्था, मर्यादित, भोपाल, ढारा प्रेसीडेंट रोहिततास।

(अन्तरिती)

को मह सूचना ख़ारी करके पूर्वोक्त सम्परित के मर्णन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पृति के वर्जन के संबध में कोई भी जाक्षेप :----

- (क) इस सूचना के ट्राजपत्र में प्रकाधन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामीस से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर प्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर ,सम्पत्ति में हित-बष्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकोंगे।
- स्पच्टीकरण :---इसमें प्रयुक्त धन्दों ' और पदां का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अन्स्ची

भूमि ख० नं० 79/2, 70/2, ग्राम क्वावड़िया कलां तह० हजूर जिसा भोपाल में स्थित है। यह वह स्थावर सम्पत्ति है जिसका संपूर्ण विवरण अन्तरिती द्वारा सत्यापित फार्म नंबर 37–जी में निहित है।

> षी० क्रु० बरनवाल सूक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज, भोपाल

तारीख: 8-2-1985 मोहर: भागं III---बण्ड I]

प्रकप बाह् टी. एव. एस. :-----

नायकर मौधनियम, 1961 (1961 था 43) कौ भारा 269-स (1) को नधीन सूचना

भारत शरकाड

कार्थालय, सहायक जायकर जायुक्त (निर्जीक्षण)

भ्रर्जन रेंज, भोपाल

भोपाल; दिनांक 8 फरवरी 1985

निदेश सं० ग्राई० ए० सी०/ग्रर्जन/भोपाल-5618---ग्रतः मुझे, वी० कु० बरनवाल,

नायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गमा है), की धारा 269-च के अभीन सक्षम प्राधिकारी को वह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्म 1,00,00/- रा. से अधिक है

और जिसको सं० मकान नं० 1081, 1081/1, 1081/2 है, तथा जो राम मनोहर लोहिया वार्ड, जबलपुर में स्थित है (ग्रीर इससे उपाघद मनुसूची में ग्रौर पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रकर्ता ग्रधिकारी के कार्यालय, जबलपुर में रजिस्ट्री-करण ग्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के ग्रधीन, तारीख जुन 1984

को पूर्वोक्त संपरित के उचित वाजार मूल्य से कम के इष्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुभ्ने यह विष्ठास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपरित का उचित वाजार भूच्य, उसके उष्यमान प्रतिफल से एसे द्ययमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अभिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (जन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देयेय से उक्त अन्तरण जिक्ति में बास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :----

- (क) जन्तरण से हुइ किसी जाय की बाबत उक्स जिभिनियम के जभीन कर दोने के जन्तरक के बायित्व मां कमी करने या उससे बचने मां सुविधा के लिए; जौर/या
- (थ) एसी किसी भाव वा किसी भन या बन्य आरितयों को, चिन्हु भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त जीधनियम, या घन-कर जीधनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ जन्त्रादिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया वा वा किया जाना जाहिए था, खियाने में सुविधा को बिए;

वतः अब उक्त कप्रिनियमं कौं भारत 269-ग के बनुसर्फ में, मैं, अक्त अधिनियम की धारा 269-ग की उपभारा (1) के बभीन, निम्नलिवित्त क्यक्तियों, बर्थात् ह—--

1. श्री सुनील कुमार शिन्दे, पिता श्री सदाशिवराव शिन्दे अंधेर देव,	
ज¥लपुर ।	
	(ग्रन्तरक)
2. श्री ग्रनिल कुमार शिन्दे,	
पिता श्री माधवराव णिन्दे <i>,</i>	
ग्रंधेर देव,	
जबलपुर ।	
	(अन्तरिती)

को यह सुचना जारी करके पूर्वोक्त संपरित के अर्जन के सिद् लिए कार्यवाहियां करता हूं'।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :----

- (क) इस सूचना को ट्राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की जवधि या तत्सम्मन्धी व्यक्तियों पड़ सूचना की तामील से 30 दिन की जबधि, जरे भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्परित में हितबद्दभ किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अर्थाहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जो सकोंगे।

स्थष्ट्वीकरणः — इसमें प्रयुक्त क्षब्दों और पदों का, जो उक्छ अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

नन्स्ची

मकान नं० 1081, 1081/1, 1081/2, राम मनोहर लोहिया वार्ड, जघलपुर में स्थित है। यह वह स्थावर संपत्ति है जिसका संपूर्ण विवरण प्रन्तरिती द्वारा सत्यापित फार्म नंबर 37–जी में निहित है।

वी० कु० बरनवाल सक्षम प्राधिकारी सहायक श्रायकर श्रायुक्त (निरीक्षण) श्रर्जन रेंज, भोपाल तारीख : 8–2–1985 मोहर ा भारत का राजपन्न, मार्च 9; 1985 (फाल्गुन 18, 1906)

[माग III--खण्ड 1

ं अरूप' जाई . टी . एन . एस_{?-}-------

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धा<u>रा</u> 269-भ (1) के अभीत स्**प**ना

धारत सरकात

कार्यालम, सहायक जायकर जायनत (निरीक्षण)

ग्रर्जन रेंज, भोपाल, भोपाब, दिनांक 8 फरवरी 1985 निदेश सं० ग्राई० ए० सी०/ग्रर्जन/भोपाल/5619—-प्रतः

मुझे, वीरेन्द्र कुमार बरनवाल, णायकर अभिनियम, 1961 (1961 का 43) जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अभिनियम' कहा भणा है), को धारा 269-इन के अभीन सक्षम प्राधिकारी को यह विख्यास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रह. से अभिक है

ग्रौर जिसकी स० प्लाट नं० एवं मकान नं० 67, 67/1, 67/2 है, तथा जो गलगला, जबलपुर में स्थित है (ग्रौर इससे उफापद्ध ग्रनुसूची में ग्रौर पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता ग्रधिकारी के कार्यालय, जबलपुर मे रजिस्ट्रीकरण ग्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के ग्रधीन, तारीख जून 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दूध्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुफे यह विद्यास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दूध्यमान प्रतिफल से, एसे दूध्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिश्वत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्त-रिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देध्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :---

- (क) अन्तरण से हुई किसी जाय की बाबत उक्त बभिनियम के अभीन कर दोने के जंसरक के दायित्व में कभी करने या उससे बचने में सुविधा को सिए; जौर/बा
- (७) एेसी किसी आय या किसी भन या अन्य आस्तियों को, जिन्ह¹ भारतीय 'आयकर अभिनियम 1922 '(1922 का 11) या उक्त अभिनियम, या भनकर अभिनियम, 1957 (1957 का 27) को प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना भाहिए था छिपाने में सुविधा के सिए;

बतः अव, उक्त जभिनियम की भारा 269-ग के बनुसरम में, मैं, उक्त अभिनियम की भारा 269-घ की उपभारा (1) के अधीन, निम्मलिख्ति व्यक्तियों, अर्थात् ह---

 श्रीमैरी अनिता शिन्दे पत्नी श्री प्रमोद शिन्दे, 	
159, बजाज नगर,	
नॉगपुर ।	
2. श्री ज्ञानचंद जैन एण्ड 7 ग्रन्य, लपर्डगंज,	(ग्रन्तरक)
जबलपुर ।	(अन्तरिसी)

को यह सुचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पुरित के अर्जन के सिए कार्यवाहियां करता हूं:।

उक्त संपरित के अर्थन के सम्बन्ध में कोई भी बाक्षेप व--

- (कं) इस सुचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की जवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सुचना की तामौल से 30 दिन की अवधि, जो भी जबधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त जियक्तियों में से किसी ज्यक्ति इवारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास सिखित में किए जा सकेंगे।

स्पर्ध्धकिश्णः— इसमें प्रयुक्त शब्यों और पर्वों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वहीं अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

नन्स्ची

प्लाट एवं मकान नं० 67, 67/1, 67/2, गलगला जबलपुर में स्थित हैं। यह वह स्थावर संपत्ति है जिसका संपूर्ण विवरण श्रन्तरिती द्वारा सत्थापित फार्म नंबर 37–जी में निहित है।

वी० कु० बरनवाल सक्षम प्राधिकारी सहायक ग्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण) ग्रर्जन रेंज, भोपाल तारीख : 8–2–1985 मोहर ध भाग III----खेण्ड 1]

प्ररूप आर्ड्र.टी. एन. एस. ------

अायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सुचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयक<u>र</u> आयुक्त (निरक्षिण) ग्रर्जन रेंज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 8 फरवरी 1985

निवेश सं० म्राई० ए० सी०/म्रर्जन/भोपाल-5620---भ्रत. मुझे, वी० कु० बरनवाल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके परुवात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की भारा 269-च के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विषयास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मुल्प 1,00,000/-रु. से अधिक है

प्रोर जिसकी सं० भूखण्ड कमांक 98 है. तथा जो जानकी नगर एक्सटेशन, इंदौर में स्थित है (ग्रौर इससे उपाबद प्रनुसूची में ग्रौर पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता ग्रधि-कारी के कार्यालय इदौर मे रजिस्ट्रीकरण ग्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के ग्रधीन, तारीख जून 1984 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुमे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उधित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित अद्ध श्य से उक्त अन्तरण लिखिन्न में बास्तविक रूप से काथित नहीं किया गया है क्ष्य

- (क) जन्तरण से हुइ किसी आय की बाबत, उक्स अधिनियम के अधीन कर दोने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या
- (श) एेसी किसी आय या किसी अन या अन्य आस्तियों को, जिन्हु³ भारतीय आयकर अभिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अभिनियम, या भनकर अभिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तर्रिती ब्वार प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सूत्रिधा के लिए;

अतः अथ, उक्त अधिनियम की धार्य 269-ग के अनुसरण में, में, अक्त अधिनियम की धार्य 269-थ की उपधार्य (1) के अधीन, निम्मलिखित व्यक्तियों, अर्थात् 12---- 1. श्री गुरुनाम सिंह, पिता श्री अमरीक सिंह, मण्डी बाजार, बुरहानपुर।

(ग्रन्तरक)

2. श्रीमती लौला छाजेब़ पत्नी श्री बसंत कुमार छाजेड हा० मु० 149, जानकी नगर, एक्सटेंगन, इंदौर।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करको पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति को अर्जन को संबंध में कोई भी आक्षोप :---

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीस से 45 दिन की अवधि या सत्सम्बन्धी व्यक्तियां पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियां में से किसी व्यवित्त द्वारा,
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास जिसित में किए जा सकोंग।
- स्पष्टीकरणः इसमें प्रयुक्त खब्दों और पदों का, जो उक्त अभिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, बह्दों अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

जन्म चौ

भूखण्ड कमांक 98, जानकी नगर, एक्सटेंशन, इंदौर में मे स्थित है।

वी० कु० बरनवाल सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर श्रायुक्त (निरीक्षण) श्रर्जन रेंज, भोपाल तारीख: 8−2−1985 मोद्दर :

(भाग III — खण्ड 1

प्रकृत बाई 🤊 दी 🛫 एन 🔄 पुस्र 🛛 🛎 = 🤊 उन्ज

भायकर अभितियम, 1961 (1961 का 43) कों भारत 269-भ (1) के अभीम सूलना

STATE STREET

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरक्षिण)

म्रजन क्षेत्र, भोपाल

भोपाल, दिनाक 8 फरवरी 1985

निदेश सं० श्राई० ए० सी०/ग्रर्जन/भोपाल–5621---ग्रतः मुझे, वीरेन्द्र कुमार बरनवाल,

मायकर अभिनियम, 1961 (1961 का 43) जिसे इसमें इसके परचात् 'उक्त अभिनियम' कहा गया है), की, धारा 269-ख के अभीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विक्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित नाजार मूल्य 1,00000/- रु. से अधिक है

धौर जिसकी सं० भूखण्ड क्रमाक 97 है, तथा जो जानकी नगर, इंदौर मे स्थित है (ग्रौर इससे उपाबज़ अनुसूची मे ग्रौर पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता ग्रधिकारी के कार्यालय, इदौर मे रजिस्ट्रीकरण ग्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के ग्रधीन, तारीख जून, 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मुख्य से कम के ब्रथमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुफ्रें यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके ब्रथमान प्रतिफल से एसे ब्रयमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तम पाया गया प्रतिफल, निम्नसिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण निबित में बास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है है----

- (क) कसरप टेहूद कि की बाद की बासता, उस्त जीवनियम के जभीव कर दोने के जसारक की बायित्व में कमी करने वा उसके बचने में सविधा के लिए बौड/वा
- (श) एसी किसी नाम वा किसी वन वा बन्व नास्तिवों को, जिन्हें भारतीय वाय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त मधिनियम, या धनकर मधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोज-नार्थ वन्तरिती ब्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के सिएग्र

अतः अव, उक्त अधिनियम की धारा 269-भ को अनुसरच में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-भ की अपधारा (1) के अधीम, निम्नजितित व्यक्तियें अर्थात् ध---- 1 श्री भ्रर्जुनसिंह पिता श्री श्रमरीक सिंह कौर निवासी----मण्डी बाजार, बुरहानपुर ।

(ग्रन्तरक)

2 (1) श्री श्रोमप्रकाश पिता श्री मोहन लाल (2) श्रीमती रामेक्वरी देवी, पत्नी श्री श्रोम प्रकाश, ुनिवासी —साजन नगर, इदौर।

(अन्तरिती)

को यह सुमना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहिया गुरु करता हूं।

उपत सम्पत्ति के बर्जन के सम्बन्ध में कोई भी बनकोप ध्यक्र

- (क) इत्स सूचना को राजपत्र में प्रकाशन की तारीच से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति इ्यारा;
- (क्त) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीक से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्परित में हित-बद्ध किसी जन्य व्यक्ति द्वाँरा अभोहस्ताक्षरी को पाक सिंक्ति में किंग्र जा सकोंगे।
- स्पच्टीकरण -----इसमें प्रयुक्त शब्वों और पर्वों का, जो उक्त अधिनियम, के बध्याय 20-क में परिशाधित हूँ, वही अर्थ होगा, जो उस अभ्याय में दिया जया है।

मन्द्रभू

भूखण्ड कमाक 97, जानकी नगर, इधौर में स्थित है।

वी० कु० बरनवाल सक्षम प्राधिकारी सहायक श्रायकर श्रायुक्त (निरीक्षण) ग्रर्जन रेज, भोपाल

तारीख: 8--2--1985 मोहर ध

प्रकृत् बाह् . टी . एष् . एस . -+------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की 269-भ (1) के अभीग स्पना

শাঁবে রত্রকার

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निर्द्रीक्षण) अर्जन रेंज, जालन्धर

भोपाल, दिनांक 8 फरवरी 1985

निदेश सं० ग्राई० ए० सी॰/ग्रर्जन/भोपाल–5623–-ग्रतः मुझे, वीरेन्द्र क्रुमार बरनवाल,

अभिकर अधिनियम, 1961 (1961का 43) (जिसे इसमें इसके पद्मचात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), को धारा 269-269- के अभीन सक्षम प्राधिकारों को यह विद्वास करने का कारण है मैंक स्थावर 'सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्प 1,00,000/- रु. से अधिक है

ग्रौर जिसकी सं० प्लाट नं० 64 है, तथा जो सी'० सेक्टर, इन्द्रपुरी, भोपाल में स्थित है (ग्रौर इससे उपाबद्ध ग्रनुसूची में ग्रौर पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता ग्रधिकारी के कार्यालैंय, भोपाल में, रजिस्ट्रीकरण ग्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के ग्रधीन, तारीख जून, 1984

को पूर्वोक्त संपरित के उचित बाजार मूल्य से कम के इश्यमान ज्ल के लिए यह विश्वास अन्तरित प्रतिफल की ं गई और करने म्फ़े का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मुल्य, उसके इश्यमान प्रतिफल से, एसे धर्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्द्रोरेय से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है ः---

- (क) वृत्याडम दे हुई किवी वाय की वावत, उक्त अधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के दायित्म में कमी करने या उग्नसे वचने में सुविधा के सिए; वार/या
- (ज) एती किसी वायुवा किसी थन या वन्यु वास्तिवर्ग को, विन्हु⁵ भारतीय वाय-कर अधिनियम, 1922 (1922 को 11) या उक्त वीधनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 को 27) के प्रयोजनार्थ जन्तरिती ब्वारा प्रकट नहीं किया गया बाया किया थाना थाद्दिए था, खिपाने में सुविधा, बी.जिए;

बतः अभ, उक्त अभिनियम की भारा 269-ग के अनुसरण में, में, उक्त अभिनियम की भारा 269-घ की उपभारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तिस्यों, अर्थात् :----

I I i i i i i i i i i i i i i i i i i i	
1. श्री वाय० सी० गर्ग पिता एस० एस० गर्ग	
निवासी-64,	
सी॰ सेक्टर,	
इन्द्रपुरी,	
भोपाल ।	
	(ग्रन्तरक)
2 श्री हरिन्द्र सिंह,	1
पिता श्री सरदार ग्रयनार सिंह	
निवासी—सूरजगज,	
इटारसी ।	
	(भ्रन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहिषां कारता हूं।

उनत संपत्ति के अर्थन के संबंध में कोई भी बाझ दे :----

- (क) इस सुचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सुचना की तामील से 30 दिन की अवधि, खो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियाँ में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ब) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की द्वारीब सं 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्भ किसी अन्य व्यक्तिित द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास तिचित में किए वा सकोगे।
- स्पष्टीकरणः----इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त, अधिनियम के अभ्याय 20-क में परिभाषित, . हैं, वही अर्थ होगा जो उस जभ्याय में दिया गया है।

नन्स्वी

प्लाट नं० 64, सी० सेक्टर, इन्द्र पुरी, भोपाल में स्थित है।

> वीरेग्द्र कुमार बरनवाल सक्षम प्राधिकारी सहायक ग्रायकर श्रायुक्त (निरीक्षण) ग्रर्जन रेंज, भोपप्ल

तारीख: 8-2-1985

भोहर :

[भाग III-खण्ड 1

ं त्रक्ष वाहे. टी., एव. एत., -----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-भ (1) के अधीन सुचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्स (निरीक्षण)

म्रर्जन रेंज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 6 फरवरी 1985

निदेश सं० ग्राई० ए० सी०/ग्रर्जन/भोपाल-5627---ग्रत: मुझे, वी० क्रु० बरनवाल

आयकर अभिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसने परवात् 'उक्त नभिनियम' कहे। गया ही, की भारा 269-व के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण ही कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु. से जभिक ही

ग्रीर जिसकी सं० प्लाट नं० 22, एवं दुर्माजिला मकान है, तथा जो रोनसरा, नरसिंहपुर में स्थित है (ग्रीर इससे उपाबद्ध श्रनुसूची में ग्रीर पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्री-कर्ता ग्रधिकारी के कार्यालय, नरसिंहपुर में रजिस्ट्रीकरण ग्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के ग्रधीन, तारीख जुन 1984

को पूर्वोक्त सम्परित के उचित बाजार मूल्य से कम के इक्ष्यमान प्रतिफल को लिए अन्सरित की गई है और मूझे यह विदवास करने का कारण है कि वभापुर्वोक्त सम्परित का उचित बाबार बूक्व, असके क्ष्यमान प्रतिफल से एसे अप्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिक्षत से बीचक है और बंतरक (बंतरकों) और वंतरिती (बंतरितियों) को बीच एसे बन्दरज के जिए उब पावा नवा प्रति-कह मिल्लजिवित स्ट्रियेस से उच्च बेटरज कि बिए उब पावा नवा प्रति-कह मिल्लजिवित स्ट्रियेस से उच्च बेटरज कि बिए तब पावा का प्रति-कर मिल्लजिवित स्ट्रियेस से उच्च बेटरज कि बिए तब पावा की बाक्तविक

- (क) मन्तरण से हुई किसी भाव की वावत उनस वधि-नियम के अधीन कर दोने के अंतरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए कीइर/वा
- (ख) इते किसी माथ ना फिली भग ना मन्त्र आस्तित्वों को, फिल्हें शास्तीय नामकर मौधनियम, 1922 (1922 का 11) ना उक्त नाधनियम, 1922 कर मौधनियम, 1957 (1957 का 27) खे प्रवोचनार्थ जन्तरिशी ब्वारा प्रकट महीं किया गया था या किमा जाना चाहिए था, कियाने में सुविधा के लिह:

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनूसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग की उत्पधारा (1) को अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, ज्यर्थात् :---- 1 श्री बिरदीचंद

पिता श्री कौगल चंद, लूनावत, स्टेशनगंज, नरसिंहपुर ।

(भ्रन्तेरक)

 मेसमं गिरधारीलाल कळेदीलाल कातल, गाडरवारा द्वारा— पार्टनर श्री शरद कुमार पिता श्री केवारनाथ कटहल, गाडरवारा, नरसिंहपुर।

(ग्रन्तरिती)

को सह सुचना जारी करके पूर्वोक्त संपरित के वर्षन के सिद्ध कार्यवाहिया शुरू करता हूं-।

उक्त संपरित के कर्जन के संबध में कोई भी आक्षेप :----

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवभि था तत्संबंधी व्यक्तिय्रों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवभि, जो भी अवभि बाद में सभाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ब) इस अभ्वना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से '' 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी जन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरों के पास लिखित में किए जा सर्कोंगे।
- स्पष्टीकरणः----इसमें प्रयुक्त घट्दाँ और पर्धों का, जो उक्त अभिनियम के अभ्याय 20-क में परिभाषित हैं, बही अर्थ होगा जो उस अभ्याय में दिया गया है।

मनुसूची

भकान, प्लाट नंबर 22 पर, (नजूल शीट नं० 8) रोनसरा जिला नरसिंहपुर में स्थित है। यह वह स्थावर मंपत्ति है जिसका संपूर्ण विवरण श्रन्तरिती [ढारा सत्यापित फार्म नं० 37–जी में निहित है।

> वी० कु**४ बरनवाल** सक्षम प्राधिकारी सहायक श्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण) श्रर्जन रेंज, भोपाल

तारीखः 6--2--1985 मोह्रर

प्ररूप'वार्इ. टी. एम. एस. -------

आगकर वधिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-घ (1) के अधीन स्चना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

ग्रर्जन रेंज, भोपाल

भोपाल, दिनां 11 फरवरी 1985

निदेश सं० ग्राई० ए० सी०/ग्रर्जन/भोपाल-5628---ग्रत मुझे, वीरेन्द्र कुमार बरनवाल,

आधकर अभिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पञ्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूर्ल्य 25,000/-रु. से अधिक है

ग्रौर जिसकी सं० प्लाट नं० 47--वी, का प्लाट है, तथा जो ़ुमाकेत नगर, इदौर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध ग्रनुसूची में ग्रौर पूर्ण रूप से वणित है), रजिस्ट्रीकर्ता ग्रधि-कारी के कार्यालय में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के ग्रधीन, तारीख जून 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के इत्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और भूझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित साजार मूल्य, उसके दश्यमान प्रतिफल से, एसे दश्यमान प्रतिफल का पन्द्रहू प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकां) और अंतरिती (अंतरितियो) क वीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्वेश्य से उक्त अन्तरण लिखित म बास्तविक रूप से कीथत नहीं किया गया है :---

- (क) अन्तरण से हुइ किसी आग की बाबत, उक्त जीधनियभ के जधीन कर देने के अन्तरद्व के दायित्व में कमी करने या, उससे बचने में सुविधा के जि़्हार और/या
- (ख) एसी किसी आय या ।कसा थन या अन्य आस्तियाँ को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम; 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया गया था या फिया जाना चाहरू था, छिपाने में संविधा खे सिए;

1. श्री चरण प्रसाद	
पिता ज्योति स्वरूप	
तरफे मु० स्राम पविजा	
पति चरण प्रसाद	
नि०41,	
साकित नगर	
इदौर	(ग्रन्तरिती)
2 ∕ श्रीमती ललीताबाई	
पति नदलाल ज्रोशी	
नि०—–हातोद तह० इंदौर	
-	(झ्रफ्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हां।

उवत सम्पतित के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी अपक्षेय :~

- (कु) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीस के 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन को अवधि जो भी अवधि बाद म समाप्त होती हो, को भीतर पूर्वोक्त अवधि बाद म समाप्त होती हो, को भीतर पूर्वोक्त
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकोश्चन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी जन्म व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पाछ सिदियत में किए जा सकोंगे।
- स्पख्टीकरणः -----इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, खो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क। में परिभाषित ह°, कही वर्थ होगा जो उस अध्याय में दिश्य यया ह°।

मनुसूची

प्लाट न० 47–बी का प्लाट, साकेत नगर, इदौर में स्थित है। यह वह स्थावर सपत्ति है जिसका सपूर्ण विवरण ग्रन्तरिती द्वारा स्त्यापित फार्म नंवर 37–जी मे नि*हि*त है।

> वी० कु० बरनवाल सक्षम प्रांधिकारी सहायक ग्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण) ग्रर्जन रेज, भोपाल

तारीख 11-2-1985 मोहर: - <u>श्रक्षपु.</u>; बाइ¹.) टी. एन्. एसं., -----

नायकटु जभिनियम, 1961 (1961 का 43) की भादा 269-म (1) के अभीन सुमना

मारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) ,ग्रर्जन रेज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11् फरवरी 1985

निदेश सं० ग्राई० ए० सी०/ग्रर्जन/भोपाल–5629—ग्रतः मुझे, वी० कू० बरनवाल,

बायकर अधिनियस, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विख्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उच्चित बाजार मर्स्य 25,000/-र7. से अधिक है

ग्रौर फिसकी सं० सकान (का भाग) नं० 411 है, तथा जो साउथ सिविल लाईन्स, जबलपुर में स्थित है (ग्रौर इससे उपाबद्ध ग्रनुसूची में ग्रौर पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता ग्रधिकारी के कार्यालय, जबलपुर में, रजिस्ट्री-करण ग्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के ग्रधीन, जुन 1984

को प्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूख्य से कम कै खरयमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मूफ़े यह विश्वास करने करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दरयमान प्रतिफल से, एसे धरयमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिवात से अधिक है और मंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीध एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्वेषय से उक्त मन्तरण लिखितु में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :---

- (क) जन्तरण से हुई किसी जाम की साबत उक्त अभि-गियम को अभीन कर दोनें को जन्तरक को दायित्व में अभी कर्त ये। उसुसे बचने में सुरिषभा को लिए; बौर/वा
- (ब) एसी किसी माय या किसी धन या अभ्य आस्तियां को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती ख्वारा प्रकट नहीं किया यया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

शत: अव, उक्त वधिनियम को धारा 269-ग क अनुसरक में, मैं, उक्त अधिनियम को धारा 269-घ को उपधारा (1) के बधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, जर्थात् ७-००

- 1. अंग्मिती राज भाटिया, पन्नी श्री डी० पी० भाटिया, साउथ सिक्षिल लाईन्स, जबलपुर ।
- मेसर्स भसीन विल्डसं, (पार्टनरणिप फर्म), द्वारा मैनेजिंग पार्टनर—– ,श्री गुरविन्दर सिंह भेसीन, गोरखपुर, जबसपूर।

(ग्रन्तरिसी)

(ग्रन्तरक)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोंक्त सम्परित के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्परित के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :---

- (क) इस सुचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की जबधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर मुखना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अत्रधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोकन ब्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (व) इस स्पूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीब से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बत्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बधोहस्ताक्षरी क पास लिखित में किए जा सर्केगे।
- स्पष्टीकरणुः-—इसमॅं प्रय्मल कर्ष्या और पर्दों का, जो उक्त अधिनियम, के अभ्याय 20-क में परिभाषित ह[#], बही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया पया ह[#]।

मग्राची

मकान (का भाग) नं० 411, साउथ सिविल लाईन्स, जब तपुर में स्थित है। यह वह स्थावर सपत्ति है जिसका सम्रूर्ण विवरण प्रन्तरिनी द्वारा सत्यापित फार्म न० 37–जीभ में निहित है।

> वी० कु० बरनवास मक्षम प्राधिकारी सहायक श्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण) श्रर्जन रेज, भोपाल

तारीखः 11−2−1985 मोहरः मोर [[]--वण्ड 1]

प्रकृष् वाद्.टी.एन.एस्. व्यस्तात्र व्यक्त

भायकर मॉर्थिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-म (1) के अधीन सुचना

भाइत बरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भौपाल

भोपाल, विनांक 11 फरवरी 85

· निर्देश सं० आई० ए० सी०/अर्जन/भोपाल/5630----अतः मुझे, वीरेन्द्र कुमार बरनवाल

आयकर जधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पक्ष्यात 'उक्त अधिनियम'कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विषयास करने का कारण है कि स्थावर सभ्यत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० मकान (का भाग) नं० 411 है, तथा जो साउथ सिविल लाइन्स, जवलपुर में स्थित है (और इससे उपाबद अनूसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है), रजिस्ट्री-कर्ता अधिकारो के कार्यालय, जवलपुर में रजिस्ट्रीकरण अधि-नियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, जून 1984 को पूर्णोक्स संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के इष्यमान बतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुफे यह विष्वासे करने का कारण है कि यथापूर्वोक्स संपरित का उचित बाजार मूल्य, उसके इष्यमान प्रतिफल से एसे इष्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिघत से बधिक है और अन्तरफ (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए सय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्दरेय से उक्त अन्तरण सिखित में बास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है हु----

- (क) जन्तरण ते हुइ किसी आव की बाजत, उक्त अभिनियम के अभीन कर देने के जन्तरक के दावित्य में कमी करने या उत्तसे वचने में सुविधा को सिए; बीर/वा
- (ख) एरेसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्ह भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर बधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती देवारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, जिल्पाने में सुविधा जी सिए;

अतः अब, उक्त अभिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण बैं, मैं, उक्त अभिनियम की धारा 269-ष की उपधारा (1) वे बधींब, निम्नीकवित व्यक्तियों क्र अर्थात् ध---

- (1) श्री राजीव एवं संदीप भाटिया. दोनों पुत श्री र्डा० पी० भाटिया साउथ सिविल लान्इल, जबलपुरि । (अन्तरक)
- (2) मैसर्स भर्तान बिल्डर्स (पार्टनरणिप फर्म) द्वारा मैनेजिंग पार्टनर श्री गुरविन्दर सिंह भसीन गोरखपुर, जबलपुर ।

(अन्तरिती)

कौ यह सुचना जारी क<u>र</u>के पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए, कार्यवाहियां करता हां।

उक्त सम्पत्ति को अर्जन को सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राजपत्र में श्वकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तर्स्टलंगी व्यक्तियों पर सूचना की तिंगील से 30 दिश की अवधि, जंभी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्स इय्दित्यों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (स) इस सूचना को राजपत्र में प्रकाशन की तारीस से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकोंगे।
- स्पष्टीकरणः—–इसमें प्रयुक्त शब्दों और पर्दो का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुस्ची

मकान का भाग नं० 411, साउथ सिविल लाइन्स, जबलपुर में स्थित है। यह वह स्थावर सम्पत्ति है जिसका सम्पूर्ण विवरण अन्तरिती द्वारा सत्यापित फार्म नं० 37-जी में निहित है।

> वी० कु० बरनवाल सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज, भोपाल

तारीख: 11~2~1985 मोहरध त्रस्य बाइं.टी.एन्.एइ.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-म (1) के अधीन सूचना

सारुत तरकार

कार्यालय, सहायक आयकर काय्क्स (निरोक्षण)

अर्जन रेंज, लखनऊ

लखनऊ, दिनांक 13 फरवर, 85

निर्देश सं० 🖁 जी० आई० आर० ए०-162/एक्यु०---

अतः मुझे, ए० प्रसाद बागकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी का यह विश्वास करने क फारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से बधिक है

और जिसको संख्या आराजी मय निर्माण है तथा जो रामपुर बाग सिविल लाइन, बरेली में स्थित है (और इससे उपाबढ अनूसूचा में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रोक्षर्ता अधिकारी के कार्यालय, बरेली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनाक जून, 1984

कों पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुफ्ते यह विश्वास करने का कारण है

कि यथा पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दश्यमान प्रतिफल से, एसे दश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतर्प्रितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्ददेश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:---

- (क) जन्तरण से हुई किसी आम की जाबत, उक्त - क्रथिनियम के बधीन कर दूने के जन्तरक के दायित्व में कभी करने या उससे बचने में, सुबिधा के लिए; और/या
- (ब) ऐसी किसी बाय या किसी धन या कन्य आस्तियों को, जिन्ह भारतीय बाय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, गा धन-कार जीधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गरे बा या किया जाना चाहिए था. ख्यान में स्विधा के लिए;

लतः गव, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग की वनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :----

-) 1. श्री प्रदीप कुमार भान 2. श्री कमल कुमार भान
 - 3. श्री अरुण कुमार भान
 - 4. श्री गिरीश कुमार भान
- (2) श्रीमती आशा अग्रवाल.

(अन्तरिती)

(अन्तरक)

(3) विक्रोता

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना बोरी करके प्र्वेक्ति सम्परित के अर्जन के लिए कार्यथाहियां करता हुं।

उक्त संपरित के अर्जन के संबध में काई भी आक्षेय :---

- (क) इस सूचना के राजपत्र में 'प्रकाशन की तारीख थे 45 दिन की बबर्धि या तत्संबंधी अयक्तियों पर बुचना की तामील से 30 दिन की बवधि, जों भी बबधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वों का व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत में प्रकाशन की टारांव से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सपनि में हित्बद्य किसी-अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।
- स्पच्टीकरणः इसमें प्रयुक्त, वब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, को जियाय 20-क में परिकापा हौ, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दियर गया है।

লন্লুখ্য

आराजी मय निर्माण स्थित 35, रामपुर बाग, प्लाट नं ० ए०, ब्लाक एस० सिविल लाईन, बरेली, जिसका पंजीकरण रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी बरेली के कार्यालय में जून, 1984 को किया जा चुका है जैसा फार्म 37-जी संख्या 4867 में वर्णित है (पैमाइसी 250 वर्ग यार्ड)

> ए० प्रसाद त्रक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन क्षेत्र, लखनऊ

तारीख: 13-2-1985 **मोहर**्: भाग 111--- खण्ड 1]

प्रक्ष बाई. टी. एन. एस. -----

जायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के दथीन स्वमा

सारत सहकाड

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, लखनऊ

लखनऊ, दिनांक 13 फरवरी 1985

निर्देश सं० जी० आई० आर० संक्या ए०--163 एक्यु०----अतः मुझे, ए० प्रसाद

बायकर अभिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके परंचात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), को धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रा. से अधिक है

और जिसकी सं० आराजी है तथा जो बल्डार्फ होटल कडा कैम्पस, मल्लीताल, नैर्नताल में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनूसूची में और पूर्ण रूप से वणिप है), रजिस्ट्रीकर्ती अधिकारी के कार्यालय, नैनत्ताल में रजिप्ट्री उरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अर्धान, दिनांदा 20-6-1984

को प्रोफित सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के इत्यमान प्रतिफत को लिए अम्लरित औ गई है. और मुभे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूच्य, उसके दश्यमान प्रतिफल से, एसे दूर्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और बन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नचिद्धित उद्ददेय से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप में कथित नहीं किया गया है :---

- (क) बन्तरण से हुई दिन सी बाब की बाबत, उक्त कधि-- नियम की अधीन कर दने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; बौर/या
- (म) एन्सी किसी जाय पा किसी धन पा अस्य आणिपरा को, जिन्हें भारतीय जाय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उन्नत अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिली द्वारा प्रकट नहीं किया गया था, या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अव, उक्त अधिनियंग कौ धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग की उपभारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् ध—≁

- (1) 1. श्रीं राम प्रकाश 2. श्री सूरज औतार
 - 3. ओम औतार
 - विष्णु ँ औतार,
 द्वारा श्रीमती रेनु वी० औतार
 - 5. अनिल कुमार
 - 6. राजीव कुमार, द्वारा श्री अनिल कुमारश्रगोयल
 - 7. राकेश कुमार अशोक कुमार गोयल

(अन्तरक)

- (2) 1. श्रीं आन सिंह विष्ट 2. श्रीमती कमला बिष्ट 3. कुमारी गंगा बिष्ट
- (अन्त्ररितीं)
- (3) वित्रेता
 (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां कारता हुन्।

कबत सम्पृतिि के तर्बन के सम्बन्ध में कोई भी बाक्षेप:---

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख क्षे 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त हातो हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में मे किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावेर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकोंगे।
- स्पर्ख्वीकरणः--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त ब्राधिनियम के अध्याय 20-क में पूरिंशाषित है, बही बर्थ होगा जो उस बध्याय मेरे दिया बया है।

वन्सुची

आराजी पैम।इसी 202.22.59 वर्ग-फीट स्थित होटल बल्डार्फ का कैम्पस मल्लीज्ञाल, नैर्नाताल जिसका पंजीकरण रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी नैर्नताल के कार्यालय में दिनांक 20-6-1984 को किया जा चुका है।

ए० प्रसाद सक्षम प्रमर्धिकारी निरीक्षी सहायक आयकर आयुक्त अर्जन क्षेत्र, लखनऊ ता उख: 13-2-1985 मोहर :

)भाग III--खण्ड 1

प्ररूप माहे, हों, एन., एक.,--------

भायक<u>र</u> अभिमियम, 1961 (1961 का 43) को भारा 269-म (1) के अधीन स्चना

भारत सहकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरक्षिण)

अर्जन रेंज, लखनऊ

लखनऊ, दिनांक 13 फरवरी 1985

निर्देश सं० जी० आई॰ आर० संख्या सी०--44 एक्यु०----अत: मुझे, ए० प्रसाद

मायकर अभिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिस इसमें इंग्लो परचात् 'उक्त अभिनियम' कहा गया है), की भारा 269-ख के अभीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्परिप्त, जिसका उचित बाजार मुल्य 25,000/- रु. से अभिक है

और जिसकी सं० प्लाट नं० 2 का हिस्सा 1, राना प्रताप मार्ग, लखनऊ में स्थित है (और इससे उपाबड़) अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकृती अधिकार्रा के कार्यालय, लखनऊ में रजिस्ट्रीकृरण अधिनियम, 1908 (1908 वा 16) के अधीन, दिनांक 13-6-1984

को पूर्वोक्त सम्पति के उर्चित वाजार मूल्य से कम के इप्यमान प्रिफल को लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विक्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित जाजार मुल्य, उसके इप्रयमान प्रतिफल से, एसे इप्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिक्षत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीभ एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उज्देष्य से उक्ता अंतरण लिखित में नास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है क्ष्य----

- (क), अन्तरण]से हुइर्डकिसी आयः की वाक्स, उक्स अभिनियम के अभीन कट्टदने के अन्तरक को दायित्स में कमी करने या उससे वधुने में सुविधा चे सिए; बौट्र∕दा
- (म) एरेसी किसी आय या फिस्सी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय जायकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उत्यस अधिनियम, या धनफर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ जंतरिस्ती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किन्या, जाना चाहिए था, छिपाने बें सुविधा के लिए; 14

अतः अव, उक्त अभि/िनयम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अभिनियम की धारा 269-व की उपधारा (1) के अभीन, नि़म्नलिचित् व्यक्तियों, अर्थात् :----

- (1) श्रो ब्रिज मोहन मेहरा
- (अन्सरन)
- (2) 1. श्री चन्द्र प्रकाश शर्मा 2. श्रीमती ओमश्री शर्मा

(अन्तरिती)

को यह सुमना जारी करके पूर्वोक्त, सुम्पत्ति के मर्जन के लिए. कार्यवाहियां कारता हुने।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियाँ पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, को भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति दुवारा;
- (ब) इस सुचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीब से 45 दिन के भीतार उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा स्थोहस्ताक्षरी को पास लिखित में किए जा सकेंगे।
- स्पष्टीकरण :— इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, दही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

बन्दर्भी

ण्लाट नं० 2 क्या हिस्सा, पैमाइसी लगभग 4600 वर्ग-फीट स्थित 1, राणा प्रसाप मार्ग लखनऊ जिसका पंजीकरण रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारो लखनऊ के कार्यालय में दिनांक 13→6→1984 को किया जा चुका है।

> ए० प्रसाद सक्षम प्राधिकारी निरीक्षी सहायक आयकर आयुक्त अर्जनक्षेत्र∎ लखनऊ

तारीख: 14-2-1985 मोहर ध - प्ररूप बाई. टी. एन. एस. -----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) कौ धारा 269-घ (1) के अधीन सुचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरौक्षण) अर्जन रेंज, खखनऊ

लखनऊ, दिनाक 13 फरवरीं 1985

निर्देश सं० जी० आई० आर० संख्या डी० – 55 एक्य० – – अत्त: मुझे, ए० प्रसाद

वायकर व्वधिनियम, 1961 (1961 का 43) (णिसे इसमें इसके पक्ष्वात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया हूँ), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विषयास करने कु कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित वाजार मृल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी संख्या 'लाट न० 187 है तथा जो 18, मदन मोहन मालवीय मार्ग, हजरत गंज, लखनऊ में स्थित है (और इससे उपाबढ अनसूची में और पूर्णेरूप से वींणत है), रजिस्ट्री-कर्ता अधिकारी के कार्यालय, लखनऊ में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनौंक 2-6-1984

भन्ने पूर्वोंक्त सम्पत्ति के उचित धाजार मुल्य से कम के इष्यमान प्रतिफल को लिए अन्तरित की गई है आर मुफे यह विषवास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मुल्य, उसके दश्यमान प्रतिफल से एसे दश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिघात से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अंतरितियों) के धीच एसे अंतरण को लिए तय पाया मया प्रतिफल, निम्नलिसित उद्देष्य से उक्त सन्तरण निक्तित ब सत्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:---

- (क) वन्तरण से हुई किसी जाय की वावत, उक्त जभिनियम के अभीन कर दोने के जन्तरक के बायित्थ में कमी क<u>र</u>ने या उससे वचने में सुविभा के लिए; जौर/मा
- (दा) एरेसी किसी आय या किसी भन या जन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अभिनिभन, 1922 (1922 को 11) या उक्त अभिनियम, या धनकर बभिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोज-नार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना बाहिए था, छिपाने में सुविधा के सिए;

अत अब, उक्त अधिनियम ∌ी धारा 269-ग के अनुसरण कें, मैं, डक्त जीधनियम की धारा 269-व की उपधारा (1) ~ के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :---

- (1) मैंसर्स आम्प्रपाली सहकारी गह निर्माण े समिति लि०, लखनऊ हारा सचिव श्री दिनेश चन्द्र श्रीवास्तव
- (2) 1. श्री दिलीप वासवानी (2) 1. श्री दिलीप वासवानी
 - 2 श्रीमती विनीता वासवानी
- (अन्तरितो)
- (3) केता (बह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के वर्षन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :-----

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन को तारीक्ष से 45 विन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियाें पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियाे में से किसी व्यक्ति क्षाय;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीच से 45 दिन कें भीतर उक्स स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्तित द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकोंगे।
- स्पर्ख्टीकरणः----६समें प्रयुक्त शब्दों और पक्षों का, जो उक्त अधिनियम के अभ्याय 20-क में परिभाषित हैंवही जर्ध होगा, जो उस अभ्याय में दिया गवा है।

STATE.

प्लाट न० 18/7 पैमाईसी 7,700 वर्ग-फीट स्थित 18, मदन मोहन मालवीय मार्ग लखनऊ, थाना हजरत गंज, लखनऊ जिसका पंजोकरण रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी लखनऊ के कार्यालय दिनॉक 2~6~1984 को किया जा चुका है।

ए० प्रसाद्य सक्षम प्राधिकारी सहायक आरकर आशुक्त (निरीक्षण) अर्जन क्षेत्र, लखनऊ न/र.स्व: 13–2–1985 मोहर :

[भाग][I--खण्ड' 1

प्ररूप आई.टी.एन.एस.-----

सायकर अधिनियर्सं, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सुचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेज, लखनऊ

लखनऊ, दिन क 11 फरवरी 1984

जायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), को धारा 269-ख के अधीन सभम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, वि्रसका उचित बाजार मुल्य 25,000/- रठ से अधिक है

और जिसकी सख्या प्लाट न० 2 है तथा जो बीरवल साहनी रोड, लखनऊ मे स्थित है (और इससे उपाबद अनूसूचें। मे और पूर्ण रूप से वणित है), रजिस्ट्रीक्ती अधिकारी के फार्यालय लखनऊ मे रजिस्ट्र करण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनॉक 15-6-1984

को पूर्वोक्स सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के इष्रयमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुभे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसकें दृश्यमान प्रतिफल से, एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अतरक (अतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियाें) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण "लिखित में वास्तविक रूप से कथित नही किया गया है क्षेत्र---

- (क) जन्तरण से हुई किसी जाव की बाबत उक्त अधि-नियम के अधीन कर दोने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; जौर/या
- (ख) एरेसी किसी आय या किसी धन या जन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उन्त अधिनियम, पा धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के अयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहों विया गया था या किया जाना चाहिए था छिएगने में मुविधा को लिए;

बारः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनसरण मे, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्.---

- (1) जनता सह रार्र, गह निर्माण समिति लि० (जिसका कार्यालय अमीनाबन्द मे है।) (अन्तरक) (2) डा० इकबाल अहमद निक्दवई (अन्तपिरी)
 - (3) विकेता
 - (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग मे सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अजेन को लिए कार्यवाहियां कुरू करता हुन्।

उक्त सम्पत्ति को अर्जन को सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :----

- (क) इस सुचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना, की तामील से 30 द्रिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति दुवारा;
- (अ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास हिनखित में किए जा सकोंगे।

स्पष्ट**रिकरणः — इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त** अधिनियम, कोट अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दियग गया है।

बन्स की

हाउसिंग स्कीम मे प्लाट नं० 3, जनता सहकारी गृह निर्माण समिति लि॰ पैमाईसी 2010 वर्ग-फीट स्थित बीरवल साहनी रोड, लखनऊ जिसका पजीकरण रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी लखनऊ के कार्यालय मे दिनोंक 15-6-1984 को किया जा चका है।

ए० प्रसाद सक्षम प्राधिकारी निर्रःर्क्ष सहायक ग्रायकर आयुक्त अर्जन क्षत्न. लखनऊ तारीख 11→2-1985 मोहर ष्ट

8557

प्ररूप आई.टी.एन.एस------

बायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सुचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयक्त (निरीक्षण)

अर्चन रेंज, लखनऊ

लखनऊ, दिन क 11 फरवरी 84

निदेश सं० जी० आई० आर० सं० जे०--78⁸ एक्यु०----अत: मुझे, ए० प्रसाद

जायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पक्ष्यात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की भारा 269-इस के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विष्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु. से अधिक है

और जिसकी संद्धा प्लाट नं∘ 4 है तथा जो बीरबल साहनी रोड़, लखनऊ में स्थित है (और इससे उपाबद अनूसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, लखनऊ में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक 15-6-1984

को पूर्वांक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के इत्यमान प्रतिफल के लिए अन्सरित को गई है और मुभ्ने यह वित्रवास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मुल्य, उसके इत्यमान प्रतिफल से, एसे इत्यमान प्रतिफल का मन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देय से उक्त अंतरण लिखित में बाक्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:----

- (क) मंतरण से हुई किसी जाय की वावत, उक्त अधिनियम के अधीन कर दोने के अन्सरक को वायित्व में कमी करने या उससे वचने में सुनिधा के लिए; और//या
- (ख) एरेसी किसी आय या किसी धन या अन्क आस्तियों को, जिन्हु³ भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्सरिसी द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना बाहिए था, छिपाने में सुविधा के सिष्ठ;

अतः अब, उक्त अधिनियम केंगे धारा 269-ग क अन्सरण मैं, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग की उपधारा (1) के अधोल, निम्ततिखित व्यक्तियों, अर्थातः—– 7-—486 GJ/84 (1) जनता सह कारी गृह निर्माण समिति लि० (जिसका कार्यालय अमीनावाब लखनऊ में है।)

(अन्त'रक)

(अन्तरिती)

(2) श्रीमती जमीला अहमद

(3) विक्रेता

(बह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वन्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हुं।

उक्त सम्पत्ति के अर्थन के संबंध में कोई भी आक्षेप :----

- (कं) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीच से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त , व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीब से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकोंगे।

स्पष्टीकरणः----इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, बही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

सम्पत्नी

जनता सहकारी गृह निर्माण गमिति लि० को हाउसिंग स्कीम में प्लाट नं० 4 पैमाइसी 2041 वर्ग फीट स्थित कीरबल साहनी रोड़, लखनऊ जिसका पंजीकरण रजिस्ट्रीकर्ता अधिकरी लखनऊ के कार्यालय में दिनांक 15-6-1984 को निग्या जा चुका है।

ए० प्रसाद सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन क्षेत्र, लखनऊ तारीख: 11--2--,1985 मोद्दर ३ प्ररूप बाइ . टी. एन. एस. ------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) को धारा 269-घ (1) के अधीन स्चना

बारल बरकार

कार्यांलय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेज, लखनऊ

लखनऊ, दिनाद: 13 फरवरी। 1985

निर्देश स० जी० आई० आर०२, ख्या एम०-209 एक्यु०---अत मुझे ए० प्रसाद अ

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसक पञ्चाल 'उबत अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन मक्षम प्राधिकारी को यह विख्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25 000⁷- रठ से अधिक है

और जिनकी सख्या निर्मित मकान मय भूमि है तथा जो मसेहल्ला कुवरपुर बरेली मे स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची मे और पूर्णरूप से वर्णित है), रजिस्ट्र कर्ता अधिवारी के कार्यानय, बरेली मे रजिस्ट्रीवरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधोन, दिनाक जून, 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मल्य से कम के दृश्यमान अतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुभ्ने यह विष्ठवास करने का कारण है कि यथापुर्जेक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मुल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से एंसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति-फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्त-विक रूप से कथित नहीं किया गया है:---

- (क) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत, उक्त आध-निषम के अधीन कर दोने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुनिधा के लिए: और/वा
- (ख) एँसी किसी आय सा किसी धन या अन्य आस्तियाँ दा, जिन्हें भारतीय ायकर अंभेनियम, 1920 (1922 FT 11) या उक्त अधिनियम, या धनव्यर अधिनियम, 1957 /1957 का 27 के प्रयोजनार्थ अतरिती द्वारा प्रकाट नहीं तिप्रा गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने से स्विधा के लिए;

हत जब, उक्त सधिनियम की धारा 269-ग के अनसरण में, मैं, उवत अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखिट्र व्यक्तिएगें, अर्थात :----

- (1) 1 श्री। अशोक्ष कुमार 🧓 2 श्र। अनिल कुमार
- (2) 1 श्री. महेश चन्द
 - 2 श्रामर्त सुर्मात सक्सेना
- (अन्तरिती)
- (3) वित्रेता

Y

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कायेवाहिया शुरू करता हु।

उक्त सपीत्त के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप ----

- (के) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सबधी व्यक्तियां पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो., के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा,
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तार्राक्ष सं 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्परित म हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सर्कगे।
- स्पष्टीकरण :--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित ह⁴, वही अर्थ होगा जो उक्त अध्याय में दिया गया है।

ग्रनुसूची

निमित मकान मय भूमि पैमाईर्स। 401 वर्ग-र्फट स्थित मोहल्ला कुवरपुर बरेला, जिनका पज कृरण स्रजिस्ट्राव्दर्ता अक्किंगरी, बरेली के व्ययालय में जून, 1984 का किय जा चुन है।) जैसा फार्म 37-ज सख्या 4630 में वर्णित है)

(ए० प्रनाद) मक्षम प्राधिवन्तर्ग सहायवन् जानवन्त्र आयुक्त (निर्रक्षण) (अर्जन क्षेत्र) , जनऊ तार्रख 13-2-1985 ' माहर ____

(अन्तरक)

सकद ब्राहु व ही व हुन व हुन ----

कायकार अभिनियम, 1961 (1961 का 43) कौं भारा 269-घ (1) के अभीन सुचना

सारत बडाकात

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेज, लखनऊ

लखनऊ, दिनाक 13 फरवरी 1985

निर्देश स० जो० आई० आग्० सख्यापी०-133/एक्यू०--अतः मझे, ए० प्रसाद

आथकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विख्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु से अधिक है

ग्रीर जिसकी सख्या रूपि भूमि न० 92 है तथा जो बस्तौली लखनऊ में स्थित है (ग्रोर इसस उपाबड अनुसूची में ग्रोर पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रेंकिर्ता अधिकारी के कार्यालय, लखनऊ में रजिस्ट्रेंकिरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनाक जून, 1984

का पूर्वाक्त सम्मलि के उचित याजार मुस्य से कम के स्वयमान प्रांतफल के लिए अन्तरित की गई है और मूभ यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वीक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मुस्य, उसके दश्यमान प्रतिफल से ऐसे दश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों और अंतरिती (अतरित्तियो) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्दश्य से उक्त अन्तरण लिखित में बास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है ----

- (क) अन्तरण ते हुई किसी आग की बाबत, उक्त ' अधिनियम को बुधीम कर वाने के अन्तरक के पावित्व में की के रवे वा उसके बचने के तुरिएका के लिए; और/या
- (७) ऐसी किसी अगय या किसी भन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अभिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अभिनियम, ऱ्या धन-कर अभिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया भा या किया जाना चाहिए था, छिपाने में द्वविभा को जिए;

अत अब, उन्नस अभिनियम की धारा 269-ग के अनुसेरण में, मैं, उक्स अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नुसिखित व्यक्तियाँ () अधात क्ष--- (1) श्री इन्द्रा प्रजकाण गुप्ता

(2) श्री प्रेम चन्द अग्रवाल

(अन्तरितो) (3) केना (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

को यह सुचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्थन के सिंध् कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्वन को सम्बन्ध में कोई भी झाकोप :----

- (क) इस सुचना के रावपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवभि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सुचना की ताभील से 30 दिन की अवभि, को भी जबधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त एकिताया गाणी के नाट्या करा ट्रागरा;
- (ब) इस मुंबना के राजपन में प्रत्नाशन की सार्राध को 45 बिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बंद्ध किसी अन्य क्यक्ति द्वारा, अधोहस्साक्षरी के पास लिखित में किए जा सकोंगे।
- स्पंकटौकरणः :----इसमें प्रयुक्त ख़ब्धें और पदाें का जो उक्त अधिनियम को अभ्याय 20-कं में परि-भाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अभ्याय में दिया गया है।

মন্ধ্ৰা

्रकुषि-भुमि नं० 92, पैमाईसी 17 बिस्बा स्थित बस्तौली लखनऊ जिसका पंजीकरण रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी लखनऊ के कार्यालय में जून, 1984 को किया जा चुका (जैसा फार्म 37-जी संक्या 7584 में वर्णित है)।

> ए० प्रसाद्ष सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन क्षेत्र, लखनऊ

नारीख: 13--2--1985 मो्**हर**ध

भाग III--रखण्ड i

प्रस्प वाई<u>.टी.एन.एस.</u> -------

वायकर वधिनियम, 1961 (1961 का 43) कौ भारा 269-म (1) के वभौग सुचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक भायकार भायुक्त (निहाक्षिण)

अर्जंन रेंज, लखनऊ

लखनऊ, दिनांक 11 फरवरी 85

निर्देग सं० जी० आई० आर० संख्या पी०--134/एक्यू०----अत: मुझे, ए० प्रसाद,

वायकर भौभनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इक्सो इसके परभात 'उक्त अभिनियम' कहा गया है), की भारा 269-ख के अभीन सक्षम प्राधिकारों को यह विक्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका औपत बाजार मुख्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

ग्रौर जिमकी संख्या आराजी है तथा जो 16, राना प्रताप मार्ग, लखनऊ में स्थित है (ग्रौर इससे उपाबद्ध अनुसूची में ग्रौर पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय लखनऊ में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, द्वरनाक जून, 1984

को पूर्वोक्स सम्पत्ति के उचित बार्षार मूल्य से कम के दश्यकान प्रतिफल के लिए अस्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित वाजार मूल्य उसके दश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और भंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए हय पाया गया प्रतिफल, निभ्नेलिखित उद्देरेय से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया थवा है के कि

- (क) वस्तरन डे हुई किडी वाव को वावत, उस्त वभिनियम के अभीत कर दोने के अन्तरक को वायित्थ में कमी कारने मा उससे वचने में, सुविभा के लिए; बरि/मा
- (व) एवी किसी बाब या किसी धन या बन्य बास्तिक, को चिन्हें भारतीय आयक, मधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्स बधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ जस्तरिती ब्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, खिवाने में संविधा के बिए;

वतः अब, उक्त अभिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उफ्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, जर्थात् :---

- (1) श्रीमती प्रमिला श्रीवास्तव
 2 कुमारी अनुराधा भौधरी
 - (अन्तरक)

(अन्तरिती)

(2) श्री प्रेम किशोर

(3) केता

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

को यह सुभना जारी करको पुर्वांकत सम्परित को अर्थन् को लिए कार्य-वाहिमां करता हूनं ।

उक्त संपरित के कर्जन के संबंध में कोई भी काक्षेय:--

- (क) इस सूचना को राजपत्र में प्रकाशन की सारीख से 45 दिन की अवधि ग तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की सामील से 30 दिन की जवधि, जो भी अवधि बाद यें समाप्त होती हो, जे भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (क) इस सुचना के राजपत्र में प्रकाशन का ताराज स 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी मन्य व्यक्ति द्वारा अभोह्स्ताक्षरी के पास लिखित 'में किए जा सकरेंगे।
- स्पद्धीकरणः--इसमें प्रयुक्त कन्दों और पदों का, जो उक्त अभिनियम, के जभ्याय 20-क में परिभोषित हूँ, बही अर्थ होगा जो उस अभ्याय में दिया नवा हूँ।

मन्त्यो

आराजी स्थित 16, राना प्रसाप मार्ग, लखनऊ, पैमाईसी 980 वर्ग-फीट (जैसा फार्म 37--र्जी संख्या 7907 में वर्णित है) जिसका पंजीकरण रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी लखनऊ के कार्यालय में जून, 1984 को किया जा खुका है।

> ए० प्रसाद, सक्षम प्राधिकारी सद्वायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन क्षेत्र, लखनऊ

तारी**व :**, 11-2-1985 मोहर : भोग III----खण्ड 1]

(अन्तरक)

प्रस्य मोइ.टी.एन<u>.एस.</u> ------

भायकड ग्रीभगिवंग, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269-घ (1) के नधीन सुचना

माउत संडकाड

कार्मीलय, सहायकं आर्थनर आयुन्त (निरीक्षण)

अर्जन रेज, लखनऊ

लखनऊ, दिनांक 11 फरवरी 85

निर्देश सं० जी० आई० आर० संख्या पी०–135/ एक्यू०––अत: मुझे, ए० प्रसाद,

- गायकर अधिनियम, .1961 (1961 का 43) (जिसें इसमें इसके परभात 'उक्त अभिनियम' कहा गया हूँ), की भारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विक्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्परित, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है
- भौर जिसकी सखया प्लाट न० 16 का हिस्सा है तथा जो राना प्रताप मार्ग, लखनऊ में स्थित है (भौर इससे उपोषद अनुसूची में भौर पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, लखनऊ में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनाक जून, 1984

को पूर्वोकत संपरित के उचित बाजार मूल्य से कम के रूप्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास मुझे यह विश्वास करने का कारण यथा पूर्वोक्त संपरित का उचित बाजार मूल्य, उसके रूप्यमान प्रतिफल से, एरेसे रूप्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिज्ञत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियाँ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्वेरेय से उक्त अन्तरण लिखत में वास्तयिक रूप से कथित नहर्. किया गया है:----

- (क) जन्सरण से हुई किसी जाय की बाबत, से क्य अधिनियम के अधीन कर दोने के जन्सरक के बायित्व में कमी करने वा उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या
- (श) एसी किसी गाय या किसी भन या जेम्य आस्तियों को, जिन्हु¹ भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 की 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 को 27) के प्रयोबनार्थ अन्दरिती धुषारा प्रकट नहीं किया बदा था वा किया पाना पाहिए पा कियाने के सुविभा के लिए;

बतः रुव, उक्त अभिनियम को वारा 269-न के अनुवरक हो, मों, जक्त अभिनियम की धारा 269-न की उपभाड़ा (१) हे अधीन, निम्नलिचित व्यक्तियों, अर्थात् क्ष---- (1) श्री चैतन्य दासं।

(2) श्री प्रेम किशोर ।

(अन्तरिती)

(3) केता। (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

वी वह सुचना भारी करते पूर्वों कर डम्परित के वर्षन के सिए कार्यवाडियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति को अर्जन को सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :----

- (क) इस स्पना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीच से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर स्पना की दामील से 30 दिन की अवधि, पांशी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के सीलर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति खुवारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशित की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिस-बद्भ किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अथोहस्ताक्षरी को शास निवित्त में किए जा सर्कोंगे ।
- स्पख्टीकरणः इसमें प्रयुक्त शब्दों और पर्वों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अभ्याय में दिया गया है।

नन्स् भी

प्लाप्ट नं० 16 का हिस्सा, पैमाईसी 1100 वर्ग-फीट स्थित राता प्रताप मार्ग लखनऊ (जैसा फार्म 37-जी संख्या 7908 में बर्णित है) जिसका पजीकरण रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी अधिकारी, लखनऊ के कार्यालय मे जून, 1984 को किया जा चुका है।

> ए० प्रसाद सक्षम प्रााधकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन क्षेत्र, लखनऊ

तारीखा: 11−2--1984 मोहर ⊔

्प्रकण आह^{*}, ट<u>ी</u>, एन, एस<u>।</u> ------

कोयकर अभिनियम, 1961 (1961 का 43) की थारा 269-म (1) को अभीन सुमना

भारत खुरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेज, लखनऊ

लखनऊ, दिनाक 11 फरवरी 85

निर्वेश सं० जी० आई० जार० सख्या आर०-237 अत, मुझे, ए० प्रसाद भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसं इसमें इसके परभात 'उक्त अधिनियम' कहा गया हो), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह बिख्वास करने का कारण हो कि स्वावर झम्परित, जिसका उचित नाधार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक ही

ग्नौर जिनकी म० दो मंजिला बिहिंग्रग है तथा जो 4/8 पार्क लेन नरही, लखनऊ में स्थित है (श्रौर इससे उपाबद्ध अनुसूची मे ग्रौर पूर्णरूप से बर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, लखनऊ में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनाक जून, 1984

को पूर्वीक्क सम्परित को उचित गावार मूल्य से कम के ध्वयमान प्रतिफल को लिए अंतरित की गई हैं और मुफे यह ीविक्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित गावार भूल्य, उसके दश्यमान प्रतिफल से, एसे दश्यमान प्रतिफल का भन्द्र प्रतियात से मधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण को लिए तय पाया गया धतिफल, निम्नलिधित उद्ददेय से उक्त अन्तरण जिबित में धारशविक रूप से कथित नहीं किया गया है क्षे---

- (क) अन्तरण से हुइ किसी जाब की बाबत, उक्त वॉथिनियुत के वधीन कड़ा दोने के जुन्तरक के दाग्रिस्व में कमी करने या उससे बचते में सुथिभा के लिए; बीड्/या
- (ख) एरेसी किसी आय या किसी थन गा जन्य आस्तिया को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना बाहिए था, छिपाने नें सुविभा खें लिए;

क्स: वय, उक्त वीधनियम की धारा 269-ग के अनुमरण बें, मैं उक्त वीधनियम की धारा 269-व की उपधारा (1) को प्रधीन निम्न्लीचीबत व्यक्तियों, वर्षांत ४---- (1) ले० कर्न० आप० के० चावला ।

- (अन्तरक)
- (2) 1. श्री राकेश शर्मा 2. श्री हृदयेश शर्मा

(अन्तरिती)

- (3) चिक्रेता।
 - (वह व्यक्ति, जिसके अभिभोग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना आरी करके पर्वोक्त संपरित के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूू।

उकरा सम्परित के जर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप----

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीक्ष से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पण सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हा, के भीतर पूवावल व्यदितय: में से किसी व्यधित द्वारा,
- (श) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख सं 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी कें पास लिसित मा किए जा सक्ता ।

वनुसूची

दो मजिला बिल्डिंग मय भुमि पैमाईमी 3645 वर्गफ़,ट स्थित 4/8, पार्क लेन, नरही, लखनऊ (जैसा फार्म 37-जी सख्या 6747 में वर्णित है) जिसका पर्जाकरण रजिस्ट्राकर्ता अधिकारी, लखनऊ क बार्यालय में जून, 1984 को किया जा चुका है।

> ए० प्रसाद सक्षम प्राधिकारी निरीक्षी सहायक आयकर आयुक्त (अर्जन क्षेत्र) लखनऊ

तारीख: 11−2−1985 मोहर ध भाग III---खण्ड 1]

प्ररूप आर्ड.टी.एन एस.----≁-

प्रायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-म (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेज, लखनऊ

लखनऊ, दिनांक 13 फरवरी 1985

निर्देण म० जी० आई० आर० सख्या आर०–238/ एक्यू०––अन मुझे, ए० प्रसाद,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमे एसके परुचान् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), को धारा 269-स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका ''जित बाजार मृल्य 25,000/- र पे जीनक नै

श्रीर जिनकी सख्या मलना है तथा जो 84 ए०, सिविल लाईन, बरेली मे स्थित है (ग्रीर इसमे उपाग्रद्ध अनुसूची में - ग्रीर पूर्णस्प से बॉणन है), रजिस्ट्रीवर्ता अधिकारी के वार्यालय, वरेली म रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनाफ जन, 1984

का पर्वाक्रय रग्यांच के रचित बाजार मल्य से कम के **इश्यमान** प्रतिफल के लिए अतरित की गई है और मुफ्ते यह विश्वास करन का कारण है कि यथापूर्वाक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मुल्य, उसके इक्यमान प्रतिफल से एरेये इक्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (उन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया, प्रतिफल, निम्नलिसित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिसित में वास्तविक रूप से कथित नहीं कया गया है "---

- (क) अन्तरण से ट्रर्ड किसी आप की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर दने के अग्तरक के दायित्व में कमी करको या उससे बचने में सुविधा दायित्व के लिए, और/या
- (ख) ए`सी किमी आय या किसी भन या अन्य आस्तियों को जिन्हों भारतीय आयरु-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, रा धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती ब्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में मुविभा के लिए,

अत अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण मे, मैं उक्त आँधनियम की धारा 269-व की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :---- (1) श्रीमर्ता ई० चौकिन । (अन्तरक)

(2) श्री र्राम प्रसाद।

(अन्तरिती) (3) विक्रेना । (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग मे सम्पत्ति है)

को यह सूचना आरी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहिया करता हु।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :----

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वीक्ती व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा,
- (ख) इस सुचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।
- स्पष्टीकरणः—--इसमें प्रयुक्त शब्दो और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, बही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मकान मय भूमि पैमाईसी 1020 वर्ग-यार्ड, स्थित 84ए०, सिविल लाईन बरेली (जैसा फार्म 37–जी संख्या 4625 में वर्णित है) जिसका पजीकरण रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी अरेली के कार्यालय में जून, 1984 को किया जा चुका है।

^ए० प्रसाद सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन क्षेस्न, लखनऊ तारीख 13-2-1984 मोद्दर ३

भाग III---खण्ड 1

प्रकर्प नाई. टी. एन. एस. - - -

गायकर अभिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-भ (1) के अभीन सुचना

सारत तरकार

- कार्यालय, सहायक वायकर वायुक्त (जिरीक्षण)

अर्जन रेंज, लखनऊ

लखनऊ, दिनांक 13 फरवरी 85

निर्देश सं० जी० आई० आर० संख्या आर०-239/ एक्यू०---अत:, मुझे, ए० प्रसाद,

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पक्षात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया ही), की धारा 2'69-रू के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण ही कि स्थानर सम्पत्ति, विसका उचित वाजार मुख्य 25.000/- रु से अधिक ही

भौर जिसकी संख्या रूषि भूमि नं० 92 है तथा जो बस्तौली, लखनऊ में स्थित है (भ्रौर इससे उपाबद्ध अनुसूची में भौर पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता श्रधिकारी के कार्यालय लखनऊ में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनाक जून, 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के इत्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपरित का उचित बाजार म्ल्य, उसके इत्यमान प्रतिफल से, एसे इत्यसान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और वंतरक (वंतरकों) और वंतरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति-कल निम्नसिक्षित उद्दे देय से उक्त अन्तरण में लिचित वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :---

- (क) सम्बद्धम से हुद्द जिस्ती थाय की बायत उच्छ वीर्थांगयन भी वभीन कर दोने के थन्तरक भी दायित्य में कमी करने वा उत्तस वथने में सुविधा के लिए; बीए/या
- (स) एरेसी किसी माय या किसी भन मा बन्ध वास्तियाँ को, फिन्हुंभारतीय जाय-कर अभिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अभिनियम, या भन-कर अभिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयाजनाथ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहां ²⁷ तथा भटा था था किया जाना चाहिए था, कियाने में सुदि्धा के लिएए;

ततः अब, उकत अधिनियम की धारा 269-ग के वनुसरण में, में. उक्त अधिनियम की धारा 260-भ की उपभारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् ध---- (1) श्री इन्द्र प्रकाम गुप्ता।

(अन्तरक)

- (2) श्री राम निवास अग्रवाल। (अन्तरिती)
- (3) केता।
 - (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

को यह सूंचना जारी करके पुर्वोक्स सक्परित के अर्जन के लिए कार्यवाहिया करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के वर्जन के सम्बन्ध में कोई जाक्षेप :---

- (क) इस सूचना को राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की सामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्स व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा:
- (क) इक तुकता के राजपत्र में प्रकाशन की तारीव वे 45 बिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी वन्ध व्यक्ति द्वारा अभोहस्ताक्षरी के पास सिचित में फिए था सकोंगे)
- स्पच्छीकरणः इसमें प्रयुक्त धव्यों और पर्वों का, जो उसक अधिनियम के अभ्याय 20-क में परिभाषित है, बही अर्थ होगा खो उस अभ्याय में दिय। ववा डै।

जन्मु जी

कृषि-भूमि नं० 92 पैमाईसी 8 बिस्बा 10 बिस्वान्सी स्थित, बस्तौली लखनऊ (जैसा फार्म 37-जी सख्या 7586 में वर्णित है) जिसका पंजीकरण रजि़्स्ट्रीकर्सा अधिकारी लखनऊ के कार्यालय में जून, 1984 को किया जा चुका है।

ए० प्रसाद सक्षम् प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन क्षेत्र, लखनऊ नारोख : 13-2-1984 मोईर्द ⊔ भाग III----खण्ड 1

प्ररूप आर्डू.<u>टी.एन.एस.</u>------

नायकर अ1ि्भनियम, 1961 (1961 का 43) कौ धारू 269-म (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, लखनऊ।

लखनऊ, दिनांक 13 फरवरी 85

निर्देश हं० जी० आई० आर० संख्या आर०−240/ एक्यू०⊶-अत:, मुझे, ए० प्रसाद,

- वायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पक्षात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धार 269-च के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विषयास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित वाजार मुख्य 25,000/- रउ. से अधिक ह
- प्रौर जिसकी सं० भूमि है तथा जो 'बिहारीपुर, बरेली में स्थित है (ग्रौर इससे उपाबद अनुसूची मे प्रौर पूर्णरूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, बरेली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, विनांक जून, 1984

को पर्वोक्त संपरित के उचित बाजार मुल्य से कम के दश्यमान लिए **अन्त**रित की गड प्रतिफल कै और विश्वास करने का ₹ म्भौ यह कारण কি संसापुर्वों कर सम्पद्धि का उचित वाजार मुख्य, का कारण है कि उसके दर्यमान प्रतिफंल से, एसे दर्यमान प्रतिफल का पंदह प्रतिचत से अभिक है और वन्तरक (वन्तरकों) वौर अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच इन्से जन्तरण के लिए तथ पाया गया प्रतिपन्न, निजनसिवित उद्योग्य से उक्त अम्तरण सिविली में वास्तरियक रूप से कथित महीं किया गया है ह----

- '(क) अन्तरण में हुई किसी आय की वायत, उक्त जधिनियम जो अधीन कर देने के अन्तरक को धार्मियद में कभी करने या उससे वचने में सुविधा के लिए; और/या
- (श) एसी किसी आय या किसी धन या बन्य आस्तियों का जिन्हों भारहीय आलकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम 1057 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ जन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुनिधा के निए:

अतः व्यम, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ के अनसरण बै, बैं, उक्त अधिनियम को धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन. निस्तलिखित व्यक्तियों, अर्थात् к— 8—486 GI/84

- (1) 1. श्री राम बहादुर 2. श्री प्रेम बाघ्
 - 3. श्रीमती रामकली
 - 4. मास्टर महेश (नाबा०),
 - द्वारा माता, श्रीमती राम कली 5. श्री छोटे।

(अन्तरक)

(2) श्री राम मौतार।

(अन्तरिती)

(3) विकेता। (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए। कार्यवाहियां करता हूां।'

उक्त सम्परित के अर्जन के संबंध में काइ भी आक्षंप ह—

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तार्री क्ष 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाय में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (थ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीब से 45 विन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबष्ध किसी जन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकोंगे।
- स्पख्डीकरणः——इसमें प्रयुक्त सख्यों और पदों का., जो उक्त अधिनियम के अभ्याय 20-क में पुरिभाषित है, वही अर्थ हुगेगा, जो उस अध्याय में दिया गया हौ।

मनुसूची

आराजी पैमाईसी 700 वर्ग--गज स्थित बिहारीपुर, बरेली (जैसा फार्म 37--जी संख्या 4728 में र्वाणत है) जिसका पंजीकरण रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, बरेली के कार्यालय में जून, 1984 को किया जा चुका है।

ए० प्रसाद सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर श्रायुक्त (निरीक्षण) अर्जन क्षेन्न, लखनऊ तारीख : 13−2−1985 मोहर ⊥ अरूप् जाई<u>.</u> टी. एन. एव.......

भायकर अभिनियम, 1961 (1961 का 43) कौ भारा 269-म (1) के वयौन स्वना

मारत सुरुकार

कार्यास्य, सहायक मायकर वायुक्त (निद्रीक्ष)

अर्जन रेंज, लखनऊ

लखनऊ, दिनांक 11 फरवरी 85

निर्देश सं० जी० आई० आर० संख्या एम०-354 एक्यू०---अतः मुझें, ए० प्रसाद

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पक्ष्मास् 'उक्त मधिषियम' कहा गया है), की भारा 269-च के बधीन, सक्षम प्राधिकारी को, यह विख्वास करने का कारण ही कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उणित बाबार मुस्व 25,000/- रत. से अभिक ह

भौर जिसकी संख्या बिल्डिंग नं० 295/29 है तथा जो अहाता सागी बेग, लखनऊ में स्थिन हैं (ग्रौर इससे उपाबद अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, लखनऊ में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक जून, 1984

को पूर्वोक्त सम्परित के उणित बाजार मुल्य से कम के इश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे बहु विष्यास करनेका कारण है कि यथापूर्व्योंक्त संपरित का उचित साथार मूल्य, उसके अध्यमान प्रतिफल से, ऐसे पर्यगान प्रतिफल का पंद्रह प्रसिन्नत से अधिक हैं और अन्तरक (अन्तरकों) और जन्तरिसी (बन्तरितिया) के बीच एसे बन्तरण के झिए तय पाया प्रवा इतिफल, निम्नसिचित उबुवरेय से उक्त जुम्हरण किचित में बास्तजिक रूप से कथित नहीं किया गया है।----

- (w) কল**াদে বা রুহা মি**ধী দায**় কাঁবাৰল ভাল** शभिषियत की समीम कर दोने के सलस्पक जी श्वीयत्व में कमी करने वास्त्र से स्वीवधा के गिए; बहि/बा
- (ख) ए सी फिसी आय या किसी भन या अन्य आस्तियाँ को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 को 11) या उक्त जीभीगयम, का अन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्यारा प्रकट नहीं किंग गया था या किया जाना पाहिए था छिपाने में सविधा के लिए;

कतः अब, उक्त वभिनियम की भारा 269-ग के वनुसरण मैं, मैं उक्त अधिनियम को धारा 269-थ की उपधारा (1) छे बधीन, जिल्लीसित मॉन्तर्यों, मर्गव् १----

(1) श्री मो० अजीम खान

(2) 1. सिराज अहमद 2. फजल अहमद 3. कमर अहमद

(3) क्रेता

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

को यह सुचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति ये अर्जन के सिए कार्यवाहियां भुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्चन के सम्बन्ध में कोई भी माओप ह---

- (क) इस सुचन) के राजपत्र में प्रकाशन की सार्टीय वे 45 दिन की अवभि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियाँ पर सुपमा की तामील से 30 दिन की अवधि, आ भी अवधि बाथ में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वों कत व्यक्सियों में से किसी व्यक्ति दुवारा;
- (व) इस सुचनाके राजपत में प्रकाशन की तारीच से 45 फिन के भौतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवदुध किसी अन्य व्यक्ति धुवारा अभोहस्ताक्षरी के पास लिश्वित में किए जा सकेंगे।
- स्पष्टीकरणः —–इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, दही अर्थ होगा जो उस अध्याय में विया गया है ।

मनुसूची

वो मंजिला बिर्लिडग नं० 296/29, पैमाईसी 1497 5 वर्ग-फीट स्थित अहाता सागो बेग लखनऊ (जैसा फार्म 37-जी संख्या 7376 में वर्णित है) जिसका पंजीकरण रजिस्ट्रीकर्ता ग्रधिकारी लखनऊ के कार्यालय में जून, 1984 को किया जा चुका है।

ए० प्रसाथ सक्षम प्राधिकारी निरीक्षी सहायक आयकर आयुक्त अर्जन क्षेत्र, लखनऊ तारीख : 11-2-1985

मोहर :

(अन्तरक)

(अन्तरिती)

3. केला

(ग्रन्तरक)

्प्ररूप आर्ड्र.टी एन.एस. ------

आयकार अधिसियस, 1961 (1961 का 43) कों भारा 269-भ (1) के संधीन सुचया

भारत सर्यमह

कार्यालय,, सहायक बायकर आयुक्त (निरीक्षण)

मर्जन रेंज लखनऊ

लखनऊ दिनांक 13 फरवरी 1985

निदेश सं० ए स-356/एक्यू ०/ए० प्रसाद

वायकर वधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पहचात् 'उक्त अधिनियम' कहा गरा हो), की धारा 269-च के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विषवास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिराका उमित वाजार मुल्व 25,000/- रह. से वधिक है

प्रीर जिसकी सं० कृषि भूमि. नं० 92 में स्थित है (और इससे उपाबद मनुसूर्धा में और जो पूर्ण रूप से वणित है) रजिस्ट्रीकर्ता मधिकारी के कार्यालय-लखनऊ में 'रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक जून 1984

को पूर्वोक्त सम्पति के उचित वाजार मूल्य से कक के व्ययमान प्रतिफल के लिए अन्सरित की गई है और मूझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित वाजार भूल्य, इसके व्ययमान प्रतिफल से, एरेसे व्ययमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और वंतरक (अंतरकों) और अंतरिती रिती (जंतरितियों) के बीच एरेसे जंसरण के लिए तय पाया बचा प्रतिफल निज्नसिक्ति उच्चो्य से सक्त अंतरण सिचित वो वास्तीयक रूप डे कथित नहीं किया थना है:---

- ((क) बंग्रहरू से हुई किसी मात की बाबत), उनक वरिपरियन के बचीन कर दोने में बंतरक में क्षवित्य में कमी करने या उससे वचने में तुबिभा जे लिए; जौर/या
- (व) एरेडी किसी अप या किसी भन था जन्म आस्टिमों को, जिन्हें भारतीय सायकार अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, 1922 धनकार अभिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अंद्वरिती द्वारा प्रकट नहीं किमा गया था या किया जाना वाहिए था छिपाने में सुविधा को बिए;

श्री इन्द्र प्रकाश गुप्ता

2. श्री सन्तोष कुमार

' (अन्तरितो')

(वह व्यक्ति जिसके प्रधिभोग में सम्पत्ति है)

को यह कुचना जारी करके पूर्वोंक्त सम्पत्ति के अजैन के जिए कार्वव्यक्रियों करता हूं।

बन्द संपरित के बर्जन के सम्बन्ध में कोई भी बाक्षेप:----

- (क) इस बूचना के रावपत्र में प्रकाशन की तारीय सं 45 दिन की अवीध या तत्सम्बन्धी व्यायतयाँ कर सुचना की तामील से 30 दिन की अवीध, जो मी अवीध बाद में समाप्त होती हो, के शीलर पूर्वोक्स व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति बुबारा,
- (ख) इस सूचना के राजपत्र से अकाशन की तारीच क्षे 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बहुध किसी अन्य स्थलित दुवारा अधोहरताक्षरी के पात लिचित में किए जा सकोंगे।

स्पण्डीकरणः — इसमें प्रयुक्त शब्दों और पर्चो का, जो उक्त - अप्रिंगियम के अभ्याय 20-क में परिभाषित है, वहीं अर्थ होगा को उस अध्याय में दिया नथा है।

बन्दू भी

क्वार्ष्, भूमि नं० 92 पैमाईसो 8 विस्वा 10 बिस्वान्सी स्थित बस्तौली लखनऊ (जैसा फार्म 37 जी संख्या 7587 में वॉणत है) जिसका पंजीकरण रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी लखनऊ के कार्यालय में दिनाक जून 1984 को किया जा चुका है

> ए० प्रसाद सक्षम प्राधिकारी सहायक भायकर म्रायुक्त (निरीक्षण) म्राजनररोज लखनऊ

वतः ववं, उक्त वधिनियम की धारी 269-गं के वन्सरण में, में, उक्त वधिनियमं की धारा 269-ण की उपधारा (1) बुब्धीय, निम्नविसित व्यक्तिवों, वर्षीद ८----

दिनांक 13-2-1985 मोहर :

(ग्रन्सरक)

्यक्ष बाहुँ, डी., एव., एव. ====

श्रायकर नभिनियम, 1961 (1961 का 43) को थाया 269-म (1) के अभीन ब्रम्मा

HISS ASSAN

काया लय, सहायक आयकर आयुक्स (निरीक्षण

ग्रर्जन रेंज; पूना

पूना, दिनांक 13 जनवरी, 1985

निदेश सं०ेजो० आई० आर० सं०एस०--357/एक्यू-84-85 -----यतः मन्ने ए० प्रसाद

वायकर लिभिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पक्षात् 'उक्त अभिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अभीन सक्षम प्राधिकारी को यह विक्कास करने का कारण है कि स्थावर सम्परित, जिसका उजित नाजार मूल्य 25,000/- रु. से अभिक है

भोर जिसकी सं० छूषि भूमि नं० 92 बस्तौली, लखनऊ में स्थित है (भौर हससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप मे वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी के कार्यालय लखनऊ मे रजिस्ट्रीकरण भ्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक जून, 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित वाबार मून्य से कम के क्षयमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुफे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वांक्त संपत्ति का उचित वाजार मूल्य उसके इत्यमान प्रतिफल से, एसे इत्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुफे यह विश्वास करने (अन्तरितियो) को बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देशेय से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है है—

- (क) जन्तहण के हुइ कि जी जाव की वांबर्स उल्ल अभिनियम के अभीन कर दोने के बलाएक के कायित्व में क्रमी करने या उसने वचने के द्वीिषा के लिए; बीर/या
- (व) एसी किसी गांध या किसी धन वा अग्य कारितयों को, जिन्हें भारतीय आयकर अभिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अभिनियम, या भन-कर अभिनियम, 1957 (1957 का 27) के बेबोजवार्ग जुन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया द्वा या या किया जाना पाहिए था, जिनाने के बुद्धिा में विद्य;

् अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपभारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् धू--- 1. श्री इस्द्र प्रकाश गुप्ता

2. श्री शैलेन्द्र कुमार

केता

(अन्तरिती).

(वह व्यक्ति जिसके प्रधिभोग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वों करा सम्परित के अर्जन के लिए. कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उन्द इम्प्रित के बर्धन के सम्बन्ध में कोई भी जासने :---

- (क) इस स्पना के राजपत्र को प्रकाशन की तारीज से 45 दिन की अवधि या तत्सम्यन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिबित में किए जा सकोंगे।
- स्थाख्टीकरण :— इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त मधिनियम के अभ्याय *20-क में परिभाषित है, वहीं अर्थ होगा जो उस अभ्याय में दिया गया है।

अनुसूची

क्वुषि भूमि नं 92 पैमाईशो 8 बिस्वा 10 विस्वा स्थित बस्तौसी लखनऊ (जैसाफार्म 37-जी संख्या 7585 में वर्णित है) जिसका पंजीकरण रजिस्ट्रीकर्ता ग्राधकारी सखनऊ के कार्यालय में जून 1984 को किया जा खुका है।

> एँ० प्रसोध सक्षम प्राधिकारी सहामक द्यायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण) मर्जन रेंज,लखनऊ।

विनॉक: 13 फरबरी 1985 मोहर : प्ररूप बाइ.टी. एन. इब.......

जायकर अभिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-घ (1) को अभीन सूलना

भारत सरकाड

कार्यालय, सहायक आयक हे बावुक्त (नि<u>र</u>ीक्षण) **प्र**जन रेंज लखमऊ

सखनऊ दिनांक 13 फरवरी 1985

निवेश सं०जी० आई० आर० सं० एस-358/एक्यू०----मतः मुझे ए० प्रमाद

गायकर अधितियम, 1961 (1961 को 43) (जिसे इसमें इसके परवात् 'उक्स अधिनियम' कहा गया है), की धारा 26'9-ख के जधीन सक्षत्र प्राधिकारी को यह विक्वास करने क कारण है कि स्थावर सम्पति, जिसकी उचित बाजार मुख्य 25,0'00/- रः स अगिक है

श्रीर जिसकी सं० निमित सम्पत्ति मय भूमि है जो श्यामगज बरेली में स्थित है (श्रीर इससे उपाबद अनुसूचीमें और जो पूर्ण रूप से वणित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय बरेली में रजिस्ट्रीकरण ग्राधिनियम 1908 (1908 का 16) के ग्राधीन दिनांक जून 1984

को पूर्वोक्स सम्परित के उचित बाजार मूल्य से कम के प्रथमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मूफे यह विष्यास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पति का उचित वाजार मूल्य, उसके ब्ल्यमान प्रतिफल स एसे दश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (बन्दरितियों) के बीच एसे बन्तरण के लिए त्य पाया गुंधा प्रतिफल, निम्नजिखित उद्येश्य से उक्त बन्तरण दिियिद मे वास्तरिक रूप से कायत नहीं किया गया है क्ष्य-

- (क) अंतरण से हुइर किसी आप की नागत,, उक्त कॉफ़-नियम के अधीन कर दोने के अंतरक के दायित्व में कमी करने या उससे अजने में सुविधा के लिए;) और/या
- (ख) एरेसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारदीय जायकर अधिनियम, 1922 (1922 को 11) या उक्क अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 को 27) के प्रयोजनार्थ अंतरिती ख्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना खाहिए था, छिपाने में सुविधा जी डिप्र

वता अव, उक्त वीधनियम की धारा 269-ग के वनुतरण -वी, मी, उक्त अधिनियम की धारा 269-व की उपधारा (1) वी अधीन, निम्नसिषित व्यक्तियवों, जयति क्रान्न (1) श्री प्रकाश चम्द
 (2) मास्टर गौरव चन्द (नाबा०) (ढारा करता परिवार)
 (म्रग्तरक)
 श्रीमती सरस्वत देवी ध्रग्रवाल
 आम्तरिती)
 विक्रेता

(व्यक्ति जिसके ग्राधिभोग में सम्पत्ति है)

को यह सुचना जा<u>री कर</u>को पूर्वोक्त सम्पत्ति के वर्धन को लिए। कार्यकरहियां करता हूँ।

उक्त सम्परित के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी जाकोप :---

- (क) इस सुचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीच से 45 दिन की अवधि या तरसम्बन्धी व्यक्तियों प<u>र</u> सुचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त हीती हो, के भीतर पूर्वोंक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ब) इस सूचना के राजपण में प्रकाशन की तारीच से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी जन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास सिचित में किए वा सुकोंगे।
- स्पछ्यीकरणः---इसमें प्रयुक्त करूदों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिशावित ह⁴, बही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया ह⁸।,

अनुसूची

निर्मित सम्पत्ति मय भूमि पैमाईसी 305½ वर्गे गज स्थित स्यापगंज बरेली' (जैसाफार्म 37-जी संख्या 4889 में वर्णित है) जिसका पंजीकरण रजिस्ट्रीकर्ता ग्राधिकारी बरेली के कार्यालय में जून 1984 को किया जा चुका है।

> ए० प्रसाद सक्षम प्राधिकारी सहायक भायकर धायुक्त (निरीक्षण) धर्जन रेंज, खचनऊ

दिनांक 13 फरवरी 1985 मो**छ्**ड ध अरूप आर्थ्य टी 🕁 पूर्व 🦉 पूर्व 🖉 - - - - - - - - - - -

जायकर मधिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

দ্রারে বর্ত্তসম

कार्यालय, सहायक आयकर बायुक्त (निहाँभुज्)

मर्जन रेंज, लखनऊ

लंखनऊ, विनांक 11 फरवरी 1985

निदेश सं० जी० आई० आर० सं० यू-39/एक्यू०----

मुझे ए० प्रसाद

नायकर अभिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके परवात् 'उक्त अभिनिवम' कहा गया है), की धारा 269-के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारप है कि स्थावर संम्परील जिसका उजित बाजार बूंत्व 25,000/-रुपये से अधिक है

स्रोर जिसकी सं० प्रथम तलि है तथा जो 26/16 वजीर हसन रोड लखनऊ में स्थित है (ग्रोर इससे उपापत ग्रनुमूची में ग्रोर जो पूर्ण रूप से बणित है) रजिस्ट्रीकर्ता ग्राधकारी के कार्यालय लखनऊ में रजिस्ट्रीकरण ग्राधनियम, 1908 (1908 का 16 के ग्राधीन दिनाक 26-5-1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कव के इत्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुभ्छे यह विक्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफर्स से, एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्ध्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया प्रतिफल निम्नलिखित उब्दूदेश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से क2ियत नहीं किया गणा है :---

- (क) जन्तरण से हुई किसी वाय की बाबत उक्स मधि-रियम के अभीम कर दोने के जन्तरक के द्यारित्य में कमी करने या उससे बचने में सुविभा के लिए बौर/या
- (व) ऐसी किसी माय या किसी भन या मर्भ्य वस्तियों को, जिन्ह⁵ भारतीय जायकर जभिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अभिनियम, या भनकर अभिनियम, 1957 (1957 का 27) को प्रवोजनार्थ वन्तरिती ब्याय प्रकट नद्दी किमा गवा था या कियत जाना जाहिए था, जिमाने थें सविभा के सिए;

बत. क्य, उक्तु अधिनियम की भारा 269-ग के जनुसरण बै, बै, प्रक्त जभिनियम की भारा 269-ग की उप्भारा (1) को प्रथीश, निम्नसिषित क्यक्तिकों, जगति क्व---

- 1. श्रीमती प्रेमलता लाल
- (ग्रन्तरक)

(मन्तरिती)

2. श्रीमती ऊषा विद्यार्थी

3. म्रोनर

(व्यक्ति जिसके मधिभोग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना जाडी करके पूर्वांच्छ सम्पुरित को वृर्वन को विषु कार्यवाष्ट्रियां शुरू करता हुं।

उक्त सम्परित के अर्जन के संबंध में कोई भी आस्त्रेप छ----

- (क) इस स्वना के राजपण में प्रकाशन की सारीय से 45 दिन की श्वभि वा तत्सम्बन्धी व्यपित्यों पर स्वता की तामीज से 30 दिन की वयभि, का भी अवभि वाद जें समाप्त होती हो, को भीतर पूर्वों कत व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (व) इस सुचना के राजपूत्र में प्रकाशन की ताड़ीबा है 45 विन के भीतर उक्त स्थावर मर्म्नाता में हितसडूथ किसी अन्य स्थवित द्वारा अधोहस्ताकारी के पास लिमित में दिए जा गर्कोंगे। '
- स्पक्षटीकरणः इसमें प्रयुक्त लब्ध और पूर्वों का, जो उक्स वधिनियम, के शभ्याय 20-क में परिभाषित है, वहीं अर्थ होगा जो उस अभ्याय में दिया गया है।

मन्त्वी

प्रथम तल संय कवर्ड एरिया 1920 वर्ग फिट मय खुला छहण्जा ग्रीर भूमि तल पर मोटर गैरेज पैमाईणी 215 वर्ग फिट स्थित 26/16 बजीर हसन रोड लखनऊ जिसका पंजीकरण रजिस्ट्रीकर्ता ग्रधिकारी लखनऊ के कार्यालय में दिनांक 26-6-1984 को किया जा चुका है

> ए∙ प्रसाद सक्षम प्राधिकारी सहायक ग्रायकर भ्रायुक्त (निरीक्षण) ग्रर्जन,रज⁄ लखनऊ

विनांक 11-2-1985 मोहुर 🕽 . **हंकप्, बाइ**, ही. एन्<u>,</u> एस., -----

सायक<u>र</u> समिनियम, 1961 (1961 का 43) की भाष 269-घ (1) के अभीन सुघना

भारत सुरकाड

कीर्यालय, सह्ययक मायकर आयुक्त (निरीक्षण)

श्रजन रेंज लखनऊ

लखनऊ विनांक 11 फरवरी 1985

निदेश सं० जी० ग्राई ग्रार० सं० यू-40/एक्यू/— अत्तः मुझे ए० प्रसाद,

वायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पद्यात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-क के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विष्वास करने का कारण है कि प्रावर सम्पत्ति, जिसका उच्जित बाजार मूल्य 25,000/-रु. से अधिक है

भौर जिसकी सं० ग्राराजी नं० 18 है तथा जो नैहरू नगर कोभ्रापरेटिव हाउसिंग सोमायटी लि० लखनऊ में स्थित है (भीर इससे उपाबद ग्रनुसूची में भोर जो पूर्ण रूप से वर्णिस है, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय लखनऊ में रजिस्ट्रीकरण मधिनियम, 1908 (1908 का 16) के प्रधीन दिनांक 1984

को पूंबोंक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के इष्यमान प्रतिफल को लिए जन्तरित की गई है और मुभ्छे यह विष्यास करूले का कृारण है कि गथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके इष्यमान प्रतिफल से, एसे इष्यमान प्रतिफल का पल्कडू प्रतिचत से अधिक ही और अन्तरक (अन्तरकों) कोर बंत्रिती (जंतरितियाँ) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तथ पाया बया प्रतिफल निम्नलिखित उड्ड देश्य से उक्त जंतरण लिखित व बास्तुविक रूप से कथित नहीं किया गया है :----

- (क) मंतरण ते हुई किसी काय की वाबत, उक्त बधित्रियम के अभीत कर दोने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे वचने में सुदिशा के लिए, बॉट/या
- (स) एर्त्ती किर्मा साम या किसी भग पा सन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय जाय-कर अभिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्स अभिनियम, या धन-कर अभिनियम, 1957 (1957 का 27 को प्रयोजनार्थ अन्तरिती ध्वारा प्रकट नहीं किया गया थ या किया जाना पाहिए था, छिपाने में सणिया के सिए;

वतः अथ, उक्त वधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, में, अक्त अधिनियम की भारा 269-ण की उपधारा (t) डे प्रधीन, निस्तज्ञिणिन व्यक्तित्वाँ, वर्षात् हु--- मैसर्स एस० एन० मिश्रा

2 श्रीमती उमिला मिभल

(अन्तरिती)

(भन्तरक)

को यह सुचमा जारी करके पूर्वोक्त सम्परित के जर्जन के लिए कार्यवाहियां सुक कंरता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्थन के संबंध में कोई भी आक्षेप ह----

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की सारीच सं 45 दिन की जबभि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामीस से 30 दिन की अवधि, जो औ अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीसर यूर्बोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारु;
- (स) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारोंस से 45 विन क्रे भीतर उक्त स्थाबर सम्पत्ति में हिडयद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अभोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सर्कोंगे।

स्पष्टरीकरणः :---इसमे प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्क अधिनियम के अभ्याय 20-क में परिआधिष है, वहीं अर्थ होगा जो उस जभ्याम मुँदिदा गया है।

वापुसुर्थते

भाराजी नं० 19 पैमाईसी 5490 वर्ग फिट स्थित नेहरू नगर हाउसिंग कोभापरेटिव हाउसिंग सोसायटी लि॰ लबनऊ जिनका पंजोकरण रजिस्ट्रोकर्ता भ्रधिकारी लखनऊ के कार्यालय में जून 1984 को किया जा चुका है।

> ए० प्रसाद ेसक्षम प्राधिकारी सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरोक्षण) ग्रर्जन रेंज• लखनऊ

दिनांक 11-2-1985

मोहर 🗈

भा । III--- खण्ड 1

प्ररूप आई__टी.एन.एस.------

जायकर अभिनियम, 1961 (1961 का 43) को

धारा 269-घ (1) के अधीन सुचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

मर्जन रेंज, लखनऊ

सबनऊ दिनांक 11 फरवरी 1985

निदेश सं० जी झाई० झार० सं० जैड-6/एक्यू०/—-झतः मुझे ए० प्रसाव,

अविकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके परवात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह बिक्वास करने का आरण है कि रुध्धावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु. से अधिक है

भौर जिसकी संब में नंग 133/19 क है तथा जो ममीनाबाद रोड, नजीराबाद, लखनऊ में स्थित है (म्रौर इससे उपावद मनुसूची में भौर जो पूर्ण रूप से वर्णित है) राजस्ट्रीकर्ता मधिकारी के कार्यालय लखनऊ में रजिस्ट्रीकरण मधिनियम. 1908 (1908 का 16) के मधीन दिनांक 27-6-1984

को पूर्वोक्स सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के व्ययमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुफ्ते यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृष्यमान प्रतिफल से, एसे व्ययमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिफल से अधिक है और जन्तरक (अन्तरकारें) और बंतरिती (अन्तरितियाें) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है 'जन्त

- (क) अन्तरण से हुइ किसीं जाय की बाबल, उक्स अधिनियम के अधीन कर दोने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने का उससे बचने में कुदिया के लिए; और/या
- (क) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, फिल्हु भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनॉर्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविभा के लिए;

अंतः अन, उक्त अभिनियम कौ भारा 269-ग के अनुसरण मॅं, मॅं, उक्त अभिनियम को भारा 269-व की उपभारा (1) कें जभीन, निम्नसिखित व्यक्तियाँ, अभौत क्र—-- (1) श्रीमती नवाब नूर जहां बेगम
 (2) श्रीमतो नवाब मुर्र्स्लिनिसा बेगम ।
 (श्रन्तरक)

2 श्रीमती जैबुन्निसां

(ग्रन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वीक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति को अर्जन को संबंध में कोई भी आक्षेप :---

- (क) इस सूचना को राजपत्र में प्रकाशन की तारीच से 45 दिन की अवधि या तरसम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, को भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (स) इस सूंखना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीस से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितनद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अभोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।
- स्पर्ध्वीकरणः—-इसमें प्रयुक्त शब्दों और पर्वां का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, बही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अन्स्थी

मकान नं० 133/19-क मय भूमि पैमाईकी 1626 वर्ग किंद्र स्थित श्रमोनाबाद रोड नजोराबा थाना कैंसरवाग, न बतऊ ज़िसका पंजाकरण रजिस्ट्रीकर्ता प्रधिकारी . लखनऊ के कार्यानय में 27-6-1984 को किया जा चुका है

> ए० प्रसाव सक्षम प्राधिकारी सहायक द्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण) क्रार्जन रेंज, लखनऊ

दिग्नांक 11-2-1985 मोहर ध प्ररूप आद्रै. टी. एन ुएस.-----

मायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सुचना

भारत सरकार

कार्यालय, संहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

ग्रर्जन रेंज, लखनऊ

लखनऊ दिनांक 13फरवरो, 1985

वायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसें इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-खं के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावद सम्वत्ति, जिसको उचित वाजार मूस्य 25,000/- रु. से अधिक है

त्रीर जिसकी सं० भूमि इमारत ग्रादि है तथा जो मशानखेत टोक मौजा खबरर पट्टी. सतबंगा तह० व जिला——नैनीताल में स्थित है (श्रीर इसमे उपाबढ़ श्रनुसूचो में श्रीर जो पूर्ण रूप से वांणत है) में रजिस्ट्रोकर्ता श्राधिकारो के कार्यालय, फलकत्ता रजिस्ट्रीकरण श्राधिनियम 1908 (1908 का 16) के श्रधीन जून 1984

को पूर्वोक्त सम्परित के उभित बाजार मुख्य से कम के इष्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुफे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्परित का उभित वाजार मुख्य, उसके व्ययमान प्रतिफल से, एसे व्ययजान प्रतिफल का पंग्रह प्रतिघत से अधिक है और जग्तरक (जन्तरकों) और अंत-रिती (जन्तरितियों) के बीज ऐसे अन्तरण के लिए तथ पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्वदेव से उभत जन्तरण मिथित में बास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :---

- (क) अन्तरण से शुर्द किसी आग की वावतः, उक्त वीधीनवम के अधीन कर दोने के जन्तरक के दायित्व से कयी करने था उस्ते ज्वाने में सुविभा जे निए: वीर/वा
- अ) एोमी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हों भारतीय आयकार अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्स अधिनियम, या धन-कार अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकाट नहीं किया गया किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा कौ लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण म, म, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियाँ, अर्थात् :---⁹---486 GI/84 1. श्री ग्रनूप कुमार पोदार ।

2 श्रीग्रंजली श्रोफ।

(क्रन्तरक)

(झन्तरिती)

भी गई स्थना जारो करके प्योंक्स सम्परित के अर्थन के मिए कार्यकाहियां 'करता हूं'।

तकत सम्परित के अर्थन के सम्बन्ध में कोई भी वाक्षेप:---

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीस से 45 दिन की अवधि या तत्मम्बन्धी व्यदितयों पर सूचदा की तामील से 30 दिन की अयधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वीक्त क्यक्तियां में ते किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ल) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारील से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अभोइस्ताक्षरी के पास चिखित में किए जा सकेंगे ! '
- स्पक्टीकरणः—-इसमें प्रयुक्त अव्दों और धर्दो का, जो उक्त अभिनियम के अध्याय 20-क में यथा परि-भाषित ही, वही अर्थ होगा जो उस अभ्याय में दिया गया ही। ′

वन्स्ची

भूमि पमाईसें। 12 एकड मय इमारत व पेडपोधे सहित त्थत मशानखेत टाक मौजा खबरर पट्टी सतवंगा तह० व जिला----नैनोताल जिसका पंजीकरण रजिस्ट्रोकर्ता ग्राधिकारी कलकत्ता के कार्यालय में जून 1984 को किया जा चुका है (जैसा फार्म 37-जो सख्या 6797 में बणित है)।

> ए० प्रसाद पक्षम आधिकारो महायक अध्यक्षर प्रायुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेज, लखनऊ

दिनांक 13-2-1985 मोहर : प्ररूप आड⁷. टी. एन. एस ------

आयकर अधितियम, 1961 (1961 का 43) की भारा १६०-घ (1) के अभीन सचना.

भगरत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

ग्रर्जन रेंज लखनऊ

लखनऊ दिनांक 13 फरवरी 1985

निदेश सं० जी० ग्राई० ग्रारंठ सं० बी-127/एक्यू०/---ग्रतः मझे ए० प्रसाद

आधकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पक्ष्यात 'तक्त अधिनियम' कहा गया है),, की धारा 269-स के अधीत सक्षम प्राधिकारों को यह विक्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित आआर मुल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० भूर्मम इमारत आदि है तथा जो मणानखे टाक मौजा खबरर पट्टी सतबंगा तह० व जिला नैनीताल म स्थित है (श्रीर उससे उपाबढ श्रनुसूची में ग्रर जो पूर्ण रुप से वणित है) र्शजस्ट्रोकर्ता अधिकारी के कार्यालय कलकत्ता में रजिस्ट्रोकरण श्रधिनियम 1908 (1908 का 16) के श्रधीन दिनांक 14-6-1984

का पृथावत सम्पत्ति के उचिन अाजार मूल्य से कम के ध्रयमान प्रतिफल को लिए अन्तरित की गई है और मुभे यह विष्वास करने का कारण है कि यथापूर्वांक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मुख्य उपके देखमान प्रतिफल से, एसे दश्यमान प्रतिफन का पन्द्रह प्रतिपत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों और अंतरिती (अन्तरिनियों) के बीच एमें अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नसिक्ति उद्देष्ट्रेय से उक्त अन्तरण लिखित भें भारतेविक रूप से कांथल नहीं किया गया है:---

- (क) अन्तरण में हुद्दें किसी आग को बाब्द, उक्क सभिनियम के बभीत कर दोने के बन्तहक को वर्शियल्य में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; बार्ट्र/या
- (स) एमी फिसी आय गा किसी थां या कन्द आस्तियां का. जिन्हों भारतीय जोन कर अधिनियम. 1927 (1922 को 11) या उक्त व्यधिनियम, या भाषकर याधिनियम, 1957 (1957 को 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया था या किया जाना चाहिए था, जिल्पाने में सविधा को लिए;

अल. अब, उवल अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण म, म, छक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) अजिभीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात :---- 1. श्रीं भ्रानन्दी लाल गोयन्का

(ग्रन्तरक)

2. श्री भारत कुमार खेमका

(ग्रन्तरिती)

को यह सूचना जारी करकी पूर्वोंक्त सपसि को अर्जन को लिए कार्यवाहियां करता हु ।

उक्त सम्पत्ति के अंजीन को सम्बन्ध में कोईरें आक्षेप :----

- (क) इस सुचना को राजपत्र में प्रकाशन को तारीख से 45 दिन की अवधि या तरसम्बन्धी व्यक्तियाँ पर सुधना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, को भीतर पूर्वीक्त व्यक्तियां में से किसी व्यक्ति ब्वारा;
- (स) इस सूचना को राजपत्र में प्रकाशन की तारीस से 45 दिन को भीतर उक्ते स्थावर सम्पत्ति में हितबड्स किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास (तीपन में किए जा सकरेंगे)

स्पच्टीकरणः ----इसमें प्रयुक्त शब्थों और पदों का, जो उक्क अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित ह⁴, बही अर्थहोगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अमरा जी

भूमि पैमाईश 10.5 एकडह मय इमारत व पेड-मोधे सहित १ स्थ त मशानखेत टाक मौजा खबरर पट्टी संतक्षंगा तह० व जिला नैनीक्षाल जिसका पंजीकरण रजिस्ट्रीकर्ता श्रधिकारी कलकत्ता के कार्यालय में दिनांक 14-6-1984 को किया जा चुका है।

> ए० प्रसाद सक्षम प्राधिकारी सहायक ग्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षेण) अर्थ्रजन रेंज लखनऊ

दनांक 13-2-1985 मोहर : - प्रकम आध्र'.टी.एनु.एस.-----------

मायकर अभिनियम, 1961 (1961 का 43) की भार 269-घ(1) ते बभीन सुभना

माख जरकार

कार्थालय, सहायक नायकर आयुक्त (निराझण)

भ्रजन रेंज, लखनऊ

लखनऊ, दिनाक 13फरवरी 1985

निदेण सं जी० आर्डि० आरर० सं० डी-56/एक्यु०/----अति मुझे, ए० प्रसाद

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उयत अधिपियम' कहा गया हूँ), की भारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विक्वास करने का कारण है कि स्थावर संपरित, जिसका उचित बाजार मुल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

त्रौर जिसकी सं० भूमि इमारत ग्रादि है तथा जो मणानखेत टाक मौजा खबरर तह० व जिला नैनोताल मे रिथत है (ग्रौर इससे उपावड ग्रनुसूच) मे और जो पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता ग्राधिकारों के कार्यालय कलकत्ता में रजिस्ट्रीकरण ग्राधितियम, 1908 (1908 का 16) के ग्राधीन दिनाक 14-6-1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित याजार मूल्य से कम के इष्यमान अतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुफ़े यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित वाजार मूल्य, उसके इष्यमान प्रतिफल से, ऐसे इष्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितिरों) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में धास्तयिक रूप से कथित नहीं किया गया है धू--

- (क) अन्तरण से हुइ। किसी बाय की बावत, 'खयह जोभनियम कॉ अधीम कर दोनें के जन्दरक के धायित्थ में कोमी करने थ। उत्तरधे बखने में सुविभा को सिए; जौर/या
- (क) एरेसी किसी आग मा किसी थन या अन्य आस्सियों को चिन्हु भारतीय आयुकार मॉथिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त मधिनियम, या थन-कर मधि-दियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ बन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया बाना चाहिये चा, स्थिपाने में सुविधा की ट्रिंग्ए;

अत्य. अव, उक्स अभिनियम को करा 269-ग के अनुसरण ब्रॅं, मैं, उक्स अभिनियम की धारा 269-भ की उपधारा (1) के अभीन, निय्तविधित व्यक्तियों, अध[तुः— 1. श्री ग्रानन्दोलाल गोयन्का

(भन्तरक)

2. श्री दोपक कुमार खेमका

(भ्रन्तरिती)

को मह सुचना जाडी करके पुर्वोक्तत सम्परित को अर्थन के लिए। कार्ययाहियां करता हूं।

उक्त संपरित के अर्जन को मंबंध में फोई भी अक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख सें 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वीक्त व्यक्तियों में से किसी क्यक्ति ख्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबब्ध् किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के गास लिखित में किए जा सद्भि।
- स्पर्ध्वीकरणः---इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अभि-नियम के अध्याय 20-क म परिभाषित ही, तही अर्थ होगा, जो उस जभ्याय मा किया गण हो।

जन्तु चौ

भूमि पैभाईशी 10 एकड़ मय इमारत पेड़-पौधे सहित मणानखेत टाक मौजा खबरर पट्टी सतबुगा, तह० व जिला नैनोताल जिसका पंजीकरण रजिस्ट्रो-कर्ता प्राधिकारी कलकत्ता के कार्यालय में दिनाक 14-6-84 को किया जा चुका है।

> ए० प्रसाद सक्षम प्राधिकारी सहायक ग्रायकर्र ग्रायुक्त (निरीक्षण) ग्रर्जन रेंग लखनऊ

दिनांक 13-2-1985 मोहर :। प्ररूप आई. टी. एन. एस.-------

अग्रेयकर अभिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-भ (1) के अभीन सूचना

ষ্টার্বে মার্কার

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

श्वर्जन रेज, लखनऊ

लखनऊ, दिनाक 13 फरवरी 1985

निदेश स० जी० भ्राई० म्रार० सं० के-146/एक्यु०----भ्रत. मुझे, एठ प्रमाद

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अभिनियम' कहा गया है), की भारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को मह किश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रऽ. से अधिक है

श्रौर जिसको स भ्राराजी है तथा जो होटल वल्डार्फ क कैम्पस मल्लीताल नैनीताल में स्थित है (श्रौर इससे उपाबद्ध प्रनुसूचो में भ्रौर जो पूर्ण रूप से वणित है) रजिस्ट्रीकर्ता ग्राधिकारों के कार्यालय नैनोताल में रजिस्ट्रोकरण श्रधिनियम. 1908 (1908 का 16) के श्रधीन दिनाक जून .1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित याजार मूल्य से कम के रूपमान प्रतिफल के लिए जन्तरित की गई है और मुभे यह विष्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित वाजार मूल्य, उसके रूपमान प्रतिफ से से, एसे रूपमान प्रतिफ न का पन्द्रह प्रतियात से अधिक है और अतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रति-कब, जिन्नलिखित उड्द इस से उक्त जन्तरण निवित में वास्त-विक रूप से क2ित नहीं किया गया है:---

- (क) बन्तरणुते हुइ किसी थायुकी वावत, उक्स वीप्तियुग को अधीन कर दोने के जुन्तरक के दायित्व में कमी करने या उसके वपुने में सुविधा को लिए; बौर/या
- (क) एरेसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हु भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) दा, उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ जन्त्र रिसी इवारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना वाहिए जा स्निपाने में धुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-म की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियाँ, अर्थात् ध---

- (2) श्री सूरज प्रकाश (2) श्री सूरज प्रकाश (3) श्री ओम श्रीतार
- (4) श्री विष्णु श्रौतार
- (5) श्री मनिल कुमार
- (6) श्री राजीव कुमार
- (7) श्री राकेश कुमार
- (8) श्री ग्रशोक कूँमार कोयल
- (ग्रन्तरक)

श्री केवल किशोर घावला

(मन्तरितो)

3. विक्रेता

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति हैं)

को यह सूचना जारी करके पूर्वीक्त सम्पत्ति के अर्जन के सिए कार्यवाहियां करता हूं।

जवत सम्परित के अर्जन के सम्बन्ध में कोई। भी आक्षेत्र 🖙

- (क) इस सुचना के राजपत में प्रकाशन की तारीख से 45 दिश की अंवीभ या तत्सम्बन्भी व्यक्तिमां पर सुचना की तामील से 30 दिन की अवभि, जांभी अवधि बाद में समाप्त होती हो, की भीतर पूर्वोवर व्यक्तियां में से किसी व्यक्ति बुदारा,
- (•) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीक्ष ते 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्परित में हितवद्ध किसी जन्म व्यक्ति द्वारा मधोहस्ताक्षरी के दात िसित मा किए जा सकोंगे।
- स्पध्धीकरणः :—--इसमें प्रयुक्त शब्याें और पदाें का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होशा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

ग्राराजी पैमाईको 356.90 वर्ग फिट या 30.33 वर्ग मीटर स्थित होटल 'वल्डार्फ का कैम्पस मर्ल्ल/ताल नैनीताल (जैसा कि फर्म 37-जी संख्या 224 में वणित है) जिसका पंजीकरण रजिस्ट्रोकर्ता प्राधिकारी नैनीताल के कार्यालय में जून 1984 को किया जा चुका है।

> एँ० प्रसाद सक्षम प्राधिकारी सहायक ग्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण) ग्रर्जन रेंज, लखनऊ

दिनाक 13-2-1985 मोहर : प्ररूप बाह.टी.एन.एस.-----

क्राथकर अभिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर जायुक्त (निरीक्षण)

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन'रेंज, लखनऊ

लखनऊ, दिनाक 13 फरवरी, 1985

निदेश स० जीं० आई० आर० सं० के-147/एक्यू०/⊸—अत. मझो ए० प्रसाद

जायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पक्ष्यात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है'), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विख्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उपित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

श्रौर जिसको स० भूमि इमारत आदि है, तथा जो मझानखेत हाक, मौजा, खबरर, तह० बजिल० जिला, नैनीताल, मेंस्थित है (श्रौर इसमे उपाबद अनुसूची में श्रौर जो पूर्ण रूप से वर्णित है) रज्रिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय तलकत्ता में रजिस्ट्रीकरण बधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अर्धान दिनाक 14-6-1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उभित बाजार मूल्य से कम के इत्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापुर्वोक्त सम्पत्ति का उचित आजार मूल्य, उसके इरयमान प्रतिफल से एसे इश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकॉ) और अन्तरिती (अन्तरिसियॉ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तथ पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्दे देय से उक्त अन्तरण लिखत में वास्तविक रूप से कथित नही किया गया है.

- (क) अन्तरण से हुइ किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरण को वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; आरि/या
- (अ) एेसी किसी आय या किसी धन मा अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) को प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं (किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविभाको लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम् की धारा 269-ग के अनुसरण मैं, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग की उपधारा (1) चुज्रभीन, निम्मसिचित व्यक्तियों, अर्थात क्ष---- 1 श्री आनन्दी लाल गोयन्का

2. श्री कृष्ण कुमार खेंमका

(अन्तरिती)

(अन्तरक)

को गह सुचना जारी करके पुर्वोक्त सम्पत्ति के गर्जन के ट्रिसए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

डकत सम्पत्ति को अर्जन को संबंध कों कोई भी आक्षेप :----

- (क) इस सूचना को राजपत्र में प्रकाशन की तारीक से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियाँ पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, को भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियाँ में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ब) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीब से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधाहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकोंगे।

स्पष्टीकरणः——इसमे प्रयुक्त शब्दों और पदों का, ओ उक्त औधि-नियम के अध्याय 20-क में परिभाष्ति है, बही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि पैमाईशी, 12.5 एकड मय इमारत, पेड-पौधे सहित स्थित , मशानखेत टाक, मौजा, खबरर पट्टी, सतवंगा, तह० व जिला नैनीसाल जिसका पंजीकरफु, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी कलकत्ता के कार्यालय में दिनाक 14-6-1984 को किया जा चुका है।

> ए० प्रसाद सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज, लखनऊ

तारीख 13-2-1985

मोहर ब

प्ररूप आर्ष.टी.एन.एस.------

आयकर अभिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-च (1) के अभीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

सहायक आयगर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, लखनऊ

लखनऊ, दिनाक 13 फरवरी 1985

निदेश सं० जी० आई० आर० सं० ने-148/एक्ष्यू०---अत: मुझे ए० प्रसाद

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमे इसके परभात्' 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विषयास करने का फारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

म्रौर जिसकी सं० भूमि इमारत, आदि है नथा जोगे मणानखेत टाक, मौजा, खबरर पट्टीं सतभंगा, तह० व जिला नैर्नाताल में स्थित है (ग्रौर इससे उपाबद्ध अनुसूची में ग्रौर जो पूर्ण रूप मे वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय कलकत्ता में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 14-6-1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम क़े इड़यमान प्रतिफल के लिए, अन्तरित की गई. है और मुफेयह विक्वास करने का कारण है कि यह

पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके रूरयमान प्रतिफल स, एरेसे रूपमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :----

- (क) अन्तरण से हुई्र किंसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर दोने के अन्सरक के वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा धायित्व के लिए; और/या
- (ख) एरेसी किसी आग या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हों भारतीय आयक-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या[‡] उक्त अधिनियम, का धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण बैं, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) षों अधीग, निम्नीलिसित व्यक्तियॉ, अर्थात क्ष---- 1. श्री आनन्दी लाल गोयन्का

(अन्तरक)

2. श्रोमती कान्ता देवी श्रीफ

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए, कार्यवाहियां शुरू करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आधोप ध—

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की सारीख से 45 विन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 विन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त ब्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख स 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अभोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सर्कोंगे।
- स्पष्टीकरणः----इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही वर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

areas h

भूमि पैमाईसी, 12.5 एकड़, तय इमारत व पेड़-पौधों सहित, स्थित मधानखेत, टाक, मौजा, खबरर पट्टी, पनबंगा तह०, व जिला नैनीताल, जिसका पंजीकरण, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, कलकत्ता के कार्यालय में दिनांक 14-6-1984 को किया जा चुका है।

ए० प्रसाद सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज, लखनऊ दिनांक: 13-2-1984

माहर 🛙

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-ण (1) के अधीन मुचना

भारत तरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्ग्रन रेंज, लखनऊ

लखनऊ, दिनांक 13 फरवरी 1985

निदेश सं० जी० आई० आर० सं० एम-210/एक्ष्यु०/—-अत[:] मुझे ए० प्रसाद

भागकर मधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पदवात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), को धारा 269-द के अधीन सक्षम प्राधिक्कारी को यह विकास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25.000/-रइ. से अधिक है

श्रीर जिसकी सं० केम्पम है क्ष्या जो होटल घल्डार्क का कैम्पस, मम्लीताल, नैनीताल, में स्थित है (श्रीर इससे उपावढ अनुसूची में ग्रीर जो पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी क कार्यालय नैनीताल में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक जून, 1984

का पृषंथित सपरित के उचित कागर मूल्य से रूझ को दआ राज प्रतिफल को लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह दिश्वाम करने का कारण है कि यथापूर्वोवत संपत्ति का उचित आजार मूल्य, उपके दश्यकात पतिफल से एसे दश्यमान प्रतिफल को बन्द्रह प्रतिशत से अधिक है बार अन्तरक (अन्तरकों) और अन्द्रह प्रतिशत से अधिक है बार अन्तरक (अन्तरकों) और अन्द्रहिती (अन्तरितियों) को बीच एसे बन्तरण को लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त जन्तरण कि बित में तम्सविक रूप से कथित नहीं कि या गया है ----

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधि-नियम के अधीन कर दोनेके अन्तरक के दायित्व के कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; बार/खं
- (स) एरेसी किसी आप या किसी भग या जन्भ आस्तियो को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 को 11) जा न पीर्तनियम, या धन क'र अधिनियम, 1957 (1957 का 27) को प्रयोजनार्थ अन्तरिती इनारा प्रकट नहीं जिल्या गया था घा किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुनिभा के सिए;

अतः अज उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, में, उनन अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) को अधीन, निम्नुलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :——

 1. (1) श्रो राम प्रकाम्

 (2) श्री सूरज ग्रौनार

 (3) श्री ओम ग्रौतार

 (4) श्री विष्नु ग्रौतार

 (5) श्री अनिल कुमार

 (6) श्री राजीव कुमार

 (7) श्री राकेग कुमार गोयल,

(अन्तरक)

 श्री मोहन सिंह बिष्ट श्री गोविन्द सिंह बिष्ट

(अन्तरिती)

विक्रोता

(वहव्यक्ति जिसके अधिभोगमें सम्पत्ति है)

को यह तूचना जारी करके पूर्वीक्स संपरित को अर्जन के लिध् कार्यवाहियां कुरू करता हूं।

उक्त सम्परित के अर्जन के संबंध में कोई भी जाकोप :----

- (क) इस सूचना को राजपत्र में प्रकाशन की तारीस से 45 दिन को अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर मुचना की तामील से 30 बिन की अवधि, जो भी अवधि बाद यें समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से फिसी न्यक्ति बुदारा,
- (ख) इ.स. सूचना को राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन को भौतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्भ किसी बन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में लिए जा मक¹गे।
- स्पर्ख्योकरणः--इसमें प्रयुक्त खब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के जथ्याय 20-क में परिभाषित है, वहीं वर्भ होगा जो उस अभ्याय में दिवा गया है।

श्रनुसूची

आराजी पैमाईको, 550 वर्ग फिट, ब्रा 51.20 व मोटर, स्थित, होटल, बल्डाफ का कैम्पस, मल्लीताल, नैनीनास (जैसा कि फार्म 37-जी संख्या 227 में वर्णित है) जिसका पंजीकरण रजिस्ट्राकर्ता, अधिकारी के कार्यालय मे जून, 1984 को किया जा चुका है

ए० प्रसाद सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेज, लखनऊ दिनाक: 13-2-1985 मोहर . प्ररूप जाइ. टी. एन. एस.----

वायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-घे (1) के नभीन सुचना

भारत सन्कार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, लखनऊ

लखनऊ, दिनांक 13 फरवरी, 1985

निदेश सं० जी० आई० आर० सं०एम-211/एक्यु०---अत: मुझे ए० प्रसाद

श्रायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिस इसमें इसके पदधात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-का के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विष्ट्र्वास कारने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित वाणार मूल्य 25,000/- रुठ. से अधिक है

ग्नौर जिसकी सं० भूमि इमारत आदि है, तथा जो मणानखेत टाक, मौजा खंधरर पट्टी, सतबंगा, तह० व जिला नैनीताल में स्थित है (ग्रौर इससे उपाबद्ध अनुसूची में ग्रौर जो पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, कलकत्ता में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक जून, 1984

भो पर्वोभन सम्पत्ति के उजित. वाजार मुख्य से के स के इस्यमास प्रतिफल को लिए अंतरित की गई की और मुभ्छे यह विक्वाल करने को कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उजित वाजार अच्य, उक्षके इश्यमान प्रतिफल से, एसे इस्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (बंतरकॉ) और अंतरिती (अंतरिसियों) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पावा गया प्रति-फल निम्गलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्त-विक रूप से कथित नहीं किया गया है ध्---

- (फ) संतरण से हुई किसी बाय की वागत, तक वीधनियम के अधीन कर देने के संतरक की दायित्व में कमी करने मा उससे कपने में सुविधा के लिए; और/सा
- (क) एरेसी किसी बाय या किसी भन या बन्स वास्तियों को, जिन्हों भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या भत-कर अभिनियम, 1957 (1957 दा 27) के भयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया भा या किया जामा चाहिए था, छिपाने में सुविधा के बिए;

(अन्तरक) 2. मैसर्स, मर्शात बर्क्स (इन्टरनेशनल) लि.० ं 1, आकर्लनेन्ड, प्लेस, कलकत्ता-17

1. श्री स्त्रोमप्रकाश गोयन्का

(अन्तरिती)

को यह सूचना धारी करके पूर्वोक्स सम्पत्ति के अर्चन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्परित के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तुत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा,
- (स) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीस से 45 दिन के भेतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी मन्य म्यक्ति ब्वारा अधोहन्ताक्षरी के पास लिसित में किए जा सकोंगे।
- स्पष्टीकरण.----इसमॅं प्रयुक्त शब्दों और पद्यों का, जो उक्त अभिनियम के अभ्याय 20-क में परिभाषित ही, वही वर्थ होगा, जो उक्त आ आज दिया गया ही ।

जनुस्ची

भूमि पैमाईगी, 10.5 एकड़, मय इमारत, व पेड़-पौघें सहित, स्थित मणानखेंत टाक, मौजा, खबरर पट्टी, सतवंगा तह व िला, नैनीताल, जिसका पंजीकरण, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी कलकत्ता के फार्यालय, में दिनांक जून, 1984 को किया जा चुका है।

(जैमाफार्म 37-जी सख्या 6794 में वर्णित है)

ए० प्रसाद सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निर्राक्षण) अर्जन र्रेज, लखनऊ

अतः अंध, अक्स अभिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अभिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :----

दिनांक: 13-2-1985 मोहर: प्ररूप बाहे. टी. एन. एस. -----

बायकर अधिनियुम, 1'961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, संहायक आयकर आयुक्त (निर्दीक्षण)

अर्जनरोंज, लखनऊ

लखनऊ, दिनांक 14 फरवरी, 1985

निदेश सं० जी० आई० आर० सं० एम-212/एक्यु०/---अत: मुझे, ए० प्रसाद

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इलके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रूउ. से अधिक है

म्रौर जिसकी सं० प्रेमिसेज नं० 31/56 का भूमितल पर दुकान, है, तथा जो महात्मा गान्धी मार्ग, हजरत गंज, लखनऊ में स्थित है (ग्रौर इससे उपाबद्ध अनुसूची में ग्रौर पूर्ण रूप से वणित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, लखनऊ में रजिस्ट्रीकरण्, अधिनियम, 1908 (1908 का .16) के अधीन दिनांक 22-6-1984

को पूर्वाक्षत सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित को गई है और मूझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दश्यमान प्रतिफल से, एसे इत्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) क. दीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया मतिफल, निम्नलिखित उद्देश्यों से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से व्यित नहीं किया गया है :----

- (क) अन्तरण से हुई किसी जाव की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के द्वीयित्व में कमी करने या उसके बचने में सूविधा के लिए; और/या
- (ख) एसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हों भारतीय आयकर दक्षिनियम, 1922 1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनूसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उप्धारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :----10---486GI/84 1. डा॰ रंजीत भागेव

2. मैसर्स, मार्डन सिल्क ह्राउस, 31/56, महात्मा गेनाधी मार्ग, लखनऊ, द्वारा ्पार्टनर, श्री चन्द्र कुमार, जसनानी

3. क्रेता

(वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के जर्जन के सजा जो कोई भी आक्षेप .---

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर ' ' सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्तिं दूबारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अर्थाहरणकार के पाम निखित में किए जा सकोंगे।
- स्पष्टीकरण :--इसमें प्रयुक्त कब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क मा पोरस्त अध्याय हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसुची

प्रेमिसेज नं० 31/56 (पुराना नं० 48) का भूमि तल पर दुकान मय चारदीवारी फर्श और खत सिवाय भूमि (जिस पर दुकान है), स्थित महात्मा गांधी मार्ग, हजरत गंज, लखनऊ जिसका पंजीकरण, रजिस्ट्री कर्ता अधिकारी लखनऊ के कार्यालय में दिनांक 22-6-1986 को किया जा चुका है।

> ्ए० प्रसाद सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज, लखनऊ

दिनांक: 14-2-1985 मोहर :: (अन्तरक)

(अन्तरिती)

प्ररूप आहू टी. एस. एस-----

बायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत स<u>र</u>कार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, लखनऊ

लखनऊ, दिनांक 13 फरवरी 1985

निदेश सं० जी० अाई० आर० मं० आर-241/एक्यू०/--अतः मझे, ए० प्रसाद,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके परमात् 'उक्स अधिनियम' कहा गया हैं), की धारा 269-स को अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्परि, जिसका उचित बाजार मुल्य 25,000/-रः से प्रधिक है

ग्नौर जिसकी सं० आराजी, है तथा जो होटल बल्डार्फ का कैम्पन, मल्लीताल, नैनोताल, में स्थित है (ग्रौर इससे उपावढ अनुसूची में ग्रौर पूर्ण रूप में वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, नैनीताल, में रजिस्ट्रीकर्रणे अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक जून, 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दरयमान प्रतिफल को लिए अन्तरित की गई है और मुभने यह विष्वास करने का कारण है वि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दर्दयमान प्रतिफल से, एसे दरयमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अंतरिती '(अंतरितियों) के बीच एसे अन्तरण को लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्ददेय से उक्त अंतरण लिसित में बास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है.....

- '(क) अन्तरण से हुई किसी आग की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर द'ने के अन्तरक का दायित्व में कमी करने या उससे बच्चने में सुविधा ं के लिए; और∕या
- (ंग) एमी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आधकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्हरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 260-ग.के अनसरण मैं, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपभारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्त -----

- 1. (1) क्षी राम प्रकाश
 - (2) श्री सूरज प्रकाश
 - (3) अंग्रोम भौतार,
 - (4) श्री बिष्णु श्रीतार
 - (5) श्री अनिल कुमार
 - (6) श्री राजीव कुमार
 - (7) श्रा राकेश कुमार
 - (8) श्री अशोक कुमार गोयल

(अन्तरक)

2. श्री राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल

(अन्तरिती)

3. विक्रेता

(वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में भम्पत्तिहै)

को यह सूचना जारी करके पूर्वाक्त सम्परित के अर्जन के लिए कार्यवाहयां शुरू करता हु:।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के लंबंध में कोई भी भाक्षोप :----

- (क) इस सुचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील स 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति दुवारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारोख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिग्नित में किए जा सकोगे।
- स्पष्टीकरणः----इसमं प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्स अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, बही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अन्स्ची

आराजी पैमाईशी, 1297.77 वर्ग फिट या 120.72 वर्ग मीटर, स्थित होटल, बल्डार्फ का कैम्पस, मरुलीताल, नैनीताल, (जैसा फार्म 37-जी संख्या, 222 में वर्णित है) जिसका पंजीकरण रजिम्ट्रीकर्ता अधिकारी नैनीताल के कार्यालय में जून, 1984 को किया जा चुका है।

> ए० प्रसाद सक्षभ प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज, लखनऊ

दिनांकः 13-2-1985 मोहरः भाग [[[––खाण्ड 1]

8583

व्यक्त मार्ड, डी. रत्न क्य. ----

आयकर वीधनियम, 1961 (1961 का 43) की पाछ 239-घ (1) के बधीन सुधना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, लखनऊ

लखनऊ, दिनाक 13 फरवरी 1985

निदेश सं० र्जा० आई० झार० सं० आर-242/एक्यू०/---अत: मुझे, ए० प्रमाद

धाप्रकर अ³⁴ातियन, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पाचाल 'जान अधिरेणक' कहा गया ही), की भारा 269-व के बधीन सक्षम प्राधिकारी को यह धिरवास करने का कारण ही कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाबार मूल्य 100,000/- रु. से अधिक ही

प्रौर जिसकी सं० भूमि इमारत आदि है तथा जो मशानखेत टाक, मौजा, खबरर पट्टी, सतबगा, सहु० व जिता नैनीताल में स्थित है (ग्रीर इससे उपाबढ अनुसूची में ग्रौर पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी क कार्यालय कलकत्ता में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक जून, 1984

को पूर्वो वत संपत्ति को उचित वाकार भूस्य से कम, के अस्यमान प्रतिफल को लिए अंतरिक की गई है और मूफो यह विश्वास करन का कारण है कि यथापूर्व्य संपत्ति का उचित वाजात मूल्य, उसके डफ्यमान प्रतिफल से, एसे डक्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अभिक है जोर अन्तरक (अन्तरकों) जौर अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफ्रस, निम्नतिदित उद्वदेव्यों के डक्य जन्तर्ज किहिए में वास्त<u>न</u>िक रूप से कथित नहीं किया गया है ध—

- (फ) बुन्ताडम् दे हुइ फिली काव की बावल्, क्वक बाँग्रीज़रुव् के बधीव कड़ दाय के बन्दारफ के कडि्राफ को कमी कडने वा ससने बचने में तुषिणा के लिए; आंद/शा
- (ण) एरेसी किसी वाथ या किसी थन वा बन्द वास्तियों को विन्हु भारतीय वाव-कर वॉवनिवव, 1922 (1922 का 11) या सक्त वॉवनियम, वा वन-कर वधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती ख्वारा प्रकट नहीं किमा गया वा वा किमा जाना थाहिए था, जिपाने ने सुविधा के विष्ठ;

अतः अब, उक्त रॉधनियम की धारा 269-ग के अन्तरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ण की उपधारा (1) को अधीन ी निम्नसिद्धित व्यक्तियों हा सुवादि ह---- श्री सुशील कुमार गोयन्का

(अन्तरक)

a 1997 - 1997

 मैसर्स रेकनेस, लिभिटेड द्वारा श्री सुभाष श्रोक, (अंसरिती)

को यह सुपना पारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के वर्षन के जिस् कार्यवाहियां शुरु करता हूं।

धनत सम्पत्ति के वर्षन के सम्बन्ध यें कोई भी वाक्षेप :----

- (क) इस सुचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीच से 45 दिन की बदधि श तरसम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवभि, जो भी बन्धि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वीक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति दुवारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीक्ष से 45 दिन के मौतर उक्त स्थानर सम्पत्ति में हितबद्भ किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास सिकिल में किए वा सर्कोंगे।

स्वध्वीकरणः -----इसमें प्रयुवत कर्म्यों कौटु पूर्वों का, वो उत्क वभिनियम के वभ्याय 20-क में पीरशालिस हू⁴, बहुी वर्ष होगा थी उस अभ्याय में दिस्क यवा हू⁴ ।

नन्त्ची

भूमि पैमाईसी, 11 एकड़ मय इमारत व पेड़-पौधे सहित स्थित मशानखेत पट्टी, टोक, मौजा खबरर पट्टी, सतखंगा तह०व जिला, नैनीताल, (जैसा फार्म 37-जी संख्या 6796 में वर्णित है) (जिसका पंजीकरण रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी कलकत्ता के कार्यालय में दिनांक जून, 1984 को किया जा चुका है।)

> ए० प्रसाद सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज, लखनऊ

दितांक: 13-2-1985 मोहर क्ष

Rog and, al. ge. ge.

भाषकर जीभनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-म (1) के अभीन सुचना

धारत सर्वार

कार्यांसर, तहाएक भायकर जाधुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेज, लखनऊ

लखनऊ, दिनांक 13 फरवरी, 1985

निदेश सं० जी०आई० आर० स० एस-355/एक्यु०/---अत: मुझे, ए० प्रसाद

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया हैं) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सपरित जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. स अधिक हैं

भ्रौर जिसका स० आराजी है, तथा जो होटल, बल्डाफं, के कम्पस, नैर्नाताल, मे स्थित है (स्रोर इससे उपायद्ध अनुसूची म स्रौर जो पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्राकर्ता अधिकारी के कार्यालय नैर्नाताल मे रजिस्ट्राकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अर्धान दिमाक जून, 1984

का पृथायत सपात्त के अंथत नाजार मूल्य से कम के स्रयमान प्रातफल कं लिए अन्तारत की गई हैं और मूफ़े यह विषयास करने का कोरण है कि यथापूर्वावत्त सम्परित का अचित वाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, एसे दृश्यमान प्रतिफल का बन्द्रह प्रतिशत म अधिक है और अतरक (अतरकों) और सतरिती (अंतरितियों) के बीच एसे अतरण के लिए तय पाया गया प्रति-फल निम्नीसीयत अध्य के उक्त अन्तरण बिधित वें वास्त्-बिक रून से का विध नहीं जिया प्रया ही अल्य

- (क) अन्तरण से हुइ किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सूविधा के लिए; और/या
- (च) एसी किसी जाय था किसी भन या अन्य आस्तियों करो, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन्कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना आहिए था, खिपाने में स्तिभा के निए;

अतः अर्थ, उक्त अभिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण बैं, मैं, उक्त अधिनियम की भारा 269-भ का उपधारा (1) को अधीन, निम्नलिखित स्थक्तियों, अर्थात् 2—

- 1. (1) श्री राम प्रकाश
 - (2) श्री सूरंज प्रकाश
 - (3) श्री मोम मौतार
 - (4) श्री विष्णु ग्रौतार
 - (5) श्री अनिल कुमार
 - (6) श्री राजीव कुमार
 - (7) श्री राकेश कुमार
 - (8) श्री अशोक कुमार, गोयल,
- 2. श्रीमती शीला टन्डन

3. विक्रेता

(अन्तरक) (अन्तरिती)

(वह व्यक्ति जिसने अधिभोग में सम्पत्तिहै)

को गह सुचना जारी करफे पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूू।

उन्द सम्परित के लर्बन के सम्बन्ध में कोई' नी बाक्षेप 2----

- (48) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीब से 45 दिन भी अवभि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियो पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवभि, जा भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वीक्त व्यक्तियों में किसी व्यक्ति दुवारा ;
 - (अ) इस सूचना के राजपत में प्रकाणन की तारीब वे 45 दिन के भोतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताअर्डी के पास निर्णित के किए जा सन्तेंगे ।
- स्पक्तीकरणः इसमें प्रयुक्त सब्दों और पर्वों का, खो उक्त जीभनियम, के अभ्याय 20-क में परिभाषिल ह⁴, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में <u>दि</u>या गया ड⁴।

अमुसूची

आराजी पैमाईशी, 415.32 वर्ग फिट, या 30.81 वर्ग मीटर, स्थित, होटल बल्डाफे का कैम्पस, मल्लीताल नैनीताल (जैसा फार्म 37-जी सख्या, 228 मे वॉणत है), जिसका पंजीकरण रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी नैनीताल के कार्यालय में जून, 1984 को किया जा चुका है।

> ए० प्रसास संक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्स (निरीक्षण) अर्जन रेंज, लखनऊ

दिनांकः 13-2-1985 मोहर ∎ [भाग III--- वण्ड 1

(ग्रन्तरक)

(अन्तरितो)

प्ररूप बाई., टी. एन. एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धार 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक कायकर आयुक्त (निरीक्षण) -

ग्रर्जन रेंज, लखनऊ

लखनऊ, दिनाक 13फरवरों 1985

निदेश सं० जो० आई० प्रार०/वो०- 76/एक्यु०--ग्रत: मुझे, ए० प्रसाद,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसं इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सभाम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रा. से अधिक है

और जिसक। संख्या ग्राराज, है तथा जो होटल वल्डार्फ का कैंम्पस

 नैनाताल में स्थित है (और इससे उपाबढ अनूसूच, मे और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्र,द्दती अधिवगर, के वायलिय, नैनींताल में रजिस्ट्र, अरण अधिनियम, 1908 (1908 गा6) के अधान, तार ख जून, 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचिँद वाजार मूल्य, उसके दश्यमान प्रतिफल से, एसे दश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से बधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय गाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में बास्तविक रूप स कथित नहीं किया गया है :---

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुबिधा के लिए; और/या
- (ख) एसे किसी आग आ किसी थन या अन्य आस्तियों ..., जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 वर्ग 11) या उर्वत अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 वा 2)) प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया गया था या किर्या जाना चाहिए था, छिपाने ये सविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग को, अनुसरण में, में, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के बभीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :----

- २. श्री सूरज औतार
 ३. श्री जोम औतार
 २. श्री जोकणू औतार
 २. श्री सकिणू औतार
 5. श्री सनिल कुमार
 6. श्री राजीव कुमार
 7. श्री राकेश कुमार
 8 श्री स्रशोक कुमार गोयल
 (2) श्री विजय गुप्ता
- (3) विकेता

1. 1. श्रं रामप्रकाश

(वेह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति हैं)

को यह सूचना जारी कारके पूर्वोक्त सम्परित **के अर्ज**न कार्यवाहियां करता ह<u></u>ा।

उनते सम्पत्ति के जर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीस से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में. प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति, में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकने।
- स्पष्टीकरण :----इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित ह⁴, वही अर्थ होगा जो उस अभ्याय में दिया गया ह⁸।

वनृस्ची

आराजी पैमाइशी 1045.01 वर्ग फिट या 98 वर्ग मीटर होटल वल्डार्फ का कैम्पस, मल्लोतार, नैर्नाताल, (जैसा कि फार्म 37⊶जी संख्या 223 में वर्णित है) जिसका पंजीकरण रजिस्ट्री⊶ कर्ती अधिकारी नैनीताल के कार्यालय में जून 1984 को किया जा चुका है ।

> ए० प्रसाद सक्षम प्राधिकारी सहायक ग्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण) ग्रर्जन रेंज, लखनऊ 85

तारीख: 13-2-1985 मोहरु छ भारत का राजपत, मार्च 9, 1985 (फाएंगुन 18, 1906)

प्ररूप आद¹.टी.एन.एस.,------

आयकर अभिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन स्चना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

ग्रर्जन रेज, हैदराबाद

हैंधराबाध, दिनाक 14फरवरी, 1985

निदेश स० आर० ये० स\० प्राई०ए०सा०/ग्रक्तिं/ 123----ग्रस मुझे, एम० जगन मोहन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमे सके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० कार्यालय है, तथा जो धर्सा रवाग हैरद्वशवाद से स्थित है (और इससे उपायद्व प्रनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता ग्राधिकारी के कार्यालय, हैवराबाद मैं भारतीय रजिस्ट्रीकरण श्रधिनियम, 1908 (1908 वा 16) के प्रधान 4/84

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के इच्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई और मुझे यह विष्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके इच्यमान प्रतिफल से एसे दृष्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियां) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्ददेय से उक्त अन्तरण जिखित में वास्तविक रूप से कथित नही किया गया है क्षे----

- (क) अन्तरण से हुई गिंकसी आय की बाबत, उक्स अधिनियम के अधीन कर दोने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के निुए, और/या
- (स) एेसी किसी आग या किसी धन या अन्य आरिंतयों कों, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियस, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियस, का धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा म्बे सिए;

अतः अभ, उक्त अभिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ध की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :---- (1) मेसर्स बाबू खान कन्स्ट्रवशनस,
 5--9-58/1-15,
 बाबूखान इस्टेट, बसीर बाग, हैदराबाद
 (श्रन्तरक)

(2) श्रीमति रत्नमाला साबु, 3→4-144/3 यडन गार्डन, हैंदराबाध

(अन्तरिती)

को यह सुचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहिया कुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति दुवारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीक से .45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकोंगे।

जन्स जो

तार्यालय न० 1007,द पत्रा मजिल, बाबूखान इस्टेट,हैदराबाद विस्तीण 1058 चौ० फ़ुट, रजिस्ट्र⊧इत विलेख न० 574/84, रजिस्ट्रोक्तर्ती प्रधिकारी आईएसी अफ्वि,रेंज, हैदराबाद ।

> एम० जगन मोहन, सक्षम प्राधिकारी सहायक श्रायकर आयुक्स (निरीक्षण) श्रर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख: 14-2-1985 मोहर 8 भाग III---खण्ड 1]

प्ररूप बाई: ेी. इन . एस . -----

आयकर अभिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

मारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरक्षिण)

ग्रर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 14 फरवरी 1985

निदेश सं० ग्रार० ए० सी० नं० ग्राईएसी/एक्यु/37–ईई/124----ग्रतः मुझे, एम० जगन मोहन,

- आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पति, जिसका उजित बाजार मूल्य 25,000/-र∵ से अधिक है
- और जिसकी सं० कार्यालय है, तथा जो बसीरबाग हैदराबाद में स्थित है (और इससे उपाबद्ध ग्रनूसूचो में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता ग्रधिकारी के कार्यालय ग्राईएसी/एक्यु/हैदराबाद में भारतोय रजिस्ट्रीकर ग्रधिनियमण 1908 (1908 का 16) के ग्रधीन, 4/84,

को पूर्वोक्त संपरित के उचित बाजार मूल्य से कम के दस्यमान प्रतिकल के लिए अन्तरित की गई है और मुझ यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्परित का उचित बाजार मुल्य, उसके दश्यमान प्रतिफल से, एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बौच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रति-फल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्त-, विक रूप से कथित नहीं किया गया है ध---

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त सचितियम के अभीन कर वॉने के बन्तरक के दाबित्व से कमी करने या उन्तुखे बचने में सुविधा जिल्हे (ल्हा); झीर/बा
- (ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय लाय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11 . या प्रतान अधिनियम, 1927 कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में औदिषा को दिख:

ं अतः अब, उक्त अधिनियम कनि्धारा 269-न के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ कौ उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :---

- (1) मेसर्स बाबूखान कन्सट्रेक्शन्स, 5−9−58/1−15, बाबूखान इस्टेट, बसीरबाग, हैदराबाद
 - (2) वेवं। मलीहा साहेर पिता श्री वसोरूद्दीन बाबूखान, 6-- 3-- 1 1 1 1 1/4, निशात वाग लेग्राऊट, बेगमपेट, हैदराबाद ।

क्तों बह सुचना कारी करको पुत्रों कत सम्परित को अर्जन को सिए कार्यवाहियां करता हुं।

उक्त सम्पत्ति के वर्षन की सम्बन्ध में कोई मी बासोप 🔤

- (क) इस सूचना के राजपूत्र में प्रकाशन की तारीस के 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों प सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती है, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इंस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पार्श् लिखित में किए जा सकोंगे।

स्पष्टीकरणः--इसमें प्रयुक्त बच्चे और पर्दो का, वो उक्त अभिनियम के अभ्याय 20-क में परिभाषित है, बही वर्ष होगा को उस अभ्याय में दिवा गया है।

मन्स् भी

कार्यालय नं० 1306, तेरहवां मंजिला, 5-9-58/1-15, बाबूखान इस्टेट, वर्सारबाग, हैदरावाद, विस्तीर्ण 1103-चौ०फुट, रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 575/84, रजिस्ट्रीकर्ता ग्रधिकारी ग्राईएसी/ एक्युरिंज, हैदराबाद।

> एम० जंगन मोहन सक्षम प्राधिकारी ` 'सहायक ग्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण) श्रर्जन रेंज, हैदराबाद 985

```
तारीख: 14-2-1985
मोहर :
```

(ग्रन्तरक)

अरूप जाइ. टी. एन. एम. ------

णायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 4२) की भारा 269-भ (1) के बभीन सुचना

भारत सरकार

कार्यासय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, हैक्रराबाद

हैवराबाद, दिनांक 14 फरवरी 1985

निदेश सं० ध्राई० ए० सी०/एक्यू/37-ईई/125---- म्रत: मुझे, एम० जगन मोहन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पदभात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्परित, जिसका उचित बाजार मूल्य, 25,000/- रुट. सं अधिक है

और जिसकी सं० कार्या रेव है, सथा जो बाबूखान इस्टेट बसीरबाग, हैदराबाद, में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची मे और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिनारी के कार्यालय, प्राईएस /एक्य्/ हैदराबाद में भारत/य रजिस्ट्र करण प्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के प्रधान तारीख जून, 1984

को पर्बोश्त सम्परित भे उभित ताजार मुल्स में कम के इसमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई और गया गया है और मुफ़े यह विक्वास करने का कारण है कि यथा-पूर्वोक्त सम्परित का उभित बाजार मुल्य, उसके दृष्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्यह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकाें) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :---

- (क) अन्तरंभ से हुई किसी काय की पावरं, उपले अभिनियम के अधीन कर बोने के अन्तरंक को इयित्व में कनी करने वा उससे वचने के सुविणा के लिए; जीर/या
- (वा) इन्हें किसी आव का किसी भव वा बल्क वास्तिकों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1923 (1922 को 11) से उक्स वाधिनियम, पा वव∝ कर वाधिनिसम, 1957 (1957 को 27) वी प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया पा या किया जाना वाहिए था, खिपाने सें सविधा को विद्य;

अतः अव. उक्त अधिनियम की धारा 269-म को अनसरण कों, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की जणभारा (1) को बधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :---- (1) मेर्सर्स बाबूङान २०१८ द्रम्यान्स,
 5-9-58/1-15, बुसं:र बाग, हैदराबाद (ग्रन्तरक)
 (2) श्रं, सँयद ग्रमार,
 1-6-675/3, मूस,राबाध, हैदराबाद (अन्तौरती)

को यह सुचना आरी करके पुर्बोक्त सम्पत्ति के अर्घन के *सिंग* कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उपल सम्पत्ति को अजन को सम्बन्ध में कांई भी आक्षेप :----

- (क) इस सूचना को राजपत मों प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्राम्बन्धी व्यक्तियों पर सुखना की तामील से 30 दिन की अवधि, खां भी बबधि बाद मों समाप्त होती हो, के भीतर प्र्वोक्त धन्तियों में में फिसी व्यनिन दवारा;
- (ख) इस सुचना को राजपत्र में प्रकाशन की तगरीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवब्ध किसी अन्य व्यक्ति खुनारा अधोहस्ताक्षरी के पांस लिरिजर में किए जा सकोंगे।

খস্ম্ৰী

क्षार्यालय नं० 1308, तेरहवां मंजिला, वावूखान इस्टेट, वर्स रक्षाग, हैदरावाद, विस्तोर्ण 1022, चौ० फुट०, रजिस्ट्र इत विलेख नं० 576/84, रजिस्ट्र,द्रती प्रधिकारों, प्राईएस /एक्यु/रेज, हैदराबाद ।

> एम० जगम मोहन सक्षम प्राधिकारी सहायक ग्रायकर ग्रायुक्त (निर क्षण) ग्रर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख: 14-2-1985 मोहर: [भाग III----खण्ट 1

And the second s

प्ररूप आह. टी. एन. एस. -------

व्यायकर जीधनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-च (1) के अधीन सजना

भारत सरकार

कार्यालय, भन्नायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

ग्रर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदरावाद दिनाक 14फरधरी 1985

निदेश सं० ध्राई० ए० सी०/ध्रक्ति०/37ईई≁126/-----यतः मुझे, एम० जगन मोहन

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचिन बाआर मुल्य 25,000/- रु. से अधिक है

श्रीर जिसकी स० श्राफिस है तथा जो बाबूखान इस्टेट, बसीरबाग हैदराबाद में स्थित है (श्रींश ६ससे उपाबढ़ श्रनुसूची मे श्रीर जो पूर्ण रूप से वर्णित है) र्राजस्ट्रीकर्ता श्रधिकारो के कार्यालय हैदराबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण श्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के श्रधीन दिनांक 4/84

को पूर्योक्त सम्पति के रचित चाजार मुल्य में कम के क्यमान प्रतिफन को लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यभापूर्शक्त सम्पत्ति का उचिन बाजार म्र., उसके दर्धमान धतिफल में, एस दर्ष्यमान प्रतिफल का पद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अनरितियां) के सीप एक अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्यदेश्य से उक्त अन्तरण लिखित में बास्तविक रूप ल कवित नहीं किया गया है ----

- (अ) अन्तरण से हुई किसी आय कौ बाबत, उज्बत अभिनियम के अभीन कर दोने के अन्तरक को दायित्व में कमी करने या उससे वजने में सुविधा के लिए; और/या
- (श) एसी किसी काय या किसी धन या कन्य आस्तियां को जिल्हे जारतीय उगवजर अधिनियम, 1922 (912 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम 1957 (1017 का 27) क प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा

अत अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण मे, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ष्ट की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात —-11—486GI/84 मैसर्म बाबूखान कन्सट्रकान्स 5-9-58/1-15, बसोरवाग हेदरावाद ।

(ग्रन्तरक)

 श्री ग्राजमल लोड सनाई तूलोपा,
 1-8-303/34 एम० को० रोड मिकन्दराबाक्ष ।

(ग्रन्तांग्तो)

को यह सूचना आरी करके एस सम्पत्ति के अर्जन के लिए। कार्यथाहिया करते, दे।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध को कोई भी आक्षेप :----

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन को तारीख से 45 दिन की अवधि या तरसम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जा मी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति इवारा;
- (श) इस सूचना को राजपत्र मां प्रकाशन की तारीस से 45 दिन के नीतर उक्त स्थावर सम्परित का हितबक्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अपोहस्लाक्षरी के पास निसित मों किए जा सकोंगे।
- स्पष्टीकरणः—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो जक्त अधिनियम के अध्याय 20-अ में परिभाषित हैं, बही अर्थ हुत्या जा उस जध्याय में दिया गुगा है।

अनुसूची

कार्यालय नं० 167 168, 172 173 प्रथम तल बाबुखान इस्टेट, बसीरबाग हैदराबाद विस्तीर्ण 1523 76 चो० फुट रजिस्ट्रीकर्ता विलेख नं० 586/84 रजिस्ट्रोकर्ता द्याधिकारी आई० ए० सा० प्रक्विंग्, रेज, हैटरावाद।

> ाक जगन मोहन क्षिम प्राधिकारी सहायक णायकर र्यायुक्त (निरोक्षण) ग्रर्जन रेज र हैदरगवाद

दिनाक 14-2-1985 मोहर • प्ररूप अगर¹, टी उन. एम -----

वायकर अभिनियम. 1961 (1961 का 43) की भारा 269-ल (1) ऊँ अधीन सुचना

খাবে দ জাব

कार्यालय, सहायर्क आयकर आयकत (निरीक्षण)

म्नर्जन रेज, हैदराबाद

हैदराबाद दिनाक 14 फरवरो 1985

निदेश मं० ग्राई० ए० मो०/ग्रक्वि०/37-ईई-127---ग्रत मुझे, एम० जगन मोहन

नायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पक्ष्मात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-म के अधीन सजम प्राधिकारी जो, यह जियनास करने का कारण है कि स्थाउर सम्पत्ति, जिसका उचित जाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है और जिसकी सं० पलैट है तथा जो पडरघसट, सिकन्दराबाद में स्थित है (श्रीर इससे उपाबद्ध श्रनुसूची में श्रीर जो पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता श्राधिनारी के कार्यालय श्राई० ए० सी० श्राविव /हैदराबाद में रजिस्ट्रीकरण श्राधानयम, 1908 (1908, का 16) के श्राधीन 4/84

भग्ने पूर्वोक्त संपरित के उचित बाजार मूल्य से कम के इस्यमान प्रतिफल को लिए अन्तरित की गृइ है और मुक्ते यह विक्वरत करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपरित का उभित बाजा मूल्य, उसके इस्यमान प्रतिफल से एसे इक्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत में अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति-फल, निम्नलिखित उद्वदेय से उक्त अन्तरण लिखित में वास्त-बिक रूप से कथिन नहीं किया गया है '--

- (क) अतरण से हुईं किसी याय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर दनेके अंतरक के दायित्व मे कनी करने या उससे बचने मे सुविधा के लिए, और/या
- (७) एसी किसी आय वा किसी अन मा अन्य वास्तियों को, जिन्हें भारतीय वायकर वाधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त जधिनियम, या धनकर वाधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ वन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया भा या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए

अत अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिपियम की भारा 269-घ उपभारा (1) में अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थातु :---- 1 मैसर्स इनोवेशन, एसोगिएट्स 142/सो पेड्रग्घास्ट, रोड, सिकन्दराबाद्य । (ग्रन्तरक) 2 श्रो क० मोहन रेड्डो, 1−11--28 फ्लोंग रॉड, निझामाबाद । (श्रन्तरिती)

को यह सूचना जारो करको पूर्वाक्त सम्पत्ति को अर्जन को लिए कार्यवाहिया करता हुूूूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्थन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप 🖞----

- (क) इस सुखना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीब वे 45 दिन की अवभिया तस्संबंभी व्यक्तियों पर मृचना की तासील से 30 दिन की अवधि, जो भी जवभि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वों केत व्यक्तियों में से किसी क्यक्ति द्वारा;
- (व) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीव है 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितः बद्ध किसी अल्प व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पाम सिक्ति में किए जा सर्कग।
- भ्यव्यकिर्रणः——इ.मर्दे प्रयुक्त बन्दों और पदों का, वो उच्छ अभिनियम, के अभ्याय 20-क में परिभाषित है. अही अर्थ डोगा जो उस अभ्याय मे दिया ाया द्⁰ ≀

अनुसूची

फ्लैट न० 204 इनोवेशन अपार्टमेन्ट्स वि० जी० रोड, भिकन्दराबाद विस्तीर्ण 1375 चौ० फुटरजिस्ट्रीइन्त विलेख नं० 594/84 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारो आई० ए०सी०, अक्वि० रेंज, हैदरावाद ।

> ाम० जगन मोहन सक्षम प्राधिकारी सहायक म्रायकर म्रायुक्त (निरीक्षण) भ्रर्जन रेज, हैदराबाद

दिनाकः 14-2-1985 मोहरः भाग III---खण्ड 1]

8591

प्ररूप आर्ह. टी. एन ॅएस. - - -

अंज्ञायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 म(1) के अधीन स्वना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्स (निरीक्षण)

ग्रर्जन रेज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 14 फरवरी 1985

निदेश स० श्राई० ए० सां०/एक्नि०/37 इइ/128---श्रत: मुझे, एम० जगन मोहन,

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके परचात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारों को, यह विरकास करन का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचिन बाजार मृल्य 25,000/- रु. से अधिक है

ग्रोर जिसकी स० ग्राफिम है तथा जो वाबूखान इस्टेट . बसीरबाग, हैदराबाद मे स्थित है (ग्रोए इससे उपाबढ ग्रनुसूची में ग्रोर जो पूर्ण रूप मे वॉणत है) ग्रीग्ट्रोकर्ता ग्राधिकारी के कार्यालय ग्राई० ए० नी०/ग्रक्विि/ग्रेक्विण्डोकर्ता ग्राधिकारी के कार्यालय ग्राई० ए० नी०/ग्रक्विि/ग्रेक्विण्डाद मे रजिस्ट्र.करण ग्राधिनियम, 1908 (1908 वा 16) के प्रधान दिनाक 4/84 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के रह्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित जी गर्ड है और मझ यह रिस्वास मूल्य, उसके इत्यमान प्रतिफल से एसे इयमान प्रतिफल का पन्ग्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और (अंत-रितियों) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल मिन्मलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित मे वास्तविक रूप क्य से कथित हुईी किमा गया है क्ल---

- (क्ष) अन्तरण सं हर्ष्ट्र किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचते से सुविधा के लिए, और/या
- (ब) एरेसी किसी आय या किसी पन रा अन्य आस्तियां को जिन्हें भारतीय आयकर अभिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अभिनियम, दाधन-कर अधिनियम, 1957 (1957 इक्त 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिसी द्वारा प्रकट नहीं किया नया था या किया जाना पाहिए था, छिपान के सुविधा के लिए।

अत. अब उक्त आंधनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, में, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) को क्यीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:--- मैसर्स बाबूखान, कन्स्ट्रक्शन्स, 5-9-58/1-15, बसोरबाग, हैदराबाद।

(ग्रन्तरक)

 श्रीमती मसारर्थाूनिसा बेगम, 72, मोगल भ्रपार्टमेन्ट्स डेक्कन टावर्म, बसीरवाग हैदरावाद !

(भ्रन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वाक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं.।

उ क्त सम्परित को अर्जन क संबंध में कोई भी माक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीच से 45 दिन की अवधि या तरसम्बन्धी व्यक्तियों पर स्चना की नामील स 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वीकत व्यक्तियां में से किसी व्यक्ति द्वारा
- (स) इस सूचना कं राजपत्र में प्रकाशन को तारीस से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति क अंदर किभी अन्य व्याहा प्रकाश अभाउम्साक्षरां क पाम लिखिन को फिए जा,सकेंगे।
- स्पश्वीकरण '---एसमा छाता शब्दा आरे पक्षा का, जो। उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क मा परिभाषित हो, पती हो। जा उस अध्याय म दिया गया हो।

मन्स्चौ

कार्यालय, नं० 1301, 1302 तेरहवा मजिला बाब्र्यान इस्टेट, बसीरवाग हैदराबाद विस्तीर्ण, 2407, चौ० फुट, रजिस्ट्रीकृत विलेख न० 596/84 रजिस्ट्रें/कर्ना ग्रधिकारी आई एस० एक्वि/रेज, हैदराक्षाद ।

> एम० जगन मोहन सक्षम प्रधिकारी, सहायक ग्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण), अर्जेन रेंज, हैदराबाद

तारीख. 14 • 2~1985 मोहर :

|भाग 1[[----आणेब 1

प्रकृप बाइ. टी. यन्. एस्. ------

कारण कर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की बाग 269- क (1) के सुधीन सुचना

नारत तर्बाह

कार्यानय, सहायक आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेज, हैदराबाद

हैदगबाद, दिनाक 14फरवरी 1985

निदेश स० आई० ए० सो०/मन्तिव०/37-ईई/120---आत. मुझे, एम० जगन मोहन,

मायकर जभिनियम, 1961 (1961 का 43) (धिंसरे इसमें इसके पक्ष्यात् 'उक्स ऑफिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख को अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विक्लास करने का कारण है कि स्थावर संपरिस, जिसका उचित बाजार मूल्म 25,000/-रु. से अभिक है

श्रीर जिसकी स० फ्लैंट है जो बन्क स्ट्रोट हैदराबाद में स्थित है (फ्रींट इसप उपाबद्ध ग्रनुसूच) में भ्रोंर जो पूर्ण रूप सं वर्णित है) र्याजस्ट्रीवर्ता फ्रांधिकारों के कार्यालय ग्राई०ए० सी०/ श्रविव०/हैदराबाद में रजिस्ट्रोकरण ग्रांधिनियम 1908 (1908 का 16) के ग्राधीन दिनाक 4/84

को पूर्वोंक्स संपत्ति के उमित वाजार मूल्य से कम के दश्यमान प्रतिफल को लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि मधापूर्वोंक्त संपत्ति का उचित वाजार मूल्य, उसके दश्यमान प्रतिफल से, एस प्रस्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अभिन है और जन्तरक (जतरकाँ) आर कंतरिती (बन्तरितियाँ) के बीच एसे अन्तरभा के लिए तय पाया गया प्रति-फल निम्नजिखित उद्द दय से उन्हर अन्तरभा लिखित में वास्त-विक रूप से कणित नहीं किया गया है :---

- (क) सन्धरण्ड से हुद्द जिल्सी आस की सावस, डक्स अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के कायित्स में कभी करने या उसके यजने में उद्देवभा के फिए; ध्यौर/सा
- (ख) एंसी किसी आस या किसी भन या अस्य आस्तियां खो, चिन्हों भारतीय आय-कर अभिमियम, 1922 (1922 जग्र 11) या उपल अभिनियम, या भनकर अभिनियम, 1957 (1957 का 27) को प्रयोजनार्थ अन्तरिती क्यारा प्रकट नहीं किया भया था या फिया जाना चाहिए था छिपाने में बुब्धा को लिए,

अतः अस, खरूत अभिनियम की धारा 269-य क, अनुसरण भे, में उक्त अधिभियम की धारा 269-य की उपप्रारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् .---

- 1 **म**मृत मपार्टमेन्ट्स् 4-3-336 बैन्क स्ट्रीट हैदराबाद
- 2. श्रीमती प्रवोन रानी सक्सेना, 6–2–966/6 हील कालनी खैरताबाद हैदराबाद ।

(भ्रन्तरिती)

(म्रन्तरक)

को यह सूचना जोरो कग्के पूर्वाक्त सम्परित के अर्जन के लिए कार्यवाहिया शुरू करता हु:

उन्त सम्परित के बर्जन के सम्बन्ध में कोई भी वालेपु :---

- (क) इस सुचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सुचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वीक्त क्यक्तियों में से किसी क्यकित बुबारा;
- (ख) इस सूचमा के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख स 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्परित में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोह्स्पाक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंग'।
- स्पष्ट्रीकरणः−इसमें प्रयुक्त शब्दों गौर पदां का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क मे परिभाषित है, बध्री अर्थ होगेक जो उस अध्याय मे दिया गया ड़ै।

नपुसुची

पलैट न० 103-वि ग्राउन्ड पलोर अमृत श्रपार्टमेन्ट्स् 4-3-336 बैंक स्ट्रीट हैदराबाद विस्तीर्ण 763 चौ० फुट रजिस्ट्रीक्वेत विलेख न० 600/84 रजिफ्ट्रोकती श्रधिकारी श्राई० ए० सी०/श्राविय रेंज हैदराबाद ।

एम० जगन मोहन सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेज हैदराबाद दिनांक : 14-2-1985 मोहर : শান 🎹--জতু 1]

~ ~

प्रकृप आर्द्धः टी. एन. एस. ------

भायकर अणिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-अ (1) के वभीन स्परना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) प्रर्जन रेज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनाक 14 फरवरी, 1985

निदेश स० ग्राई०ए० सी०/एक्यू०/37-व्ह/130--ग्रतः मुझे, एम० जगन मोहन

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पक्ष्यात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अभीग सक्षम प्राधिष्कारी को यह विक्वास करने का कारण है कि स्थावर संपरित, जिसका उचित बाजार मुस्य 25,000/- उ⊤ म अधिक ह⁴

श्रोर जिसकी स० फ्लैट है ग्रोर जो ए० सं० गईस हैदराबाद में स्थित है (ग्रोर इससे उपाबड अनुसूची में ग्रोर पूर्ण रूप से वर्णिन है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी चैकार्यालय, हैदराबाद में रजिस्ट्रीकरण ग्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 4/1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति को उपित बाजार मूल्य में कम के दश्यमान प्रतिफल को लिए अन्तरित की गई है और मुफे कह विश्वास करने का कारण है कि पर्धाण्वोक्त सम्पत्ति का जीचन बाजार मुल्य, उसके दश्यमान प्रतिफल स, एस अध्यमान प्रतिफल का पद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अतरकों) और अंतरिजी (अन्तरि। तयों) के बीच एस बग्तरण के लिए क्षय पाया गया प्रति-फल निम्नीलखित उद्देव्य ते उक्त अनरण लिखित में बास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया ही ---

- (क) जन्तरज से हरू किओ आद की बाबत उपत अधिनियम के अधीन कर रोते के जन्तरक की दायित्व में कभी करने या उपसे बचने में सुविधा के लिए, और/या
- (का) एभी किंसी बाय का किसी धन था अन्य वास्तिवों का, जिन्हे भारताय गण-कार आश्रोकार, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरितो द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में स्विधा के लिए;

अत: अब, उक्स अधिनियम को धारा 269-ग को, अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम को धारा 269-य को उपधारा (1) के अधीन स्मिन्गिषित व्यक्तिया, अर्थात् --- 1. मैसर्स रूद्राराज बिल्डस् 10-2-6-ए० मी० गार्डस्, हैक्षराबाद । (अन्तरक)

- -----

2 श्री नमनाधास, बाम्बे डीस्भाउन्ट हाल, फुल बाजार, करनूल । (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्परित के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हु-।

उक्त सम्परित के अर्जन को संबध में कोई भी आक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियो पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, को भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति ख्वारा;
- (ए) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख सैं 45 दिन के भीतर उक्त स्थागर सम्पति में हित्बव्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोष्ठस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकोंगे।
- स्पष्टीकरण इसमें प्रयुक्त शब्धों और पदों का, जो उक्त अलिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित ह⁹, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया **ह**ै,

नम्स् चौ

फ्लैट, 10-2-6- ए० सा० गार्डम, हैदराबाद विस्तीर्ण 1021 चौ० फु०, रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 603/84, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी आई० ए० सी० /अिक्वि रेज, हैदराबाद ।

> ण्म० जगन मोहंन सक्षम प्राचिकारी सहायक आयवार आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेज, हैदरानाद

दिनाक 1.4-2-1985 मोहर ्राज्य नाइ"्. टी. एन. एस. -------

बायकर बधिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-भ (1) को अधीन स्थना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आवकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेज, हैक्षराबाद

हैवराबाद, 14 फरवरी, 1985

निदेश स० अःई० ए०मी० एक्यू /37ईई 131---अत मुक्षे एम० जगन मोहन

वायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचिते बाजार मूल्य 25,000/ रु. से अधिक है

और जिसकी स० फ्लैट है तथा जो मारेडपर्ल्ला, सिवन्दराबाद मे स्थित है (और इसमे उफ्लबद्ध अनुसूची मे और जो पूर्ण रूप से वॉणत है) रजिस्ट्रीवार्ती अधिकारी के वार्याताय

सिकन्द्रगबाद में रजिस्ट्राक्षरण अधिनियम, 1908 (1908 वर्ग 16) के अधीन दिनाक 4/84

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के इस्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मूझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापुर्धोक्त संपत्ति का उचित आजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पुन्द्रह प्रतिप्तत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरको) और अन्तरिती (अन्तरितियों) अबे बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पूराया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देय से उक्त अन्तरण किचिस में वास्तविक रूप से कथित नही किया गया है '---

- (क) अन्तरण से ट्रुइ किसी जाय की वावता, उचत अभिनियम के अभीन कर दोने के अन्तरक के दायित्य में कमी करने था उदासे वजने में सुविधा को झिए; जौर/वा
- (४) एसो किसी बाब वा किसी भन या अल्प वास्तियों को, जिन्ह¹ भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या भन्नकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनाथ अन्तरिती ब्यारा प्रकट नहीं किया बया था वा किया जाना चाहिए पा छिपाने जे सविधा के सिए;

अत अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुमरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अभीन निम्नलिसित व्यक्तियों अभीत !--- मैसर्म गंत्ताजली, व'न्स्ट्रक्शानस 225 ए, ुमारेडपल्ली, ए० ओ० सी० सैन्टर, मिकन्दराबाद ।
 भिकन्दराबाद ।
 श्री के० दाद्दश्माई, डी० 11-17, मोती बाग, न्यू दिल्ली-21
 (अन्तरिती)

को यह सुचना जारी करके पूर्वीक्त सम्परित के अर्जन के लिए कार्यवाहिया करता हु।

उक्त सम्पत्ति के कर्जन के सम्बन्ध में कोई भी बाक्षेप :--

- (क) इस सुचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीब से 45 दिन की अवभि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों दर सुचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी जबभि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी क्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के अपत्र में प्रकाशम की तारील स 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबब्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित म किए जा सकोंगे।
- स्पष्टीकरण.----इसमें अयुक्त झब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क मे परिभाषित है, वही अर्थ होगा फो उस अभ्यक्त्य में दिया गया है।

मम्त्र्ची

फ्लैट न० 2, ग्राउन्ड, फ्लाअर, गीताजली करस्टूक्शन्स म रेडपल्ना, पिकन्दरावाद, विस्तोर्ण रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 604/84, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी आई०ेए० सी० अक्वि०, रेज, हैदराबाद /

> ण्म० जगन मोहन सक्षम अधिकारी सहायक आयकर आयुक्स (निरीक्षण) अर्जन रेज, हैदराबाद

दिनाक 14-2-1985 भाइर

आयकर अभिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन मुचना

भारत सरकार

कार्यालय सहायक आयंकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेज, हैंदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 14फरवर्रा, 1985

निदेण सं० आई० ए० मं१० /एमिव० 37ईई/132---अतः सुझे एम० जगन मोहन

- आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पदमात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख को अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विख्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मुल्य 25,000/-रुपये से मधिक है
- और जिसकी सं० प्लैंट है तथा जो मारेडपर्ल्ल में स्थित है और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से /वणित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सिकन्दराबाद में रजिस्ट्री-करण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधील दिनांक 4/84
- को पूर्वीक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के इत्यमान प्रतिफल को लिए अन्तरित की गई है और मुफ्ने यह विख्यास करने का कारण ही कि यथापूर्वीक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मुल्य, उसके अध्यमाग प्रतिफल से, एसे दर्श्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रसिद्यत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच एमें अन्तरण के लिए तथ पाया गण प्रतिफल, निम्नलिखित उद्ददेय से उक्त अन्तरण लिखित वास्तविक रूप में कथित नहीं किया गया है '---
 - (क) जन्तरण से हुई किसी जाथ की बाबत उक्त जभि-अधिनियम के अभीन कर दोने के अन्तरक दायित्व में कमी करने या उससे अपने में सुविधा को निताग, ∘ा^र/या
 - (स) एरेसी किसी आय या धन या खन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्तः अधिनियम, धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 2**7)** के प्रयोजनार्थ अस्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सविधा को लिए;

अतः जब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उसत अणिनियम की धारण 269-ण की उपभाग (1) के अधीन, निम्नलिस्ति व्यक्तियाँ, अर्थात :--→

 म म म गे ता जली, कन्स्ट्रकणन्स, $225 \, \overline{v}$, मारेखपल्ली, ए० ओ० सं10 सेन्टर, सिबन्दराबाद । (अन्तरक) 2. नोर्म.र तालयाला, णलाना, र्ट, इस्टेंट मालाना पो० नाऊगोंग, आसास-782 139 (अन्तरिती)

> को यह सूचना जारी करको पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन को लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्परिस के क्षर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :---

- (क) इस सुचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीच से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति युवारा;
- (श्र) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीस से 45 दिन के भौतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितनद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिसित में किए जा सकोंगे।
- स्पच्टीकरणः --- इसमें प्रयुक्त शब्धों और पदों का, আন ড কর अभिनियम के अध्याय 20-क में **परिभाषिक** हैं, बही अर्थ होगा, जो उत्त अध्याय में दिया गया है।

जन्म

पलैट नं० 3, ऐ० ओ० सी०, सेटर, 225 /ए, मारेडपल्खी, सिकन्दराबाद, रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 605/84, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारों। आई० ए० सं:०, एक्वि०, रेंज, हैदराबाद ।

> एम० जगन मोहन सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज, हैदराबाद

दिनांक : 14-2-1985 मोहर :

प्ररूप बाई. टी. एन. एस. ------

वायकर वैधिनियम, 1961 (1961 का 43) की आब 269-ग (1) के वधीन सुचग

भारत मरकार

क्रार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्ज<u>न</u>्रेज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 14 फरवरी, 1985

 निदेश सं० आई० ए० सी०/एक्वि०/37ईई/133---अत: मुझे एम० जगन मोहन

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पक्ष्यात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारों को, यह वि्ववास करने का कारण है कि स्थावर सम्पन्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-ए. से अधिक है

और जिसकी सं० कार्यालय है तथा जो बसीरबाग, हैदराबाद में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वणित है) रजिस्ट्री कर्ता अधिवारी के कार्यालय आई० ए० सीं०/ एक्वि हैदराबाद में रजिस्ट्री करण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 4/84

•को पूर्वोक्त सम्पत्तिं के उचित बाजार मूल्य से कम के टब्यमान करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दब्यमान प्रतिफल से एसे दब्बमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अतरिती (जन्तरितियाँ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति-फल, 'निम्नलिखित उद्ददेय से उक्त अंतरण लिखित मे वास्त-विक रूप से कथित नहीं किया गया है :---

> (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अभीच कर दोने के अन्तरक की दायित्व में कमी करने वा उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

- 1
 मैसर्स, बाबू खान ,, कन्स्ट्रवशन्स,

 6-9-9-58/1-15,

 वावू खान इस्टेट, बर्स, रबाग,

 हैदराबाद । '

 (अन्तरंक)

 2

 अपान, रविया , दाध्यफ एति थ, असरफ अत्मर पान
- 2 श्रामत। रझिया, आसरफ, पति श्रा असरफ अरुमद खान कार्यालय न ० 145, प्रथम तल, 5-9-58/1-15, बाबखान, इस्टेट, हैदराबादा (अन्तरिती)

से यह सूचना सार्डी करके पूनाँक्त सम्पत्ति के वर्जन के लिए कार्यधाहियां करता हूं।

उक्त सम्पति के वर्जन के सम्बन्ध में कोई भी बासेपः--

(क) इस सुचना के राज्यत में प्रकायन की तारीस से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर् सुचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी वर्बीध बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वीक्छ व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति दबारा:

ेइसः सुचना के राजपत्र में प्रकासन की तारींख सैं 45 दिन के भौतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिग्वित में किए जा सकेगे।

स्थल्टीकरणः----- प्रयमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्स बॉधनियम, के अभ्याय 20-क में पीरशाधित है, वही अर्भ होगा जो उस अध्याय में दिया क्या है।

अन्स्षी

ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियां कायालय, ने० 145, को, जिन्हें भारतीय आय-कर वीधीनियम, 1922 रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 6 (1922 को 11)' या उक्त अधिनियम, या रजिस्ट्रीकृत जिखिकारी ज धन-कर वीधनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ जन्तरिती इवारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने बरें

कार्यालय, नं० 145, जमीरब्राग, हैदराबाद, 5⁻9-58/1-15 रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 606/84 विस्तीणं 305.46 चौ० फु० रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, आई०ए० सी;०/एक्विरेज हैदराबाद।

> एम० जगन मोहन सक्षम प्राधिकारी स**ुयक आयकर ग्रायुक्त (निरोक्षण)** अर्जन रेज, हैंदराबाद

बतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण मे, मै, ज्वत अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन्न, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :---

स्विधा के लिए;

दिनाकः : 14-2-1985 मोहरः प्ररूप वार्ष, टी. एन. एस., -------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269--घ (1) के अधीन स्थना

भारत सहकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जनरेंज, हैदराबाद

हैपराबाद, दिनांक 14 फरवरी 1985

निदेश सं० आई०ए० सी० एक्वि०/37ईई/134---अत: मुझे एम० जगन मोहन

- आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), कीं धारा 269-च के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विक्वोस करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित् बाजार मूख्य 25,000/- उ5. से अधिक है
- और जिसकी सं० फ्लैट है तथा जो पंडरघसट, क्लिकन्दराबाद में स्थित है (और इससे उपाबद अनुसूर्चा में और जो पूर्ण रूप से वणित है) रजिस्ट्रीक्टर्ता अधिकारी के कार्याप्तय आई० ए० सी:०/ एक्वि,/हैवराबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908का 16) के अधीन दिनांका 4/84

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दरयमान प्रतिफल के लिए जन्तरित की गई है और मूझे यह विश्यास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मुल्य, उसके दरयमान प्रतिफल से, एसे दरयमान प्रतिफस का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और जन्तरफ (जन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे जन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्दरेय से उक्त अन्तरण जिकिन में वास्तविक रूप से कथित नहीं किवा गया है:----

- (फ) बन्दरम दे हूद किसी बाथ की बावत उपस वॉथ-निवन के बगीन कर दोने के जन्दरक के शमिरम में कमी करने था उससे बणने में सुविधा के लिए; मीट/बा
- (व) एसी किसी जाव वा किसी थल वा कम्स कास्टिमां को, चिन्हें भारतीय वायकर वीधनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त वीधनियम या थन कर विधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोज-वार्थ वन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया वया था या किया जाना द्वाहिए था स्टिपाने में सुविधा अन् किए;

बतः अव, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ण की उपधारा (1) के अधीन. निम्नग्लिखित व्यक्तियाँ, अर्थात :----12---486GI/84 मैसर्स इनो वेंगन, एसोगिएट्स, 142/सी, पेंडरघास्ट, रोड, सिकन्दराबाद । (अन्तरक)
 मैसर्स अहमद एण्ड कं०, साजा जी गेट, जोधपुर, राजस्थान । (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्परित के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हु:

उक्त सम्पत्ति को अर्जन को सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप "----

- (क) इस सुभाना को राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवभि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सुभाना की तामील से 30 दिन की अवभि, जो भी अवभि बाद में समाप्त होती हो, को भीतर पूर्वीवस क्यक्तियों में से किसी व्यक्ति खुवारा;
- (ख) इस सुचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन को भीतर उक्त स्थावर सम्परित में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकींगे।
- स्पक्षतीकरणः—--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अभिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित ह⁴, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया ह⁴।

वन्तुची

फ्लैट तं० 407, चौथा मं**ड्राअ**लें, 142/सी, पेंडरघस्ट,रोड, नं० 609/84, रजिस्ट्रों कर्ती अधिकारी आई० ए० सी०, अक्वि २ रेंज, हैदराबाद

> एम० जगन मोहन सक्षम प्राधिकारी महायक आयकंर आयुक्ष्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज, **हैद**राबाद

विनांक 14-2-1985 मोहर : इष्क्य् नरहु. टी. एवु. एसु. --------

and a second second

बायकर अभिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-म (1) के बभीन सूचना

धारत सुरकात

कार्याबय, बहायक मायकर वायुक्त (निरांश्ल)

अर्जन रेंज, हैंदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 14 फरवरी, 1985

निदेश सं० आई० ए० सी० एक्वि०_/ 37/135इइ---अत[.] मुझे, एम० जगन मोहन

वायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमे इसके पदकात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया हु"), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उष्णित वाजार मूख्य 25,000/- रु. से अधिक है

श्रोर जिसकी सं० फ्लैट है तथा जो बसीरबाग हैदराबाद में स्थित है (ग्रोर इससे उपावद अनुसूची में ग्रोर जो पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्री-कर्ता अधिकारी के कार्यालय आइ० ए० सी०/एक्विंश/हैदराबाद मे रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिर्नाक 4/84

को पृथोंक्त सम्पत्ति के उचित नाजार मूल्य से कम के इष्यज्ञान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुर्भे यह विष्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित नाजार मूल्य, उसके द्ष्यमान प्रतिफल से, एरेसे द्ष्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (बन्तरितियाँ) के बीच एरेसे अन्तरण को लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नजिखित उद्वेषय से उक्त अन्तरण सिचित में आस्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :---

- (न्ग्र) अन्तर्प से हुंद्द किसी जाय की वादत, उल्ला वाध-जियम के अधीन कर दोने के अन्तरक को दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; धौर/या
- (व) एरेसी किसी भाग या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती इवारा प्रकट नही किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में स्विधा के सिए;

 मैससं वाबूखान कन्स्ट्रंक्यान्स, 5-9-58/1-15 बसारचाग, हैदराबाद। (अन्तरक)
 श्री हामीधअली, 16-2-59सी, अकबरखाग, हैदराबाद। (अन्तरिसी)

को यह सुथना थारी करके पूर्वोंक्त संपरित के अर्थत के निष् कार्यवाहिया करता हुं।

उक्त सम्परित के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी जाक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राज्यपत्र में प्रकाशन की तारीय ते 45 दिन की अवभि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवभि, या भी अवभि वाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वीक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताकरी के पास लिखित में किए जासकोंगें।

स्पथ्वदीकरणः :---इसमं प्रयुक्त क्षर्व्या और पर्वो करे, भो उक्त अभिनियम, के अभ्याय 20-क में परिभाषित .ह", वही अर्थ होगेर जो उस अभ्याय में दिया गया ह"।

ब्नुसुची

कार्यालय न० 156, 157 बाबूखान इसटेट, बसीर**बाग** हैदराबाद, विस्तीर्ण, 614 चौ० फु०, रजिस्ट्रीक्वत विलेख नं० 611/84, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी आर० ए० सी०, _/एक्वि/ रेंज, हैदराबाद ।

> एम० जगन मोहन सक्षम अधिकारी सहायक आँयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज, हैदराबाद

गतः, अय, उक्त अधिनियम की भारा 269-म के अनुसरण मैं, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-म की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :---

दिनांक 14-2-1985 मोहर : प्रकम बाह्रांक ठीक एवत एछत्रान्स्टान्स्टन्न

सायकर सीभीनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-व (1) के बभीन स्वना

मार्त चरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 14 फरवरी 1985

निदेश सं० आर०ए० सी्० नं० आई०ए०सां०/ एक्वें/ 37 ईई/ 136---अतः मुझे एम० जगन मोहन

नायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त अधिनियम' कहा गया ही, की पारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण ही कि स्थावर सम्पति, विसका उचित वाआर मुख्य 25,000/-रु. से अधिक है

भौर जिसकी सं० फ्लैंट है तथा जो बसीरबाग, हैदराबाद में स्थित हैं (श्रौर इससे ज़पाबज़ अनुसूची में ग्रौर जो पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय आई० ए०सी०/ एक्वि/हैदराबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 के 16) के अधीन विनाक 4/84

को पूर्वोक्स संपरित के उचित बाजार मूल्य से कम के इत्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुफे यह विक्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपरित का उचित बाजार मूल्य उसके इत्यमान प्रतिफल से, एसे इत्यमान प्रतिफल का गन्द्र प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय गाया गया प्रतिफल, निम्नेशियत उच्च क्य से उक्त जन्तरण किचित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गवा है ह---

- (क) अन्तरण ते हुद्द कित्ती बाव की वावत, उक्त जीवविकन के अभीन कुछ देने के अन्तरक के दायित्व में कमी कुछने था उससे वजने में सुविभा के बिष; और/का
- (थ) एसे किसी आय या किसी भन या अन्य वास्तियाँ का जिल्हु भारतीय वायकद्र कभिनियम, 1922 (1922 का 1) गे उक्त वीभनियम, या भव-कर वभिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती ख्वारा प्रकट नहीं किया गया भा या किया जाना थाहिए था, छिपाने में सविभा की विष्

अतः अव, उक्त अभिनियम की भारा 269-ग को अन्सरण बो_ल जो, उक्त अभिनियम की भारा 269-ग की उप्पारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :--- मैंसर्स प्लाटीनम कन्स्ट्रक्शनस् को० 4-1-966 ध्रवीष रोड, है्षराबाद । (अन्तरफ)
 कुमारी ध्रायेशा सुलताना, 5-7-328, न्यू आगापुरा हैदराबाद ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करुके पुर्वोक्त सम्परित के अर्जन के सिंधु कार्यवाहियां करता हुां।

उनत सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप 🤅----

- (व) इस सूचना के उप्रवमन में प्रकाशन की तारीब के 45 दिन की अवधि या तृत्संबंधी व्यक्तियाँ पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी मवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त कैयक्तियां में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीदा से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपरित में हितबद्ध किसी जन्य व्यक्ति ब्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकरेंगे।
- स्पर्ख्योकरण: इसमें प्रयुक्त शब्दों और पर्दों की, जो उक्त अधिनियम, के अभ्याय 20-क में परिच भाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अभ्याक में दिया गया है।

प्रमुसूची

फ्लैट नं० 4, 3--6--138, हैदराबाद, विस्तीर्ण, 12138, जौ० फ़ु०, रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० ^ह612/84, रजिस्ट्रीकृती अधिकारी आद० ए० सी०, अक्वि० रेंज, हैुदराबाद ।

> एम० जगन मोहन सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्स (निरीक्षण) अर्जन रेंज, हैवराबाद ।

दिर्नांधः : 14-2-1985 मोहरः ः प्ररूप अग्रह". टी. एन. एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की गारा 269-भ (1) के अधीन सुमना

भारत सरकार

कार्यांक्षय, सहायक भायकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 14फरवर्रा 1985

निदेग सं० आर० ए० सा० आई० ए०सी०,एक्वि/37ईई/137---मुझे, एम० जगन मोहन,

आयकर अधिनियम, 1961 ।(1961 का 43) (जिसे इसमे इसके पत्त्वात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की भारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विक्लास करने का कारण है कि स्थावर सम्मति, जिसका उणित नाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक ही

म्नौर जिसकी सं० प्लैंट तथा जो मारेडपल्ली में स्थित है (ग्रौर इससे उपाबंद अनुसूची में ग्रौर जो पूर्ण रूप से वणित है), रजिस्ट्रीकर्ता अज्ञिकारी के कार्यालय सिकन्दरा-बाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनाक 4/84

को पूर्वोक्त सम्पत्ति को उचित बाजार मूल्य से कम के दरयमान प्रतिफल को लिए अन्तरित की गई है और मुम्हे यह विद्यास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दरयमान प्रतिफल से एसे ध्रयमान प्रतिफल का पन्ग्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और कुत्तरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तथ पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्दोदय से उक्त अन्तरण निचिष्ठ में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:----

- (क) अन्तरण से हुंदूँ किसी आग की बाबत उक्त अभि-अभिनियम के अभीन? कर दने की बन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुनिधा के लिए; और/या
- (व) ऐसी किसी आय या किसी भन या जन्म झास्तियों को जिल्हु भारतीय 'आयकार अभिनियम, 1922 (1922 का 11) 'या उक्त/अभिनथम, या भन-कर अभिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया गया प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया गया वा या किया जाना चाहिए था, खिपाने में सुविधा ही विद्य;

अतः अग, ज़क्त अभिनियम की भारा 269-ग को, झनूसरण में, मैं, उक्त अभिनियम की भारा 269-व की उपभारा (1) के अभीन, निम्नलिसित व्यक्तियां, अर्थात् હ—-- मैंसर्स गीक्षांजली, कन्स्ट्रक्शन्स, 225_/ए, मारेडपस्ली, ए० म्रो० सी॰ सेन्टर, सिकन्वरागिबाद । (अन्सरक)
 श्री मार्क, स्टीफन, रोमीम्रो, बेस्ट, मारेडपस्ली, सिकन्दराबाद ।

(अन्तरिती)

को शह सूचना जारीं करने पूर्वोक्त सम्परित के वर्षन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्परित के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्ष्प .---

- (क) इस सूचना के राष्यत में प्रकाशन की तारीष से 45 दिक की वर्षी या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तानीस से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि माद में समाप्त होती हो, के भीतर प्रोंवत क्यवित्तयों में से किसी व्यक्ति इनारा;
- (श) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीषर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकर्गे।

अन्स्ची

फ्लैट] नंू ग्राउन्ड फ्लोअर, मारेडपल्ली, सिक्कन्दराबाद, बिस्सीर्ण, रजिस्ट्रीक्वत विलेख, नं० 611–ए/84, रजिस्ट्रीक्वर्ता अधिकारी आई० ए० सी०,एक्वि रेंज, हैवराबाद।

> एम० जगन मोहन सक्षम प्राधिकारी सह्रायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज, हैदराबाद

दिनांक : 14-2-1985 मोहर : भाग III---खण्ड 1]

्रत्रका माइ., टी. एत. देख., +----

आयकर अभिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-भ (1) के अभीन सुमना

भारत सरकार

कार्याजय, सहायक जायकर जायुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैवराबाद, दिनांक 14 फरवरी, 1985

निदेश सं० आई० ए० मी०/3 एक्वी/ईई, 138—अतः मुझें एम० जगन मोहन,

भायकर अधिानयम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पक्ष्पास् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विध्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- र5. से जीभक है

श्रौर जिसकी स० दुकान है, तथा जो हीमायत नगर, हैदराबाद में स्थत है (श्रौर इससे उपाबद्ध अनुसूची में श्रौर पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय आई० ए० सी०,एक्वि, हैदराबाद, में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 4/84

को पूर्यांक्त सग्पत्ति के उचित बाजार मूल्य में कम के उभ्यमान प्रतिफल को लिए अंतरित को गई है और मूओ यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित वाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, एसे दृश्यमान प्रतिफल के पंद्रह प्रतिश्त से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंत-रितियों) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्दोश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :---

- (क) अन्तरण से हुइ्रे किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दागित्व में कमी करने या उससे बचाने में सुविधा. केलिए; बौर/गा
- (क) एमेगी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियां को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती, ब्वारा प्रकट नही किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः असं, उनत अभिनियम की धारा 269-ग्घ के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियो, अर्थात् ----

- मेंसर्स प्लॅटीनम, कन्स्ट्रक्शन्स, कं० 4--1--966₁ अबिन्द रोड, हैदराबाद । (अन्तरक)
- मास्टर, एम० ए० राजमान,
 5-7–328, न्यू आगापुरा,
 हैवराबाद ।
 (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वीक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त संपन्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :----

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीस से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियाें पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वीक्त व्यक्तियां में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (७) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीस स 45 दिन के भोतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी जन्य व्यक्ति ध्वारा अधोहस्ताक्षरों के पास लिखित में किए जा सकोंगे।
- स्यख्टीकरणः—--इसमें प्रयुक्त शब्दां और पदो का, जो अक्त अधिनियम, को अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

मनुस्ची

दुकान; नं० 3, हीमायत नगर, हैवराबाद विस्तीर्णं∦ 12138, चौ० फुट , रजिस्ट्रीक्वन विलेख नं० 613/84, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी आई० ए० सी०, एक्वि, रेंज, हैवराबाद ।

> एम० जगन मोहन सक्षम प्रधिकारी सहायक आयकर ब्रायुक्स निरीक्षण) अर्जनरेंज, हैदराबाद

दिनांक: 14-2-1985 मोहर:

(भाग JII- खण्ड 1

प्ररूप आर्ह. टी. एन. एस. ------

नाथकर जॉथॉनियम. 1961 (1961 का 43) की धारा 269-म (1) को अभीन स्चना

भारत राउकार

कार्यालय, सहायक आयकर वायुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 14 फरवरी 1985

निदेश सं० आई० ए० 'सी० एक्वि० 37ईई 139----अत: मुझे, एम० जगन मोहन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसको पक्षात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-च के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विक्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्परित, जिसका उचित वाजार मृत्य 25.000/- फ. से अधिक है

और जिसकी सं० फ्लैंट है तथा जो हीमायस नगर, हैंदराबाद में स्थित है (और इससे उपाबढ अनुसूची में और जो पूर्थ रूप में वणित है) रजिट्राकर्ता अधिकार। के कार्यालय आई० ए० सी० एक्वि, हैदराबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम. 1908 '(1908 का 16) के अधीन दिनांक 4/84

को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के इस्यमान प्रतिफब के लिए अन्तरित ब्वी गई है और मुफे यह निश्वास करने का कारण है कि यथाप्वोक्त सम्पत्ति का उाचत बाजार भूच्य, उसके व्ययमान प्रतिपर्श्न से, एस व्ययमान प्रविफल का पन्द्रह प्रांतशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरका) और अतोरतो (जन्तारतियों) के बीच धरेसे वंतरण के लिए तब वाया पया प्राराफन, निम्नलिडित उड्डवेय से उक्त जंतरण लिखित में बास्तविक रूप से कथि्त नहीं किया गया है:---

- (क) बीवरूम पे हुइ। सिक्सी वाय की वायता, उनसः जीधनिंगम के जधीन कर वाने के अन्तरक के वायित्व में केनी करने वा उच्चवे वृष्ट्रने में बुविधा के जिए; जीइ/या
- (ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, चिन्हें मारतीय वायकर मॉथॉन्यम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धनकर वॉथनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोवनार्थ बंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया वया वा वा किया चाना वाहिए चा छिपाने में स्विधा को लिए,

 मैसर्स प्लेटीनम कन्स्ट्रक्शन्स, कं० 4--1-966 अग्रिद रोड, हैदराबाद (अन्तरक)
 श्री एम० ए० सुजीब, 5-7-328, न्यू आगापुग, हैदराबाद। (अन्तरिती)

को ग्रह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हु:

बक्त सम्पत्ति के सर्जन के सम्बन्ध में कोई भी वाक्षेप ः---

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीब से 4.5 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी स्थक्तियों पड़ सुचना की तामील से 30 दिन को अवधि, को भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वों देत व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वाराः
- (ख) इस सुंचना को राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन को शीतर उबत स्थातर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी जन्म व्यक्ति द्वारा, जभोहस्ताक्षरी के पास निवित में सिग्ध जा बकोंने।
- स्पब्दीकरणः :----इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अभि-नियम के अफ्रीय 20-क में परिभाषित हैं, है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

নন্দ্ৰশী

दुसान नं० 1, और 2, हीमायत नगर, हैदराबाद विस्तीर्ण 12138, चौ० फु०, , रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 614/84, रजिस्ट्रीवर्त्ता आधकारी आई० ए० संठिएक्वि, हैदराबाद मे स्थित है।

> एम० जगन मोहन सक्षम प्राधिकारी सहायक ग्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेज, हैदराबाद

अतः शब, उक्त अभिनियम की भारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अभिनियम की भारा 269-म की उपधारा (1) के अभीन 10 निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् हिन्न

दिनांगः '14-2-1985 • मोख्रुर 🛙 भूकम् बाइ ... टी. . एप.. एस

नायकर अभिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-६ (1) के जभीन सूचना

HIG CON

कार्यालय, सहायक आयकर बायूबस (निरीक्षण)

अर्जन केंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 14 फरवरी, 1985

निदेश सं० आई० ए० सी० एक्वि० 37ईई 140---अत म्झे, एम० जगन मोहन,

भायकर अभिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इस्के इसके परचात 'उक्त अभिनियम' कहा गया है),, की धारा 269-ख के अभीन सक्षम प्राधिकारी को यह विरुवास बारने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अभिक है

और जिनकी सं० पलैट है तथा जो हिमायत नगर, हैदराबाद में स्थित है (और इससे उपावद्ध अनूमूचो में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय आई० ए० स्:० एक्षित्र हैदराबाद, में रजिस्ट्रीकर अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 4/84

को प्याँक्त संपरित के उभित बाबार मूल्य से कम के क्रयमान प्रतिफल को लिए जन्तरित की गई है और मुभे यह विदवास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उभित वाजार मूल्थ, उसके दश्यमान प्रतिफल से, एस दश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अंतरितियों) को बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया भया प्रतिफल, निम्नीखिसित उद्दरिय सं उक्त जन्तरण लिसित में वास्तविक रूफ से कथित नहीं किया गया ही ----

- (क) अन्तरण से हुई किसी जाय की बाबत, उक्त वर्धिनिय्थ, के वधीन कर दोने के बन्तरक वो दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; बीर/या
- (ख) एरेसी किसी भाग या किसी भन या अन्य आस्तियों को, जिन्हों भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 को 11) या उक्त अधिनियम या भन-कर अभिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तर्गरती द्वारा प्रकोट नही किया गया था या किया जाना थाहिए था, छिपाने में स**विधा के सिए;**

प्रत, अब, उक्त वर्षिनियम को धारा 269-ग को बनुसरन में,में उक्त अधिनियम को धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन जिम्मलिखित व्यक्तियों, अर्थात.---- मैसर्स प्लोटीनम, कन्स्ट्रक्शन्स, कं० 4–1966, अबिद रांड, हैदराबाद। (अन्तरक)
 एम० ए० समद, 5–7–328, द्यू आगागापुरा, हैदराबाद। (अन्तरिती)

को यह सूचना जार। करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के सूचन के लिए कार्यवाहियां सुरू करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप ----

- (क) इस सुचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीस से 45 दिन की बबधि या तत्सम्बन्धी क्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, को भी बबधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त क्रक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (क) हुछ सूचना के राज्यत्र में प्रकाशन की तारीक्ष से 45 दिन के भीतर उक्त स्थानर सम्परित में हितब्रह्भ किसी कुम्ब स्पुलित बुवारा जुभोहस्ताकोडी के प्रश जिवित में किए जा सकोंगे।

स्पच्छीकरण :----द्समें अयुक्त शब्दों और पर्दो का, जो उक्त अधिभूनियन, के अभ्याय 20-क में परिभाषित है, बही नर्थ होगा, जो उस अभ्याय में दिया न्या है।

नप्सुची

दुकान नं० 15 , हिमायत नगर, हैदराबाध विस्तीर्ण , 12138 , चौ० फु०, रजिस्ट्रोकृत विलेख नं० 615/84, रजिस्ट्रीकर्णा अधिकारों आई० ए०सी०, एक्वि रेंज, हैदराबाद ।

> ण्म० जगन मोहन ' सक्षम प्राधिकारी सहायक ग्रायकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज, हैदराबाद

दिनांक 14- 2-1985 मोहर

अक्स मार्ड टी. एन. एस, -----

त्रायकर ऑधिनियम, 196। (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर बायुक्त (निरीक्षण) अर्जन रोंज, हैक्रराबाद

हैदराबाद, दिनांक 14. फरवरी, 1985

निदेश सं० आई० ए० सी० एक्वि 37-ईई 141---अतः मुझे एम० जगन मोहन,

बाबकर अभिनियम, i961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके परचात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), को भारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विख्यास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रा. से अधिक है

और जिसकी सं० वुकान है तथा जो हीमायत नगर, हैदराबाद में स्थित है (और इससे उपाबढ़ अनूसूची में और जो पूर्ण रूप मे वर्णित है) रजिस्ट्रा ग्रेती अधिकारी के कार्यालय आई० ए० सी० एक्त, हैदर, बाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधान दिन ए 4/84

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के इष्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुभ्ने यह विक्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके द्र्यमान प्रतिफल से, एसे द्य्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (मंतरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति-फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में बास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :---

- (क) अंतरण से हुइ। किसी माय की नावत, उक्त बधिलियर के अधीन कर दोने के बन्तरक के दायित्व में कमी करने वा उक्तने वपने में सुविधा के लिए: बौर/या
- (क) एसे किसी काम वा किसी अन या जन्म आस्तियों का जिन्हें भारतीय आयकर अभिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अभिनियम, या धन-कार जथिनियम, 1957 (1957 का 27) के अक्षेजमार्थ अन्तरिती ड्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना बाहिए जा, कियाने में सुतिभा के जिए;

अतः जब, उक्त अभिनियम की धारा 2009-ग के अनुसरण में, मै, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ़ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :---- भैसर्भ व्यटे/नम कन्स्ट्रक्शन्स कं०, 4-1-966, अघिद गोड, हैदराबाद। (अन्सरक)
 श्री(मनी) रीता, सक्सेना, 20-1-397, सुखान। को मा, ताटा, हैदराबाद। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्थन के लिए कार्यवाहियां अपरता हूं-।

उनत सम्परित के नर्जन के सम्बन्ध में कोई भी नाकोंगः----

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीक छे 45 दिन की अवधि या एत्सेंची व्यक्तियों पर सूचना की बामीस से 30 दिन की अवधि, को भी एवरि बाट में समाप्त होने लो. के भीनर प्रधाळन व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति ब्रुवारा;
- (ৰ) इस सूचनाके राखवत्र में प्रकाशन की सारीय वे 45 विंगु के भीतर उक्त स्थावर सम्यस्ति में हितब्ह्य िन्सी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पात लिखिस में किए आ सकोंगे।

अनुसूचा

दुकान नं० 16, विस्तीर्ण, 12138 चौ फु०, रजिस्ट्रीकृत विलेखनं० 616/84, रजिस्ट्रीकर्ताअधिकारी, ुंआई० ए० सी०, एक्यि, रेंज, हैंधराबाद।

> ्एम० जगन मोहन सक्षम प्राधिकारी सहायक ग्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज, हैदराबाद

र्दिनांक 14-2-1985 मोहर⁻ : प्ररूष आई. टी, एन. इ.स.-----

बायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा

269-- ध (1) के प्रधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निडीक्षण)

अर्जन रेज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांवः 14 फरवरो, 1985

निदेश सं० आई० ए० मी० एक्वि० 37ईई 142--मुझे, एम० जगन मोहन,

बायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पथ्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धाख 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है फि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उच्चित बाबार मूल्य 25,000/- रु. में अधिक है

और जितकं सं० फ्लैट है, तथा जो रघूनाथवाग, हैदराबाद मे स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूर्चा मे और जो पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्द्रम्कर्ता अधिकार्र के कार्यालय आई० ए० सी० एक्वि०, हैदराबाद मे रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधान धिना र 4/84

को पूर्वोक्त सम्परित के उचित बाजार मूल्य से कम के इश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुभ्हे यह विश्वास करने का कारण है कि यंथापुर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दश्यमान अतिफल मे, ऐसे दश्यमान प्रतिफल का पन्दह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंलरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में बास्तविक्र रूप से कथित नहीं किया गया है :---

- (क) बन्दरण से हुई किली बाद की वावत उक्त बधि-हिनयम के अधीन कर दोने के बन्दरक के दायित्व में कमी करूने या उससे वचने में सुविधा के जिए; और/वा
- (व) एरेसी किसी काय या किसी घन या अन्य वास्तियों करें जिन्हों भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया भा या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के सिए;

क्षतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के जनसरण म, औ, उक्त वाधिनियम की धारा 269-ग को उपधारा (1) के अधीन, निमालिसित व्यक्तियों, अर्थात् :----13 ----486GI/84 डा० र्न ना पि०, देभाई, एफ० नं० 5, आदर्श नगर, हैदराबाद।

(अन्तरक)

2 श्रीमता मदुल। विनोद शर्मा, और अन्य अपार्टमेन्ट्म, नं० एफ० 3, रघुनाथ वाग, अपार्टमेन्ट्स, हैदराबाद ।

(अन्तरिती)

को यह सुचना जारी कारने पूर्वीवत सम्पत्ति के अर्थन की लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपरित के अर्जन के संबंध में कोई भी बाक्षेप 3---

- (क्र) इस सूचना के उपजपत्र क्वें प्रकाशन की तारीस से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हा, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस जूपना के राजपत्र में प्रकासन की तारीब में 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में डि्छ-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति कुतारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा करोंगे।

स्पख्दीकरणः — इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जा उक्त अधि-नियम के अध्याय 20 का में परिभाषित हैं, यही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

बन्त् थो

फ्सेंट न० 3, रघुनाथ बाग, अपाटपन्टस, हदराबाद विस्तीण 979 चौ. फुट रजिस्ट्रेन्टत विलेख नं०.619/84, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारो आई० ए० सी० एक्वि, रेज, हैदराबन्द।

> एम० जगन मोहन ंक्षम त्रधिकार। सहायक आयकर आयुक्त (निर्रक्षण) अर्जनरेज, हैदरावाद

दिनाँक: 14-2-1985 मोहर: प्ररूप बाई ुटी, १९. एस. -----

भाषकद्र नीभनियम, 1961 (1961 का 43) कौ धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत तरकार

कार्यालय इहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-ा, हैदराबाद

है्दराबाद, दिनांक 14 फरवरी, 1985

निदेश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/37ईई-/143----अतः मुझे, एम० जगन मोहन

सहायक आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके दहवात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विद्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

श्रीर जिसकी सं० पर्लेट है, तथा जो बैंक स्ट्रीप्ट, हैदराबाद में स्थित है (श्रीर इरासे उपाबद्ध झनुसूची में श्रीर पूर्ण रूप मे वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, आई० ए० सी०/ अक्वि०, हैदराबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 4/84

को पूर्वोक्त सम्परित के उचित बाजार मुल्य में कम के इष्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुभ्ने यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मुल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच एमे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्वदिय से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है क्षेत्र---

- (क) जनसरण के शुद्ध किसी जाय की बाबस उक्त धाधिनियम के अभीन कर दोने के अन्तरक खं क्षायित्त में कमी करने या उसने बणने में मुखिभ के ग्लाए; जार/या
- (ज) ऐसी किसी जाय या किसी धन या अन्य थास्तियों को जिन्हें भारसीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उच्का अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किंग गया या या किया जाना चाहिए था, छिपान में सुविधा जो सिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, जिम्नलिसित व्यक्तियों, अर्थात् :---- अमृत अपार्टमेन्ट्स, 4→3-336, मैंक स्ट्रीट, हैदराबाद न (अन्तरक)
 श्रीमतो हेमनता श्रीनिवासन, पी० नं० 62, माधव नगर, सइदाबाद, हैदराबाद, ।-(अन्तरिती)

को यह सुचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए. कार्यवाहियां अर्जरता हूं--।

रुवत संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप ह----

- (क) इस सुचना को राजपत्र में प्रकाशन की तारीख ले 45 पिन के जवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, वो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पृवेक्ति अजितरों में से किन्द्री क्वचित द्वारा,
- (त) इस सचना के राजपत्र में प्रकाशन को लारीच से 4.5 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबच्च किसी भन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास किसी भन्य का स्कर्ग।

स्पछ्टीकरण त----इसभें प्रयुक्त क्षाब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित ह⁴, व⊠ो अर्थ होगा को उस अध्याय में ¶र्द्रवा गया है।

अनुसूची

फ्लैंट नं० 55. 4था माला, अमृत अपार्टमेन्ट्स, हैवराबाद विस्तीर्ण 1067 चौ० फु०, रजिस्ट्रीकृत विलेख, नं० 624/84/ रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारो, आई० ए० 'सी०/अमिव० रेंज, हैदराबाद ।

> एम॰ जगन मोहन सक्षम प्राधिकारी यहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेण, हैवराबाद

दिनांक : 14-2-1985 मोहर :

8607

प्ररूप वाई. टी. एन. एस. - - --

बायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सुचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक जायकर अख्रुक्त (निरीक्षण)

अर्ज न रेंज, हैदराबाद हैदराबाद, दिनांक 11 फरवरी, 1985

निदेश सं० 'आर० ए० सी०' नं० 986/84-85----अत: मुझे; एम० जगन मोहन

शायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके परचात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है कि धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी⊬को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर मम्परित, जिसका उचित नाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

' ग्रौरजिसकी सं० फ्लैट है तथा जो पंजागुट्टा, हैदराबाद में स्थित है (ग्रौर इससे उपाबद्ध अनुसूची में ग्रौर पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, हैदराबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 6/84 को पूर्वोक्त सम्मत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुफे, यह विश्वास करने का कारण ही कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, एसे दृश्यमान प्रतिफल के भन्द्रह प्रतिशत से अधिक ही और अंतरक (अतरकों) और अंतरितौ ।अंतरितियों) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रति-फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक हम्य से कथित नहीं किया गया ही:----

- (क) वंतरण से हुई किमी बाथ की बाबत, उक्स बीधीन्यम के व्यीग कर देने के बंतुरुक, के दांयित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; बौर/या
- (ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर जुधिनियस, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ संतरिती द्वारा प्रयोट नहीं किया गया था या किया जाना जाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण बों, मैं- उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) को अधीन, <u>निम्नलिखित</u> व्यक्तियों, अर्थात् हिन्न मैसर्स बिरंगो कन्स्ट्रक्शन्स, बाई-श्री बी॰ एन॰ रेड्डी बंजारा, हिल्स, हैदराबाद ।

(अन्तरक)

2' श्रीमती के० भारती पति डा० के० राधाकृष्णा, पर्लैट, नं० 6, कांतीशिकारा कम्पलैक्स, पंजीगुट्टा, हैदराबाद । (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अजंन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:---

- (क) इ.स. सुम्बना को राजपत्र में. प्रकाशन को तारीख से 45 दिन को अवधि या तरसम्बन्धी व्यक्तियों पर सुचना की नामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वाक्त व्यक्तियों में से. किसी व्यक्ति द्वारा; '
- (ख) इस सूचना के राजचत्र में प्रकाशन की तारौख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोत्प्रनाक्षरी के पास लिखित में किए जा सकोंगे।
- स्पक्टीकरणः---इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिजायित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लैट नं० 6, प्रथम तल, डी० ब्लाक, कांतीशिकारा अपार्टमेन्ट्स, पंजागुट्टा, हैदराबाद, विस्तीर्ण 558, चौ० फ़ु० रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 3199/84, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी,, हैदराबाद।

> एम० जगन मोइन सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज, हैदराबाद

दिनांक: 11-2-1.985 मोहर ब

শোন 🔟 ----- জ্বতর 1

TT MAY . T' AN UN

अभग्रधर गणिनियम, 1961 (1961 का 43) को धारा 269-भ (1) के अधीन सुभना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निर्दीक्षण) अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनाक 14 फरवरी, 1985

निदेश सं० आए० ए० सी० नं० 987/84-85---अतः मुझे, एम० जगन मोहन

वायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें (स्के पश्वात 'उक्त वॉधनिवम' कड्डा गया है), की भारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का क्रारण ह` कि स्थानर सम्पत्ति, जिसक/ उत्तिप्त वाजार मूल्य 25,000/~ रठ. से अधिक है

ग्रौर जिसकी स० फ्लैंट है, तथा जो रेड हील्स, हैदराबाद में स्थित है (ग्रौर इससे उपाबद्ध अनुसूची में ग्रौर जो पूर्ण रूप से बणित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, खैरताबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 6/84

को पूर्वीक्त सम्पत्ति को उचित बाजार मुल्य से कम के इत्यमान प्रतिपाल क लिए अन्तरित की गई और करने का है कि यथा-म भने य ह विश्वास कारण पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य., उसके डक्यमान प्रति-फल से, एरेक्षे इच्यमान प्रतिकल का पन्द्रह प्रतिवात से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिषित उद्ददेश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तयिक रूप से कथित में नहीं पाया गया है :---

- (क) अन्तरभ सं हुइ किसी जाय की वावत, उपत अधिनियम के अधीन कर दोने के अन्तरक के दांगिएव में कमी कट्ते या उसते वचने में सविभा को लिंध; और/वा
- (श) एरेसी फिसी आय वा किसी धन या जन्म आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 को 71) या उध्रत अधिनियम, या धन-कर अभिनियम, 1957 (1957 को 27), के प्रयोजनार्थ जन्तरिती ब्वारा प्रकट नहीं किया गया था वा किया थाना थाहिए थय, छिपाने में सुनिभा अके निष्ट,

अतिक अब, उक्त गौधनियम की भारा 269-ग के अनुसरण भें, मैं, उक्त जीधनियम् की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :--- श्री मुकुंदलाल अगरवाल पति गिरीधर लाल, 11--4-656/1, रेडं हील्ग, हैदराबाद । (अन्तरक)
 श्रीमती पी० रमनी पति पी० जे० जे० राजा, 1--2-593/7, दोमलगुडा, हैदराबाद ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पुत्रोंक्त सभ्पत्ति कं जर्जन को जिल् कार्यवाहियां सुरू करता हूं।

उभत सम्पति के वर्णन के सबध में कोई भी वाक्षधः :---

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियाें पर सूचना की तामील सं 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वीक्त व्यक्तियां में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (स) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीस से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्तःक्षरी के पास लिसित में किए जा सकरों।

स्पष्टीकरण :—-इसमें प्रयुक्त शब्दों और पर्वों का, जो उक्स बरि्शनिवज, की अभ्याथ 20-क्ष में परिशायित हू⁴, बहो अभे होगा के उस अभ्याय में शिया भया है।

अन्सूची,

पर्संट नं० बी-716, शातवां, मंजिला, 11-4-656/1 रेड हील्स, हैदराबाद, विस्तीर्ण 1181, चौ० फु०, रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 1293/84, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, खरताबाद ।

> एम० जगन मोहन सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज, हैवराबाद

दिनांकः 11-2-1985 मोहर ३

8608

भाग [[]--खण्ड 1]

8609

अरूप आई. टी. एन. एस.-----

नायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन स्चना

भारत सरकार

कार्शलय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 11 फरवरी, 1985

निदेश सं० आर० एं० सी० न० 988/84-85---अतः मुझ, एम० जगन मोहन

बायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख जे अधीन सक्षम जाधिकारी को यह विश्वास करने का काड़ण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रुपये से अधिक है

ग्रौर जिसको सं० फ्लैट है, तथा जो रेड हिल्स, हैदराबाद में स्थित है (ग्रौर इसने उपाबद्ध अनुसूची मे ग्रौर पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता प्रधिकारी के फार्यालय, खैरताबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) वे अधीन दिनांक 6/84

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान प्रतिफल के निए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित वांचार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिझल से अधिक है और अन्तरक (अन्तरको) और अन्तरिती (अन्तरितियो) के तीच एते कन्तरण किए तय एाया गया प्रतिफल, जिम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में बास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:----

- (क) अन्तरण से हुइ किसी आय की बाबत, उक्त अभिनियम के अधीन कर दोने के अन्तरक के दायित्व में कभी करने या उसके अचने में सुविधा के लिए; और/या
- (ख) एमे किसी बाय पा किसी पन सा इन्या जास्तियों करो, जिन्हों भारतीय किसी पन सा इन्या जास्तियों (1922 का 11) था उथा जोधोनयम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 फा 27) के जा का अपर्यक्ती हास एक नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सूबिधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अन्सरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के रुपधारा (1) को अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :---- श्री मुर्कुदलाल अगरवाल पति गिरिधर लाल, 11-4-656/1, रेड हिल्स: हैदराबाद । (ग्रन्तरक)
 श्री के० एन० राव पिता क० बलराम, 1,1-4-656/1,

(अन्तरिती)

फ्लैंट नं० 211, रेड हिल्स, हैदराबाद ।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्परित के अर्धन के कायवाहियां शरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :----

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारींख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरो के पास लिखित में किये जा सकगे।

स्पर्ख्टोकरणः — इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, घो उचत अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित ंहैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

फ्लैट नं० 211, दूसरा मंजिल, 11-4-656/1, रेड हिल्स, हैदराबाद, विस्तीर्ण 1258 चौ० फुट; रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 1270/84, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, खैरताबाद।

> एम० जगन मोहन सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज, हैदराबाद

दिनांकः 11-2-1985 मोहरः

∫माग 111-----विष्य 1

प्ररूप बाई. टी. एन्., एस., ----

भायकर अभिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-च (1) के अभीन स्वना

भारत तरकार

मार्वलय, सहायक आयकर आयुक्त (निर्फाल)

अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैवराबाद, दिनांक 11 फरवरी 1985

निदेश स० आर० ए० सी० न० 989/84-85----अत: मुझे, एम० जगन मोहन,

गयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इत्तमें इसके पक्ष्यात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-व के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विक्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्यति, जिसका उचित बाबार सूस्य 25,000./-,रु. से अधिक है

ग्रीर जिसकी सं० पर्लंट है, तथा जो रेड हील्स, हैदर्गबाद में स्थित है (ग्रीर इससे उपाबद अनुसूची मे ग्रीर जो पूर्ण रूप से वणित है), राजस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय हैदराबाद मे रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अर्धान विनांक 6/84

को पूर्वोक्स सम्पत्ति को उणित बाजार मूल्य से कम के इस्ममान प्रतिफल को लिए अतरित की गई है और मुक्ते यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उजित बाजार मूल्य उसके दरयमान प्रतिफल से, एसे दश्यमान प्रातफल का पन्द्रह प्रतिषत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियो) को बीच एसे अन्तरण को लिए सय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्धेरेय से उक्त अन्तरण निखित में नगरतीयक रूप से कथित नहीं किया गया है ह—-

- (क) अल्लाउम् दे हुए किसी थाव की वादछ, उपछ वर्षिप्रियम के बधीन कट दोने के अन्तुटक के वायित्व, तो अली कटुने या उपते वचने में दुविभा के लिए; और/वा
- (ण) एसी किसी बाय या किसी थन या बन्ध आस्तिकों को जिन्हें भारतीय जाय-कर जधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर बधिजियम, 1957 (1957 का 27) को प्रयोजनार्थ अन्सरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया जा दा किया जाना पाहिए था, छिपाने में सविधा को झिए।

वतः वद, उक्त जीभीनवज को भारा 269-ज को वष्तरण भें, मैं, उक्त अभिनियम की भारा 269-ज की उपभारा (1) के अभीन, निम्नीलिविज्ञ व्यक्तियों, अर्थात् ह--- श्री लक्ष्मी प्रसाद भौर अन्य 1-1-770/1,गांधी नगर हैदराबाद ।
 श्री टी० रामगोपाल, 3-6-190/3, हीमायत नगर, हैदराबाद ।

(अन्तरिती)

को यह सुचना जारी करके पूर्वोक्त, सम्पत्ति के अर्जन के सिए कार्यवाहियां करता हुं।

उक्त सम्पत्ति को शर्जन को सम्बन्ध में कोई भी अक्षेप ब्र----

- (क) इस सुचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की जबभि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सुचना की तामील से 30 दिन की जबभि, जो भी जबभि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से जिल्सी व्यक्ति ख्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाहन की तारीच से . 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबबूध किसी अन्य क्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरों के पार्ध लिखित में किए जा सकोंगे।
- स्पध्वीकरणः इसम प्रयुक्त सम्सॉ और पुर्दों का, वॉ उक्त अभिनियम के अध्याय 20-क में पद्भिर्भाषित्र ह⁶, अही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गका है।

मन्स् चीं

फ्लैंट नं० 706, रेड हील्स, हैदराबाद, एम० नं० 11--4-656/1, हैदराबाद, विस्तीर्ण, 1181 चौ०फुट, रजिस्ट्रीकृत विलेख न० 3047/84, रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी हैदराबाद।

> एम० जगन मो**हन** सक्षम प्राधिकारी सद्दायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज, **है**वराबाद

दिनोंक: 11-2-1985 माहर : प्रकथ भाइ.टी. एन. एस. --------

नायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन स्चना

भारत सरकार कार्यांजय, सहायक आयकर वायुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैवराषाद, दिनांक 11 फरवरी, 1985

निवेश सं० आर० ए० मी० नं० 990/84-85----अत: मुझे, एम० जगन मोहन,

- जायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 4'3) (जिसे इसमें इसके पद्मात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), कौ धारा 269-च के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विद्यास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उमित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से बधिक है
- मोर जिसकी सं०्पलैट है, तथा जो रेड हील्म, हैदराबाद में स्थित है (म्रोर इससे उपाधढ अनुसूची में ग्रोर पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता आधेकारी के कार्यालय हैदराबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अ़धीन दिनांक जून 84

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के करवमान प्रतिफन के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विद्यास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित काजार मूल्य, उसके ढ्रियमान प्रतिफल से एमे इद्यमान प्रतिफल का पन्ग्रह प्रतिद्यत से अधिक है और अन्वेरक (अनतरकों) और अन्तरितौ (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्ददेय से उक्त अन्तरण ट्रिवित्त में वास्तयिक रूप में कथित नहीं किया गया है:---

> (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन् कर दन के अंतरक के दायित्क

में कमी करने या उससे बजने में सुविधा के लिए; और/या

(श) एरेसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 ((1922 को 11) या उक्त अधिनियम, 1922 ((1957 को 27) के प्रवाजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया भा या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अभ, उप्पत स्मिनियम की भारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्षत अधिनियम की धारा 269-व की उपधारा (1) के अभीन, निम्नलिखिल व्यीक्तयों, अर्थात् ६ श्वी लक्ष्मी प्रसाद श्रौर अन्य, 1-1-770/1, गाधी नगर हैदरावाद। (अन्तरक)
 श्वी पी० व्ही० सुब्रमन्यम, 6-3-612/7, आनन्द नगर हैदराबाद। (अन्तिरित्ती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपरि के वर्जन के सिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के बर्जन के संबंध में कोई भी बाक्षेप :----

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की टारीच के 45 दिन की अवधि या तरसम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी बबधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (क्ष) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीब से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबब्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास निचित में किए जा सकोंगे।
- स्पध्दीकरण:---इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वहीं अर्थ होगा जो उस अभ्याय में दिया गया है।

प्रनुसूची

फ्लैंट नं० 713, सातवी मंजिल रेड हिल्स हैदराबाद विस्तीर्ण 874 ची०फ़ुट० रजिस्ट्रीक्षत विलेख नं० 3048/84, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी हैदराबाद।

> एम० जगन मोहन सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज, हैदराबाद

दिनांकः 11-2-1985 मोक्टरः

्र प्ररूप... बाइ.", टी.. एन., ऍस्.. - - - - -

कायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-म (1) के अभीन सुमना

गरत सहकार

कार्यालय, सष्ट्रायक जायकर जायुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेज, हैक्राबाद

हैदराबाद दिनांक 11 फरवरी 1985

निदेश सं० आर० ए० सी० नं० 991/84-85---अतः मुझे एम० जगन मोहन,

वायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पण्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-च के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विषयास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

भौर जिसक सं० फ्लैट है जो ए० सी० गार्ड हैदराबाद में स्थित है (ग्रौर इससे उपाबद्ध अनुसूची में ग्रौर जो पूर्ण रूप से बर्णित है) रजिस्ट्रीकता अधिकारी के कार्यालय हैदराबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 1,6)

के अधीन दिनांक 6/84

मन्ने पूत्रों क्से सम्पत्ति को उच्चित बाजार मुल्य से कम के इत्त्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित को गई है और मुफे यह विष्वास करने का कारण हूँ कि यथापूर्वों क्से सम्पत्ति का उच्चित बाजार मूल्य, उसके इल्यमान प्रतिफल से, एसे इत्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिक्त से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) को बीच एसे जन्तरण को लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्दोरेय से उक्त जन्तरण [निखित में बाक्शविक रूप से कचित नहीं किया गया हूँ।

(क) सन्तरण ते हुर्द्ही कवी वाय की कावता, उपत अधिनियम की अपीम कर दोने को वण्तारक की दामित्व में कमी कडुवे का उद्दवे वण्डे को त्रुविया की किए; बॉडि/वा

(स) ऐसी किसी आग या किसी धन या जन्य आर्म्नियों को, जिन्हों भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 को 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 को 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया गया था या किया जाना भाहिए था छिपाने में स्ट्रीिका यो निगए,

अतः सथ उक्त अभिनियम कौ भारा 269-ग कौ जनुकरक में, मैं, उक्त अभिनियम की धारा 269-व की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :---- 1. मैं पर्भ बमेरा खिल्डर्म बाई. श्री इम्तीयाज अहमद खान 10-2-287/3 णाती नगर हैदराबाद । (अन्तरक)

ாாமாற்றில், நடை—த்தில் கிளைப்பதாத 70 கிராவியான வரம் ரால், தியல் பதைகள

2. डा० र्टा० आर्दानारायणाह बाई डा० इदिरा वेकटरत्नम 11–6–655, रेड हिल्न हेदराबाद।

(अन्तरिती)

को यह सुचना अग्रेगी करको पृत्रोलन्ने सम्पत्ति को अर्जन को लिए कार्यवाहिया करता हूं।

उक्स सम्पत्ति के अर्जन क सम्बन्ध में कोई भी बाक्षेप :---

- (क) इस सचना के राजपत्र में अकाशन की तारीच से 45 फिर की ल्वधि ना तरमम्बर्न्धा व्यक्तितारोच थर स्चना का तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समल्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त 'राणा - किसी नाग पुवायत
- (ब) इस सूचना क राजपत्र में प्रकाशन को तारीब से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-अद्ध किसी अल्य क्यांक्स दुवारा अभोहस्ताक्षरी के ाम सिसिए में किए जा सकोंगे।
- म्थअटीकरणः :—~इसमें प्राप्तुशः शब्दा और पदो का, जो उक्त अभिनियम, के अध्यक्ष्य 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया ४^४ भ

अनुसुखी

फलैंट नं ई/दूसरा मंजल⁷, बसेरा अपार्टमैन्टम, 11--4--633/4 ए० सी० गार्डम हैदरावाद विस्तीर्ण 1050 चौ० फु० रजिस्ट्रोक्वत विलेख नं० 3342/84 रजिस्ट्राकर्ता अधिकारी हैक्राबाद ।

> एम० जगन मोहन सक्षम प्राधिकारी सड्डायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) गर्जन रेंज, हैदराबाद

दिनांक : ३1-2-85 मोहर : भाग]][---खण्ड 1]

The structure of the st

प्रेख्य गाइ. टी. एन. एस. ----

आयफर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की बारा 269-व (1) के बंधीन संचना

ं भारत करकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज , हैदगबाद

हैदराबाद दिनांक 11 फरवरी 1985

निदेश मं० आर० ए०सी० नं० 992/84-85---अत: मझे, एम० जगग मोहन,

आगकर अधिनिगम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इस्में इसके पदमात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की भारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारों को यह विश्वाग करने का कारण है कि स्थावर संपरित, जिसका उचित बाजार मूक्य 25,000/- रु. से अधिक है

भ्रौर जिसकी मं० घर है तथा जो अकबर जाहाँ साजार हैदराबाद में स्थित है (भ्रौर इसमें उपावउ अनुसूची में भ्रौर जो पूर्ण रूप में वर्णित है) रजिस्ट्रीक्षती अधिकारी क कार्यालय हैदराबाद में रजिस्ट्रीक्षरण अधितियम, 1908 (1908 का 16) के अधीम दिनांक 6/84

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के ध्रयमान अतिफल के लिए अन्तरित की गई है जोर मुझे यह विषयास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके ध्रयमान प्रतिफल से एसे ध्रयमान प्रतिफल का बन्द्रष्ट प्रतिशन में अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच एनेके अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, जिल्ली सिंत उर्द्रदेश्य से उक्त अन्तरण लिखित में बास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :---

- (क) अन्तरण से हुई किसी आग की बाबत, उक्स अधिनियम के अधीन कर दोने के जन्तरक में दाजिल्म में कजी करने या उसने वचने में सुविभा के सिए; बीर/या
- '(स) एरेसी किसी आय या किसी धन या कन्य आस्तियौं को जिन्हें भारतीय आयकर अभिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या पन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना आहिए था, छिपाने में स्विधा को लिए;

अत. अव, उक्त अभिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मे, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अभीन-, निम्नलिसित व्यक्तियों, अर्थात् (---- श्रीमती कें० ललीता,पति लेट स्व० के०,जेंगेवेश्वरय्या, ग्रौर अन्य , 15-5-614 से 616, अकबर जाहा, बाजार, हैदराबाद ।

(अन्तरक)

 शीमती मेवा बेम पति के० णामसुन्दर, अग्रवाल, 15-5-729, अकघर जाहा, बाजार, अफजलगंज, हैदराबाद।

(अन्यरिती)

को यह सुचना जारी कारके पूर्वोक्स सम्पत्ति को अर्थन को निए कार्यवाहियां शुल करना हुं।

उक्त सम्पत्ति के जर्जन के सम्बन्ध में कोर्डभी आक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की सारीका से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, ओ भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर प्वोंकत म्यक्तियों में से किसी भ्यक्ति दुवारा;
- (व) इत सूचना के राषपत्र में प्रकाशन की तारीय वी 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्परित में हित-बद्ध किसी बन्ध व्यक्ति 'द्वारा, अभोइस्ताक्षरी के पास जिखित में फिए वा सकोंने ।
- स्पर्खीकरणः ः——इसमॅं प्रयुक्त शब्दों और पर्वों का, जो उक्त अभि≞ नियम के अभ्याय 20-कमॅं परिभाषित हु°, वहीं अर्थ डोगा. जा उस अभ्याय से दिया गया है।

मन्सुची

घर सम्पत्ति , नं० 15-5~614 से 616 अकथर जाहा बाजार, हैदरगबाद, रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 3618/84, रजिस्ट्री-कर्ता अधिकार्ग, हैदराबाद ।

> एम० जगन मोहन मेक्षम प्राधिकारी महायक आयक्षर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज, हैदराबाद

दिनॉकः 11-2-1985 मोहर :

भाग III--खण्ड 1

प्ररूप आइ. टी. एन. एस. ------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा भारा 269-व (1) के अभीत स्वना

बारत सरकार

कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, हैदरावाद

हैदराबाद, दिनांक 11 फरवरी 1985

निदेण मं० आर० ए०मी० नं० 993/84-85—अतः मुझे, एम० जगन मोहन,

वायकर अधिनियिस, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके परचात 'उक्त अधिनियम', कहा गया है), की धारा 259-क के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित काजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

श्रीर जिसकी सं० फ्लैंट है तथा जो सम्प्राट, काम्पलेक्स हैदराबाद, में स्थित है (श्रीर इससे उपाबद्ध अन्धूची में श्रीर जो पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय हैदराबाट में र्गजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दितांक 7/84

को पूर्वोकेत सम्पत्ति को उचित बाजार मूल्य से कम के इत्र्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की ग़ई है और मुफ्ते यह विश्वास करने का कारण है कि यथ्था पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके इत्र्यमान प्रतिफल से एसे इत्यमान प्रतिफल के पंद्रह प्रतिदान अधिक है और अंतरक (अंतरकरें) और अंतरिती (अंत-रिनियों) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिचित उद्देय से उक्त अंतरण लिम्बित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया ग्या है ':---

- (क) जन्सरण से हर्इ किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अभीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा ेके लिए; और/या
- (ख) एैसी किभी आय या किसी धन या जन्य आस्तियों को बिन्ह भारतीय आय-कर खुधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अभिनियम, 1957 (1957 का. 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिखी ड्वारा प्रकट नहीं किमा गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में मुविधा के लिए;

अतः अथ, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनूसरण में, मै, उक्त अधिनियग की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नजिखित व्यक्तियाें, अर्थात् :---

 1 श्रीमर्ता थाण, बालकृष्णा श्रीर अन्य फ्लैष्ट नं० ७, काचन बाग, हैदराबाद ।

 1 श्रिमती अनुराधा, पोटाबधनी, 16-9-427/ए/1, ग्रोल्ड, मलकपेंट, हैदराबाद ।

(अन्तरिती)

कौँ यह सुचना जारी करके पुर्वोंक्त सुम्परित को जर्जन को जिए कार्यवाहियां करता हु≓े।

उक्त संपरिष के अर्जन के संबंभ में कोई भी आक्षेप :----

- (क) इस सुखुना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीब हो 45 दिन की अवभि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सुखना की तामीस से 30 दिन की बबधि, जो भी अवभि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ब) इस सुचना के राषपत्र में प्रकाशन की तारोख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर शम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास तिखित में किए जा सकोंगे।

स्वच्हीकरणः----इसमें प्रयुक्त कम्दों और पर्थों का, जो उक्त अधिनियम को अध्याय 20-को में परिभाषित ही, वहीं अर्थ होगा जो उस अभ्याय में दिशा वया ही।

अनसूची

फ्लैट नं० डी-5, घर नं० 5-9-12, ग्रौर 12/1, सईफाबाद, हैदराबाद सम्राट, कम्पलेक्स, रजिस्ट्रीकृत विलेख, नं० 3998/84, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, हैदराबाद।

> एम० जगन मोहन [सक्षम प्राधिकारी सहायक भायकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जनरोज, हैदराबाद

दिनांकः 11-2-1985 मोहरः प्रस्प बाई.टी.एन.एस.

अायकर अधिनियुन, 1961 (1961 का 43) की धारा 26(-घ (1) के मधीन सूचना

मारत सरकाड

कार्यानगर, गहायक आयकर आयकते (निरीक्षण) अजन रेज, हदरावाद हैदरगत्राद, दिनाक 11 फरवरा 1985

निदेश स० आग्रु ए० मी० न० ५९४/८४-४३——अत. मुझे, एम० जगन मोहन

वायकर प्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उपत मधिनियम' कहा गया है), की घारा 269-ख के अक्षीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- द० में अधिक है

श्रीर जिसक। स० घर है, तथा जा हार्रावावर्ला, हदरावाद म स्थित है (श्रीर इसम उराबढ अनुसूची मंग्रीर जा पूर्ण रूप से बणित हे) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकार। के कार्यालय हैदराबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनाक 6/84

क्षत्र पूर्वाकत सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान प्रतिफल के लिए अतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापुर्वांक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दश्यमान प्रतिफल से, एसे दश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिप्रत में प्रधिक है और प्रस्तरक (प्रस्तरकों) घोर प्रस्तरिती (प्रन्तरितियों) क बोब ऐसे ग्रन्तरफ (प्रस्तरकों) घोर प्रस्तरिती (प्रन्तरितियों) क बोब ऐसे ग्रन्तरफ लिए तय पाया गया प्रति-फल निम्नलिखित उद्देश्य म उक्त प्रन्तरण लिखित मे बास्तव्ति इस्य से कथित नही किया गया है:----

- (क) अतरण स हुइ किमी आय की बाबस, उक्त अधिनियम के अधीन कर दन के अतरक के दायित्व म कमी करने या उससे बचने म सुविधा के लिए; बीर/या
- (ख) एरेसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हे भारतीय भायकर मधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, भा धन कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्श अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया पा मा किया बाना चाह्निए मा, डिपाने में मुबिक्ता के सिए ;

अतः जन, उक्त अभिनियम कौ थारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अधात् यू---- ऊपा रानी साईचार आर अन्य 3, कोशन प्रसाद, देवडीना, हदराबाद। (अन्तरक)
 अत्मता राजा बा,, पार विमल वाई, 21-7-572, खाकरबाडा, हेरगवाद।

(अन्तरिसी)

को यह सूचना जारा करके पूर्वाक्ता सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हुं।

बक्त सम्पत्ति के बर्बन के सम्बन्ध में कोई भी नाक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राजपत्र मा प्रकाशन की तारील में 45 दिन की अवभि या तत्सवधी व्यक्तियां दर सूचना की रामील सं 30 दिन की अवधि, जांभी अवधि जाद मा समाप्त हाती हो, के भीतर पूर्वाकत व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति बुवारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र मा प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्कत स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधाहरताक्षरी के पास लिसित में किए जा सकोंगे।
- स्पध्धीकरण -- इसमा प्रयुक्त शब्धा और पथा का, जो उक्स जभिनियम, के बभ्याय 20-क मां यथा परिभाषित हू⁴, वही अर्थ होगा जो उस अभ्याय मा दिये. भ्या है।

अनुस् ची

घर सम्पत्ति, न० 23~6-3, भ्रोर 4, हारीबावली, हैक्राबाद रजिस्ट्रीहन विलेख, न० 347/84, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी हैदराबाद ।

> एम० जगन मोहन मक्षम पाधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अजेन रेज, हैदराबाद

दिनांकः 11-2-1985]* मोहर

शल्प बाह. .टी. एन. एस. ------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-भ (1) के अधीन सुचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयक्त (निरक्षिण) अर्जन रेज, हैदराक्षद

हैयराबाद, दिनाक 11 फरवरी 1985

अयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया 'हैं'), को धारा 269-ख के अधीन, सक्षम प्राधिकारों को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्स 100,000/- रऽ. सं अधिक है

और जिसक। सं० भूमि है, जी नगरम विलेज, रगारेई जिला, मे स्थित है (ओर इससे उपाबढ़ अनुसूच। मे और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रोग्वर्ता अधिकार्रा के रायलिय, रंगारेईा जिला मे रजिस्ट्रीग्वरण अधिनियम, 1908 (1908 पर 16) के अधान, तारोख 6/84

को पूर्वोंक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के इश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है अुौर मुफे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोंक्त सम्पत्ति का उचित बाज़ार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल सं, एसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रति-फल निम्नलिखित उद्देश से उक्त अंतरण लिखित में वास्तुविक रूप से कथित नहीं किया गया है:---

- (क्र) जन्तरुष से हुई किसी जाव की बाबत, उक्त अधिनिष्म के अधीन कर दोने के अप्तारक, जे दामित्य में कजी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; जौर/या
- (स) एसी किसी बाय या किसी भन या जन्स जास्तियों को, जिन्हें भारतीय जाय-कुर अधिनियम, 1922 - (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) क प्रयोजनार्थ जन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया धा या किया जाना चोहिए था, खिपाने में सुदिश के' लिए;

अत अब उक्त अभिनियम की धारा 269-ग के अन्सरण में, मैं, उक्त अभिनियम की धारा 269-ग की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तिशों, अर्थात् :---

को यह सुचना जारी करके पूर्वोंक्त% सम्पत्ति को अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हुं।

उक्त सम्पत्ति को अर्जन को सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :---

- (क) इस सुचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारोख से 45 दिन की अवधि था तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामौल से 30 दिन की अव्धि, जो भी वर्वाध बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्स व्यक्तियों में से किसी क्यक्ति ख़बारा;
- (ख) इस सूचना को राजपत्र में प्रकाशन की तारीक स 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितत्रद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।
- स्पञ्चोकरणः इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदां का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-के में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गुया है।

बन्सुची

अनूसूच।

भूमि विस्तीर्ण 3000 चो० गज, नागरम विलेज, मेडचर्म तातुए, जिता रगारेहु, रजिस्ट्राहन विलेख सं० 3299, 3655, 3300, 3301 अम्ब 3654/81, रजिस्ट्रा-कर्नो- ग्रधिपार, रंगारेड्डा जिला।

> एम० जगन मोहन रक्षम प्राधिकारो सहायक आयक्षर आयुक्त (निरक्षण) अर्जन रोज, हैदराबाद

तारोख: 11-2-1985 मोहर:

شقت ا

प्ररूप बाई.टी.एन.एस.-----

इग्निकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक अध्यकर आयुक्त (निरीक्षण) ग्रर्जन रेज, हैवरावाव

हैदराबाद, दिनांक 11 फरपरं 1985

्निदेग सं० म्रार० ये० स.० नं० 996/84-85--म्रतः मुझे, एम० जगन मोहन,

धायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पक्चात् 'उक्त, अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन राक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कार्य्य है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु. से अधिक है

और जिस्ता, संग्र घर हे, जो रामकोट, हैवराबाध में स्थित है (ओर इन्से उपालड अन्सूत्र, में और पूर्ण रूप से वर्णित 'है), रजिस्ट्रीकर्ता अधियारी के वर्षयलिय हैवराबाद में भारताय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 वा 16) के अर्थान, तार्राख 6/84

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दरयमान प्रौतिफल के लिए अन्तरित की गर्ड है और मुभो यह विव्वास करने का कारण है कि अभ्यभ्य्वोंक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उनके रण्यभान प्रतिफल में, एमे दण्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अंतरकों) - और जंतीरती (अंतरितियों) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रति-भव निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरेण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :---

- (क) अन्तरण से हुई किसी लाय को बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर दोने के अन्तरक के दायित्त । में कमी करने या उससे बचने में स्विधा के लिए;
 - ाम कमा करने था उससे बचने में सु।∰ मा∹का लए; और⁄या
- (ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उैक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अस्टरिती द्वारा प्रकट महो किया गया था या किया जानां चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-गं के अनुसरण कों, कों, उक्त अधिनियम की धारा 269-व की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थातुः -----

 1. श्रा मोहम्मद उस्मान,

 और ग्रन्य,

 5-9-1110/4/2,

 किंग कोठा,

 हैदरावाद।

 (ग्रन्तरक)

 2. श्रो संयद ग्रब्दुल ग्रहमद ग्रब्दुल मुर्जाब

 ओर ग्रन्य,

 23-1-662/2;

 मोगलपुरा,

 हैदरावादः

 (ग्रन्तरिती।

को यह सूचना जारी करके पूर्वीक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हुं।

उक्त सम्पत्ति क अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप हल्ल

- (क) इस सुचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना को राजपत्र में प्रकाशन की तारोख सें 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अक्षोहस्ताक्षारी के पास लिखित में किए जा सकोंगे।
- स्पाख्टीकरण : इसमें प्रयूक्त शब्दों आरे पदों का, जो ं उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित ह⁵, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

नन्स ची

घर नं० 3/5/121/ट०/1/2, पार्ट ग्राफ राहत मंजिल रामकोट, यडन गार्डन, हैदराबाद, विस्तार्ण 538 चौ० गज भूमि ओर 843 चौ० फूट, प्लीथ एरिया, रजिट्रीस्क्रुत विलेख न•० 3168/84, रजिस्दोकर्ता ग्रधियारी, हैदराबाद।

> एम० जगन मोहन सक्षम् अधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरोक्षण) अर्जन रेज, हैदराबाद

तारोख: 11-2-1985 मोहर: प्ररूप माई. टी. एन. एस. -----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सुचना

भारत सरकार

कार्यालय, सह्ययक आयकर आयकत (निरीक्षण) ग्रर्जन रेज, हैदरावाद

हैदराबाद, दिनांक 11 फरवरी 1985

बायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके परधात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित् बाजार मूल्य 25,000/-रुपये से अधिक है

और जिनको सं० घर है, जो बरकतपुरा, हैदराबाद मे स्थित है (और इससे उपाबढ़ अनूसूच। मे और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिवारी के कार्यालय, हैदराबाद में भारतोय रजिस्ट्र, करण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 6/84

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान गहे लिए अन्तरित की प्रतिफल के ਵੀ औरं म्भे बह विद्यास करने कि का कारण Ē यह पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार म्ल्य, उसके द्र्यमान प्रति-फल से, एसे दश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और क्न्तरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गवा प्रतिफल, निम्नलिखित उद्दरेय से उक्त लिखित में वास्तविक रूप से कथित नही किया गुया है :---

> (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के झधीन क़र दोने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) एसी किसी आय या किसी धन था अन्य आस्तियों को, जिन्ह³ भारतीय आयकर अधिनियम, .1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धर्ग-यार जयिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट मही किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में दुविधा के लिए;

अत अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों. अर्थाब :--- श्वा यत० जगन्नाथ रेडु।,
 ३- 6-525, दामायततगर, हैदरावाद । (ग्रन्तरक)

 वुमार। जी० विता गौड, 1-2-217/8, दोम तग्डा,

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहिया शुरू करता हूं।

हैदरावाद ।

उक्त संपति के अर्जन को संबंध में कांड भी आक्षेप .---

- (स) इस सुचना क राजपत्र _में प्रकाशन की तारोध में 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वाक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख), इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख सं 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकोंगे।

स्पख्टीकरणः—-इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का,, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित ह⁵, वही अर्थ ढोगा, जो उस अध्याय मे दिया गया है।

अनुसूची

घर नं० 3न4न495/1, बरकतपुरा, हैदरावाद, विस्तोर्ण 1145 चौ० गज भूमि और 1085, चो० फुट, प्लीथ एरिया, रजिस्ट्रीइत विलेख न० 3085/84, रजिस्ट्रीकर्ता ग्रिधिकारी हैदरावाद।

> एम० जगत मोहन सक्षम अधिकारा सहायक ग्रायकर ग्रायुक्त (निर्रक्षण) - ग्रर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख: 11-2-1985 मोदर : (ग्रन्तरिती)

भाग [[[---'डण्ड'1]

9619

प्रकथ बाइ. टॉ. एव., इष्ट्राण्यन्त्र-----

वायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सुचमा

माउत सडकाह

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेज, हैदराधाद

हैदगाबाद दिनाक 11 फरवर। 1985

निदेश स० आर० ये० स० न० 998/84-85---आत: मझे, एस० जगन महिन,

आयवर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके परवात 'उक्त अधिनियम' तहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास फरने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,00@/- रूपये धे अधिक है

और जिसका मुल घर है, जो हीमायतनगर हैदराबाद मे स्थित है (और रेगस उलाबड़ ग्रनसूच मे और पुर्ण रूप में वणित है) रजिस्ट्रावर्ता ग्राधिकार्र के आयलिय हैदराबाद मे भारताय श्रजस्टावरण श्रधिनियम, 1908 (1908 वी 16) के अधान, तारीख 6/84

का पूर्व क्य सम्पत्ति के अचित बाजार मुल्य में कम के इश्यमान प्रतिफल के निए अन्तरित की गई है और भूझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापृश्वित सपरित का उचित शाजार मुल्य, उसके दश्यमान प्रतिफल भे, एसे दश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक हो और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय गया गया गतिफल, जिम्नलिखित उद्वदेश से उक्त अन्तरण निषित में ास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है 9—

- (क) अतरण से हुई किसी आय की दाबत, उक्त अधिनियज्ञ के अधीन कर दोने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए जौर/या
- (च) एरेती किसी क्षाय या किसी धन या जन्य शास्तियों को जिन्ह⁵ भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया बाया किया जाना घाहिए था, छिपाने में सुनिभा के लिए।

बतः अब, उक्त अभिनियम की धारा 269-ग के अनुसंरण मैं, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-म की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियाँ, अर्थात् "---- 1 श्रामत, आयेगासिदीव खेगम, पति मोहम्मद सुलतान झलो झलोयास झाल, सुलतान, 3-6-111, हिमायतनगर, हैदराबाद।

(मन्तरक)

(ग्रन्तरिता)

2 मै० अनाण्कलो एक्सपोर्ट प्रा० लि०, अनारतली चैम्बर्स, युनिटा हाउस, प्रबिड्स, हैदराबाद।

को यह सूचना जारी करफो पूर्वोक्षम सम्पत्ति को अर्जन के लिए कार्यवा**हियां शुरू करता ह**ु ।

उक्त सम्परित के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप ह----

के प्रयाजनार्थं अन्ते रिली द्धारा प्रकट नहीं किया 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियाें पर सूचना की तामील से 30 दिन की जवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी क्यक्ति द्वारा;

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीस से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ग किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास जिसित में किए जा सकांगे।
- स्पथ्दीकरणः इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-का में परिभाषित ह⁴, वहीं अर्थहोगा को उस अभ्याय में दिया गमा 5°।

नन्सुची

घर सं० 3-6-111, हीमायतनगर, हैदराब:द, रजिस्ट्रो-क्रुत विलेज न० 3492/84, रजिस्ट्राकिर्ला अधिकारो, हैदराबाद ।

> एम० जगन मोहन सक्षम प्राधिकारो सहायक म्रायकर भ्रायुक्त (निरीक्षण) श्रर्जन रेज, हैदराबाद

सारोख: 11--2--1985 मोहर्ड प्ररूप बाइर्, ही., एन. एस. ---- ---

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालुय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) श्रर्जन रेंज, हैद्ररावाद

हैदरावाद, दिनांक 11 फरवरं। 1985

निर्वोग सं० आर० ए० सी० नं० 999/84-85--धन: मुझे, एम० जगन मोहन,

णायकर अभिनियम, 1961 (1961 का 43). '(जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अभिनियम' कहा गया है), को भारा 269-ख के अभीन सक्षम प्राधिकारी को यह विद्वास करने का कारण है कि स्थावर संग्पत्ति, जिसका उजित बाधार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० भूमि है, तथा जो गईुश्विनारम, हैदरावाद में स्थित है (और इससे ज्यावड अनुसूचो में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रोत्यती अधिवारी के कार्यालय, अझम-पुरा में भारतीय रजिस्ट्रीयण्ण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के ब्रापीन, तारीय 6/84/

मूल्य, उसके इक्यमान प्रतिफल से, एसे दक्यमान प्रतिफल का भतिफल को लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विक्वास करने फरने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्परित का उचित, काजार मृत्य, उसके प्रयमान प्रतिफल से, एसे दक्यमान प्रतिफल का पन्ध्रह प्रतिकात से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अंतरितियों) को बीच एसे अन्तरण के लिए तय पामा गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देय से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:---

- (क) अंतरण में हुइर्ं किसी आग की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर दोने के अन्तरक के दाफित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या
- (श) एरेसी किमी आय या किसी धन या अन्य आरितयों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनिम, 1957 (1957) का 27) के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपानें, में मुविधा के लिए;

बतः अत्र , उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मै, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् धू— श्रा रूप नाल सोहार्न; और प्रन्य, 5~9~83, चापल रोड, हैदराबाध।
 श्री पा० वेंकट रेड्डी, पिता बाकका रेड्डी,

16-11-101,

म्सारामबाग,

हैं इराबाद ।

(ग्रन्धरितः)-

(फ्रन्तरव)

को यह सूचना जारी करको पूर्वोक्त सम्परित के अर्जन के लिए कार्यवाहिया करता हुं।

उक्त सम्पत्ति के अर्थन के संबंध में कोई भी माक्षेप ध~~~

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीस से 45 दिन की अवधि या तरसम्बन्धी व्यक्तिया पर मुचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जा भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, तं भीतर पूर्वान्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति क्वार),
- (ख) इस सुधना के राजपत्र में प्रकाशन को तालीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थागर भागति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्तित द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकोंगे।
- स्पध्दीकरणः--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20 क में परिभाषित है, वहने अर्थ होगा जो उस् अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

्लाङ ग्राफ लेण्ड, विस्तीर्ण 1117, घौ० गज, गई,-ग्रनारम, हैंदराबाद, रजिस्ट्रीक़त ्विलेख न० 2367/84, रजिस्ट्रीयती श्रधिकार, श्राझमपूरा।.

> एम० जगन मोहेन सक्षम ग्रधिकारा सहायक ग्रायकर ग्रायुक्त (निर्राक्षण) ग्रर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख: 11-2-1985 मोहर 8 [माग III---खण्ड 1

प्रक्रम आद्द टी. एन एस. -----

आयकर जॉभोनेयम, 1961 (1961 का 43) कौ धारा 269-फू (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आधकर आयुक्त (निरीक्षण) ग्रजॅन रेज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनाक 11 फरवरी 1985

निर्देश स० ग्रार० ए० सी० नं० 1000/84-85----ग्रतः मुझे, एम० जगन मोहेन,

नायकर कॉर्थनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पर्णात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम≉प्राधिकारी को यह विख्यास करने का कारण है ¹⁴क स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000 - रु. से अधिक है

और जिसकी मण पलेट है तथा जो ग्रमीरपेट, हैदराबाद मे स्थित है (और इसमे उपाबढ़ ग्रनूसूचें, मे और पूर्ण रूप से बणित है), रजिस्ट्रीकर्ता ग्राधकार्र, के कार्यालय, हैदराबाद मे रजिस्ट्रीकरण ग्राधिनियम, 1908 (1908 वा 16) के ग्राधोन, तारोख 6/84

को पूर्वोक्त संपरित के उचित बाजार मूल्य से कम के स्वयमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुफे यह विष्ठत्रास करने का कारण है कि यभापूर्वोक्त संपरित का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिचत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरफों) और अतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया इतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण हिसित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:---

- (क) जन्तारण से हुई किसी जाय की बाबत, उक्त अभिनियम के अभीन कर दोने के जन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या
- (वा) एरेसी किसी बाय वा किसी थन गा जन्य आस्तियों को, जिन्ह³ भारतीय जाय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोज-नार्थ जन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना थाहिए था, छिपाने में मुविधा के लिए;

अतः अंग, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण जें, मैं∵, उक्त अधिनियम की धारा 269-ज की उपधारा (1) 5 अभीन. निम्नलिखित क्यक्तििरुयों, अर्थात् ः—-15---486GI/84

। मै॰ विनेग विल्डर्म, वाई श्रा, जो॰ एल॰ राव,	
और श्रन्य,	
7/1/70/fघ०/1,	
त्रम₁रपेट,	
हैदगाबाद ।	
	(भ्रन्तरक)
* •	(4.4.56)
2 श्रामते। एय० धनलक्ष्मी,	
को० ग्राफ वाई० जनार्धन राव,	
एक म∉क्षपटिव इजी नियर,	
425, एम० प्राई० जो० एच०,	
एस० ग्रार० नगर,	
हैदराबाद 500 038।	
	(ग्रन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वीक्त सम्पत्ति के अर्जन की लिए कार्यवाहियां करता हुने ।

उक्त सम्परित के बर्जन के संबंध में कोई भी बाक्षंप :---

- (क) इस मूचना के रोजपत्र में प्रकाशन की तारोध से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्स ब्यक्तियों में से किसी ब्यक्ति द्वारा;
- (४) इस सुचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीक्ष में 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबदक की किसी अन्य व्यक्ति व्यारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकों थे।
- स्पच्छीकरणः—-इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है वहीं अर्थहाया को उस अध्याय में दिया गमा है।

जन्म नी

प्लैट नं० 106, विजया भ्रार्गार्टमेंटस, भ्रमान्पेट, हैसराबाद विस्तीर्ण 832 जौ० फु० रजिस्ट्राट्टत विलेख नं० 3547/ 84, रजिस्ट्राफर्ता ग्राधिरारी, हैदराबाद।

> एम० जगन मोहन मक्षम ग्राधिकारी सहायक ग्रायकर श्रायुक्त (निरीक्षण) ग्रर्जन रेंज, हैवराबाद

दिनॉक 11--2--1985 मोहर : [माग]]]---खाण्यः 1

इरक्म, बाइ, टी., दम, एस.------

ह्यायकर वाभिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-थ (1) के अभीत सुचना

आरत तरकार

क)भूलिय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) श्रर्जन रेज, हैदराबाद

हैदराम्राद, दिला 🕫 🗊 फरवर, 1985

निर्देश स० ग्राग्० ए० म,० न० 1001/84--85--- ग्रत मुझे, एम० जगन में(हन,

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके परुच्त् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-च के अभीन सभम प्रापिकारी को, यह बिख्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उच्चित बाजार मूल्य 25,000/- रु से अभिक है

और जिन्तको स० फ्लेट हैं, नथा जो ग्रणोत नगर, हैक्ष्याबाद मे स्थित है (और इन्से उपाबद्ध प्रनुसूची मे और पूर्ण रूप ले वर्णित है), रजिस्ट्रीक्षती प्रधिवगर के क्षथ्यालय, हैक्ष्याबाद में रजिस्ट्राकरण प्रधिनियम, 1908 (1908 व्य 16) के ग्रधान, लाराख 6/84

का प्यक्ति सम्पत्ति को उचित वाजार मूल्य से कम के दरगमान प्रतिफल को लिए अन्तरित की गई और रजिस्ट्रीकृत किया गया है मुभे यह विश्वास करने का कारण ही कि यह पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दरयमान प्रतिफल से, एसे दरयमान प्रतिफल का पद्रह प्रतिशत से अधिक है और अतरक (अंतरकी) और अंतरती (अंतरिक्रियों) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देय से उक्त अतरण लिखित में वास्तयिक रूप से कथित नहीं किया गया है ---

> (क) जम्सरण से हुई किसी नाग की वायत, क्रम्स वीधनियम के वधीन कर देने के बन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के 'सए; बौर/या

(स) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियां. क्षे जिन्हें भारतीय झाय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या भन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ जन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया स्वा था या किया जाना थाहिए था, छिपाने में मरिधा के लिए.

जतः अव, उक्त जीधनियम की भारा 269-ग को अन्सरण में, मैं, उक्त अधिनियम की भारा 269-ग की उपधारा,(1) को अधीन, निम्नलिचित व्यक्तियों, अर्थात :----

1. मेंसर्स मेहना टावर्स	
बाई० श्र। विजय मेहता,	
2-4-65,	
एम० जी० रोड़,	
सिकक्षरावाद ।	
	(मन्तरक)
2. श्रा ए० हनुमत राव	
पिता ए० वेक्ट्टा पय्या ,	
1 - 1 - 293/4,	
श्रशोक नगर,	
हैदराबाद ।	
	(ग्रन्तरिती)

को यह सुचना बारी कारके पूर्वीक्त सम्पत्ति के वर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी बाभोप :----

- (क) इस सूचना को राजपत्र में प्रकाधन की तारीच से 45 दिन की नवधि या तत्सम्बन्धी क्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की जबधि, जो भी कवधि बाद में समाप्त होती हो, के भींतर पूर्वोक्त क्यक्तियाँ में से किसी क्यक्ति द्वारा;
- (श) इस सूच्मा के राभपत्र में प्रकाझन की तारीय से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बेब्धूभ किसी अन्य स्थक्ति ब्वारा, अधोहस्टाक्षरी के पास सिखित में किए जा सकोंगे।
- स्थव्धीकारणः -----इसमें प्रयुक्त शब्दों और पद्रों का, जे उक्त अभिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हु⁴, वहीं अर्थ हागेग् जो उस अध्यास में दिया प्या है।

अमूसूची

फ्लेट न० 405, 1→1~ 293/4, श्रणोंक नगर, हैंदराबाद बि्स्त।र्ण 921 ची० फुट, रजिस्ट्र.इत विलेख नं० 3384/ 84, रजिस्ट्र।कर्ता श्रधिकारा, हैंदराबाद।

> एम० जगन मोहन सक्षम अधित्यार, सहायक ग्रायकर ग्रायूक्त (निरक्षण) अर्जन रेज, हैदराबाद

ताराख: 11-2-1985 मोहर , प्ररूप नाइ:्टी. एन. यस. ------

गयकड अभिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-च (1) के अधीन स्थनों

भारत सरकार

कार्यानय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

ग्रर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 11 फरवरी 1985

निर्देश सं० ग्रार० ए० सी० नं० 1002/84-85----ग्रतः मुझे, एम० जगन मोहन ,

आयकर अभिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके परचात् 'उक्त अभिनियम' कहा गया है), की भारा 269-ख के अभीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित थाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिंसको सं० फ्लेट है, जो दोमलगूडा, हैंदराबाध में स्थित है (और इसमे उपाबद्ध प्रसुनुची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता प्रधिकारा के कार्यालय, हैंदरावाध में भारतीय रजिस्ट्रीकरण प्रधिनियम, 1908 (1908 का का 16) के प्रधीन 6/84

को पूर्वोक्त सम्परित के उचित वाजार मूल्य से कम के दूरयमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुभ्ने यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपरित का उचित वाजार मूल्य, उसके दूरयमान प्रतिफल से, एसे दूरयमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिदात से वधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देख से उकन अन्तरण किचित में वास्तयिक रूप से कथित नहीं किया गया है '~~

- (क) बम्बरण से हुई किसी बाब की बाबत, उन्स अधिनियम के अभीन कर देने के बन्तरक जे दायित्य में कमी करने या लससे बचने में सुतिधा के सिए; बॉर/या
- (क) एसी किसी आय या किसी धन या जन्य आस्तियां को जिन्हें भारतीय आयक र अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना जाहिए था, खिपाने में सुनिभा के सिए;

अत: शब, उत्क्त अभिनियम की धारा 269-ग की अनुमरण थे, मे, उक्त ऑधनियम की धारा 269-व की उपधारा (1) के अभीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् ध---

1. मैं० सागर वन्स्ट्रक्शन,	
1 - 2 - 524,	
दोमलगूडा,	
हैंदराबाद ।	
·	(भ्रन्तरक)
2 क्षे/ काटेजा इसार दास	, , , ,
102, सागर अपार्टमेट्स,	
दोमलगुडा,	

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्प∐त्त के अर्जन के लिए कार्यवाहिया करता ह∵्।

हैदराबाद ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :-----

- (क) इस सुरना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीब से . 45 विन की अवधि मा तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, पा भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीषर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 45 विन के भीतर उक्त स्थावर संपरित में हितबब्ध किमी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित मे किए जा मर्कगे।
- स्पर्ख्टीकरण:— इसमें प्रयूक्त शब्दों और भवों का, जो उक्त अधिनियम, के अभ्याय 20-क में परिभाषित हूँ, बहुी अर्थ होगा जो उस अभ्याय में दिमा गया है।

अन्स्ची

फ्लेट नं० 102, प्रथम तल, सागर अपार्टमेट्स ,1-2-534, दोमलगूडा, हैदराबाद, रजिस्ट्राक्रुत विलेख नं० 3092/ 84, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी हैदराबाद।

> एम० जगन मोहन सक्षम श्रधिकारी महायक ग्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण) ग्रर्जन रेंज, हैदरावाद

त्।रीख: 11→2→1985 मोहर (भ्रन्तरिती)

माग 111---सण्ड 1

परूप माइ ंटी एन.एस ------

वाथकर अभिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-म (1) के वभीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर अनयुक्त (निरक्षिण)

ग्रजन रेज, हैकराबाद

हैक्रराबाद, दिनांक 11 फरवर: 1985

निदेश सं० आर० ए० स।० नं० 1003/84⊶85⊶⊶अतः मझे, एम० जगन मोहन,

आहकर अधिनयम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पदभात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्रधिकारी को यह विख्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिपका सं० फ्लैट है, तथा जो दोमलगूडा, है्दराबाद सें स्थित है (ग्रीर इससे उपाबद्ध अनुसूची में ग्रीर पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्री-तो ग्रधिवारी के कार्यालय, हैद्दराबाद में भारताय रजिस्ट्री-उरण ग्रधिनियम, 1908 (1908 वा 16) के ग्रधीन, तारीख 6/84

को पूर्वोक्षत सम्पत्ति के उचित नाजार मूल्य से कम के इंग्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके इज्यमान प्रतिफल से ऐसे इज्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिवात से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और जन्तरिती (अन्तरितियों) के बीध एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्दोध्य से उक्त अन्तरण लिहित में वास्तविक रूप से कथित नहों किया गया है:---

- (क) अन्तरण से हुर्ू किसीफ∾आय की बाबत, उक्त अभिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के क्षयित्य में कमी करने या उससे बचाने में सुविधा को लिए; जौर∕या
- (स) एेसी किसी आग या किसी धन या अन्य आस्तियाँ को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 '(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा को लिए;

अतः अब, उक्स अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्सियों, अर्थात :---- 1 मै० विजया विल्डर्स, बाई० श्रा जा० एल० राव, और भ्रन्य, 7⊶1~70/चि०/1, स्रमोरपेट, हैदराबाद।

(ग्रन्तरक)

2 श्र,मता वाई० पद्मावतः, पति वाई० एस० चाधरः, 1--2--593/4, दोमलगृडा, हैक्ष्रगत्नादः।

(ग्रन्तरितः)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए. कार्थवाष्ठियां घुरू करता हू⊤ ।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कांई भी आक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीस से 4.5 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जों भी अवधि बाद में समाप्त होती हां, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहम्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकोंगे।
- स्पध्दीकरणः इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदो का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

नन्स्पी

फ्लैंट इन 1→2−593/4, दोमलगूडा, है्दराबाद्द, विस्तीर्ण 1170 चौ० फुट, रजिस्ट्र बृत्द- विलेख न० 3439/84, रजिस्ट्राक्तर्ता प्रधिकारा, हैंदराबीदा

> ण्म० जगन मोहन सक्षम अधिकारो सहायवा आयकर प्रायुक्त (निरक्षिण) अर्जन रॉज, हैदराबा**द**

त।रीख: 11--2--1985 माहर 8625

प्ररूप आइ. टी. एन. एस. -------

and a star way in the second secon

मायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-व (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (गिरीक्षण)

ऋजन रेज, हैवरावाद

हैदराबाद, दिनाक 11 फरवर, 1985

निदेण सं० ग्रार० ए० सं,० नं० 1004/84-85---ग्रत: मुझे, एम० जगन मोहन,

प्रायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पक्ष्वात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269--स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,060/- रु. से अधिक है

और जिसा, युव घर है, तथा जो रोष्टामहल, हैंदरादाद में स्थित है (अ।र इन्से उपाबढ अनुसूची में और पूर्ण रूप से बर्णित है), रजिम्ट्रीव्यती प्रधिव्यारी के व्यर्थालय, हैक्याबाद में रजिम्ट्री-जरण क्रधिनियम, 1908 (1908 वर्ग 16) के ग्राधन, हैदर बाद नारीका 19-6-84

को पूर्वीक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मुल्य से कम के क्ष्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुफे यह विश्वास करन का कारण है कि यथापूर्वीक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दश्यमान प्रतिफाल में एमें इत्यमान प्रतिफाल के पन्द्रह प्रौत्तशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरितौ (अन्तरितियाँ) के बीच ए'से अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्दोध्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :----

- (क) बन्तरण से हुई किसीं बाय की बाबत, उत्वत अधिनियम के अधीन कर दोने के अन्तरक को दायित्व में कमी करने या उत्ससे बचने में सुयिभा के लिए; और/या
- (ख) एंसी किसी आग या किसी भन या अन्य व्यक्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनिंयम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा को लिए।

अतः अत्रः, उक्त अभिनियम की धारा 269-ग के अनुसारण में, मैं', उक्त अधिनियम की धारा 269-व की उपधारा (1) के अधीन, निम्तनिस्थित व्यक्तियों, अर्थात् ----

1 श्रावा० जगद,स्वर राव, 3-6-,563, ह,माथतनगर, हैदरावाद । मेगर्भ हारदेवधासा रामनाथ केड्ला चार्र.टेबल, ट्रस्ट, थ्यू इट्स मैनेजिग ट्रस्टा, श्रो गिरधार। लाल केडीया,

5-3-981,

हैदराबाद ।

फल, जंग लेन,

and the first of the second second

(ग्रन्तरित)

(म्रन्तरक)

को यह सुचना जारी करके पुर्वोक्त सम्परित के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हुः ।

उमत सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में काई आक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन को अवधि ण तत्सम्बन्धी त्यकितयां पर स्चनाकी रूग्मील से 30 दिन को अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोंक्त व्यक्तियों में से जिसी व्यक्ति द्वारा;
- (स) इ.स.सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीस से 45 दिन के भीतर जवत स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पा* लिखित में किए जा सक्षेगे।
- **स्पष्टीकरण** :——-इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उजवर बधिनियम के बध्याय 20-क में परिभाषित ह, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया' गया है।

नन्त्वी

घर संपाभ नं० 14-2-378, 378/1 अ।र 2, 14 ⋅2-377: गोंगामहत, हैदराबाद, रजिस्ट्र युत विलेख २० 3575/ 84, रजिस्ट्रीक्ती अधिवार, हैदराबाद।

> एम० जगत मोहन राक्षम अधिव्यको सहायक ग्रायकर ग्रायुक्त (निरक्षण) अर्जन रेज, हैदराबाद

गाराख 11--2-1985

माहर

प्ररूप बाइ. टी. एन. एस. .----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) कौं धारा 269-घ (1) के अधीन सूचन।

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त, (निरक्षिण)

ग्रर्जन रेज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनाक 11, फरवरी 1985

निदेश सं० ग्रार० ए० स० नं० 1005/84--85----ग्रत: मुझे, एम० जगन मोहन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके परचात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास 'करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुठ में अधिक है

और जिसक, स० घर है, तथ, जो मासाब टैन्क एरिया, हैदराबाद में स्थित है (ओर इससे उपाबद्ध अनूनुच, मे और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्री तो अधिवार, के कार्यालय, हेदराबोद में रजिस्ट्र करण अधिनियम, (1908 वा 16) के अध,न, तार ख 6/84

को प्र्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के इश्यमान प्रतिफल को लिए अन्तरित की गई है और मुभ्ने यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्र्यमान प्रतिफल से एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बौच एसे अंतरण के, लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :---

- (क) अंतरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अभिनियम के अधीन कर दोने के. अतरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में मुबिधा (के निए; और/या
- (ख) एोसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियो को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, 1922 कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, जिन्ने में सुनिध के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण भा, मौ, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नीलिखित व्यक्तियों, अर्थात् ----

सो यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहिया शुरू करता हुं।

* उक्त सम्परित के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी बाक्षेप :----

- (क) इस स्पना के राजपत में प्रकाशन की तारों से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पद स्पना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा,
- (श्व) इस स्चरा के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 1 जिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध जिन्दी जन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास जिन्हा राज राज
- स्पष्टीकरणः --- इरुमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त े अगिनाम के अप्याय 20-क में परिभाषित हो वही अर्थ हागा जा उस अभ्याय मादिया गया है।

मन्स्ची

घर न० 10--4--771/4/1, श्रीरामनगर, व्यालनी, माताब टैन्ग, हैदरावाद, रजिस्ट्र.इत विलेख न० 1283/ 84, रजिस्ट्र.ब्रेती ग्राधिकारी खैरताबाद।

> एम जगन मोहन संक्षेप ग्रधिवारी संहायक प्रायकर क्रायुक्त (निरीक्षण) ग्रर्जन रेज, हैदराबाद

तार ख 11-2-1985 माहृग् ह _____

प्रकृम् बार्ष्ट् टी. एन. एत्. ----

बायकर अभिनियम, 1961 (1961 का 43) की भा<u>रा</u> 269-म (1) के अभीन सुपना

भारत तरकार

कार्यालय, सहायक आपजन राखुक्त (निरीक्षण)

ग्रर्जन रेंज, हैंदराबाद

हैक्षरावाद, विनाक 11 फरवरी 1985

निद्रेश स० ग्रार० ए० स्।० न० 1006/84-85 -- ग्रत: मुद्दो एम० जगन मोहन,

बायकर अभिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमे इसके पश्चात 'उक्त अभिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विषयास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिनका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अभिक ही

और जिसका संव प्लाट हैं⁹ तथा जो घ्रसाफनगर, हैदराबाद में स्थित है (और त्यसे उपाबद ग्रनुसूच। में और पूर्ण रूप से वणित है(, रजिस्ट्रावर्ता अधिकार। के कार्यालय, हैन्ताकाद में रजिस्ट्रावरण ग्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के ग्रधान, ताराख 6/84

का प्रबंबत संपरित को उभित बाजार मूल्य में कम को ध्रयमान इतिफल को शिए जन्तरित की गई है और मूके यह विश्वाल करने का जारण है कि सथापूर्वोलत सम्परित का उभित बाजार मूख्य, उसके द्र्यमान प्रतिफल से, एमें द्र्यमान प्रतिफल का पंछत प्रतिमत सं अधिक है जोर अन्तरक (अन्तरकों) और जंतरिती (अन्तरितियों) के दीच एमे जन्तरण के लिए तथ पाया गया प्रति-फस निम्नसिखित उद्योग से उक्त बन्तरण जिखित को शब्दविक रूप से कथित नहीं किया गया ही .--

> (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त 'अभिनियम के अभीन कर दोने के लंतरक के दायित्व में कमी करने था उससे बचने मे सुविधा के लिए; और/वा

> (व) एसी किसी आव या किसी धन या अन्य वास्तियाँ को, जिन्हु भारतीय आयकर अभ्रिनियम, 1922 (1922 को 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 को 27) के प्रयोजनार्थ जस्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किशा गया था या कियन जाना चाहिए, था, खिपाने भें त्विभा को सिए;

जतः अत्र उपत वीधनियम की धारा 269-न के जन्मरण में, मैं, डक्त अधिनिषम की धारा 269-व की उपधारा (1) के वधीन, निष्ठमुलिखित व्यक्तियाँ, अर्थात् :----

1. श्रागन, महिम्मद, फातिमा,	
पति एनः एनः वन्दूर्दन,	
10-2-508,	
आर्मि,फनगर,	
हैसराबाद ।	
	(ग्रन्तरक)
2. श्री ताजूह न	. ,
ओर ग्रन्थ,	
1 4 5/बि०/,	
श्रागापूरा,	
हैयराबाद ।	
-	(ग्रन्तरित,)

को यह सूचना आरी करके पुर्वीक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हू।

उमत सम्पत्ति को मुर्जन को सम्बन्ध में कोई भी माझोए:---

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारोच से 45 दिन की अवधि या तरसम्बन्धी व्यक्तियां पर सूचमा की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी " अवधि बाद में समाप्त होती हो, के∤भीतर पूर्वोक्त क्यक्तियां में से किसी क्यक्ति द्वारा;
- (ब) इस सूचना को राजपत्र में प्रकाशन की तारीब से 45 दिन को भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बब्ध किसी अन्य व्यक्ति ब्वारा अधोहस्ताक्षरी को पास सिवित में किए जा सकोंगे।
- स्पर्ध्याकरणः—-इसमें प्रगुक्त शब्दों और पदाँ का जो खक्त अधिनियम, के अध्याय 20-कमें परिभाषित है, वही अर्थ द्वांगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

नन्त्या

ण्लॉट ग्राफ लेन्ड नं, 10-2-508/ए०, सइफाबाद, हैदराबाद, विस्तार्ण 470 चौ० गज, रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 1432/84, रजिस्ट्राक्ती ग्रधिकारी हैरक्षाबाद।

> एम० जगन मोहन सक्षम ग्रधिष्टारी सहायक श्रायकर आयुक्त (निर.क्षण) श्रर्जन रेंज, हैप्रराबाद

वार.ख 11-2-1985 मोहर: प्ररूप बाइ.टी.एन.एस ------

वाथकर वॉभनियम, 1961 (1**961 का 43<u>)</u> की** धारा 269-ध (1) के अधीन सुखना

भारत बरकार

कार्यालय, सहायक आयुकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, हैवराबाद

हैदराबाद, दिनांक 11 फरवरी 1985

निर्देश सं० आर० ए० सी० नं० 1007/84-85--आतः मुझे, एम० जगन मोहन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमे इसके पक्ष्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269 ज के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि ⊬थावर संपरित जिसका उचित बाजार सुस्य 25,000/- रत. से अधिक है.

ग्रौर जिसकी सं० प्लाट है, तथा जो सोमाजीगूडा, हैदराबाद में स्थित है (ग्रीर इसने उपाबद्ध अनुसूची में ग्रीर पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, हैवराबाद मे रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 কা 16) के अधीन, तारीख 6/84

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें को पूर्वोक्त संपरित के उचित बाजार मूल्य से कम के धश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई हैं और मुभे यह विश्वास करने का कारण ही कि बथापूर्वोक्स सम्परित का उचि्त बाजा? भुल्य, उसके ध्ल्यमान प्रतिफल से एमेरे ध्ल्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रोतेशत से अधिक हैं और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिर्ता (जन्तरितियों) की बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रसिफल, निम्नलिखित उबुदोध्य से उक्त अन्तरण लिचित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :---

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अभीन कर दोने के अन्तरक के र्षायत्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा के लिए; और∕या
- (ज्र) एेसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अभिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती दवारा प्रकट नहीं किया गणा थाया किया जाना चाहिए था, छिपाने में सविधा के लिए;

प्रत. जब, 'उक्त अधितियम की भारा 269-ग के अनुसरण हो, मै, ज़क्त जभिनियम की भारा 269-इ की उपभारा (1) 🕷 अधीन, निम्नलिखित क्यक्तियाँ, अर्थात्ः 🛶

1. श्री तेलावमी, দিবা প্রা भাঁজী, 6 - 3 - 354 | 15, हिन्दुनगर कालोनो, हैदराबाद । ग्रौर ं अन्य । (अन्तरक) 2. मैसर्स बंजारा कंस्ट्रक्शन को० प्रा० लि०, बाई श्री अली खाजा आफिस एट बंजारा कॅटल, रोड न० 12, बंजारा हिल्स, हैवराबाद । (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वीक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहित्रां करता हुं ।

उपत सम्परित के बर्चन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:----

- (क) इस सूचना क राजपत्र म प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की भवधि या शरसम्बन्धी ज्यक्तियों पर यूचना की तामील से 30 दिन की प्रवधि, खोभी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोंकत • गांगतयों में से किसी म्यनित द्वारा :
- (च) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की सारीख से 45 विन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबदुध किसी अन्य व्यक्ति दुवारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकों गे।
- स्वच्टीकरणः—-इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अभिनियम के अभ्याय 20-क में परिभाषित है, मही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया 5.1

जनस थी।

प्लाप्ट नं० विर्स्तार्ण 614 चौ० गज, सोमाजीगुडा, हैवराबाद, रजिस्ट्रीक्वत विलेख नं० 3470/84, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी हैदराबाद।

एम० जगन मोहन सक्षम अधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज, हैदराबाद तारीख: 11-2-1985

- .-- =

भाग III---खण्ड I]

प्ररूप् जाइ.ं. टी. एन. एस. - - ≈ ≝---

आयकर अभिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-म (1) को अभीन स्वना

सारत सरकार

कार्यालय, सहायक आपकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रोंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 11 फरवरी 1985

निर्देश सं० आर० ए० मी० नं० 1008/84--85--अत: मुझे, एम० जगन मोहन,

गामकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पक्ष्मात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की भारा 269-क के अभीन सक्षम प्राधिकारी को यह विक्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसकों उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु. से अधिक है

ग्नौर जिसकी सं० घर है, तथा जो मेहदीपटनम, हैदराबाद में स्थित है (ग्रौर इससे उपाबढ़ अनुसूची मे ग्रौर पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, खैरताबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, नारीख 6/84

को पूर्वोवश सम्पत्ति के उचित वाजार मूल्य संकम के ध्रस्मान प्रतिफल को लिए जन्तरित को गई है और मुफ्ते यह विश्वास करने का कारण है कि बथापूर्वोक्स सम्पत्ति का उचित बाजार भूल्य, उसके दश्यमान प्रतिफल से, ऐसे ध्रयमान प्रतिफल का न्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अंतरकों) और अंतरिती अंतरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण को लिए तय पाया गया तिफल, निम्नूलिखित उद्वेदेय से उक्त अन्तरण लिखित में ास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :----

- (क) बन्तरण से हुई किसी बाग की वावत, उक्क बाधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक को धायित्थ में कजी करने या उससे वजने में सुविधा के जिए; और/या
- (था) एरेसे किसी आय या किसी धन या अन्थ आस्तियों को, जिन्ह^र भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ जन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, एिपाने में स्विधा को किए;

अतः अथ, उक्त अभिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अभिनियम की भारा 269-ग की उपभारा (1) के अभीन. निम्नलिश्चत व्यक्तियों () ज़र्भांत् ध----16---486GI/84 श्री डा॰ विस्वनाधराज्, 33/एम॰ आई॰ जी॰ एच॰, मेहदीपटनम, हैदरावाद।

(अन्तरक)

2. श्रीमती फातिभा बेगम पति लेट मोहम्मद इक्रामुल्लाखान, 33/एम० आई० जी० एच०, मेहदीपटनम, कालोनी, हैदराबाद।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अजेन के ानए। कार्यवाहिया शुरू करता हु- ।

उक्त सम्पत्ति को अर्थन को सम्बन्ध में कांई भी माक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि था तत्सम्बन्धी व्यक्तियों गर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किमी व्यक्ति दुवारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीस से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबब्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सर्वोंगे।
- स्पर्ध्वीकरणः ----इसमें प्रयुक्त शब्दों और पर्दों का, जो उक्त जभिनियम को अध्यायं 20-क में परिभाषित हूँ, वही अर्थहोगा जो उस अध्याय में दिया गया हूँ।

लन्स्ची

घर नं० 33/एम० आई० जी० एच० (12-2-831/ 69), मेहद्वीपटनम कालोनी, हैवराबाद, रजिस्ट्रीक्टत जिलेख नं० 1480/84, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी खैरनाबाद।

> एम० जगन मोहन सक्षम अधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख: 11-2-1985 मोह्रर ध श्रुकम् नाइ<u>ै.</u>टी. एन. एस., -------

णायक<u>र</u> जधिनियम, 1961 (1961 का 43) कौ भारा 269-ग (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनाक 11 फरवरी 1985

निदेश सं० आर० ये० सी०न० 1009/84-85---अत मुझे, एम० जगन मोहन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पक्षात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ड के अधीन सक्षम प्राधिकारी का यह विश्वास फारने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचिर बाजार मूल्य 25,000/-रऽ से अधिक है

भौर जिनको स० घर है, जो ए० सी० गार्डस, हैदराबाद मे स्थित है (श्रीर इससे उपाबद्ध अनुसूची मे ग्रीर पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रोकर्ता अधिकारी क कार्यालय, खैरनावाद में भारती। रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, नारीख जन 84

को पूर्वोक्त सम्पतित के उचित बाजार मूल्प से कम के इष्टयमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुफो यह तिश्वास करने करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मुस्य, उसके इध्यमान प्रतिफल से, एसे दश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह, प्रतिद्यत से अधिक ही आरेर अनरक (अतरकों) और अन-रिती (जंतरितियों) के बीच एसे अंतरण के लिए तथ पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्ददेख से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया ही ----

- (क) वंतरण टे हुई किसी बाग की बाबत, उक्त अभिनियन के अभीन कर देने के अंतरक के दायित्य में कमी करने या उससे बचने में मुदिभा के लिए; और/या
- (व) एक्की किसी वाय या किसी धन या अन्य आस्तित्र को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, दा धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नही किया गया था या किया जाना बाहिए था, छिपाने में सुविधा के सिए;

सतः अब, उस्त अभिनियम की धारा 269-ग के वनुसरक में, में, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियां, अर्थात -----

तारीख. 11-2-1985 मोहर:

 श्रीमती ए० मीनाक्षी जी० पी० ए०, श्री ए० वेकट राव, काकीनाडा।
 श्रीमती पी० इद्रुमती, 10-1-18/34, गामनगर, ए० सी० गार्डस, हैदराबाद।
 (अन्तरिती)

को यह सूचना जारो करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के वर्षन के लिए कार्यवाहियां करता हु।

उक्त सम्परित के अर्जुत के सम्बन्ध में कोई भी बाक्षेप :---

- (क) इस सुखना के राजपत्र में प्रकाशन को तारीब से 45 बिन की अवधि या तरसंबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियां में से किसी क्यकित बुवारा,
- (स) इस सूचना को राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन को भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताकरी के पास लिखित में किये जा सकोंगे।

स्पष्टीकरणः -----इसमें प्रयुक्त सक्यों और पदों का, वो उक्त अधिनियम के अभ्यास 20-कः में परिभाषित है, बही जर्णहोगा को उस सभ्याय में दिया एका है।

भन्सूची

घर न० 10-1-18/34, ए० सी० गार्डस, शामनगर, हैदराबाद, विस्लीर्ण 402 चौ० गज, भूमि श्रौर 1400 चौ० फुट प्लीथ एरिया, रजिस्ट्रोक्टत विलेख न० 1249/84, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी खैरताबाद।

> ्रम० जगन मोहन सक्षम अधिकारी सहायक आयकर आयुक्स (निरीक्षण) अर्जन रेंज, हैप्रराबाद

प्ररूप बाह. टी. एन एस. अन्यसनननम्बदन

वायक<u>र</u> वभिजियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-व (1) के वभीन सूज़ना

मारत सरकार

कार्यालय,, सहायक जावकर जायुक्त (निर्डीक्षण), अर्जन रोज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 11 फरवरी 1985

निदेश सं० आर० यें० सी० नं० 402/84-85----अत: मुझें, एम० जगन मोहन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके परचात् 'खक्त अधिनियम' कहा गया है)', की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विख्वास करने का कारण है कि स्थायर सम्पूरित, 'जिसका उचित बाजार मूल्य 25,0000/- रुपये से अधिक है

भौर जिसकी सं० घर है, जो काकीनाडा, में स्थित है (ग्रीर इससे उपाबद अनुसूची में ग्रीर पूर्ण रूप से वणित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, काकीनाडा में भारसीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जून 84

को पूर्वोक्त सम्पत्ति को उचित बाजार मूल्य से कम दूश्यमान प्रतिफल को लिए अंतरित की गई है और, मूओ यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार बूल्य, उसके दूश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दश्यमान प्रतिफल के ब्लूह प्रतिकृत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और बतरिती (अंतरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया पया प्रतिफल, निम्नलिखित उब्ददेय से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है ध---

- (क) जन्तरण से हुई किसी जाय की वावत, उक्त वधितियम के वधीन कर दोने के जन्तर क दावित्य में कमी करने या उससे वचने में तुविभा के लिए; जोड/या
- (व) एसी किसी आग था किसी भन या अन्य आस्तियों को चिन्हों भारतीय आवकर अभिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अभिनियम, मा भन-कर अभिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्सरिती द्वारा प्रकट नहों किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुधिभा के लिए।

अतः अब, उक्त अभिनियम को धारा 269-ग के अनुसरण जो, में, उक्त जभिनियम की धारा 269-म की उपधारा (1) के जभीन, निम्नसिचित व्यक्तियों, अर्थात के----

1. श्री बि० सूर्यनारायणा राजू श्रीर अन्य,	
काकीनाडा ।	
	(अन्तरक)
2. श्री यस० जयरामाराव,	· · ·
ग्रोर अन्य,	
डीं० नं० 38-1-16,	
वल्लभ भाई रो <i>ड,</i>	
काकीनाडा ।	
	(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वीक्स सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हुं।

उकत सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीस से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तासील से 30 दिन को अवधि, आं भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वीक्षर व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति दवारा;
- (ख) इस सूचना को राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति ध्वारा अधोहस्ताक्षरी को पास लिखित में किए जा सकोंगे।
- स्पत्सः किरणः इसमें प्रयुक्त झब्दों भौर पदों का, खो उक्त अधिनियम के अध्याय 20 क में परिभाषित है बही कर्थ होगा जो उस अभ्याय में दिया गया है।?

णगराषरि

घर संपत्ति, काकीनाडा, रजिस्ट्रीक्वत विलेख नं० 5699 श्रौर 5700/84, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, काकीनाडा।

> एम० जगन मोहन सक्षम अधिकारी सहायक श्रायकर प्रायुक्त (निरोक्षण) श्रर्जन रेंज, हैवराबाद

दनांक: 11-2-1985 मोहर: प्ररूप भाष्ट्". टी. एन. एस. ^----- 1. श्र

आयफार अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन स्वना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरोक्षण) अर्जन रेंज, हैदराबाद हैदराबाद, दिनांक 11 फरवरी 1985 निदेश सं० आर० ये० मी० नं० 403/84-85---अतः

मुझे, एम० जगन मोहन,

आयकर अभिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसं इसमें इसके परमात 'उक्त अधिनियम' कहा गया हैं), की भारा 269-ख के अभीन संक्षम प्राधिकारी का यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्स 25,000/- रऽ. से अधिक है

श्रौर जिसकीं सं० भूमि है जो तनूमला यिलेज, ईस्ट गोदावरी जिला में स्थित है (श्रीर इसके उपाबढ़ अनुसूची में श्रौर पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, काकीनाडा में भाषतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधान, नारीख जून 84

को पूर्वोंक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के उत्यमान रजिस्ट्रोकृत किया गया है अन्तरित की गई है और मुभे यह विद्वास करने का कारण है कि यथापवॉक्त संपत्ति का उवित बाजार मूल्य, उसके इश्यमान प्रतिफल से एसे दश्यमान प्रतिफल का पन्दट प्रतिशत से अधिक है और यह कि अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती रिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया धीतफल, निम्नोलिसित उद्देव्य से उक्त अन्तरण । लिमित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :---ं

- (क) अन्तरक से हुई किसी आय की बाबँट, उक्त अधिनियम के अधीन कर दोने के अन्तरक कें दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या
- (ग) एसी किसी आय रुगकिसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हों भारतीय वाय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किस जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम^{िं}की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) क अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :---

 1. श्री पी० वेंकट सूर्यमत्यनारायणा,

 तनूमला,

 कार्कानाडा नालुक,

 जिना ईस्ट गोदावरी,

 2. श्री वी० भास्कर राव,

 कार्कानाडा नालुक,

 कार्कानाडा नालुक,

 जिना ईस्ट गोदावरी।

का यह सूचना र्फारी करके पूर्वीक्त गम्पत्ति के अर्जन के जिए कार्यवाहियां करता हुं।

उक्त सम्परित के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :----

- (क) इस सुचना को राजपत्र में प्रकाशन की तारोख सं 45 दिन को अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सुचना की तामोल से 30 दिन को अवधि, जां भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, को भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियां में से फिसी व्यक्ति दुवारा;
- (ब) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारोध से 45 दिन के भीतर उक्षत स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोड़स्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकोंगे।
- स्पष्ट्वीकरणः इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उल्ल अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित ह¹, बही अर्थ होगा, जो उल्प अध्याय में दिय। गया **ह**ै।

अन्स्ची

भूमि विर्म्तार्ण 1–67, एकर, तनूमला विलेज, ईस्ट गोदावरी जिला, रजिस्ट्री रून विलेख नं० 4498/84, रजिस्ट्री-कर्ता अधिकारी काकीनाडा।

> एम० जगत मोहन संक्षम अधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेज, हैदराबाद

नारीखः 11-2-1985 **मोहर** १ भाग 111---खण्ड 1

*त्रक्य भा*ह्^{*} टी. एन्<u>.</u> एस. -----थ

अध्यक अधितिसम, 196। (1961 का 43) की भारा 269-अ (1) के अभीन सूचना

भारत सरकाड

मार्थालय, सहायक नायकर **नायक्त (निरीक्षण)**

अर्जन रेज, हैदराबाद

हैदराबाद, रिनाक 11 फण्वर्रा 1985

निदेश म० आर० ये०मी० न० 404/84-85--अत:

मझे, एम० जगन मोहन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 की 43) (जिमे इसमें इसके पक्ष्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया हुँ), की धारा 269-ख क अर्धान सक्षम प्राधिकारो का, यह किखान करने का फारण हुँ कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु., से अधिक हुँ

ग्रोर जिसकी म० घर है जो वैझाग, में स्थित है (ग्रोर इसमें उपाबद अनुसूर्ची में ग्रीर पूर्ण रूप में वीफा है), रजिस्ट्री-कर्ता अधिहारी के कार्यानय वैझाग में भारतीय रजिस्ट्रीयण्ण अधिनियम, 1908 (1908 का 1फ) के अवीन, जारीख जन 84

को प्वौक्स संपरित के उचित बाजार मूल्य से कम के इश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित ही गई है और मुफो यह विश्वास करने का कारण है कि यथा पूर्वोक्त संस्पपति का उचित बाजार मूल्य, उसके दश्यमान प्रतिप्रतेन से, एसे दश्यमान प्रतिफल का पब्दह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियो)क बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में बास्तविक इप से कथित नहीं पाया गया ही ---

- (क) बतरण से हुइ' किसी आय की बाबस, उक्स अभिनियम के अधीन कार दोने के अन्तरक के दायित्व में कोमी कारने या उसम वजने में मुकिथा के लिए; और/या
- (ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों का, जिन्हा भारतीय आय-कर डोधनित्रम, 1922 (1922 का 11) या उक्ते अधिनियम, या हन-कर जोधनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया भया था या किया जाना माहिए था, क्रियान श द्वीवथा के लिए;

बत अन उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण मो, मौ, तनन अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) को अधीन, निम्नलिसित व्यक्तियों, अर्थात :--- श्वीमती वी० गायत्री रामात्राव पति वी० पी० त्रागा राव, 613/34/22/5,
 द्वाण्का पुरी कालोनी, हैदराबाद।
 डा० पी० वी० रेड्डी यौर अन्य,

ग्रौर अन्य, मेडिग्रुल प्रैक्टीकलरस, 30−14−2, अलीपुर्णम वार्ड, वैझागा '

(अन्यरिती)

(अन्तरक)

को यह सूचना जाती कारक पूर्वाक्त लग्धने के राजन के लिए कार्यवाहियां करता हुन्

उज्त मम्पत्ति के अर्जन के संबध में कार्ड भी आक्षप :----

- (क) इस मुचना के राजपत्र में प्रकाशन को तारील स 45 दिन की अवधि या तत्पत्रभों क्यक्तित्यों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि. जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के शितर पूर्वाक्रत व्यक्तियों मा से किसी व्यक्ति दवास
- (स) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन को तारोख स 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखिल में किए आ सकोंगे।

स्पर्ध्टीकरणः :---इसमें प्रयुक्त शब्दी और पर्दो का, जो उक्त अधिनियम के अध्यायः 20-क में परिभाषित है, बही अर्थ ठागा तो उस अच्याय मांदिया गया है।

नम्स्ची

घर सर्रात्त न० 30--14--2, अर्तापुण्म वार्ड, डावागार्डन, वैझाग, रजिस्ट्राहन विलेख न० 7511/84, रजिस्ट्रीतनी अधिकार्रा विणाखापटनमा

> एम० जगन माहन सक्षम अधिकारी सहायक आयक्त (निरोक्षण) अर्जन रोज, हैदरावाद

गारिख: 11<u>≁</u>2−1985

मोहर ः

प्रकल भाष्ट्र . टी . इम . एस . -----

धाबकल बीधींगेयम 1961 (1961 का 43) की धारा 269-म (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

आर्यालय, सहायक आयकर आगुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 11 फरवरी 1985

निदेश सं० आर० ये० सीं० नं० 405/84--85----अतः मझे, एम० जगन मोहन,

मायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसें इसमें इसके परभात 'उक्त अधिनियम' कहा गया हो), की धारा 269-ख को अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह जिस्सास करने का कारण ही कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उणित बाजार मूल्य 25,000/- रु. स अधिक ही

श्रौर जिसकी स० भूमि है, जो जिना वैक्षाग, में स्थित है (श्रौर इनसे उपावढ़ अनुसूची में श्रौर पूर्ण रूप से वणित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारों के कार्यालय, वैझाग में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जुन 84

को पूर्वोक्त सम्पत्ति को उचित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान प्रतिफल को लिए अंतरित की गई है और मुफो यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सपरित का उचित बाजार मूल्य उसके ध्र्य्यमान प्रतिफल से एसे ध्र्य्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और (अंतरितियों) के बीव एसे अंतरण के लिए तय पाया प्या प्रति-फल, निम्नलिधित उद्देश्य से उक्त अन्तरण किछित में वास्त-विक रूप से कथित नहीं किया गया है:---

- ईक) वन्तरक से हुइ किसी बाय की वावत., उक्त वभिनियम के वधीन कर बोने के वन्तरक के द्यित्व में कमी कट्ने या उससे वचने में सुविभा के सिए; वॉर/या
- (ख) एरेसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हों भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रजंजतार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था जि़पाने में ो्विधा के लिए;

न्तः, वद, उक्त वभिनियम, कौ भारा 269-म के नन्तरण कॅ, मॅं, छक्त अधिनियम की भारा 269-म की उपधारा (1) के अधीम, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :--- श्री के० रामकीष्णा ग्रौर अन्य, हिल साहड, 8-2-472/ए०, रोड़ नं० 1, बंजारा हिल्स, हैदराबाद। (अन्तरक)
 मैसर्म प्रान मँगनेट प्रा० लि०, हारवर एप्रोच रोड़, विशाखापटनम, बाई श्री वी० शिवरामप्रसाद।

(अन्तरिती)

को यह सुचना जारी करके पृर्थीक्स संपरित के अर्जन के लिए आर्यवाहियां कर्दता हूं ।

अक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी बाकोई ट----

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीच से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वीक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीस सं 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिंग-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताकरी के पास लिसित में किए जा सकोंगे।

मन्स्पर

भूमि विस्तीर्ण 4.36 एतर, बड्लापूडी, रजिस्ट्रीकृत विलेख न० 7.593 आर 7726/84, रजिस्ट्रीकर्ती अधिकारी वैसाग।

> एम० जगन मोहन मक्षम अधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेज, हैदराबाद

न्तारीग्य: 11--2-1985 मो**हर** ३

प्रकृष, काइ. टी. एन. एस	1. मै० चंद्रा फैर्ब्राका स्टोर्स,	
गिभनियम, 1961 (1961 का 43) को बारा 269-म (1) के अधीन स्चना	471114, द्वारका नगर, विशाखापटनम ।	
भारत सरकार	(अन्त	नरक)
म, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)	2. डा० सी० एच० सत्य घोशकुमारी	
् अर्जन रेंज, हैदराबाद	पति डा० सी० एच० श्रीकृष्णा,	
है्दराबाद, दिनांक 11 फरवरी 1985	फर्स्ट लेन,	
• आर० ये० सी० नं० 406/84-85अतः	गृटूर ।	
जगन मोहन,	(अन्तर्1	रंती)
यम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें उक्त अधिनियम कहा गया 8*), की धारा ोन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का स्थायर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार म्ल्य	को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के कार्यवाहयां घुरू करता हूं ।	िलए

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आ कोप :---

- (क) इस सुचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर स्पनाकी तामील से 30 दिन की अवधि, जॉभी अवभि बाद में समाप्त होती हो, को भीतर प्वॉक्त म्यन्तियों में से किसी न्यन्ति ब्रारा;
- (स) इस सुचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतरु उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पात लिखित में किए पा सक गे।
- म्मध्दकिरणः ——इसमें प्रयुक्त शब्दों और पक्षों का, जो उजन्त अधिनियम, के अध्याय 20-क मं परिभाषित हैं, वहीं अर्थ होगा, जो उस अभ्याय में दिया गया है ।

धन्य यो

भूमि विस्तीर्ण 1082 चौ० गज, सी० बी० यम०, कम्पाउंड, वैझाग, रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 8772/84, 'रजिस्ट्रीकर्ता∬ अधिकारी वैझाग।

> एम० जगन मोहन सक्षम अधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारोख: 11-2-1985 मोहर ः

जायकर अगि ধান

कार्यालय,

निदेश सं० मुझे, एम० जग

नायकर अभिनिय इसके पश्चात् 'उव 269-ख के अधीन कारण है कि स्थ 25,000/- रु. से अधिक है

ग्रौर जिसकी सं० भूमि है तथा जो वाल्टीयर वार्ड, वैझाग में स्थित है (ग्रौर इससे उपाबद्ध अनुसूची में ग्रौर पूर्ण रूप से र्धाणत है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, वैझाग में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीखेजून 84

को पूर्वीक्त सम्परित के उचित भाषार मूल्य से कम के स्वयमान प्रतिफल के लिए अन्तारित की गई है और मुभ्ने यह विक्यास फर्रो का कारण है कि स्थापुर्वीक्त संपरित का उधिक बाजार म्ल्य, उसके बध्यमान प्रतिफल से, एसे ध्ययमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रसिन्नत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अंत-रिती (अंतरितियाँ) के बीच एसे अम्तरण के जिए तर पाया गया प्रतिफल, निम्नलिसित उद्दोय से उक्त अन्तरण लिखित में बास्तबिक रूप से कथित नहीं किया गया है :----

- (क) बन्तरण से हुई किठी बाय की बाबत, उक्त बर्धिनियम के बधीन कर दोने के अन्तरक के शायित्व में कमी करने या उससे बच्चने में सुविधा को लिए; मांश/मा
- (स), एरेसी किसी आय या किसी धन या जन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) ंगा उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था था किया जाना चाहिए था, फिलार 🖬 सुविभा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अभिनियम की धारा 269-म की जपभार्य (!) 🕏 बभीन, निम्नसिदित स्थक्तियों, वर्षात् 🚛

∫भाग []--खण्ड 1

प्ररूप जाइ. टी. एन. एस.------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के ट्राधीन स्**य**ना

भारत सरकार

कार्यालय, रुहायक मायकर मायुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेज-4, कलकत्ता

कलकत्ता, दिनांक 13 फरवरी 1985

निदेश सं०ए० सी० 65,रेंज 4,कल०,84-85——अत.मुझे • शंकर के० बनर्जी.

- आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारां 269-द्य के अधीन सक्षम प्राधिकारों का, यह विख्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000. रु. से अधिक है
- म्रोर जिसकी सं० है, तथा जो नई हाटि में स्थित है (ग्रौर इसमे उपाबद अनुसूची में ग्रौर जो पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय कलकत्ता मे रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 22-6-1984

को पूर्योक्त सपरित के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुभ्ने यह विक्वान करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्मत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिघात से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण छे लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्वदेय से उक्त अन्तरण लिखित में बास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:---

- (क) झन्तरण से हुई किसी वार की धावस, उक्त अधिनियम के अधीन कर दोने के जन्तरक के दादित्य में कमी करने दा उक्तदे द्वने में दुविधा के लिए; और/या
- (ज) एेसी किसी आय या .किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अभिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अभिनियम या धन-कर अभिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सविभा के सिए;

अतः अव, उक्स अभिनियम की भारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अभिनियम की भारा 269-ग की उपभारा (1) के सभीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात क्ष---- ा. मे० कृष्णा टूल्*न* एड, हार्डवेयर, प्रोटक्टम, (प्रा०)लि० (अन्तरक)

युनीक्य मैत्युफैक्च⁷र्भ ।

(अन्तरिती)

कौ यह सुचना झारी करके पुर्वोक्सत सम्परित के वर्जन के लिए कार्यवाहियां घुरू करता हुं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :----

- (क) इस स्पिना के राजपत्र से प्रकाशन की तारीय हो 45 दिन की अवधि या शत्सम्बन्धी क्यवितयों पर स्जना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि आद से लमाप्त होती हो, के भीतर पूर्वीकल व्यक्तियों में से किसी क्यक्ति खुवारा;
- (ख) इस सुचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थाधर संपत्ति में हितबड्ध किसी अन्य क्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकोंगे।
- स्पर्ख्यीकरणः इसमें प्रयुक्त बब्दों और पदौं का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित ह⁴, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

<u>अपृष्</u>यी

जमीन 17 काठा, जमीन का साथ मकान। पताः प्रसाद, नगर, नैहाटि, 24-परगना, दलिल सं० 1984 का 7220

> एस० के० बनर्जी सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जनरेंज-4, कलकत्ता

दिनांक 13-2-1985 **`मोहर**ः आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की भार 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रॅज-4, कलकत्ता

कलकत्ता, दिनांक 12 फरवरी, 1985

निदरेश सं. ए. सी. 64/रॉंज 4/कल./84-85---अतः मुफ्ते शंकर के. बनजीॉं,

आय कर आं गियम, 1961 (1961 का 43) (जिम इसमें इसके पश्चात 'उन्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,0001 ही. से अधिक ही

और जिसकी सं. है तथा जो गुई हाटि में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीक्ता अधिकारी के कार्यालय कलकत्ता में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 21-6⊦1984

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मुल्य से कम के स्व्यमान गइ प्रतिफल के लिए अन्तरित की और मुक्ते यह विश्वास करने का **ह**ੈ कि कारण यथापूर्वोंक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मुल्य, का कारण है कि उसके दश्यमान प्रतिफल भे, एसे दश्यमान प्रतिफल का पंदह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच एेसे अन्तरण के लिए तथ पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखितों में बास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :----

- (क) अन्तरण में हुई किसी आय की बाबत, उक्त अभिनियम के अधीन रूर दने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में मुविधा कोल्ल, अंतर/या
- (ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हा भारतीय आयकः अभिनियम, 1922 1929 हो 11) या ठाउत अभिनियम, या चन यह होगी त्यम, 1957 (1957 का 27) को प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया लाना चाहिए था जिपान वा सायफ के लिए

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ के अनसरण म, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्तलिष्टित व्यक्तियों, अर्थात् :---17--486 GI/84 1. श्री कुमारेश बुलबुल चौधरी

(अन्तरक)

2. श्रीमती, सोना रानी सहा,

(अन्तरिती)

कौ यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता **ह**ुं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :----

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकोंगे।
- स्पध्तीकरण:---इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो **उक्त** अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय मे दिया गया है:

अनुसूची

जमीन 3 काठा, 8 छटांक, जमीन का साथ मकान। पता रघुनाथ पुर, बगुईंहाटि, 24-परगना, दलील सं. 1984 का 7187

> शंकर के. बनर्जी सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रॉज, कलकत्ता

दिनांक 12-2-1985 मोहर :

[भाग 111---सण्ड 1

प्रस्प आह. टी. एष<u>.</u> एष. -=---

बायकर अभिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-म (1) के बभीन ब्रम्मा

TIME DUPIN

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण

अर्जन रोज-4, कलकता

कलकता, दिनांक 12 फरवरी, 1985

निवोध सं.ए.सी.63/रोज-4/कल./84-85— अतः मुफ्ते बांकर के. बनर्जी

आयकर अभिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसं इसमें इसके पत्र्चात़ 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की भारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विक्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्परित, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अभिक है

और जिसकी सं. . है तथा जो दार्जिलिंग में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीक्र्ता अधिकारी के कार्यालय कलकत्ता में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 7-7-1984

को पुर्वोक्त सम्पत्ति को उचित वाजार मूल्य से कम को परयमान प्रतिफल को लिए अंतरित की गई है और मुओ यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वों केत संपत्ति का उचित वाजार मूल्य उसको दृश्यमान प्रतिफल से, एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिफल को लिए अंतरित की गई है और मुफे यह विश्वास करने (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देशेय से उक्त अन्तरण लिथित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:---

- ⁷क) अन्तरण से हुई किती आव की वावत उक्त अभिनियम को अभीन कर दोने के अन्तरक के बायित्व में कमी करने था उसने बचने जे नविभा के लिए; धीन/गर
- (क) एरेसी किसी वाय वा किसी कन वा बन्व वास्तियों को, जिन्ह¹ भारतीय आयकर वर्धिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ जन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गंवा धा या किया जाना काहिए था, डिपाने के संविधा क जिए;

अत अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिपियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिसित व्यक्तियों, अर्थात् :---- 1. जानकान एग्रो, इन्डस्ट्रीज लिमिटेड,

(अन्तरक)

आर. डी. एम. इन्डस्ट्रीज लि.

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वों कर सम्परित के अर्जन के लिए कार्यवाहियां धुरू करता हूं।

उन्त सम्परित के अर्जन के सम्बन्ध में काई भी बासपे .---

- (क) इस सूचना के राजपत्र को प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो के भीतर पूर्वोक्त ब्यक्तियों मं⁻से किसी व्यक्ति व्यारा;
- (ख) इस सुचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी को पास लिसित में किए जा सकोंगे।

स्पंख्टीकरण :—-इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, बही अर्थ होगा को उस अध्याय में दिया गया है।

अन्स्ची

जमीन 48.04 एकड़। पता ः हसकुया टि. गार्डन, दार्जिलिंग। दलील सं. 1984 का 7808

> शंकर के. बन**औं** सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन र^रज, कलकत्ता

दिनांक 12-2-1985 मोहर : इक्म, बाहे, टी., एन्. एस. -----

बायकर सॉंधनियम, 1961 (1961 का 43) की भाग 269-म (1) बेल्माधीन सूचना

भारत सुरकाह

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रॉज-4, कलकत्ता

कलकता, दिनांक 15 फरवरी 1985

निद^{*}श सं. सी.ए.172/84-85/क. 974/आर्ड. ए. सी./रज-।/कल.—-अत: मुफ्ते शंकर के. बनर्जी

नायकर सधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पद्दवात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-च के अधीम सक्षम प्राधिकारी को यह विक्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु. से अधिक है

और जिसकी सं 12/सी है, तथा कामाक स्ट्रीट, कलकत्ता में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, सी. ए. आई. ए. सी., अर्जन रॉज-।, कल., में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 17-6-1984,

को पूर्वीक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य स कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुफे यह विदवास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, एसे दृश्यमान प्रतिफल का पत्कह प्रतिशत से बधिक है और धन्तरक (जन्तरकों) बार जंतरिती (अंतरितियों) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया ग्या प्रतिफल निम्नलिखित उद्देवेय से उक्त जंतरण लिखित म वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है '----

- (क) अंतरण से हुई किसी आप की बाबत, उक्त अभिनियम के बाधीन कर दोने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में मुविभा के लिए; आर/या
- (क) एरेसी किसी आग या फिल्सी भए उर अन्य आस्तियों करें, जिन्हें भारतीय आय-कर अभिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अभिनियम, या भल-कर अभिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया भा या किया जाना आहिए था, छिपाने म सुविधा के बिए;

वतः वव, उक्त वधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं', अक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (†) डे त्रधीन, निम्नसिण्लित व्यक्तियों, अर्थातः ३(अन्तरक)

2. श्री सुधीर सेन

1. रमा भट्टाचार्या

(अन्तरिती)

को यह सुचना जारी करके पूर्वीक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए. कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के वर्जन के संबंध में कोई भी वाक्षेप "---

- (क) इस सूचना को राजपत्र में प्रकाशन की तारीब सं 45 विन की अवभि या सरसंबंधी व्यक्तिमों पर सूचना की तामीस से 30 दिन की बदमिइ, इसे मौ, ववभि बाद में समाप्त होती हो, को भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वार्ड,
- (ब) इस सुचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारांध के 45 दिन के भीतर उक्त स्थाबर सम्पत्ति में जिन्हेयवृध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पाथ लिखित में किए जा सकोंगे ।

अमुसुची

पर्लंट नं. 7बी, एक तल्ला, पर 12/सी, कामाक स्ट्रीट, कलकरता। सक्षम अधिकारी, सहायक आयकर आयुक्त निरक्षिण, अर्जन रज-।, निकट निबन्ध दाया, दलील सं. सी.ए.-172

> शंकर के. बनर्जी सक्षम प्राप्तिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रॉज, कलकत्ता

दिनांक 15-2-1985 मोहर :

स्पष्टीकरणः—-इसम⁻ ५पूक्तं शय्दां और पदां का, जो **उपस्** अधिनियम के अभ्यायं 20-क में परिशतिषद है, बही अर्थ होगा जो उस अभ्याय में दिरा गया है।

(भाग III---सण्ड 1

8640

ं इक्य बाइ.टी. एव. एव<u>.</u> -----

मायकर स्रभिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 (ष) (1) के नधीन स्वना

मारत सरकार

कार्यालन, सहायक नायकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रोज-4, कलकत्ता

कलकत्ता, दिनांक 15 फरवरी 1985

निद^{*}श सं. सी.ए.-5/84-85/ऋ. 975— अतः मुफ़े, एस. के बनर्णी

नायकर अभिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके परवात 'उक्त अभिनियम' कहा गया है), की भारा 269-ख ये अधीन सक्षम प्राधिकारा का, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित वाजार मूल्य 25,000/- रठ से अधिक हूँ

और जिसकी सं. 3 है तथा जो मिडलटन, रो कलकत्ता मे स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची मे और जो पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, सी. ए. आई. ए. सी., अर्जन रज-।, कल., मे रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 2-6-1984

को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के दूश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मून्ने यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके इत्यमान प्रतिफल से, एसे इत्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिक्षत से अधिक है थार अंतरक (अंतरकों) भार अंत-रिती (अतरिरालया) वे थीच एम पंतरण के लिए तय पाय गया प्रतिफल निम्नलिखत उद्वेय से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :---

- (क) बंतरण से हुई किसी बाय की बाबत, उक्षर अधिनियम के अधीन कर दने के बंतरक के दायित्व में कमी करने या उसने बचन स सुविधा के लिए; और/या
- (प) एको किसी आय मा किसी भन य। अन्य आस्तियों को जिन्ह¹ भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 को 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 को 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

नतः वर, उक्त वीधीनयम की पार 269-ग में वनुसरर में, मैं, उक्त अभिनियम की धारा 269-व की उपधारा रें के बधीन, निम्नसिदित व्यक्तियों, वर्षांद्व:--- 1. श्रीमती किरण जि. अख्याणी,

(अन्तरक)

2. श्री मोहन लाल संखानी

(अन्तरिती)

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्परित है)

को यह सूचन। जारी करके पुर्वोक्त सम्पत्ति के कर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हुं।

उनत सम्परित के अजन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीय से 45 दिन की अवधि या तरसम्बन्धी व्यक्तियों पड़ सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी वयधि बाद में समाप्त होती हो, को भीतर पूर्वोंक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति स्वारा;
- (ध) इस सूचना क गलपत्र म प्रकाशन की तत्राख से 45 बिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबर्भ किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अक्षेहस्ताक्षरों के पास जिसित में किए जा सबीग'।
- स्पर्काकरणः---इसमॅ प्रयुक्त शब्दों और पदांका, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-कम⁻ परिभाषित ह[#], वही अर्थ होगा जो उस अभ्याय में <u>दि</u>सम गवा ह[®]।

जनुसुची

ब्लाक-'डी' 7वां फ्लोअर, 3 मिडलटन रोड, कलकत्ता, सी.ए.,बाई. ए.,सी. रॉज-।, निकट निबन्ध दाया, दलील सं. सी. ए.-5।

> शंकर के. बनऔ सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरोक्षण) अर्जन रजे, कलकत्ता

दिनांक 15-2-1985 मोहर : प्ररुष बाइ हुटी . एन . २६ . -------

लायकर लभिनियम, 1961 (1961 को 43) को भारा 269-म (1) के अभीन सुचना

भारत सरकाड

कार्यालय, सहायक मायकाडु मायुक्स (मिड्रीक्षण)

अर्जन रॉज-।, कलकत्ता

कलकत्ता, दिनाक 15 फरवरी 1985

निवर्रेश सं. सी. ए./84-85/क. 976/आई. ए. सी./ अर्जन रॉज-।, कलकत्ता----अतः मुफ्ने, एस. के. बनर्जी, भायकर अोधोलतम, 1961 (1961 का 43) (जिसं इसम इसके पर्वचान् 'उक्त अधिंतयम' कहा गया है), को दारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने क कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्स् 25,000/- रु. से अधिक ह⁴

और जिसकी सं. 2 है तथा जो बुड स्ट्रीट, कलकत्ता में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) 'रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, सी. ए., आर्इ. ए. सी., अर्जन-रॉज-।, कलकत्ता में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 14-6-1984

को पूर्वाक्त सम्पत्ति के उचित वाजार मुल्य से कम के दश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुफे यह विधवास करने का लगरण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित वाचार मुख्य, उसके दश्यमान प्रतिफल से एसे दश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिक्षत संअधिक हे और अंतरक (अंतरका) और अंतरिती (अन्तरितियां) के वीच एसे जन्तरण के निए तय पाया गया प्रदिफन, निम्नलिखित अयुद्धेव से उक्त जन्तरण निविद् में वास्त्रयिक रूप से कचित नहीं किवा पया ही :---

- (क) क्षंतरण से हुई किसी आप की बाबत,, उक्त अधि-नियम के अधीन कर दोने के अंतरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने मे सुविधा के लिए; और/या
- (ख) एेसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को भिन्हुं भारतौय आयकर वभिनियम, 1922 (1922 का 11) या उस्क्र अभिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा को जिए;

बतः अव, उक्त वीधनियम कौ धारा 269-ग के वनुसरण ब', में, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ को उपधारा (1) बे अधीन, जिम्नीतीयब व्यक्तियों , जर्षांच स---- 1. श्रीमती आशा, एम. केवलरामानि,

(अन्तरक)

2. श्री वनश्याम दास सखारानि, और दूसरा

(अन्तरितीं)

को यह सुचना जाडी कड़के पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्थन के लिए कार्यव्यष्ठियां करता हुं।

उक्त सम्परित के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी बाक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तरसम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जे भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वीकत व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति दुवारा;
- (4) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की सारीस से 45 दिन के भील्क उक्त स्थावर नम्पत्ति में डिल क्रूप किसी अन्य व्यक्ति दुवारा अधाहरूराक्षरी क पास तिसित में किए जा सकोंगे।

स्थब्टीकरणः—इसर्म प्रयुक्त कब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, तहीं अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अन्स्ची

प्लाट सं. जी-6, 2, बुड स्ट्रीट, कलकता, सी. ए., आई^{*}. ए. सी., अर्जन र^{*}ज-।, निकट निबंध, दाया, दलील स. सी. ए. 6 **ह**ै।

> एस. के. बनऔं सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रोज-।, कलकत्ता

दिनांक : 15-2-1985 मोहर ॥ प्ररूप आह. दी. एन. एस. ------

आयकर अभिनियम, 1961 (1961 का 43) की

भारा 269-म (1) के अभीन सुचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रॉज-।, कलकत्ता

कलकत्ता, दिनांक 15 फरवरी 1985

निद^{र्ने}श सं. सी. ए. 8/84-85/क. 977/आई.ए.सी./ अर्जन रॉज-।, कलकत्ता—अतः मुफ्ने, एस. के. बनजी,

बायकर अभिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके परचात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि रुष्धावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु. से अधिक है

आरे जिसकी सं. 3 है, तथा जो मिडलटन, रोड, कलकत्ता में स्थित है और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारों के कार्यालय सी. ए. आई. ए. सी. /अर्जन रज-।, कलकत्ता में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम,

1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 16-6-1984

को पूर्वीकत सम्पतिः के उचित बाजार मूल्य से कम के क्ष्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुर्फे यह विष्वास करने का कारण है कि यथापूर्वीकत सम्पत्ति का उजित बाजार मूल्य, उसके क्ष्यमान प्रतिफल से, एसे दश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिफल से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकाें) और अंतरिती (अन्तरितियाें) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देष्य से उक्त अन्तरण लिसित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:---

- (क) अन्तरण से हुई फिसी आय की बाबत, उक्त अभिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; आर्डि/या
- (श) एरेसी किसी आय या किसी धन या अन्थ आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना जाहिए था, डिम्पाने में सुविधा के लिए;

बतः जय, उक्त वर्धिनियम की थारा 2,69-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त वर्धिनियम की धारा 2,69-व की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिचित व्यक्तियों, अर्थात् ि---- 1. श्री हरकिशन नरायणदास, अडवाणी,

(अन्तरक)

2. श्रीमती मन्जू गुप्ता,

(अन्तरिती)

को यह सुचना जारी क<u>र</u>के पूर्वीक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए. कार्यवाहियां शुरू करता हु⊤ं।

उक्त सम्पत्ति को अर्जन को संबंध में कोई भी आक्षेप :---

- (क) इस सुचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सुचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति बुवारा;
- (ख) इस सुचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।
- स्पथ्वीकरणः इसमें प्रयुक्त शब्दां और पदां का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, बही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अम्स् ची

प्लाट सं. के-1 है, अपसरा कॉआपरेटिव हाउसिंग सोसा-यटी, लि. 3, मिडलटन रो, कलकत्ता मे सी. ए., आई. ए. सी., अर्जन रॉज-।, निकड निबंध हुआ, दलील सं. सी. ए.-8 ।

> एस. के. बनर्जी सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रॉज-।, कलकत्ता

भाहरः दिनांकः 15-2-1985 प्ररूप आई.टी.एन.एस. ------

नायकर मभिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-म (1) के सभीन सुमया

बारत तरकार

कार्यालय,, सहायक आवकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रोज-।, कल्लकत्ता

कलकत्ता, दिनांक 15 फरवरी 1985

निर्वद्या सं. सी ए. -9/84-85/क. 978 आई. ए. सी./ अर्जन रॉज-।, कलकत्ता—-अतः मुक्ते, एस. को. बनजी,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके परचात् 'उक्त अभिनियम' कहा गया हु"), की भारा 269-ख के अभीन सक्षम प्राधिकारी को यह विक्वास करने का कारण ह" कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मुन्य 25,000/- रह से अधिक ह"

और जिसकी मं. 8/1ए है तथा जो चौरंगी लेन, कलकत्ता में मिथत है (और इसमे उपाबद्ध अनुसूची मे और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सी. ए., आई. ए. सी./अर्जन रोज-।, कलकत्ता में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 का 16) के अधीन दिनांक 16-6-1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के क्ययमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विषवास करने का कारण ही कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, इसके इत्यमत्न प्रतिफल से, एसे इत्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक हो और अंतरक (अंतरको) और अंतरिती रिती (अंतरितियों) के बीच एसे अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती रिती (अंतरितियों) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया यवा प्रतिफल निम्नलिवित उद्देदेय से उक्त अंतरण निचित ब बास्तविक रूप से कणित नहीं किया गया है :---

- (क) धन्तरण से इंदुई किसी जाव की वावत., उक्त वीचीनयव के वधीन कर दोने के वंसरक के दायित्व में कमी करने या उससे वचने में सविधा के सिए; और/या
- (श) एसी किसी जाय या किसी भन या जन्म जास्तिय! को, जिन्हु³ भारतीय जायकर जभिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्स जभिनियम, या धनकर अधिनियम, ³⁴1957 (1957 का 27) को प्रयोजनार्थ जंतरिती ब्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना थाहिए था छिपाने में सविभा के लिए,

जतः क्षत्र, उक्त वधिनियम की धारा 269-ग के वनुसरण मे, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) बै वधीग, निम्नबिचित व्यक्तियों, बर्चाद :--- 1. श्री जयन्त कृपलानि,

(अन्तरक)

2. श्रीमती अयतुन निसा और अन्य

(अन्तरिती)

को यह तुचना चारी करके पुर्वोंक्त सम्पत्ति के अर्थन के झिए कार्ववाहियां करता हूं।

उक्त संपरित के जर्मन के तम्बन्ध में कोई भी वासेव:---

- (क) इस सूचना के रावपत्र में प्रकासन की तारीच में 45 दिन की जवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियाँ पर सूचना की तामील से 30 दिन की जवधि, जो भी जबधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वाकन व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति ब्यारा;
- (ख) इस सुचना के राषपत्र में प्रकाशन की तारीच वें 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी जन्म व्यक्ति द्वारा अर्थाहरनाक्षारी कें पास निचित में किए जा सकोंगे।

स्वकटीकरणः—-इसमें प्रयूक्त झब्दों और पदों का, जो उक्त जीविंगियम के अध्याय 20-क में परिशायित है, बही जर्भ होगा जो उस जध्याय में दिया भवा है।

लन्सूची

प्लाट, 1स्ट फ्लोर, 8/1ए, चौरिगी लेन, कलकसा सी. ए., आई. ए. सी., अर्जन रॉज-1, निकट निबन्ध हुजा, बलील सं. सी. ए.-9,

> एस . के. अन**र्जी** सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन र⁻ज-।, कलकक्ता

विनांकः 15-2-1985 मोहरः प्ररूप माइ. टी. एन. एस. ------

नायकर अभिनियम, 1961 (1961 फा 43) की धारा 269-म (1) के अधीन स्चना

भारत सहकार

कार्थालय, सहायक जायकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रोज-।, कलकत्ता

कलकत्ता, दिनांक 15 फरवरी 1985

निदां सं. सी. ए. -13/84-85/क. 979/आई. ए. सी. / अर्जन रॉज-।, कलकत्ता, ---अतः मूफ, एस. के बनर्जी, बायकर बर्चिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पद्धात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया हौ), की धारा 269-ज के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण हौ कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाबार मुख्य 25,000/-रुपय से अधिक ह

आरे जिसकी सं. 61-बीं है, तथा जो पार्क स्ट्रीट, कलकत्ता मे स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वणित है) रजिस्ट्रीकर्ता अभिकारी के कार्यालय सी. ए., आई ए. सी. अर्जन रॉजन। /कलकता में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधोन दिनांक 21-6-1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कर्म के इक्ष्यमान प्रतिफल को लिए अंतरित को गई है और मुक्के यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से एसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितयों) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उब्बदेश से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :---

- (क) अंतरण से हुई किसी आग की बाबत उक्स अधि-नियम के जधीन कर दोने के अन्तरक के द्यायित्व में कमी करने था उससे बच्चने म सुविधा के लिए भौर/गा
- (वा) एंसी किसी माय या किसी भन या अन्य अस्तियां को, जिन्हें भारतीय आयकर अभिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अभिनियम, या धनकर अभिनियम, 1957 (1957 का 27) को प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना बाहिए था., छिपाने में मविभा को लिए

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-म की उपधारा (।) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तिमों, अर्थात् :--- 1. श्री दिनगवि. हमानि और दूसरा ।

(अन्तरक)

2. श्रीमति अर्चना दास और अन्य

(अन्तरिती)

को यह सुचना वारी करके पृयॉक्त सम्परित के अर्जन के लिए कार्यवाहियां कुरू करता हूं ।

उक्स सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप .---

- (क) इस सूचना के राखपत्र में प्रकाशन की तारोख सं 4/5 दिन की व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जा भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पृशॅक्त ज्यपिटनों में से किसी व्यक्ति द्वारा:
- (अ) इस सुक्ना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीस से 45 विन के भीतर उक्त स्थायर सम्पत्ति में हितवर्ष किसी जम्म व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिसित में किए जा सकोंगे।
- स्पच्छीकरणः इसमें प्रयुक्त कब्वों और पदों का, जो उक्स अधिनियम, व्हें अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, बही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया हैं।

अन्स्ची

प्लाटनं 5 सी है, 5 वीं फ्लोरे, 61-बी, पार्कस्ट्रीट, केलकत्ता । सी ए., आई. ए. सी , अर्जनर्रज-।, कलकत्ता निकट निबद्ध हुआ । वलील सं. सी ए -13

> एस.के. बनर्जी सक्षम प्राधिकारी स्हायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रॉज-।, कलकत्ता

दिनांक [·] 15-2-1985 मोहर : - प्रकथ आह. टी. एन, एस. ------

भायकर अभिनियम, 1961 (1961 का 43) की भाष 269-म (1) के अभीन सुचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर बायूक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज -I, कलकत्ता

कलकत्ता, दिनांक 15 फरवरी 1985

निदेंग सं० सी०ए०-20/84-85/क०-980/आई० ए० सी०/ अर्जन रेंज-J/कलकत्ता—अतः मुझे, एस० के० बनर्जी,

नायकर अभिनियमें, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके परचात् 'उक्त अभिनियम' कहा गया है), की भारा 269-ख के अभीन सक्षम प्राधिकारों को, यह विष्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मुल्य 25,000/- रु. से अधिक है

श्रीर जिसकी सं० 18ए है, तथा जो पार्क स्ट्रीट, कलकत्ता में स्थित है (श्रीर इससे उपाबद अनुसूची में श्रीर जो पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 'कार्यालय, सी० ए०, आई० ए० सी०/अर्जन रेंज-1/कलकत्ता में रजिस्ट्रीकरण अधि-मियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनॉक 26-6-1984 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिकल के लिए अन्तरित की गई है और मुर्भे यह विश्वास कृत किया गया है और मूर्भे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उरुके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पंडह प्रतिधात से अधिक है और अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देरेय से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :---

- (क) अन्तरण से हुर्दू किसी जाय कौ धावत, उक्त अधिनियम के जुभीन कर दोने को अन्तरक कौ बायित्व में कमी करने या उत्तसे बचने में सुविभा के लिए; और∕या
- (व) एरेसी किसी गांग या किसी धन या जन्म भारिसयों को, जिन्हें भारतीय गांग-कर अधिनियम, 1922 (1922 को 11) या उक्स अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 को 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

वतः जव, उक्त वीधनियम की धारा 269-ग के वनुसरण वे, मैं, उक्त वीधनियम की धारा 269-व की उपभारा (1) के सधीय, निम्मलिकिन व्यक्तिवों, वर्षात् क्र----18---48'6 GI/84 1. मै० सुजन विनियोग लि०.

(अन्तरक)

2. श्रोमति सनकरि गुहा

(अन्तरिती)

को यह सूचना आरो करूके पूर्वोक्त सम्पत्ति के वर्जन **के लिए** कार्यवाहियां शुरू करता हुं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन को संबंध में कोई भी आक्षेप ः---

- (क) इस सुचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीच से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अयधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त ढ़ोती हो, के भीतर पूर्वीकेक व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस मूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितजब्भ किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिसित में किए जा सकेंगे।
- स्पख्योकरणः :-----इसमें प्रयुक्त शब्यों और पदों का, जो उक्त अभिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषिष ह⁴, बही अर्थ कोगा, जो उस अध्याय में दिया ं गया **है।**

ग्रनुसूची

मकान का छत (1/2, षॊयर), 18ए, पार्क स्ट्रीट, कलकत्ता सी॰ ए॰, आईर॰ ए॰ सी॰, अर्जन रेंज-I, निकट निबद्ध हुआ। दलील र्स॰ सी॰ एर20

> एस० के० बनर्जी सक्षम प्राधिकारी सहायक ग्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज-I, कलकत्ता

विमांक: 15-2-1985 बोहर # प्ररूप आई.टी.एन.एस्. -----

बायक<u>र</u> अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार 🌾

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निद्रीक्षण)

अर्जन रेंज, कलकत्ता

कलकत्ता, दिनांक 15 फरवरी, 1985

निदेश सं० सी० ए०/21/84-85/क० 9.81/आई० ए० सी०/ एक्यू/आर-I, कल---अंत: मझे एस० वेः० बनर्जी,

मायकर मधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिस इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया हु), को धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विक्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका डचित नाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

मौर जिसकी सं० 18ए है, तथा जो पार्क स्ट्रीट, कलकत्ता में स्थित है (ग्रोर इसके उपावद अनुसूची में ग्रीर जो पूर्ण रूप से वणित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधि गरी के व्यायीलय सी० ए० आई०, ए० सी०/एक्यू/आर-1, कत रजिस्ट्रीकरण जीधनियम,

1908 (1908 का 16), के अधीन दिनाह 28-6-1984 को पूर्वोंक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के इड्यमाने प्रतिफल के लिए अंतरित की ग़ई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोंक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसेके ड्यमान प्रतिफल से एसे इस्रयमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियां) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नार्जाखत उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तयिक रूप से कथित नहीं किया गया है।

- (क) जन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उजल अभिनियम के अधीन कर द'न के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; बौर्/या
- (ब) एसी किसी बाय हा किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर कधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उप्पत अधिनियम, दा धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अप्तीरती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया बाना बाहिए था, छिपाने में? सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-थ की उपभारा (1) के अधीन, निक्तनिसित व्यक्तियों, अर्थात् :---- 1. मै॰सुजन विनियोग लि॰ ।

(अन्तरक)

(2) मुकुँच आगर दयाल, शेखर आगर याल

(अन्तरिती)

को यह स्चना जारी करके पूर्वोक्त गम्पति के वर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उन्त सम्पत्तिं के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेण :---

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारोख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पुर युचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के सीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत मा प्रकारत की तारोख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सभ्यति मों हितबंद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित मों किए जा सकोंगे।
- स्पष्टकेरणः---इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित .ह**ै, वही अर्थ हो**गा, जो उस अध्याय में दिवा ।वा है।

मन्त् च

18ए, पान, स्ट्रोट, कलकत्ता, मकान का छत (1/2 शेयर), सी. ए०, आई० ए० सी० एक्यू/आर- I निकट निबद दोआ, दलील सं० सी० ए०-21 ।

> ए स० के० बनर्जी सेक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज, कलकत्ता

दिनांक 15-2-1985 मोहर : प्रव्य बाई. टी. एन. एड.-----

बायकर...बधिनियम, 1961 (1961 का 43) कौ धारा 209-त्र (1) के अधीन सुचना

मारत सरकार

कार्यांलय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जनरेज, कलकत्ता

कलकत्ता, दिनाक 15 फरवरी, 1985

निदेश स० टी॰आर०-169/84-85/क०-982/आई० ए० सी॰/एक्यू/R-Iकल---अतं: मुझे एस० क्ष० बनर्जी,

बायकर अभिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिस इसम इसके परचात् 'उकत अधिगायम' ∕ कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारणे है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मृत्य 25,000/- रु. से अधिक है~

म्रौर जिसकीं स० 196-सां है, तथा जो चितरजन, एवेन्यु कलकत्ता में स्थित है (ग्रार इससे उपाबद्ध अनुसूची में म्रौर जो पूर्णे रूप से वणित है) रजिस्ट्राकर्ता जाधकारे के कार्यालय एसू० आर० ए०, कलकर्त्ता में रजिस्ट्राकरण जधिनियम, 1908 (1908का 16) के अधान दिनाक 21-6-1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान प्रतिफल को लिए अन्तरित की गई है कि मुभ्छ यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वाक्त सप्रतित का उचित बाजार मुल्य, उसके दश्यमान प्रतिफल सेन् एसे दश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत स अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तब पाया गया प्रतिफल, निम्नलिधित उद्देय स उक्त अन्तरण निर्धित में वास्तविक रूप से करियत नहीं किया गया है :---

- ((क) बन्तरुण से हुई किसी बाय का बाबस, उक्त बधिनियम के अधीन कर दने के बन्तरेक क दागिरत में कभी करने या उससे बचने में सुनिधा के लिए; औरू/या
- ((ब) एरेसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हों सारतीय अत्य-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, सा धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरितीं द्वारा प्रकट नहों किया गया था या किया जाना था, फ़िपाने में सुविधा के निए,

वतः वव, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के बनुसरण में, में उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (:* के अधीन, निम्नलिखिद व्यक्तियों, अर्थात :--- 1. सेमारदेग्रो, खेमका

(अन्तरक)

2. गायती देवी जिनोदिया

(अन्तरिती)

को यह सुचना जारी करके पूर्वीक्त सम्प्रति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हु-।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :---

- (क) इस सूचना को राजपत्र में प्रकाशन को तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सबंधी व्यक्तियों पर मुनना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ए) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध ' किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहेस्ताक्षरों के 'पास तिखित में किए भा सकरेंगे ।
- ^{स्य}प्टोकरणः—-इंसमें प्रयक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-के में परिभाषित हु⁵, वहो अर्थ होगे। जो उस अध्याय में टिया गया ह**ै**।

अनुसूची

196-सी, चित्तरंजन, एवेन्यु, कलकत्ता ।5के-4, छ० जमीन साथ मकान, (1/3भाग शेयर), दलील सं० आई-7202

> एस० के० बनर्जी सक्षम प्राधिकन्ररी सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) 'अर्जन रेज, कलकत्ता

तारीख : 15-1-195 जोहर 3 प्रकृष् बाई. टी. एन. एस. ------

वापकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-बू (1) के अभीन संबना

मारत सरकार

आर्यान्य, सहायक जायकार जायुक्त (निरौत्रण)

अर्जनरेंज, कलकत्ता

कलकत्ता, दिनाक 13 फरवरी, 1985

निदेश सं० टी०अ।र० 170/84-85/क्र०983/—अत: मुझे, एस०के० बनजी,

वायकर अभिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अभिनियम' कहा गया है), की धारा 269-स के अभीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1300,000/~ रु से अधिक है

प्रौर जिसकी सं० 196सी है, तथा जो चितरंजन, एवेन्यू कलकत्ता में स्थित है (ग्रीर इससे उपाबद्ध अनुसूची में प्रौर जो पूर्ण रूप से वॉणित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय एस० आर० ए०, कल कत्ता में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनाक 21-6-1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के रुष्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विरुवास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का जावित बाजार बूक्य, स्वक रूप्यमान प्रतिफल से, एसे रूप्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरको) और अत-रिती (अन्तरितियो) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्वदेय से उक्त अन्तरण लिखित में गास्तविक रूप से कथित नही किया गया है :----

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की वावत, उक्त वीधनियम के अधीन कर देने के अंतरक के दायित्व में कभी करने या उससे वचने में सुविभा चे लिए; और/या
- (ंख) एरेसी किसी आय या किसी भन या अन्य आरितयों को, जिन्हें भारतीय आयकर अभिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अभिनियम, या भन-कर अभिनियम, 1957 (1957 का 27) को प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किम, यदा था या किया जाना भाहिए था,, फि्रमाने में सौंबभा को सिष्ट;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-म की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :--- ो. सत्यनगरायण सोमका।

(अन्तरक)

् 2, गायवं≀ देवं≀ जिनोदिया ।

(अन्तरिती)

को यह सुचना चारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के नुर्वनु के सिए कार्यवाहियां करता हूं:।

उक्त सम्पति के अर्जन के संबंध में कोई भी वासेपू :----

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारचि से 45 दिन की अवीध या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पुर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति दुवा<u>रा;</u>
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीब से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति दूबारा, अभोहस्ताक्षरी के पाब निधित में किये वा सर्क्रेगे।
- स्पर्ध्वीकरणः :-----इसमें प्रयूक्त क्वन्यों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय ∘20-क में परिभाषित -हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गुवाडै।

अनुसूची

196 सी चित्तरजन एवेन्यू, कलकत्ता। 5 के० 4-छ०, जमीन, साथ मकान (1हु3भाग शेयर), दलील सं० आई-7203।

> एस० के० बनर्जी सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) .अर्जन रेज, कलकत्ता

दिनांक 19-2-1985 मोहर

प्रस्य आई. टी. एन. एस. -----

वाधकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ग्(1) के ज्भीन स्पना

भारत सरकार

नार्वालग, सहायक आयकर वायुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, कलकत्ता

कलकत्ता,दिनांक 13फरवरी 1985

निवेश सं० टो० आर०-171/84-85/क्र० 984/आई० ए० सो०एक्यू०/आर-I/कल०, ग्रनः,सुसे, एस० के० बनर्जी

- वायकर अभिनियम, 1961 (1961 को 43) (जिसं इसमें इसके पृष्पात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की भारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विष्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उज्जित बाजार मून्य 25,000/- रु. से अधिक है
- भीर जिसकी सं० 196-सी है, तथा जो चितरंजन एवेन्यू, कलकत्ता में स्थित है (स्रोर इसने उपाबद्ध अनुसूची में स्रोर जो पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकार्रा के कार्यालय एस॰ आर० ए०,कलकत्ता में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908का 16) के अधीन दिनांक 21-6-1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति को उचित बाजार मूल्य से कम के इष्यमान प्रतिफल को लिए रजिस्ट्रीकर्ता विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है, और मुझा यह विश्वास करने का कारण है कि यथा-पूर्वीक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृष्यमान प्रति-कल से, एसे ब्रयमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिफल से अधिक है और अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच एसे वंतरण को दिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उच्च देय से उक्त वंतरण लिखित में वास्तयिक रूप से कथित नहीं किया गया है:----

- ((क) अम्तरण से इन्हें कि से जाय की दावत, उक्त अभिनियम के अभीन कर देने के जन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; आरि/या
- (ष) एसी किसी भाग-मा किसी भन मा जन्म जास्तियों को चिन्हें भारतीय जायकर वभिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अभिनियम, या धन-कार वचिनियज, 1957 (1957 का 27) को प्रयोधनार्थ वस्तरिती ब्यारा प्रकट नहीं किमा गया भर वा किमा चाना चाहिए ना, छिमान रें सुविवा के सिए;

जताः अस, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण बी, मी, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) को अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :---- 1. श्रीद्वारका प्रसाद खेमका ।

(अन्तरक)

2. गायकी, देवी, जिनोदिया ।

(अन्तरिती)

को यह सुचना जारी करके पुर्वोक्त सम्परित के अर्जन के जिए कार्यनाहया करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप ...~

- (क) इस सुचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की व्यथिथि था तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सुधना की तायीस से 30 दिन को जवधि, को भी अवाधि बाद में समाप्त होती हो, को भीतर पूर्वोक्त क्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सपति में हिंद-क्यूक्ष क़िसी अन्य व्यक्तित द्वारा अधाहस्ताक्षरी के पास निर्णित में किए जा सकोंगे ।

नन्स्ची

196-सी, चितरंजन एवेन्यू, कलकत्ता 5के, 4--छ०, जमीन के साथ मकान (1/3 भाग गेयर), दलील सं० आई-7204 ।

> एस० के० बनर्जी मक्षम प्राधिकारी महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज,कलकर्त्ता

दिनांक 13-2-1985 मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस. ------

वावसद्ध वॉभनियम, 1961 (1961 को 43) कौ भारा 26उ-घ (1) के अधीन सुचना

धारत प्रकार

कार्यांचय, तड्डायक वायक र वायुक्त (जिरीक्षण) अर्जन रेंज, कलकता

कलकत्ता, दिनांक 12 फरवरी, 1985

निदेश सं० टी०आर०-174/84-85/क० 985/आई० ए० सी०/एक्यू रेंज/कलकणा----अतः मुझे एस० के० खनर्जी बायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि यथापर्वोक्त संपत्ति का उफित बाजार मुच्य 25,000/- रु. से अधिक है

भौर जिसकी सं० 100/5/1ए है, तथा जो सुरेन्द्रनाथ बनर्जी रोड, कलकत्ता में स्थित है (ग्रौर इससे उपायद अनुसूची में मौर जो पूर्ण रूप से वणित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, आर० ए० जलरत्ता में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अर्धान दिनांक 1-6-1985

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के देश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकर्ता थिलेख के अनुसार वंतरित की पई है और मुफे यह निश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दश्यमान प्रतिफल से, एसे दश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह द्रतिवात से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखत में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :---

- (क) जन्तरन से हुई किसी जाव की बाबद, उसक अभिनियम के अभीन कर वॉने के अन्तरक को दाझित्व जो कमी करने वा उससे वचने में सुविधा को लिए; बीटू/वा
- (स्व) एरेसी किसी आय का किसी धने या अन्य आस्तियों को, जिन्ह¹ भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रवोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, खिपाने में स्विधा को फिय्;

वतः अव, उक्त अभिनियम की धारा 269-ग के अनुसरग में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग की उपधारा (1) के अधील, जिम्मलिखित व्युक्तियों, अर्थात् :---- श्रीमर्ता सुहास बाला देवं, एवं श्री फिर्मल कुमण्ण बनर्जी ।

ा (अन्तरक)

2. श्रीमती सरस्वर्ता गुप्ता, तथा अन्य।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोंक्स सम्परित के अर्जन के लिए

कार्यवाहियां शुरू करता हु।

उक्त सम्परित के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :----

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की ताड़ीब से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियाँ पर सूचना की तासील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्स व्यक्तियाँ में से किसी व्यक्ति दवारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास सिथित में किए जा सकोंगे।

स्थण्डीकरणः—–इसमें प्रयुक्त शब्दों और पेक्षे का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित ही, वही अर्थ होगा जो उत्त्व अध्याय में दिया 'भगा ही।

वन्स्ची

पलाट.1150 स्क्लायर फिट, प्रथम फ्लोर, 100/5/1ए, सुरेन्द्रनाथ बनर्जी रोड, कलकत्ता । दलील सं० आई-6276

> एस० के० बनर्जी सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज, कलकक्सा

दिनांक 12-2-1985 मोहर : प्ररूप बाई. टी. एन. एस. ----

बायकर अधिनियम, 1961 (1961 को 43)ेकी धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरोक्षण)

अर्जन रेज, कलकतग

कलकता, दिनांक 14 फरबरी, 1985

निदेश स 1725/एक्यू/अर--III/84-85---अत: मुझे र्शकर के० बनर्जी

अप्यकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके परुचात 'उक्त अधिनियमें' वढा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारों का यह बिख्वास करने का कारण है कि स्थावर सुम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मृत्य 1,00,000/- रा. से अधिक है

ग्रौरजिसकी स० 9 है, तथा जो सानी पार्क, कलकता में स्थित है (ग्रौर इससे उपाबद अनुचची) मे और जो पूर्ण रूप से वणित है) रजिप्ट्रीकार्ग अधिकारी के कार्यालय कलकत्ता मे रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 8-6-84 को प्वोंकत सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दरयमान प्रतिफल को लिए अन्तरित की गई है और मुफे यह विद्वास प्रतिफल को लिए अन्तरित की गई है और मुफे यह विद्वास प्रतिफल को लिए अन्तरित की गई है और मुफे यह विद्वास प्रतिफल को लिए अन्तरित की गई है और मुफे यह विद्वास प्रतिफल को लिए अन्तरित की गई है और प्रमे यह विद्वास प्रतिफल को हिए अन्तरित की गई है और प्रमुक्ते का -न्द्र प्रतिज्ञत से अधिक है, और अंतरक (अंतरका) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच एनेस अन्तरण के लिए तथ पाया गया प्रति-फल निम्नलिखिन उददव्य से उक्त अंतरण लिखित में नाम्तीवक रूप से कथिन नहीं किया गया है :---

- (क) अन्तरण स हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधितियम के अधीन कर दने के अतरक के दायित्व में कमी करने या उसते बचने में सुविधा क लिए; और/या
- (श) एमी किसी बाय या किसी धन या अन्य आस्तियां को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1921 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, 1921 धन-मने अधिनियम, 1957 (1957 का 27) क प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकाट नहीं किल्ला गान था या किया जाना चाहिए था. छिपाने में भूविधा को लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियस को धारा 269-म के अनुसरण बें, मैं, उक्त अधिनियम की धारा ?69-घ की उपधारा (1) के अधीन. निम्नलिखित व्यक्तियों. अर्थात :---- श्रीमती स्मिता, चौंधुरी । (अन्तरक)

2 रोहित प्रापर्टीज ट्रेडिंग, क०।

(अन्तरिती) -

को यह सुचना चारी करके पूर्वोक्त, सम्पत्ति के वर्षन के लिए कार्यवाहिया करता हूं।

उक्त सम्परित के बर्जन के सम्बन्ध में कोई भी वाक्षेप -

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीस से 45 दिन की बनीध या तत्सम्बन्धी व्यक्तियाें पड़ सूचना की तामील से 30 दिन की व्यक्तियाें सी बवीध बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वों बच्च व्यक्तियाें में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (स) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारौंस से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी बन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकोंगे।
- स्पच्टीकरणः ----इसमें प्रयुक्त घट्यां नौर पदां का, जोन उक्त अभिनियमें, के जभ्याय 20-क में परिसाकित इ¹, वहीं वर्ष होगा जो उस अभ्याय में दिया क्या ही.

नन्त्वी

अ/27 ग्रंश, (1 बीघा, 10 छ० 13 दल:) दो तकल्ा, मकान पताः 9 सानी पार्क, कलकत्ता। ड}डना 6990 दिनांक 8-6-1984 को कलकत्तामें निबन्ध हुआ.।

> एस० के० बनर्जी सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयुख्त निरोक्षण) अर्जन रेंज-3, कलकद्ता

दिनांक 14-2-1985 मोहर: प्ररूप आर्द्र, टी. एन. एस. ---------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-म (1) के अधीन सुचना

बारत चरणार

कार्यालय, सहायक आधकर आयुक्स (निरोक्षण) अर्जन रेंज,-3, कलकत्ता

कलकत्ता, दिनांक 14 फ़रवरी, 1985

निदेश र्स० 1724,अर्जन रेंज-3/84-85---अतः मुझे, एस०के० बनर्जी,

आगकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके परवात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की भारा 269-स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को गह सिक्शास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25.000/- रु. से अधिक है

मौर जिसकी संब 20, ए० बी० सी०, है, तया जो नेताजी मुभाष चन्द्र बोस रोड, कलकता में स्थित है (म्रौर इससे उपाबद में म्रौर जो पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के क र्यालय, म्राई ए० सी०, ए०स / एक्यु म्रार-III में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनाक 27-6-1984

को पूर्वोभत संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के ख्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुफे यह विक्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उणित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और जन्तरक (अन्तरकों) आर अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए सय धाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उब्दोश्य से उक्त अन्तरण जिखित में बास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया ही ध---

- (क) अन्तरण से हुई किसी आग की वाबत, उक्त मविनियम, के वधीन कर दोनें के बन्तरफ की दावित्व में केनी करने वा उसने वचने में सुदिशा के निष्ट; जौर/या
- (पं) एसी किली नाय वा किसी भन वा जन्म वास्तियों को, जिन्हें भारतीय वाय-कंर वॉथनियम, 1922, (1922 का 11) या उक्त अभिनियम, या भन-कर वभिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ वन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया पा वा किया जाना पाहिए था, फिपान में सुविभा चे जिए;

अतः अभ, अक्त अभिनियम की भारा 269-ग के अनुसरज बें, मैं, अक्त अभिनियम की भारा 269-ज की उपभारा (1) के अधीन, निम्नसिन्नित व्यक्तिगाँ, अभति्ः ----- मै० फ़तेपुरिया, हार्डासग नोमायटी (प्रा०) लि०,। (अन्सरक)

2. सुगीला फतेपुरिया, फाउन्डेंशन, ।

(अन्तरिती)

को यह सुभना वारी करके पूर्वीक्त संपरित के ग्रंबन के विष् कार्यवाहियां सुरू करता हुं।

उक्त संपरित के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप ह---

- (क) इस स्थेना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीब बैं 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अंवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति बुवारा;
- (ख) इस सुधना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीच से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधंहस्ताक्षरी के पास लिसित में किए था सक¹गे।

स्पष्टीकरणः—-इसमें प्रयुक्त शब्दों और गर्दों का, वो उक्छ अधिनियम के अध्याय 20-कमें परिभाषित है, वहीं अर्थहोगा जो उस अर्ध्याय में दिया द्या है।

वनुसुची

प्लाट, नं० ए. बी, सी, ब्लाक, में, पताः 204; ए, बी, सी, नेताजी सुभाष जन्द्र योस रोड, रजिस्ट्री, आई० ए० सी० अर्जन रेंज -III, दफ्तर द्वारा 37ईई ंफार्म, अनुसार दिनौक 27-6-1984 को हुआ।

> एस० के० विनर्जी सक्षम৲ प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज-3, कलकला

दिर्नाग 14-2-1985 मोहर :

8653

प्ररूप मार्ड्-टी.एन.एस. ------

अगथक≀ अभिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-म (1) को अभीन, सुचना

भारत सरकाह

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज,- , कलकत्ता

कलकता, दिनांक 14 फ़रवरी, 1985

निदेश सै० 1723/अर्जन रेंज-III/कलकत्ता, 84-85----अतः मुझे एस० के० धनर्जी

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पण्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया ही, की भाग 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/-र5. से अधिक है

मौर जिसकी सं० 9 है, तथा जो सामी, पार्क, कलकत्ता में स्थित है (श्रौर इसने उपाबख अनुसूची में श्रौर जो पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, कलकता में, रजिस्ट्री करण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनाक

8-6-1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित नाजार मूल्य में कम के श्रवयमान ... प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मूओ यह विख्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित वाजार मूल्य उसके श्रवयमान प्रतिफल से, एसे श्रव्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और जन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्सरितियों) के बीच एसे जन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिचित उद्देर्यों से उक्त अन्तरण जिचित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:---

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविभा के लिग: और/या
- (ब) एसे किसी जाय या किसी भन या जन्य कारितयों को, जिन्ह¹ भारसीब आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या भन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अंतरिती ब्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के सिए;

बतः बब, उक्त अधिनियम की भारा 269-ग के अन्सरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के प्रधोत, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :----19—486GII/84 श्रीकुमार चौधुरी।

(अन्तरक)

2. मै० रोहित प्रापर्टीज एंड ट्रेडिंग कं०

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पुर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उकत सम्पति को अजन को संबंध में काइ भी आक्षेप :--

- (क) इस सुचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीस से 45 फिन की अवधि या तत्सवधी व्यक्तियों पर सुचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि साद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त क्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (स) इस सूचना के राजपत्र में प्रकामन की सारीस से 45 दिन के भोतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकोंगे।
- क्ष्पष्टीकरणः——अस्मॅ प्रयक्त शब्दों और पदांका, जा उस्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित ∕ ह⁴, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया **ह⁸।**

RUNN

10/27, भ्रांग, क्षेत्र---1 बीघा, 10 कट्ठा, 13 छः-पताः 9 सामि पार्क, कलकत्ता । रजिस्ट्री ः रजिस्ट्री कार्यालय द्वारा, डीड नं 6491 दिनांक 8-6-1984 के अनुसार ।

> एस० के० बनर्जी सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज-3, कलकत्ता

दिनॉक 14-3-1985 मोहर :

भाग गा-जग्ध 1

त्रक्म बाह'. टी. एन. एत.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की भाषा 269-क (1) को बधीन स्पना

णारत सर्काषु

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज, III, कलकत्ता

कलकता, दिनांक 14 फ़रवरी, 1985

निदेश सं० 1722/अर्जन रेंज-3/84-85---अतः मुझे, एस०के० बनर्जी

वायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पण्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-स के अधीन मक्षम प्राधिकारों को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मुल्य 25,000/-रु. से अधिक है

श्रौर जिसकी सं० 9 है, तथा जो सानी पार्क, कलकत्ता में स्थित है (श्रौर इससे उपाबद्ध अनुसूची में श्रौर जो पूर्ण रूप से वणित) रजिस्ट्रीकत अधिकारी के कार्यालय कलकत्ता में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनक्त 8-6-1984

को कोंक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मुल्य से कम के इश्यमान अन्तरित प्रतिकल के लिए की गइ है और मुफ्ते यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वांक्त संपत्ति का उचित बाजार मुल्य, उसके दृश्यमान प्रेतिफल से, एसे इश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरको) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :---

- (क) जन्तरण से हुई किसी जाब को बाबत, उक्त अभिनियम के अधीन कर देने के बन्तरण के गीयत्व में कमी करने या उससे बलाने से सुविधा के बिग्ध; बौर/बा
- (ब) एसी किसी जाय था किसी धन या बन्ध जास्तियों " । जन्हें भागतींग अप्या-कर अधिनियम, 1922 ' १९२० का ! ! या उक्त अधिनियम, प्र गनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) को प्रयोजनार्ग अन्तरिती इनारा प्रकट नहीं किया गया ! रेग्या ' नगरेगर या खियान में स्विधा के लिए;

अतै: ७ व, उन्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण भैं, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) ही बधीन निज्यतिस्वितिव्यक्तियों, अर्थात क्ष---- 1. श्रीमती अनुराधा गुप्ता, (चौधुरी)

(अन्तरक)

2. रोहित प्रापर्टीज एण्ड ट्रेडिंग कं०

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वों क्त संपृत्ति को मर्चन के विष् कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपृत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेण % ---

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी अविंतर्या ५५ सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, अो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वाबन व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना को राजपत्र में प्रकाशन की तारीश खे 45 दिन को भीतर उक्त स्थाबर स्पर्धार में हितवदुध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहम्ताक्षरी को पान तिखित में किए जा सकोंगे।
- स्पर्फ्टीकरणः--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित ह⁴, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय यें दिया गवा ह⁴।

ৰণ্যুখী

> एस० के० बनर्जी सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज 3, कलकत्ता

दिनांक 14-2-1985 मोहर : _____

प्रकल बाही. टी. एन 🖓 एस .-------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन स्थना

भारत सरकार

्रकार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज III, कलकत्ता

कलकत्ता, दिनांक 14 फरवरी, 1985 ं

निदेश सं० कल०/1721/अर्जन रेंज-III/84-85--अतः मुझें, शंकर बनर्जी

- बायकण् मभिनियम, 1961 ६६ 961 का 43) (जिस इसमें इमके पश्चात 'उक्त मधिनियम' कहा गया है), को भारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विक्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मुल्य 55,000/- रूठ. से अधिक है
- भ्रौर जिसकी सं० 9 है, तथा जो सानेः पार्क, कलकत्ता में स्थित है (भ्रौर इससे उपाबद्ध अनुसूची में म्रौर जो पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय कलकत्ता में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 8-6-1984

को पूर्वोंक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के इत्यमान प्रतिफल को लिए अन्तरित की गई है और मूम्मे यह विक्वास फरने का कारण है कि यथापूर्वोंक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मृत्य. उसके इध्यमान प्रतिफल से, एसे ध्रयमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रोतशत से प्रधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (बन्तरितियों) के नीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्वदेय से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है ध्र---

- (क) बन्तरण से हुइ किसी वाग की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे सवने में सुविधा के लिए ह बौर/वा
- (व) एरेसी किसी आय या किसी भन था जन्स शास्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या भन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना बाहिए था, छिपाने में सुविधा के सिए;

अतः अव, उक्त अधिनियम को धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम को धारा 269-ग की उपधारा (1) के अधीन्त [निम्नसिषित, म्य]क्तव]्त अर्थात् ह— सौर कुमार चौधुरी

(अन्तरक)

2. रोहित प्रापर्टीज, एंड ट्रेडिंग कं०

(अन्तरिती)

को यह सुचन। आरो कारके पूर्वोक्त रुम्पति के अर्जन के सिए कार्यवाहियां कारता हुन् ।

उन्स सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप ---

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियाँ पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वीक्त व्यक्तियाँ में से किसी व्यक्ति बनारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 घिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अर्थाहरताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकोंगे।
- स्पखडीक रणः ----- इसमें प्रयुक्त शख्दों और पर्दाका, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, सही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

वगृसुभी

10/27,ग्रंग, जमीन क्षेत्न ०: 1 बीघा 10 कट्टा, 13 छ० साथ 2 तल्ला मकान ।

पताः 9 सानी पार्क, कलकत्ता। रजिस्ट्री डोड नं० 6492, दिनांक 8-6-1984 के अनुसार।

> शंकर बनर्जी सक्षम प्राधिकारी सहायक जावकर अानुन्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज-3, कलकत्ता

दिनांक 14-2-1985 मोहर ः प्रकृष बाहुर्टु ही. एष. एष. ------

जायकर जीभनिसम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-म् (1) के बंधीन सुम्ना

शाउन ध्राम्स

कार्यालय, तहायक बायकर वायुक्त (निरीक्षण)

अर्जन ज्येंज I∏,कलकत्ता

कलकसा, दिनांक 14 फरवरी, 1985

निदेश सं० कल०/1720/अर्जन रेंज-III/84-85----अतः मुझे, गंकर बनर्जी

बायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पद्यात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन स्थाम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण ह° कि स्थावर सम्पत्ति_र्धिसका उचित बाजार मूल्य 25,000./- रःपए से अधिक है-

भौर जिसकी सं० 21 एवं, 21/1 है, तथा जो प्राननाथ पण्डित स्ट्रीट, कलकत्ता में स्थित है (ग्रीर इससे उपावद्ध अनुसूची में भौर जो पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकार्रा के कार्यालय, कलकत्ता में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 1908 (का 16) के अधीन दिनांक 18-6-1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के एरयमान प्रसिफल के लिए अंतरित की गई है और मूभे यह विश्वास करने का कारण है कि यथाप्वोक्त सम्परित का उचित बाजार बूल्थ, उसके दश्यमान प्रतिफल से, एसे दश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रगिधत से बधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तथ पामा गया प्रतिफल, जिम्ननिधित उद्दरेश्य से उक्त बन्तरण जिबिस के वास्टविक रूप से अधित नहीं किया गया है केन्य

- (ग) अन्तरण से हुदूर किसी आय कों बाबत, उक्त अधिनियम के बभीन कर धेने के बन्तरक को बादिरय के कभी करने वा उच्छा अपथे के हुविभा के निए; बौर/या
- (व) एसी किसी आय या किसी थन या अन्य झास्तियां को, जिन्हें भारतीय झायकर अधिनियम, 1922 (1922 को 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 को 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया वा या किया थावा शाहियं था, कियाने से दुविधा के लिए;

जतः अव, अवत अधिनियम की भारा 269-ग के अनुसरण बे., बी, डक्त अधिनियम की थारा 269-ग की डपभाटा (1) को अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियमों, अर्थात क्ष----- 1. श्री कुष्ण पद शौठ,

(अन्तरक)

 रायचन्द को-आपरेटिव हार्जीसग सोसायटी लि० (अन्तरित)

को यह सूचना जारी काउने पूर्वोक्त सम्परित के वर्धन के लिए। कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी जाकोप :---

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीस से 45 दिन की अवधि था तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में सुपाप्त होती हो, को भीतर पूर्वीक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति बुबारा;
- े(ख) इस सूखना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीस से 45 दिन के भीतर पूर्वोक्त उक्त स्थावर सम्परित में हितबयुध किसी अन्य व्यक्ति द्पारा अधोहस्ताक्षरी कं पास लिखित में किए जा सकोंगे।
- स्पष्टीकरण :----इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जा उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिशाखित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में विया गया है।

बन्स्डी

जमीन सह काठामः क्षेत्र० 5कट्ठा 13 छः०42 व०फुट पताः 21 एवं 21/1, प्राननाथ, पण्डित स्ट्रीट, कलकत्ता रजिस्ट्री: डीड नं० 6916 दिनांक 18-6-1984के अनुसार

> शंकर बनर्जी सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज III, कलकद्मा

विनोक 14-2-1985 मोहर 8 प्रकृप आह. टी. एन. एस.------

बायकर बाधिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-भ (1) के अधीन सुचना

मारत सरकार

कार्यालय, सह्ययक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जनरोंज, III, कलकसा कलकत्ता, दिनांक 14 फरवरी, 1985

मिदेश सं० कल०/1719/अर्जन रेंज-III/84-85----अत: मुझे, गंकर बनर्जी

आयकर अभिनियम, 1961 (1961 का 43) जिसे इसमें इसक पश्चात् 'उक्त अधिनियम', कहा गया है, को धारा 269-ख को अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विख्यास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

प्रोर जिसको सं० 167/3 है, तथा जो विधान सरणी, कलकत्ता में स्थित है (ग्रीर इससे उपावद्ध अनु सूचवे में ग्रीर जो पूर्ण रूप से वणित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय कलकत्ता में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 26-6-1984

को पूर्वोक्त सम्मोत्त के उचित बाजार मूल्य से कम के थ्रूयमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुफे यह यिक्ष्यास करने का कारण है कि यभापूर्वोक्त संपरित का उचित बाजार मूल्य, उसके थ्रूयमान प्रतिफल से, एरेरे ध्रूयमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिदात से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच एरेसे अन्तरफ के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्ददेख से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तयिक रूप से कथित नहीं किया गया है :---

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबस उक्त अधि-नियम के अभीन कर दोने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; बौर/या
- (ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हों भारतीय आयकार अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या अन-कार आधानयम, 1957 (1957 का 27) कां प्रयोजनार्थ अंतरिती ब्रारा प्रकृट नहीं किया गया था या किया जाना बाहिए था, छिपाने में सुविधा के सिए;

अतः अब उक्क अधिनियम की भारा 269-ग के जनुसरण में, मैं, उवत अत्रीधनियम की भारा 269-म की उपधारा (1) के अधीन. निग्नसित्तित्त् व्यक्तियों, अर्थात् :---- 1. श्री काशी नाथ राय

2. दीनबन्ध् कर ग्रौर अन्य

(अन्तरिती)

(अन्तरक)

को यह सुचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहिया कारता हुन् ।

उन्त सम्पत्ति की तजन की सम्प्रत्थ में काई भी आक्षेष :----

- (क) इस सुभना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीब ं 45 दिन कें अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तिमां पर सूचना को तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि किम्में समाप्त होती हो, के भीतर पृथीक्त व्यक्तिमां से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (म) इस सुपत्त के राजपत्र मां प्रकाशन की तारींस स 4% (२० ३ भावर उपत स्थावर सम्पांत्त मा हित-उद्य (२०२) अन्य व्यक्ति द्वारा अक्षहस्वाक्षरी के पास लिखित मा किए जा सकींग'।
- स्पक्ष्तीकरणः :----६५२००० प्रयुक्त सब्दों और पर्धों का, जो उन्त अधिनियम के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित है. अक्षे अर्थ होगा, जो उस अध्याय म विया गया ४००

अनुसूची

1/2 ग्रंश, जमीन 1 कट्ठा, 7 छ०, मकान 3 तल्ला, । पता : 167/3, विधान सरणी, कलकत्ता । रजिस्ट्रो : र्डाड नं० 1, 7326, दिनांक 26-6-84 के अनुसार।

> णंकर बनर्जी सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज-3, कलकत्ता

दनांक 14-2-1985 मोहर 🗯

) भाग III---खण्ड 1

े प्रथम बाह् , टी, , एम , एम 🕘 🖻 - - -----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-थ (1) के अधीन सुचना

MISS WORK

कार्याजन, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज III, कलकत्ता

कलकत्ता, निांक 14 फरवरी, 1985

निदेश सं० कल०/1718/अर्जन रेंज-III/84-85----अत: मुझे शंकर बनर्जी

वायकर वधिनियम, 1961 (1961 को 43) (जिसे इसमें इसके पर्ववात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया हो), की धार 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारों का, यह विश्वास करने का कारण हो कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उपित बाजार मृत्य 25,000/- रु. से अधिक ही

स्रौर जिसकी संo 224/1 है, तथा जो ए० जे० सी० बोस रोड, स्रौर 68 वि० सी० रोड, कलकत्ता में स्थित है (स्रौर इस से उपाबद अनुसूची में स्रौर जो पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय कलकत्ता में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम

1908 (1908 का 16) क अर्घान दिनाक 5-6-1984

को पूर्वोक्त संपरित के उभित बाजार मुख्य से कम के इक्यमान पतिफल के लिए अन्तरित का शई है और मुफे यह विश्वास अरने का कारण है कि यथापवाक्त संपत्ति का उभित बाजार मुल्य, उसके दश्यमान प्रतिफल म ्रेसे इत्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियाँ) के बीच एसे अन्तरण को लिए तय पाया गया प्रतिफस, निम्नलिखित उद्दरेख से उक्त अन्तरण लिखित के बास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:----

- (क) अन्तरण से हुई किसी आग की बाबत उक्त आँभनियम के अधीन कर दोने क अन्तरक के दारित्व में कमी करने या उससे वचने में सुविधा को लिए; आरि/दा
- (ख) एेसी किसी आय या किसी भन या अन्य जास्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अभिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अभिनियम, या भनकर अभिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रमाज-नार्थ अम्तरिसी द्वारा प्रकट नहीं किया गया था वा किया जाना भाहिए था छिपाने में जुविभा को निए;

बत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण मे, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियाँ, अर्थात् ध--- 1. मैंसर्स बी० के० थक्कर, प्रापर्टीज (प्रा०) लि० (अन्तरक)

2. झुनझुन वाला ट्रेडर्स

(अन्तरिती)

को यह सूचना चारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्चन के सिए. कार्यवाहिया करला हु।

धक्त सम्परित के अर्जन के संबंध में कोई मी जाको र क्ष---

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीस से 45 दिन की अवधििया तत्सबंधी व्यक्तियां पर सूचना की तामील से 30 दिन को अवधि, जा भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वीक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (शा) इस सुचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीस से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबक्श किसी अन्य व्यक्ति स्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिसित में किए जा सकोंगे।
- स्पष्टीकरणः ----- इसमं प्रयूक्त खब्दों और पत्रों का, जा उक्त अधिनियम. के अध्याय 20-क में परिभाषित हुरे, तही अर्थ कागा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

सम्पत्ति (1) 3पलाट, हर एक 1561 व॰ फु॰ (रकम (एफ) ।

- (2) 2 पलाट हर एक 932 ब०फु० (रकम 'डी')
- (3) 5 गेरेज ।

पता: 224/1, ए2 जे० सी० बोस रोड, म्रोर 68 बी०सी० रोड, कलकता ।

रजिस्ट्री : आई० ए० सं।०, अर्जन रेंज-III, दफ्तर द्वारा दिनांक 5-6-1984 फार्म 37ईई के अनुसार।

> शंकर बनर्जी सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेज-1, कलकभा

विनांक : 14-1-1985 मोहर : भाग [[:--खण्ड 1]

1994 AIE . 23. 97. 44

गायकर अधिनियम, 1951 (1961 का 43) का धार 269-व (1) को जबीन सुचना

भारत सरकार

कार्यांगय, सहायक आदयर आयुज्य (निरक्षिण) अर्जन रेंज - II, कलकत्ता

कलकत्ता, दिनांक 14 फरवरी, 1985

निदेश सं० कल०/1717/अर्जन रेंज-III/84-85----अत: मझे, शंकर बनर्जी

वायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पक्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारण 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विक्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाबार बूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

यौर जिसकी सं० 7/2 है, तथा जो बन्डेल, रोड, कलकत्ता में स्थित है (य्रौर इससे उपाबद्ध अनुसूची में य्रौर जो पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधि हारी के रार्यालय आई० ए० सी० अर्जन रेंज, III, कल कत्ता में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1903 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 3-6-1984

का पूवाकत सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम क इस्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मूझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वों कत संपति का उचित बाबार मूल्प, उसके उत्वमान प्रतिफल से, एमे इस्वमान प्रतिफल का पंछड़ प्रतिकात से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (जन्दाद्वितियों) के बीच एसे जन्दरभ के लिए तय पाया गया प्रति-फेट निर्मायों पर उद्य पन से उपन जला की लिए तम ज बास्तविक रूप से अपिन नहीं किया गया है :--

- (क) जन्तरण से हुई किसी जाव की बाबरु, उक्त जधिनियम के अभीन कर देने के जन्तरण के दायित्व में कमी करने वा उससे वचने में सुविधा के बिए; और/वा
- (थ) एंसी किसी बाय या किसी थन या बन्य वास्तियों को, जिन्द्र भारतीए सब-कर अधिनियम, 1922 (1922 को 11 मा खबज अधिनियम, या पय-कड कड़ीपनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोधनार्थ लन्तीड्रती दुपारा प्रकट नहीं किया पया था दा किया साना जतीइए था, डियाने जे सुविधा की सिद्ध

वतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के वन्मरण में, में, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग की उपधारा (1) के अभीन [नम्म]लिखित व्यक्तियाँ वर्षांत 200-

- 1. योगेंन्द्र नाथ आद्य ।
- (अन्तरक)
- 2. प्रिय लाल साहा और अन्य ।

(अन्तरिती)

सी यह सुचना चारी करके पुनोँक्स सम्पुस्ति के जर्जन के झिए कार्यवाहियां करता हुं।

बनव सम्पृतित के बर्चन के सम्बन्ध में कोई भी साझेप्र---

- (क) इस सुचना को राजपत्र में प्रकाशन की तारीस को 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, खो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वों क्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति दुक्षोरा;
- (ख) इस सूचना कं राषपत्र में प्रकाशन की तारीस ते 45 दिन के भातर उक्त स्थावर सम्परित में हितबद्द् किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास तिसित में किए जा खकेंगे ।
- स्विकरणः--इसमं प्रयुक्स शब्दां और पदों का, जो डका इधिजियम, के अध्याय 20-क में परिशाबित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय मे- दिया गया है।

अनुसूची

4 तल्ला, मकान सह जमीन पता : 1 मन्दिर, स्ट्रीट, कलकत्ता । रजिस्ट्री : आई० ए० सी० एक्यू० आर०-III, दफत्तर द्वारा दिनांक 3-6-1984 37ईई फर्म पार्म अनुसार ।

> शंकर बनर्जी सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज-III, कलकत्ता

तारीख: 14-2-1985 मोहर:

مسجاري والجوارفية بالطبيخات كاستخراف

प्ररूप आई. टी. एन. एम. -----

बायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269(घ) (1) के अधीन स्चना

भारत शरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जनरोज III, व'लकता

कलकत्ता, दिनांक 14 फरवरी, 1985

निर्देश सं० कल०/1716/अर्जन रेंज- /84-85----अतः मुझे शंकर बनजी,

बायकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्रति का को के रोज कम जपन का कारण है कि स्थावर रापति पिरका पत्निर प्राज्ञार मूला 1,00,000/- रुक से अधिक है

मोर जिसकी सं० 2 है, तथा जो नरेन्द्र बन्द्र, दत्त सरणी, कलकत्ता में स्थित है (म्रौर इसके उपत्बद्ध अनुसूची में म्रौर जो पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अति कर्तर के दार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण), उर्जन रेन -III, झलकत्ता में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के

अधीन दिनांक 2-6-1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार भूल्य से कम के दश्यमान प्रतिफल को लिए अंतरित की गई है और सुभे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का जोचत बाजार मृन्य, उसके दश्यमान प्रतिफल स., एए इश्एमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकारें) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्ददेय से उक्त अन्तरण दिलखित में वास्तविक रूप से कथित नही किया गया है :---

- (क) अन्तरण से हुइ किमी अप की बादम, उक्त अधिनियम के अधीन कर की डों अन्तरक की दायित्ल में कमी करने मा समय अपने की मनिधा के लिए; गौर/पा
- (व) एसे किसी जाय या किसी थन या अन्य आरितयां को जिन्हों भारतीय आयकर आधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अभिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अभिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट न्ही किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए !!

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अन्सरण ग, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) र अर्धीन, निम्नीलॉखत व्यक्तियों, अर्थात :---- मैसर्स राम गोपाल, गानेरी वाला प्रा० लि० अन्य (अन्तरक)

2. मैसर्स शंकर लाल पोद्दार, और अन्य ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वीक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के बर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारोख स 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की जबधि, जो भी अवधि बाद में समाफ होती हो. वे भीतर पर्वोवा व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा,
- (स) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीस से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास तिमित में किए जा सकोंगे ।

त्रन्मू वो

यूनिटर्ेनं० 2,क्षेत्र : 5235 वर्फु०, पता : 2,नरेन्द्र चन्द्र दत्त सरणी, कलकत्ता रक्ठजिस्ट्री, : सहायनः आयकर आयुक्त (निर्राक्षण), अर्जन रेंज-III, कलकत्ता के कार्यालय द्वारा दिनांक 2-6-84 37ईई फार्म के अनुसार ।

शंकर बनर्जी

ाक्षम प्राधिकार, सहायक आयकर आयुक्त (निरक्षण) अर्जन रेज, कलकत्ता

तारीख: 140-1-1985 मोहर: भाग III----खण्ड 1)

प्रकृप बाइ. ही. एग. एव. -------

आयकर अ<u>थि</u>नियन, 1961 (1961 का 43) की 269-म (1) के अभीन स्पना

আয়ালয়, বহাৰক ব্যবকৃত্ত ব্যযুগত (লিছালিক)

अर्जन रेंज-III, कलकत्ता

कलकला, दिनोक 14 फरवरी 1985

निधेश सं० कल०/1715/अर्जन रेंज-3, /84-85----अतः मुझें, शंकर अपर्णी,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) '(जिसे इसमें इसके पक्ष्यात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की भारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विक्वास करने का कारक है कि स्थावर संपरित जिसका उचित वाजार मुख्य 25,000/- रू. से जधिक है

भौर जिसकी सं० 2 है, तथा जो नरेन्द्र, चन्द्र दत्त सरणी, कलकत्ता में स्थिति है (और इमसे उपाबद्ध अनुसूची में भौर जो पूर्ण रूप से वणित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज-III, कलकत्ता में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 19-6-1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित वाजार मूल्य से कम के दश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मूर्फे यह विश्वास करवे का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित वाजार मून्य, उसके उत्यमान प्रतिफल से, एसे दश्यमान प्रतिफल का पल्झ प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिधित उद्देश्य से उक्त अन्तरण सिधित ब वास्तविक रूप से कथित नहीं किया पया है ध—

- (क) अंतरण से हर्दु किसी जाय की बाबत, उक्त मधि-मित्रम को मधीन कर दोने के अभ्तरक के दावित्व में कमी करुने या उत्तते दचने में सुविभा छे सिए, नौर/वा
- (स) एरेसी किसी जाय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय जाय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्स अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के अयोजनार्थ जम्दरिती द्वारा प्रकट नहीं किया नवा था या किया जाना पाहिए था, डिपाने में मुविभा को लिए;

 रामगोपाल, गानेरीवाला (प्रा०) लि० ग्रीर अन्य (अन्तरक)
 मैसर्स हराईजन मल्लिट प्राजेक्ट, लि० ।

(ग्रन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के कर्जन के लिए कर्यवाहियां करता हूं।

उनस सम्परित के वर्जन के संजंध में कोई भी नाक्षेप :----

- (भा) वह अपूचना के राजपत्र में प्रकायन की तारीच से 45 दिन की जगभि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की ताजील से 30 दिन की अवधि, जो भी ववधि बाद में सवाप्त होती हो, के भीतर पूर्वाक्ल व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ब) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किंसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के बास लिचित में किए था सकोंगे।

सम्बर्धिकारण ह—--इतमें प्रयुक्त वर्थ्वा और पर्वो का, जो उपका वीपरिषय के बंध्याय 20-क में परिशाणिक हैं, वहीं वर्ष छोगा को उन्न अध्याय में दिवा पता है।

अगुस्चरि

फ्लाट नं० 5 और 6,पता—−2,नरेन्द्र चन्द्र दत सरणी। कलकत्ता,।अॉॅंब० 1394 न.फ़ु०,।

रजिस्ट्री : सहायक आपकर आयुक्त (निरीक्षण), अर्जन रेंज-III, कलकत्ता के कार्यालय क्वारा दिनाक 19-6-1984 37ईई, फार्म के अन्सार ।

> शंकर अनर्जी सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज-3, कलकक्ता

विर्माण 13-2-1985 गोहद्र :: ्राक्ष नाइंद्ध टी. एन. एव. ----

जावकड वर्षिनियन, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-च (1) के ब्रथीन बुद्ना

बार्य बहुकार

कार्यालय, सह्ययक मायकर मायुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज-111, कलकत्ता

कलकत्ता, विनांक 13 फरवरी 1985

निवेश स'० कल'०/1714/अर्जन रेंज-3/84-85----अत: मुझे, शंकर बनर्जी,

वायकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पद्यान 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की भारा 269-क के अधीन सक्षम प्राप्तिकारी को यह विख्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उणित बाजार मुल्प 25,000/- से जाधिक है

ग्रीर जिसकी सं० है तथा जो मौजा, कांकुलिया में स्थित है (ग्रीर इससे उपाबढ़ अनुसूची में ग्रीर जो पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय कलकत्ता में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 27-6-1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान प्रतिफल को लिए अन्तरित की गई है और सभे यह निच्चास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पति का उचित बाजार सूक्य, उसके अप्यमान प्रतिफल से, एसे दश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अभिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों), के बीच एसे अन्तरण को लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिचित उंद्दोध्य से उक्त अन्तरण लिचित ब बाखायिक रूप से कथिप कही किया पता है :---

- (क) जन्तरण से हुदूँ फिम्बी बाव काँ वायस, अपस वभिनिसम के जभीत कर दोने के बंतरण के दावित्व में कमी करने या उसको वजने में सुविधा के सिए; यार/या
- (व) एरेसी किसी आय गा किसी भन या जन्य आस्तियाँ - को जिन्हों भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) याल उक्त अभिनियम, या धन-कर अभिनियम, 1957 (1957 का 27) को प्रयोजनार्थ जन्तरिती दुवारा प्रकट नही किया गया भा या किया जाना पाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अथ, उक्त मॉिथनियम की धारा 269-ग के अन्सरक मैं, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-भ की उपधारा (1) के बधीन, निम्नसिचित ध्यवितयों, जमात क्ष---

ेतारीख: 13-2-1985 मोह्र ⊈

ा. शेख आशरफ अली,।

2. श्री अमल कुमार घटक ।

(अन्तरिती)

(अन्तरक)

को यह सूचना बारी करके पूर्वोंक्त सम्पत्ति के अर्चन के सिन् कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्परित के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :---

- (क) इस सूचना को राजपत्र में प्रकाशन की तारीच से 45 दिन की जबधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, को भीतर पूर्वीक्त व्यक्तियों में से किसी क्यक्ति बुंबारा;
- (ख) इस सूचना को राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन को भीतर उक्त स्थावर सम्परित में हितबद्ध किसी बन्ध व्यक्ति द्वारा अभोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकोंगे।

मन्त्र भी

जमीन 6 कट्ठा, 11 छ० उसके साथ छोटा, काठास। पता: मोजा कांक्लिया।

रजिस्ट्री: रजिस्ट्री दफ्तर कलकभा द्वारा डोड नं० 3046 दिनांक 27-6-1984 के अनुसार ।

> शंकर वनर्जी सक्षम प्राधिकारी सहायक भ्रायकर श्रायुक्त (निरीक्षण) भ्रर्जन रेंज-[11, कलकत्ता

8662

त्रक्ष्यु बाह् हु धी.. थ्य.. एत.. -------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-च (1) के अधीन सूचना

भारत संरकार

कार्यालय, सहायक आगकर आयुक्स (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-3, कलकत्ता

कलकत्ता, दिनांक 13 फरवरी, 1985

निदेश सं० कल०/1713/अर्जन रेंज-3/84-85—अतः, मुझे, शंकर बनर्जी,

आयकर अभिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके परवात 'उवत अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अभीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विख्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

श्रौर जिसकी सं० 2 है, तथा जो नरेन्द्र चन्द्र दत्त सरणी, कलकत्ता में स्थित है (श्रौर इससे उपाबद्ध अनुसूची में ग्रौर जो पूर्ण रूप से वर्णिन है) रजिल्ट्री कर्ना अधि हारी के कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) जर्वन रेज, 3, कलकत्ता में रजिस्ट्रीकरणसेहैं अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 2-6-84

को पूर्वेवित सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुभे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्परित का उचित बाजार मुख्य, उतके रश्यमान प्रोरफल से, एसे इत्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति-कल, निम्नीनीवित उद्देश्य से उच्छ वन्तरण शिथित में वास्व-बिक रूप से कथित नहीं किया गया है :---

- (क) अभारभ में हुन्हें फिल्सी साम की बाबत अवस समि-निवम की जभीन कर दोने के जम्सरक के दासित्व में कमी करने था उससे समने में सुविधा को लिये; श्रीर गा/
- (ख) एँसी किमी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों की, जिन्हें भूगरतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-फार अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अलगिरती द्वारा प्रकट नहीं किया गया जा वा किया जाना वाहिए था, कियाने में कुविभा के लिए;

अत. अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण मे, मैं, उवत अधिनियम की धारा 269-ग की उपधारा (1) के अधीत, जिस्तीजीवन व्यक्तियों, वर्धात् इन्द मैसर्स रामगोपाल गानेरी वाला झौर अन्य । (अन्तरक)

2. मैसर्स मलय कर्मशियल, इन्टरप्राइजेस लि०।

(अन्तरिती)

को वह कुमना भारों कर के दुर्वोक्त संपरित के वर्षन के हिंगुयू आयवाहियां गुरू करता हुं।

उन्छ सम्पत्ति के भर्जन के सम्बन्ध में कोइर्रं भी वाक्षेप :----

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की सामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो के भीतर पूर्वोंक्त क्यक्तियों में से किसी क्यक्ति बुवारा;
- (च) इस सुचना को राजपत्र में प्रकाशन की सारीख क्षे 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपस्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति ध्वारा, अधोहस्ताक्षरों को पास लिखित में किए जा सकोंगे।

स्पष्टीकरणः— इसमें प्रयुक्त सम्बांधौर पक्षों का, जो उनका अधिनियम के अध्याय 20-क में परिशाधित हूँ, बही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया अ^अ क्या ह^{*}।

मनुस्यौं

सम्पत्ति, यूनिट नं० 9 ग्रौर 10, क्षेत्र० 1418 व० फु०। पता: 2, नरेन्द्र चन्द्र दत्त सरणी, कपकत्ता ।

रजिस्ट्री : सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज-3, कलकत्ता के कार्यालय द्वारा दिनांक /2-6-84, 37ईई फ⊔र्म के अनुसार ।

> र्णकर वर्त्जी सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जनरोंज, III कलाज्सा

तारीख: 13-2-1985

मोहर 🛛

प्ररूप नाइ ्टी, एन, एक, तन----

वायकर जॉपनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-घ (1) के जभीन स्थना

HICH WEIME

कार्वास्य, सुहायक जायकर वाय्येत (निर्द्रीकण)

अर्जन रेज-3, कलकत्ता

कलकत्ता, दिनांक 13 फरवरी, 1985

निवेश सं० कल०/1712/अर्जन रेंज-III/84-85----औतः मुझे शकर बनर्जी

मायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पक्ष्यात् 'उक्त अधिनियम' कडूहा गया है), की भारा 269-च के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विक्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-न्द्र. से अधिक है

मौर जिसकी सं० 2 है, तथा जो नरेन्द्र चन्द्र दत्त सरणी, कलकत्ता मे स्थित है (म्रोर इससे उपाबद्ध अनुसूची में झौर जो पूर्ण रूप से वणित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सहायक आयक आयुंक्त (निरीक्षण), अर्जन रेंज-III, कलकत्ता में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीच दिनांक 2-6-84 को पुवाक्स सम्पत्ति के उभित बाजार मूख्य से कम के अध्यमान प्रसिफल के लिए अंतरित की गई है और मुफ्ते यह विक्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मून्य, उसके व्ययमान प्रतिफल से, एखे व्ययमान प्रतिफल का पंडह प्रतिधत से अधिक है बीर अंतरक (बंतरकों) बीर अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तथ पाया गया प्रति-फस निम्नसिबित उज्हर देस से उक्त जंतरण कि लिए तथ पाया गया प्रति-फस निम्नसिबित उज्हर दिय सो उक्त जंतरण कि लिए तथ पाया गया प्रति-

- (क) अद्भरण में हुई किसी जागकी बायत, उक्स अधिनियम के बभीन कर देने के बन्तरक के द्रायित्न में कमी करने या उससें बचने में सुचिभा के लिए; और/या
- (ण) ऐसी किसी जाम या किसी धन मा अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय जाय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोज-नार्भ जन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना पाहिए था किपाने में सूविधा के लिए;

भतः वन, उक्त नधिनियम की भारा 269-ग के अनुश्वरण म, में, उक्त अभिनियम की धारा 269-ग की उपभारा (1) के अुवीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :--- मैसर्स रामगोपाल गातेरी बाला, (प्रा०) लि० श्रौर अन्य (अन्तरक)

मैसर्स लायन कर्माशयल कम्पनी, लि० ।
 (अन्तरिती)

को मह सुजना वारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के वर्षन के सिछ कार्यवाहियां घुरू करता ह**ं**।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :----

- (क) इस सूर्भना को राजपत में प्रकाशन की तारीस से 45, दिन की अवधि या तरसम्बन्धी व्यक्तियों पर सुपना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी बर्वाभ बाद में समाप्त झोती हो, के भीतर पूर्वीवड व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (व) इस सुचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीक से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति दुवारा अभोहस्ताक्षरी के पाझ लिकिस में किए जा सकोंगे ।
- स्पर्ख्टीकरणः इसमें प्रयुक्त शब्दों और पर्दों का, जो उक्त अधिनियस के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय मे दिया गवा है।

अनूसूची

सर्म्पाभ, यूनिट नं० 7 श्रौर 8, क्षेत्र ० 1528 व० फ़ु०। पता : 2, नरेन्द्र चन्द्र दत्त सरणी, कलकत्ता ।

रजिस्ट्री : सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण), अर्जन रेंज-इइइ कलकत्ता द्वारा दिनांक 2-6-84 37ईई फार्म के अनुसार ।

> शंकर बनर्जी सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्त निरीक्षण) अर्जन रेंज III कलकत्ता

्तारीख : 13-2-1985 गोहरू ज भाग III-बण्ड 1]

प्रसंस् बाह्'.<u>डी.एन्.एह्.</u>स्यायम्बर्गसम्बद्धाः

थायकर मीभनियम, 1961 (1961 का 43) क] भारा 269-म (1) के अभीन सुचना

सारत् संरकार

कार्यानय, सहायक जायकर आयुक्त (निरीक्षण)

सहायग आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जनरेज-III, कलकत्ता कलकत्ता, दिनाक 13 फरवरी, 1985

निदेश स० 1711/अर्जन रेज-III/कल०/84-85---अतः मुझे, शकर बनर्जी

भायकर अभिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पक्षाल 'उक्स अभिनियम' कहा गया है), की भारा 269-च के अभीन सक्षम प्राभिकारी को यह विक्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित वाजार मून्य 25,000/- रु. से अभिक है

और जिसकी सं० 35 है, तथा जो विवेकानन्द रोड, कलकत्ता मे स्थित है (भौर इससे उपाबद अमुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, कलकत्ता मे रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनाक 26-6-1984

को पूर्वोक्स सम्पत्ति के उचित बाजार मृत्य से कम के इत्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मृझे यह विष्वास करने का कारण है कि यथापूर्वाक्स सम्पत्ति का उचित बाजार मृत्य, उसके इत्यमान प्रतिफल से एसे इत्यमान प्रतिफल औंछ पन्द्रह क्रेतिशत से अधिक है और जन्तरक (जन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिकल द निम्नजिषिष उद्देवेंय से उक्त अन्तरण मिर्माचत में सास्तयिक रूप से कथित नहीं किया गया है के—

- (क) जन्तरण से हुई जिसी जाय को बावत, उच्छ 'वॉॉ्थनियम को अधीन कर दोने के अन्तरक को दायित्व में कवी करने या उससे वचने में सुविधा के विद; वीर/वा
- (प) पैंधी किसी लाथ या किसी भेन या जन्म आस्तियां को, जिन्हें भारतीय लाग-कर जभिनियम, 1922 (1922 का 11) वा ,उक्त लभिनियम, या भन-कर जभिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्भ जन्तरिती ब्लारा प्रकट नहीं किया नया था वा किया जाना भाहिए था, छिपाने बें बुनिथा के सिए;

बतः अव, उक्त अधिनियम की भारा 269-ग के बनूसरण में, मैं,, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपभारा (1)-चे बभीन- मिम्बसि्चित व्यक्तियों, अर्थात् ६---- 1. श्री सुकुमार घटर्जी, ।

(अन्तरक)

2. श्री शिव शंकर राय ग्रीर अन्य ।

(अन्तरिती)

को कह दूखना पहती कुछकी पुगुनिस सम्पतिस की जातन को लिए। कार्यवाहियों करता हूँ।

उन्द सम्पत्ति के बजाँग के सम्बन्ध में कोई भी बालोप ह-----

- (क) इस तुमना के रावपत्र में प्रकासन की तारीय से 45 दिन की जनभिया तत्संगंभी व्यक्तियों प्र सुमना की तामीन से 30 दिन की जनभि, जो भी जनभि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त क्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वाड़ा;
- (स) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीस से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्परित में हित-बद्दभ किसी अन्य क्यक्ति द्वारा, अभाहस्ताक्षरी के पास निवित में किए वा सकोंगे ।

स्पच्टोकरण :----ध्समे प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधि-नियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, बही बर्ध होगा, वो उस सभ्याय मे दिया गसा है।

प्रनुसूची

मकान सह० जमीन, 4 क० 4 छ०, पता : 35, विवेकानन्द रोड, कलकती रजिस्ट्री : कलकत्ता में डीड न० I 7327 दिनाक 26-6-84 के अन्सार ।

> णकर बनर्जी सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज-3, कलकक्ता

दिनाक 13-2-1985 मॉहड ब म्रह्मु बाई ुटी. एन. एत. -----

जायकर जभिनियम, 1961 (1961 का 43) की धाडा 269-द (1) के बधीन स्वाना

मारत सर्कार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरक्षिण) अर्जन देज-III, कलकत्ता कलकत्ता, दिनाक 12 फरवरी, 1985 निदेश सं० 1710/अर्जनरेज-II1/84-85---अत. मुझे,

शकर बनर्जी

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिस इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 1016 है, तथा जो काकुलिया रोड, कलकत्ता मे स्थित है (ग्रौर इतसे उपाबद्ध अनुसूची मे ग्रौर जो पूर्ण रूप से वर्णित है) रेजिसीकर्ता अधिकारी के कार्यालय कलकत्ता मे रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनाक 11-6-1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के इस्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुफे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके इश्यमान प्रतिफल से, ऐसे इश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित मे वास्तविक में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :---

- (क) बन्तरणृसे हुई किसी बाय की बाबत, उक्त अधिनियय के अधीन कर दोने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए, और/या
- (ख) एसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तिगों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त टेंग्लयग या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया गया था रा किया जाना चर्तहए भा, छिपान में सुरिया के लिए;

अत अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नजिल्वित व्यक्तियों, अर्थात् :--- 1. श्री स्नेहमय चट्टोपाध्याय

(अन्तरक)

2. श्रीमती शीला चट्टोपाध्याय

(अन्तरिती)

की यह सूचना जारी करके पूर्वीक्त सम्पत्ति के वर्जन के लिए कार्यवाहयां कुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :----

- (क) इस सुचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सुचना की तामील से 30 दिन की अवधिक, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति दुवारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्र्भ किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के प्रस लिखित में किए जा सकर्पे।
- स्पच्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधि-नियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वहीं अर्थ द्वांगः, जो उस अध्याय मी दिना गया है।

बन्स्चौं

सम्पत्ति 1/3 ग्रज्ञ (2कट्ठा 7 छटाक जमीन) उसके साथ 3 तल्ला, मकान और अज्ञत. 4 तल्ला, मकान।

पता: 101 जी. काकुलिया रोड, कलकत्ता ।

रजिस्ट्री : डीडनं० 2740, दिनाक 11-6-84 के अनुसार कलकत्ता मे ।

> शकर बनर्जी सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रोज 3, कलकक्ता

दिनाक 12-2-1985 मोहर : प्ररूप नाइ. टी. एन. एस..-------

झायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सुबना

भारत सरकार

कार्यालय, सहादक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जनरोज-JII, कलकत्ता

कलकत्ता, दिनांक 12 फरवरी, 1985

निदेश सं० 1709/अर्जन रोज-3/84-85----अतः मुझे, शंकर बनजी

जायकर अभिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अभिनियम' कहा गया है, की थारा 269-क के अभीन सक्षम प्राधिकारी को यह विष्यास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित वाजार मूल्य 25,000/- रु. मे अधिक है

श्रोर जिसकी सं० 85 है, तथा जो इब्राहिमपुर रोड, कलकत्ता में स्थित है (ग्रोर इपने उगबथ ख अनु सूची में ग्रोर जो पूर्ण रूप से बर्णित है), रजिस्ट्री कर्ता अधिकारी के कार्यालय कलकला मे रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिमांक 22-6-84

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के इत्यमान प्रिणिफल के लिए अतरित की गई है और मुभे यह विक्वास ऐसे दक्ष्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिकात से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकोँ) और अन्तरिती (अन्तरितियोँ) के बीच एसे अन्तरण को लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिचित उब्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गुया है :----

- (क) अंतरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्य में कमी करने या उससे वचने में सुविधा के लिए; बौर/या
- (ख) ऐसी किसी आय का किसी धन या जन्य जास्तियो को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनयम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना काहिए था, किएाने में मुविधा के लिए।

अत अब, उक्त अधिनियम को धारा 269-ग के अनुसरण मैं, मैं, अक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपभारा (!) के अधीन, निम्नलिबित स्थक्तियों अधाँत --- 1. श्री शचीन्द्र नाथ साहा

(अन्तरक)

श्रीमती आरति घोष

(अन्तरिती)

को यह सूचना*जारी करके पुवॉक्त सम्परित के अर्जन के लिए. कार्यवाहिया शुरू करता हुं।

उक्त सम्परित के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :--

- (क) इस सूचना के राजपय में प्रकाशन की तारीस से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचन की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारील से 45 दिन के भीतर उक्क स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकरेंगे।
- स्पख्टीकरणः——इसमें प्रयूक्त शब्दों और पदों का जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क म⊤ परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अभ्याय मं दिया गया है।

अनुसूची

सम्पत्ति आधा यण 2 तल्ला, मकान ग्रौर जमीन 1 कट्ठा, 5 छ० 12 व० फु० । पता 85 इब्राहीम पुर रोंड, कलकत्ता । रजिस्ट्री र्जिस्ट्री दफ्तर कलकत्ता द्वारा डोड न० 2987 दिनाक 22-6-1984 के अनुसार ।

> णकर बनर्जी भक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जनरोज-3, कलकत्ता

दिनांक 12-2-1985 मोहर प्ररूष बाइ .टी. एत. एस. -------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार ،

मार्गनय, सहायक भायकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज-III, कलकला कलकत्ता,दिनांक 12 फरवरी 1985

निदेश सं० 1708/अर्जन रेंज-III/कल०/84-85----अतः मर्झे, शंकर बनर्जी,

आयकर अभिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अभिनियम' कहा गया है), की धारा 269-स के अभीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विष्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मुल्य 25,000/-रुत से अभिक है

म्रौर जिसकी सं० 101 जी है, तथा जो काकु लिया रोड, कलकत्ता में स्थित है (म्रौर इससे उपाबन अनुसूची में म्रौर जो पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय कलकत्ता में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 11-6-84

को पूर्वोक्स सम्पतित के उचित बाजार मूल्य से कम के इष्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुफे यह विष्यास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्स सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उरुके इत्यमान प्रतिफल से एसे इष्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिद्यत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच एसे जंतरण के लिए तय पाया गया प्रति-फल निम्नलिखित उद्देघ्य से उवत अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :----

- (क) जन्तरण से हुद्दे किसी जात को बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर दोने के अन्तरक के धायित्व में कमी करने या उससे वचके के सुविधा के सिए; जौर/या
- (थ) एसी किसी जाय या किसी भन या अन्य कास्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अभिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अभिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गणा भा या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

भत्तः वर्षउक्त वॉर्भनियम की भारा 269-ग के अनुझरण ब*, मँ उक्त अभिनियम की भारा 269-घ की उपभारा (१) के अभीन, निम्नलिक्ति व्यक्तियों , अर्थात :---- 1. श्री दिप्ती मय चट्टोपाध्याय

(अन्तरक)

2. श्रीमती शीला चट्टोपाडयाय

(अन्तरिती)

को यह सुचना वारी करके पुर्वीक्त सम्परित के जर्थन के सिद् कार्यवाहियां करता हुं।

उपत सम्पति के वर्जन के सम्बन्ध में कोई वाक्षेप ह---

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीच से 45 दिन की जवभि या तत्सम्बन्भी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की जवभि, खो भी जवभि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोंक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति दुवारा;
- (व) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीच सं 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षारी के पास लिखित में किए जा सकोंगे।

स्वश्वदीकरण ∷——इसमें प्रयुक्त शब्यों और पर्वों का, जो उक्त अभिनियम के अध्याय 20-क में पीािभाषित ह⁴, वहीं अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गवा ह⁶ ।

मन्त् जी

सम्पत्तिः

2 कट्ठा, 7 छटांक, जमीन की 1/3 श्रंश सहतीनतल्ला मकान ग्रीर ग्रंगत: चार तल्लामकान।

पताः 101 जी, कांकुलिया रोड, कलकत्ता ।

रजिस्ट्री: कलकत्ता रजिस्ट्री दफ्तर द्वारा डीड नं० 2741 दिनोक 11-6-84 के अनुसार।

> मंकर बनर्जी सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जनरेंज-3, कलकत्ता

विनांक 12-2-1985

आयकर, अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-ष्यु (1) के अधीन सुचना

गाउल सुरकान

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रोज III, कलकता

कलकत्ता, दिनांक 12फरवरी, 1985

निदेश सं० 1707/अर्जन रेंज-III/कों०/84-85----अतः मुझें, शंकर बनर्जी

बायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पक्षात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की भारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विक्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-र. से अधिक है

म्रोर जिसकी सं० 2 है, तथा जो नरेन्द्र चन्द्र दत्त सरणी, कलकत्ता में स्थित है (म्रोर इससे उपाबद्ध अनुसूची में म्रोर जो पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सहायक आयक आयुक्त (निरीक्षण), अर्जन रेंज-III, कलकत्ता में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 19-6-84

को पूर्वोक्त संपरित को उचित बाजार मुल्प से कम के इत्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुभे यह वित्यास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके ध्र्यमान प्रतिफल से, एसे ध्र्य्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अंतोरेतियों) के बीच एसे अंतरथ के लिए तय पाया गया प्रति-इल, निम्नलिबित उद्देश्य से उक्त अन्तरण सिबित में वास्तुविक क्य से कथित नहीं किया गया है दूर्य

- (क) अन्तरण से हुई किसी जाय की वावत, उक्त जीधनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दावित्य में कमी करने वा उसते व्युत्ते न्यूने में सुदि्धा के सिए; नौर/वा
- (व) एरेसी किसी जाय या किसी भन या जन्म आस्तियों को फिन्ह भारतीय जाय-कर अभिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अभिनियम या भनकर अभिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ जन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में दनिया के लिए;

अतः अज, उजव अधिनियम की धारा 269-ग कें अनुसरण में, मैं, उक्त अभिनियम की धारा 269-भ की उपधारा (1) के अधीन. निम्नलिखित व्यक्तियों, वर्ष्णुन प्----21----4860Il84 1. श्रीमती लीला वती, गानेरीवाला मौर अन्य

(अन्तरक)

2. श्री कमल कुमार आगरवाला,

(अन्तरिती)

स्वे यह सूचना जारी करके पूर्वांक्त सम्परित के बर्जन **के खिन्** कार्यवाहिया शुरू करता हूं।

उपत सम्परित के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी बाक्षेप उ-

- (क) इस सचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीच से 45 दिन की अवभि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सुचना की तामील से 30 दिन की अवभि, जो भी अवभि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ला) इस स्पना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पन्ति में क्रितबक्भ किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकोगें।
- स्पष्टीकरण :—–इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अभिनियम, के अभ्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अभ्याय में दिया गया है।

सम्पति, यूनिट सं० 2, दफ्तर कक्ष, । पता: 2, नरेन्द्र चन्द्र दत्त सरणी, कलकत्ता। क्षेत्रः : 1053 व० फु० । रजिस्ट्री: 37-ईई फार्म के अनुसार सहायक आयकर आयुक्त (निरोक्षण), अर्जन रेंज, 3, दिनांक 19-6-1984 द्वारा।

> र्शकर बनर्जी सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज-3, कलकत्ता

दिनांक 12-2-1985 मोहर ब

[भाग III--खण्ब 1

्रश्रेष्थं आह¹े टी*ः,* एन । एस्_र - ≌ - - ध-

नायक द मधिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा

269-म (1) के सभीन सुमना

भारत सरकार

कार्यांलय, सहायक मायकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज-3, कलकता

कलकत्ता, दिनांक 12 फरवरी, 1985

निदेश स०[°] 1706/अर्जन रेंज-III/कल०/84-85----अतः मझे, शंकर बनर्जी

नायकर अभिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पदचात् 'उक्त अभिनियम' कहा गया है), की भारा 269-च के अभीन सक्षम प्राधिकारों को यह विदवास करने का कारण है कि स्थावर सम्परित, जिसका उचित बाआर मुख्य 1,00,000/- रु से अधिक है

त्रौर जिसकी स० 335 है, तथा जो योधपुर पार्क, कलकत्ता में स्थित है (ग्रौर इससे उपाबद्ध अनुसूच में ग्रौर जो पूर्ण रूप से वणित [है) रजिस्ट्रीकर्ता [अधिकारी के कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण), अर्जन रेज, II, कलकत्ता में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 24-6-1984

को पूर्वोक्स सम्पत्ति के उचित बाखार मूल्य से कम के इक्यमान प्रतिफल के लिए अतरित की गई है और मुभे यह विक्वास का कारण है कि यथापूर्वोक्स सम्पत्ति का उचित बाखार मूल्य, इसके रक्ष्यमान प्रतिफल से, ऐसे रक्ष्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिघत से जधिक है और जन्तरक (अन्तरकों) और जन्तरिती (अन्तरितियों) के बीध एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नसिचित उद्बोरयों से उक्त जन्तरण लिखित में वास्तयिक रूप से कथित नहीं किया गया है।;---

- (क) जन्तरण से हुइ किसी कार की बाबत, उक्स अधिनियम के अधीन कर देने के जन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे वजने में सुदिभा के सिए; बौट्ट/वा
- (व) देवी किसी बाय वा किसी भन या अन्य जास्तियों को, चिन्हों भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या भन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) व प्रयोजनार्थ जन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया भा या किया जाना चाहिए था, छिवाने में सुविधा को सिए;

अतः अव, उक्त वीधनियम की धारा 269-ग के अनुसरण मैं, मैं, उक्त वीधनियम की धारा 269-ग की उपधारा (1) ने बधीन, तिम्बरिश्रिक्त व्यक्तियों, वर्थात् ह--- 1. मेंसर्स कनन्ट्रक्शन,

(अन्तरक)

2. श्री एच० एस० सिन्हा,

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्परित के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति को अर्जन को सम्बन्ध में काई गै आक्षेप :---

- (क) इ.स. सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीब से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (व) इस सुचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीवा से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी मन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पाछ तिखित ये किए जा सकोंगे ।

स्पष्टीकरण :----इसमें प्रयुक्त झब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अभ्याय 20-क में पुरिशाधिर है, वहीं अर्थ होगा जो उस अभ्याय में दिर। गया है।

बनुसूची

आणिक छाद तिन तल्ला पर श्रौर उसकी साथ श्रशतः काठाम ।

पताः 335 योधपुर पार्कं कलकत्ता ।

ंरजिस्ट्री : सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण), अर्जन रेंज, कलकसा द्वारा, र्जिस्ट्री हुआ है दिनांक 24-6-1984 37ईई फर्म के जनुसार ।

> शंकर बनर्जी सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज-3, कलकत्ता

दिनांक 12-2-1985 मोहर ः प्ररूप अरहा.दी.एन.एस. - --------

आयकर अभिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-ष(1) के अभीन सुभना

भारत तरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज III, कलकत्ता

कलकसा, दिनांक 11 फरवरी, 1985

निदेग स० 1705/अर्जन रोंज-III/84-85----अत: ुझे, गकर बनर्जी

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पक्ष्वात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह वि्रवास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

म्रौर जिसकी स० 116 वीं है, तथा जो कालीघाट रोड, कलकत्ता में स्थित है (और इससे उपावद्ध अन्सूर्ची में

मौर जो पूर्ण रूप से वर्णिल है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, कलकत्ता में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908का 16) के अधीन दिनांक 25-6-84

को पुर्वोक्त सम्पति के उचित नाजार मूल्य से कम के इस्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित को गई है और मुक्ते यह विस्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपरित का उचित बाजार मूल्य, उसके इस्थमान प्रतिफल से एसे इस्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकां) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के नीच एसे अन्तरण के लिए त्य पावा ग्या प्रतिफल, निम्नलिखित उद्वेष्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :---

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अभीन कर दोने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; औ<u>र</u>/या
- (ण) एसी किसी जाग या किसी भन या जन्म आस्तियों को जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्भ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया भा या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग को, अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-म की उपुधारा (1) के अधीन, निम्नलि्षित व्यक्तियों, अर्थात् क्र— 1. श्री कान्यकुब्ज, भैरव नवयुवक, सघ (प० ब०), (अन्तरक)

2. श्रीमती ऊषाा मल्होत्रा,

(अन्तरिती)

को यह सुचना जारो करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्परित के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी काक्षेप :----

- (क) इस सुचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीस से 45 दिन की अवधि या शत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, को मी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के मीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति दवारा;
- (श्व) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन को तारोख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्परित में हितबब्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अक्षेहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकोंगे।

स्पष्टोकरणः — – इसमॅं प्रयूक्त क्षम्वौ और पदौ का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में <u>दि</u>या गया है।

श्रनुसूची

सम्पत्ति 3 कट्टा, 8 छ०, 43 व० फु० ग्रौर उसकी पर टाली, ग्रौर टीन ढारा निमित काठाम। पताः 116ख, कालीवाट रोड, कलकत्ता। रजिस्ट्री : डीड न ० 3023, दिनांक 25-6-1984 के अनुसार, कनकता रजिस्ट्री दक्तर ढारा। शकर बनर्जी सक्षम प्राधिजकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्गन रेंज-3, कनकः

दिनांक 11-2 1985 मोहर ()

[भाग III--खण्ड 1

प्ररूप आइरे. टी. एन. एस. ------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की 269-भ(1) के बभीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-3, कलकत्ता

कलकत्ता, दिनांक 11 फरवरी, 1985

निदेश स॰ 1704/अर्जन रेंज-3//84-85----अतः मुझे शंकर बनर्जी,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पद्य्यात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीम सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स-धावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

मौर जिसकी स॰ 38 है, तथा जो लेक गार्डेन्स, कलकत्ता में स्थि। है (प्रोर इतने उत्तबढ अतुसूवी में घौर जो पूर्ण रूप से वणित है) रजिस्ट्रीक इत्ती अधिकारी के कार्यालय कलकत्ता में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अर्धान दिनांक 8-6-1984

करे पुर्वोक्त सम्पत्ति को उचित नाजार मूल्य से कम के दश्यमान प्रतिफल को लिए अंतरित की गई है और मूक्षे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित थाजार मूल्य, उसके धश्यमान प्रतिफल से, एसे दश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिफल से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकाें) और पंतरिती (अन्तरितियाें) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देय से उक्त अन्तरण लिडित में वास्तयिक रूप से कथित नहीं किया गया है -----

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाथत, उक्त अधिनियम के अधीन कर दोने के अन्तरक के दायित्व में कभी करने या उससे बचने में सुविधा को लिए; और/या
- (श्व) एेसी किसी आग या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

केंतः अभ, उक्त अभिनियम की भारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अभिनियम की भारा 269-घ की उपभारा (1) के अभीन, तिम्नलिक्ति व्यक्तियों, अर्थात् ध---- 1. श्री अशोक कुमार सूद झौर अन्य

(अन्तरक)

2. श्रीमती आभा सूद ।

(अन्तर्रित)

को यह सूचना जारी क<u>र</u>के पूर्वीक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए। कार्यवाहिया करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :---

- (क) इस सुचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारोख सं 45-दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सुचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त ध्यक्तियां में से किसी व्यक्ति बुवारा;
- (व) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीस से 45 दिन के भोतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकोंगे।
- स्पष्टीकरणः—-६समें प्रयुक्त शब्दों और पदौंका, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, कहो अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

जन्स ची

सम्पत्ति: प्लाट न० 2, क्षेत्र ० 900 वर्ष फु० । पता: 38 लेक गार्डेन्स, कलकत्ता । रजिस्ट्री: डीड न० 6515 दिनांक 8-6-84 के अनुसार। कलकत्ता, रजिस्ट्री दफ्तर द्वारा।

शकर बनर्जी

सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज-3, कलकक्ता

दिनांक 11-2-1985 मोहर 🛙 भाग III---खण्ड 1]

प्ररूप आइ", ट<u>ी.</u> एन<u>.</u> एस. =------

नायक<u>र</u> अधिनियम., 1961 (1961 का 43) क] भारा 269-म् (1) के अधीन् सूचना

भारत तरकाड

भार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्ज न रेज-3, कलकत्ता

कलकत्ता, दिनांक 12 फरवरी, 1985

निदेश सं० 1703/अर्जन रेज-3/कल०/84-85----अत. मुझे, शंकर बनर्जी,

मायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके परभाद 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की भारा 269-ख को अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विख्यास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- उठ. से अधिक है

ग्रोर जिसकी स० वागदोगी है, तथा जो खैतान न० 741, रीजेन्ट पार्क कलकत्ता में स्थित है (ग्रीर इससे उपावस अनुसूची मेग्रीर जो पूर्ण रूा से वर्णिन है) रजिस्ट्रीकरुती अधिकारी के कार्यानय कनरुता में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनाक 27-6-84

को पूर्वोक्षत सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य संकम के इपयमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकर्ता के कार्यालय मैसूर मे धारा 269 ए.बी. के अतर्गत सक्षम अधिकारी के पास 'रजिस्ट्रोकृत किया गया है मुझे यह विश्वास

करने का कारण है कि सभापूर्वोंक्त सम्पत्ति का उभित वाजार भूल्य, उशके इत्यमान प्रतिफल से, एसे इत्यमान प्रतिफल का बन्द्रह प्रतिकात से अधिक है और संतरक (अंतरकों) और अंतरिती (जंतरितियों) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रति-कव निम्नजिदित उद्देर से उक्त जंतरुण जिदित में वास्तविक रूप से कॉभित नहीं फिल्मा गया है ६—

- (क) अन्तरण से हुद्दै किंसी आय की वावत, उकर अधिनियम के ज्भीन केन्द्र देने को जतरुक के दायित्व में कमी करने या उससे वजुने में सुविधा के लिए; और∕वा
- (श) इरेसी जिंकसी आव वा किसी भन या कन्य वास्तिया को, जिन्ह भारतीय आवकर अभिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अभिनियम, या भन-फर अभिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्भ अंतरिती ख्वारा प्रफट नहीं किया गया भा या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के बिए:

जतः अब, उक्त अधिनियम की भारा 269-ग के अनुसरन में, मैं उक्त अधिनियम की भारा 269-म की उपधारा (1) के अधीन,,निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् ह---- 1. श्री शोखरचन्द, नाथ सेन गुप्ता,

2. श्री अरूप चकावर्ती

(अन्तरक)

(अन्तरिती)

को यह सुचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्परित के अर्थन् के सम्बन्ध में कोई भी आ क्षेप 🕬 🛶

- (क) इस सूचना के राजपुत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की जवधि या तरसम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, खो धी जबधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (व) इस सूचना के राजपुत्र में प्रकाशन की तार्रीय से 45 विन् के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबब्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पच्छीकरणः :-----इसमें प्रयुक्त सब्दों सौटुपद्यों का, या उक्त अभिनियम, को अभ्याय 20-क में परिशावित हीं, वही अर्थ होगा जो उस अभ्याय में दिवा पया ही।

जनसभी

जमीन 4 कट्ठा, पता : वौंशद्रोगे, रीजन्द पार्क, कलकत्ता। रजिस्ट्री : डीड नं० 3048, दितांक 27-6-1984 के अनुसार कलकत्ता मे ।

णकर बनर्जी

सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेज-3, कलकत्ता

दिनॉक 12-2-1985

मोहर 🗈

[भागे 111----खेष्ठ 1

्रहरूप् भार्द् टी. एम. एस्.--------

मायकड मुभिनियम्, 1961 (1961 का 43) की भाडा 269-म् (1) के मुभीन, सुम्बना

भारत सरकाड

कार्कालय, सहायक वायकर वायुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज - 3, कलकत्ता कलकत्ता दिनाँक 11 फरवरी, 1984

निदेश सं० 1702/अर्जन रेंज-3/कक्टलक०/84-85---अतः मुझे, शंकर बनर्जी,

आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पृष्पात् 'उक्त अभिनियम' कहा गया है), की भारा 269-च के सभीन सक्षम प्राधिकारी को, यह जिस्तास करने का कारण है कि स्थावर संपतित जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रउ. से अधिक है

और जिसकी सं० 63ए हैं, तथा जो बाइट स्ट्रीट, कलकत्ता में स्थित है (श्रौर इससे उपाबख अनुसूर्चा में ग्रींर जो पूर्ण रूप से वणित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सहायक आयकर अधुक्त (निरीक्षण), अर्जन रेंज,-3, कलकत्ता में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 25-6-84

ध्ये पूर्वोंकत सम्पत्ति को उचित बाजार मूल्य से कम के उष्ठयमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुफ्ने यह विक्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोंकत संपस्ति का उचित वाजार मुक्य, उतके व्ययमान प्रतिफल से, इसे व्ययमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अभिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रति-फल निम्नलिखित उद्दोध्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्त-विक रूप से कथित नहीं किया गया ही ध—

- (क) अभ्यरण से हुई किसी आप की बाबत उक्त जभि-नियम के अभीन कर दोने की अन्तरक के दायित्व में कमी क<u>रने</u> या उसके बचने में सुविभा के सिए; बौरु/या
- (स) एसी किसी साय या किसी भन या अन्य सास्तियों को जिन्ह³ भारतीय आयकर अभिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अभिनियम, या भन-फर अभिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया भा या किया जाना आहिए था छिपाने में सुविधा वी लिए;)

बतः वग, उक्त वीभनियम, की धारा 269-ग कै वनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नॉलेखित व्यक्तियों, अर्थात् (--- 1. मैसर्स पुष्पा एपार्ट मेन्ट्स,

(अन्तरक)

2. श्री आर० एस० हरलाल का,

(अन्तरिसी)

को यह सुचना जारी कटके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन की लिए फार्यवाहियां करताहुं।

उक्त सम्पत्ति को अर्जन को संबंध में को हैं भी आक्षेप 🖾 ----

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि था तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से <u>कि</u>सी व्यक्ति दुवारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकोंगे।
- स्पष्टोकरणः इसमे प्रयुक्त शब्धों और पदों की, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, है, वहीं अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

SHUE.

सम्पत्ति,प्लाटर्ने० उक, 3 तल्ला, । पताः ॅ63कब्राइट स्ट्रीट, कलकत्ता क्षेत्न० : सक्षम प्राधिकारी (सहायक आयकर आयुक्त (निरोक्षज) अर्जनरेंज-3, कलकत्ता द्वारा, 37ईई फार्म के अनुसार दिनांक 25-6-1984 ।

> र्शकर बनर्जी सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्स (निरीक्षण) अर्जनरोज-3, मलकर्फ्ता

दिनांक 11-2-1985 मोहर ∷ अरूम माइ े टी_ पुन प्र एस_-----=

गायक<u>र</u> अभिनियम, 1961 (1961 का 43) की था<u>रा</u> 269-भ (1) के अभीन स्थना

भारत त<u>र</u>कार

कार्यालय,, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रॅंज-3, कलकत्ता कलकसा, दिनांक 11 फरवरी, 1985

निदेश सं० 1701/अर्जन रेंज-3/84-85——अतः मुझे, शंकर बनर्जी,

आयकर अभिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पर्णात् 'उक्त अभिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अभीन सक्षम प्राधिकारी को यह विख्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

मोर जिसकी सं० 2 है, तथा जो नरेन्द्र चन्द्र दत्त सरणी, कलकत्ता में स्थित है (म्रोर इसमे उपाबद्ध अनुसूची में म्रौर जो पूर्ण रूप मे वर्णिन है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी वे कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज-3, कलकत्ता रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 2-6-1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित वाजार मूल्य से कम के दरयमान प्रतिफल के लिए जन्तरित की गई है और मुभे यह विदवास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मुल्य, उसके दरयमान प्रतिफल से, एसे दरयमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिश्वत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच एसे जंतरण के लिए तथ पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देख से उक्त अन्तरण सिचित में बास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है क्ष्ल

- (क) अन्तरण से हुइ किसी आय की बाबत, उक्त अभिनियम के जभीन करू दने के अन्तरक वो दायित्व में कमी करने वा उत्तसे वयने में सींव्या के सिए; बौर्/बा
- (क) एसी फिसी आय या किसी भन या अन्य आस्तियों को, जिन्हुं भारतीय आय-कर ऑभिनियम. 1922 (1922 का 11) या उक्त अभिनियम. या भन-कर ऑभिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती दुपारा प्रकट नहीं किया गया भा या किया जाना भाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

कतः अव, उक्त अभिनियम की धारा 269-ग को अनुसरण वो, मौं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग को उपधारा (1) को अधीन, निब्लग्रेसखित व्यक्तियों, अर्थांत ः--- मैंसर्स रामगोथाल, गानेरीवाला प्रा० लि०, एवं अन्य (ग्रन्तरक)

2. मैसर्स, गम्भीर चन्द बोरा, (एच० यू० एफ० (म्रन्तरिती)

को यह सुचना चारी करके पूर्वोक्त संपुति के अर्थत् के लिए कार्यवाहियां करता हुं।

उक्त सम्परित के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की सारखि से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों नर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा:
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख रुं 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरों के पास लिखित में किए जा सर्केंगे।
- स्पंखटीकरणुः—-इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्ता अधिनियम के अभ्याय 20-क में परिभाषित ह^{**}, वहीं अर्थ होगा जो उस अभ्याय में दिया गया **ह**ै।

ग्रनुसूची

सम्पभि,यूनिष्ट,नं० 10, क्षेत्र 454 व०फुज०ा पत्रा 2, नरेन्द्र **जै**न्द सारणी, कलकत्ता । रजिस्ट्री : सक्षम प्राधिककारी (स०आ० आ० (निरीक्षण), अर्जन रेंज-3, द्वारा 37ईई फार्म अनुसार दिनांक 26-1984

> शंकर बनर्जी सक्षम प्राधिकारी सहायक श्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण) श्रर्जन रेंज-1,कलकत्ता

तारीख: 11-2-1985 मोहर ॥ धकप नाई, टौ. एन. एस. -----

बायक दु अधिनियम, 1961 (1961 का 43) कौं भारा 269-म (1) के अभीन सुमना

भारत सरकार

जायौलय, सहायक आयकर आयकत (निरक्षिण)

म्रजन रेज-I, नई विल्ली

नई दिल्ली, दिनांस 11 फरवरी 1985

निर्देश सं० झाई० ए० सी०एक्यु० 1 एस० झार०--3, 6--84 322--- अत मुझे, सुधीर चन्द्रा,

शायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पद्दवात 'उक्त अधिनियम' कहा गया ह"), कौ भारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विदवास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाउार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० एघ- 11/26 है तथा जो लाजपत नगर, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबब अनुसूचो में और पूर्ण रूप से वणित है), रजिस्ट्रोकर्ता अधिकारी के नगर्यालय, दिल्लो में रजिस्ट्रोकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधोन, तारीख जुन, 1984

को पूर्वोक्स सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के इत्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुफे यह विक्वास बरन का कारण है कि यथापूर्वोक्स सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके वृत्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्छह प्रतिश से प्रधिक है बीर बन्तरक (सन्तरकों) बीर बन्तरिती (सन्तरितियों) के बीच देसे सन्तरफ के लिए तय पाया गया प्रतिफल , जिस्नसिचित उद्देश्य से उन्त प्रस्तरण लिखित में बास्तविस रूप से कवित नहीं किया गया है :---

> (क) बन्तरण ते हुइ किसी जाय की बाबत, ड क्ल जभिनियम के अधीन कर दोने और अन्तुरक जो दायित्व में कमी कटुने या उससे बचने में सुविधा के लिए; जौड़/या

> (श) एसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हु³ भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (19.22 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती ब्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया आना चाहिए था, छिपाने में सविधा के लिए; और/या

बतः वद, उक्त जभिनियम कौ भारा 269-ग को जनसरण में, में, उक्त अधिनियम की धारा 269-ज की उपधारा (1) के जधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् ----

- (1) श्रीमती विद्यावती साहनी पत्नी श्री क्षारा चन्द्र साहनी, निवासी एच- 11/26, लाजपत नगर, नई दिल्लो ।
- (2) श्रीमती विजय लक्ष्मी पत्नी श्री म्नार० के० गुप्ता, निवासी एम०बो० - 12, शकुरपुर, नई दिल्ली ।

(भ्रन्तरती)

(फ्रान्तरका)

को यह सुचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के [ितए कार्यवाहियां खुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के मर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेष :----

- (क) इस सुचना के राजंपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियाँ पर सुचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवभि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त क्यक्तियाँ में से किसी ब्यक्ति बुवारा;
- (ब) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की सारीक्ष से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पर्ति में हित-बब्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकोंगे।
- स्पुकटीकरुण ∷— इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिशाषित हैं, वहीं अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया क्या है।]

नन्त्ची

प्रापर्टी नं० एच०- 11/26, लाजपत नगर, नई दिल्ली, ताबादी 100 वर्ग गज ।

> सुधीर चन्द्रा सक्षम प्राधिकारी, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) म्रर्जन रेंज- I, नई दिल्ली

तारीख : 12-2-1985 मोहर1

प्ररूप बाहे. टी. एन. एस.-----

मायकर अभिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-म (1) को वभीन स्वना _____

भारत सरकार

कार्यालय, सहायके आयकर आयुक्त (निरीक्षण) म्राजैन रेंज- I, नई दिल्ल, नई दिल्ला: 31 जनवर: 1985

निदेश सं० ग्राई० ए० स.०/एक्यु०/ १ एस० ग्रार०-3/6-84/325- - ग्रत मुझे, सुधार चन्द्रा

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पक्ष्वात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारों को, यह शिक्तास कारने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसका सं० ई- 4/213 है तथा जो अपन कालोता लाजपत नगर, नई टिल्ला में स्थित है (स्रोर इससे उपाबक्क सनुसूची में स्रोर पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्राक्षतां स्रधिकारां, के कार्यालय नई ल्दिल, में रजिस्ट्र राण श्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के युधान, तारीख जून, 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के ध्रूयमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथा पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके टश्यमान प्रतिफल से एसे टश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच उसे, अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्दोय से उक्त अंतरण िालित मे वास्तविक रूप से अधित नहीं किया गया है :---

- (क) बासरक से हुइ किसी जाम को भावत नकर जीभ-नियम के अभीन कर दोने के जन्तरक के दावित्य में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिये; बी.ए./बा
- (श) एरेग्री किसी बाय या किसी धन बस्व आस्तियों को, चिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती र्वारा प्रकट नहीं किया यथा बाया किया जाना चाहिए था छिपाने में सुधिभा खेलिए;

अत. अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिचित स्यक्तियों, अर्थात :---22_486GI|84

1. श्री कृष्ण कुमार मधन, निवास, 2134,	
सेक्टर 28,	
फरीदाबाद ।	
	(भ्रगतरक)
2. श्रो होरा लाल गुप्सा,	
नियाम ें (~ 1553,	
गूरूढारा रोड,	
कोटला मूबारकपुर,	
नई दिल्ली	
	(भ्रन्सरितो)

को **गह मुखना जारों** करके प्वेक्ति सम्परित के अर्जन के लिए। कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्परित के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीस से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वीक्त व्यक्तियों में से किसी क्यक्ति दुवारा;
- (ख) इस स्वना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख ह 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्धा किसी जन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के प्रक लिखित में किए जा सकोंगे।
- स्पष्टीकरणः----इसमें प्रयूक्स ग्रन्दों और पदाँ का, खो उ**वतः** अधिनियम, के अभ्याय 20-क में परिभाषिस ह², वही अर्थ होगा जो उस अभ्याय में दिया गया ह⁸।

अनुसूची

प्रो० न० ई-4/218, ढाई पंजिली मकान अपर कालोनी, लाजपत नगर, नई दिल्ली, तादाद, 100 वर्गगंज ।

> मुध्रार चन्द्रा, सक्षम प्राधिकारो सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) श्रजन रोंज, 1 दिल्ला ।

मार7ेख 31-1--1985 मोहर: प्ररूप बाई__ टी_ एत_ एत .----=---

आसकर अधिनियज, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-म (1) के जभीन स्वना

भारत सहकार

कार्बालय, सहायक आयकर आयुक्स (निरक्षिण) श्राजैन रेंज । दिल्ली

नई दिल्ला, दिनांक 30 जनवर। 1985

मं० ग्राई० ए० सी०/एक्यू/1/एस-ग्रार० - 3/6-84/329 -ग्रत मुझे, सुधीर चन्द्रा,

शायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इत्तमें इसके पक्ष्वात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विक्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मुल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी संख्या एम-50, है तथा जो ग्रेटर कैलाश-1, नई दिल्ला, में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनूसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्राकक्ती अधिकार। के कार्यालय, दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्राकरण श्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के ग्रधोन, नारीख जून, 1984

को पूर्वोक्श संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के खरयमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अंतरित की गई है और मूझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके डघ्यमान प्रतिफल से एसे डघ्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिघत से अधिक है और अंत-रक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच एसे अंत-रण के लिए तथ पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्यदेय से उक्त अंतरण लिखित में वास्तयिक रूप से कथित नहीं किया गया है :--

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की वावल, उत्त अभिनियम के अभीन कर वाने को जन्तरक की दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या
- (७) एंसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती दवारा प्रकट नहीं किया गया धा या किया जाना चाहिए था, खिपाने में सुविधा की लिए;

जतः अब, उक्त अभिनियम की भारा 269-ग के अनुसरण बे, मैं उक्त अभिनियम की भारा 269-घ की उपभारा (1) के अभीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थातु:---- 1- श्रोमत। प्रकाश खन्ना और करूण खन्ना पतन, और सुपुत्र स्व० श्र। बक्सीश राय खन्ना, निवास, स.०- 143, ग्रेटर कैलाश-1, नई दिल्ला- 48। (ग्रन्तरक)

(2.0.

2. श्वा बी० एल० गैलेश, श्री एम० एल० रतनाकर, और मास्टर राजेण कुमार (माइनर) ढारा सही ग्रभिभावक और उसकी मा श्रीमतो ग्राणा गैलेण, निवासी ग्रार-192, ग्रेटर कैलाण-1, नई दिल्ला--48।

(म्रन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए. कार्यवाहियां शुरू करका हूं:

उक्त सम्परित के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :----

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवर्षि या तल्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवर्धि, जो भी अवर्षि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वीक्त क्यक्तियों में रो किसी क्यक्ति खुबारा;
- (क) इस सुचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीक्ष ते 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्धभ किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अभोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकोंगे।
- स्थख्दीकरणः----इसमे प्रयुक्त शब्दों और पदाँ का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित ह⁴, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया **ह**ै।

ग्रनुसूची

प्रॉः० नं० एम -50, ग्रैटर कैलाण—ा, नई दिल्ला, तादादी 510, वर्गगज।

> मुधःर चन्द्रा, सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) श्रजन रेज 1 दिल्ली

तारोख: 30-1—1985 मोहर:

8679

प्ररूप वाहे.<u>टी.,एन..एस.</u>--------

सायफर सभिगियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-म (1) के अभीन सुचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेज 1 दिल्लं।

नई दिल्लं।, दिनाक 31 जनवर्र।, 1985

सं० आर्ड० ए० स.०,एक्यु/1/एस आर 3/6--84/334 अत मुझे, सुर्धार चन्द्रा,

क्षायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिस इ.स.में इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269--क्ष के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण हैं कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकः संख्या एम० 78 है तथा जो ग्रेटर कैलाग 1, नई दिल्ल। में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनूसूचा में और पूर्ण रूप से वणित है), रजिस्ट्र,कत्तां ग्राधिकारा के कार्यालय दिल्ला, में भारताय रजिस्ट्र.वरण ग्राधिनियम, 1908 (1908 का 16), के प्रधान, ताराख जून, 1984

को पूर्वोक्त संपरित के उच्ति वाजार मून्य से कम के दश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुर्भे यह विद्यास करने का कारण है कि यथामूर्वोक्त सम्परित का उचित वाजार मूल्य, उसके दश्यमान प्रतिफल से एसे दश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से वधिक है आर अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे बन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उब्दोध्य से उक्त अन्तरण किचित में वास्तविक रूप से कीथत नहीं किया गया है :---

- (क) अन्तरण से टुर्ड किसी शाय की बाबत, उक्त अभिनियम के अभीग कर दोने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे वचने में सुविभा के जिए;। जौर/या
- (प) एरेसी किसी या किसी भन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय वायकर अभिनियम, 1922 (1922 को 11) या उपला अभिनियम, या भन-कर वृभिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती ब्यारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना माहिए था, छिपाने में सुविधा को लिए।

अतः अब, उक्त अभिनियम की भाष 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अभिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :---

```
    माडर्न एजेन्सं,ज कि०,
थापर हाउस,
124 जनपथ,
नई दिल्ली।
(अन्तरक)
    स्टर्रालग ओवरसीज इम्पक्स प्रा० लि०
70, मेडीज स्ट्रीट,
फोर्ट बम्बई-23।
(अन्तरिती)
```

को यह सुचना कारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के वर्षन के सिद कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के गर्जन के संबंध में कोई भी शाक्षेप 🤬 🗕

- (क) इस सुचना को राजपत्र में प्रकाशन की तारीख औ 45 दिन की अवीध या तत्संबंधी व्यक्तियाँ पर सुचना की तामीस से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में सभाप्त होती हो, के भीतर पूर्वीकत व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति दुवारा;
- (व) इस सुवना के शेषपत्र में प्रकाशन का तारीव वे 4.5 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी बन्य व्यक्ति दूवारा अधोहस्ताक्षरी के पात सिचित में किए जा सकने।
- स्पथडीकरणः---इसम[∓] प्रयुक्त शब्दों और पदौं का, जो उक्त अधिनियम, के अभ्याय 20-क में परिभाषित ह⁵, वही अर्थ होगा जो उस अभ्याय में दिया गया 8⁸।

<u>मन्स्</u>ची

2- 1/2 मंजिला निवासीय बिल्डिंग प्लाट नं० 78, ब्लान 'एम' ग्रेटर कैलाग- 1, नई दिल्ली, तादादी 500 वर्ग गज।

> सुर्धार चन्द्रा, सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) ध्रार्जन रेंज - 1 दिल्ली

तारीख 31-1-1985 मोहर : प्ररुष्ट गाई . टी . एन . एस .------

जायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 4.3) की भारा 269-थ (1) के अधीन सुचम्

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

ग्रर्जन रेज-I, नई दिल्लं

नई दिल्ली, धिनांक 11 फरवरीं 1985

निर्देश सं० ग्राई० ए० स₁०/एक्यु०/1/एस० भ्रार०⊶3 6−84,336∽-प्रतः म्झे, सुधं।र चन्द्रा

आयकर अभिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके परुचात् 'उक्त अभिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अभीन सक्षम प्राधिकारों को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु से अधिक है

और जिनको सं० ई-605 है तथा जा ग्रेटर कैलाश-2, नई दिल्लं, में स्थित है (और इससे उपाबद्ध प्रनूसूचों) मे और पूर्ण रूप से वणित है), रजिस्ट्र,कर्ता अधिकार, के कार्यालय, दिल्ल, मे रजिस्ट्र,करण श्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जुन, 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृष्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुभ्छे यह विष्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके इत्यमान प्रतिफल से एसे दृष्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिसित उद्वदेय से उक्त अन्तरण लिसित में वास्तविक रूप से कथित नहीं कया गया है:---

- (क) अन्तरण से हुंद्र किती आग की बाबत, उक्त अधिनियम के अभीन कर दने के अन्तरक क दायित्व में कमी करने या उससे बचाने में सुविधा दायित्व के लिए; आरै/या
- (ख) एरेसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्ह³ भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, का धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा को लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण मे, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित, व्यक्तियों, अर्थात् :--- (1) अग प्रदाप शंशर भट्ट और आग प्रशाश शंकर भट्ट, मुपुत्रगण श्री ग्रस्वा शंकर भट्ट हारा ग्रटानीं आ, सतीश सेट, निवासा जा- 1/16, दरियागंज, नई दिल्ला।

(म्रन्तरक)

(2) श्रो रणजतत श्रजवान, सुपुत श्रो एच० एल० श्रजवान, निवासा डो- 26, श्राराम हाउसिंग सोसाइटा, सांताऋज ईस्ट बम्बई।

(भ्रन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्स सम्पत्ति के अर्जन को लिए कार्यवाहियां घुरू करता हूं।

जक्त सम्पत्ति के नर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षंप '---

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त क्यक्तियों में से किसी व्यक्ति दुवारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकोंगे।
- स्पष्टीकरण ः—--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदो का, आगे उक्त अभिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया **है**।

मन्स्ची

तीसरी मंजिल प्रो० नं० ई- 605, ग्रेटर कैलाग- 2, नई विख्लो, तादादा 397 वर्ग गज ।

> मुत्री चन्द्रा मक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) म्रर्जन रेंज-I, नई दिल्ली

तार,खः : 11-2-1985 मोहुरु ध प्ररूप बाहं, टी. एन. एस.------

आयकर अभिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-म (1) के अभीन सुचना

भारत राउकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरक्षिण)

श्रर्जन रेंज- 2, नई दिल्ल।

नई दिल्ला, दिनाक: 11 फरवर्र, 1985

निर्देश सं० ग्राई० ए० र्मत्तापक्ष्यु०/1/एस० श्रार०- 3/ 6-84/337--श्रत-मुझे, सुधार चन्द्रा

आवकर अधिनियम, 1961 (1961 का 4.२) (जिस इसमें इसके पदचात्' 'उक्त अधिनियम' विहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विद्वास करने का कारण है कि स्थादर सम्पत्ति, जिसक। उचित बाजार मुन्म 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसको गं० ई- 605 है तथा जा येटर कैलाश- 2, नई दिल्ल, मे स्थित है (और इससे उपॉबड अन्सूची मे और पूर्ण रूप मे वर्णित है), रजिस्ट्रेकर्ता अधिवारी के वार्यालय, दिल्ली मे रजिस्ट्रीकरण अधिनिरम 1505 (1908 का 16) के झ्थन ताराख जून, 1984

को पूर्वीकत सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के क्रयमान प्रतिफल को लिए अतरित की गई है और मुभे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाआर मूल्य, उत्तक रज्यमान प्रतिफल स्न, एन दृष्ट्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अतरिती (अन्तीरतियां) के बीच एस अंतरण के लिए तय पाया गया प्रति-फल निम्नलिखित उद्देष्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :---

- (क) जन्तरण से हुई फिसी बाय की बाबत उन्दत झधि-नियम के अधीन कर दोने के जन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के नियो; होर/या
- (श) एरेसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, खिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 को 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) औं प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया भा या किना जाना चाहिए था, छिपाने में स्विधा औ लिए;

्वतः वग, उपस जीधनियम, कौ थारा 269-न **वं वन्तराज**

मॅ, मॅ, उक्त अधिनियम की धारा 269-घंकी उपधारा (1) के अधीन,, निम्नलिसित व्यक्सियों, अर्थात् ध--- (1) श्रो ाद।प णंकर भट्ट, श्रा स्राणिश शकर भट्ट, सुपुत्रगण श्रा अम्बा शंकर भट्र, दारा झटानी श्री सत।श सेः, निवासा जा- 1/16, दरियागंज, दिल्ला ।

(ग्रन्तरक)

(2) श्री रणजीत दास सुपुत्र श्रा ग्रम्वनी दास और श्रामता लक्ष्मो दास पत्ना श्रो रणजात दास, निवास, 992, डा० डा० ए० फ्लैट्म, बालकाजा, नई दिल्ला।

(ग्रन्तरिती)

को यह सुचनाजारी करके पूर्वोक्त सम्परित के वर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हुू।

उक्त संपरित कं अर्जन के सम्बन्ध र काई भी आक्षप .---

- (क) इस स्थना के राजपत्र दें प्रकाशन की ताराख से 45 दिन की अवधि या ररसबंधी व्यक्तियाँ पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, घो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वीक्त व्यक्तियाँ में से किसी व्यक्ति ड्यारा;
- (ब) इस सूचना को राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन को भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए आ करेंगे।
- स्पष्टीकरण :----इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क मे गरिभाषित हैं, वहीं अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया **है।**

अनुसुची

ग्राउन्ड फ्लोर, प्रो० नं० ई-605, ग्रेटर कैलाश-2, नई दिल्ली तादादो 397 वर्ग फीट।

> गुध,र चन्द्रा मक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अजन रेंज-1,नई दिल्ला

सार*ी* = 11−2~1985 मोहर ⇔

भाग III--- खण्ड 1

लायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) कौ धारा 269-भ (1) के अधीन स्वना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्स (निरीक्षण)

म्नर्जन रेज-1, नई दिल्ल।

नई दिल्ला, दिनाक 4 फरवर। 1985

निर्देण म० ग्राई० ए० सा०/एक्यु०/1/एस० ग्रार० 3/ 6-84/353--ग्रत मुझे, सुधीर चन्द्रा,

बायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पक्ष्यात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विख्यास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उजित बाजार मूल्य 25,000/- रु से अधिक है

और जिसक, स० वृषि भूमि है तथा जो प्राप्त विजवालन नई दिल्ल, मं रजिस्ट्रीवर्ता अधिकारी के बायलिय, दिल्ल, मे रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 वर्ष 16) के क्रध,न, तारीख जून, 1984

को पूर्वोक्त सम्परित के उचित बाजार मूल्य से कम के डप्यमान प्रतिफल के लिए अतरित की गई है और मुफे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्परित का उपित बाजार मूल्य, उसके टब्यमान प्रतिफल से, एसे डप्यमान प्रतिफल के पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अतरक (अंतरकों) और अंत-रिती (अंतरितियो) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देय से उक्त अतरण लिखित मे वास्तविक रूप से कथित नही किया गया है:---

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की वावर, उजत अभिनियम के अभीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बंघने में सुविधा के बिए; औट/वा
- (व) एरेसी किसी काय या किसी धन या जन्य आस्तियों को, जिन्हु भारतीय भाय-कर अभिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अभिनयम, या धन-कर अधिनिायम, 1957 (1957 का 27) को प्रयोजनार्भ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गय। भा या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा सुविधा के निए,

बतः बदा, सबत वीधनियम की धारा 269-ग के जनुसरण मे, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग की उपधारा (1) के बधीन, निम्नीलखित व्यक्तियों, अर्थात् :---

- (1) श्रोमतः साविद्वा देवा कोहली परनी श्रो के० संगुल कोहली, निवासा सी- 226, ग्रेटर कैलाग- 1, नई दिल्ला- 48 ।
 (ग्रन्तरक)
- (2) में० डियर उड प्रा० लि०, 8/3, ग्रासफ ग्रलो रोड, नईदिल्ला।

(भ्रन्तरिती)

को यह सुचना जारी करको पूर्वोक्त सम्परित को अर्जन को लिए कार्यवाहियां धुरु करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के मर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :---

- (क) इस सुचना को राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में सभाप्त होती हो, को भीतर पूर्वीक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सपरित में हितबद्ध किसी अन्य ब्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकन्ते।
- स्थक्डीकरणः——इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो उक्स अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

नभुसुवी

कृषि भूमि ताबादा 16 बोघे और 4 बिग्न्वे, ग्राम बिजवासन, तहसील महरौली, नई दिल्ली।

> लूमि मुधोर अन्झा सक्षम प्राधिकारी ⊾सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) ब्रार्जन रेज---1, नई दिल्ल।

तारीख: 4-2-1985 मोहरः प्ररूप बाइ'.टी.एन.एस. ----------

वायकर अभिनियम, 1961 (1961 का 43) कौ भारा 269-म (1) के अधीन सुचना

भारत चडुकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरौक्षण)

ग्रर्जन रेंज⊷1, नई दिर्लि

नई दिल्ली, दिनांक 4 फरवरी 1985

निर्देश सं० ग्राई० ए० सा०/एक्यु०/1/एस० ग्रार०-3/ 6-8 4/354---ग्रतः मुझे, सुधोर चन्द्रा

नायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह निश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका जीवत बाजार मुल्य 25,000/- रु से अधिक है

और जिसकी संव वृष्टि भूमि है तथा जो ग्राम बिजवासन, महरौलि नई दिल्लों में स्थित है (और इससे उपाबढ़ प्रनुसूच। में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रोक्त प्रिधिवारी के वपर्यालय, दिल्लों में रजिस्ट्राकरण ग्राधिनियम, 1908 (1908 का 16) के ग्रावान, नारोख जन, 1984

को पूर्वोक्त संपरित के उचित नाजार मूल्य से कम के खरयमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुरु यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपरित का उचित बाजार मूल्य. उसके दरयमान प्रतिफल से ऐसे दरयमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और जन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए क्षय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में बाम्तविक रूप से कथित नहीं किया थया है :---

- (क) अस्तरण से हुइ किसी नाय की नायत, उच्चत अधिनियम के अधीन कर दोने को अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; बौर/या
- (च) एसी किसी जाय या किसी भन या अन्य आस्तियों को जिन्ह भारतीय जायकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ जन्तरिती ख्वारा प्रकट तहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था ाछपाने में सुविधा के लिए।

अतः अस, उक्त अधिनियम की धारा 269-भ के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्ननिसित व्यक्तियों, वर्षात् क्ष----

- (1) श्रीमती सावित, देवी कोहली पश्नी श्रा केंग्र साथ कोहली, निवासा सो- 226, ग्रेटर कैंनाण--1, नई दिल्लो।
 (सन्तरक)
- (2) मै० साउथ फोर्क रन्थ प्रा० लि०, 8/3, ग्रासफ अपली रोड, नई दिल्ले

(ग्रन्तरिती)

को यह सुचना बारी करके पूर्वीक्त संपरित के अर्जन के लिए कार्यवाहियां धुरू करता हुं।

उनत सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोर्ब भी आक्षेप :---

- (क) इस सुचना को राजपत्र में प्रकाशन की तारीच जै 45 दिन की अवधििया तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सुचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी न्यक्ति बुबारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीब हैं 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्परित में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पाछ लिसित में किए जा सकोंगे।
- स्पष्टीकरणः—— इसमें प्रयुक्त शब्दों और पर्वो क्या, जो उक्स अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वहूी अर्थ होगा जो उस अभ्याय में विया गया है।

प्रनुसूची

कृषि भूमि तादाद, 22 बीघे 19 विषवे, खलरा नंक 188/4, जिसमें बी6 घे और 15 बिषवे में बना हुआ दो छोटे मकान, एक समर हाउस, ट्युव बेल वाटर टैंक, अच्छा घर, एक कमरा और एक नौकर णाघर, ग्राम बिजवासन तहसाल महरौली, नई दिल्ल, ।

> स्रधीर खन्द्रा सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) श्रर्जन रेंज~1, नई दिल्ली

नार्ग∂ख 4~2<mark>~1985</mark> मोहर : प्ररूप आर्इ.टी.एन<u>.</u>एस<u>.</u>--------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीम सुचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 11 फ़रवरी 1985

निदेश सं० आई० ए० सी०/एक्य०/1/एस० आर०-2/3 6-84/355--अतः सुझे, मुधीर चन्द्रा,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पद्द्वात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्ध्यावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु. से अधिक है

त्रौर जिसकी सं∘ 1-ई /108-109 है तथा जो लाजपत नगर, नई दिल्ली में स्थित है श्रौर इममे उपाबढ अनुसूची में श्रौर पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, दिल्झी में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन,तारीख जून, 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित वाजार मूल्य से कम के इत्यमान करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके इत्यमान प्रतिफल में, एसे इत्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिफल से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देष्य से उक्त अन्तरण लिसित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :---

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर दोने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सूविधा के लिए; और/गा
- (ख) एंसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियां को, जिन्ह, भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती दवारा प्रकट नहीं किया गय(था या किया जाता चाहिए था, छिपाने में सुविधा को लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधार (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थाल् :--- (1) श्री भगवान ममतानी, श्री प्रखु ममतानी, दीपों ममतानी, श्रीर नीलम केणवानी, निवासी एफ़-136, सरोजनी नगर, नई दिल्ली।

(अन्तरक)

(2) श्रीमती शोभा शेरा ग्रौर श्रीमती सुमन शेरा, निवासी 1−ई,108,109, लाजपत नगर, नई दिल्ली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :----

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीस से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियां पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियां में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मे हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकोंगे।
- स्पध्टीकरणः—--इसमें प्रयुक्त शब्वों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित ह⁴, वहीं अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

नन्स्वर्

प्रोपर्टी नं० 1ई/108–109, लाअपत नगर, नई दिल्ली तादादी 200 वर्ग गज ।

> सुधीर चन्द्रा सक्षम प्राधिकारी सहायक ग्रायकर ग्रायुक्त (निरोक्षण) [अर्जन रेंजन्न1, दिल्ली, नई दिल्ली-110002

तारीखः 11−2−1985 मोहर ; प्ररूप आर्डः टी. एन. इ.स. - - - ----

मायकर अधिनियम, 1961 (1951 का 43) की धारा 269-म (1) के अभीन सुचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर जायुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज~1, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 30 जनवरी 1985

निदेश सं० ग्राई० ए० सी०/एक्यू०/1/एम०-आर-3/6-84 380---अतः मुझे, सुधीर चन्द्रा,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पक्ष्वात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विद्यवास करने का कारण है कि स्थावर सम्परित, जिसका उजित बाजार मुख्य 25.,000/- रु. से अधिक है

श्रीर जिसकी सं० डब्ल्यू 60 है तथा जो ग्रेटर कैलाश-2, नई दिल्ली में स्थित है) श्रीर इससे उपाबद्ध अनुसूची में श्रीर पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, नई दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का16) के अभीन नारीण जन 1084

के अधीन, तारीख जून, 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मृत्य से कम के इश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकर्ता के कार्यालय श्रीरामपुरम में धारा 269 ए.बी. के अंतर्गत सक्षम अधिकारी के पास रजिस्ट्रीकृत किया गया ही मुझे यह विश्वास

करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्थ, उसके ख्यमान प्रतिफल सं, एमें द्ययमान प्रतिफल के पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अंतरकॉ) और अंतरिती (अन्तरितियो) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्ददेश्य से उक्त अन्तरण लिखित में बास्त्रीमक रूप से कथित नहीं किया गया है :----

- (क) अन्तरण हे हुई किसी आय की दावत, उक्त अधिनियम के अधीन कर दोने के अन्तरफ के दाबित्व में कमी करने या उससे अचने में श्विभा के लिए; और/या
- (स) एसे किसी जाय या किसी धन या जन्म प्रास्तियों को जिन्हें भारतीय आयंकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा नकट नही किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत अब उवन अभिनियभ की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्षत अधिनियम की धारा 269-ग की उपधारा (1) अधीन, निम्नलिसित व्यक्तियों, अर्थात :---23---48661]84 (1) माता जय कौर चेरिटेबल ट्रस्ट (रजि०), ढारा ट्रस्टी एस० दर्शन सिंह सुपुत भाई साहब दिता मल, निवासी 6, 21, रूप नगर, दिल्ली।
 (अन्तरक)

- (2) श्री नरिन्द्र सिंह सेठी सुपुत स्वर्गीय बीन्ट सिंह सेठी,
 - श्रीमती मंजित कौर मेठी पत्नी श्री एन० एस० सेठी, पोस्ट बोक्स नं० 4692, द्वारा अटानीं श्री परमजीत सिंह सुपुत्न श्री एस० जीवन सिंह, 10, राज निवास मार्ग, नई दिल्सी।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पृत्रोंक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए। कार्यवाहियां करता हुं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोइर भी आक्षेप :----

- (क) इस सुचना के राजपत्र में प्रकशन की तारीच से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी बवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति दुवाराः
- (ब) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीब से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवब्ध किसी अन्य व्यक्ति ब्वारा अंधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकर्गे
- स्पष्टीकरण :---इसमें प्रयुक्त ज़ब्दों और पदों का, ज' उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हू⁴, बही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

শন্দ্থীঁ

प्रापर्टी ने० डब्ल्यू-60, ग्रेटर कैलाश-1, नई दिल्ली , तादादी 500 वर्ग गज।

> मुधीर चन्द्रा मक्षम प्राधिकारी, महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज–1, दिल्ली, नई दिल्ली

तारीख : 30-1-1985 मोहर : प्रकृष बाइ.टी.एम.एस.---------

बाबकर अभिनियम, 1961 (1961 का 43) कौ

भारा 269-म (1) के मभीन स्वना

BING BURG

कार्यालय, सह्ययक आयकर आयुक्त (निरोक्षण)

अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 11 फ़रवरी 1985

निदेश सं० आई० ए० सी० /एख्यू० /1/एस० आर०-3/ 6-84/390---अतः मुझे, सुधीर चन्द्रा,

धायकर अभिनियम, 1961 (1961 का 43) जिसे इसमें इसके पक्ष्वात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), कौ भारा 269-च के सभीन सक्षम प्राधिकारी को यह विख्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, चिसका उचित् वाकार मुल्य 25,000/-रु. से अभिक है

श्रौय जिसकी सं० जी-2/57 है तथा जो लाजपत नगर, नई दिल्ली में स्थित है) श्रौर इससे उपाबज अनुसूची में श्रौर पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, दिल्ली मे रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख जुन, 1984

को पूर्वां क्त सम्परित के उचित वाबार मूल्य से कम के क्यथमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मूभ्ने यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित थाजार मूल्य उसके दश्यमान प्रतिफल से, एसे दश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिगत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्त-रिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गण प्रतिफल निम्नलिचित उददोय से उच्त अन्तरण लिचित मे बास्तविक रूप में कथित नहीं किया गया है :---

- (क) बन्तरण वं दूरं किसी थाव कॉ वावत उपक अधिनियम को अधीन कर दोने को अन्तरक के दायित्य में कमी करने या उसले बचने में सुविधा के निए; और/या
- (बा) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उचल अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकाट नहीं किय गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में यविधा को लिए;

अत. अभ उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269ग की उपधाग (1) के बधीन निम्नतिज्ञित क्यक्तियों, अर्थात '---

- (1) श्रीमती लाजवन्ती पत्नी म्ब० श्री प्रेमचन्द, निवासी मकान न० ई_/139, साकेत, नई दिल्ली।
 (2) श्री सतीन्द्र कमार गप्ता सपुत्र
- (अन्तरक)
- (2) श्री सतीन्द्र कुमार गुप्ता सुपुन्न स्वर्गीय श्री तोता राम, निवासी मकान नं० 8/47, पंजाबी बाग, नई दिल्ली।

(अन्तरिती)

को यह सुचना चारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति को अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्परित को अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :---

- (क) इस सुचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तरसम्बन्धी व्यक्तियों पर सुचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति दवारा,
- (स्र) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीस से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति ब्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिसित में किए जा सकनो।
- स्पष्टीकरणः——इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हू, वही जर्भ स्रोगा, जो उस अध्यय में दिवा स्वा है।

मन्सुची

प्रा० नं० जी--2/57, लाजपत नगर, नई दिल्ली, तादादी 100 वर्ग गज।

> सुधीर चन्द्रा सक्षम प्राधिकारी, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज–1, दिल्ली. नई दिल्ली-110002

तारीख : 11–2–1985 मोहेर [माग II]--खण्ड 1

भागे । ([----खण्ड 1]

प्रका गाइ. टॉ., एग., इड्.,------

आयकर अभिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-व (1) के अभीन स्वना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरक्षिण)

अर्जन रेंज-1, नई विल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 11 फ़रबरी 1985

निदेश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०, 1/एस० आर०-3/ 6-84/433-अतः मुझे, सुधीर चन्द्रा,

गायकर अभिनियम, 1961 (1961 क्या 43) (जिसे इसमें इसके परचात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया हैं), की भारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह बिर्हवास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मुल्य 25,000/- रा म आविक ही

ग्रौर जिसकी सं० ईर—101 है तथां जो ग्रेटर कैलाश—1, नई दिल्ली में स्थित है) श्रौर इससे उपाबद्ध अनुमुची मे श्रौर पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जून, 1984 है

को पूर्वोकत सम्परित के उचित बाजार मुल्य से कम के धरयमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई हैं और मुझे यह विक्वास करने का कारण है कि यथापूनावत सम्पत्ति का उचित बाजार मृल्य, उसके दश्यमान प्रतिफल से, एसे दृश्यमान प्रतिफल का गन्द्रह प्रसिशत अधिक है और अन्तरक (अंतरकों) और अंतरिसी (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिणित उखुद देय से उक्त अन्तरण निश्चित मे नास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है.---

- (क) सन्तरण से हुर्द किसी साब की बाबत, उफ्त अभिनियम के अधीन कर दोने के अन्तरक को खबित्य में कमी करने या उत्तते वचने में तुविधा के मिए। कौर/या
- (च) एरेसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियां का, जिन्हें भारतीय आयकर ऑधनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त माधनियम था धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में स्विधा के जिए,

बतः अब, उक्त अधिनियन की भारा 269-ग के अनुसरण , मैं उक्त अभिनियम को भारा 269-घ को उपभारा (1) हे अधीन, तियनसिणित व्यक्तियाँ, जर्थाह 🚛

- _____ (1) कुमारी मिनी जैन, निवासी के-41, हौज खास इन्कलेव, नई दिल्ली ।
- (2) मै० पाल एण्ड पाल बिल्डर्स लि०, 12, रीगल बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली ।

(अन्तरिती)

(अन्तरक)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के भर्जन के लिग कार्यवाहियां करता हु ा

उक्त सम्पति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप ---

- (क) इस स्चना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीस 45 दिन की अवभि या तरसम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अन्वधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हा, को भीतर ण्यायन व्यक्तियों में में किसी व्यक्ति बुवारा,
- (स) इस सुचना के राजणत्र म जन्माशन को तारांख स 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिल बब्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहल्ताक्षणी क पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पक्टीकरण ---इसमें प्रयुक्त शब्दा और पदों का, जो उक्त वीधनियमं के अध्याय 20-क में परिभाषित ही, बही अर्थ होगा, जो जम अध्यार भें विया गया 🖬 🕚

अन्स्ची

प्रो० नं० ई-101, ग्रेटर कैलाश-1, नई दिल्ली तादादी 352.5 वर्गगज ।

> सुधीर चन्द्रा सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज-1, दिल्ली, नई दिल्ली-110002

तारीख: 11-2-1985 मोहर :

प्ररूप आर्ड.टी.एन.एस. ------

भाषक<u>र</u> अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-म (1) के मभीन स्वना

भारत तरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

ध्रजन रेज-1, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनाक 6 फरवरी 1985

निदेश सं० ग्राई० ए० सी०/एक्यू०/2/37 ईई०/6-84/ 387 ग्रन: मूर्भ, ग्रार० पी० राजेग

मायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की भारा 269-ख के अभीन सक्षम प्राभिकारी को यह विश्वास करने का भारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु से अभिक है

और जिसकं। मं० बी बो- 3 है तथा जो दिलखू ग इण्डस्ट्र।यल इस्टेट, नई दिल्ला में स्थिन है (और इससे उपाबढ़ घ्रनुसूची मे और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्र।क्तां ग्राधिकार्रा के कार्यालय, ध्रर्जन रेज- 2, नई दिल्ला भारतीय आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन ताराख जुन, 1984

को पूर्वांक्त सपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के धश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई और मुफे यह विश्वास करने

का कारण है कि यथाए जोति नदति का उल्लि जाजार मृत्य, उसके इत्यमान प्रतिफल से, एसे इत्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिवात से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) को बीच एसे अन्तरण के लिए तय पावा गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में बास्तबिक रूप से कथित नहीं किया गया है:----

- (क) सन्तरण से हुइ किसी जाव की बॉबतु, उच्छ जीधनियम के अभीन कर देने के जन्तरक के सयित्व कों कभी करने या उससे बचने में सुविधा के सिए; जीर/या
- (व) एसे किसी बाय या किनी भन वा अन्य बास्तियों को, जिन्हों भारतीय आय-कर अभिनियम, 1922 (१922 का 11) या उक्त अभिनियम, या धन-फुर अभिनियम, 1957 (1957 का 27) के अथोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया भा या किया जाना बाहिए था, छिपाने में सुविधा करे जिए।

अत अब, उक्त अधिनियम की भारा 269-ग के अनुसरण मो, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थातु ---- (1) श्री जोगिन्द्र कुमार गाधी, निवासी ए- 77, गुजरन लाला टाउन, दिल्ली।

(अन्तरक)

(2) श्रामता विरन्त सान, श्रोमता दविता सोन, निवासी 37, हनुमान रोड, नई दिल्ली।

(भ्रन्तरितं,)

को यह सुचमा जारी करके पूर्वोक्स सम्पत्ति के जर्जन के लिए कार्यवाहियां गुरू करता हूं।

उक्त सम्परित के अर्जन के सम्बन्ध में कोइ। भी आक्षेप :----

- (क) इस सुभना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि था तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जों भी बन्धि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पर्योक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति इनारा;
- (व) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीस से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबढ्ध किसी सून्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकोंगे।
- स्पष्टीकरण इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

मन्स्ची

प्रो० न० बो बी- 3, दिलखूश इण्डस्ट्रीयल इस्टेट, नई रिली, तादादी 872 वर्ग फोट ।

> भ्रार० पी० राजेश सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) श्रर्जन रेज- 6, नई दिल्ली

ताराख: 6-2 1985 मोहर अ प्ररूप माई..टी.एन.एस. ------

नायकर नधिनियम, 1961 (1961 का 43) की भाग 269-म (1) के नभीन सुमना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज-1, नई दिल्ल,

नई दिल्ला, दिनाक 6 फरवरी 1985

निदेश मं० ग्राई० ए. म.०/एक्यु०/2/37ईई2/6-84/ 388--ग्रत: मुझे, आर.०ए.० राजेश.

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पक्ष्यात् 'ज़क्त अधिनियम' कहा गया है), की भारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विक्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसक। सं० 1-12 है तथा जा ए/31-34, डा० मुखर्जी नगर, दिल्ल। में स्थित है (आर एशसे उपाबढ अनूसूच, में और पूर्ण रूप से वणित है), रजिस्ट्रावर्ता अधिवर्गर, के वर्ग्यालय, अर्जन रेंज-2, भारतीय आयवरर अधिनियम, 1961 के अधीन, तारीख जून, 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उविल वाजार मूल्य से कम के दरयमान प्रतिफाल को लिए अन्तरिती की गई और मूम्से यह विश्वास करनं का कारण हो कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दश्यमान प्रतिफल से, एसे दश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक हो और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) को बीच एसे अन्तरण को लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण निचित में बास्तविक रूप से लथित नहीं किया गया ही:---

- (व) अन्तरण से हुई किसी आव की वावत, उक्त अभिनियम के अभीत कर देने के जन्तरक को दायित्व में कमी करने मा उससे वचने में तुविधा के लिए; और / या
- (ब) एरेसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियाँ को, जिन्हें भारतीय आज-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) के उत्त अभिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 1957 का 27) के प्रयोज-नार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

जतः अस, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण मं, में उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) को अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् ध---

- (1) दिल्ला कमर्शियल बिल्डर्स प्रा० लि०,
 ग्रादिनाथ अ, हाउस,
 कनाट सर्कस,
 नई दिल्ला ।
 (ग्रन्तरक)
- (2) श्वा ग्रनिल कुमार एण्ड सन्स (एच० यु० एफ०), कर्ता ग्रनिल कुमार, 50-ए, बनारसी दास इंस्टेट, तिमारपुर, दिल्ली।

(ग्रन्तरितः)

(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह स्म्पत्ति में हितबद्र्ध हैं)

को यह सूचना जारी करके पूर्वीक्त सम्पत्ति क अर्जन के लिग्र कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्परित के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीस से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वाकर व्यक्तियों मां से किसी व्यक्ति जवारा,
- (स) इस सुचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारोस से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिसबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरों के पास लिसित में किए जा सकोंगे।
- स्पर्ख्योकरणः ः—इसमॅं प्रयुक्त शब्यों आरे पदा का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, खो उस अध्याय में दिया गया है।

मन्स्पौ

प्रो॰ नं॰ 1~12, तादार्दा 492 वर्ग फीट, ए/31~34, डा॰ मुखर्जी नगर, दिल्ली ।

> ग्रार० पं≀० राजेश सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर ग्रायुक्त (निरीक्षण) ग्रर्जन रेंज–2, नई दिल्ली

तारीख : 6--2--1985 मोहर : भारत का राजपत्र, मार्च 9, 1985 (फाल्गुन 18, 1906)

म्बन् मार्च् टी. सन् . एव. ------

णायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ण (1) के अधीन सूचना

HISE ESENS

कार्यालय, सहायक आयकर नायुक्त (निरीक्षण)

म्रर्जन रेज-2, नई दिल्लं।

नई पिल्ला, दिनाँक 6 फरवरा 1985 🖕

निदेश सं० म्राई० ए० सं/०/एक्यु०/2/37ईई०/6-84/ 389--भ्रतः मुझे, म्रार०पः० राजेश,

मायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पक्वात् 'उक्त मधिनियम' कहा गया है), की धारा 269- के मधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विक्वास करने का आपण है कि स्थानर मंपरित, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसक, सं० 101 है तथा जो ए/31-34, डा० मुखर्जी नगर, दिल्ल में स्थित है (और इससे उपाबढ अनुसूच, में और पूर्ण रूप से वणित है), रजिस्ट्र,कोर्ना, अधिकार, के बार्यालय, अर्जन रेंज→2, नई दिल्ल, भारतीय ग्रायकर प्रधिनियम, 1961 के प्रध}न तार/ख जून, 1984

को पूर्वोक्त सम्परित के उचित बाजार मूल्य से कम के इश्यमान श्रीतफल को लिए अन्तरित की गई है और मुभे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार बूल्य, उसके इश्यमान प्रतिफल से, एमे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) को बीच एमे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :---

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उटत बधिनियम के बधीन कर देने के अन्तरक के वायित्य में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के जिए; और/या
- (ख) एेसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्ह⁵ भारतीय आय-कर अभिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अभिनियम, या भन-कर अभिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, खिपाने में स्**विभा के सिए**;

अत: अब, उठ स अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण ब्रॅं,, मॅं, उक्त अधिनियम की धारा 269-म की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :----

- (1) श्रीमत। रूक्ष्मण। गुप्ता, श्र⊺मती कुमारं। भाटिया, चन्दर कांता मलहोत्रा, निवासे डब्ल्यु∽ए/170, शकरपुर, दिल्ली।
- (2) मै० दिल्लो कर्माणयल बिल्डर्स, ग्रादिनाथ श्री हाउस, कनाट सर्कस, नई दिल्ला

(**श्रन्त**रितî)

(भ्रन्तरक)

क्तां यह सुचना धारी करके पृत्राँक्त सम्परित के अर्थन के सिध् कार्थवाहियां शुरू करता हुं।

बक्त सम्परित के वर्षन के सम्बन्ध में कोई भी वाक्षेप :----

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की सारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील मे 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि आद मे समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों मे से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ब) इस सुचनाके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितवद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरी व. प्रस लिखित में किए जा सर्कोंगे।
- स्पष्टीकरणः ---- इसमै प्रयुक्त ख़ब्यों और पर्यों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में यथा परि-भाषित हैं, बही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

वन्स्यौं

फ्लैट न० 106, तादादों 460 वर्ग फोट, ए/31--34, डा० मुखर्जी नगर, दिल्लों ।

> आर० पं.० राजेश, सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज⊶2, नई दिल्ली

तारीख : 6~2-1985 मोहर :

8690

भाग 111---खण्ड 1)

भारूपंजाई टी.एन.एस. ---------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) को भारा 269-च (1) के अभीन सुचना

भारत सरकार

कार्यासय, सह्ययक जायकर जायुक्स (निरीक्षण)

श्चर्जन रेंज→6, नई दिल्ल।

नई दिल्ली, दिनांक 6 फरवरी 1985

निदेश सं० ग्राई० ए० सं৻०/ण्क्यु०/2/37ईई०/6-84/ 390---ग्रत: मुझे, सुर्ध.र जन्द्रा,

त्रायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पद्यात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की भारा 269-स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विद्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-र5. से अधिक है

और जिसक। सं० 1-12, 1-14 है मथा जो डा० मुखर्जी नगर, दिल्ल। में स्थित है) और इससे उपाबढ ग्रनूसूच, मे और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्र क्ती ग्राधिगर्ग के वार्यालय, ग्रर्जन रेंज→2, भारतीय आयकर दिल्लों में रजिस्ट्र.कारण ग्राधि-नियम, 1961 के ग्राधान, ताराख जून, 1984

को पूर्वीक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के एरयमान प्रतिफल् के लिए अन्तरित की गई है और मूओ यह विषयास करने का कारण है कि यथापर्योक्त संपत्ति का उचित बाजार मृत्य, उसके इश्यमान प्रतिफल से, एसे इश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच एंसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण निखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:----

- (क) जन्तरण से हुई किसी जाय की बाबत, उक्त अभिनियम के अभीन कर देने के अन्तरफ को दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के बिए; जौर/या
- ब) ऐसी किसी जाय या किसी भन या अन्य आस्तियों को, जिन्हु⁵ भारतीय जायकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया भा या किया जाना भाहिए था, छिपाने में सुविभा को लिए,

अतः अस, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग की उपभारा (1) के अधीन निष्णमन्त्रसित व्यक्तियों, अर्थातः--- (1) दिल्ल। क्ष्मशियल बिल्हर्भ, ग्रादिनाथ श्र, हाउस, ग्रिपाजिट सुपर बाजार, कताट लिम, नई बिल्ला। (1) श्रा कुन्दन लाल भस,न, (1) श्रा कुन्दन लाल भस,न, पियासा सा \rightarrow 5/108, लारेंग रोड, नई बिल्लो। / (अन्तरितो)

को यह सुचन। जारी करके पूर्वीक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेपेः —-

- (क) इस सुचना के राजपत्र में प्रकाशन को तारीस ते 45 दिन को अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियां पर सुचना की तामील से 30 दिन को अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वीक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति दवारा;
- (व) इस सुचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारोब से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य क्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरों के पास तिचित में किए जा सकांगे।
- स्थक्षदीकरणः -----इसमें प्रमुक्त शब्दों क्युरेपदों का, जा उक्त जभिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषिड हैं, वहीं अर्थ होगा जो उस अभ्याय में दिया गया है।

मन्स्ची

प्रो० नं० 1~12, 1−14, डा० मूखर्जी नगर, दिल्ली, तादादा 384 वर्गफाट।

> श्रार० प।० राजेण सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) श्रर्जन उंज⊶2, नई दिल्ल।

त्रार∤ख : 6⊶2~1985 मोहर : प्ररूप बार्ड.टी.एल.एस.-----

आयकर जीधनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-भ (1) के अधीन सुखमा

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) श्रर्जन रेंज–1, नई दिल्ली

नई धिल्ली दिनांक 6 फरवरी 1985

निदेश सं० ग्राई० ए० सी०/एक्यू०/1/

37 ईई०/6-84/391--मतः मुझे, मार०पी० राजेश

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसं इसमें इसके पक्ष्वात 'उक्त अधिनियम' केहा गया हु), को धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विक्वास करने का कारण है कि स्थायर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000⁷-रु. से अधिक है

म्रोर जिसकी सं० 401 म्रोर 402 है तथा जो ए/31-34 डा० मुखर्जी नगर दिल्ली में स्थित है (म्रोर इससे उपाबेढ मनुसूची में म्रोर पूर्ण पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता मधिकारी के कार्यालय म्रर्जन रेंज-1, म्रायकर म्रधिनियम 1961 के म्राधीन तारीख जून 1984

कां पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य में कम के दरयमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मूफे यह बिश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपरित का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अंतरितीं (अंतरितियों) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में धास्तक्षिक रूप से कथित नहीं किया गया है :---

- (क) वंतरुण से हुई किसी वाय की वावल, उक्स अधिनियम के अधीन कर दोने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे वचने में सुविधा के लिए: और/या
- (व) एसी किसी वाय या किसी भुन या बन्य वास्तियों को, जिन्ह¹ भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 को 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कार अधिनियम, 1957 (1957 को 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किप्य जाना रुगहिए था, छिपाने म स्**तिथा के शिष्ट;**

कतः अब उक्त अधिनियम को भारा 269-ग के अनुसरण जो, मौ, उक्त अधिनियम की भारा 269-ग की उपभारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :---- (1) दिल्ली कर्माणयल बिल्डर्म ग्रादिनाथ श्रो हाउस श्रपो० सुपर बाजार कनाट सर्कम नई दिल्ली ।

(ग्रन्तरक)

(2) श्रोमती विद्यावती जैन श्रौर धर्मवीर जैन तथा ग्रन्य 103 वीर नगर जैन कालोनी नई दिल्ली

(अन्तरिती)

को **यह सुभ**ना जारी कारके पूर्वोक्स संपरित के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता ह**ू**।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सवध में कोई भी आक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारोख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि काद में समाप्त श्लेती हो, 18 भीतर पूर्वोक्त क्यित को मों मा दियान क्यांवन द्वारा;
- (क) इस सुभना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीस से 45 दिन के भीतर उच्छ स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति' द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सर्जने।
- स्पष्टीकरणः इसमें प्रयुक्त शब्दो और पर्वो का, जो उक्त अधितियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही वर्भ द्वांगा जो जम अध्याय में दिया गया है।

जन्म स

फ्लैंट नं 401 म्रीर 402 तादादी 312 वर्ग फीट,ज ए/31~34 डा० सुखर्जी नगर दिल्ली।

> म्रार० पी० राजेश सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जनरोंज-I, नई दिल्ली

विनांक : 6-2-1985 मोहर ः। ्रक्रम् बाइ.टी. एन. इ.स. ----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-म (1) के अभीन सुमना

भारत चरकार

कार्यालय. सझायक आयकर आयूक्त (निरौक्षण) ग्रर्जन रेज–2 नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 6 फरवरी 1985

निवेश सं ग्राई० ए० मी'०/एक्यू०/2/37 ईई०/6-84/ 392---ग्रतः मुझे ग्रार०पी० राजेश

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (िंजस इसमें इसके पदचात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विद्यास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/-रुपय से अधिक है

श्रीर जिसकी सं० 2/डी−1 है तथा जो डा० मुखर्जी नगर दिल्ली में स्थित है (श्रीर इससे उपाबढ श्रनुसूची में श्रीर पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता श्राधिकारो के कार्यालय ग्रर्जन रेंज-2 नई दिल्लो में भारतीय श्रायकर श्राधिनियम 1961 के श्रधीन तारीख जून, 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति को उचित बाजार मुल्य से कम के ध्रुयमान प्रतिफल को लिए जंतरित की गई है और मुक्ते यह विद्यास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मुल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकां) और अंतरिती (जन्तरितियाँ) के बीच एसे जन्तरण के लिए तथ पाया गवा प्रतिफल निम्नलिखित अध्यक्षेय से उक्त जन्तरण मिचित में बास्तजिक रूप स कथित नहीं किया गया है:---

- (क) अन्तरण से हुई किसी आभ की सायत, उक्त अभिनियज के अभीन कर दोनें के अन्तरक के धायित्व में कमी करने या उसमें सचने में मुदिभा के लिए सौर/वा
- (ख) एंसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन्त-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया धा या किया जाना बाहिए था, किएाने में संक्रिप के लिए।

जतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अन्सरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अभीन, निम्झलिसित व्यक्तियों, अर्थात् :---24---486GI/84 (1) श्री महेश स्वरूप ग्रग्रवाल, निवासी 3/74 विष्णुपुरी, कानपुर्।
 (ग्रन्तरक)
 (2) मै० ग्रानन्द ट्रेडर्स

(2) मेठ आगर्ष द्रुडस 52-54, कौंशल्या भवन सदर बाजार दिल्ली ।

(अन्तरिती)

को **यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए** कार्यवाहियां करता हुन् ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :---

- (क) इस सुखना को राजपत्र में प्रकाशन की तारीच से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जे भी वनधि बाद में सभाप्त होती हो, को भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ण) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीश्व से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहन्ताक्षरी के पान लिखित में किए जा सर्वोगे।
- स्पम्टोकरणः :— इसमॅ प्रयुक्त शब्दों अरेर पदों का, जो. उक्त अभिनियम के अभ्याय २०-क में परिभाषित हैं, बही अर्थ होगाजो उस अभ्याय में दिया गया हैं।

अनुसूची

बेसमेंट नं० 2 तादावी 575 वर्ग फीट डो−1 डा० मधार्जी नगर, दिल्ली ।

> श्रार० पो० राजेग सक्षम प्राधिकारी महायक ग्रायकर ग्रायुक्स (निरीक्षण) अर्जन रेंज-2, नई दिल्ली

सारीख: 6−2⊶1985 मोहरः

[भाग III---खण्ड 1

(भ्रन्तरक)

मक्ष बाह्, दी : एन : एब ..-----

वायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की वारा 269-व (1) के नभौत सूचना

बाहर बहुबार्

कार्यालय, सहायक नावकर नायुक्त (निडीसन) श्रर्जन रेंज-2 नई दिल्ली

नई दिल्ली दिनांक 6 फरवरो 1985

निदेग सं० म्राई० ए० सी० /एक्यू०/37 ईई०/6−84/ 393---मरा: मुझे भ्रार०पी० राजेग

वायकर अभिनियम, 1961 (1961 का 43) (फ्रिंसे इसमें इसके पश्चात 'उपत अभिनियम' कहा गया है), की भारा 269-ख के अभीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विषयास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित्र बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

भौर जिसकी सं० 403 भौर 404 है तथा जो डा॰ मुखर्जी नगर, बिल्ली में स्थित है (भौर इससे उपाबद अनुमूची में और पूर्ण रूप से वणित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय मर्जन रेंज-2 नई दिल्ली ग्रायकर अधिनियम 1961 के मधीन जून 1984

को पूर्वोक्त सम्परित के उचित वाजार मूल्य से कम के इपयमान प्रतिफल के लिए अन्तारित की गई है और मूको मह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्परित का अचित वाजार मूल्य, उसके दख्यमान प्रतिफल तों, एसे इश्यमान प्रतिफल का पंग्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकरें) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए इय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उध्र्वादेय से उक्त अन्तरण र्न्लाखत में वास्तविक रूप से अधिक नहीं किया ग्या है:---

- ेक) अम्तरण से हुइ किसी बाग की बाबत, तक्त धछितिबंध के संसीत कर देने के सम्प्ररक के दायित्व भें कमी करने या उससे वचने में सुविधा के निए; और/६.
- रेख) एरेसी किसी आय या किसी धन ज. ...आ आस्तियाँ को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, ॥०....आ (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, अ भन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) की प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया क्या था या किया जाना जाहिए था छिपाने में सुविभा के बिए ≀

अतः अध, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग को अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-य की उपधारा (1) के अधीन, निम्नींलखित ज्यक्तियों, अर्थात् :----

- (1) दिल्ली कर्माणयल बिल्डर्स ग्रादिनाथ श्री हाउस ग्रपो० सुपर बाजार कनाट सर्कस नई दिल्ली ।
- (2) मास्टर हिमांशु मलहोत्ना सुपुत्र श्री खुशल चन्द निवासी 52/24 राम जस रोउ ' करौल बाप, नई दिल्ली ।
 (ग्रन्तरिसी)

को यह सूचना आररी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति को अर्जन को लिप कार्यवाहियां करसा हु:ं।

उक्त संपरित को अर्जन को सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीय से 45 विन की अवधि या तत्सम्यन्धी व्यक्तियाँ पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, आ भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियाँ में से किसी व्यक्ति ब्यारा;
- (व) व्दस सुचना के राजपज में प्रकाशन की तारीख लें 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्भ किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सफगै।
- स्पख्डीकरणः इसमें प्रयुक्त शब्दाें और पदाें का, जो उक्त अभिनियम, के अभ्याय 20-क में परिभाषिद, है, वही अर्थ होगा जो उस अभ्याथ में दिया। गया है।

चन्त्रची

फ्लैंट 403 और 404 तादादी 456 वर्ग फीट ए–31–34 डा० मुखर्जी नगर, दिल्ली

> श्रार० पी० राजेश सक्षम प्राधिकारी सहायक्षः आयकर ग्रायुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज-2. नई दिल्लो

तारीखः 6–2–1985 मोहरः प्ररूप आई.टी.एन.एस .---=----

क्षायकर अभिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-म (1) के जधीन सुचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक मायकर मायुक्त (निरीक्षण) ग्रर्जन रेज-2 नई दिल्ली

नई दिल्ली दिनांक 6 फरवरी 1985

आयकर अभिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पक्ष्यात् 'उक्त अधिनियम्' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विख्यास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मुल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

ग्नीर जिसकी म० 1-15 है सथा जो डा० मुखर्जी नगर, दिल्ली में स्थित है (ग्रीर इससे उपाबछ ग्रनुसूची मे ग्रीर पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्राकर्ता ग्राधिकारों के कार्यालय श्रर्जन

रेंज-2 नई दिल्ली में ग्रायकर ग्राधिनियम 1961 के ग्रधीन तारीख जून 1984

का पूर्वा कर सम्परित के उचित बाजार मूल्य से कम के इश्यमान प्रतिफल को लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विक्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोंक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके इत्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिश्वत से अधिक है और अन्तरक (अनतरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उब्दरेय से उक्त अन्तरण र्जिखित में बास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:----

- (क) अन्तरण से हुई किसी शाय की बाबत, उक्त अभिनियम के अभीन कर देने के अंतरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; बौर/या
- (त) इरेसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोज-प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना जाहिए था, छिपाने में सुविधा के सिए;

अतः जब, उक्त मौधीनयम की भारा 269-ग के मनुसरण में, में, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपभारा (1) के अधीन, जि़म्नसिखित व्यक्तियों, अर्थात् क्ष----

- (1) दिल्ली कर्माग्रियल बिल्डर्स म्रादिनाथ श्री हाउस, कनाट सर्कस नई दिल्ली ।
- (2) श्री घतुल कुमार गुप्ता सुपुत्र श्री पूरन चन्य, निवासी 21–ए/4696 असारी रोड दिल्ली

(मन्तरिती)

(अन्तरक)

को यह सूचना जारी करके पुर्वेक्स सम्पत्ति के वर्जन के निष् कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति को अर्जन को संबंध में कोई भी आसपेप क्षे---

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीस से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियाँ पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोकत व्यक्तियां में से किसी व्यक्ति स्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीस से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबब्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकोंगे।

स्पक्टीकरणः—–इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के जभ्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अभ्याय में दिया गया है।

वम्स्पनि

प्रोरं नं ० 1--15, तादादी 83 वर्ग फीट जैन हाउस, एक्सटेंनशन डा० मुखर्जी नगर, दिल्ली।

> ग्रार० पी० राजेग सक्षम प्राधिकारी सहायक ग्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण) भ्रर्जन रेंज-2, नई दिल्ली

तारीखाः 6-2-1985 मांहरः प्ररूप आई.टी.एन.एस.------

आयकर अभिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन स्थना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्स (निरक्षिण) भ्रर्जन रेंज-2ं, नई धिल्ली

नई विल्ली, दिनांक 6 फररवरी 1985

निवेश सं० म्राई० ए० सो० /एक्यू०/2/37 ईई०/6--84/ 395---म्रतः मुझे, ग्रार०पी० राजेश,

भादकर अभिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके परुषात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विद्यास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उंचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

प्रीर जिसकी सं० 1-10 है तथा जो ए/31-34 डा० मुखर्जी नगर दिल्ली में स्थित है) और इससे उपाबढ़ अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रोकर्ता अधिकारी के कार्यालय, अर्जन रेंज-2, नई दिल्लो, भारतीय आयकर अधिनियम 1961 के प्रधीन तारीख जून 1984

को पूर्वीक्त सम्पत्ति को उचित बाजार मूल्य से कम को दृश्यमान प्रतिफल को लिए अन्तरित की गई है और मुभ्ने यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वों क्त संपरित का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिदात से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) को बीच एसे अंतरण के लिए तय पाबा गया प्रतिफल निम्नर्लिखत उद्देश्य से उक्त अन्तरण किखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:---

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बावत, उक्त अधिनियम के अधीन कर दोने के अंतरक के दायित्थ में कमी करने या उससे बचने में सुरिवधा के लिए; आर/या
- (श) एरेसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हों भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती ब्यारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सूविधा के लिए;

अतः अत, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अनुसरण म'. म', उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) डे वधीन. निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थातु ⊹----

(1)	दिल्ली कर्मांगयल विल्डर्स झादिनाथ श्री हाउस, कनाट सर्कस नई दिल्ली।	(ग्रन्तरक)
(2).	श्रोमती रोता चावला पत्नी श्रीस्वर्णे सिंह चावला निवासी-50, उषय पार्क,	

को यह सुचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति को अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हुं।

नई दिल्ली

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंधू में कोई भी आक्षेप :—-

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वीक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति ख्वारा;
- (ख) इस सूचमा के राजपत्र में प्रकाशन की तारीस से 45 विन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य वक्ति द्वारा अधोहस्त्रगाक्षरी के पास लिखित में किए जा सर्कोंगे।
- स्पष्टीकरणः----इसमें प्रयुक्त घब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित ह⁴, बही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया **ह**ै।

ग्रनुसूची

प्रो० नं० 1—10 ताखादी 364 वर्गैफीट ए/31—34, डा० मुखर्जी नगर,विल्ली ।

> भार० पी० राजेश सक्षम प्राधिकारी सहायक श्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण) श्रर्णन रेंज-2, नई दिल्ली

तारीखः 6–2–1985 मोहरः (भ्रन्तरिती)

प्ररूप आई. टी. एन. एस.,--------

बायकर बॉधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के बधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) ग्रर्जन रेंज–2, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनाक 6 फरवरी 1985

निर्देश सं० म्राई ए० सो०/एक्यु०/2/37 ईई/6-84/ 396--म्रातः मुझे, म्रार०पो० राजेश

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया हैं), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- ऊ. से अधिक है

ग्नीर जिसकी स० जी-5/4, 5, 6, है तथा जो भाई परमानन्द कालोनी। दिल्ल। मे स्थित है श्रीर इससे उपाबढ़ ग्रनुसूची मे ग्रौर पूर्ण रूप से वर्णित है) राजस्ट्रोकर्ता ग्राधिकार। के कार्यालय मे ग्रर्जन रेज-2 नई दिल्ली मे ग्रायकर ग्राधिनियम 1961 के ग्रधीन तारीख जून 1984

को पूर्वोक्त सपत्ति के उचित बाजार मुल्य सं कम के द्य्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करन. का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मुल्य उसके दश्यमान प्रतिफल से, एसे दश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत स अधिक हैं आर अतरक (अतरका) और अर्तारती (अन्तरितियो) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य सं उक्त अन्तरण लिखित में वास्त्रविक रूप से कथित नहीं किया गया है:---

- (क) अन्तरण से हुइ। किसी नाय की बाबत, उक्त वधिनियम के अधीन कर देने के अन्तर्क के दायित्व म कमी करन या उसस बचल में सूविधा के लिए, और /या
- (ख) एसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियाँ का, । जन्हें भारती । एयकर अप्यानयन, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियन, पर यत-पर अर्थिष्यस, 1957 (1957 का 27) प प्रयाजनार्थ अतरित्ती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या-किया जाना चाहिए था, छिपान मा स्तिया के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्य<u>ी</u>क्तयों, अर्थात् :----

(1)	श्रीमती क्रुऽणा कुमारो	
	निवासो एफ/6/7 माडल टाउन, दिल्ली ।	

(2) श्रीमती राखी वलिचा निवासी एल/जी-21 सेभ सराय भाग-2 नई दिल्ली ।

(ग्रन्तरिती)

(ग्रन्तरक)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हु।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में काई भी आक्षप .---

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा,
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख सें 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकर्गे।

स्पर्ख्टोकरणः :----इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परि-भाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

वन्स्पनै

प्रो॰ नं०जी--5 र्बिल्डिंग नं 4, 5, और 6, भाई परमानन्द कालोनी दिल्ली तादादी 221 वर्ग फीट ।

> म्रार० पी० राजेश सक्षम प्राधिकारी सहायक म्रायकर म्रायुक्त (निरोक्षण) म्रर्जन रेज–2, नई दिल्ली

तारीख : 6--2--1985 मोहर ब

[भाग III---खण्ड 1

दक्ष वाई ुटौ ुप्र प्रदायका का भग्न का स्व का का स्व का स ्व स्व का स

भारत चरकार

स्वार्थालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीखण) प्रजन रोज-2 दिर्ल्स

नई दिल्ली, दिनांक 6 फरवरी, 1985

निर्वेश संव ग्राईव एव सी.व/एवयू/2/37ईई/6--84/397----भ्रतः मुझे, ग्रारव पीव राजेण,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चिप्त् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विषवास करने का कारण हैं' कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसका संख्या 23 है, तथा जो 4 रैं क्वेट कोर्ट रोड सिविल लाइन दिल्ला में स्थित है (और इससे उपाबद प्रनुसूचो मे पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रावाली प्रधिशा र के कार्यालय, ग्रार्जन रेंज→2, नई दिल्ला भारताय श्रायवध्र प्रधिनियम 1961 के प्रधान, तार्राख जुन, 1984।

bì पुर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के इष्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुभे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके इष्यमान प्रतिफल से, एसे दष्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच एसे अंतरण के सिए तय पाया गया प्रति-कल निम्मलिडित उद्देय से उक्त अंतरण लिडित में वास्ततिक रूप से कथित नहीं किया गया है :---

- (क) अन्तरण ते हुई किसीं भाग की भागत उक्त अधि-रेग्यम के अभीन कर दुने के जन्तरक के दायित्थ में कमी करने वा उत्तते वजने में सुविधा के लिए; नौर/या
- (का) एरेसी किसी जाग या किसी धन या अन्य जास्तियों को, जिन्हु भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम,, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया गया था या किया जाना काहिए था, छिपाने में सुचिभा के लिए,

अतः अब, उक्त अभिनियम को धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अभिनियम को धारा 269--घ की उपधारा (1) को अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियाँ, अर्थात् :---

 मै० हाई टावर बिल्डर्म, रैक्वेट कोर्ट रोड, 	
सिविल लाईन,	
दिल्ला→ 54 I	
	(ग्रन्त'रक)
2. श्रोमतो सुशाला बा मेहता,	
और श्री बा॰ एच॰ मेहता,	
निवासी→73 लखनऊ रोड,	
तिमारपुर, दिल्ल। ।	
and So in the	(भ्रन्तरिती)

को गह सुपनो बारी करके पूर्वोंक्त सम्पत्ति को अर्थन को लिए कार्यवाहियां शुरु करता हूं।

अवस सम्पाद्ध के अर्थन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सुचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोंक्त व्यक्तियों में से कित्ती व्यक्तितुहुवारा;
- (ख) इस सुचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख डे 45 दिम के भीतर उक्त स्थावर यपत्ति में हिंग-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास निदित में किए जा सकौगे।

स्पष्टीकरण्पः--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया भवा है।

वन्त्वी

फ्लैंट नं० 25, बिस्डिंग न० 4, रैक्वैंट कोर्ट रोड सिविल लाइन, दिस्ली--54।

> ग्रार०,पो० राजेश, सक्षम प्राधिकारी सहायक ग्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण) ग्रर्जन रेज-2, दिल्ल,

तारीख: 6-2-1985 मोहर:

प्रकप आर्ह. टी. एन. एस. ------

आयकर जधिनियम, 1961 (1961 का 43) कौ भारा 269-म (1) के अभीन सुचना

নাংর তরকার

कार्यानय, सहायक जायकर जायुक्त (निर्जालक) श्रर्जन रेंज-3 दिल्लः

नई दिल्ली, दिनांक 30 जनवरी, 1985

निर्देच सँ० ग्राई० ए० सं:०/एक्यु/3/37ईई/6-84/384:---ग्रत मूझे, जत्र एरा० गोपाल,

प्रायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके परचात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मुल्य 25,000/- रु. से अधिक ही

और जिसका संख्या 12 है तथा जो सीरा पोर्ट रोड, नई दिल्ला में स्थित है (और इससे उपाबद्ध प्रनुसूचा में और पूर्ण स्प से वर्णित है), रजिस्ट्र,कर्त्ता प्रधिक्षार7 के नार्यालय ग्रर्जन रेंज→3, नई दिल्ली भारताय ग्रायकर ग्रधिनियम 1961 के ग्रधोन, तार्राख जून, 1984

को पूर्वोक्त संम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के ९३५भार प्रतिफन को निए अन्तरित की गई है बरि मुफ्ने यह विक्यांत करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उर्थित बाजार मुख्य, उसकी ध्रत्यमान प्रतिफल से, एसे दश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिघात से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच एसे अंतरण को निए तय पाया गया प्रति-फल, निम्नलिखित उद्वदेय से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तयिक रूप में कथित नहीं किया गया है:---

- (क) अस्तरण से हुई किसी जाव की वावलू, उनक अभिनियम के अभीन कर दोने के अन्तरक के दासित्व में कसी फ़रने या उससे बचने में मुविधा के लिए; और/या
- (७३) ऐसी किसी जाय या किसी भन या जन्म आस्तियों को, फिन्ह⁵ भारतीय आयकर अभिनियम, 1922 (1922 को 11) या उक्त अभिनियम, या भन-कर अधिनियम, 1957 (1957 को 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया भा या किया जाना चाहिए भा, छिपाने में स्विधा को सिए;

अत. अब, उत्क्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थातु :--- श्री धरम सिंह, ट्रस्टो मै० धरम सिंह, फैमिला ट्रस्ट, निवासा ए.-2/140, सफदरजंग इन्कलेब, नई दिल्ला। (ग्रन्तगक)
 मैसर्स एम० बो० कामणियल (प्रा०) लि० 94, कार्जा सैयद स्ट्रीट, गंगा बिहार, बम्बई-400003।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करको पूर्वोक्त संपरित के वर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी अक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि थाद में समाप्त होती हो, को भीतर पूर्वीवत व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति दुवारा;
- (च) इस सूचना के राजपृत्र में प्रकाशन की तारीच सं 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अभाहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकोंगे।
- स्पष्टीकरणः—--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगाजो उस अध्याय में दिया गया है।

बन्स्ची

प्लाट नं 12 संदि फोर्ट रोड, नई दिल्ली, तादादी 750 वर्ग फुट (कारपेट एरिया)

> जा० एस० गोपाल, संक्षम प्राधिकारी सहायक श्रायकर झायुक्त (निरोक्षण) झर्जन रेंज-3, दिल्ली

तारीख · 30-1-1985

मोहर 🔳

प्ररूप बाइ. टी. १म्. एस.

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-च (1) के अधीन सचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन–3 नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 30 जनवरी, 1985

निर्देश सं० ग्राई० ए० सी०/एक्यु/3/37ईई/6⊶84/385'⊶--ग्रत मुझे, जी० एस० गोपाल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसक प्रवाह 'उबत अधिनियम' कहा गया हु⁰), की धारा स्वान्त के पथिन संजय प्राधिकारों की यह विक्यास करने का प् फारण है कि स्थावर संपरित. जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रह. से अधिक है

औ जिसकी संख्या 4 है, तथा जो प्लाट नं० 21, यूसुफ सराय, नई दिल्लों, में स्थित है (और इससे उपाबढ अनुसूची में और पूण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रोकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय, अर्जन रेंज, 3, नई दिल्ली: भारतीय आयकर प्रधिनियम 1961 के अधोन ताराख जून, 1984 को पूर्वीवत सम्परित के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुभे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वीवत सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके रुदयमान प्रतिफल से, एसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंत-रिती (अंतरितियों) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्दे हेय से उक्त अंतरण लिखिब में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :---

- (क) जन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियद के अधीन कर देने के अंतरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; आदि/या
- (स) एंसी किसी आय या किसी धन या बन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय जाय-कर अभिनियम, 1922 (1922 को 11) या उक्त अभिनियम, या धनकर अभिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए:

अतः अत, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण भ⁻, मँं, उक्त अधिनियम की धारा 269-म की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् ।:---- मै० साफेंत प्रोपरटीज (प्रा०) लि०।
 मॅंग०-538, डिफेंस कालोनी, नई दिल्ली। (ग्रन्तरक)
 श्रोमती सुषमा सुरी और एस० पो० एम० इनवेस्टमेन्टम, निवासी जी० एफ-7/92, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्स सम्परित के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के कर्जन के सम्बन्ध में कोई भी वाक्षेप :--

- (क) इस स्थना के राजपत में प्रकाशन की तारीझ से 45 दिन की जवभि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर स्वना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोंक्त व्यक्तिमां में भे किसी क्यांक्त इवारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिस्टित में किए का सकोंगे।
- स्पर्ख्यांकरणः— इसमें प्रयुक्त सम्बाँ और पदाँ का, वो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, बही जर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

मनुसुची

प्रो० नं० प्लाट नं० 4, अन्छर ग्राउण्ड, प्लाट नं० 21, यूसुफ सराय, कम्यूनिट। सेन्टर, नई दिल्ल , तादाद, 318, वर्ग फुट।

> जन्क एसकगोपाल, संक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज-3, दिल्ल।

तारीख: 30-1-1985 मोहर : [माग]∏---खण्ड ा

गया हैः ---

और/ग

क लिएः

25,000/- रा. से **मभिक ह**ै

and a second second

प्रकृष बाइ 🐹 ठी ., एन. ु एस	1. मैं० कर्नेल श्री जी० डी० दयाल पुरी (रिटायर्ड) निवास: सी० 25,
क्षायकर अभिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना	वेस्ट इण्ड कालोनी, नई दिल्ली । (ग्रन्तरक)
भारत .सुरका <u>र</u>	2. श्री रविन्द बार्ला,
कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) श्रजेन रेंज–3, दिल्ली नई दिल्ली, दिनोंक 30 जनवरी, 1985	नियामी वेस्ट उन्ड कालोनी, नई दिल्लो । (स्रन्तरिती)
निर्देश सं० झाई० ए० सी०/एक्यु _/ 3/37ईई/6 84/385/ए [:] यतः मुझे, जी० एस० गोपाल, बायकर जोधनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें	को यह सुचना जारी करके पूर्वीवत, सम्पत्ति को जर्जन, को सिए कार्यवाहिग्रां करता हूं ।
इसके परवाल् 'उक्त अभिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विख्वास करने का	उन्तत सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप 🤃 —

का

ৰন্ম

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीच से 45 दिन की अवधि या तरसंबंधी व्यक्तियों पर सुचनाकी तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर प्वोंकत व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति दुवारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबदध किसी अन्य व्यक्ति दुवारा अभोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्थव्टोकरणः—इसमें प्रयुक्त सब्दों और पदों का, जो उक्स अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, बही अर्थ होगा जो उस जध्याय में दिया गुमा है।

ग्रनुसूची

(यु० सं.० ब.०) प्रो० नं० 167 ए, प्लाष्ट नं० 9, बीकाजी कामा प्लैंग, नई दिल्ल। सादादं। 103, वर्ग पूट।

> जं. ग्रम् ० गवपाल मक्षम प्राधिकारी सहायक ग्रायकर श्रायुक्त (निरीक्षण) ग्रर्जन रेंज-3, दिल्ली

जतः अब, उक्त अधिनियम की भारा 269-ग के अनुसरण , मैं", उक्त अधिनियम की धारा 269-ध की उपभारा (1) के अधीन, निम्नसिक्ति व्यंक्तियाँ, अर्थातः :---25--486GI 84

कारण ही कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मुख्य

और जिसको संख्या 167 ए, तथा जो प्लाट नं० 9 बांकाजो

कामा प्लेम, नई दिल्ली में स्थित हैं (और इससे उपायद

ग्रनुसूच; में पूर्ण रूप से वर्णित हैं), रजिस्ट्राकर्सा ग्रधिकारं;

के कार्यालय क्रार्जन रेंज 3, नई दिल्लं। भारतीय क्रायकर

को एव। कि संपत्ति के उचित बाबार मुल्य से कम के धरयमान

प्रतिफल को लिए अंतरित की गई हैं मुफ्ने यह विष्वास

उचित बाजार मूल्य, उसके रेक्स्प्रमान प्रतिफल से., एसे ढक्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकॉ) और अंतरिती (अंतरितियॉ)[,] के बीच अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निष्मलिखित उद्दवदेय

से उक्त कंतरण लिखित में वासविक रूप से कथित नहीं किया

(क) बम्बरण से हुइ किसी बाय की बायत,

अधिनियम को अधीन कर दोने के बंतरक के दायित्व **से अजी करने या उससे वचने में सुविधा के** लिए;

(स) ऐसी किसी बाय वा किसी भन वा जन्ब आस्तियों को, जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम, 1922

(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-

कर जभिनियम, 1957 (1957 का 27) के भयोजनार्थ जन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गण था या किया जोना पाहिए था, स्निपाने में सुविधा

- क्रधिनियम, 1961 के क्रधीन, तारीख जून, 1984।

करने का कारण है कि यह पूर्वोक्स सम्पत्ति

नारीख: 30-1-1985 मोहर 🚁

(भाग 1)[---खण्ड 1

प्रहर बाहर् हो. एन. एस. -----

बायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) को धारा 269-घ (1) के बधीन सुचना

भारत तरकार

कार्यालय, सह्ययक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

ग्रर्जन रेज-3, दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 30 जनवरी, 1985

निर्देश सं० ऋाई० ए०सी/एक्यु/3/37ईई/6--8 4/38 6----ग्रत: मझे, जी एस० गोपाल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है). की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मुल्स 25,000/-रु. से अधिक है

और जिसकी सम्बग 163 है, राया जो प्लाट न० 6, बीजाजी बामा प्लेस, नई दिल्ला मे स्थित हे (ओर इससे उपाबद्ध अनुस्च। मे पर्ण रूप से वर्णित हे), रजिरट्रो बाही द्वविकार। के कार्यालय, अर्जन रेज 3, नई दिल्ला भारत.य द्वायवार अधिनिषम, 1961 के अधीन, तार ख एन, 1984।

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के इत्यमान प्रतिफल के लिए अतरित की गई है और मुफ़े यह विक्वास करने को कारण है कि यथापूर्वोक्त सपत्ति का उचित बाजार मुल्द, उसके द्ययमान प्रतिफल से, एसे दरयमान प्रतिफल का पंदुरु प्रतिघत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए ुच्च पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्ददेय से उक्त अन्तेरण कि बित में वास्तबिक रूप से कथित नहीं किया गया है

- (46) वंतरण से हुई किसी जाय की बाबस्, उक्त अधिनियम के अधीन कर दोने के अंतरक को दायित्व में कमी करने या उससे क्चने में सुविधा के लिए; बौर/या
- (क) एन्सी किमी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, • या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्राजेनगर्भ अतारती दुवारा प्रीटर नहीं किया गया था या विया जाना चाहिए था, ख़िलात में सुविधा के सिए;

बात पत्र उक्त वधिनियम की थारा 269-ग के अनुसरण बें, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिसित व्यक्तियाँ, अर्थात :----

- 1 श्रो गजेन्द्र पाल सिंह, जो० एच० अरि० इ डस्ट्राज, निवासी-- 1328, सुलतान सिंह बिल्डिंग, बाथमोरो गेट, दिल्लो।
- 2 श्रीमती ग्रविनाश पुरो और श्रीमती प्रेम पुरो, निवासी⊶26/72, पजाबी बाग, ृंनई्दिल्लो।

(ग्रन्तरिती)

(म्रन्तरक)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जनुके सिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेय ह-

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियाँ पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, खो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोब्द व्यक्तियां में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारौंख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबदूध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकोंगे ।
- म्पछ्टीकरण :----इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, चो उक्छ अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अभ्याय में दिवा गया है।

वन्स्य

प्रो.० न. प्लाट नं० 163, प्लाट नं० 6, र्बलाजी वामा प्लेस, नई दिल्ल, तादादी लीस होल्ड,

> जी० एस०गोपाल सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) ग्रजन रेंज-33 दिल्ली

तारीख · 30-1-1985 मोहर :

प्रसम आइ^ह. टी एन गण्। -- - ---ब्राम्कर मधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

भारा 269-व (1) के अधीन सुजना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक कायकर जायुक्त (निरीक्षण) अप्रर्जन रेजन्उ, दिल्ल।

दिल्ला, दिताक २० जनवर), 1985

निर्देश म० आई० ए० मी०/एक्य/3/3ईई/1-84/387--यत. मुझे, जा० एम०गणाल

भायकार अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त भौधनियम' कहा गया है), को धारा 269-🕊 के सभीन संक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण 💕 कि स्थावर सपरित जिसका उचित बाजार गुल्म 25,000/-रु से अभिक है

और जिसक, मख्य। 2 है तथा जा प्याट न० मी०-1 नजफमत रोड, नई दिल्ला म रियत है (और इससे उपायद्व अनुसूच। मे और पूर्ण म्प से वर्णित है। रजिस्ट्र अली अधिवार, के कार्यालय, अजन रेज 3 नई दिल्ला भारत यश्चाय प्रश्न प्राधनिएम 1961 के अधोन, नारण्ड जून, 1984।

को पर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मृत्य से कम के दृरयमान प्ररिफल को लिए अनरित की गई है और मुफ़े यह विश्ताम फरने का कारण है कि यथापूर्वाक्त सम्पत्ति का उचित बाजान मुल्य, उसके दरममान प्रतिफल से एसे ध्रथमान प्रतिफल का भन्द्रहुं प्रतिवात से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तथ शाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्दोध्य से उक्त अन्तरण सिबत में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

- (क) अन्तरण से हुई किसी जाय की बाबत, उक्त अभिनियम कं अभीन कर दोने के शन्तरक के वायित्व में कमी करने या उससे बभने में सुविधा क लिए; बरि/या
- (न) एेसी फिसी आय था किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हे भारतीये आयकर अभिनियम, 1922 (1922 का 11) था उक्त अधिनियम, धनकर अर्धिनियम, 1957 (1957 का 27) को प्रयोजनार्थ अन्तरिती दुवारा प्रकट नहीं किया 🕶 माथायाकियाजाना चाहिए था, छिपाने 🖬 सुविधा के निए;

असः बन, उबरा अभिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण म, म, उक्त अभिनियम की धारा 269-घ को उभधारा (1) 🗳 वनीन, निम्नलिधित व्यक्तियाँ, अर्थात् 🖅 🗝

1 मै० माना मैच उण्डस्ट्रज 19 थिकटगेन माग, भूषति जिल्डिंग, शिवाकाशाः । (ग्रन्तरक) 2 मे० में।हज्दान एण्ड सन्म, निवाम। बा० 48 नाग-1, विष्णु गार्टन नई दिल्ला।

(ग्रन्तरिता)

को यह सुचना जारी करके पूर्वोक्त संपरित के अर्जन के विष्ट् कार्यवाहिया शुरू करता हू ।

बबब सम्परित के वर्धन के सम्बन्ध में कोई भी बार्शव.---

- (क) इस सुचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीच में 45 दिन की अवधि या तत्सबधी व्यक्तियों 7.2 स्थना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो 💐 अवधि बाद में समाप्त होती हो, को भीतर पूर्वी 🖛 व्यक्तियां में से किसीं व्यक्ति द्वारा;
- (स) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीस से 45 दिन के भोतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्भ किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिसित में किए जा सकोंगे।
- स्पष्टीकरण :---इसमें प्रयक्त शब्दों और पर्वों का, जो उक्त अधिनियम के अभ्याय 20-क में परिभाषित ह', बही अर्थ हागा वा उस अध्या मा ,ैयग गया है।

अनुसूची

दुअन्त न० 2, ग्राउण्ड फ्लार, "कचन झाउस" प्लाट न० सः०-1, नजफगढ राइ, कम्यूनिट। सेन्टर, नई दिल्ली, तादादा, 455 वग फुट।

> জী০ एस০ गोपाल सक्षम प्राधिकारी सहायक आगकर झायुक्त (निरीक्षण) म्रर्जन रेज-3, दिल्ली

नार¦क 30 1⊶1985

माहर

प्ररूप बार्श, टी. एन. एस. ------

माथकार आधिनियम, 1961 (1961 क्ला 43) की भारा 269-भ (1) के अधीत सूचना

भारत**ः जारकार**

भाषां नय, सहायक मायकर नायुक्त (निर्दाक्षण)

म्रजेन रेज-3, दिल्लi

नई पिऱला, पिनांक 30 जनवरो, 1985

निर्वेश सं० ग्राई० ए० स.०एक्पु/3/37ईई/6--84/388 ----तः मुझे, जा्० एस० गोपाल,

वायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पदचात् 'उक्त अधिनियम्' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारों को यह विद्वास करने का कारण है जि़ स्थावर संपस्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25.000/- रु. से अधिक है

और जिसकी संख्या 4 है तथा जो प्लाट नं ए० 7, 8, 9 रणर्ज,त नगर, नई दिल्ला में स्थित है (और इससे उपावद मनुसूचा में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्राकर्सा अधिकारा के कार्यालय, अर्जन रेज 3, नई दिल्ला-भारताय आयकरण अधिनियम, 1961 के अधान तार.ख जून, 1984

को पूर्वीक्स सम्परित के उचित बाजार मूल्य से कम के स्क्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुक्ने यह विषवास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्स सम्परित का उचित बाजार मुल्य, उसके ध्रयमान प्रतिफल से, एसे दश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्सरकाें) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय गया गया प्रतिफल, निम्नलिभित उक्तदेय से उक्त अन्तरण अखित में वास्तविक्ट रूप संकथित नहीं किया गया है ह—

- (क) अस्तरण से हुई किसी आय की बाबत, अवत अधिनियम के अभीन कर देने के अन्तरक को दायित्य में कमी करने या उससे जचने में सुविधा के लिए; और/या
- (च) एोसी किसी आय या किसी धन या भन्य आस्तियों कर्म, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती ब्वारा प्रकट नहीं किया गया भा था फिया फान पाहिए था, छिनाने में सुविधा के लिए;

में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ध की उपधारा (1) के अधीन, विम्मलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :---- , जतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण गै० एस० पा० एस० इन्टरनेगनल, बी०-197, नारायणा बिहार, नई दिल्ला। (झन्तरक)
 मै० गुरू झमर दास इन्टरनेगवल (प्रा०) लि० बो०-197, नारायणा बिहार, नई दिल्ली।

(मन्तरित)

को यह सुचना जारी करके पूर्वोक्स सम्परित के अर्वन के लिए। कार्यवाहिया शुरू करता हुूं।

उक्त सम्पत्ति के, अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप य----

- (क) इस सूचना को रेंगजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियां पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, को भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति दुवारा;
- (स) इस सुचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीच से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबब्ध किसी अन्ध व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास तिखित में किए जा सकोंगे।
- स्थब्टीकरणः--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित ह⁴, वही अर्थहोगाजो उत्स अध्याय में दिया गया ह⁴।

मनुस्पी

प्रो० नं० दुकान नं० 4, तोसरो मंजिल, "सम्राट भवन" प्लाट नं० ए० 7-8-9, रनजोत नर्बर, कोम्युनिटा सेन्टर, नई दिल्लो, तादावो 5-29 वर्ग फुट।

> जो० एस० गोपाल, सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) ग्रर्जन रेंज-3, दिल्ला

तारीख ' 30−1−1985 मोहर ह

प्ररूप माई. टा. एन. एत	। श्र⊹मता गुरबभन कौर और एस० राजेन्द्र सिंह	
बायकर अभिनियम, 1961 (1961 का 43) को भारा 269-घ (1) के अधीन सुचुना	निवासी एच० 58, बालं। नगर, नई विल्ला।	
भारत सरकार		(स्रन्तरक)
कार्थालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)	2. श्री तारा चन्ध हिम्मत रनका. ंनवासा 21/35.	() · · · ·)
ग्राजन रेज 3 दिल्ल।	बेस्ट पटेल नगर,	
नई दिल्ला, भिनाक 30 जनवरी, 1985	नई दिल्ला ।	
सं० आह ० ए० सं.०/एभय/3/3?ईई/6~84/389'		(भन्तरिता)

को यह सुचना जारी करके पूर्वोंक्त सम्पत्ति को वर्जन के किन्न कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपति के अजन क संबंध में कोई भी आक्षेप :----

- (क) इ.स. सूचना के राजनत में प्रकाशन की तार्मीय में 45 दिन की भवधिया तरनेवंधी व्यक्तियों पर सुचता छ: तामील से 30 दिन की प्रवर्त्ति, जो भी अवधि बाद म समाप्त होती हो, के फीतर पूर्वीक्त व्यक्तियों में से किसी म्यक्ति दारा;
- (ख) इस मूचना के रामान में प्रतागत की तानीआ से 45 बिन के भीतर उक्त स्थावर अम्पत्ति में हितवज्ञ किसी भग्म भ्यमित दारा, प्रणेहस्ताधारी के पाग सिक्षित में किये जा मर्केंचे ।
- म्पद्म मेरेग २ -- इभर्मे प्रयुक्त अस्तं भोर गढाका, जा उका सांद तियन के ब्राध्याय 20नेक में तकेपायित है, बही अयं ≹ोगा, जो उस मध्याय में दिया गया है।

जमे स

प्रों० नं० जीन 1/185, पश्चिम बिहार, नई दिल्ला, ं तादादा 810 वर्ग फुट,

> जा० एस० गोपल, सक्षम प्राधिकारी, सहायक आयकर भायुक्त (निरीक्षण) . ग्रर्जन रेंज-3, दिल्लो_।

वाराखः 30-1-1985 मोहरु 🛛

सं मतः मुझे, जां। एस० गोपाल,

बायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें **इसके पश्चात् '**उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख़ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विख्यास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000 / - एत. से अधिक है

और जिसका संख्या बा- 1/185 है तथा जो - पश्चिम जिलाव, नई दिल्लों में स्थित है (और इससे उपाबंद अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रोहर्मा अधिनारी के रार्यालय, मर्जन रेंज 3, नई दिल्ला भारत.य प्रायक्षर अधिनियम, 1961 के श्रधान तारीख जून, 1984

को प्वोंक्स सम्पत्ति के उचित बाजार मुल्य से कम कै दश्यमान प्रसिप्पल के लिए अन्सरित की गई हैं और मुओ यह विस्वास करने का कारण है कि यथापूर्वीकत सम्पत्ति का उचित बाजार मरुध, उसके डब्दमान प्रतिकल से एसे डब्यमान प्रतिकल का फन्द्र ह प्रतिश्वत से अधिक है और जंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंत्ररिरियां) के बीच एेसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्ददेश्य से उक्त अंतरण लिखित में **वास्तविक रूप से कथित** नहीं किया गया हैं:---

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाधत, उक्त अवधिनियम के अधीन कर दोने के अन्तरक अले दायित्व में कमी करने या उसरा अधने में सुविधा को सिए; और/या
- (च) एेसी किसी जाय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आधकर अधिनियम, 19-22 (1930 जा. 11) में . मत यशिवियम, १३ धन- कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के वयोजनाथ भग्तरिती दारा प्रकट नहीं किया गया था किया जाता थाहिए था, छिपाने में सुविधा के जिए।

वतः वयं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के बनुसरण में, में, उक्त आधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) 🛋 अभीन, निम्ननिषित व्यक्तियों, अर्थात् ४----

प्रस्प गाई. टी. एन. एत. . .---

बायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) कौ बाह्य 260-घ (1) के अधीन स्वना

भारत, सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

·म्रजन रेंज, 3 दिल्ली

बई दिल्ली, दिनांक 30 जनवरी 1985

सं० ग्राई० ए० सी०/एक्यू/3/37ईई/6-84/390:-ग्रतः मुझे, जी० एस० गोपाल;

बायकर अधिनियम. 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इक्षके परवाद 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन स्क्षम प्राधिकारी को यह विदवास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उजित बाजार मूल्य 25,000/- रऽ. से अधिक है

भौर जिसकी संख्या 10 है तथा जो प्लाट नं० 3, 4, प्रीप्त नगर, दिल्ली में स्थित है (ग्रौर इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्व रूप से वणित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता प्रधिकारी के कार्यालय, ग्रर्जन रेंज 3, नई दिल्ली, भारतीय ग्रायकर ग्रधिनियम 1961 के मधीन तारीख जून, 1984

सा पूर्वा के सम्परित के उचित वाजार मूल्थ से कम के स्वयमान प्रांधफल के लिए अलोरत का गई है आर मुफ यह विषवास करने का कारण है कि यथापूर्वा के सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्धड़ प्रतिक्षत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और जम्तरिती (अन्तरिसियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए सय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्दोस्य से उक्त अन्तरण निचित में बास्तयिक रूप से कथित नहीं किया गया है :---

- (क) अस्तरण से हुर्द्र किसी आय की बाबत उक्त अभिनियम के अधीन कर दोने के अन्तरक के दाग्रित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविभा को लिए; और/या
- (व) एरेसी किसी आय या किसी धन या जन्म वास्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अभिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त जभिनियम, या धनकर जभिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोज-नार्थ जन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में तुविधा को किए;

बतः वन, उक्त वर्षिनियम कौ भारा 269-ग को जनुसरण मे, मै उवत जभिनियम की भारा 269-ग की डप्भारा (1) को बभीव, निम्नसिचित व्यक्तियों, जर्भातु ध---

 मैं० सावित्री प्रोष 5/92, "दिपाली" 	· /	लि०	
नहरू प्लेस,			
नई दिल्ली-19			
		(मन्तरक)	
2. श्री भीम सेन वि	জ,	()	
निवासी डी-14	1,		
विवेक बिहार,			
दिल्ली−62।			
		(म्रन्तरिती)	

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के बर्जन के सिए कार्यवाहियां करता हुं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी बाक्षेप :----

- (क) इस सुचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीस से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सुचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति दुवारा;
- (श) इस सूचना को राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन को भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवद्य किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास सिखित में किए जा सकोंगे।
- स्पक्टीकरणः -----इसमें प्रयुक्त सब्यों और पदों का, जो उक्त अभिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है वही अर्थ होगा, जो उस अभ्याय में दिवा नया है।

मन्त् जी

प्रो० हुनं० दुकान नं० 10, ग्राउण्ड फ्लोर, प्लाट नं० 3 प्रोरें 4, प्रीत नगर, दिल्ली-92, तादादी 157 वर्ग फ्रुट

> जी० फ्रुस० गोपाल, सक्षम प्राधिकारी सहायक ग्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण) ग्रर्जन रेंज-३, दिल्ली

तारीख: 30-1-1985 मोहर: प्ररूप बाइ. टी. एन. एस.,-------

आयकर अधिनियम, 1901 (1961 का 43) को बारा 269-थ (1) को अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहाथक जायकर आयुक्त (निरीक्षण) श्रर्जन रेंज-3, दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 30 जनवरी 1985

निर्देश सं० म्राई० ए० सी०/एक्यू/3/37ईई/6~84/391:---ग्रतः मुझे, जी० एग० गोपाल,

वायकर अभिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके परवास 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की भारा 26 अ-ख के अभीन सक्षम प्राईधकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्भीत, जिसका उचित बाजार मुल्य 25,000/- रु. से जधिक है

योर जिसकी संख्या 607 ए है तथा जो 9, बीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली में स्थित है (ग्रौर इससे उपाबद्ध ग्रनुसूची में पूर्व रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता ग्रधिकारी के कार्यालम ग्रर्जन रेंज, 3 नई दिल्ली, भारतीय आयकर ग्रधिनियम 1961 के ग्रधीन, तारीख जून, 1984

को पृयोंक्त सम्पत्ति को उचित बाजार मूल्य से कम के इत्यमान प्रतिपत्ल को लिए अन्तरित की गई है और मूम्ठे यह विद्यास करने का कारण है कि प्रथापूर्वोक्त सम्परित का उचित बाजार मूल्य. उसके इत्यमान प्रतिपत्त में, एर रज्यमान प्रतिफल का पंदाह प्रतियान से बांधक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (मन्सारतियां) के बीच एसे अन्तरण के लिए नय पाया गया प्रतिपल, निम्नोलिखित उद्वेदेय से उक्त अन्तरण लिखित में बार्स्टावक रूप से कथित नहीं किया गया है :----

- (क) जन्तरण ते हुई किसी आय को बावत, उस्क्र अधिनियम के प्रधीन कर द'ने के अन्तरक को दायित्व में कमी करने या उससे ब्रचने में सुविभा को लिए; और/या
- (ख) एँसी किमी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों का, जिन्हें भारतीय आपकार वाधनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अभिनियम, 1957 (1957 का 27) कं प्रवाजनाथ अंतरिती द्धारा प्रकट नहीं किया एया था या फिल्ल जाना चाहिए था फियानं में सुविधा के लिए;

ं अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अन्सरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपभारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :---

- 1. श्रीमती नीरा सेठी ग्रौर श्रीमती अरूणा भण्डारी, निवासी 16/334, खजूर रोड, करोल बाग, नई दिल्ली।
- 2 मै० खेमका इन्सट, मेंट लिमिटेड शैक्सपियर कोर्ट, शैक्सपियर सरीन, कलकत्ता

(प्रन्तरिती)

(ग्रन्तरंक)

को यह सुचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अजन के सिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के जर्जन के संबंध में कोई भी जाक्षेय ----

- (क) इस सूर्चना के राजपत्र में प्रकाशन की तारोच के 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचनां की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्षत व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना को राजपत्र में प्रकाशन की तारीच सैं ⁷ 45 विन को भीतर उक्स स्थावर सम्परित्त में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्तित द्यारा अधोध्रताक्षरी को पास लिखित में किए जा सकरागे।
- स्पष्टीकरणः----इसमें प्रयुक्त झब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अभ्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अभ्याय में दिया गया है।

मन्स्चा

प्रो० नं० 607 ए, प्लाट नं० 9, बीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली, मल्टीस्टोरी बिल्डिंग, (यू० सी०) सादादी 333 वर्ग फुट ।

जी० एस० गोपाल सक्षम अधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज-3, नई दिल्ली

तारीखः 30—1—1985 मोहरः अ प्ररूप बाधे. टी, एम., एस.,------

नायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारत 269-म (1) के अधीन सुचना

भारत् सरकार

ग्लयलिंग, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) ग्रजन रेंज 3, दिल्ली नई दिल्ली, दिनांक 30 जनवरी 1985

निर्देश सं० म्राई० ए० सी०/एक्यू/3/37ईई/6-84/392----म्रत: मुझे, जी० एस० गोपाल,

नग्रयकर अभिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्न अभिनियम' कहा गया है), की धारा 269-स के अभीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

म्रोर जिसकी संख्या 614 है तया जो 9, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली मे स्थित है (ग्रौर इससे उपाबद्ध ग्रनुसूची मे पूर्व रूप से वोंगत है), रजिस्ट्रीकर्त्ता प्रविकारी के कार्यालय म्रजन रेज 3 नई दिल्ली, भारतीय ग्रायकर ग्रधिनियम 1961 के ग्रत्रीन, नारील्व जुन, 1984

को पृथांकस सम्परित के उपित का कापर मुल्य से कम के दर्ग्यमान प्रसिफल के लिए अन्तरित की गई है और मूफे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उधित बाजार मूल्थ, उसके दर्ग्यमान प्रतिफल से, एसे दर्ग्यमान प्रतिफल का बन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अन्तरकों) और बन्दरिती (अन्तरितियों) को की एसे अन्तरण के लिए तय प्राया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित मे बास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :---

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उफत अधिनियम के अधीन कर दोने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या
- (ब) एरेसी किसी आय या किसी धन या अन्य कास्तियतें को जिन्हों भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धतुकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट तही किया गया था या किया जाता चाहिए था, छिपाने में मुविधा के लिए,

अतः अस, उक्त अधिनियम की धारा 269-य के बनुसरण में, में, उक्त अधिनियम की धारा-269-व की उपधारा (1) के ग्रधीन, निम्नलिश्विस स्थक्तियों, अर्थात :---- 1 श्री विनोद कुमार श्रानन्ध, निवासी मी--19, चिराग इन्कलेब, नई दिल्ली।

 भै० खोमका इम्सट्रूमैन्ट (प्रा०) लि० ग्रौक्सपियर कोर्ट, ग्रौक्सपियर सरीन, कलकत्ता।

(भ्रन्तरिती)

(अन्तरक)

को यह सुभना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्थन के सिए लिए कार्यधाहियां करता हरू।

उवत मर्म्यान के सर्जन के सर्वच में कार्य भी आक्षेप ह----

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीब से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सुष्पना की तासील से 30 दिन की अवधि, जा भी अवधि जाद के समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति दुवारा;
- (स) इस सूचना के राजपत्र म³ प्रकाशित की तारीस 'से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी जन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिप्तित में किए जा सकोंगे।
- स्पथ्टीकरणः :----इसमें प्यूक्त शब्दों और पर्धों का, जो उक्त विधिनियम के जन्माय 20-45 में परिभाषित है यही कर्थ होगा, जो उस झज्याय में दिया मुया है।]

अन्स् ची

प्रो० न० प्लाट नं० 614,प्लाट नं० 9, बीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली, मल्टीस्टोरी विस्डिंग (य० सी०) तादावी 352.5 वर्ग फुट ।

> जी० एस० गोपाल, सक्षम `प्राधिकारी सहायक ग्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण) ग्रर्जन रेंज 3,दिल्ली

तारीख: 30-1-1-1985 मोहर: प्ररूप आह.टी.एन्एस. ------

भाषमार मर्भिनियम, 1961 (1961 का 43) को भारा 269-म (1) के तथीन सुमना

भारत तरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयकर (निरीक्षण)

म्रजेन रेंज 3 दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 30 जनवरी 1985

निर्वेश सं० ग्राई० ए० सी०/एक्यू/3/37ईई/6-84/393:--यतः मुझे, जी० एस० गोपाल,

आपकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पद्मात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विक्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उम्रित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

भौर जिसकी संख्या 507 है, तथा जो 2 ए, बीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली में स्थित है (ग्रौर इससे उपाबद्ध ग्रनुसूची में पूर्व रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता ग्रधिकारी के कार्यालय ग्रजंन रेंज, 3 नई दिल्ली, भारतीय ग्रायकर ग्रधिनियम, 1961 के ग्रधीन, तारीख जून, 1984

को पूर्वोक्स सम्परित से उचित बाजार मूल्य से कम के इष्यमान प्रतिफल को लिए अन्तरित की गई है और मूफो यह विषवास करने का कारण है कि यथागूर्जोक्त सम्परित का उचित बाजार मूल्य, उसको दृष्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृष्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरिसियों) को बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिमित में बास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :---

- (क) अन्तरण से हुई किसी जाय की साबत उक्त अधि-नियम के अधीन कर दोने के जन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए आरि/या
- (क) एरेसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को., जिन्ह⁷ भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) को प्रयोजनार्थ अन्तरिती दूषारा प्रकट नहीं किया गया वा बा किया थाना पाहिए था, छिपाने में सुदिधा के जिस्द;

अतः वव, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अन्सरज भें, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-च की उपधारा (1) के अभीन, निम्नसिक्ति व्यक्तियों, अधाँत् ा----26 ---486GI[84

- 1. मैं० कैसाण नाथ श्रौर ऎसोसियेट, 1006, कंचनजुगां, 18, बाराखम्भा रोड, नई दिल्सी।
- श्रीमती ज्योति म्रानम्द सी/म्रो श्री के० के० श्रानन्द, निवासी एस-218, ग्रैटर कैलाश-II, नई दिल्ली।

(ग्रन्तरिती)

(अन्तरक)

को यह सुचना जारी करके पुर्वीक्त सम्परित के वर्जन के सिए कार्यवाही करता हूं।

उक्त सम्परित के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :----

- (क) इस स्चना को राजपत्र में प्रकाशन की नारौख से 45 विन की अवधि या तरसम्बन्धी व्यक्तियों पर सुचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो शी अवधि बाथ में समाप्त होती हो, को भीतर प्वोंक्त श्वक्तियों में से किसी व्यक्ति दनारा,
- (र्ड) इस सूचना को राजपत्र में प्रकाशन भरें सारीख से 45 दिन को भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित-बद्यध किसे अन्य व्यक्ति द्वारा अधेहस्ताक्षरी को पास लिखित में किए जा सर्कोगे।
- स्पष्टीकरणः — इसमें प्रयुक्त बच्चों और पदों का, जो उवत वाधनियम के अभ्याय 20-क में परिभाषित ह⁴, बही वर्ध होगा थों उस वभ्याय में विका गया है।

वन्स्यो

प्रो० नं० प्लाट नं० 507, पांचवीं मंजिल, कर्माग्रियल कम्पलेक्स, 'एलप्स, प्लाट नं० 2 ए०, बीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली, तादादी 205 वर्ग गज।

> जी० एस०गोपाल सक्षम प्राधिकारी सहायक ग्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण) ग्रर्जन रेंज 3, दिल्ली

तारीख : 30—1—1985 सोहर : प्ररूप भाइ ० टी० एन० एस०----

आपकार अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-व (1) के अभीन सुचना

मारत सरकात

कार्यालय,, सहाय्क आयकर आयुक्त (निरीक्षण) ग्रार्जन रेंज 3 दिल्लो नईदिल्नो, दिनांक 30 जनवरी 1985 निर्देजसंब्ध्वाईव्एवसोव/एक्यू/3/37ईई/6--84/84/394:----श्रात: मुझे, जीव्र एसव्योपाल

आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके परचात् 'उनला अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम पालिकारी का यह विख्यास कारने कर कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25 000/ रा. संअधिक है

ग्नीर जिसको संख्या 7 है, तथा जो प्लाट नं० 2 ए बीकाजो कामा प्लेप, नई दिल्लो में स्थित है (प्रौत इता उताउ अनुसूची में पूर्व रूप से वर्गित है), रजिरट्रीकर्ता प्रधिकारी के कार्यालय ग्रर्जन रेज 3 नई दिल्लो, भारतोय आयक' ग्राधनियम 1961 के प्रधोन तारोख जून, 1984

को पूर्वांक्त समपत्ति को उचित बाजार मूल्य से कम को दरयमान गतिफल को लिए अनरित का गई हैं और मुफो यह विश्वास करने का कारण है कि सथापूर्वोक्त सपत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दरयमान प्रतिफल से एसे दरयमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अनरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) को नीम एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिश्वित में बास्तविक रूप से कथित कही किया गया ही:----

- (क) मन्तरण से हुई किसी आय की बांबत, उक्त अधि-नियम के अधीन कर दोने के अन्तरक के दायित्व में कमी करूने या उससे क्वने में सुविधा के लिए; बीर/वा
- (श) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों ा जिन्हों भारतीन आगमार क्रितिश्म. 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ जन्तरितो द्वारा प्रकट नहीं किया गदा था किया जाना चाहिए था, छिपाले में स्विधा के सिए;

सत. अज. उज्जत अधिनियम कौं भारा 269-ए के अन्न रण मं, में, उक्त अधिनियम की धारा 269-ए की उपधारा (1) के मंभीन. निम्नलिखित व्यक्तिकों, अर्थात :---

 1. मै० कैलाश नाथ स्रौर एसोसियेट,

 1006 कंचन जुगां 18,

 बारा खम्भा रोड

 नई दिल्लो।

 (स्रन्तरक)

 2. श्रोमतो बिमल कुमारी

 निवासो 120

 सैक्टर नं० 3,

 ग्रार० के० पुरम

 नई दिल्लो।

 (भ्रन्तारती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्परित के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी काक्ष्मे :---

- (क) इस सूचना को राजपत्र में प्रकाशन की तारीस से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियाें पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, कै भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियाें में से किसी व्यक्ति दुवारा;
- (खं) इस सचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में द्रितबदध किन्द अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकोंगे।
- स्थब्दीकरण :------इसमें प्रयुक्त शब्दों और पर्दों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

व्युस्पी

प्रो० नं० सोप नं० 7, ग्राउण्ड फ्लोर, कर्मेशियल कम्पलेक्स 'एलप्स' प्लाट नं० 2 ए क्वोकाजी कामा प्लेस, नई दिल्लो, तादादो 88 वर्ग फुट । , जी० एस० गोनाल

जाव एसव गायल सक्षम स्राधकारी सहायह झायकर झायुक्त (निरोक्षण) झार्जन रेंज-3, दिल्लो

तारीखः 30−1−1985 मोहरः

भाग III--खण्ड 1]

प्ररूप आई.टी.एन.एस. -------

अपण्फर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-घ (1) के अधीन सुचना

भारत सरकार

कार्थालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) ग्राजेन रेंज-3, दिल्लो

नई दिल्ली, दिनांक 30 जनवरी 1985

मुझे, जी० एस० गोपाल,

जायकार अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके परवात् 'उक्स अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन राक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने को भारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. र जीवक है

श्रोर जिसकी संख्या 614 ए है, तथा जो 9 बीकाजी कामा प्लेप, नई दिल्लो में स्थित है (प्रोर इपसे उगावद्ध अनुसूचे) में पूर्व रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रांकर्त्ता श्राधिकारों के कार्यालय मर्जन रेंज 3, नई दिल्ली भारतीय श्रायकर श्रधिनियम 1981 के प्राधोन तरेशिव जुन, 1984।

को पूर्वोक्त सम्परित के उचित बाजार मूल्य सं कम के ख्ल्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुफे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सपरित का उजित वाजार मूल्य, उसके दश्यमान प्रतिफल सं एसे दश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्ररिाशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकारे) और मंतरिती (अंतरितियों) के बीच के एसे अन्तरण के लिए तय मार्था गया प्रतिफल, निम्नलिसित उद्दश्य से उक्त अन्तरण चिसित म वास्तविक रूप स कथित नद्दी किया गया है:---

- (फ) अन्तरण स हुई किसो लाय की बाबस, उदत अधिनियम के अधीन कर दोने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; बार/या
- (क) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आरितमो को, जिन्ह³ भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्ते अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया या दा किया जाना चाहिए था, छिपान में सुविभा **के लिए।**

अतः अभ, उयत आंधनियम की धारा 269-ग को, अनुसरण बरे, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) को अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थातः :--- श्रोमतो प्रामीला राय निवासी सो०–19, चिराग इन्कलेब नई दिल्ली।
 सै० खेमका इनसटुरमेन्ट (प्रा०) लि० सीक्सपियर कोर्ट, गेक्सपियर, सरीन, कलक्सरा।
 (प्रन्तरिती)

को यह सुचना जारी करके पुर्वाक्त सपरित के अर्जन के लिए कार्यवाहियां सुरू करता 8ंगू।

उक्त संपरित के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेपः---

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन को तारीख से 45 दिन की अवधि धा तत्संतंभी व्यक्तियों कर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, को भी अवभि बाद में समाप्त होती हो, के भीक्षर पूर्वोक्त व्यवितयो में से किक्ती व्यक्ति सुवारा;
- (ख) इस सचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारील स' 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्राहरणक्षरा के पास लिखित में किए जा सकर्ग।

स्पष्टीकरणः -- उसमें जरातत शब्दों और भदौं गा, जा रायम अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, यही अर्थ हागा जो उस अध्याय में दिया गया है।

मन्त् चौ

प्रो०नं० प्लाट ग० 614 ए०, प्लाट नं० 9, बीकाजी कामा प्लेस नई दिल्लो मल्टोस्टोरा विल्डिंग (यू० सी०) तादाक्षी 352.5 वर्ग फुट।

> जी० एम० गोतास सक्ष्म ग्राधिकारों, सहायक श्रायकर ग्रायुक्त (निरोक्षण) श्रर्जन रेंज-3. दिल्लो

तार)ख : 30-1-1985 मॉहर : प्ररूप आई. टी. एन. एस.-----

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-थ (1) के अधीन सुथना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अपर्जन २ेंज-3, दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 30 जनवरो 1985 सं० म्राई० ए० मो०/एक्यु/3/37ईई/6–84/396:––

भ्रतः मुझे, जी० एस० गोपाल

लायकर जींधनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख से अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विद्याग करने कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रा. से अधिक है

भौर जिसकी संख्या 4 डी/64 है, तथा जो श्रोल्ड राजेन्द्र नगर, नई दिल्ली में स्थित है (श्रौर इससे उपावद्ध भनुसूची में पूर्व रूप से वणित है) रजिस्ट्रीकर्त्ता मधिकारों के कार्यालय श्रर्जन रेंज 3, नई दिल्ली भारतीय म.यरुर ग्रंधिनियम 1961 के श्रधोन, तारोख 1984 ।

कां पूर्वों कत सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के रूप्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकर्ता के कार्यालय जयानगर में क्षारा 269 ए.बी. के अंतर्गत सक्षम अधिकारी के पास रजिस्ट्रीकृत किया गया है मुझे यह विश्वास करने

को कारण है कि यथोपूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य जसके धृष्यमान प्रतिफल से एसे इष्ट्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देष्ट्य से उक्त अन्तरण लिखित में बास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :----

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधि-नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या
- (स) एरेसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियो को, जिन्हों भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविभा के निराए;

जतः अब, उक्स जधिनियम की भारा 269-ग के अनुसरण में., मैं, उबत अधिनियम की धारा 269-घ की उगधारा (1) के अधीन, निम्नलिस्ति व्यक्तियों, अर्थात् :---- श्रीमती मोहिनी देवी घर्मपतनी श्री गिरधारी लाल, निवासी 4 डंगे/64, राजेन्द्र नगर, नई घिल्ली।
 श्री ग्रंगोक कुमार जैन सुपुत्र श्री के० मो० जैन, निवासो एच० 252, सरोजिनी नगर

नई दिल्लो ।

(भन्तरितो)

(मन्तरक)

को यह सुचना जारी करके पूर्गेक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति को अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी जाक्षेप :----

- (क) इस सूचना को राजपत्र में प्रकाशन की तारीख स 45 दिन की अवधि या तरसंबधी व्यक्तियाँ पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वीक्त व्यक्तियां में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (श) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख सं 45 दिन के भीतर उक्त सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरों के पास लिखित में किए जा सकरों।

स्पक्टीकरणः----इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उथत अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वहीं अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अन्स्ची

प्रो० नं० 4 डी/64, ग्रोल्ड राजेन्द्र नगर, नई दिल्ली तादादी 88.1 वर्ग फिट।

> जी० एस० गोपाल सक्षम अधिकारो सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्चन रेजे, दिल्ली

नारोख: 30-1-1985 मोहर : भग []]---खण्ड]]

भेषम बाहे. टी. एर. एस.------

मायकर अधिमियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-च (1) को अधीन सुचना

भारत सरकार

कार्यानय, महत्यक झायकर झायकर (निरीक्षण) सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

म्रर्जन रेंज-3, दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 30 जनवरी, 1985

सं• माई० ए० सी०/एक्यू/3/37ईई/6-84/397:---मत: मुझे, जी० एस० गोपाल,

नायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पक्षात् 'टक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-क के अधीन सक्षम प्राधिफारी को, यह विक्वास करने का कारण है कि स्थावर मंपस्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रू. से अधिक है

श्रीर जिसकी संख्या यू० जी 7 है तथा जो जनक पुरी, नई दिल्लो में स्थित है (ग्रीर इसमे उपाबख प्रानुसूचो में पूर्ण रूप से वणित है) रजिस्ट्रीकत्ता ग्राधकारी के कार्यालय, ग्रजन रेंज-3, नई दिल्लो भारतीय ग्रायकर ग्राधनियम 1961 के ग्रधीन तारीख जून, 1984।

को पूर्वोक्स सम्पत्ति के उचित बाजार मूख्य से कॅम के इत्यमान प्रतिफल को लिए अन्तरित की गई है और मुफे यह विक्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्स सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृष्यमान प्रतिफल से, एसे इध्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ही और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (बंतरितियों) के रीच एसे अंतरण के निए तय पाया गया प्रति-फल निम्नलिखित उद्देष्य से उक्स अन्तरण लिखित में वास्तविक इप से कथित नहीं किया गवा है :----

- (क) अन्तरम से हुइ किसी बाब की बाबत, उक्त अभिनियम के अधीन कर दोने के अन्तरक के समिल्म में अभी करने या उससे बचने में सुविधा के सिए; बीर/या
- (स) एरेसी किसी बाय या किसी भन या अभ्य. खास्तियां को, जिन्हु भारतीय आयकर अभिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अभिनियम, या धन-कर अभिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में युविभा के लिए;

जतः अव. उक्त अधिनियम कौ धारा 269-ग के अनुसरण म, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-च की उपधारा (1) इडि अधीन, निम्नलिचित व्यक्तियों, अधीरे :----

 1. जैना प्रापरटोज (प्रा०) लि०

 एडीनाथ सरी हाउस,

 श्रो० सुपर वाजार,

 कनाट नकैंस,

 नई दिल्ली।

 (ग्रग्तरक)

 2. श्री राजोव दत्त

 मुपुन श्रो बो० एल० दत्त

 श्रोमती ललिता दत्त

 धर्भपत्नी राजोव दन्न

 निवासी ई-ग/139,

 इन्दर पुरी, नई दिल्ली।

(ग्रन्तरितो)

को महस्**चना आरी करके पूर्वोक्त संपरित के** अर्थन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :----

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीस से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाध में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति ध्वारा;
- (क्त) इस सुचना को राजपत्र में प्रकाइत की तारीक्त से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी को पास लिकित में किए जा सकोंगे।
- स्वच्चीकेद्रणः -----इसमें अयुक्त शब्दों कौरू पदों का, वो तक्छ अभिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित ह⁶, वही कंथ होगा जो उस अध्याय में दिया गया ह⁸।

अन्सूची

प्रो० नं० यू० जी० ७, जैना टावर, डिस्ट्री० सेन्टर जनक पुरो, नई दिल्लो, तादादी 80 वर्ग फीट

> जी० एस० गोपाल सक्षम ग्राधिकारो

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

ग्रर्जन रेंज-3, दिल्ली

तारीख : 30-1-1985

मोहर ः

प्ररूप आह. टी. एन. एस. ------

मायक्षार अभिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-घ (1) के जधीन स्चना

माडव सरकाड

कार्यांनय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-3, दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 30 जनवरी, 1985

सं० आई० ए० सी०/एक्यू/3/37ईई/6-84/398.---अतः मुझे, जी० एम० गोपाल,

बायकर गौधनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमं इसके पक्ष्मात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विक्वास करने का कारण है कि न्धावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मृत्य 25,000/-रड. से अधिक है

श्रीर जितकी सख्या यू० जी० 10 है तथा जो जनक पुरी, नई दिल्तां में स्थि। है (ग्रीर इनमे उगाबद्ध अनुसूची में पूर्व रून मे वॉगा है), रजिस्ट्री कर्ता अधि हारी के कार्यालय अर्जन रेंज, 3 नई दिल्ली भारतीय आयकर अधिनियम, 1961 के अबीत नारीख जुन, 1984।

को पर्योदन सम्पत्नि के उचित बाजार मुल्य से कम के दश्यमान प्रसिफत के लिए अन्सरित की गई है और मुझे यह विक्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपरित का उचित बाजार मुल्य, उसके दश्यमान प्रसिफल से, एसे इश्यमान प्रसिफल का सन्द्रह प्रसिगत से अधिक है और अन्तरक (अन्सरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पावा गया प्रसिफल निम्नलिखित उब्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तयिक रूप से कथित नहीं किया गया है :----

- (क) अन्तरण से हुर्द किसी वाय की वायत अयस अभि-नियम को अभीन, कर दोने को अन्तरक को दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या
- (क) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों , को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया धा या किया जाना षाहिए था, छिपाने में सुतिधा को लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण मे, म⁴, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तिर्यों, अर्थात् :--- मै० जूना प्रोपरर्टाज (प्रा०) लि०। एडीनाथ सरी हाउस, ग्रौ० सुपर वाजार, कनाट सर्कस, नई दिल्ली। (अन्तरक)
 श्रीमती मुदेश कथुरिया धर्मपत्नी कॅ० एउ० कथुरिया निवासी सी०-18,

को यह सुचना जारी करके पूर्वावत सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हो।

विकास पूरी, नई दिल्ली।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेपः——

(क) इस सूचना को राजपत्र में प्रकाशन की तारीख सं 45 दिन की अवधि या सत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की सामील सं. 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वीक्त

ब्यक्तियों मे से किसी व्यक्ति बुवारा,

- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी बन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरों के पास लिखित में किए जा सकोंगे।
- स्पब्दोकरणः----इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, खो उक्त अधिनियम, के अभ्याय 20-क में परिभाषित हूँ, वहीं अर्थ होगा को उस अभ्याय में दिय। गया है।

अनुसूची

प्रो० नं० यू० जी०-10, जैना टाबर, डिस्ट्री सेन्टर, जनक पूरी, नई दिल्ली, तादादी 90 वर्ग फुट।

> जी० एस० गोंपास सक्षम अधिकारी, सहायक आयकर आयुक्त (निर्राक्षण) अर्जन रोज-3, दिल्ली

त्तारीख: 30-1-1985 मोहर : (अन्तरिती)

प्ररूप बाइ.टी. एन. एस. ----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-ष (1) के अधीन सुचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रोंज 3 दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांग 30 जनवरी, 1985

निदेग स० आई० ए० सी०/एक्यू/3/37ईई/ (-84/399---जिस: मुझे, जी० एस० गोपाल,

माण्फर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिस इसमें इसके परधात 'उक्त अधिमियत' कहा गया है). भ्री धारा ?69-क्य के अधीन मक्षम प्राधिकारी को यह तिश्वास कारने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्ण 25,000/-रइ. से अभिक है

श्रौर जिसकी सख्या यू०-जी० 11 है तथा जो जनक पुरी नई दित्ली, में स्थित है (श्रौर इमसे उपाइड अनुसूर्च में पुर्व रूप ऐ यणित है), रनिष्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के वार्यालय अर्जन रेंज 3, नई दिल्ली भारतीय आयकर अधिनियम 1961 के अधीन तारीख जून, 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उक्ति बाजार मूल्य से कम के दश्यमान प्रतिकन के लिए अंतरित की गई है और मुर्भे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उच्चित बाजार मूल्य, उसके दश्यमान प्रतिफान पे. एमें दश्यमान प्रतिफल का पच्छह प्रतिशत से अधिक हो और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरितौ 'अन्तरि' तयां के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया रनिफल जिन्दतिखित उदयरणों में उक्त अन्तरण लिखित जे वास्तविक रूप से कथित नही किया गया है :---

- (क) जम्तरण से हुई किसी आम की वागत, जवत अभिनियम के अधीन कर दोने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे अखने में सुलिधा के लिए; बौर्/वा
- (र) एसी किसी आय या किसी भन या अन्य आस्तियों क' जिम्हों भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ बन्तरिती द्वारा प्रकट तही फिया गया था या किया जाना भाहिए था, छिपाने में सुचिधा के लिए;

ङलः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनूसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) वे अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थांत :---- मै० जैना प्रोवर्स्टाज (प्रा०) लि० एडीनाथ सरी साउस, ग्रो० सुपर बाजार, कनाट सर्कस, नई बिल्ली (अन्तरक)
 श्री

(अन्सरिती)

को यह सूचना जारी करके पुर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए. कार्यवाहियां कररता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :---

- (क) इस स्चना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख सं 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूखना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर एवोंकन व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति ख्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्परित में हिंतबव्ध किमी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरों क पास् लिम्ति में किंग जा मर्क्षये।
- स्पर्ख्यीकरणः—-इसमॅ प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के लभ्याय 20-क में परिभाषित हैं, बही अर्थहोगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

वभ्षुपी

प्रो० नं० यू० जी⊶11, औंना टावर डिस्ट्री सेन्टर, जनक पूरी, नई दिल्ली, सादादी 155 वर्ग फुष्ट ।

> जी० एस० गोपाल, सक्षम प्राधिकारी सहायक आयंकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज 3,नई दिल्ली

तारीखः 30−1→1985 मोहर: बाक्स् जाइ".टी.एन्.एस.-----

वायकर अभिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-म (1) के अभीन सुचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज 3 दिल्ली

नई दिल्ली, विनांक 30 जनवरी, 1985

निर्वेश सं० आई० ए० सी०/एक्यू/3/3ईई/6-84/400. अत: मुझे, जी० एस० गोपाल,

गायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विक्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका नचित थाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

मौर जिसकी सख्मा 404 सी है तथा जो जनक पुरी, नई दिल्ली में स्थित है (म्रौर इससे उपाबद्ध अनुसूर्चा में पूर्ण रूप से वॉणत है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के वार्यालय, अर्जन रोज~3 नई दिल्ली मारतीय आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन, तारीख जुन, 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति को उत्तित बाजार मूल्य से कम के इष्यमान प्रतिफल वें लिए अन्तरित की गई है और मुफ़े यह विश्वास करने की कारण है कि यथापूर्वोक्त संपति का उचित बाजार भूल्य, उसके दृष्ट्यमान प्रतिफल से, एसे दृष्ट्यमान शतिफल के पन्द्रह प्रस्थित से अधिक है और अन्तरफ (अन्तरकाे) और अन्तरिती (अन्तरितियाे) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नीचिंषित उद्देश्य से उक्त अन्तरण किखित में वांस्त्विक रूप से कथित नहीं किया गया है:----

- (क) अन्तरण से हुई किसी आभ की वायत, उक्त अभिनियम के अधीन कर दोनें के अन्तरक के दावित्य में कमी करने वा उससे अपने में सुविधा की लिए; वीट्/वा
- (ख) एरेसी किसी आय या फिसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हों भारतीय जायरूर अभिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अभिनियम, या धन कार अधिनियम, 1957 (1957 का 27) क प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया भा या किया जाना जाहिए जा छिपाने में स्तारथा से सिए;

अतः अत्र, उक्त अभिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं. उक्त अभिनियम की भारा 269-व की उपभारा (1) के अभीन, <u>नि</u>म्नलिचित व्य<u>क्ति</u>याँ, अर्थात् ध—- मैसर्स प्रोभरटीज (प्रा०) लि० एडीनाथ सरी हाउस, ग्रौ० सुपर बाजार, कताट सर्जेस, नई विल्ली। (अन्तरक)
 श्री कपूर चन्द जैन सुपुत श्री खेम चन्द जैन, निवासी ए→99, विशास पुरी, नई दिल्लो।

कां यह सुचना जारी करके पूर्वोंक्त सम्परित के वर्जन के सिए कार्यवाहियां करता हरू।

उक्त सम्परित के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :----

- (क) इस सुचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सुचना की तामील से 30 दिन को अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, को भीतर पूर्वोक्त स्यक्तियों में से किसी स्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजगत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकोंगे।
- स्थथ्वीकरणः--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदौंका, जो उक्त अभिनियम के अभ्याय 20-क में परिभाषित इ., वही अर्थ होगाको उस अभ्याय में दिया गया है।

अन्स्ची

प्रो० नं० 404 सो०, जैना टावर, डिस्ट्री सेम्टर, जनक पुरी, नई दिल्ली, तादाधी 170 वर्ग फुट।

> र्जा० एस० गोनाल, संअम प्राधिकरी, सहाय हे आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज 3,नई दिल्ली

त्तारीख 30∽1—1985 मोहर : (अन्तरिती)

भाग III---खण्ड 1]

प्रकृप जाइ^र.टी.एन.एस.....

वायकर अभिनियम, 1961 (1961 का 43) कौं

भारा 269-घ (1) के मभीम सुचना

भारत बरकार

कार्यालय, सत्रायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज 3 दिल्ली

नई दिल्लो, दिनांक 30 जनवरी, 1985

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यू/3/37ईई/6-84/401:----अतः मुझे, जी० एस० गोपाल,

आयकर अभिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पक्ष्यात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित वाजार मून्य 25,000/- रु. से अधिक है

म्रोर जिसकी सख्या यू० जी० 14 ए०, है तथा जो जनक-पुरी नई दिल्ली में स्थित है (म्रोर इससे उपावद अनुसूची में पूर्ग रूप से वणिन है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय अर्गन रोज 3, नई दिल्ली भारतीय आयकर अधिनियम, 1951 के अधीन तारीखे जून, 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति को उचित बाजार मूल्य से कम के ब्रियमान प्रतिफल के लिए प्राग्तरित की गई है और मुझे पह विष्ठवास करने को कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उच्चित बाजार मूख्य उसके दृष्यमान प्रतिफल से, ऐने दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रड़ प्रतिगत मे प्रविक रे और प्रस्तरक (ज्ञस्तरकों) और अन्तरिनी (प्रस्तरितियों) के बीच रने ग्रन्तरण के लिए तय पाया गया बलिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त ग्रन्तरण निक्तित दे बास्त्यक स्प म कथित नहीं किया गया है :---

- (क) अन्तरण से हुई किसी आग की बाबत, उक्त अधि-नियम के अधीन कर दोने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या
- (क्ष) एेसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्ह¹ भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त मौधनियम, या धन-कर जीधनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोचनार्थ जन्तरिती ब्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना थाहिए था, छिपाने में स्विभाको निए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अन्सरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-थ की उपधारा (1) को अधीन, निग्नलिखित व्यक्तियों, अर्थांत् ह— 27—436 GI/84

- मै० औंना प्रोपरटीज (प्रा०) लि०। एडीनाथ सरी हाउस, ग्रो० सुपर बाजार, कनाट सर्कंस, नई दिल्ली।
- 2. श्री बीरज भूषण शर्मा सुपुद्र श्री तीर्थ राम शर्मा, निवासी सी०/5, न्यू कृष्णा पार्कं, धोली प्याऊ, नजफगढ़ रोड, नई दिल्ली।

(अन्तरिती)

(अन्तरक)

को यह सुचनां जारी करके पूर्वोंक्त सम्परित के अर्जन के लिए कार्यवाहियां बुरू करता हुं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप ः----

- (क) इस, सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ब) इस सुभना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख स 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी बन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकने।

स्पख्तीकरणः ——इसमें प्रयुक्त घब्दों और पदों का, षो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित ह⁴, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिसा गया ह^।

मनुसूची

प्रो॰ न ॰ 14 ए॰, जैना टावर, डिस्ट्री सेन्टर, जनक-पुरी, नई दिल्ली, तावादी--100 वर्ग फुट।

> जी० एस० गोपाल, सक्षम प्राधिकारी, सद्दायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जनरोंज 3 नई दिल्ली

तारीख: 30-1-1985

मोहर 🛚

प्ररूप आर्ड, टी एन. एत. -----

वायकार अभिनियम, 1961 (1961 का 43) कौ भारा 269-ग (1) के अभीन सुभना

मारत सरकार

कार्यालय, सहायक जामकर वायुक्त (मिरौकण)

अर्जनरें ज, नई विल्ली

नई दिल्ली दिनांक 30 जवनरी, 1985

निवेश सं० आई० ए० सी० एक्यू०/3/37ईई/6-84/402----अत मुझेः जी० एस० गोपाल,

मायकर मधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पक्ष्वात् 'उक्त मधिनियम' कहा गया है)., की धारां 263-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विक्वाम करने का कारण है कि स्थावर संपरित, जिसका उजित बाजार मुख्य 2000/ रुठ मे अधिक है

भौर जिसकी सं० यु० जी० 8ए, है तया जो जनक पुरी, नई दिल्ली में स्थित है (त्रौर इससे उपावद अनुसूची में भौर पूर्ण रुप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, अर्जनरे ज, नई दिल्ली, भारतीय आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन तारीख जून 1984,

को। पूर्वीक्त संपत्ति को उचित बाजार मुख्य से कम के इश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मभें यह विष्णाग करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचिते बाजार मल्य, उसके इश्यमान प्रतिफल से एसे इश्यमान प्रतिफल के पन्व्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियाँ) के बीच एसे बन्तरण के लिए तय पाथा गया प्रतिफल, निम्नलिबित उद्देष्य से उक्त अन्तरण लिवित में वास्तविक रूप से कॉथित नहीं किया गया है ---

- (क) अंतरण से हुइ किसी थाथ की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर दोने के अत्सरक खैं दायित्व में कमी करने वा उससे वचने में सुविधा के सिए; और/या
- (स) एसी किसी आय या किसी धन गा अन्य आस्तियों को जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना पाहिए था, छिपाने में सुविधा के जिए;

वतः जय, उक्त वधिनियम की धास 269-ग के अनुसरण ब^र, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-व की उपभारा (1) फे अधीन, ^{कि} म्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :---- (1) जैना प्रोपरटीज (प्रा०) लि० एडीनाथ सरी हाउस, घ्रो० सुपर क्षाजार, कनाट सर्कंस, नई दिल्ली

(अन्तरक)

(2) श्रीमति राज बेरी सुपुन्न वी० के० बेरी निवासी-प्लाट नं०-82, पाकेट-13, ब्लाक-सी-4-बी, जनक पुरी, नई दिल्ली

(अन्तरिती)

को यह सुचना जारी करके पूर्वोक्त सम्परित के जर्जन के लिए कार्यवाहिया करता हुं।

उनत संपति के गर्जन के संबंध में कोई भी साक्षेप :----

- (क) इस सुचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की जबधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वूक्त ब्यॉ क्तयों मांस किसी व्यक्ति इवारा,
- (स) इस सुचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपति मेक्ष हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकगे।
- स्पख्टीकरणः--इसमें प्रयुक्त वाब्दों और पदां का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित ह¹, वहीं अर्थ होगा जो उरू अध्याय मे दिसा गया ह¹।

मन्स्ची

प्रो० नं०--यू० जी० 8ए,जैना टावर, डिस्ट्री सेन्टर, जनक पुरी, नई दिल्ली, तादादी---80 वर्ग फिट 4

> जी० एस० गोपाल सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जनरें ज 3, नई दिल्ली

तारीख: 30-1--1985 मोहर: भाग ॥1—खण्ड 1)

8719

प्ररूप माइ. टी. एन. एस.-----

मायकर बाधिनियम, 1961 (1961 का 43) को भार। 269-घ (1) के अधीन स्पना

भारत सरकार

कार्धालय, सह्ययक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, नई विल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 30 जनवरी 1985

निदेण सं० आई ० ए० सी०/एक्यू/3/37ईई/6--84/403 ----अतः मुझे जी० एस० गोपाल,

आयकर अभिमियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पक्ष्वाल् 'उक्त अभिनियम' कहा गया हू°), की भारा 269-च के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विद्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रुपये से अधिक ह°

भौर जिसकी सं० 506, है तथा जो प्लाट नं० 3, जनक पुरी, नई दिल्ली, में स्थित है (श्रौर इससे उपाबद अनुसूची में भौर पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, अर्जन रेंज-3, नई दिल्ली भारतीय आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन सारीख जून 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के इष्यमान प्रतिफल के निए अन्तरित की गई है और मुझे थह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके फ्रयमान प्रतिफल से, ऐसे ध्रयमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिज्ञत से अधिक ही और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के चीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्वोध्य से उक्त अन्तरण लिखित में बास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:---

- (क) जन्दरणु से हुई किसी जाय की बाबत, उक्त अभिनियम के अभीन कर दोने के जन्तरक, के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और र/या
- (ब) एसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गणा धा या किया जाना बाहिए था, छिपाने में सुविधा बे सिए;

अतः अव, उक्त अधिनियम की भारा 269-ग के वनुसरन ग्ने, में, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग की म्पधारा (1) के अधीन, निम्नलिचित व्यक्तियाँ, अर्थातु :--- (1) जैना प्रोपरटीज (प्रा०) लि० एडीनाथ सरा हाडस मो० सुपर बाजार, कनाष्ट सर्कंस नई विल्ली

(३) श्री सतपाल भाष्टिया सुपुत्न श्री जे० एन० भाटिया, श्रीमती सुमन बाला भाष्टिया धर्म पत्नी श्रीमती सुमन बाला भाष्टिया श्री सतपाल भाष्टिया निवासी--बी--1/624,जनकपुरी,मईदिल्ली (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वीबत सम्परित के अर्थन के कायवाहियां शरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के जर्जन के संबंध में कोई भी माक्षेप :----

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाधन की तारीख से 45 विन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति ब्वारा;
- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबबुध किसी अभ्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकंगे।
- स्पक्ष्टीकारणः—-इसमें प्रयुक्त झव्यां और पदां का, जो उक्त अभिनियम के अभ्याय 20-क में परिभाषित ह⁴, जही अर्थ होगा जो उस अभ्याय में दिया गमा **ड**ै।

मन्त्रची

प्रीं० नं० प्लाष्ट नं०−506, पांचवीं मंजिल, प्लाष्ट नं०−3, अँना टावर, डिस्ट्री सेम्टर, जनक पुरी, नई दिल्ली, तादादी 462 बर्गफीष्ट,

> जी० एस० गोपाल सक्षम प्राधिकारी सह्रायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन दें ज--3, नई दिल्ली

तारीख: 30-1-1985 मोहर:

म्रक्य मग्नाः दी. एन्. एस्. -------

नायकर प्रधिमिषध, 1961 (1961 था 43) की छारा 269-व (1) के प्रदोग सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सह्ययक जायकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-3, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 30 जनवरी 1985

आयमर अभिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिते इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अभिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विख्वास करने का कारण है कि स्थावर संपरित, जिसका उचित आजार मुल्य 25,000/- रु. से अभिक्ष ही

मौर जिसकी सं० यू० जी० 32 है तथा जो जनक पुरी, नई दिल्ली में स्थित है (ग्रौर इससे उपायद अनुसूची में और पूर्ण रूप से वणित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, अर्जन रेंज-3, नई दिल्ली में भारतीय आयकर अधिनियम, 1961, तारीख जून, 1984 की पूर्वोक्स सम्पत्ति के उपित बाजार मूल्य से कम के इरयमान प्रतिफल के लिए अन्सरित की गई है और मूम्ने, यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दश्यमान प्रतिफल से, एसे उरयमान प्रतिफल का पंग्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और वंतरिती (अन्तरितियां) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त क्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:----

- (क) अन्तरण से हुई किसी शाय की वाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक की दायित्व में कमी करने या उससे अचने में सुविधा के खिए; बीर्/वा
- (ख) होती किसी बाय वा किसी धन वा अस्य आस्टिकों को, खिन्दू^र भारतीय जाय-कर अभिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अभिनियम, 1922 धन-कर वभिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रधोवनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया धवा था वा किया बाना बाहिए था, खिपाने में द्विथा के लिए:

बङ क्य, उक्त अभिनियम को भारा 269-न के जनुसरण में, मैं, उक्त अभिनियम की भारा 269-व की उपभारा (1) के अभीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :---

(1)	जैना प्रोपरटीज (प्रा०) लि० एडीनाथ सेसी हाउस म्रो० सुपर बाजार,
	कनाट सर्कस, नई विल्ली
	(अन्सरक)
(2)	श्री तविन्द्र पाल सिंह सुपुद्ध
	श्री सार दूल सिंह सेठी
	निवासीएफ64, गुरू नानक पुरा, जैल रोड,
	तिलक नगर, नई दिल्ली
	(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करको पूर्वोक्स सम्पति के अर्जत के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्बत्ति के बर्जन के सम्बन्ध में कोई भी बाक्षेप य----

- (क) इस सुचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीच थे 45 दिन की अवधिं या तत्सम्बन्धी व्यक्तियाँ वर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधिंग, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पुर्व्धेक्त क्यांक्तयां में से किसी व्यक्ति द्वादाः
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी बन्ध व्यक्ति इवारा अधाइल्याकरी के पात सिवित में किए जा सर्कोंगे।
- स्पथ्वीकरणः ⊸–इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अभिनियम, के अभ्याय 20-क में परिभाषित हैं, बही अर्थ होगा, जो उस अभ्याय में दिया द्वा हैं।)

अन्स् वीं

प्रौ० न०--यू०-जी०-32, जैना टावर, डिस्ट्री सेन्टर, जनक पुरी, नई दिल्ली, तादादी 155 वर्ग फिट,

> जी० एस० गोपाल सक्षम प्राधिकारी, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रें ज-3, नई दिल्ली

तारीख : 30--1--9185 मोहर : अंबम बाइ'. टी. एन्. एत् .--------

वायकर अभिनियम, 1961 (1961 का 43) को भारा 269-ष (1) के जभीनु सुष्ना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-3,नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 30 जनवरी 1985

निदेश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/3/37ईई/6-84/405----अतःम झे, जी० एस० गोपाल,

मायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके परचात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-म के अधीन संधम प्राधिकारी को यह विख्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रा. से अधिक है

ग्रौर जिसकी सं० यू० जी० 7-बी है तथा जो जनक पुरी नई दिल्ली, में स्थित है (ग्रौर इससे उपावद्ध अनसूची में ग्रौर पूर्णरूप से वर्णित

है), रजिस्ट्रें कर्ता अधिकारों के कार्यालय, अर्जन रेंज- 3, नई दिल्ली में भारतीय आयकर अधिनियम, 1961, के अर्धान तारीख जून 1984 को पूर्वीक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दर्घयमान पुतिफस के लिए अन्तरित की गई है और मुफे यह विध्वास करने का कारण है कि यथापूर्वीक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मुल्य, उसके दर्घ्यमान प्रतिफल से एसे धर्म्यमान प्रतिफल का बन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अत्तरिती (अंतरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तम पाया पया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देख से उक्त अन्तरण लिखित मे बास्तरिक रूप से कथित नहीं किया गया है ध----

- (क) अन्तरण से हुइ किसी आय की बाबत उक्त अधि-नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा को लिए और/या
- (शा) एरेसी किसी जाय या किसी भन या जन्य जास्तियाँ को, जिन्हें भारतीय जायकर अधिनियम, 1922 (1922 को 11) या उक्स अधिनियम, या भन-कर अभिनियम, 1957 (1957 को 27) के प्रयोजनार्थ अन्सरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविभा के लिए;

सतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के सनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-म की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित क्यक्तियों, अर्थांत् ⊑--- (1) जैना प्रोपरर्टाज (प्रा०) लिं० एर्डानाथ सरीहाउस,ग्रो० सुपर बाजार, कनाट सर्वंस नईदिल्ली

(अन्तरक)

(2) श्रीमति कौलाग बंसल धर्म परिन श्री आर० के० बंसल, निवासी---रमेश नगर, डी० एस०--क्वाटर, नई विल्ली---15

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वीक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए. कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्परित के अर्जन के सम्बन्ध में कोई मी आक्षेप हिल्ल

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीब से 4. दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वीकत व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति खुवारा;
- (ज) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास सिज्जित में किए जा सर्कोंगे।
- स्पक्ष्टीकरणः -----इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है है, वही अर्थ होगा जो उसे अध्याय में दिया नया है।

मनुस्ची

प्रौ० न० यू० जी०--7 बी, जैना टावर, डिस्ट्री सेन्टर, जन क पुरी, नई दिल्ली, तादादी-75 वर्ग फिष्ट ।

> जी० एस० गोपास सक्षम प्राधिकारी सह्यायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्खन रेंज–3, नई दिल्ली

तारीख: 30−1→1985 मोहर ः प्ररूप आइ. ट. एन. एस. - - ---

गत्यकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-च (1) के अभीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयकत (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-3, नई विल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 30 जनवरी 1985

निवेश सं० आर० ए० सी०/एक्ष्यु०/3/37ईई/6--84/406----अतः मुझे, जो० एस० गोपाल,

इसके परचात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विद्यास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

भीर जिसकी सं० यू० जी 16 बी० है तथा जो जनक पुरी नई दिल्ली में स्थित है (श्रीर इससे उपाबद अनुसूची में भ्रौर पूर्ण रूप से वर्णित

है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, अर्जन रेंज, नई दिल्ली में भारतीय आयकर अधिनियम, 1961के अधीन तारीख जुन 1984

को पूर्वीयत सम्पत्ति को उपित बाजार मूल्य से कम के करयमान प्रतिफल् के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विख्वास करने का कारण है कि यथापूर्वीयत सम्पति का उपित बाजार मूल्य, उसके पर्यमान प्रतिफल से, एसे करयमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और बन्दरिती (अन्तरितियों) के नीप एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्मलिखित उद्देव्य से उक्त अन्तरण लिखित में नास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :---

- (क) अन्तरण से हुइरे किसी आय की वाबत उक्त अभिनियम के अभीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी कर्टने या उससे वचने में सूविधा के लिए; और/या
- (क) एोसी किसी आव या किसी भन या जन्म झास्तियों को जिन्हें भारतीय जायकर जभिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त जभिनयम, या भन-कर अभिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ जन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया जा या किया जाना जाहिए था, छिपाने में सविजा की निग्र;"

वतः अभ, उक्त अभिनियम कौ भारा 269-ग के अनुतरक में, मैं, उक्त अभिनियम की भारा 269-थ की उपधारा (1) के अभीन, निम्न्सिखित व्यक्तियों, अभौत् ध— (1) जैना प्रोपरटीज (प्रा०) लि० एडीनाथ सरी हाउस, म्रो० सुपर बाजार, कनाट सर्कंस नई दिल्ली (अन्तरक)
 (2) श्री इन्दर पाल सिंह

सुपुन्न श्री दलींप सिंह, श्री विजेन्द्र पाल सिंह सुपुन्न श्री दलीप सिंह निवासी--मकान नं० 6, गांव बिन्दापुर, डाक धर-उत्तम नगर, नई दिल्ली (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पुर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां भूव करता हु:।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :----

- (क) इस सुचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तिया पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वीकत व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति दवाय;
- (श) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारी स 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बर्द्भ किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकोंगे ।
- स्पख्तीकरण :----इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अभ्याय 20-क में परिभाषित ह⁶, बह्री अर्थ होगा, खों उस अभ्याय में दिया नया ह⁶ [1]

बनुसुची

प्रौ॰ नं॰ यू॰ जो॰ 16 बी, जैना टावर, डिस्ट्री सेन्टर, जनक पूरी, नई दिल्ली, तादादी 80 वर्ग फिट ।

> जो० एस० गोपाल सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्थन रेंज-3, नई दिल्ली

तारीख : 30−1−1985 मोह्र ा

8723

प्ररूप बाइ. टी. एन. एस. -----

नायकर मधिनियम, 1961 (1961 का 43) कों भारा 269-म (1) के मभीत सुचना

भारत तरकार

कार्यालय, सहायक कायकर कायुक्त (निरीक्षण)

म्रर्जन रेंज 3, नई दिल्ली

नई दल्ली, दिनांक 30 जनवरी 1985

निदेश सं० ग्राई० ए० सी० एक्यू०-3/37ईई/6-84/ 407-ग्रितः सुझे, जी० एस० गोपाल,

मायकर अभिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिले इसकें इसके पर्ववात 'उक्त अभिनियम' कहा गया है), की भारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विद्यास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25.000/-रु से अधिक है

भौर जिसकी सं० 207 है तथा जो युसुफ सराय, नई दिल्ली में स्थित है (भ्रोर इससे उपाबढ़ मनुसुची में श्रोर पूर्ण रूप से वॉणत है) रजिस्ट्रोकर्ता श्रधिकारी के कार्यालय मर्जन रेंज 3 में भारतीय श्रायकर ग्रधिनियम 1961 के श्रधोन तारीख जुन 1984

को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूस्य से कम के इक्यमान प्रतिफल को लिए अन्सरित की गई है और मुफे यह विदवास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित नाजार मूल्य, उसके दश्यमान प्रतिफल से, एसे दश्यमान प्रतिफल का पम्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकॉ) और अंसरिती (अंतरितियों) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रति-फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथिस नहीं किया गया है :----

- (क) अंतरण से हुइ किसी जाब की बाबत, उक्त अधिनियन के अभीन कर देने के अंतरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के सिए; और/या
- (श) एोसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तिय। को, जिन्हुरें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या भन-कर आधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ जंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविभा को शिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अभौभ. निम्मजिचित स्यक्तियों, अर्थात '~ (1) म्रार० पार० एपार्टमेंट (प्रा० खि०) एडोनाथ सरी हाउस म्रो० सुपर बाजार, कर्नांट सर्कस, नई घिल्लो ।

(मन्तरक)

(मन्तरिती)

को यह सम्पना जारी कारके पूर्वोक्त सम्पत्ति को अर्जन को लिए. कार्यवाहियां घुरू करता हुं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :---

- (क) इस सूचना को राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तरसम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो औ अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीक्षर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सुचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख स 45 दिन के भीतर अक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी को पास लिखित में किए जा सकोंगे।
- स्पच्टीकरणः :---इसमें प्रयुक्त शब्दों और पद्यों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वहीं अर्थ होगा, जो उस अध्याय मे दिया गया है।

अनुसूची

प्रो० नं० 207 जैना कर्माशयल कम्पलेक्स, युसुफ सराय नई दिल्ली तादादी 285 वर्गफीट ।

> जी० एस० गोपाल सक्षम प्राधिकारी, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) मर्जन रेंज-3, नई बिल्ली

दिनांक : 30-1-1985 मोहर : प्रकृष वाडी.टी.एन.एस. ------

सावकार जीभनियम, 1961 (1961 का 43) क^क भारा 269-म (1) को बभीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर जायुक्त (निरक्षिण)

भर्जन रेंज-3, नई दिल्ली

नई विल्ली, दिनांक 30 जनवरी 1985

निदेश सं० झाई० ए० सी०/एक्यु-3/37ईई/6-/ 84/408----झत: मुझे, जी० एस गोपाल,

नायकर अभिनियम, 1961 (1961 का 43) (चिसे इसमें इसके पदचात 'उच्त अभिनियम' कहा गया है), की थारा 269-ज के अभीन सक्षम प्राधिकारी को यह विदवास करने का कारण है कि स्थावर सम्परित, जिसका उजित वाजार मुल्ज 25,000/-र3. से अभिक है

भौर जिसकी संव युव्जीव 9वी है तथा जो जनकपुरी नई दिल्लो में स्थित है और इससे उपाबढ अनुसूची में और पूर्ण रूप से वणित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारों के कार्यालय मर्जन रेंज-3 नई दिल्लो में भारतीय आयकर अधिनियम 1961 के अधी/न तारीख जून 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम से कम सरमान प्रक्षिफल को लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अंतरित की गइ है और मुमे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापुर्वोक्त सम्परित का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, एसे रूश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंत-रिती (अंतरितियों) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्वेश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:---

- (क) बल्हरण दे हुई कि बी साथ की सावत, उसक वधिनियम के जधीन कर दोने के सम्प्ररक के दादित्य में कमी करने दा खबखे बुचने में दुनिया के सिए; और/वा
- (वा) एरेसी किसी आय या किसी धन या अन्य वास्तियों को, जिन्हु⁵ भारतीय गाय-कर अभिनियम, 1922 1922 का 11) या डक्त अभिनियम, या जन-कर अभिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना वाहिए था, छिपाने में सुविधा वो बिए;

भतः भग, उसत जभिनियम की भारा 269-ग के मनुसरम भं, में खयल अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :---- (1) जैना प्रोपरटीज (प्रा०) लि०, डोनाथ सरो हाउस , ओ० सुपर बाजार, कनाट सर्कस, नई दिल्ली।

(म्रन्तरक)

(2) श्री सागर मल शर्मा, सुपुत्र श्रो स्वर्गीय श्री घ्रन्नत राम शर्मा निवासो डब्ल्यू जैड०-26, मनोहर पार्क रोहतक रोड़, नई दिल्ली ।

(भ्राःतरितो)

को यह सुचना जारी करके पूर्वोक्त सम्परित के अर्जन के लिए. कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के कर्जन के सम्बन्ध में कांई भी काक्षेप :----

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी मबभि बाद में समाप्त होती हो, को भीतर पूर्वोक्स भ्यक्तियों में से किसी व्यक्ति इनारा;
- (ब) इस सूचना के राजपत में प्रकाशन की तारीख सं 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सपति में हित्बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास विचिश में किए णा सकेंगे।
- स्पच्छीकरणः इसमें प्रयुक्त झब्दों और पदों का, खो उक्त अभिनियम, को अध्याय 20-क में परिभाषित ही, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया यवा ही।

भनुसुची

प्रो० नं० यु० जीं०--9क्षी जैमा टावर डिस्ट्री सेन्टर जनकपुरी, नई दिल्ली, तादादी 100 वर्गकीट ।

> जो० एस० गोपाल सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकरु ध्रायुक्त (निरीक्षण) **ग्न**र्जन रेंज--3, नई दिल्लो।

विनांक : 30-1-1985 मोहर: प्ररूप आई.टी.एन.एस.-----

आयकर अभिनियम, 1961 (1961 का 43)¹की धारा 269-घ (1) के अधीन स्घना

भारत मरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेज-3, नई दिल्लो

नई दिल्लो, दिनाभ 30 जनवरी 1985

निदेश स० फ्राई० ए० सो० एक्यु०/3/37ईई/6-84/ 409—ग्रात मुझे, जी० ए० गोपाल,

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पेक्चाल् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), को धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विक्यास करने का कारण है कि रथावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25 040/- रु से अधिक खे

श्रीर जिसकी स यु० जी०-50 है तथा जो जनकपुरी, नई दिल्लो मे स्थित है (श्रीर इसम उपाबद्ध श्रनुसूचो मे श्रीप पूर्ण रूप से वणित है) रजिन्द्रीकर्ता श्रधिकारी के कार्यालय श्रजन रेज-32 नई दिल्ली मे भारतीय श्रध्यकर श्रधिनियम 1961 के श्रधोन कारीख जून 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उतित बाजार मूल्य प कम के दश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई और मूझे यह विख्वास, करने का कारण है कि यथापूर्वाक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ही और अन्तरक (अन्तरकों) और बन्तरिती /अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गवा प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण चिन्द्रित मे बास्तविक रूप से कथित नहीं कया गया ही

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्स अधिनियम के अधीन कर दोन के अन्तरक द दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा दायित्व के लिए, और/या
- (स) एरेसी किसी आय या किसी धन या जन्म आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयक-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, का धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ जन्सरिती द्वारा प्रकट नंही किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

(1) जैना प्रोक्टींज (प्रा०) लि०, एडोनाथ सरी हाउस, श्रो० सुपर बाजार कनाट सर्कस नई दिल्ली ।

(भ्रन्तरक)

(2) श्र। प्रकाश चन्द्र रक^{्न} सुपुत्र श्री राम जा करुड , निवासो एम–50 विकास पुरा, नई दिल्ला–18 ।

(मन्तरिती)

को यह सुधना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यकाहिन करता ह

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सबंध में कोई भी आक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियाें पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियाें में से किसी व्यक्ति द्वारा,
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधाहस्ताक्षरी के पास लिसित में किए जा सकोंगे।
- स्पष्टीकरणः— इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों 'का, जो उक्त अधिनियम, के अभ्योय 20-क में परिभाषित है, वहीं अर्थ होगा, जो उम अभ्यद्भ में दिया गया है।

जन्सुची

प्र1० न० यु०ञो⊸5ए जैना डिस्ट्रो सेन्टर जनकपुरी नई दिल्लो,तादादी 100 वर्गफोट

> जो एस० गोपाला सक्षम प्राधिकारी, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) क्रार्जन रज---3, नई दिल्ली

दिनाक 30-1-1985

मोहर 🔍

प्ररूप बाई. टी. एन. एस.-----

बायकट अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-व (1) के अधीन सुचनी

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आग्रकर आगुक्त (निरीक्षण)

ग्रर्जन रेंज-3, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 30 जनवरी 1985

बायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-स के अधीन सक्ष्म प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मृज्य 25,000/- रु से अधिक है

और जिसको पं० जी-17 ए है तथा जो जनकपुरी, नई दिल्ली मे रिथत है (और इससे उपाबढ़ अनुसूचे, मे और पूर्ण रूप से वणित है) रजिस्ट्रोकर्ता अधिकार, के पार्थालय अर्जन रेंज-3, नई दिल्ली मे भारतीय अध्कार, प्रॉिन्रिम 1961 के अधीन तारीख जुन 1984

को पृर्धोक्स सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के इस्वमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकर्ता के ठार्यालय हाँसकोटे में धारा 269 ए.बी. के अंतर्गत सक्षम अधिकारी के पास 'रजिस्ट्रीकृत किया गया ही.मुझे यह विश्वास

करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दरयमान अतिफल, से ऐसे दरयमान प्रतिफल का मन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरका) और अंत-रिती (अंतरितियां) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिसित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिसित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :--

- (क) बंतरण से हुई किसी बाय की बाबत, उक्त बिधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में स्विधा के लिए; और/या
- (स) एरेसी किसी आय यां किसी थन यां अन्य आस्तिय को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 को 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया डाना चाहिए था, छिपाने के सुविधा को लिए।

अत[,] अंब, उक्त अधिनियम कौ धारा 269-ग के, अन्सरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित, व्यक्तियों, अर्थात :--- ो टॉं ्) , ,
 एडोनाथ लर, हाउज, ओ० सुपर बाजार कनाट सर्कस, नई दिल्लो।

(ग्रन्तरक)

(2) श्री ग्रमरजीत सिंह सुपुत्र श्री जगराम सिंह , निवासी मकान नं 10 गांव बिन्दीपुर डाकघर उत्तम नगर, नई दिल्ली। (ग्रन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहिया शुरू करता हु।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध मे कोई भी आक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकारन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वीक्त व्यक्तियों म से किसी व्यक्तिं द्यारा;
- (रू) तर्मे सूचना के रातपत्र में प्रकाशन की जारीख से , 45दिन को भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बदध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरों के फस लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरणः ---- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त ' अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

मन्सूची

प्रोर्फ्टी नं० जी–17ए जैने टावर ाडस्ट्रा, सन्टर जनकपुरो नई दिल्ली, तादादो 90 वर्गफोट ।

> ्रूजी० एस० गोपाल सक्षम प्राधिकारी, सहायक[≪]आयुकर आयुक्त (निरीक्षण) ग्रर्जन रेज−3, नई दिल्लौ

दिनांक : 30-1-1985 मोहर : प्ररूप बाइ.टी.एन एम. -----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-घ (1) के अधीन सुचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

ग्नर्जन रेंज-3, नई दिल्ली

नई दिल्ला, दिनाक 30 जनवरा 1985

निर्देश सं० ग्राई० ए० सो० एवयु (3/37ईई/५-८4/ 411----ग्रुत: मुझे, जो० एम० गोगल,

थायक अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चार ('उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारों को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु. से अधिक है

ग्रीर जिसकी संo 85 है तथा जो न्यु राजधानो इन्क्लेव नई-दिल्ली-92 मे स्थित' है (ग्रींग इससे उप्रावद्ध ग्रनुसूची में और पूर्ण रूप से वणित है) जिन्हों कर्ता ग्रधिकारो के कार्यालय ग्रजन, रेंज-3, नई दिल्ली में भारतोय ग्रायकर ग्रधिनियम

1961 के ग्रधोन तारोख जून 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के इश्यमान श्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुफ्ने यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरको) और अन्तरिती (अन्तरितियाँ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त जन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नही किया गया है:---

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर दोने के अन्तरक के दाधित्व में कमी करने या उससे बचनेक्में सुविधा के लिए; और/या
- (स) एसी किसी आय पा किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (10?? या 1) या सकृत अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया लंगा था या किया जाना चाहिए था. छिपाने में स्विधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उबत अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) रे बधीन, ्रिम्नलिखिए व्यक्तित्यों,, अर्थात् क्व---

- (1) एल० एन० मोदी एन्ड सन्मे
 (एच० यु० एफ०)
 तिवासो सी-8 साउथ एक्सटेंशन पार्ट-2
 नई दिल्ली
 (ग्रन्तरक)
 (2) श्री सुदेण कुमार
 - 2) त्रा सुदश कुमार निवासो 469 देव मोटर. मार्कीट हमोलटन रोड, कथ्मोरो गेट, दिल्लो ू (ग्रन्तरिती)

का यह सूचन। जारी करके पूर्वोक्त सपत्तिन्के वर्जन के सिए कार्यवाहिया करता हा।

उक्त सपति के जर्जून के सबध में कोई भीं जाक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राजपत में प्रकाशन की तारीस से 45 दिन की अवधि या तत्सकेधी व्यक्तियों पर मूचना को तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति दुवारा;
- (ख)-इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीस से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपरित में हितबद्ध किमी अन्य व्यक्ति द्वारों अथोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकर्ग।
- स्पैंग्टीकरणः--इसमें प्रयुक्त क्शब्दों और पदां का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हो, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया हो।

<u>अन्स्चौ</u>

प्रौ० नं० प्लाट न० 83, न्यु राजधानी इनकलेव नई दिल्ली-92

जो एस० गो गल सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) ग्रर्जन रेंज~3, नई दिल्ली

दिनांक : 30-1-1985 मोहर ः प्ररूप आई. टो. एन. एस. -------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहाथक आयकर आयक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेज-3, नई दिल्लो

नई दिल्ली, दिनाक 30 जनवरी 1985

निदेश सं० झाई०० ए० स्।० एक्यु०/3/37ईई/6−84/412/⁻ झतः मुझे हुजो० एस० गोपल,

नायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अणिनियम' कहा गया है) की धारा 269-स के अधीन स्थम प्राधिकारी को, यह विदेवास करने का कारण ब्रिड स्थावर नम्पतिर, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रा. से अधिक है

भौर जिसको संब 411 बा है तथा जो जनकपुरी नई दिल्लो में स्थित है (ग्रीर इससे उपाबद्ध अनुसूची मे श्रीर पूर्ण रूप से बणित है) रजिन्ट्रजकर्ता श्रधिकार के कार्यालय ग्रर्जन रेंज-3, नई दिल्लो मे श्रायकर श्रप्रिनियम 1961 के श्रधोन तारोख जुन 1984

को पूर्वाक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मूझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अनतरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच एरेसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्वदेश्य स उक्त अन्तरण लिखित मे वास्तविक रूप से कीथत नहीं किया ग्या ही :---

- (क) अन्तरण से हुई फिसी आप को बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर दैने के अंतरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में स्ट्रीवधा के लिए; और/या
- (स) एरेसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों कों जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोज-नार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या था या किथा जाना चाहिए था, छिपाने में सुषिधा को लिए;

कतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-च के क्षनूसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-च की उपधारा (1) के अभीग, निम्नलिसित व्यक्तियों, अर्थात :--- (1) जैना भोपर्शेज (प्रा०) लि०,
 एडोनाथ सरी हाउस, भ्रो० सुपर बाजार,
 कनाट सर्कस, नई दिल्ली।

(मन्तरक)

(2) श्रो सो० के० रामपाल सुपुन्न श्रो, हेमराज रामपाल, निवासो–ए– 80 शकर गार्डन, नई दिल्ली।

(भन्तरिती)

को यह सूचना जारो करके पुधाक्त सम्पत्ति के अर्जन की लिए कार्यवाहिया करना हुं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :---

- (क) इस सूचना को राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वीक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य वक्ति द्वारा अधोहस्त्याक्षरी को पास लिखित में किए जा सद्येगे।
- स्पणडोकरणः——इसमे प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित ह¹, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिवा गया ह⁸।

अन्मूची

प्रो० नं० 411ए, जैनाटावर, डिस्ट्री सेन्टर, जनकपुरी, नई दिल्लो, नादादो-७5 वर्गफोट।

> जो० एप० गोतल सक्षम प्राधिकारी 'सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) ग्रर्जन रेज़~3,नई दिल्मो,~110002

दिनाकः : 30-1-1985 मोहर ब प्रारूप बाइ. टी. एन. एस. ------

बायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) को धारा 269-थ (1) के अधीन सुचना

भारत सरकार

कार्यालय, द्रह्यायक वायकर आयुक्त (निरीक्षण)

म्रजन रेज-3, नई दिल्ली

नई दिल्लो, दिनाक 30 जनवरा 1985

निदेश म म्राई० ए० मो० एक्यु०/3/37ईई/6-84/413 म्रतः मुझे, जी० एस० गोपाल,

वासकर अधिनियमं, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमे इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की भारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थायर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु से अधिक है

मौर जिसको स० यू०, जो 7 सा, है तथा जो जनतपुरो, नई दिल्ली मे स्थित है (श्रीक इसपे उन वद्ध ब्रनुजूचो में श्रीर पूर्ण रूप से वणित है) रजिस्ट्रे क्ती ग्रधिकार। के नार्थालय अजंन-रेंज-3, नई दिल्ला में ग्रायकर ग्राधिनियम 1961 के मधीन तारीख जुन 1984 -

को पूर्वोक्त संपरित के उचित जाजार मूल्य से कम के स्वयमान प्रतिफल को लिए अन्तरित की गई है और मुर्भे यह बिएवास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्स सम्पत्ति का उंचित बाजार मूल्व, उसके दरयमान प्रतिफल से एत्से दरयमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ही और अन्तरक (अन्तरकां) और जन्दरिती (अन्तरितियां) को बीच एते अन्तरण के लिए तय पाया पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उच्छेरेय से उक्त अन्तरण बिचित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है....

- (क) बन्तरण से हुई किसी आय की याबत, उल्ल अधिनियम के अधीन कर देने के जन्सरक के दायित्व में कमी करने या उसने बचने में सुविधा के लिए; और/वा
- (श) एरेसी किसी आय या किसी धन या अन्य आरितयो को जिन्हें भारतीय ,आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनयम, या भन-'कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया भा या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

मत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग क अनुमरण मों, मीं. उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिसित व्यक्तिवो, अर्थात् :---

- (1) जैना प्रोर्ग्टीज (प्रा०) लि एडीनाथ सरी हाउस, ओ० सुगर वाजार, कनाट सर्कस नई दिल्लों ।
 - (ग्रन्तरक)
- (2) श्री सो० के० इन्डनानो सुपुत्र श्री जे० जी० इडगाने, सा/स्रो०, श्री ग्राप्र० के० निवास, निवासी बी-2/बा147, जनकपुरी, नई दिल्ली। (मन्तरिती)

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबध में कोई भी आक्षेप :---को मेह सुचना जारी करके पूर्वोक्त सम्परित के अर्जन के लिए कार्यवाहिया करता हूं।

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तरसंबंधी व्यक्तियों पर सूचना की सामील से 30 दिन की अवधि, जा भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इ.स. सुचना के राजपत्र में प्रकालन की सारीख से 45 दिन के भीतर उक्का स्थावर संपरित में /हतबद्धा जिखित में किए जा सकगे।
- स्पथटीकरणः —— इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो उक्स अभिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वहीं अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया बबा है।

वन्त्वा

प्रो० न० यु०-जो०-7सो जैना टावर, डिस्ट्रो सेन्टर जनक पूरी, नई दिल्ली, तादादो 75 वर्गफोट ।

> जी० एस० गोपास ंसक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरक्षण) क्यर्जन रेंज---3, नई दिल्ली-110002

दिनाक . 30-1-1985 मोहर :

्रिमाग [[]**---ख**ण्ड 1

ं प्ररूप⊹ माइ्रै, टी. एन्, एस., -----

भायकार अधिनियम, 1961 (1961 का 43) कौ भारा 269-म (1) को अधीन सुमना

भारत सरकार

कार्याक्षय, तहायक जायकर वायुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-3, नई दिल्ली

नई दिल्लो, दिनांक 30 जनवरो 1985

निदेश सं० अगई० ए० सी० एक्यु०/3/37ईई/6-84,414 म्रत: मुझे, जी० एम० गोपाल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चार्, 'उपत अधिनियम' कहा गया है), की भारा 269-च के अभीन सक्षम प्राधिकारी को यह विख्वास करने का इरारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मुल्य 25.000/- रु. सं अधिक ही

भौर जिसको सं० यु० जी०-12 है, तथा जो जनकपुरो, नई दिल्लो में स्थित है (भौर इससे उपाबद अनुसूचो में भौर पूर्ण रूप से वणिन है) रजिस्ट्रोकर्ता प्रधिकारा के कार्यालम मर्जन रेंज-3, नई दिल्लो में भ्रायकर श्रधिनियम 1961 के मधोन तारोख ज्ञा 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति को उचित वाजार मुख्य से कम के ख्यमान प्रतिफल को लिए अन्तरित की गई है और मुक्ते यह विश्वास करने का कारण है कि बथापूर्वोक्त संपित्ति का जाचत बाजार मूल्य, उलके इत्यमान प्रतिफल से, ऐसे दत्यमान प्रतिफल का मन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकां) और बन्तरिशी (अन्तर्दातियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय बाबा गया प्रतिफल, निस्नीसीचत उद्वदेय से उक्त अन्तरण केचित में बास्तविक रूप से कथित नहीं किया बया है :----

- (क) अंतरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त जभिनियम के अधीन कर दोन के बन्तरक को दायित्व में कोनी करने या उत्तरों वचने में सुविभा के लिए; और/या
- (1) ए`सी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियाँ को, जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, था घन-इधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तारती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया आना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

बतः अब, उपत अधिनियम वरी भारा 269-ग के अनुसरण में, मी, उक्त अधिनियम की भारा 269-ज की उपभारा (1) के अधीन, निम्नलिक्ति व्यक्ति गों, अर्थात् :--- (1) जैना प्रोपरटोज (प्रा०) गि०, एई/नाथ सर¦ हाउपा ओ० सुपर वात्रार, दानाट सर्कस, नई दिन्त. (ग्रन्तरक

(2) श्रीमतो चारमों देव , धर्मपत्नी श्री चन्दर्शसह, निवासा बो -3/186, जनकपुरी:, नई डिल्ल ,

(फ्रन्तरित

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के ि कार्यवाहिया शुरू करता हु।

उक्त संपत्ति को अर्जन के समध में कार्ड भी आक्षेप :----

- (क) इस सुचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीझ 45 दिन की अवधि या तत्सवधी व्यक्तियां सूचना की तामील में 30 दिन की अवधि, जो अवधि बाद में मनाप्त तोनी हो, जे भीवा श्वीं व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति दबारा.
- (ख) इस सुचना के राजपत्र में प्रकाशन की सार्राख 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर पफरित में शिक्षव किसी अन्य व्यक्तित द्वारा जगहाताकारी के लिखित में किए जा सकांगे।
- **.स्पक्टीकरणः--इसमें** प्रयुक्त शब्दों और पदा का, जो उ अधिनियम, के अध्याय 20-कमें परिभा **ह**ै, वहा़ी अर्थ इांगा, जो उस अध्याम में दि गया ह**ै।**

अन्युप

प्रो० न० यु०-जी०-12, जैना टावर, डिस्ट्री सेन्ट जनकपुरी, नई दिल्ली, तादादी 155 वर्गफोट।

> जो० एम० गो।त सक्षम प्राधिका सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षक प्रर्जन रेंज–3, नई दिल्लो-11000

दिसांक: 30-1-1985 मोहर अ प्ररूप बाई. टी. एन. एस.-----

मायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) कौ धारा 269-व (1) के अधीन स्वना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरक्षिण) ग्रर्जन रेंज~3, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 30 जनवरी 1985

निदेश सं० आई० ए० सो० एक्यु ०/ 3/ 37ईई/ 6-84/415

ातः मुझे_। जी० एन० गोपाल,

ायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें सके परचात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 69-रू के अधीन मक्षभ प्राधिकारी को यह विक्वास करने का गरण: है कि स्थावर समात्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 5,000/- रा. से अधिक है

"रीर जिसको स० य०-जी०-4, है तथा जो जनकपुरी, नई दिल्लों में स्थित है (ग्रींग इसमे उपाबद्ध ग्रनुसूचों में ग्रीर पूर्ण रूप से वांगत है) राजिस्ट्रोकर्ता ग्रधिकारों के कार्यालय ग्रर्जन रेज-3, नई दिल्लों में. ग्रायंकर ग्रधिनियम 1961 की के ग्रधीन तारीख जन 1984

तो पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित डाजार मूल्य से कम के इत्यमान गलिफल को लिए अन्तरित की गई है और मूफी यह विश्वास करनं का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार रूख उसके दश्यमान प्रोतफल से, एसे दश्यमान प्रतिफल का रन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरितौ (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया गतिफल निम्नलिखित उद्देश्य स उक्त अन्तरण लिखित में रक्तविक रूप से कथित नही किया गया है :---

- (क) जन्तरण से हुई किन्दी आय की बाबत, व क्त अधिनियम के अधीन कर देने के जन्तरक के-दायित्व में केनी करने या उसमे बचने ये सविधा के लिए, आर/दा
- (ख) एसी किसी आय या किमी भन या अन्य आस्तिण को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, दा धन-कर जीवनियम, 1957 (1957 का 27) क के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था. छिपाने में सुविभा के लिए;

नतः अब, उक्त नधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण में, में, उक्त अधिनियम की धारा 269 घ की उपधारा (1). के जभीन निम्तरिर्णला स्परित्यों अर्थात --- " (1) जैना प्रोगरटीज (प्रा०) लि, एडीनाथ सरो हाउस, ओ० सुपर बाजार कनाट सर्कस, नई दिल्लो ।

(म्रन्तरक)

(2) श्रो सुभाष ∤चन्द्र भल्ला श्रौर श्रो ग्रशोक कुमार भल्ला, सुपुत्र श्रो मोतो राम भल्ला, ति्वासी डब्ल्यु जैड–32, कृष्णा पार्कस्टेशन, नईदिल्लो।

(ग्रन्तरिं ी)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्तिः कें अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हुं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी जाक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियाें पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जे भी अवधि बाद में समाप्त हाती हो, के भीतर पूर्वोक्स व्यक्तियां में से किसी व्यक्ति द्वारा,
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपरित में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी क पास लिखित में किए जा सकोंगे।

स्पच्टीकरणः—–इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अभिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित .ह⁴, वहीं अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

ग्रनुसूची

प्रो० नं० यु०-जो०-4, जैना टावर, डिस्ट्रो सेन्टर, जनकपुरी; नई दिल्ला । तादादी 205 वंगेफोट ।

> जी० एस० गोपाल सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) म्रर्जन रेंज-3, नई दिल्लो 110002

दिनांक · 30-1-1985 मोहर प्ररूप बार्ष. टी. एम. एर. .------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धार्य 269-घ (1) के अधीन सूचना

मार्त तरकार

कार्यालय., महायक आयकर जायुक्त (निरीक्षण)

-र्जन रेजन्म 3, नई दिल्ल

नई दिल्ली, दिनाक 30 जनवरी 1985

मिदेश सं० आई० ए०- सं/० एक्यू०/ 3/37ईई 6-84/416 ग्रतः मझे जा० एस० गोपाल,

बायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चार्स् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षाम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण ही कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूच्य 25,000/- रा. से अधिक ही

और जिस्तक, सं० 603 है तथा जो जनभपुर, नई टिल्ल, मे स्थित है (ओर इस्से उपाबढ़ अनूसूची मे और पूर्ण रूप से नॉणन है (रजिस्ट्र,वाती अधिनार, के वार्यालय क्रर्जन रेंज-3, नई थिल्ला में भारत य आग र अधिनियम, 1961

के मधंगन तारः जून 1984

को पूर्वोक्स सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के इत्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुफ्ने यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सपत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तचिक रूप से कथित नहीं किया गया है :---

- (क) अन्तरण संहुई किसी जाव की बाबत, उन्क्त : अधिनियम के अभीन कर दोने के अन्तरक को दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा जो लिए; और/या
- (ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों कां, जिन्हू भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती ड्वारा प्रकट नही किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

बत: जब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के बनुसरण में, में, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, वर्षात् क्र--- (1) जैना प्रोगर्टींग (प्रा०) जिल, एंड,नाथ (र, हाएर, ओ० सुपर बाजार, कन्मट र्स्नेन, नई दिल्ला।

(ग्रन्तरङ्)

(2) श्रामत, कौलाश अग्रवाल, धर्मपत्न, श्र, ग्राटं० के० ग्रग्रवाल, निवास, स.-- 2स, पाकेटन० 2, ल.टनं० 76, जनकपूर,, नई दिल्ल। ।

(भ्रन्तरिती)

क्तों **बह सूचना** जारी कल्को प्तोक्त सम्पन्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहिया करता हु।

उक्त सम्पत्ति के वर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप .---

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीप्त से 45 दिन की अवधि या तत्सवधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वों कर - व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
 - (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीक स 45 दिन के भीतर उक्त स्थाधर सम्पत्ति में हितबद्भ किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास् लिखित में किए जा सकोंगे।
- स्पद्धीकरण :--इसमें प्रयुक्त शब्दों आरे पदों का, जो उक्स अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित ह⁴, बही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया हु⁴।

मन्स्ची

प्रों० नं० 603, तेन टानर, डिस्ट्र, सेन्टर, जनशपुरो, नई दिलल, ।

ादाद, 300 वर्गफ.ट।

जी० एस० गोपाल सक्षम प्राधिकार: सहायक झायकर आयुक्न (गिरीक्षण) ग्रर्जन रेंज∽ 3, नई धिल्ला-110002

दिनां र[°] 30 • 1- 1985

ATES B

REF HILLER, QT. QN.

णायक उमा भूतियम न 1961 ((1961 का 43) को भारा 269-म (1) के अभीत सूचना

धारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

•**ध्र**जेनरें जन्न 3, नई दिल्लो

नई दिल्लो, दिनांक 30 जनवरो 1985

निदेश सं० आई० ए० सी०/एक्यु०/3/37ईई/6--84/417----म्रतः मुझे, जी० एस० गोपाल,

बावकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43). (जिसे इसमें इसके पक्ष्पात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्परित, जिसका उचित बाजार मृल्य 25,000/-रु. से अधिक है

और जिसकी संव युव जीव-16एव, है तथक जो जनक पुरी, नई दिल्ली, में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनसूची में और पूर्ण रूप से बणित है), रजिस्ट्रीकर्ता प्रधिकारी के कार्यालय, ग्रर्जन रेंज-3, नई दिल्लो भारतीय आयक्षर प्रधिनियम, 1961 के ग्रधीन तारीख जुन, 1984,

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के इक्यमान प्रतिफल को लिए अन्तरित की गई है और मुभ्छे यह विक्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके इक्यमान प्रतिफल से एसे इक्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिश्वत से अधिक है और अन्तरका (अन्तरकों) और अन्तरिति (प्रंतरितियरों) के लीक एपेने अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्वे हो से उक्त अन्तरण लिखित में वास्त्विक रूप से कथित नहीं किया गया है क्षे---

- ((क)) जन्तरण से हुइ किसी जाय की वावत, उक्स विधिनियम के व्योन कर दोने के अन्तरक के दायित्व में कभी करने या उससे वयने में सुविधः क्रे लिए; बॉर्ट/या
- (क) एरेसी किसी आय या किसी धन या जत्य आस्तियों को, जिन्हों भारतीय जाय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या भन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) को प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किंगा गया था या किया जाना धाहिए था, छिपाने में सुविधा के सिए;

णतः जब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-त्र की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् १----29,--486GI/84 (1) जैमा प्रोपरट,ज (प्रा०) पि० एउ नाथ सर, ट्राउस,आ० सुपर बाजार, कनाट लक्तेस, नई दिल्ली

(भ्रन्त रक)

(2) मै० शक्ति न्डस्ट्रियल स्टेम्पिग इन्डस्ट्रियल और, भारत भुषण, निवासी-23, राषा गार्डन, नईदिल्ली

(ग्रन्तरिती)

को यह सूचना कारों करके पूर्वोक्त संपरित के कर्जन के जिप कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:--

- (क) इस सूचना को राजपत्र में प्रकाशन की तारोख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियाँ पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पृबेक्स व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति ख्वारा:
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीस से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य न्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकोंगे।
- स्पद्धीकरणः--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियस, के अभ्याय 20-क में परिभाषित हैं, बही अर्थ डोगा जो उस अभ्याल में दिया गया भाग

अनुसूची

प्रो० नं० 16ए, जैना टावर, डिस्ट्रो सेन्टर, जनक पुरी, नई दिल्ली, तादादा--75 वर्ग फिट ।

> जी० एस० गोपाल सक्षम प्राधिकारी सहायक श्रायकर श्रायुक्त (निरोक्षण) श्रर्जनरें ज– 3, नई दिल्ल।

तारोख · 30−1--1985 मोहर ⊯ प्ररूप आर्ड<u>्</u>टी एन एस.------

स्रायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की थारा 269-घ (1) के अधीन सुचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निर्दाक्षण)

ग्रर्जन रेंज-3, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांश 30 जनवरी 1985

निर्देश सं० म्राई० ए० सी० एक्यु०/3/37ईई 6--84/418----भ्रत मझे, जी० एस० गोपाल,

आगकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पत्र्यास् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), को धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राप्तिकारी को यह विख्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मुल्य 25,000/- रुठ. से अभिक है

और जिसकी संo 404बींo, है तथा जो जनक पुरी नई दिल्ली, में स्थित है (और इससे उपाबद्ध श्रनुसुची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के वार्यालय, ग्रर्जनरे ज⊶3 नई दिल्ली भारतीय ग्रायकर ग्रधिनियम, 1961, के श्रधीन तारीख 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के इत्त्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वाम करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित वाजार मूल्य, उसके दश्यमान प्रतिफल से एसे दश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण निखित में वास्तविक रूप से कथित नेहीं किया गया है:---

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर दोने के अंतरक के दायित्थ में कमी करने या उससे बचने में सुर्विधा के लिए; और/या
- (ण) एरेसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्ह¹ भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 को 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 को 27) के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना भाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नसिक्षित व्यक्तियों, अर्थात् :---- (1) जैना प्रोपरटीज, (प्रा०) गि० ण्डानाथ संस्त हाउस; आ० सूपर वाजार, कनाट सर्केस, नई दिल्ली

(फ्रॉन्गे प)

(2) श्रःमति श्राणा रानं, धर्म पाव्न श्रः एच० ग्रार० बागमः, निवासाल2/5, तिलक नगर, नई दिल्ली-18

(ग्रन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पर्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां गुरू करता हुं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :----

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी ध्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, को भीतर पूर्वीक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति दवारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 बिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य बक्ति द्वारा अधोहस्त्याक्षरी के पास लिखित में किए जा सर्कोंगे।
- स्पर्ध्वीकारणः इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदो का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हू⁵, यही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया ह**ै**।

अनुसूची

प्रो० नं०-404, बी, जैना टायर, डिस्ट्री गेन्टर, जनक पुणे, नई दिल्ली, तादादी--130 वर्ग फिट

> जी० एस० गोपाल सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जनरें ज - 3, नई दिल्ल

तारीख · 30-1-1985 मोहर अ भाग [[]--ज़•ह 1]

Rev and . cl. et. ge .-----

जानकर वीधनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-व (1) के बुधीन सूचना

शारत पुरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

ग्रर्जन रेंज-3, नई दिल्लो

गई दिल्लो, दिनांक 30 जनवरी 1985

निदेज सं० अई० ए० सः० एक्यु०/3/37ईई/6-84/419-अत मूझे, जो० एकरारेपास,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके परुचात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया हैं), की धारा 209-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वाख करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ रु. से अधिक है

और जिसक सं० यू० जा० 8, है तथा जो जनक पुरा नई दिल्ली मे स्थित है (ओर , ससे उपाबढ़ अनुसूच, में और पूर्ण रूप से वणित है), रजिस्ट्रीयती अप्रधतार के यायरिय, इर्जन रेज- 3, नई दिल्ली

मे आयकर आधितिरम, 1961 के अधीत तार रू जून 1984 को प्योक्त सपात्त को जॉकत बाजार मूल्य से कम के दरयमाद प्रतिफल के लिए बन्तारत को गई है और मूफे यह विक्लास करने का कारण है कि यथापूर्वोवत सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके उस्प्रमान प्रतिफल से, एस दरयमान प्रतिफल का बन्दह प्रात्मान म जॉभक है जोर बन्तरक (बन्तरकों) और बन्तरिती (क्रिकेट के जिस उद्द स्थ से उक्त बुन्तरण कि लिए तथ पाया गया प्रतिफल, निम्नानेखित उद्द स्थ से उक्त बुन्तरण कि बिए ब बास्तरिक रूप से कथित सुही किया गया है के---

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत., उक्त अधितियम के अधीन कर दोने के अन्तरक को दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा को बिए; बौट/वा
- (ख) इरेसी किसी बाथ या किसी धन था अन्य आस्तियों को, जिन्ह भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोबनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

बणः इव. उक्त अधिनियम की भारा 269-म के बन्धर भों, में, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :---

(1) जैना प्रोपरटाज, (प्रा०) लि० एडंानाथ सरी हाउस, सुपरा बाजार, कनाट सर्कंस, नईदिल्ली

(ग्रन्तरक)

(2) श्री चाको थोन्काणन्द सुपुत श्री चाको चाको, निवासी- वाई- 2, हौज खास, नई दिर्ल्ला (ग्रन्तरिती)

को यह सूचना घारों करके पुर्वांक्त संपरित के वर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हुन्।

उक्त सम्पत्ति के वर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :----

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीस सं 4.5 दिन की अवधिया तत्सम्बन्धी व्यक्तियां पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वा के व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति दुवारा,
- (ख) इस सूचना के राजपत्र से प्रकाशन की तारीस स 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्परित में हितबद्ध किसी सन्य क्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पाछ लिखित में किए चा सुके गूँ॥
- स्पख्टीकरणः इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-कं में परिभाषित इ⁴, बही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

डन्त्वी

प्रौ० न० गू० जी०- 8, जेना टावर, डिस्ट्री सेन्टर, जनक पुरी नईदिल्ली, तादादी- 80 वर्ग फिट

> जी० एस० गोपाल सक्षम प्राधिकार. सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज- 3,नई दिल्ली

तारीख • 3−10−1985 मोहर :

[भाग 111--- बण्डे 1

हरून वाइ. दी. १न. एस., -----

भाषकर मधिनियम: 1961 (1961 का 43) की भारा 269-भ (1) के मधीन स्थुना

बाडलं ब्राकाट

कार्यासय, सहायक नायकडु मायुव्द (निर्दालन)

म्रजन रेंज-3, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनाक 30 जनवरी 1985

निदेश सं० द्याई० ए० स₁० एक्यु०/3/37ईई/6--84/420----म्रत' मुझे, जी० एस० गोपाल,

वायकर वधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके परचात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया हैं), की धारा 269-स के बर्धान सक्षम प्राधिकारौं को यह विस्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्परित. जिसका उचित बाजार मुन्य 25,000/- रह. से अधिक है

और जिसकी सं० यु० जी० 7ए०, है तथा जो जनक पुरी नई दिल्ला मे स्थिव है (और इससे उपाश्वद्ध प्रनुसूर्च। में और पूर्ण रूप से वणित् है) रजिस्ट्रीवर्ता प्राधिकारी के वायलिय, अर्जन रेज-- 3 नई दिल्ली भारतीय श्रायकर श्रधिनियम, 1961, के श्रधीन, तारीख जन, 1984,

को पूर्वोक्त संपरित के उचित बाजार मूल्य से कम के दरयमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुभे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मुख्य, उसके क्रयमान प्रतिफल से, एरेसे क्रयमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अंतरकों) और अंतरिती (जन्तरितियों) के बीध एसे जन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति-क्रम दिम्नीसिक्त उद्यदेख से उक्त जन्तरण निवित में वास्तविक क्यू से कथिक नहीं किया थया है क्य-

- (क) अन्तरण से हुई किसी साय का वावत, उक्स वाधिनवच के वधीन कर देने के बन्तरक के दाधिरू में क्रामी करने दा उन्द्रो बुखने में तृषिता के विष्ट; क्रीट/या
- (वा) एरेसी किसी बाथ था किसी धन या बन्य बास्तियाँ को, चिन्हुं भारतीय जाय-कर सीधनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या बन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) कीं प्रयोधनार्थ जंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा को लिए;

भला भव. उजरा वभिनियम कौ भारा 26%-म के वनुसरम में, मैं, उक्त अधिनियम की भारा 269-घ की उपधारा (1) के बाधीन,, निस्तलिखित व्य**िन्धयाँ**य **अभौद ४**---- (1) जैना प्रोपरटाज (प्र०) लि० एडीनाथ सरी, हाउस,औ० सुपर बाजार, कनाट सर्केस, नई दिल्ली

(म्रन्तरक)

(2) श्रं, सुजार्नासह राना सुपुत एस० उजागर सिंह राणा, निवासी⊶182, फतेह नगर, नईदिल्ल।

(मन्तरिती)

को यह सूचना जारी करको पूर्वोक्त सम्परित के अर्जन के लिए, कार्यवाहियां करताहूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी जाकोप ह----

- (क) इस सूचना को उराजपत्र में प्रकाशन को तार्टी को 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों प्र सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, खो भी अवधि नाद में समाप्त होती हो, को भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा?
- (व) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीव वे '45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के कात लिसित में दिए जा सकेंगे।

ल्लुमडीकरणः--इसमें प्रयुक्त सम्दों और पद्यों का, भई दलदा सभिनियम, के अभ्याय 20-क में दृरिप्राषिष हैं, वही अर्थ होगा को उस सभ्याय में दिवा गया है।

अनुसूची

प्रौ० नं० यु० जो०- 7 ए०, जैना टावर डिस्ट्री सेन्टर,जनक पुरी, नई दिल्ली, तादादा⊶100 वर्ग फिट,

> जो० एस० गोपाल संक्षम प्राधिकारी सहायक ध्रायकर घ्रायुक्त (निरीक्षण) मर्जन रेंज→3, नई दिल्ली

िविनौक ' 30 - 1 - 1985 मोहर ड प्ररूप साइ. टी. एन. एस. ========

मायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (मिरीक्षण)

ग्रर्जन रेंज-3, नई दिल्लो

नई क्लिली, दिनांक 30 जनवरी 1985

निदेश सं० आई० ए० सी०एक्यू०/3/37ईई/6-84/421 ग्रत मुझे जी० ए०स गोपाल

त्रायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिस इसम इसके पत्त्वात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की भारा 269--ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विख्वास करने को कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० जी-14वा है तथा जो जनकपुरी, नई दिल्लो में स्थित है (और इससे उपाबढ़ अनूसूची में और पूर्ण रूप से वर्णिन है) रजिस्ट्रोक्वर्ता ग्रधिकारी के कार्यालय अर्जन रेंज-3, नई दिल्ली के प्रधीन भारनीय ग्रायकर ग्रधिनियम 1961 के ग्रधीन तार्राख जुन 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के इत्यमान प्रतिफल के लिए अन्तर्रित की गई है और मुभे यह विश्वास करने का कारण है कि बधापूर्वोक्त सम्पत्ति का उजित बाजार मूल्य, उसके धश्यमान प्रतिफल से एसे दश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिवास से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरतियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण किखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है ध्---

- (क) वन्तरच से हुइ किसी वाय की बायत, उनत वर्धिनियम के अभीन कर देने के अन्तरक व्ये दायिल्ल में कमी करने या उससे वचने में सुविधा के लिए;) वरी/या
- (ख) एरेसी किसी आय या किसी धन या अन्य व्यक्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के सिए।

अतः अधः, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसारण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ध की उपधारा (1) - के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों क अर्थात् हू---- (1) जैना प्रोपरटीज (प्रा०) लि०, एडीनाथ सरी हाउस, ओ० सूपर बाजार, कनाट सर्कंस, नई दिल्ले ।

(ग्रन्तरक)

(2) केप्टन जे० एन० जौहर, सुपुन स्वर्गीय श्री सरद1र प्रभात सिंह, निवासी र्वा⊶1/500, जनकपुरी, नई दिल्ली।

(ग्रन्तरिती) 🛔

को यह सुचना आरी करके पूर्वोक्त सम्पस्ति के बर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हो।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई काक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि था तरसम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की रामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीषर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारील से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपरित में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति दूवारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सर्कने।
- स्पच्चीकरण :----इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित ह⁶, बही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया **ह**ै।

मन्स्य

प्रो०नं०14बी, जैनाटावर डिस्ट्री सेन्टर, जनकपुरी नई दिल्ली ।

तामादी 100 वर्गफीट।

जी० एस० गोपाल सक्षम अधिकारी सहायक प्रायकर ग्रायुक्त (निरक्षण) ग्रर्जन रेंज-3, नई दिल्ली

दिनांक · 30-1-1985 मोहर ध

प्ररूप गाई.टी.एन.एस ------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269-ध (1) के अभोन सुचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

म्रजन रेंज-3, नई दिल्ल।

नई दिल्ला, दिनाका 30 जयनर्र। 1985

निदेश स० आई० ए० र्स.० एक्यू०/3/37ईई/6-84/4272 श्रधः मुझे जी० एरा० गोपाल

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके परचात् 'उक्त अधिनिगम' बहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित क्षाजार मूल्य 25,000/- रा से अधिक है

और जिसक. स० ज ~25 है तथा जो पायचम विहार, नई दिल्ली मे स्थित है (आर न्ससे उपाबद अन्तू रूच मे आंग पूर्ण रूप से वर्णित है) राजस्ट्र उत्ती आधा गरी के वगर्यानय प्रजेन रेज--3, नई पल्लं से आगत र आयवार आधिनियम 1961 वे अधान ताराख न्य 1984

को पूर्वीक्स सम्पत्ति के तोचत ते गए सता स कम के दृष्यान प्रतिफल के लिए अल्तारा को गई हैं और मझे यह विश्वान करने का काश्या है कि स्थापूर्वोक्स भभ्यति का उपित बाजार मूल्य, चसके दृश्यमान प्रतिफल रो एस उत्स्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिघत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरको) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बोच एके अन्तरण के लिए तम पामा मया प्रतिफल, निम्नजिक्ति उब्बेश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तमिक रूप स कथित नहीं किया गया है ---

- ′(क) अन्तरण से हुइै किसी आय की बाबत, अक्त अधिनियम के अधीन कर दोने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने गा उससे बजाने में सुविजा को सिए; और/या
- (भ्र) एंसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 को 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 को 27) के प्रयोजनार्थ अन्धिनियम, 1957 (1957 को 27) के प्रयोजनार्थ अन्दरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सूविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग्म के अन्सरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधास (1) के अधीन, निर्म्नालखित व्यक्तिया, अर्थातु ---- (1) जैना प्रापस्टाज (प्रा०) लि०, एडानाथ सर्र। हाउस, भ्रपा० सूपर वाजार, जनाट सर्कस, नई दिल्ले, ।
(अन्तरक)
(2) श्रा सजय भ्रभ्रवान, सुपुत्र श्रा एन० के० भ्रभ्रवाल, श्रो दलबीर िंह, सुपुत्र स्वर्गीय श्रा रघुबार सिंह, निवास। ए--2/40, पण्चिम विहार, जैना सोपिग दफ्पलेक्स नई दिल्ली ।

को यह सूचना जारी करके पूर्वाक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहिया जुरू करता हु।

उक्त संपत्ति को अर्जन को सबध में काई भी आक्षेप .----

- (का) इस सूचना को राजपत्र में प्रकाशन की तारीस से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील स 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, को भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति दबागा,
- (ख) इस सूचना क राजपन में प्रकाशन को तारोख से 45 दिन क भातर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास निस्तित में किए जा सकोंगे।
- स्पर्धनेकरणः इडमां प्रयुक्त कव्यों औरु पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, सही अर्थ होगा जो उस अभ्याय में दिया गया है।

नन्मुची

प्रो० नं० जो-25, जैना कोणिंग क्षम्पलेक्स, पश्चिम विहार नई दिल्ली ।

जतादादी 100 वर्गफीट ।

র্যাত দৃশত গাণাব सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) प्रजन रेंज- 3. नई दिल्ली

दिनांक 30-1-1985 मोहरु - (স্পন্র(পরা)

SAA ald. 2. 24' arress

तायकर वर्षिनियम, 1961 (1961 का 43) की प्रारा 269-घ (1) के अधीन स्थन।

हारत ररकाड

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

ग्रर्जन रेंज- 3, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 30 जनवरो, 1985

निदेश सं० ग्राई० ए० सी० एक्यू०/3/37ईई/6--84/423 ग्रत: मुझे, जी० एस० भोपाल,

बायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पत्रवात 'उन्त अधिनियम' कहा गया है), को धारा 269-ख के अधीन लक्ष्म प्राधिकारी को यह विक्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/-रु. से अधिक है

और जिसर्क रां० बो-22 है तथा जो जनकपुरी, नई दिल्लो मे स्थित है (और इर'मे उपाबद्ध अनूसूची मे और पूर्ण रूप से वर्णित है) राज ट्री कर्ता ग्राधिकार, के वार्यालय ग्रर्जन रेंज-3, नई दिल्ली में भारतीय आयकर अधिनियम 1961 के प्रधीन तार्र छ जून 1984

को पूर्वोज्स सम्पर्कत के उगित बाजार मूल्य से कम के इत्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुफ़े यह विश्वास धरने का कारण है कि यभापूर्वोक्त सम्पत्ति का रचित बातार मूख्य, उसके दरयान प्रतिफल के, एसे उभ्यमान प्रतिफच का पंदह प्रसिण्जन से अभिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (मंतरिसिया) के बीच रसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति-फल निम्नतिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्त-विक रूपू मे कथित तही किया गया ही क्र---

- (क) अन्तरण से हुई किसी बाय की बाबत उक्त अधि-नियम के अधीन कर दोने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में राविधा के लिए: और/बा
- (का) गिमी किसी बाथ या किसी भन या अन्य आस्तियों को, जिन्ह भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या अब आकर प्रथिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट न्हीं किया गया भाषा किया जाना चाहिए था, छिपाने में स्विधा को लिए,

रात गर उक्त अधिनियम की धारा 269-ग कैं, अनुसरण मे, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन. निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :--- (1) जैना प्रोपरट.ज (णा०) दि०, एड ज्ल र ट्राइस, अयो० रुपर बाजार, ब'नाट रार्टन, नई दिन्ता ।

(ग्रन्तरस)

(2) मै॰ एच॰ वा॰ ग्रार॰ पेन्टर्स, प्रो॰ श्रा हरज त सिंह थापर, निवास,--एच-31, बाली नगर; नई दिल्ली। (ग्रन्तरिती)

कों यह तूचना कारी करकं प्वोंकल सम्परित के वर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्परित के अर्थन के मन्त्रक थे करेहे भी साक्षेप:--

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाधन की तारीस से 45 दिन की जबभिया तत्सम्बन्धी व्यक्तियाँ पर सूचना की तासील सं 30 दिन की सबसि, जो भी सबर्थि साद में समाप्त लोती हा, के भीतर प्वॉक्ल व्यक्तिमों में से फिल्ल ज्यक्ति हुए, द्यागा;
- (प) इस युषना के राजपत्र वों प्रकाषन की तारीस से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अग्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरों के पास् रिजरभत रे फिस्टु न सकोंगे।

स्पष्टीकरणः — इसमें प्रयुक्त सब्दों और पदों का, जो उक्त अधितियम से अध्याय 20- 5 में परिभाषित है, वहीं अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया **।

वनूस्**व**ि

प्रो० नं० बी-22, जैना टावर, डिस्ट्री सेन्टर, जनकपुरी, नई दिल्ली ।

तादादी 170 वर्गफीट।

जी० एस० गोपा सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) श्रर्यत रेंज~3, नई दिल्ल.

दिनांक • 30-1-1985 मोहर :

भाग III-खण्ड 1

बायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-घ (1) के अभीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज–3, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 30 जनवरी 1985

निदेश सं० आई० ए ० सी० एक्यु०/ 3/ 37ईई/ 6-84/ 424 ---अत: मुझे, जी० एस० गोपाल

अायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), को धारा 269-ख के अधीन, सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/-ए. से अधिक है

यौर जिसकी सं० 110ए है तथा जो जनकपुरी, नई दिल्ली में स्थित है (यौर इससे उपाबद्ध अनुसूची में यौर पूर्ण रूप से वर्णित है)) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय अर्जन रेंज-3, नई दिल्ली में भारतीय आय कर अधिनियम, 1961 के अधीन तारीख जून 1984

को पूर्वोक्त संपरित के उचित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुफ्ने यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दश्यमान प्रतिफल से, एसे दश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकॉ) और अंतरिती (अंतरितियों के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रति-फल निम्नलिखित उद्ददेय से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:---

- (क) मन्तरुष ते हुई कियाँ मान की बाबतः, उक्त अधिनिष्ठ के अधीन कर दोने के अखरुक के बाबित्य में कमी करने वा उच्छते बच्छने में सुदि्धा की लिए; अडि/या
- (व) एसी किसी बाय या किसी भन या अन्य बास्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियभ या भन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया भा या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुवि्भा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अन्सरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-गे की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तिकों, अर्थ्यात् :--- (1) जैना प्रोपरटीज (प्रा०) लि०, एडीनाथ सरी हाउस, औ० सुपर बाजार कनाट सर्कस, नई दिल्ली ।

(अन्तरक)

(2) श्रीमती किरण सिंह, धर्मपत्नी श्री श्रो० एन० सिंह, निवावी-सी-2/90 मोती बाग, नई दिल्ली ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी कड़के पूर्वोक्त, सम्परित के अर्जन, के टिन्छ कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामीज से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीत<u>र</u> पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख सै 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पाछ लिखित में किए जा उकोंगे।
- स्पष्टोकरणः----इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित ह⁴, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया क्**या है**।?

जन्स्पी

ग्रनूसूची

प्री॰ नं॰ 110ए, जैना टावर, डिस्ट्री (सेन्टर, अनकपुरी नई दिल्ली।

तादादी: 170 वर्गफीट ।

जी० एस० गोपाल सक्षम प्राधिकारी सहायक श्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज-3, नई दिल्ली

दिनांक: 30-1-1995 मोह<u>र</u> : ारूष आई.टी.एन.एस.------

बत्यक<u>र</u> अभिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-घ (1) को अधीन सुचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरक्षिण)

अर्जन रेंज–3, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 30 जनवरी 1985

निदेश सं० आई० ए०ंसी० एक्यु०, 3/37ईई/6-84/425 ---अत: मुझे जी० एस० गोपाल,

- ■ायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पच्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विच्यास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00000/-रु. से अधिक है
- भौर जिसकी सं० जी-5ए है तथा जो जनकपुरी, नई दिल्ली में स्थित है (भौर इससे उपाबद्ध अनुसूची में मौर पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय अर्जन रेंज-3, नई दिल्ली में भारतीय आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन तारीख जून 1984

को पुर्वोक्त सम्पत्ति को उचित बाजार मृत्य से कम के द्रस्यमान प्रतिफल को लिए अन्तरित की गई है और मुफे यह किवाम करने का कारण है कि यथाप्योंक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मृत्य उसके दश्यमान प्रतिफल से, एसे दश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिक्षत से अधिक है और अन्तरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रति-क्ष निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप मे कथित नहीं किया गया है :---

- (क) अन्तरण से हुइ किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या
- (स) एरेसी किसी थाय या किसी भग या जन्य जास्तियों को, जिन्ह³ भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया भा या किया जाना पाहिए था, छिपाने में सुविभा के लिए;

अत: अब उक्त अधिनियम की भारा 269-ग के जनुसरण जो, गैं, उक्त अधिनियम की भारा 269-घ की उपभारा (1) के बधीन, निम्नलिखित व्यक्तियॉ, अर्थात् :----30---486GI[84 (1) जैना प्रोपर्टीज (प्रा०) लि०, एडीनाथ सरी द्वाउस, अपो० सुपर बाजार, -कनाट सर्कस, नई दिल्ली।

(अन्तरक)

(2) श्री अणोक कुनार मलहोता, सुपुव श्री कुन्दन लाल मलहोत्रा, श्री योगिन्द्र कुमार, सुपुत्र श्रीसीता राम, निवासी ए–82, विकास पुरी, नई दिल्ली–110018। (अन्तरिती)

को यह सुचना आरी करके पूर्वोक्त सम्परित के अर्जन के लिए कार्यवाहियां घुष्ट करता हुं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप 🚛—

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीस से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्याक्तयों पर सूचना की तामील सं 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति दुवारा;
- (ख) इस सूचना के राजप्रत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षारी के पास लिखित में किए जा सकोंगे।
- स्मर्थ्डीकरणः इसमें प्रयूक्त शब्दों और पदों का, जो उक्स अधिनियम, के अध्याय 20-क में पर्रिआषित ह⁴, वही अर्थ,होगा जो उस अध्याय में दिया गया **ह**ै।

শশ্র্ণা

प्रो० नं० जीं⊶5ए जैना टावरे, डिस्ट्री सेन्टर, जनक पुरी, नई दिल्ली ।

तादावी 100 वर्ग फीट !

जी० एस० गापाल ' सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निर)क्षण) अर्जन रेंज–3, नई दिल्ली

[†]दनॉक : 30--1-1985 मोहर ः গ্ৰহৰ আছা , হাঁ, দ্ব , দ্ব , ৰ - - ----

वायकर वर्षिनियम, 1961 (1961 का 43) की थाय 269-व (1) के वभीन सुचना

बाउत बहकाब

कार्यालय, सहायक आयकर ज्यम्बत (निरोक्षण)

अर्जन रेंज-3, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनाक 30 जनवरी 1985

नावकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) जिसे इसमें इसके परचात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की भारा 269-रू के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विज्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उत्तित बाजार मुख्य 1,00000/- रू से अधिक है

प्रौर जिसकी स० यु० जी०-14 है तथा जो जनवपुरी, तई तिल्ली मे स्थित है (ग्रौर इससे उपाबद्ध अनुस्ची से ग्रौर पर्ण रा से बर्णित है) रजिस्ट्रीनर्ता अधिकार। के कार्यालय अर्जन रेंज+3, नई दिल्ली में भारतीय आयकर अधिनियम 1961 के अधीन तारीख जुन्न 1984

को पुर्वोक्त सम्परित को उचित बाजार मुल्य से कम के इस्यमान अतिफल को लिए अन्सरित को गई है और मुफ्ते यह किञ्जास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित वाजार मूल्य, उसके दश्यमान प्रतिफल से एसे दश्यमान प्रतिफल का पन्दह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अम्तरकों) और जन्तरिती (अम्तरितियों) के सीच एमे अन्तरण को लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिचित में बाम्तकि रूप से कथित नहीं किया गया है के---

- (क) अन्तरक से हुइ। किसी आव कौ बाक्त, उक्त वभिनियम के अभीन कर दोने के शन्तरक के दायित्व में कमी करने या उसने बचने में सरिधा के लिग बीर/या
- (ण) एसी किसी गाय या किसी धन वा बन्य आस्तियों को, जिन्हों भारतीय साय-कर अधिनियम, 1922 (1922 को 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 वा 27) को प्रयोज-नार्थ अन्तरिती देवारा प्रवेट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा को जिएव

नतः मदः उक्त नधिनियम की भारा 269-न के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिसित व्यक्तियों अर्थात् इ--- (1) जैना प्रोपर्टीज (प्रा०) लि०, एडीनाथ सरी हाउस, औं०सुपर बाजार, क्रनाट सर्कस, नई दिल्ली ।

(अन्तरक)

(2) श्रीमती विद्या सेठी, धर्म पत्नी श्री सुरेश सेठी, निवासी-जी-8 एरिया हरी नगर, नई दिल्ली ।

्(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी कारके पूर्वीक्त संपत्ति के अर्जन के सिए कार्यवाहिया शरु करता हूं।

उन्त सम्पत्ति के गर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप 🛵 🦛

- (क) इस मुचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीब से 45 दिन की अवधि या सत्सम्बन्धी व्यक्तियां पर मूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जा भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियां में से किसी व्यक्ति द्वाराः
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीब से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर मम्परित में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पाक्ष लिखित में किए जा सकोंगे ।
- स्पम्बीकरण इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अभ्याय 20-क में परिभाषित हूँ, वही वर्ष होगा, जो उस अभ्याय में दिया गया हुँ।

मन्द्रभा

प्रो० नं० यू० जी०-14, जैना टावर, डिस्ट्री सेन्टर; जनक पूरी, नई दिल्ली ।

नादादी : 105 वर्गफीट ।

जी० एस० गोपाल सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज~3, नई दिल्ली

दिनांक: 30-1-1985 मोहर क्ष

प्ररूप आर्ड्,टी.एन.एस.,------

खायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

ंभारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

ग्रजन रेंज– 3, दिल्ली

दिल्ली.दिनांक 30 जनवर्रा 1985 📊

निर्देश सं० म्राई० ए० सी०/एक्यू०/3/37ईई/6--84/427----भ्रत: मुझे जी० एस० गोपाल

आयकर अभिधनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके परचात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-इस को अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

प्रोर जिसकी संख्या जी-9, है तथा जो जनक पुरी, नई दिल्ली में स्थित है (ग्रोर इससे उपावद्ध अनुमूची में एर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता ग्रधिकारी वे कार्यालय अर्जन रेंज-3, नई दिल्ली के प्रधीन भारतीय ग्रायकर ग्रधिनियम 1961, तारीख जून 1984 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मूफे यह विश्वास करने का कारण हूँ कि यथापूर्वाक्त सम्पत्ति का उचित्त बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और बन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया, प्रतिफल, निम्निलिखित उद्विश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं कया गया है :----

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अभिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी अरने या उससे बचने में सुविधा दायित्व के लिए; और/या
- (ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आग्तियों को जिन्हें भारतीय आयन्त्र-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, रा धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया गया था या किया जाना थाहिए था, छिपाने में सुविधा को लिए;

अतः अब, उक्त अभिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-ग की उपधारा (1) के अधीन, निम्नसिखित व्यक्तियाँ, अर्थात् :----

(1)	र्जना प्रॉगरटीज (प्रा०) लि०, एडीनाथ सरी हाऊस,	
	ग्रो० सुपर बाजार,	
	कनाट सर्कस, नई दिल्ली	
		(ग्रन्तरक)
(2)	श्री चरणजीत सिंह,	
、 <i>'</i>	मुरिन्दर सिंह मेठी,	
	ग्रमरजीत सिंह सेठी,	
	कुलदीप सिंह सेठी,	
	निवासी-बी/147, फतेह नगर,	
	नई दिल्ली	
		(भ्रन्तरिती)
		(אימולמו)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी बाक्षेप :----

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन को अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति दुधारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा मकोंगे।
- स्पष्टीकरणः इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्रौः नं जी०-9, जैनाटावर, डिस्ट्री सेन्टर, जनक पुरी, नई दिल्ली, तादादी 55120 वर्ग फुट

> जी०एस०गोपाल सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निर**क्षण)** ग्रर्जन रेंज–3, नई दिल्ली

तारोख: 30-1-1985

मोहर 🛛

प्ररूप आइ..टी.एन.एस.-----

ेण।धकार अधिनियम, 1961 (1961 का 43) को भारा 269-च (1) के मुझीन सुचना

भारत सरकार

फार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरक्षिण)

ग्रर्जन रेंज−3, दिद्धली

दिल्ली, दिनांक 30 जनवरी 1985

निदेशसं० ग्राई०ए०सी०/एक्यू०/3/37ईई/6-84/428---श्रतः मुझे, जी०एस० गोपाल

बायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पद्यातः 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विदवास करने का कारण है कि स्थावर सम्परित, 'जसका उणित बाजार मूल्प, 25,000/- रु. गं अधिक है

प्रोर जिसकी संख्या 410--बी, है तथा जो जनक पुरी, नई दिल्ली में स्थित है (ग्रौर इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित द्दे), रजिस्ट्रीकर्ता ग्रधिकारी के कार्यालय प्रजंन रोंज--3, नई दिल्ली भारतीय आयकर ग्रधिनियम, 1961, के ग्रधीन तारीख जुन 194

को पूर्बोंग्स्त सम्पत्ति के उचित बाजार मुल्य से कम के इत्यमात प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई अौर गया गया है और मुक्ते यह विक्वास करने का कारण है कि यथा-पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके इक्यमान प्रतिफल से, एसे इक्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकाों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उब्दरेय से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :---

- (क) अन्तरण से हुई 'फेसी आय की बाबत, उक्त अभिनियम के अभीन कर दोने के अन्तरक के द्वयित्थ में कमी करने या उग्न वचने से सुविधा के लिए; और/या
- (क्ष) एसे किसी थाय था किसी भन था जस्य **नास्तिकों** को जिन्हें भारतीय नायकर जभिनियम, 1922 (1922 का 11) या जक्त अभिनियम, या जब् कर अभिनियम, 1957 (1957 का 27) कौ प्रयोजनार्थ जन्तरिती द्वारा प्रेकट.नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, एिउपाने में मुविभा को सिए;

जतः जव. उक्त अधिनियम कौ धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ध की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिसित व्यक्तियों, अर्थात्ः—

- (1) जैना प्रोपरटिज (प्रा०) लि०, एडीनाथ सरी हाऊस, भ्रौ० सुपर बाजार, कनाट सर्कस, नई दिल्ली
 (भ्रन्तरक)
 (2) डा० श्री ललित कुमार उप्पल
- (2) डाउ त्रो लालत कुमार उप्पल श्रौरश्रीमती डा० श्रीमती के० एल० उप्पल, निवासी 2/286, जनक पुरी, नई दिल्ली (भ्रन्सरिती)

को यह सूचना बारी करके पूर्वोक्त, सम्पत्ति, के शर्वन के किय कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उन्त सम्पत्ति के मर्जन् के सम्बन्ध में कोई भी माक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीच वे 45 दिन की अवधिया सत्सम्बन्धी व्यक्तियों पृद सूचना कीं तामील से 30 दिन की जबभि, जो औ जबधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (व) इस सुभना के राजपत्र में प्रकाशन की तर्रांच से 45 दिन के भौतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकोंगे।
- स्पम्बटीकरण :----इसमें प्रयुक्त धन्दों और पदों का, को उलक अधिनियम के अध्याय 20-क में परिशावित हैं, वहीं अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

मन्स् चौ

प्रो० न० 410--बी, जैना टावर, डिस्ट्री सेन्टर, जनक पुरी, नई दिल्ली, तावादी--180 वर्ग फिट ।

> .जी० एस० गोपाल स्क्षम प्राधिकारा सहायक झायकर प्रायुक्त (निर,क्षण) धर्जन रेंज- 3, नई दिल्ली।

तारीखः ३०−1−85 मोहरः ३

C CONTRACTOR OF THE OWNER

प्ररूप आइ [*] : की. एन . एस	(1) जैना प्रोपर्राटज (प्रा०) लि०, एडीनाथ सरी हाऊस,
आयकर अधि नियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सुखना	भ्रौ० सुपर बाजार, कनाट सर्कस, नई दिल्ली (ग्रन्तरक)
भारत सर्कार	(2) श्री सुरेन्द्र सेठी
कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)	स्पून्न श्री बी० के० सेटी,
ग्रर्जन रेंज⊸3, दिल्ली	्र्यो नरेन्द्र सिंह सेठी सुपुत्र श्री बी० के० सेठी,
दिल्ली,दिनांक 30 जनवरी 1985	अठण परिस्ट र केल्प्स् निवासी—-डब्ल्यू० जैड० एम०– 33, न्यू महाबीर नगर,
निर्देश सं० भ्राई० ए० सी०/एक्यू०/ 3/ 37ईई/ 6 8 4/ 429	नई दिल्ली
मतः मुम्रो, जी० एस० गोपाल,	(ग्रन्सरिती)
भायकर अभिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अभिनियम' कहा गया है), की भारा 269-इ के अभीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थाधर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-र. से अभिक है	को यह सूचना जारो करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यदाहियां धूरू करता हूं।
25,000/ रेडेर च जायन ह प्रौर जिसकी संख्या 604बी है तथा जो जनक पूरी, नई दिल्ली	उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेपः—
में स्थित है (ग्रौर इससे उपाबद्ध ग्रनुसूची में पूर्व रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारो के कार्यालय ग्रर्जन रेंज-3, नई दिल्ली भारतीय ग्रायकर ग्राधिनियम 1961 के ग्रधीन तारीख जून 1984 को पूर्वा क्त सम्परित के उचित बाजार मूल्य से कम के डरयमान प्रतिफल के लिए अन्तरितं की गई है और मुभे यह विश्वास	(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
करने का कारण है किं यथापुर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार	(स) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाइ न की तारीस से ' 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में डि्त-
मुल्य, उसके रश्यमान प्रतिफल स, एस इश्यमान प्रतिफल का	भद्भ किसी अन्य व्यक्ति वुवारा अधोहस्ताक्षरी के

(अंतीरतियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रेतिफल, निम्नलिखित उदुददेश्य से उक्त अंतरण लिखित में स्पष्टीकरणः—-इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अभिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, बही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया (क) अंतरण से हुई किसी जाय की बाबत, उक्त 6° I.

पास लिखित में किए जा सकोंगे।

वनुसुची

प्रौ० नं० 604-बी, जैना टावर, डिस्ट्री सेन्टर, जनक पूरी, नई दिल्ली, तादादी-130 वर्ग फिट।

> र्जा० एस० गोपाल सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) ग्नर्जन रेंज−3, दिल्ली

को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अभिनियम, य। भन-कर अभिनियम, 1957 (1957 का 27) क प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था वा किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविभा के लिए;

अभिनियम के अधीन कर दोने के बन्तरक को दासिरव में कमी करने या उससे वणने में सुविधा

ुँ(च) एेसी किसी आय था किसी धन मा अन्य आस्तियौं

बतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण मे, मे, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपभारा (1) क्रैंबभीन, निम्द्निकितुव्यवित्तयों, अर्थात्:----

बन्द्रष्ट प्रतिवत से अधिक ही और अन्तरक (अन्तरकों) और अंक्षरिती

वास्तविक रूप से कृथित नहीं किया गया है :--- .

के लिए; और/या

तारीख : 30-1-85

मोहर ដ

नाथकर अभिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-म (1) के नभीन सूचना

HISE ESTRE

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्स (निरीक्षण)

भ्रजन रेज– 3, दिल्ली

दिल्ली, दिनाक 30 जनवरी 1985

निर्देश सं० श्राई०ए०सी०/एक्यू०/3/37ईई/6-84/430----ग्रतः मुझ्रे, जी०एस० गोपाल,

आवकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पक्ष्वात 'उवत अधिनियम' कहा गया है), 'को धारा 269-इ के कधीन सक्षम आधिकारी को यह विक्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25 000 /- रु से अधिक है

प्रौर जिसकी सख्या यू० जी०-23 है तथा जो जनक पुरी, नई दिल्ली से स्थित है (ग्रीर इससे उपावद्ध ग्रनुसूची मे पूर्व रूप से बणित है), रजिरट्रीकर्ता ग्रधिकारी के कार्यालय अर्जुन रेंज-3, नई दिल्ली, भारतीय आयकर ग्रधिनियम 1961 के ग्रधीन तारीख जन 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के इध्यमान , प्रसिफल के लिए क्लिरित की गई है और मूम्मे यह विद्वास कारने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाचार मूल्य, उसके दर्यमान प्रतिफल से ऐसे इस्यमान प्रतिफल का पंद्रहू प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंत्रिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति-फल निम्नलिखित उद्देय से उक्त अन्तरण लिद्ति में बास्त-विक रूप से कथित नहीं किया गया है:---

- (क) अन्तरण से हुइ। किसी आय की बाबत, उक्त जाभ-निषम के जभीन कर दने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; अग्रि/या
- (क) एंसी किसी आप या किसी भन या अन्य आस्तियों को, जिन्हु भारतीय आयकर अधिनियम, 192? (1922 ता 11) या उक्त अधिनियम, या भनकर अभिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अतरिती ध्यारा प्रकट नही किया गया था या किया जाना चाहिए था, खिपाने जें सुविधा के सिए;

बतः अव, उक्त वीर्थनियम कौ भारा 269-ग के अनुसरण में, सैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-व की उपधारा (1) के बधीन, निम्नसिखित व्यक्तियों, जर्थात् ध—

- (1) जैना प्रोपरटिज (प्रा०) लि०, एडीनाय सरी हाऊस, ग्रौ० सुपर बाजार, कनाट सर्कस, नई दिल्ली
- (2) श्री कमल किशोर मिंगल मुपुद्र श्री एम० एल० मिंगल, निवासी-सी-3/191, जनक पुरी, नई दिल्ली

(अन्तरिती)

(ग्रन्तरक)

को यह सुचना जारी करके पूर्वोक्त सम्परित के अर्जन के लिए कार्यवाहिया शुरू करता हू ।

उक्त संपरित के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी माक्षेप :---

- (क) इस सुभना के राजपत्र में प्रकाशन की तारी ख सै 45 दिन की अवधि या रात्सबधी क्यक्तियां पर सुभना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि धाद में समाप्त होती हो, को भीतर पूर्वोक्ख व्यक्तियों में से किसी ध्यक्ति उपारा;
- (ख) इस सुचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिसबब्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकोगे।
- स्पष्टीकरण ः--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित ह⁶, बही अर्थ होगा जो उक्त अध्याय में दिया गया, 8²।

धनुसूची

प्रौ० न० यू० जी० 23, जैना टावर, डिस्ट्री सेन्टर, जनक पुरी, नई दिल्ली, तादादी 100 वर्ग फिट ।

> जी०एस०गोपाल सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरंक्षण) ग्रर्जन रेंज–3; दिल्ली।

• तारीख: 30-1-85 मो**हर** क्ष प्ररूप आर्ह. टी, एन. एस.------

वायकर मधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा

269-व (1) जे मनीग मूचना

भारत मरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (मिरीक्षण)

अर्जन रेज--3, दिल्ली

नई दिल्ली, दिमाक 30 जनवरी 1985

नि रोज स० आई० ए० सः०/एक्यू०/3/37ईई/6-84/431---अत मुझे, जी० एस० गतान

वायकर ग्राधनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पक्ष्मात 'उक्त अधिनियम' कहा गया हाँ), की थारा 269-क के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह निश्वास करने का कारण हैं कि स्थावर स्प्यास्ति, जिस-घ उच्ति बाजार मुल्य 1,00,000/-ग, मे अधिक हाँ

मोर जि लिंग्स क्या यू ० जंग०--6 है तथा जो जनव पुरी, नई दिल्ली मे स्थित है (म्रोर १ सरो उपाबद अनुसूची में पूर्व रूप स वणित है), रजिस्ट्रीकनी अधितर्ग हो नार्यालय अर्जन रेज-3, नई दिल्ली भारतीय आयकर अधिनियम 1961, ये अधीन तारीख जून 1984

को पर्नोक्त सम्परित के उत्तेचत साजार मल्थ में कम के इत्यमान प्रतिफल को लिए अन्तर्ति की गई है और मुफ्ने यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वाक्त सम्पत्ति का उचित बाजार भूल्य, रासके दश्यमान प्रतिफल न, एस दश्यमान प्रतिफल का पन्दह प्रशिश्त से अधिक है और अतरक (अतरकों) और अंतरिती (अरुरिशिश) को बीच एमे अतरण के लिए क्षय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उदरका से उक्त अतरण लिखित में बग्स्तयिक रूप स' कथित नहीं किया गया ही ---

- (क) अन्तरण से हुइ किसी आय की बायन उनते अधि-नियम के अधीन कर दोने के अन्तरक के वायित्व बें कमी जारने या उससे बचने में सुविभाको सिए; बौर/वा
- (श) एेसी किसी आय या किमी भन या जन्म शास्तियों को जिन्ह¹ भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन कर अधिगिग, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अप्तरिती दमान प्रकट नहीं किया गया श्राजनार्थ अप्तरिती दमान प्रकट नहीं किया गया शा या किया जाना पाहिए था, छिपाने में सुविशा के लिए;

क्त: वभ उक्त जीधनियम कौ धारा 269-ग के वन्सरचन म*, मँ, उक्त वधिनियम कौ धारा 269-ग कौ उपभारा (1) के अधीन, निम्नलिक्रित व्यक्तियों, जर्थात् --- (1) जैना प्रोपरटिज (प्रा०) लि०, एडीनाथ सरी: हाऊस, ग्री० सुपर बाजार, कनाट सर्कंस, नई दिल्ली।

(अम्त**रक)**

(2) शीमती राज खभा धर्मंपरनी श्री एस० डी० खन्ना, श्री स्याम दास खन्ना सुपुत स्वर्गीय श्री किशोर चन्द खन्ना, निवासी--सी---300, विकाश पुरी, नई दिल्ली।

(अन्धरिती)

को यह सुचना खारी कारके पूर्वोक्स सम्परित के वर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उनता संपरित को मर्जन को संबंध में कोई भी आक्षेप ह---

- (क) इस सुचना के उपजपत्र भें प्रकाशन की तारीच से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सुचना की तामील से 30 दिन को अवधि, वो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा,
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की धारीच के 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर पंपस्ति में हित-अव्ध किसी अन्य व्यक्ति हैगरा अधोहरताक्षरी • के पास लिखित में किए जा क्षकेंगे।
- स्पष्ट्रीकरणः इसमें प्रयुक्त बल्दों और पद्यों का, जो उक्त अभि-मिश्रम के जभ्याय 20-क में परिभाषित है, यही अर्थ होगा, जो उक्त अध्याय में दिया गया है।

मन्द्वी

प्रौ० न० यू० जी०-6, जैना टावर, डिस्ट्री सेस्टर, जनव पुरी, नईदिल्ली, तादादी-105 वर्ग फिट।

जी० एस० गोपाल सक्षम प्राधिकार्रः सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज⊶3, नई दिल्ली

तारीख : 30-1-1985

मोहर उ

भाग गा---खण्ड 1-

प्रकृप नाइ दी.एन्.एस्.------

आपकार यधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के कथीन स्चना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक झायकर झायुक्स (निरोक्षण) अर्जन रेज--3, दिल्ली

दिल्ली, दिनाक 30 जावरी 1985

निर्देश स० आई० ए० सी०/एक रू०/3/37ईई/6-84/432-अक्ष: मुझे, जी० एस० गोपाल,

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पच्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-च के अधीन सक्षम प्राधिकारों को यह विक्वास करने का फारण (ुैकि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/-रु. से अधिक है

और जिभको संख्या यू० जीक--5 है तथा जो जनक पुरी, नई दिल्ली में स्थित है (प्रौर इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वणित है), रजिस्ट्री क्रिती अधिकारी है जायलिय अर्जन रेज--3, नई दिल्ली में भारताय आयकर अधिनियम 1961 के अधीन कारीख जून, 1984

को पूर्वात्रल सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुफ्ने यह विश्वास करने का कारण है

कि थथा पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य., उसके दृश्यमान प्रतिफल से, एरेसे दश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अतरितियों) के बीच एरेसे अन्तरण के लिए तथ पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्ये श्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:---

- ,(क) जन्सरण से हुंई किसी जाय की बाबत, उक्स अभिगियम के अधीन कर दोने के बन्तरक को दायित्व में ऊमी करने था उससे बजने में सुविधा के लिए; बॉरि∕या
- (क) ऐसी किसी थाय या किसी भन या अन्य ब्रास्तियों को, जिन्हें भारतीय जाय-कर जभिनियम, 1927 (1922 का 11) या उक्त अभिनियम, बा भन-कर अभिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयाजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहों किया गया भा या किया जाना फाहिए था, क्रिपान में मुविभा के लिए;

बतः अव, अवत अभिनियम की भारा 269-ग कै लागरणण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियाँ, अर्थात् ः—- (1) मैं० जैना प्रोपर्राटन (प्रा०) लि०, एडीनाय सरी हाऊन, स्रो० मुार बाजार, कताट सर्कस, नई दिल्ली।

(अन्सरक)

(2) श्री रवीन्द्र लाल मल्होन्ना, सुपुत्र श्री पुरुषोत्तम लाल मल्होन्ना, निवासी ए⊸73–ए, किवी नगर, नई दिल्ली । (अन्सरिती)

को यह सूचना जारी करको पूर्वाक्स सम्परित के अर्जन के सिप कार्यवाहिया करता हु।

• उन्नत सपरित को मर्थन को संबंध में कोई भी वाक्षेष :----

- (क) इस सूचना को राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन को अवभि भा तत्सवधी म्यक्तियाँ पर बूचना की तामील से 30 दिन की अवभि, जो भी अवभि बाद में भ्याप्त होती हो, के भीतर पूर्वों कर व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस मूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 4.5 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपर्शित में हितबब्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पार तिखित में किए जा सकोंगे।
- साख्यीकरणः----इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, वो **उक्छ** अतिपनियत्त के जन्दाय २००-क मा परिभाषित ही, वही अर्थ होगा जो उस अभ्याय में <u>विष</u>य गया ही।

गन्तुवी

प्रौ० न०⊸यू० जी०−5, जैना टावर, डिस्ट्री सेन्टर, जनक पूरी, नईदिल्लो, तादादी⊶155 वर्ग फिट ।

> र्जा०एस० गोपाल सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज--3, नई दिल्ली

नारीखः 30-1-1985 मोहरः - प्रेस्न आइ". टी. एन्. एसं.,-------

वायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) कौ भारा 269-भ (1) के अभीन सुवभा

লাবে, বাবকার

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जनरेज–3, दिल्ली

दिल्ली, दिनांक 30 जनवरी 1985

निर्देश स० आई० ए० सी०/एक्यू०/3/37ईई/6-84/433----अत: मुझे जीं० एस० गोपाल,

वायकर अभिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारों को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्परित, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00000/-र5. से अधिक है

त्रीर जितकी संख्या जी⊶14, है तथा जो जनक पुरी, नई दिल्ली में स्थित है (स्रौर इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय अर्जन रोज-3, नई दिल्ली में भारतीय आयकर अधिनियम 1961, के अधीन तारीख जून_{ुन} 1984

को बुवोफ्स सम्परित के उचित बाजार मूल्य से कम के क्ययमान प्रतिफल को लिए अन्तरित फी-गई है और भक्ते यह विक्रवाम करनें का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, असके इरयमान प्रतिफल से, एम्मे क्रयमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिचात से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) जोर अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देव्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तयिक रूप में कथित नहीं किया गया है:---

- (क) वन्तरण से हुई किसी आय की वावत, उक्त जीव-नियम के जधीन कर दने को अन्तरक के दायित्व में कमी कारने याण्उ ससे वधने में सुविधा के सिए; बौर/या
- (ह) ऐसी किमी आय या किमी भन्या अन्य आस्तियों को, जिन्हों भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या भनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) को प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था, या किया जाना चाहिए था, छिपाने में स्विधा को लिए;

बतः जब, उक्त जधिनियम की धारा 269-भ के अनूसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-भ की उपधारा (1) के-अंधीन, निम्नलिसित व्यक्तियों, अर्थात् :----31---486GI/84 (1) मै० जँना प्रोपरटिज (प्रा०) लि०, एडीनाप सरी हाऊस, अ्रो० सुपर बाजार, कताट सर्कस, नई दिल्ली ।

नई दिल्ली ।

(अन्तरक) (2) श्री राजेश भल्ला, श्रौर मुनिल कुमार भल्ला, निवासी-डब्ल्यू० जैंड०-3वी, सेक्टर नं० 3, इष्ण्णापार्क,

(अन्तरिती)

को यह मुचना जारी करके पूर्वोक्स सम्पत्ति **के बर्जन के लिए** ृकार्यवाहियां कारता ह^{ू,}

खक्त सम्पत्ति के जजन के सम्बन्ध में कोई भी जाक्षेप :---

- (क) इस मुखना को राजपंत्र में प्रकाशन की गारीख दें 45 दिन की अवधििया तत्मान्वरुधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बोट में समाप्त हातों हो, को भीतर पूर्वोक्त व्यक्तिकों ं ते किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचमा क रोजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्परित में हित-भेदूभ किमी जन्म व्यक्ति द्वारा अभोहन्ताक्षरी के पाम लिखित में किए जा मर्केंगे।
- स्पख्टीकरणः--इस्भा अगवत शब्दों कार पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित ह्ª, यही वर्थ होगा जो उस कथ्याय में दिया स्पा है।

मनसची

प्रौ० न० र्जा-14, जैना टावर, डिस्ट्री सेन्टर, जनक पुरी, नई दिल्ली, तादादी--100 वर्ग फिट।

> जीं० एस० गोपाल सक्षम ्राधिकारी महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज⊶3, नई दिल्ली

तारीख: 30-1-85

मोहर :

8750

प्रबन् बाई. टी. एन. एस. -----

गायकार गीभीनियम, 1961 (1961 का 43) फी भाषा 269-म (1) के अधीन सुचना

मारत बरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जनरेज-3, दिल्ली

दिल्ली, दिनांक 30 जनवर्रा 1985

निर्देश स० आई० ए० मी०/एक्यू०/3/37ईई/6-84/434---अत: मझे, जी० एस० गोपाल,

बायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसं इसमें इसके परचात् 'उक्त अधिनियम' कहा गथा है), को धारा 269-क के अधीन सरुम पाधिकारी को, यह विद्यान करने का कारण डै कि स्थावर सम्पनि, जिस्मा उचित बाजार मेल्य 1,00,000/-रुत्र संअधिक है

यौर निसकी सख्या जी- 6ए, है तथा जो जनव पुरी, नई दिल्ली मे स्थित है (ग्रौर इससे उतावद्ध अनुसूर्चा से पूर्ण रूप से वणित है), रजिस्ताकर्ता कथिकारी के पार्थालय अर्जन रेज—3, तई दिल्ली मे भार्क्त य आयकर अधिकारी के पार्थालय अर्जन रेज् जून— 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित नाजार मन्य में रूम के एक्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित को गई है और मुझे यह विद्यास करने करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संम्पत्ति का उचित जाजार मुल्य, उसके दरयमान प्रतिफल से, एसे दरयमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिघत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्दोध्य से उक्त अन्तरण लिखित में जास्त्विक क्ष्यु से कथित नहीं किया गया है:---

- (क) जन्तरण से हुई किसी जाय की वाबत उक्त अधि-नियम के जधीन कर दोनें के अन्तरक के दायित्व को कमी करने या उड़से अखने में सुविधा को लिए; और,/स।
- (10) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आम्तियाँ को जिन्ह⁵ भारतीय अपा-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया गया था या किया जाना बाहिए था छिपाने में मुविधा के सिए;

जतः वन, उक्त अभिनियम की धारा 269-ग क अनुभरक म, म. उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपनारा (1) के अधीन, निम्नलिक्ति व्यक्तियों, अर्थात् 4... (1) मै० जैना हो के क्रांती किंग, एडीनाथ सरी हाऊस, ग्रो० सुपर वाजार, कनाट सर्कस, सई दिल्ली ।

(अन्तरक)

(अन्तरिती)

(2) श्रॅं। आई० एग० आनन्द,
 ग्रौर एग० के० आनन्द,
 सुपुत्रगण स्वर्गीय श्री बी० एग० आनन्द
 निवासी⊶15/3बी, तिलक नगर,
 नई दिल्ली ।

को यह सूचना जारी करके पूर्वांक्त सम्परित के अर्जन **के लिए** कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पतित के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आ कोप :---

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीस से 4.5 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर मुच्चना की तामील से 30 दिन की अवधि, यो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (अ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीका से 15 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अभोहस्ताक्षरी अ पास लिखित में किए जा सकोंगे।
- स्पब्टोकरणः—--इसमें प्रयूक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अभिनियम, के अभ्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अभ्याय मे- दिया गवा है।

वन्त्रभू

प्रौ० न० जा०-6ए, जैना टावर, डिस्ट्री सेन्टर, जनक पुरी, नई दिल्ली, नादादी-90, वर्ग फीट ।

> र्जा० एस० गोपास सक्षम प्राधिकारी सहायक आधकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज--3, नई दिल्ली

तारीख[े] 30-1-1985 मोहर : ----

श्रम्भ आह'ः हो. एन. एष.-----

वायकर मधिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-ण (1) के बधीन सुचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आगकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जनरेज–:),

नई दिल्ली, दिनाक 30 जनवरी 1985

निर्देश म० आई० ए० मीं। ० एक्यू० / 3/37ईई/ 6-84/435 अतः मुझे, जी० ए स० गोवाल

आंयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमे इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/-रत्पये हे सधिक है

मोर जिसको प ख्या जी-5, है तथा जो जनक पुरी, नई दिल्ली में स्थित है (म्रोर इससे उपाबढ अन्सूची में पूर्ण रूप से वणित है) रेजिस्ट्रोकर्ता अधिकारी के कार्यात प अर्जने रेज-3, नई दिल्ली में भारतीय आयकर अधिनिराम 1961 के अर्धान नारीय जून~ 1984

को पूर्वोक्स सम्पत्ति के अचित बाजार मूल्य में कम के दश्यमान प्रतिफल के लिए जन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथाप्ट्रक्ति संपत्ति का उचित जजर मूल्य, उसके कर्यमान प्रतिफल से, एसे दश्यमान प्रतिफल का पन्दह प्रतिचत से अधिक ही और जन्तरक (जन्तरकों) और जन्तरिती (मन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरक जिन्तरकों) और जन्तरिती (मन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया हतिफस, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण सिखिक्ष में ास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है किया

- (क) अंसरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अभिनियम के अधीन कर दोने के अन्तरक के दायित्व मे कमी व्टरने या उससे बचने में सुविधा के लिए और:/या
- (च) एंसी किमी बाय या किसी भन या अन्य मास्तियों को जिन्हें भारतीय जायकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्स अधिनियम, या भव-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ जन्तरिती ब्वारा प्रकट नहीं किया गया भा या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अन्सरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) को ज्यीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थास् :----

- (1) जना प्रोसर्गटिंग (प्रा०) लि०, रुडाताथ परा हाऊस, ग्रौ० सुगर बाजार, कगाट मर्कम, नई दिल्ली ।
 (अन्सरक)
 (2) और परमजोल मिह अरोडा
- योर आ स्पेशाल स्विज्यात्र योर आ चरणजीत अरोड़ा, तिवासी मी⊶35, फ तेह नगर, जैल रोड, तिलक नगर, नई दिल्ली। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वीक्न सम्पत्ति को अर्जन को लिए कार्यवाहियां **धुरू करता ह**ुं।

उयत सम्परित के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :----

- कें प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया 45 दिन की अवधि या तस्सम्बन्धी व्यक्तियां पर सुचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वीवत्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीस से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपरित में हितबक्भ किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिसित में किए आ सकने।
- स्पष्टीकरणः--६समे प्रयुक्त शब्दौं और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिनाषित है, वही जर्थ होगा जो उत्त अध्याय में दिया गया है।

मन्स्ची

प्रो० नं० जोन्-5, प्लाटनं०-3, डिस्ट्री मेन्टर, जनक पुरी, नई दिल्ली, तादादी-90 वर्ग फोट ।

> र्जा० एस० गोपाल सक्षम प्राधिन्तर्रा महायक आयकर आयुक्स (निर्राक्षण), अर्जनरोंज-3, नई दिल्ली

तारीख :30∽1∽85 मोहर : प्ररूभ बाइ. टी. एन. एस. ------

आयकर जीधपियम, 1961 (1961 का 43) को भाडा 269-घ (1) के अधीन सुचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-3, दिल्ली

नई दिल्ली, दिनाक 30 जनवरी 1985

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें ध्रमके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारों के। यह विश्वास करने का कारल है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/-रु. से अधिक है

धोर जिसकी सख्या जो-14-डी, है तथा जो जनक पुरी, नई दिल्ली में स्थित है (प्रौर इससे उपाबद अनुसूर्चा में पूर्व रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय अर्जन रेज-3, नई दिल्ली, भारतीय आयकर अधिनियम, 1961, के अधीन तारीख जून 1984

को पूर्वोक्स सम्परित को उचित बाजार जूल्य से कम के स्वयमान वीतफल को लिए अन्तरित की गई है और मुझो यह विषयास करने का कारण है कि यथापूर्वाक्स सम्परिस का उचित बाजार भूल्थ, उसको ध्वयमान प्रतिफल से, एसे दश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अतरक (असरकों) और अंतरिती (बन्तारसियों) के बीच ऐसे अन्तरण को लिए तथ पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्ध दय से उक्त अंतरण लिखित में वाम्राविक रूप से कथित न्ह्या किया गया है .--

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबल, उक्त आंधनिमभ के बधीत कहर दने के बन्तरुरा के क्षांसित्य में एमी करने या उससे यचने में सुविधा को लिए, सौह/या
- (म) एंगं, किसी.आय या किसी धन या जन्य जास्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या जक्त अधिनियम, ग धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ जतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना भाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए,

जतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण मैं, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन., निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :---- (2) श्रीमती राज रानी धर्मपन्ने श्री राज कुमार भल्ला सुपुन्न श्री डी० डी० भल्ला, निवासी-डी० ए०/198-डी, एल० आई० जी० फ्लैंट, हरी नगर, नई दिल्ली (अन्तरिती)

को यह सुचना जारी करके पूर्वोक्त, सम्पत्ति के मर्जन के लिए कार्यवाहिया करता हुूू.।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :----

- (क) इस सुचना के राजपत्र में प्रकाशन की कारीख से 45 दिन की अवधि या क्षर्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि जाद में समाप्त होती हो, को भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारोब से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बब्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहत्ताकारी को पास लिखित में किए जा सकेंगे।
- स्पर्व्याकरण :----इसमें प्रयुक्त शब्दों कोर पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, दही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

मन्त्वौ

प्रौ० नं० जी/14--जीं० प्लाट नं०--3, जनक पुर्रा, डिस्ट्री सेन्टर,नई दिल्ली,तादादी--100 वर्ग फिट।

> जी० एस० गोपास सक्षम अधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज-3, नई दिल्ली

तारीख: 30-1-1985 मोहर : 244 ant . cl. v. va. .----

वायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन स्चना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निर्राक्षण)

अर्जन रेज-3, दिल्ली

दिल्ली, दिनांक 30 जनवरी 1935 निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/3/37ईई/6--84/437----अत: मुझे, जी० एस० गोपाल

बायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पञ्चात 'उक्त अधिनियम'कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सभाम प्राधिकारी को यह विख्यास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार म्ल्य 25,000/- रज्ञ. से अधिक है

मौर जिसकी संख्या जो-1, है तथा जो पश्चिम विहार, नई दिल्ली में स्थित है (म्रौर इससे उपाबद्ध अनुसूची में पृर्ण रूप से वणित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारा दे कार्यालय अर्जन रेंज-3, नई दिल्ली में भारतीय आयकर अधिनियम 1961 के अर्धान तार्राख जून 1984

को पूर्णनेत संपत्ति के उचित बाजार मुल्य से कम के इत्यमान शतिफल के लिए अन्तरित को गई है और मुफे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मुल्य, उसके इत्यमान प्रतिफल से एसे इत्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिक्षत से अधिक है और अन्तरफ (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बोच एसे अन्तरफ (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बोच एसे अन्तरफ के लिए का राज प्रोत्फल निम्नलिखित उदरफर से उन्न अन्तरण लिखिज को वास्तविक रूप से कथित नही किया गया है :---

- (क) बन्तरथ से हुइ किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर उने के बन्तरक के दाबित्य में कमी करने या उससे बचनं में सुविभा को बिए: थीर/या
- (क्ष) एोसी किसी आय या किसी धन था अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय त्राय-कर अधिनियम, 1922. (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर बीधर्नियम 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वार्य प्रकट नहीं किया गया था सा किया बाबा चाहिए थर, छिपाने में सुविधा के रिएए,

बतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में', मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उप्धारा (1) अधिन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :----

- (1) श्रीमतो उषा रावल
 'धर्म'पत्नी श्रीआर०के० रावल,
 निवासी सी-11, रमेश नगर,
 नई दिल्ली
 (अन्तरक)
 (2) श्रीमती सरंला वर्मा
- (2) भाषता पर्सा पर्सा माहन वर्मा, धर्म पत्नी श्री सुरेन्द्र मोहन वर्मा, निवासी-ए-5/55, मोती नगर, नई दिल्ली (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अजन् के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्परित के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तरसंजंजी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 फिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति दुवारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।
- स्पच्टीकरणः——इसमे प्रयुक्त बब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, बही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्रौ० नं० जीन्1, जैना कमर्शीयल कम्पलैक्स, पश्चिम विहार नई दिल्ली, तादादी–120 वग^रफिट ।

> र्गा० एस०ं. गोपाल सक्षम अधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रोंज-3, दिल्ली

तारीख: 30-1-85 मोहर:

प्ररूप आद्द<u>ै</u>टी. एन. एस .------

आथकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ध (1) के अधीन सूचना

भारत बरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रॉज-3, दिल्ली

दिल्तीं, दिनांक 30 जनवरी 1985

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/3/37ईई/6-84/438---े अतः मुझे, जी० एस० गोपाल

सायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमे इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है). की धारा 269-द के सधीन सक्षम् प्राधिकारी को यह विश्वाय करने का आरण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित वाजार मूल्य 25,000/- रु. मे अधिक है

म्रोर जिसकी संख्या बोल् 8 है तथा जो 19, कोम्युमिंटी सेन्टर, युसुफ सराय, नई दिल्ली में स्थिल है (म्रौर इससे उपायद अनु-सूचो में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय अर्जन रोज 3, नई दिल्ली में भारतीय आयकर अधिनियम 1961 के अधीन तारीख जून 1984

को पूर्वीक्त सम्पत्ति के उीचत बाजार मुल्य से कम के दृश्यमान ।तिफन के लिए अन्तरित की गई है

और मुझे यह विश्वास करने का कौरण है कि यथापूर्वोक्त सम्परित का उचित बाजार मुख्य उसके ध्रयमान प्रतिफल से, एंसे ध्रयमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (बंदरकों) और और अप्ति अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्त-रण लिखित मे वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :---

- (क) अन्तरण से हुर्द्र किसी ∕ साय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर दोने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविभा के लिए; और/या
- (थ) एसी किसी नाथ या किसी भभ या जन्म आस्तियां करे, चिन्हों भारतीय वाय-कर अभिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त जीभनियम, या भन-कर अभिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में स्वित्था के जिल्हा;

अवधः अव, उक्त अभिनियम की भारा 269-ग को अनुसरण जैन में, उक्त अभिनियम की भारा 269-ग की उपभारा (1) के जभीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् ध— (1) बोम्बे बिल्डर्स इन्डिया (प्रा०) लि० 18, मालचा मार्ग, कर्माश्यल कम्पलैक्स, नई दिल्ली

(अन्तरक)

(2) श्री हर्राण चन्दर सःकुजा मुपुत्र स्वर्गीयश्री देवी दास साकृजा, निवासी-ई-57, कालकार्जा, नईदिल्ली-110019

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां घुरू करता हुं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप .:---

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की सारीख से 45 दिन की अवधि या सत्मम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वीक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति दुवारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकारन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्तित द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकोंगे।
- स्पष्टीकरणः——इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित ह³, बही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया ह³।

मनूसूची

प्रौ० न० स्टोर न० बी--3, अन्डर ग्राउन्ड, म्रोरियन्टल एपार्टमेन्ट, कम्युनिटी मेन्टर, युसुफ मराय, नई विल्ली, प्लाट न० 19, तादादी 327--06 वर्ग फिट

> जी० एस० गोपाल सक्षम अधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज-- 3, दिल्ली

तारीखः 30-1-85 मोहर ॥ - भाग 11[---खण्ड 1]

प्ररूप आई.टी.एन.एस.-----

आयकर अधिनियम, 1931 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) को अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अजेनरेज-3,दिर्ल्स

दिल्ली, दिनाक 30 जनवरी 1985

निर्देश स० आई० ए० सी०/ए: यू०/3/37ईई/6-84/439---अतः मझे, जी० एस० गोपाल

आयकर अधिनियम, 1061 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पण्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वाम करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उच्चित बाजार मूल्य 25,000/-ग. स अधिक है

श्रीर जिसकी सख्या 104 है तथा जो ब-84, ग्रीन पार्क, दिल्ली मे स्थित है (ग्रीप इससे उपाबड अनुसूची में पूर्ण रूप से वॉणत है), रजिग्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यातव अर्जुन रेज-3, नई दिल्ली मे भारतीय आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन त्यारीख जून 1984 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दरयमान प्रतिफल के लिए रजिरट्रीकर्ता के फार्वालय मगलूर में धारा 269 ए बी के अन्धरित सम्पत्त अधिकारी के पारू रजिस्ट्रीकृत किया थया हा मझे यह जिस्वास

करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, रमके दश्यमान ६/तफन मे, एस इश्यमान प्रतिफल का मन्द्रह प्रतिफल से अधिक है और अन्तरक (अन्तरका) और अतरिती (अन्तरितिया) के तीम एने अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य मे उक्त अन्तरण लिक्ति में वास्तविक रूप से कथित नही किया गया है:---

- (फ) अफ्तरण से हर्ष्ट किसी बाय को बावत, डक्त अधिनियम के अभीन कर दोने के जन्तरक की दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुनिभा के लिए, बौर/या
- (ख) एमेगे किमी आम या किसी धन या जन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अभिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नरी किया ग्या था या किया जाना चाहिए, था, छिपान भा संविधा को लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम को धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्मनिरीयन व्यीपण्यों, अर्थात : -- श्री के०एल० मेहता ग्रीर डा० आत्मा देव धर्मा, निवासी–ए/41, प चर्षाल इन्कलेव, नई दिल्ली

(2) श्रीमती सुरर्जात कौर धर्मपत्नी एस० हरबस सिंह, निवासी एस–3, ग्रीन पार्क, दिल्ली

(अन्तरिती)

(अन्तरक)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उकत सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :----

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीब से 45 दिन की अवधि या तरसम्बन्धी व्यक्तियाें पर सूचना की तामील से 30 दिन की अप्रेषि, जों भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्यारा;
- (व),इस सुचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीव के 45 विन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बच्च रेकसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अभोहत्ताक्षरी के पास तिचित में किए जा सर्कोगे।
- स्पर्खीकरणः—-इसमें प्रयुक्त घट्यों और पदों का, ओ उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित ह°, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया ह°।

मन्स्ची

प्रौ० न० 104, फस्ट प्लोर, बहुमंजली कमझियल बिल्डिंग, आर्शीवाद के-84, ग्रीन पार्क, दिल्ली, (यू० सी०) हादादी 300 वर्ग फिट।

> जी० एस० गोपाव यक्षम प्रातिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रॉज–3, दिल्सी।

तारीखः 30—1—85 मोहरः त्ररूप आई.टी.एन.एस.------

अग्रिकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ध (1) के अधीन मुचना

भारत सरकार

कार्याताय, महायक आयकर जायुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-3, दिल्ली

दिल्ली, दिनाक 30 जनवरी 1985

निर्देण स० आई० ए० सी०/एक्यू०/3/37ईई/6--84/440--अत: मुझे, जी० एस० गोपाल

आयकर अधिलिथम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्वात् 'रुक्स अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269--ख के अधीन सक्षम प्राविकारी को यह विश्वास करने का कारण हैं कि स्थावर नालि, जिसका उच्चित बागर मूल्य 25,000/- रुसे अधिक है

घौर जिलकी सख्या एफ-10-बी, है तथा जो जनक पुरी, नई दिल्ली में स्थित है (घौर इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वणित है), रजिस्ट्रीयता जधिवारी के बार्यालय अर्जन रोज 3, नई दिल्ली भारतीय आयव"र अधिनियम, 1961 के अधीन तार्र ख जून 1984

को पूता के सपन्ति के उचित काजार मूल्य से कम के इष्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित को गई है और मुभे यह विष्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके इण्यमान प्रतिफल से ऐसे इप्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियो) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण किल्ति में वास्तविक रूप से कभित नहीं किया गया है:----

- (कः) वन्तरर्णं से हुइर किसी आय कै बाबत, उत्क्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक कै दायिल्व में कमी करने या उत्ससे वखने में सुविधा के लिए, और/या
- (क) एोसी किसी या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हों भारतीय आयकर अभिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-फर अधिनियम, 1957 (1957 फा 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सूविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अभिनियम की भारा 269-म के अनुसरणः में में, उक्त अधिनियम की भारा 269-घ की उपभारा (1) के अधीत, निम्नलिखित व्यक्तिणों. अर्थात :---

- (1) जैना प्रोपरटिज (प्रा०) लि०, एडीनाथ मरी हाऊम, स्रो० सुपर बाजार, कनाट सर्क स, नई दिल्ली (0) जी करणाही: जिन के हैं।
- (2) श्री कवलजीत सिंह बेदी सुपुत्र श्री ए.स०एम० बेदी, श्रीमती ढुष्णा मेहता धर्मपर्त्ती श्री डी०डी० मेहता निवासी–ए2/73, राजौरी गार्डन, नई दिल्ली

(अन्तरिती)

को यह सुभना जारा करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहिया करता हु

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सबंध में कोई भी आक्षेप :---

- (क) इस सुचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीक से 45 दिन की अवधि या तरमम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, को भीतर पूर्वीक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ल) इस सूचना के राजपत में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्परित में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहण्ताक्षरी के पास लिखित में ठिए का मके गें।
- स्पच्टीकरणः इसरें प्रयक्त करदों और पर्दो का, जो उक्त अधिनियम, के प्रध्याय 20-क में परिभाषित ह¹, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय मे**- दिया** गया **ह**ै।

अनुभूची

प्रौ० न०एफ 10--वी, जैना टावर, डिस्ट्री सेन्टर, जनक पुरी, नई दिल्ली, तादादी--180 दर्भ फिट।

> जी० एम० गोपाल ¦सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्त: (निरीक्षण) अर्जन रेज–3, दिल्ली

प्ररूप नाइ¹. टी. इ.म. एस.-----

नापकर वीभीन्वम., 1961 (1961 का 43) की भारा 269-भ (1) के बभीन सुभना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आगकर आयुक्त (मिरीक्षण)

अर्जन रोंज-3, दिल्ली

दिल्ली, दिनांक 30 जनवरी 1985

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/3/37ईई/6-84/441---अतः मुझे जी०ए स० गोपाल

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विद्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित वाजार मुख्य 25.000/-रु. ये अधिक है

भौर जिसकी संख्या यू० जी० 13, है तथा जो जनक पुरी, नई दिल्ली में स्थित है (भौर इससे उपावद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, अर्जन रेंज-3, नई दिल्ली में भारतीय आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन जून 1984

को पर्वोक्त संपत्ति के उचित बाबार मून्य से कम के इप्यमान प्रतिफल को सिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विक्वास करने का कारण है कि यथाप्योंक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मून्ध उसके क्यमान प्रतिफल से, एसे क्यमान प्रतिफल का बन्द्रह प्रतिपात से अधिक है और अंतरक (अन्तरकों) और बन्तरिती (जन्तरितियों) के बीच एसे बन्तरण के सिए तय नावा गया प्रतिफल निम्निभिषित क्यूवक्य से उक्त वंतरण किवित में बाक्तरिक क्य के कीच पही किया गया है :---

- (क) अन्तरण से हुइ किसी आय की बायत, उक्त अधि-नियम के अभीन कर देने के अन्तरक के दायित्य में कमी करने या उससे वचने में सविधा के लिए; और/या
- (व) एमेनी किसी आग या किसी धन या बन्द वास्तियों को, जिन्हें भारतीय वायकर अधिनियभ, 1922 (1922 का 11) या उक्त वीधनियम, या धनकर द्रीधनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोधनार्थ कन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया धाला बाहिए था छिमाने के सुविधा के निए:

अतः वब उक्त अभिनियम की भारा 269-ग के अन्सरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-थ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखत व्यक्तियों, अर्थात् :---32---486GI/84 (1) जैना प्रोपरटिज (प्रा०) लि०, एडीनाथ सरी हाऊस, ग्रौ० सुपर बाजार, कनाट सर्क स, नई दिल्ली

(अन्तरक)

(2) श्री पर मजीत सिंह अरोड़ा ग्रौर श्री चरणसिंह अरोड़ा निवासी-सी--35, फतेह नगर, जैल रोड, तिलक नगर, नई दिल्ली

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्स सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यबाहियां शुरू करता हूं।

धनत सम्परित के जर्बन के सम्बन्ध में कोई भी बासोप :----

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीच से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, खो बी जबधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोंकत - यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्यारा;
- (भ) इस स्वना को राजपत में प्रकाशन को तारील ही 45 दिन को भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-ब्रिथ किसी मन्य व्यक्ति द्यारा, अधोहस्ताक्षरी को पास लिसित में किए जा सकोंगे।
- শেশহীক रणः—— इ.स.में प्रयुक्त झल्दों और पदों का, आ उचल अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित ह⁴, लही कर्णहोगा जो उस अध्याय में दिया अथा ह⁹।'

अन्स्ची

प्रौ० न० यू० जी०–13, प्लाप्ट न०–3, जनक पुरी, डिस्ट्री सेन्टर, नई दिल्ती, तादादी –155,वर्ग फिट

> जी० एस० गोपाल लक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रोंज~3, दिल्ली

तारीख: 30–1–85 मोहर: भारत का राजपत्न, मार्च 9, 1985 (फाल्गून 18, 1906)

भाग 111-खण्ड 1

प्ररूप बाइ. टी एन. एस -----

बायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) को भारा 269-ब (1) के अधीन सुचना

गारत धरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेज-3, दिल्ली

नई दिल्ली, दिनाक 30 जनवरी 1985

निर्देश स० आई० ए० सी०/एक्यू०/3/37ईई/6--84/442---अत: मुझे, जी० एल० गोपाल

बायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 260-स के अर्थन रक्षम प्राधिकारों को यह विश्वास करने का कारण ह कि स्थावर सम्पनि, जिसवा अचित त्राहर मल्य 25 001/- रा में अधिक है

झौर जिसकी संख्या 111-ए, है तथा जो जनक पुरी, नई दिल्ली में स्थित है (ग्रौर इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के टार्यलय अर्जन रेट- ८, न्ई दिल्ली में भारतीय आयकर अधिजनियम 1961 के अधीन तारीख जन 1984

का पर्वोक्सत सम्पनि से उमित नाजार मूल्य से कम के रूषमान प्रतिषज्य के लिए अंगरित गी गई रौ शौर सभे एह रिग्नास करन के लाग्ण गीकि यथापत्रोंक्त सम्पनि ला उचित प्रापार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह पतिशत से अधिक हो और अतरक (अतरकां) और अतरिती (अंतरिमियों) के बीच एमे अनरण के लिए त्य धाया गया प्रति-फल निमानिमित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्त-विक रूप से कथित नहीं किया गया है '---

- हिंगे अतिरण ये हाई किमी आए की बावल ज्ला अधिनियस के अधीन कर कोई के अपरक के दायित्व में रुमी करने या उलें ब[े]ं सीवन हालग अफेश्या
- (अ) एसी किसी आय या किसी भन या जन्म आस्तियों को, जिन्हों भारतीय आयरूप आंभातिराम 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या भन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अंतरिती दबारा प्रकट नहीं किया गया भा या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सूविधा के बिए

गतः अन, जन्म अधिनियम की धारा २६०-ग के बनसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा २६९-घ की उपधारा (1) हे अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात — (1) जैना प्रोपरटिज (प्रा०) लि०, एडीनाथ सरी हाऊस, ग्रौ० सुपर बाजार, कनाट सर्कंस, नई दिल्ली (अन्तरक)

(2) मैं • गायिती इन्टरप्राईज, श्रीमती आशा अग्रवाल, श्रीमती रेखा रानी गुप्ता, निवास-23ए,ए ल० आई० जी० फ्लैंट, रामपुरा, दिल्ली

(अन्तरिती)

को यह सूचना चारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन को लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राजपंत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन जी अवधि या तत्सज्बन्धी व्यक्तिग पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त हानी हो, के भीकर पूर्वीक्त व्यक्तियाँ में से जिन्मी ज्यक्ति दवारा
- (ख) इस सूचना को राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति माहित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अभोहेम्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकोंगे।
- स्पर्ख्योकरण:---इसमें प्रयुक्त शब्दों और पर्धों का, जो उक्ख अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित ही, बही अर्थ होगा, जो उस अध्याय म दिया गया हो।

अनुसूची

प्रौ० न०–11ए, जैना टावर, डिस्ट्री सेन्टर, जनक पुरी, नई दिल्ली, तादादी–130 वर्ग फिट ।

> जी०एस० गोमाल सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज-3, दिल्ली

तारीखः 30-1-85 मोहरः प्ररूप आर्द. टी. एन. एस. ------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-म (1) के अभीन म्चना

মাৰ্ল নৰকাৰ

कार्यालय, सहायक आयकर आयूक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज−3, दिल्ली

अजगरग—३, विल्ला

नई दिल्ली, विनांक 30 जनवरी 1985

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/3/37ईई/6-844/43----अतः मझे जी० एस० गोपाल

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके परकात 'उथत अधिनियम' कहा गया है), की भारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विस्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित वाजार मूल्य 25,000/-रु. से अधिक है

श्रीर जिसकी संख्या 107, है तथा जो प्लाप्ट नं० 11, युसुफ सराय, नई दिल्ली, में स्थित है (श्रीर इससे उपाबग्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय अर्जन रेंज-3, नई दिल्ली में भारतीय आयकर अधिनियम 1961 के अधीन तारीख जुन 1984

को पूर्वोक्स सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के इत्यमान प्रतिफल के सिए अन्सरित की गई है और मुझे यह विद्यास करने का कारण है कि यथापुर्वोक्त सम्पत्ति का उचित वाजार मुल्प, उसके दूरयमान प्रतिफल से, एसे ध्र्य्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्सरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्सरण के लिए सय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिक्सि उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में बास्तविक रूप से कथित नहीं किया थया है धू---

- (क) बंतरण से हुइ किसी बाय की वाबत, उक्त अधिनियम के अधीन करर दोने के बंतरक के दायित्व में कभी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/वा
- (प) एंसी किसी आग या किसी धन या वन्य आरितयों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, दा भन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया भा या किया जाना बाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अस, उक्त अभिनियम की भारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अभिनियम की भारा 269-म की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलि**शित व्यक्तियों, अर्थात्** :---- (1) श्री आर॰ पी॰ अपार्टमेन्ट (प्रा॰) लि॰, एडीनाथ सरी हाऊस, ग्रौ॰ सुपर बाजार, कनाट सर्व स, नई दिल्ली।

(अन्तरक)

(2) कुमारी गराकी रानी गोगना, मास्टर राजीव गोगना सी/श्रो श्री अमीत लाल, निवासी जे~62, राजोरी गार्डन, नई दिल्ली ।

(अन्तरिती)

को यह सुचना जारी करके पुर्वोक्स सप्पतित् अँ वर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हुं।

उक्त सम्परित के जर्जन के सम्यन्ध मां आहे. भी आहाप :---

- (क) इस सूचना को राजपत्र में प्रकाशन की तारीस से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की वर्वाध, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वीवत्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति दुवारा;
- (ब) इस स्वना को राजपत्र में प्रकाशन की तारीख स 45 दिन को भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पाछ लिखित में कियेजा सकोंगे।
- स्पफ्टीफरणः ——इसमें प्रयुक्त शब्तां और पदा का, जां उक्त अभिनियम के अभ्याब 20-क में परिभाषित हूँ, बही सूर्थ होगा जो उक् अभ्याद में दिव। गवा है।

मन्सूची

प्री॰ न॰ प्लाट न॰ 107, प्लाट न॰~11 युसुफ सराय, मई दिल्ली, तादादी-260 वर्ग फिट।

जी० एस० गोपाल सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज–3, विल्ली नई दिल्ली-110002 तारीख : 30–1–85 मोहर : भूरूप अर्डिटी एन एस्. -----

आयकर ऑॉर्थानयम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-भ (1) के बभीय स्थना

भागत सरकार

कामीभग, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज---3, दिल्ली

नई दिल्ली, विनांक 30 जनवरी 1985

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/3/37ईई/6-84/444---अतः मुझे जी०एस० गोपाल

मायकर अभिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमे इसके परणात् 'उक्त अधिनियम' कह्या गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विक्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से जधिक है

भौर जिसकी संख्या 281, है तथा जो युमुफ सराय, नई दिल्ली, में स्थित है (श्रौर इससे उपाबद अनुसूची में पूर्व रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय अर्जन रेंज 3, नई दिल्ली भारतीय आयकर अधिनियम 1961 के अधीन तारीख जून 1984

को पुर्शोक्त सम्पत्ति के उचित नाजार मूल्य से कम के इत्र्यमान वित्रफश के लिए अन्तरित की गई है और मूझे यह विक्वास करने का कारण है कि यथापूर्वीक्रंत सम्पत्ति का उचित बाजार पूल्य, उसके इष्यमान प्रतिफल में, एसे इत्यमान प्रतिफल का पेद्रह श्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अतरिती (अंतरितियों) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रति-फल निम्ननिश्चित जद्द देय से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक स्प के कथित नहीं किया गया है :---

- (क) बन्दरण से हुइ किसी बाब की बाबत, उपत अधिनियम के अभीन कर बने के बन्दरक क बायित्य में कभी करने या छससे वचने में सुविधा के निए; और/वा
- (व) एंसी किसी जाय या किंगी थन या अन्य आफ्तिया को, जिन्हें भारतीय लाय-कर अगिनियम, 1922 (1922 को 11) या उक्त अधिनियम, 1922 भन-कर अधिनियम, 1957 (1957 को 27) के प्रयोजनाथ अन्तरिती द्वारा प्रकेट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में दीव्या के लिए?

बत्तः अथ, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग को बनुसरण भें, मै, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित क्ष्यक्तियों, अर्थात् ध---- (1) श्री अगोक कुमार अग्रवाल, निवासी--बी 7/107, सफदरजंग इन्कलेब, नई दिल्ली।

(अन्तरक)

(अन्तरिती)

(2) श्री आर० पी० अपार्टमेन्ट (प्रा०) लि०, एडीनाथ सरी हाऊस, ग्रौ० सुपर बाजार, कनाट सर्कंस, नई दिल्सी

को सह सूचना जारी करके पूर्वोंकत सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हू ।

उनत सम्परित के अर्थन के संयंभ में कोई भी आश्चेप .----

- (क) इस सुचना के राजपत्र में प्रकाशन की सारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों धर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त क्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (स) इस सूचना क राजपत्र में प्रकाशन की तारीस से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्परित में हितमब्ध किसी बन्य व्यक्ति ब्वारा, बधोहस्ताकरी के पास सिमित में किए जा सकोंगे।
- स्पष्टीकरण :----इसमें प्रयुक्त बब्दों और पद्यों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित ह¹, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में विभा गया ह¹।

नन्तु चौ

प्रौ० न० 201, कर्मांशयल कम्पलैक्स, यूसुफ सराय, नई दिल्ली, तादादी-220 वर्ग फिट।

जी० एस० गोपाल सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज-3, दिल्ली नई दिल्ली-110002 सारीख: 30-1-85 मोहर 🛯 भाग ।।।--खण्ड 1

प्ररूप बाइ. टी. एन. एस. - - - --

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सुचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहाबक आवकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-3, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 30 जनवरी 1985

निर्देश सं० आई० ए०सी०/एक्यू० 3/37/ईई6-84/445---अतः मुझे जी० एस० गोपाल

आयकर अभिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पदचात् 'उक्त अधिनियभ' कहा गया है कि धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित वाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

ग्नौर जिमकी संख्या 111, है तथा जो 4, बीकाजी कामा पलेस, नई दिल्ली, में स्थित है (ग्रौर इससे उपाबद्ध अनुसूची मे पूर्व रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रोकर्ता अधिकारी के कार्यालय, अर्जन रेज-3 नई दिल्ली भारतीय आयकर अधिनियम 1961 के अधीन तारीख जन 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के इच्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मूफ्रे, यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, एसे दृश्यमान प्रतिफल के मन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अतरक (अंतरकॉ) और अंतरिता !अंतरितिय^{ॉ)} के बीच एके अतरण के लिए तथ पाथा गया प्रति फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :---

- (क) अंतरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर दने के अंतुरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या
- (ख) एंसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (१०२२ ना ११) ए. उक्त आधनियम, या धन केर प्रधितिरण्म, १०७७ (1957 का 27) के प्रए जन ई अतरिनी दबान प्रकट नहीं किया गया बा या किया बाना चाहिए बा, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत अब, उक्त अधिनियम को धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् ि--- (1) मैं० राघानी बिल्डर्स, प्रो० मोहता इन्डस्ट्रीज लि० आत्मा राम हाऊस, 1, टोलसटाय मार्ग, नई दिल्लो। (अन्तरक)

(2) श्रीमती नीलम शर्मा, निवासी जैड-5, वेस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली।

(अन्तरिती)

को यह सुचना जासी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहिया करना हुन्छ ।

उक्त सम्पत्ति के अजन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेपः---

- (क) इस सूचना को राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन को अवधि या तस्सम्बन्धी व्यक्तियों पर मूचना की नामील से 30 दिन की अवधि, जो भी रर्राय गर से सपाप्त होती हो, को भीतर पूर्वीवत र्यात्तर मा से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजवत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहरूनाक्षरी के पास लिखित में किए जा सकोंगे।
- स्पर्ख्टीकरणः इसमें प्रयुक्त झब्दों और पड़ों का, जो उक्त अधिनिमम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वह्दी अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनूसूची

प्रौ० न०--111, पहली मंजिल, प्लाप्ट न० 4, बीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली, तादादी 515.5 वर्ग फिष्ट

> जी० एस० गोपाल सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज~3, नई दिल्ली-110002

तारीख: 30-1-1985 मोहर ा भारत का राजपत्र, मार्च 9, 1985 (फाल्गुन 18, 1906)

(भाग III--- खण्ड 1

प्ररूप आई. टी एन. एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सुचना

भारत सरकार

कायालय, सहायक आयकर आयक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-3, दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 30 जनवरी 1985

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/3/37ईई/6-84/446----अतः मुझे जी० एस० गोपाल

आयकर अभिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके परचात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित याजान मूल्य 25,000/-रुपये से अधिक है

ग्रॅंट जिसकी संख्या 207, है तथा जो ए/2, नजफगढ़ रोड, नई दिल्ली में स्थित है (ग्रौर इससे उपाबद्ध अनुसूर्चा में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रोकर्ता अधिकारा के कार्यालय अर्जन रेंज-3 नई दिल्ली में भारतीय आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन जून 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित वाजार मूल्य से कम के इस्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित वाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, एसे इरसमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिझत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितवों) के वाच एसे अन्तरग के तिए तय पाया गण प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:---

- (क) अन्तरण से हुइ किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कइ दोने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सूविक्षा के लिए; और/या
- (ख) एसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हों भारतीय आयकर अधिनियस, 1910 (1922 का 11) या उक्त अधिमियम, था घर-दर पर्तिराज, 1977 / 2027) प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया र भा या किया जाना चाहिए था, खिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के के अधीन, निम्नलिखित व्य⁹क्तयों, अर्थात :---

- (1) श्री सतीश चावला सुपुत श्री लाघया मालगी, निवासी→281-एल, माडल टाउन, करनाल । (अन्तरक)
- (2) श्री शिवलोक प्रोपरटीज, एडीनाथ सरी हाऊस, ग्रौ० सुपर बाजार, कनाट सर्कस,नई दिल्ली ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन लिए कार्धवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारोख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचन की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवरि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकरेगे।
- स्पष्टीकरण :— इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषि. ह¹, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दि. गया है।

গদুনুষ্

प्रौ० नं० 207, मिलन सिनेमा कम्पलेक्स, ए2, नजफगढ़ रोड, इमग्रियल कम्प्लेक्न, नई दिल्ली, तादादी-500 वर्ग फिट।

> जी० एस० गोपाल सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज--3, दिल्ली/नई दिल्ली-110002

तारीख: 30-1-85 मोहर : भाग [1]---बण्ड 1]

प्रऋष	माई -	สใ	ग्न	एस्.	-ris på 68 10 10 10 40 av
-------	-------	----	-----	------	---------------------------

आधकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-घ (1) के अधीन सचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर टायुक्त (निरीक्षण) अर्जनरेंज–3. दिल्ली

दिल्ली, दिनांक 30 जनवरी 1985

निर्देर्षा सं० आई० ए०सी०,एख़्यू०/ 3/ 37ईई/ 6-84/ 447---यतः, मुझे, जी० एर॰० गेण्ल

- गायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिस इसमें (सके पद्मात 'उज्त अधिनियम' कहा गया है), को धारा 269-स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विदवाम करने का गारण है कि स्थावर सफाट 'उसका के बाजार शुल्म 25 000/- रु. से अधिक है
- और जिसकी संख्या 208 है तथा जो सी−3, करम पुरा, कोम्युनिटी सेन्टर, नई दिल्ली मे स्थित है (ग्रौर इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय. अर्जन रेज 3, नई दिल्ली मे भ।रतीय आयकर अधिनियम 1961 के अधीन तारीख जून 1984

तो पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के इस्यमान श्रीतफल के लिए अन्तरित की गई है और मुभ्छे यह बिञ्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसक इश्यमान प्रतिफल से, एमे रहयमान प्रतिक्त का मूल्य उसक इश्यमान प्रतिफल से, एमे रहयमान प्रतिक्त का मन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) दो बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाय। गया गतिफल, निम्नलिखित उद्ददेय से उक्त जन्तरण लिखित में शत्तिक रूप से कथित नही विज्ञा गया है ---

- (क) जन्मरण गे हुई किमी आप की नगतन उदत अधि-नियम के अभीन कर दोने के अन्तरक के ताणिग्व में कमी करने पा ज्यसे अचले में स्विधा के लिए, जीर/या
- (ख) एसी किसी खाय या किसी धन या लज्य आस्तियाँ को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन कर अधिनियम 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में स्विधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनूसरण हें, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियोग, अधीत ----

- (1) श्रीमती कुसुम सन्धु ग्रौर श्री मादाविन्दरा सिंह सन्धु, निवासी-बी 171, ग्रेटर कैलाश-I, नई दिल्ली।
 (अन्तरक)
 (2) श्रीमती मधु गुप्ता
- े निवासी-- 1 0/2, जय देव पार्क , नजदीक पंजाबी बाग, नई दिल्ली ।

(अन्तरिती)

की यह सुखना जानी करको पर्वाकन सम्पनित क अर्जन के लिए कार्यवाहियां कार्या हो।

तकत सम्पत्ति को अर्जन के मम्बन्ध में जोई भी आक्षेप --

- (ख) इस सूचना को राजपत्र में प्रकाशन की तारखि से 45 दिन को मीतर उक्त स्थावर सपत्लि में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी बरे पास लिखित में किए जा सकोंगे।
- स्पद्धीकरणः—-इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो उक्क लघिनियम के लघ्याय 20-क में परिभाषित है, बही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया बबा है।

जन्स्ची

प्रौ॰ न॰ 208, दूसरी मंजिल, बिल्डिंग नं० सी--3, करम पुरा, (यु॰ सी॰ एम॰ बी॰) कम्युनिटी सेन्टर, नई दिल्ली--तादादी---280 वर्ग फिट।

> जी०एस० गोपाल सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज–3, दिल्ली

तारीख: 30-1-85 मोहर ६

(अन्तरक)

प्ररूप आई.टा. एन. एस------

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जनरेंज-3, दिल्ली

दिल्ली, दिनांक 30 जनवरी 1985

निदेश सं० आई० ए० सी०_। एख़्य़ ०_। 3_। 37ईई_। 6-84_। 448---अत: मुझे, जी० एस० गोपाल,

भायकर अभिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया हु³), की भारा 269-स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु. से अधिक है

मीय जिसकी संख्या 203 है तथा जो प्लाट नं० आर--6, हौज खास,नई दिल्ली में स्थित है (ग्रौर इसमे उपाबज़ अनुसूची मे और पूर्ण रूप से बर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय अर्ज न रेंज-8, नई दिल्ली में भारतीय आयकर अधिानयम, 1961 के अधीन तारीख जून 1984

को पूर्वीक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य में कम के इत्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुफ़ें यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोंक्त सम्पत्ति का उचित बालार मूल्य, उसके इत्यमान प्रतिफल से, एसे इत्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिक्षत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण को लिए तथ पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखिन उद्वदेय से टक्न अंतरण लिखित में बास्तविक रूप में कथित नहीं किया गया है :--

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बावत, बायकर अधिनियम के अधीन कर द³ने के अन्तरक को दायित्व में कमी करने या उससे बचने मे स्रीवभा के लिए; और/या
- (स) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियाँ को, जिन्ह⁵ भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 को 11) या उलर अधिनियम, 1922 बन-कर अधिनियम, 1957 (1977 के 27) को प्रयोजनार्थ अन्तरिती दवारा पफट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपन्ते में सविधा के लिए.

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अन्सरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिसित अ्यक्तियों, अर्थात :---

- (1) श्री कर्ण जिल सिंह, निवासी एफ-62, प्रीन पार्क, नईदिल्ली।
- (2) श्री रामामूर्ती, निवासी–111/ई–12, लाजपत नगर, नई दिल्ली। (अन्सरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 45 दिन की अवधि या तत्सम्बग्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन को अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त ध्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (स) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी क पास लिखित मे किए जा सकोंगे।
- स्पष्टीकरणः इसमें प्रयुक्त शख्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, बही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

थन् स्ची

प्रौ० न० 203, ग्राऊंड फ्लोर, प्लाट नं० आर–6, हौज खास, नईदिल्ली, तावादी 1319 35 वर्ग फ़िट ।

> जी० एस० गोपाल सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेज-3, दिल्ली

तारीखः 30---1---85 मोहरः अरूण लाइ². टी एन. एस. -----

कत्यकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) को धाग-269-र (1) के अभीन स्थना

भारत सरकार

कार्यालय, महायक आयकर आयकत (निरोक्षण) अर्जनरेंज--3. दिल्ली

नई दिल्ली, विनांक 30 जनवरी 1985

निक्श सं० आई० ए० सी०ए०क्यू० 3_/ उकईई_/ 6-- 84/ 449----अक्ष: मुझे, जी० एस० गोपाल,

बायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पथ्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित वाजार मुल्य 25,000/- रु. से अधिक है

मौर जिसकी संख्या एफ-101 में 104 है तथा जो प्लाट नंक 4, बीकाजी कामा प्लेस दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वणित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, अर्जन रेंज-3, नई दिल्ली में भारतीय आयकर अधिनियम 1961 के अधीन जुन 1984

को पूर्वोंकत सम्पत्ति को जीचत बाजार मूल्य से कम को दृश्यमान प्रतिफल को लिए अन्तरित की गई है आर मुमे यह विज्वास करने का कारण है कि यक्षापूर्वों उसपति का जीचत बाजार बुख्य, उप्तके दृश्यमान प्रतिफल मे एमे दृश्यमान प्रतिफल का बन्द्रहू प्रतिदात से प्रधिक हो और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अंतरितियों) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया बया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्वे श्वे से उक्त अन्तरण लिकित के बास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:---

- (क) अन्तरण स हुड़' किभी जाब को बाबत, उक्त अभिनियम के अधीत कर दोने के अस्तरक के दायित्व में कमी करने या उपसे बचने में नुविभा के लिए; और/या
- (क्र) एमेगी किसी आय या किनी धन या अन्य आस्तियाँ को, जिन्हु भारतीय आय-कर अधिनिभन, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियन, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रेयोज-नार्थ जन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जानां आहिए था, छिपाने में सुविधा के निप्र;

अतः अत्र, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण बॅं, मॅं, उफ्त अधिनियम को धारा 269-ग को उपभारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तिियाँ, अर्थात् :---33--486GI/84 (1) मै॰ राजध,नी बिल्डर्स, प्रो॰ मोहता इन्डस्ट्रीज लि॰, आत्माराम हाउस, 1, टोलस्टाय मार्ग, नई दिल्ली।

(अन्तरक)

(2) मैं० ग्रोडियन इन्डस्ट्रीज इन्फरासेटरेख्टर,
 ।डेवलपमेन्ट कारपोरेशन,
 पोस्ट बाक्स नं० 7,
 हौज खास, नई दिल्ली ।

(अन्तरिती)

को यह सुखना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति को **कर्जन के लिए** कार्यवाहियां करता हुं।

उक्त सम्पत्ति के अर्भज के सबंध में कार्ड भी साक्षेप .----

- (क) इस सूचरग के राजपथ में प्रकाशन की तारोब से 45 दिन की अवधि या तरमम्बन्धी व्यक्तियाँ पर सूचना की तामील में 30 दिन्न को अवधि, जो भी अवोभ वाद में संगण होती जो, की भीतर पूर्वीकन व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति दवारा;
- (ख) इस स्थना के राजपत्र में प्रकाशन की तारोख से 45 दिन के सीतर उत्तर स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास तिखित में विरागा सकोंगे।

শশ্বশ

प्रौ० नं० एफ-101 रो 104, पहली मंजिल, प्लाट नं० 4, नीकाजी, कामा प्सलेम नई दिल्ली, तादादी 1588, वर्ग फ़िट

> जी०एस०गोपाल सक्षम अधिकारी सहायक आयकर आयुख़्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज-2, नई दिल्ली

तारीख: 30--1--85 मोहर: प्ररूप बाई.टी.एन.एस. -----

बायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सुचना /

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जनरेंज-8, दिल्ली

दिल्ली, दिनांक 30 जनवरी 1985

निदेश सं० आई० ए० सी०।एक्यू ०/ ३। ३७ईई। 6-84। 450---अत: मुझे जी० एस० गोपाल

बायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (लिसं इम्में इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु. से अधिक है

श्रौर जिसकी सख्या एफ-106, हे तथा जो प्लाट नं०4, बीकाजी कामा,प्ले स, नई दिल्ली मे स्थित है श्रौर इसमे उपावढ अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिणरी के कार्यालय अर्जन रोज-3, नई दिल्ली भारतीय आयकर अधिलिय, 1961 के अधीन जुन 1984

का पूर्वोक्त सम्प्रत्ति के उचित बाजार मूल्य से लम के रूवमान प्रतिफल को लिए अन्तरित की गई है और मुझे गह विदवास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित वाजार मूल्य, उसके दरयमान प्रतिफल से, एसे दरयमान "तिफल का मन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अतरिती अन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अतरिती अन्द्रह प्रतिशत से अधिक ही और अंतरक (अंतरकों) और अतरिती अन्द्रह प्रतिशत से अधिक ही और अंतरक (जंतरकों) और अतरिती अन्द्रह प्रतिशत से अधिक ही आहे अन्तरण के निष् तय पाया गया प्रतिफन. निम्नलिण्डित में जामा-विक का स कवित नदी िक्षा गया है :---

- (१) प्रन्तरथ में हुई किशा घ.भ को बादन के क्षा छोध-वियम के सकीन करदन के प्रन्तरक के क्षायिएक संज्ञाप्ते करन या उउसे बल्म में संविधा के लिए। क्षीराया
- (अ) एनी किसी आय या किसी धन वा अन्य आस्टियों को, जिल्हे भारतीय आयकर अगिनियम, 132% (1922 का 11) या उक्त लघिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अंत्रीरनी द्वारा प्रगत न्यी किया गया था या किता जा। चाहिए था किया म्या था या किता जा। चाहिए था किया म्या के निया.

बतः अत्र, उक्त अभिनियम को भारा 169-ग के अन्यरण में. में, उक्त अधिनियम की भारा 269-घ जी ज़रधारा (1) के सभीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :---- (1) मै० राजध नी बिल्डिस,
 प्रो० मोह केंटरजे द्रीज तेल,
 आत्वा राम हाउम 1, टोलस्टाय मार्ग,
 नई दिल्ली

(अन्तरक)

 (2) श्रीमती सारगा देवी धर्मपन्नी श्री एस० के० साकघर निवासी 2, पालम मार्ग, बसन्त विहार, नई दिल्ली

(अन्तरिती)

को यह सुचना जारी करके पुत्रोंक्त सम्पत्ति के अर्जन के सिए कार्यवाहियां करता हूं।

जक्त सम्परित के अर्जन क सम्बन्ध में कार्य भी बाक्षेपः---

- (क) इस सूचा। को राजपत्र भी प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्त्वंधी व्यक्तियों पर सूचना को तामील स 30 दिन की अतींध्र, जो भी अपीध बाद घे जमादत होती हो, भे भीतर प्रांकत क्त्यां भे जिल्ला जिल्हा द्यारा,
- (अ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारोख से .15 दिन के भीगर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी जन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकोंगे।
- स्पख्टीकरणः—-इसमे प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस नध्याय में दिया गया है।

जन्**स्या**

भो० न० एक०-106 प्लाट न० 4, बीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली, नादादी-205, वर्ग फिट

> जी०़ एस० गोपाल सक्षम प्राधिकारी सहायक द्यायकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेज–3, नईं'दिल्ली

नारीख ३१-१-२5 मोहर : प्ररूप जाइ टो.एग.एस ----

अगयकर अधिभिदम, 1961 (1991 का 43) की धार्य 265 घ 11) क रधीन स्वरा

शारण मरकार

कार्यानय, स्टायक आयकर लायकर (निरीक्षण)

अर्जन - जिली

दल्ती, दिनामा उभारता 1985

निर्देश स० आई० ए० मी०/एतय्^-3/37ईई/०-° म/↓51 ---अत मुझे जी० एस० गोपक्त

आदकर अधिनियम, 1961 (1961 वा 43) मेरी उनम इसके पश्चात् 'उवर अधिनियम कहा गया है), को धारा 269-ख के अधील सडम्य प्रतिवकारी को, यह विश्वास करने का कारण ह' कि स्थावर अग्यांत, जिसवा उदित लग्यात्र सूच्य 25,000/- एउ. से आधन्त ही

प्रीय जिसकी सख्या 190 हे त्य जो ब्लाक वी-2, पश्चिम । बहार नई दिल्ली, में ास्प्रत है और इपने उनायद्व अनुचचों में पूर्ण रू कि वर्णित हैं), रजिस्ट्रीकर्ता अन्धवारी के कार्यालय अर्जन रेट-3, नई दिस्ली भारतीय आयकर अविन्यम 1961 के अधीन ताराख जन 1984

का पूर्वोक्स सम्पत्ति क उचित वागार मूल्य स कम क दश्यमान प्रतिफल को लिए अन्तरित की गई है और मुभो यह दिखास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दश्यमान प्रतिफल से, एक दश्यनान प्रतिफत का पन्द्रह प्रतिशत में अधिक हो और अतरक (अतरकों) और अतरिती (अन्तरितियों) को बीच एसे अन्तरण को लिए तय पाया गमा प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप में कथित नहीं किया गया हो :---

- (क) अन्तरण म हुई किसे जाय की बाबत तरून अधि-नियम के बधीन कर दोने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा के लिए; और/या .
- (व) ऐसी किमी आय या किसी धन या बन्य आस्तियां को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (१२२२ व्या १३१ गा उक्त विधितियम, 19 अन-गर अधिरियन, 1957 (1957 का 27) के अपोजनाथ अन्तारता द्वारा प्रकट नहां किया अयोजनाथ अन्तारता द्वारा प्रकट नहां किया अयोजनाथ जाना चाहिए था डिण्णन न मुविना को लिए;

अँ।: अब, डेक्त अधिनियम की धारा 280-ग ठ अन्सरण अ, मैं, उवत अधिनियम की धारा 269-व की उपभाषा (1) के अधीन, निम्नलिखित त्यक्षित्रयों , अर्थाल ---- (1) श्री मुल्कराज
 निवासी-9,8 पजाबी बाग,
 नई दिल्ली

(2) श्रीमती गु**रबचन कोर** निवासी–एन–58 बाली नगर. नई दिल्ली

(अन्तरिती)

(अन्तरक)

को यह सूचना जारी करके पूर्वाक्त ममात्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहिया शुरू कारण हु।

उवत सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेष :----

- (क) इस सुबना के राजपत्र में प्रकाशन को तारीख से 45 दिन को अवधि या तरसम्बन्धी व्यक्तियों पर मूचला की तामील स 30 दिम की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त हाती हो, क भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में रु किसी व्यक्ति द्वारा;
- (स) इस सूचना के राजपा में प्रकाशन की तारीस से 15 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-तद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास निस्ति में जिए उ' सकेंग।
- स्पच्टीकरणः त्रम्भ प्रमुक्त शब्दों और पदां का, जो उक्त अधिनियम, क अभ्याथ 20-क म परिभाषित है, यहां अर्थ हागा, जा उस अध्याय में दिवम गया है।

वप्सची

प्रौ० न० प्लाट न० 190, ब्लाक बी-2, पश्चिम विहार, नई दिल्ली, नादादी 150 वर्ग गज।

> जी० एस० गोपाल सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेज--3, नई दिल्ली

तारीख 30-1-85 मोहर :

(ग्रन्तरिती)

प्ररूप बाई. टी. एन. एस. - - -

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की प्रा (50-4 1) क दर्भन मचला

आरत तरकार

कार्यानब, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जनरेज-3, नई दिल्ली नई दिल्ली, दिनाक 30जनवरी 1985

निर्देश सं० ग्राई० ए० सो०/एक्यू०/3/37ईई/6-84/452---ग्रत: मुझे जी० एस० गोपाल

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके परचार 'उक्त आंधीनग्रम' कहा गया है), की धारा 269-स्य के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25 000/- रा. से अधिक है

ग्रौर जिसकी सं० 103 है तथा जो प्लाट नं० 22 यूसुफ सराय नई दिल्ली में स्थित है (ग्रौर इससे उपाबढ़ ग्रनुसूची में ग्रौर पूर्ण रूप से वणित है) रजिस्ट्रेकर्ता ग्राधिकारी के वार्यालय ग्रार्जन रेंज-3 नई दिल्ली में भारतोय ग्राय प्र अधिनियम 1961 के ग्राधीन दिनाक जून 1, 19784

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दरयमान प्रतिफल को लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने को कारण है कि यथाप्याक्त सपतित का उचित बाजार प्रत्य, उसक दरयमान प्रतिफल मे, एस दर्व्यमान प्रतिफल वा पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अतरको) और अतरिती (अन्तरितियो) के बीच ऐसे अन्तरण को लिए तय पाया गया प्रति-किल निम्नसिपित उद्द इय से उक्त अन्तरण मं लिा कत वाम्तदिक रूप से कथित नही किया गया है :---

- (क) अन्तरण से हुइ। किस्ती साथ की बाबत उक्त अधिनियम को अधीन कर दोने के अन्तरक को दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा को लिए; गौर/णा
- (ख) एरेसी किरसी जाय या किसी धन था जन्य बास्तियाँ बढ, जिन्हों भारतीय जाय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्ते अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) क प्रणाड के जन्मान्ती द्वारा प्रकट रहा किया गया या रा किया जाने साहिए था, छिपाने में मुद्धिका के लिए;

बतः वब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के बनुसरण बो, बी, उक्त अधिनियम को धारा 269-च की उपधारा (1) क अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :---

-तारीख: 30-1-1985 मोहर:

 श्री भनोट प्रोप्टींज एण्ड इन्डस्ट्रीज लि० 102-103 राजा हाउस 30-31 नेहरू प्लेस नई दिल्लो । (ग्रन्तरक)
 मास्टर राल नायर और कुमारो राधिका नायर,

सी/ओ श्रो वो० नायर निवासी सी-5 फ्रैन्ड्स कालोनो[,] (ईस्ट) नई दिल्ली ।

को यह सूचना जारों करके पूर्वोक्त राग्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहिया करता हुं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई आक्षेप .---

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीस से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर .सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अभोहस्ताक्षरी के पास निखित मालिए जा सफोग
- स्पष्टीकरणः—-इर्ग्ने प्रयुक्त शब्दों अ^{के} पत्रों का, जो **टक्स** अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित ह**ै, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया** गया है।

अन्स्ची

प्रो॰ न॰ 103 पहलो मंजिल बनो हुई बिल्डिंग प्लाट नं॰ 22 कम्यूनिटी सेन्टर यूसुफ सराय नई दिल्लो तादादी 385 वर्ग फिट ।

> जो० एस० गोपाल सर्क्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेज 3, नई दिल्ली

भाग [11----खण्ड 1]

प्ररूप शार्ष, टी. पुन्. एस्. ----

नावकर अभिनियम, 1961 (1961 का 43) को भारा 269-घ (1) के अभीन मुचना

मारत् सरकाड

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) ग्रजन रेज-3, नई विल्लो

नई दिल्लो, दिनांध 30 जनवरों 1985

निर्देश सं० भाई ० ए० सी०/एक्यू०/3/37ईई/6-8-4/453---म्रतः मुझे, जी० एम० गोपल

भायकर बरिभनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें. इसके पक्ष्यात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विक्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रउ से अधिक है

भोर जिसकी सं० 104 है तथा जो प्लाट न० 22 युसुफ सराय नई दिल्ली में स्थित है (श्रोर इससे उपाबढ श्रनुसूची मे श्रोर पूर्ण रूप से वणित है) रजिस्ट्रोकर्ता श्राधकारों के कार्यालय मर्जन रेंज-3, नई दिल्लों में भारतीय श्रत्यकर प्रधिनियम 1961 के मधीन दिनांक 1 जुन 1984

को पॄवॉक्त सम्पत्ति के उचिन बाजार मृत्य स कम के दरयमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मूर्भ यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वाक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मृत्य, उसके इत्यमान प्रतिफल से एसे दत्र्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अतरक (अंतरकों और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिष्ति उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिसित में बास्तविक रूप से कथिन नही किया गया है:---

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बावउ, उक्क अधिनियम के अधीन कर दोने के अन्तरक के इाफिल्स सा रूमों अटरने या उन्हम बजने में सुविधा को लिए; और/या
- (स.) एरेसी किसी आय था किसी धन था अन्य आस्तियो को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) वा उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिणने में सुथिधा के सिए,

 भभोट प्रोत्टीज एण्डइन्डस्ट्रोज लि० 102-103 राजा हाऊस 30-31 नेहरू प्लेस नई दिल्लो। (ग्र/त'(फ))

2 श्रोमक्षे मोरा नायर द्वारा . श्रो बो० नायर नियासी सो-5 फैन्ड्स कालोनो (ईस्ट) नई बिल्ली । (ग्रन्तरितो)

को यह सुचना आरी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्थन के सिए कार्यवाहियां करता हु ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :----

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारोख /स 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना को ताभील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त हाती हो, के भीतर प्वोंकद क्यान्स्या के जीत की क्यांस्ट्रेंग्रें द्वारा
- (क) इ.स. सूचना के राजपत्र मा प्रकाशन को गारोक में 45 विन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-ब्रद्भ किसी अन्य ध्यक्ति द्वारा, अधाहस्ताकारी के पास लिखित में किए जा सकोगे।
- स्पद्धीकरण ः----६समॅं प्रयुक्त क्षम्याॅ और पर्दां का जो उक्त अधिनियम, के अभ्याय 20-क मॅं पीर--भाषित है, वहीं अर्थ होगा जो उस अभ्याय में दिया गया है।

<u>सन्मुची</u>

प्रो० न० प्लाट न० 101, पत्ना मंजिल, वनी हुई बिल्डिंग प्लाट न० 22, कम्यूनिटो सेन्टर, युसुफ सराय नई दिल्ली, तादादी 2805 वर्ग फिट ।

> जो० एम०गोपाल सक्षम प्राधिकारी सहायक आयंकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेन्न-3, नई दिल्ली

अत्त: अज, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अन्सरण में, में, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीत, निम्नुलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :---

तारोख: 30−1~1985 मोहर¢ र्भारेंड **का रॉजयक, मार्च 9, 1985 (फाल्गुन 1**8 1906)

प्रस्त वार्. डो. एन. २४.-----

आयकर अधिनियस, 1961 (1961 क्या 43) की भारा 269-भ (1) के अधीन सुचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक बायकर बायुक्त (निरक्षिण) अर्जन रेंज-3, नई दिल्ली

नई दिल्ली, र्यनाम 30 जनवरों 1985

निर्देश 'ग्राई० ए० सें ?०/एक्यू०/3/37ईई/⁄6-84/454----अत्त:मुझे, जी० एस० गोनाल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धोरा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारों को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपरित जिसका उचित बाजार मुल्य 25,000/- रु. स अधिक है

स्रोर जिसको संब 303 है, तथा जो प्लाट तंब 22, यूसुफ सराय, नई दिल्ला में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूचो में और पूर्ण रूप से बापति है) रजिस्ट्रोक्तर्ता अधिकारों के कार्यालय अर्जन रेंज-3, नई दिल्लो में भारतोय ग्रायकर ग्राधनियम 1961 के स्राधोन दिनाक 1 जून 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के डरयमान . प्रांतफल के लिए अन्तरित की गई है और मुफ़े यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दश्यमान प्रतिफल से, एसे दश्यमान प्रतिफल का क्षेत्र प्रांतशत स आंधक है बार अतरक (अतरकों) और अतर्रा सौ (अंतरितियों) के बीच एसे अंतरण के लिए तथ पाया गया प्रति-कल किम्मलिखित उद्देव्य के उक्त अन्तरण लिख्छि में वाल्त-दिक क्ष से कथिल नहीं किया गया है के---

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या
- (श) एंसी किसी जाय या किसी धन या जन्य जास्तियों का, जिन्हें प्रारतीय जायकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन्कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सजििधा के लिए;

अत: अव, उवत अधिनियम को धारा 269-ग के अनुसरण ग, म, र, उक्त अधिनियम को धारा 269-व का उपधारा (1) के अधीग, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् '---- भवोट तो स्टॉज, एण्ड इंग्डस्ट्रोज, लि० 102-103, र.ज. हाऊम, 30-31, नेहरू प्लेस नई दिल्लो । (ग्रन्तरक)
 श्री विजय गुप्ता, निवासो चिरनजीव टावर, 43, नेहरू प्लेम, नई दिल्ला।

(ग्रन्तरिनो)

1417111---福四 1

को यह सूचना जारी करके पूर्वाप्त सर्पात्त के अर्जन के लिए कार्यवाहिया करता हा।

उमर सम्परित के अजन के सम्बन्ध में काई भी बाक्षेय :---

- (क) इस युवना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीस से 45 दिन की कवधि या तत्सम्बन्धी व्यत्तित्या पर सुचना की तामील से 30 दिन की अवभि, ला भी अवधि बाद में समाप्त हो ही ही, का भीतर पूर्वोक्ता व्यक्तियों में किसी व्यक्ति दुवारा ;
- (ब) इस सूचना के राजण्त्र में प्रकाशन को तारीख से 45 दिन के भीलन उला ल्यावर सम्पत्ति मा हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अथंहस्ताक्षरी के पास लिखित प म्रान्य न्य न्य न
- स्पष्टीकरणः----इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त बार्धानगर, क क्राग्य २० क न परिआण्डल ह⁵, वही अर्थ हागा जो उस अध्याय में दिया **गवा ही।**

अनुसूची

प्रो० नं० 303, तीसरो मजिल, धनी हुई बिल्डिगक्ट, प्लाट नं० 22, कम्यूनिटो सेन्टर, नई दिल्ला तादादो, 504 वर्ग फिटो

> जो० एस गोगाल ुनक्षम क्रेप्राधि हारा सहापक आयाग्र आयुक्त (निरीक्षण) जर्जन रेज-3, दिल्ल।

दिनांक: 30-1-1985 बोहर ब ·

- प्ररूप नाई. टी. एन. एस.-----
- बायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-घ ,1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, महायक कायकर कायुक्त (निरीक्षण) इन्द्रेन रेज-3,नई दिल्लो

ल्हीदल्ली, दिनाक 30 जनवर, 1985

निदेगस० प्राई० २०सा० एम [०] 3 37ईई 6-84 455--

मतः मुझे, जीव एपव गोतल,

कायकर अभिन्यिम, 19: 1 11061 ना 43) (जिस इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-इट के अधीन सक्षम प्राधिकार्रा को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रठ म अधिक ही

श्रोर जिसका सं० 301 हे तथा जो प्लाट २० 2?, यूसुफ सराय, नई दिल्ने में स्थित है (श्रौर उपम उ प्रव्ह श्रनुसूचो में गीर जो पूर्ण रूप न वणि है) जो स्ट्र कर्ना श्रधिकार, के कार्यालय श्रर्वन रेंज-3, नई दिला, साग्त के फोसकर श्रधिनियम 1961 के श्रश्नेन दिनाक 1 जून, 1981

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कार° है । क यथापूवो के सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके इत्य सान प्रतिफल स, एसे दश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत स अधिक ही और अन्तर्फ (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरिक्ति) के तीच एते अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित म वास्तुविद रूप के कीश्व नहों किया गया है :---

- (क) बन्तरण से हुई किसी आय की बावत, उक्त अधिनियम के अधीन कर दोने के अन्तरक को दायित्व म कमी करने या उनमे बचने में सुविधा के लिए; और/या
- (स) एस किसी अग का किसी अन या अन्य आस्तियों का, जन्हे भारलीय आयवर अधिनिगम, 1922 '9, '11 भा उत्ते आवत्यिम, का घर-कर अविषियन, 1957 मार्ग् प्रयोजनार्थ अन्तरिती दवारा प्रकट नहीं किया गया गण का या 'गा जाता वाहिए था, एछ्याने दे गरिपा के निग.

ङत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-**ग के, अनुसरण** में, मैं, उक्त अधिरियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीग, निम्तर्ग्लिन व्यक्तियों, अर्थात ---- भनोट प्रोत्टींज एण्ड इन्डस्ट्रोज लि०, 102-103, राजा हाऊस, 30-31, नेहरू प्लेस, नई दिन्लो । (प्रन्तरक)
 जैनो साय एण्ड विनर मिल्स (प्रा०) लि०

2. गरा साथ एउँ परार (परस (प्राट) रहे 2045/2, चूना मण्डा, स्ट्रोट नं० 6, पहाड़ गंज, नई दिल्लो । तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्परित के अर्जन कार्यवाहियां करता हु—े।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध मैं कोई भी आक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना -की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि याद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति दुवारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितकद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहम्ताक्षरी को पास लिखित मे किये जा सकंगे।
- स्पष्टीकरण :---इसमें प्रयुक्त बब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित ह, बही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

वनस्वी

प्रो० नं० 301, त.सरी मंजिल, बनी हुई, बिल्डिंग, प्लाट नं० 22, कम्यूनिटी सेन्टर यूसूफ सराय, नई दिल्ली. तादादी-505 वर्गे फिट

> ज/० एस० गोपाल सक्षम प्राधिदार; सहायक ग्रायकर ग्रायुक्त (निर,क्षण) ग्रर्जन रेंज, 3 नई दिल्ली

तार,ख: 30-1-1985 मोहर प्ररूप आई.टी.एन<u>.</u>एस. -------

आयकर अभिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-भ (1) के बभीन सुमना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक जायकर जायुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज-3, नई दिल्ली

नइ दिल्ली, दिनाक 30 जनवरी 1985

वायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिंगे इसमें इसके परचात 'उकत अधिनियम' कहा गया ही, की भारा 269-च के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विष्णाम करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उग्निंग बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

ग्नी र जिसकी सं० 302, है तथा जो प्लाट नं०-22, युसुफ सराय नई दिल्ली, मे स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वॉणन है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, अर्जन रेंज-3, नई दिल्ली, भारतीय आयकर अधिनियड, 1961 के अधीन नारीख जून, 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मुल्य सं कम के दश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मुख्य उप्तऋ दृश्यमान प्रतिफल तो, एसे दश्यमान प्रतिफल का पन्द्रष्ट प्रतिशत से अधिक हे और अतरक (अतरकां) और वैतरिती (अंतरितियां) के बीच एसे अंतरण के लिए तथ पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्वेदेय से उक्त अन्तरण लिखित में बास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है ----

- १्क) जमारण से हुई किसी थाथ कौ दावत, उक्त अधिनियम के जधीन कर दोने के जन्तरक को धायित्व में कमी कारने वा उससे बचने में सुविधा को लिए; जौर∕या
- (ख) एसी किसी बाय या किसी थन या अन्य बारैस्तय. को जिन्हें भारतीय बायकर अभिनियम, 1922 (1922 को 11) या उक्त अभिनियम, या भन-कर अभिनियम, 1957 (1957 को 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रजट नहों किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सविभा के लिए;

अतः अब, उक्त अभिनियम की भारा 269-भ को अनुसरण में, मैं उभत अभिनियम की धारा 269-घ की उपभारा (1) के अभीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :----

- (1) भनोट प्रोपरटीज एण्ड इडन्स्ट्रीज लि० 102-103, राजा हाउस, 30-31, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली (अन्नरक)
- (2) जैनी साव एण्ट थिनर मिल्स (प्रा०) लि० 2045_/2 चूना मण्डी स्ट्रीट नं० 6 पहाड़ गज नई दिल्ली

(अन्तरिती)

को यह सुचना जारी करके पूर्वांकत सम्परिस के अर्जन **के लिए कार्य-**बाहिया करता हु<u></u>।

उक्त संपरित के अर्जन के गयंथ में कोई भी आक्षेप:--

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीय से 45 दिन की जवधि या तत्सवधी व्यक्तियां पर सूचना की तामील स 30 दिन को अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तिया में से फिसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस स्पूचना के राजपत्र में प्रकाशन को तारीच से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबच्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अभोहस्ताक्षरी के पास निचित में किए त्रा सकांगे।
- स्पक्षटीकरणः--इसमें प्रयुक्त शब्दों आरे पर्दों का, जो उक्स अभिनियम, के अध्याय 20-क में परिप्राषित हू⁴, बहुी अर्थ होगा जो उस अध्याय **में दिया** गया हू⁴।

मनुसुचौ

प्रो० नं० 302, तीसरी मजिल, बनी हुई बिल्डिंग 4 प्लाट नं० 6 अम्यनिटी सेन्टर, नई दिल्ली, तादादी–504 वर्ग फिट ।

> जो॰ एग॰ गोपाल सक्षम प्राधिकारी सहायक आयक्तर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन क्षेत्र--3, नई दिल्ली

तारीख: 30∽1−1985 /मोहर : [भाग ।]] ---खण्ड 1

5×

8773

प्ररूप आई.टी.एन.एस	(1) भनोट प्रोपरटीज एण्ड इन्डस्ट्रिज लि०		
्यस्डर डॉभस्वियम, 196। (1961 का 43) की ँारा 269-घ (1) के आधीन सूचना	102~103, राजा हाउस, 30–31, नेह्र्रू प्लेस, नई दिल्ली		
भारत सरकार	(अन्तर		
अजग्र ⁻ लय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्रण) अर्जन रेंज-3, नई दिल्ली	(2) श्री सु दे ग कुमार गु्प्ता सुपुद्र श्री हरीग गुप्सा, निवासी–एन~8,		
नई दिल्ली दिनांक 30 जनवरी, 1985	पंचशील पार्क, नई दिल्ली (अन्तरिती)		

निदेश सं० आई० ए० सी०/एक्यु०/ 3/ 37ईई/ 6-84/ 457---अतः मुझ, जंः ० एम० गोपल,

आयकर अधिन्यिम, 1961 (1961 का 43) (जिसं इसमें इसके पण्णात 'उक्त अभिनियम' कहा गया है), की भारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विक्लास करने का कारण है कि स्थावर सम्परित, जिसका उफित बाखार मुल्य 25,000/-रः में जीधक **है**

ग्र रजिसकी सं० 100, है तथा जो प्लाटनं० 22, युसुफ सराय, नई दिल्ली में स्थित है, (ग्रौर इसमें उपावद अनुसूची में ग्रौर पूर्णरूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ती अधिकारी के कार्यालय, अर्जन रेंज--3, नई दिल्ली भारत य आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन ारीख जून, 1984,

को पूर्वीकत संपरित के उचित बाजार मूल्य संकम के उदयमान प्रतिफल को लिए अन्तरित की गई है और मुफ्ने यह विद्वास

मुक्ते यह विश्वास करने को कारण यथा पूर्वोक्त संपरित का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, एेसे दश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) शौर अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच एंसे अन्तरण के लिए तय पाथा गया प्रतिफल, निम्नलिसिल उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखत में वार्स्तावक रूप से कथित नह किया गया हैः----

- "(क) जन्तरण से हुंदूर किसी जाग की गानत, उनक जभिनियम के अधीन कर दोने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उसमे बचने में मविधा कोतिए; कौर∕या
- (स) एरेसी किसी आय या किसी धन या अन्य जास्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) वा उक्त अभिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) क प्रयाजनार्ण अस्तरिती दुगारा प्रकट नहीं किया गया **ना वा किया जाना पाहिए था छिमा**ने में स्तिभाकं लिए;

बध: सब, उक्त जीवनियम को भारा 269-म के मन्तरण म, म, जक्त अधिनियम की भारा 269-म की उपधारा (1) 🕏 जधीन, निम्नलिखित व्यक्तियाँ, अर्थात :----34-486GI/84

(अन्तारता)

को बहु सुचन। जारी कारको नुवाबिस सम्परित के जर्जन के लिए श्वार्यवा**हिनां** करता हुः ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :---

- (क) इस सचना 🦝 राजपत्र में प्रकाशन की सारीच से 45 दिन की अवधि या तरसम्बन्धी व्यक्तियों भ स्वना की तामोल में 30 दिन की अवधि, जो ववधि बाद म समाप्त होती हो, के भीतर प्वेंक्ति व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति दुवारा;
- (स) इस सुचना के राजपत्र में प्रकाशित की तारीस से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी फे याम लिफिल मा बिन्धु आ समझे गे।
- स्पद्धीकरणः इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदी का, जो उक्त अभिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, बही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गवा है।'

मन्स् चा

प्रो० नं० 105, पहली मंजिल, बनी हुई बिल्डिंग, प्लाट ने० 22, कम्युनिटी सेन्टर, नई हिच्ची तादादी--347 वर्ग फिट ।

> जी० एस० गोपाल, मक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज-3, नई दिल्सी

तारीख: 30-1-1985 मोहर :

[भाग III---खण्ड 1

अस्य मार्ड्.टी.एन्.एत्र_ा------

बाथकड वांभगियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-च (1) के अधीन सुचना

नारत बरकाउ

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरक्षिण) अर्जन रेंज-3, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 30 जनवरी 1985

निवेश सं० आई० ए० सी०/एख़पू०/ 3/ 37ईई/6--84/458----अत: मुझे, जी० एस० गोपाल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमे इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का आरण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाबार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

मौर जिसकी सं० 304, है तथा जो प्लाट नं० 22, युमुफ सराय, नई दिल्ली, में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, अर्जन रेंज-3, नई दिल्ली भारतीय आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन,

तारीख जून, 1984

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें को पूर्वोक्त संपत्नि के उणित बाजार मूल्य से कम के इत्त्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मूभ्रे यह विश्वास कश्ने का कारण तै कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरित (जन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नी तिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित मे वास्तयिक रूप से कथित नहीं किया गया है का

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिशियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित में कभी करने या उससे बचने में सुविधा के लिग्, और/या
- (ख) एरेसी किसी आय था दिऱ्सी अन सा अन्य आस्तियाँ को जिन्हों भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, सा धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनर्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किसा गया ा या किया जाना चाहिए था, छिपाने में स्विधा **के लिए;**

अत, अभ, उबन ऑधनियम की धारा 269-ग के अनूसरण में, मैं, **अव्त** श्रीधनियम की भारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नतिद्विस **स्वक्तियों** अर्थात;⊶• (1) भनोट प्रोपरटीज एण्ड इन्डस्ट्रिज लि॰
 १ 102-103, राजा हाउस, 30-31, नेहरू प्लेस, नई विल्सी
 (अन्तरक)
 (2) मै॰ आल आटे डी०-5 वेस्ट इन्ड०, नई विल्सी
 (ग्रन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वीक्त स्म्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहिवां करता हुं।

धनत सम्परित के बर्जन के सम्बन्ध में कांई भी वाक्षेप:----

- (क) इस सूचना के राजपत में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की प्रवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की प्रवधि; जो भी प्रवधि बाट में समाप्त होती हो, के जीतर [पूर्वोकत व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;]
- (स) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पार लिखित मे किये जा सकोंगे ।

स्पकटीकरणः—–इसमें प्रयुक्त धब्दों और पर्वों का, जो उक्त अधिनियम के अभ्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अभ्याय में दिया गया है।

मगुर्द्धनी

ध्रिंगे० नं० 304, तीसरी मजिल, बनी हुई बिल्डिंग, प्लाट नं०22, कम्युनिटी सेन्टर, नई दिल्ली, चेसुफ सराय, नई दिल्ली तादादी–505 वर्ग फिट

> जी० एस० गोपाल 'सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज–3, नई दिल्ली

तारीख: 30-1-1985 मोहर 🛛 मांग 🆽 --- जण्ड 1]

प्ररूप आद्".टी. एन. एस. -----

आयकर झांधोंनयम, 1961 (1961 का 43) कीं धारा 269-घ (1) के अधीन स्वना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज–3 नई दिल्ली

नई दिल्ली दिनांक 30 जमवरी, 1985

निदेश सं० आई० ए० संं०/एक्यू०/ 3/ 37ईई/ 6– 84, 459----अतः मुझे जी० एस० गोपाल,

शायकर आंधनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख क अधीन सक्षम प्राधिकारं को यह विश्वास करने का कारण है 'क स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित काजार, मुल्य 25,000 - रु. से अधिक है

प्रोर जिसकी संब 101 है तथा जो आर-1, हौज खास, नई दिल्ली, में स्थित है (ग्रौर इसमे उपाबद्ध अनुसूची में ग्रौर पूर्णरूप से दिल्ली, में स्थित है (ग्रौर इसमे उपाबद्ध अनुसूची में ग्रौर पूर्णरूप से दिल्ली, है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, अर्जन रेंज-3 न लिली भारतीय आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन तारीख जून, 1984 को पूवाक्त सपरित के जीवत बाजह यूल्य से कम के पश्यमान प्रतिफल के लिए बन्तरित की गई है बार मैं फे यह विध्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपरित का उचित बाजार यूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिक्षत से अधिक है बार अन्तरक (अन्तरकों) बार बतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पावा गया इतिफल निम्नीलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में बास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:---

- (क) अन्तरण से हुद्द किसी बाय की बाबत, उचत अभिनियम के अभीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बखने में सुविधा के सिए; जौर∕मा
- (स) एरेसी किसी जाय या किसी भन या बन्य भारितयों को, जिन्हें भारतीय जाय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोज-शार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अन्तः अव, उक्त अधिनियम की धार्य 269-ग के अनुसरण बें, मै, उक्त अधिनियम की भार्य 269-च की उपभार्य (1) के अभीन, निम्नलिखित व्यक्तिरयों, अर्थात् '---- (1) श्री कर्ण जीत सिंह, निवासी--12, रीगल बिल्डिंग, पालियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली

(2) श्रीमति मनमोहन कौर,
 तिवासी-- बी०-57, सर्वोदय, इनपलेव,
 नई दिल्ली

(अन्तरिति)

(अन्तरक)

को यह सुचना जारी करके पूर्वोवत सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्थवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सबंध में कोई भी आक्षमें :----

- (क) इस मूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तरसम्ब थे, व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त क्यक्तियों में स किसी व्यक्ति लगारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाश की तारील से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर मय्गीत में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहताक्षरी के पास लिखित में किए जा सर्केंगे।
- स्पद्धोक्षरणः ----इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अभ्याथ 20-क में परिभाषित है वही अर्थ होगा जो उस अभ्याय में दिया गया है।

नन्स्पीं

प्रो० नं० 101,प्लाटनं० आर०⊣1,हौज खास, नई दिल्ली, तादादी–1030 वर्ग फिट

> जैः एस० गोपाल निक्सम प्राधिकारी सहायक श्रायकर आयुक्त (निराक्षण) अर्जन रोंज, 3, नई दिल्खी

दिनॉक्ष : 30⊶1→1985 मोहर ध प्रकन बाई. टी. एन. एस. -----

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन स्पना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

म्रार्जन रेंज-3, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 30 जनवरी 1985

वायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसं ६ममें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया हु"), की धारा 269-इन व्हे अधीन सक्षम प्राधिकारों को, यह विषयास करने का कारण हैं-जिक स्थावर सम्परित्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु से अधिक है

भौर जिसको सं० 301 है, तथा जो भार-1 हो ज खास, नई दिल्लो में स्थित है (श्रोर इससे उपाबद्ध प्रनुसूचो में श्रोर जो पूर्ण रूप से वाणित है) राजम्ट्रोकर्ता घाधकारों के कार्यालय मर्जन रेंज-3, नई दिल्लो में भारतीय ग्रायकर घाधनियम 1961 के मधीन दिनांक ज्न. 1984

को पूर्वोक्द सम्परित के उचित बाबार मूल्य से कम के रूप्यमान प्रतिफल को लिए अंतरित की गई हैं और मुफे यह विषयास करन के कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्परित का उपित बाजार भूल्य, उसके दूध्यमान प्रतिफल सें, एक्त रूप्यमान प्रतिफल का कन्द्र प्रतिघत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरितौ (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्ददेध से उक्त अन्तरण निधित में बास्सविक रूप से कथित नहीं किया गया है:----

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त विधिनियम के बभीन कर दोने के अन्तरक के दायित्प में कमी करने या उसने बचने में सुविधा के लिए; बौर/या
- (ब) एरेसी किसी आय या किसी धन या जन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 '(1922 का 11) या उक्ते अभिनियम या धन-कर जधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ जन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना भाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: जब, उक्त जथिनियम की धारा 269-ग के जनुसरण बें, बें उक्त जथिनियम की धारा 269-थ की उपधारा (1) बे जथीन निम्लीचील व्यक्तियाँ, वर्षात इ---- श्र/ कर्णजोत सिंह. निवासी-12 रोगल बिल्डिंग पालियामेंट स्ट्रोट, नई दिल्लो । (ग्रन्तरक)
 श्रे/ ताराचन्द वर्मा श्रोर श्रोमतो निशा मलिक निवासो एच-523 सरोजिनो नगर नई दिल्लो ।

(अपन्तरिती)

को यह सूचना आरी करको पर्वोक्त संपरित के अर्जन के लिए कार्यवाहिया करता हूं।

उक्त सम्परित के अर्जन के संबंध में कोई भी जाकोप----

- (क) इस सुचना के राजपण में प्रकाशन की तारी स 45 दिन की अवभि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवभि, जो भी अवभि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियां मा से जिसी व्यक्ति खुवारा;
- (क्व) इस सूर्चना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीका से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहरताक्षरी के पास लिचित में किए जा सकोंगे।
- स्पष्टीकरणः इसमें प्रयुक्त क्षब्यों और पदों का, जो उक्त अभिनिथम के अभ्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अभ्याय में दिया गया है।

मन्स्यी -

प्रो० नं० 301,प्लाट]नं० प्रार-1. होज खान नई विल्लो, तायादो 1005 वर्ग फिट ।

> जो० एस० गोताल सक्षम प्राधिकारी सहायक म्रायकर म्रायुक्त (निरोक्षण) म्रजॅन रेंज-3, नई दिल्लो

दिनांक : 30-1-1985

मोहर 🔬

प्ररूप बाह. टी. एन. एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन स्चना

भारत बरकार

कार्यालय, सहायक आयकर बायुक्त (निरीक्षज्र)

म्रजन रेंज-3, नई दिल्ली

नई दिल्लो, दिनांक 30 जनवरो 1985 निदेश सं० ग्राई० ए० सो०/एक्यू०/3/37ईई/6-84/461---

ग्रनः नुझे, जो० एस० गोपाल

अग्रकार अधिस्यिम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इयके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 302 है तथा जो ग्रार-1, होज खांस नई दिल्लों में स्थित है (श्रीर इससे उपाबद्ध ग्रनुसूचो में श्रीर जो पूर्ण रूत से वणित है) रजिस्ट्रोकर्ता ग्राधिकारों के कार्यालय ग्रर्जन रेंज-3, नई दिल्लों में भारतोय ग्रायकर ग्राधिनियम 1961 के ग्रायोन दिनांक जून 1984

-का पूर्वाक्षत सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के इत्यमान प्रोतफल क लिए अन्तरित की गई हैं और मुझे यह विश्वास करन का लारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, असके दरयमान प्रतिफल से, एसे व्ययमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (तर्ताणीतया) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया गैतफल, निम्नलिखित उद्देरेयों से उक्त अन्नरण लिखित में वास्तविक रूप से विथत नहीं किया गया है:---

- (क) अन्तरण से हुई किसी बाब की बाबत, उक्छ अधिनियम के अधीन कर दोने के अन्तरक को दायित्व में कमी करने या उसके बचने में सुविधा के लिए; और/या
- (ख) एसी किसी आय या किसी धन या जन्य जास्तियों को, जिन्हें भारतीय जायकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त जधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोखनार्थ जन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया यया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सविधा के निए;

अतः अब, उक्त आधिनियम कौ धारा 269-ग के अनुसरण भ, में, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उफ्धारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :---- 1. भ्र' कर्णसिंह निवासो-12, रागल विल्डिंग पालियामेंट स्ट्रोट नई दिल्ला-110001

 श्रामत) हेमलता मेहता, तिवासो-43, माउथरन एवेन्यू कलकत्ता-29

(ग्रन्तरिती)

(ग्रन्तरक)

को यह सुचना जारां करकें प्याक्त सम्पत्ति के जर्जन के लिए कार्यवाहिया शरू करता हू ।

- (क) इस सूचना के राजपत्र मा प्रकाशन की तारोख स 45 दिन की अर्वाथ या तत्म्प्रवाधी व्यक्तियों पर मुचना की तामाल न 30 दिन का अत्रधि, जो भो अवधि बाद में समाप्त हाती हो, के भीतर पूर्वोक्क व्यक्तियों में मा किसी व्यक्ति दुधारा,
- (ख) इस सूचना के राजपत्र माँ प्रकाशन को तारीख से 45 दिन के भोतर उक्त र नवर सम्पत्ति माहितबर् किनी अन्य व्याक्त द्वारा का राक्षरन का रा-लिखित मां किए जा सकोगे।

स्पष्टीकरण :--इसमे प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्स अधिनियम के अध्याय 20-क म⁻ परिभाषित हैं, वहीं अर्थ होगा जा उस अध्याय में दिया गया है।

मनुस्ची

प्रो० नं० 302 प्न.ट नं आ -1, होन खारा नई दिरली तादादो 1000 वर्ग फिट ।

> जी० एस०गोपाल नक्षम प्राधिकारी सहायक म्रायकर म्र⊦युक्त (निरीक्षण) म्रार्जन रेंज-3, नई दिल्ल;

दिनांक 30-1-1985

मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस-------

आयकर आ'क्ष्तियम, 1961 (1961 का 43) की धार्य 269-घ (1) के अधीन सुचना भारत सरकार

कायलिय, सहायक आयकर आयुक्त (निरक्षिण) अर्जन रेंज-3,नई दिल्ली नई दिल्लों, दिनांक 30 जनवरी 1985 निदेश स० ग्राई०,ए० स१० /एक्यू०/3/37ईई/6-84/462---

म्रत. युझे, जो० एस० गोपाल

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पब्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया हो), की धारा 269-ख को अभीन मक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण हो कि न्यावर रम्पत्ति, जिसका उचित बाआए मूल्य .25,000/-रइ. से अधिक हो

झील िनक सब 364-ई है न्त्या जो 364-ई निर्माण विहार, दिरल - 4 में स्थित है (झीर इसमे उपाबढ़ झमुसूची) में झीर जो पूर्ग रासे वर्णित है), रजिस्ट्रोकती झधिकारो के कार्यालय झर्जज रेज-3, नई दिल्लो में भारतीय झायकर झधिनिय 1961 के झब न दिनाफ जून 1984

के पूर्वो न्त सम्पत्ति के उचित वाजार मुल्य से कम के रूरयमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मूफ्रे यह विषयास करने का नगरण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, एरेसे दश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अंतरिती (अर्तारनियों) के बीच एरेसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिपन , निम्नलिखित जद्ददेश्य से उक्त अतरण लिखित में बास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :----

> (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अितियम के अधीन कर दोने के अन्तरक को दायित्व में कमी करने या उससे बखने में सुविधा के िए; और/या

> (ख) एेसी किसी आय या किसी भन या अन्य आस्तियाँ को, जिन्ह³ भारतीय आयकर अभिनियम, 1922 (1922 का 11) या इक्त अभिनियम, या भन-कर अभिनियम, 1957 (1957 का 27) क्षे प्रयोजनार्थ अन्हरिती द्वारा प्रकट नही किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में स्विधा को लिए;

अतः अस, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग को अनूसरण मैं, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) को अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियाँ, अर्थातः :---- श्रोमत पी० एस० कनवाल श्रोर श्रोमतो कुलदीप कौर नित्रासी 21/101 लोधो कालोनो नई दिल्लो-3

(ग्रन्तरक) 2. श्रोमतो राजिया सुल्तान धर्मपत्नी श्री इन्तजार ग्रहमद सिद्दोको निवासो-2139 एम० पी० स्ट्रोट, नजदोक पाटोदी हाउस दरिया,गंज दिल्लो। (ग्रन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वांक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहगां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी माक्षेप :----

- (क) इस सूचना के रागपत्र में प्रकाशन की तारोख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति बुवारा;
- (ख) इस सूचना के राजपप्र में प्रकारन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहेस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकोंगे।
- स्पष्टीकरण:----इसमें प्रयुक्त शब्दों और पढ़ों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, बही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

मनुसुची

प्रो० नं० 364-ई, निर्माण विहार, दिल्लो, तादादो 802 वर्ग फिट ।

> जी० एस० गोपास सक्षम प्राधिकारी सहायक श्रायकर प्रायुक्त (निरोक्षण) ग्रर्जन रेंज-3, नई दिल्सी

दिसंक 30-1-1985 मोहर इ ं प्रकृष नाई. टी. इन्. **रव. ---**-

आयकर जिर्गनियम, 1961 (1961 का 43) की धार्य ''69-घ (1) के अधीन सुचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरक्षिण) ग्रजेन रेंज-3, नई दिल्लो नई दिल्लो, दिनांक 30 जनवरी, 1985 निदेश संब्जाईव् एवसी व/एक्यूव/3/37ईई/6-84/463---श्रतः मझै जीव्यपुष्य गोपाल

शायकर अधिनिश्म्म, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पद्म्वात 'उन्हा अधिनिष्टम' कहा गया है), की धारा 269-श के अधीन सक्षम प्राधिकार' को यह विक्वास करने का कारण है कि स्तावर सम्पत्ति, जिसका उफित बाजार मुल्य 100,000/- रु. से अधिक है

और जिपकी संब्बो-1 है, तथा जो 20, युमुफ सराय, नई दिल्लो में स्थित है (श्रीप इसपे उपाबद्ध प्रनुसूचो में श्रौर जो पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रोकर्ता श्रधिकारो के कार्यालय, श्रर्जन रेंज-3 नई दिल्लो भाग्नीय श्रायकर झधिनियम 1961 के श्रध.न दिनांक जून, 1984

का पूर्व क्ल सपांच के उचिन बाजार मुस्य से कम के आवयमान प्रतिफान को लिए अतरित को गई ते और मफे यह विश्वास करने का कारण ही कि सथाप् बोंग्स्स संपत्ति का उचित बाजार मुस्य, उसके ६फ्यमान प्रतिफल से, एसे दश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से बधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) कोर अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नति खत उद्देश्यों से उक्त जन्तरण किसित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया ही है---

- (क) जन्तरेग के हुद्दे विक्ती काम की वाक्ता, क्वन अधिन्यिय के अभीम कर ध'ने के जन्तरक के दायित्व में ऊमी करने या उद्युस वजने में सुविधा के लिए; और//गा
- (छ) एसे अकसी आय मा भिग्रेसी भन मा अन्त सास्तियों को जिन्हु भारतीय सार-कर सभिनियम, 1922 (1922 को 11) सा उक्त सभिनियम, या भन-कर भौभनियम, 1957 (1957 को 27) के प्रयोजनर्थ अन्तरिती दुगारा प्रकट नहीं किया गया भा रा किया जाना माहिए था, छिपाने में सुविभा को लिए;

अत. अब, उक्त अधिनियम वी धारा 269-ग के अनूसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नीिसित व्यक्तियों , अर्थात् :---- 1. ग्राक्सफोर्ड इंजोनियर्स, (प्रा०) लि० 18, कैमिकल्स करून्लैक्स मातवा मार्ग, डिप्लोमैटिक नक्लेव, नई फ़िल्नो-4

(ग्रनारक)

(ग्रन्तरितो)

2. श्रोमतो इंदिरा कोहलो, निवासो 11/ए-13, मोतो जाग, नई दिल्ली ।

को यह सुचना वारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के जर्जन के जिस् कार्यवाहियां शुरु करता हूं।

उक्त सम्पत्ति को अर्जन को सम्बन्ध में कोई भी आकोध :----

- (क) इस सुचना को राजपत्र में पकाशन की तारांच स 45 दिन की अवधि या तरसम्बन्धी व्यक्तिया पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त हाती हो, को भीतर पूर्वोक्त क्यक्तियाँ में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारांच सं 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पॉफ में 'प्रतबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास रिचित में किए जा सकोग ।
- स्वच्छीकरणः :---इसमें प्रयुक्त सब्दों और पदों का, जो उक्क वधिनियम के अभ्याय 20-क में परिशाचित हूँ, वहीं व्यां होगा थी उस जभ्याय में दिक द्वा हूँ।

मन्सुची

स्टोर नं० बो-1, ग्राधार प्लाट न० 20, ग्रोॉन्चन्टल, ग्रावार्टमेन्ट, बिल्डिंग, कम्यूनिटो सेन्टर, युसुफ मराय नई दिल्लो तादादो, 360.79 वर्ग गज ।

> ज ० णन० गो।।स सक्षम प्राधिकारो सहायक ग्रायकर ग्रायुक्त (निरक्षण) श्रर्जन रेंज-3, नई दिल्सो

दिनांक: 30-1-1985 मोहर ह

प्ररूप आई.टी.एन.एस.-----

सायकर अभिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

ं भारत सरकार

कार्यालय, महापक आपकर आयुक्त (निरीक्षण)

म्रजन रेज-I नई दिल्ली

नई दिल्लो, दिलान 29 जनवरो 1985

निदेग सं० ग्राई० ए० सी ाणिषयू /1/37ईई/6-84/892----भतः मुझे सुधीप चन्द्रा

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें सके पक्षान् 'उल्त ऑर्थानयम कहा गया है), की धारा 269-ख को अधीन सक्षम प्राधिकारी का यह विद्यास करने का कारण है कि रशावर समाति, जिसका उचित बाजार मूल्य 26,000./- रुट से अधिक है

श्रीर जिसको सं० एस-466 है तथा जो प्रेडण कैल ा-2 नई दिल्ली में स्थित है (श्रील इतने उन यह प्रनुसूचा में और जो पूर्ग रूप से बणित है) पजिस्ट्रे: त्वी पश्चिमारी के समयनिय अर्जन रेंज-1, नई दिम्ल में भगतीय श्रायकण श्रधितियम 1961 के मधीन। दिनाक जून 1984

को पूर्वोक्स सम्पत्ति को उचित बाजार मूल्य से कम के ढश्यमान प्रतिफल को लिए अन्तरित की गर आप मूले यह विश्वास करने का कारण ह कि यथापूर्वतित मम्पत का उचित बाजार मूल्य, उसके दश्यमान प्रतिफल से एस टरयमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक हो और अन्तरक (अन्तरकॉ) और अन्तरिती (अन्तरिलियो) को वीच एमे अन्तरण को लिए तय पाया गया प्रतिफल, जिम्ललियित उद्दश्य स उक्त अन्तरण लिखित में बास्तविक रूप में कथित नही भिष्मा गया हो :--

- (क) अन्तरण से हुइ्र्र किसी आय की धावत, उक्त अधिनियम के अधीन कर दंने के अन्तरक के दायित्व में कमी करतेया उससे बचने में सुविधा के लिएं, और∕या
- (ब) एेसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियाँ को, जिन्हे भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 को 11) या उक्त अधिनियम, का धन-कर अखिरियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किमा जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के सिए;

अतः अव, उक्त अधिनियम को धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम को धारा 269-व को उपधारा (1) के अधीन, निम्न्लिसित व्यक्तियों, अर्थात ---

 1. राजस्पोन भोफिससँ वेलफेंगर फंन्डेशन प्रा० लि० भोलवारा भवन 40-41 कम्पुनिटो लेन्टर न्यु फेन्ड्स कालोनो नई दिल्लो-65 (ग्रन्तरक)

 2. मैसर्स हिन्दुस्तान इलैक्ट्रो-प्रार्फाट्स लि० 40-41 कम्पुनिटो सेन्टर न्यु फेन्ड्स कालोनो नई दिल्लो (ग्रन्तरारो)

को यह सुचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहिया सुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के धर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख सं 45 दिन की अवधि या तरसम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, को भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना को राजपत्र में प्रकाशन की तागेख से 45 दिन को भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधाहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकोंगे।
- स्पच्छीकरणः----इसमें प्रयुक्त झब्दों और पदों का, जो उक्त अभिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, बही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

जनुसुची

प्लाट नं० 466 ब्लाक 'एस' ग्रेटर कैलाश-2 नई दिल्ली सावाची 551 वर्गगज ।

> मुघोर चन्द्रा सक्षम प्रावितरं। सहायक खायकर आयुक्त (निरीक्षण) झर्जन रेज-1 नई दिल्लो

विनोक 29-1-1985 मोहर :

भरूष बाइ.टी. एन. एत. .------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-घ (1) के अधीन मुचना

सारत जन्मार

कायलिय, सहायक आयकर आयक्त (निरक्षिण) इर्जन रेंज-1, नई दिल्लो • नई दिल्लो दिनांक 29जनवरो 1985 निदेश सं० ग्राई ए० सो ०/एक्यु०/1/ 7ईई/6-84/8948 इत: मुझे, मुध'र चन्द्रा,

वायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके परचाल् 'उक्स अधिनियम' कहा गया है), की भाग 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करफ का कारण है कि स्थावर सम्पति, जिसका उरित बाजार मूल्य 25,000/-र; से अधिक है

भोर जिसका संव 83 ग्रोर 84 है तथा जो 28 वाराखम्बा रोड नई दिल्ला में स्थित है (ग्रीप इससे उपाबंद्ध ग्रनुसूची में ग्रोर जो पूर्ण रूपसे वर्णित राजस्ट्रीयतां ग्राधिनार के कार्यालय गर्जन रेंज-1 नई दिल्ली में भारताय ग्रायलय ग्राधिनियम, 1961 के ग्रधीन दितांक जून 1984

को पूर्वोक्त संपरित के अचित बाजार मूल्य से कम के इस्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझ पह विश्वास करने का कारण है कि यथा बेलन संपरित का उंचित बाजार मुल्य, उसके दश्यमान प्रतिफल स, एमे श्रेयमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक हो और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (बंतरितिया) के बीच एसे अतरण के लिए तय पाया गया प्रति-फस, निम्नोलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्त-बिक रूप से कथित नहीं किया गया है :---

- (क) अन्तरण से हुइर् किसी जाय की बाबत, उक्त अधिनियम के सभीम कर दोने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उसरो दखने में सुविधा चीलिए; मार्भागा
- (स) एसी किसी आम या किसी भन या जन्म आस्तियों को, चिन्हुं भारतीय आम-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 1) या दास अधिनियम, 1922 (1922 का 1) या दास अधिनियम, या पन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) को प्रयोजनार्थ अन्तरिसी द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में व्याक्या के निए:

वतः अत्र, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग कं अनुसरण में, में, उवत अधिनियम की धारा 269-च कौ उपधारा (1) के अधीत, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :----35---486GI/84 ा मैंभगो गल दाम अम्टेट्म एण्ड हाउमिग प्रार्थ लि०, 28-प्राराग्वम्ब: रोड गई लिल्ली: ।

(ग्रन्तरक)

2. श्री देवी सहत्य कोडलो (एत० ३ू० एफ०), एस/22 सिंबिल टाउन जि: राउरकेलत-4 एरिया-7 श्रीर 8। (ग्रन्तरितो

को यह सुचना जारी करके प्यांक्त सम्पर्धित के खर्बन के लिए कार्यवाहियां करता हां।

उल्त सम्परित के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी वासोप 2--

- (क) इस सुचना के राजपत में प्रकाशन की तारीय रं 45 दिन की अवधि या तल्पंबंधी व्यक्तियों प सूचना की तामील में 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती है, के भीतर पूर्वोक्त ध्यक्तियों में से किमी व्यक्ति इवारा;
- (ख) इस सूचना के राजपंत्र में प्रकाशन की तारीस से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितभव्यध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहरताक्षरी के पास लिखित में किए जा सर्कोंगे।
- स्पच्चोकरणः -- इसमें प्रयुक्ष कच्छां भोर थहां का, जो तकन अधिनियम के अच्याय 20 क में परिभाषित है, अही कर्ण होगा जो उस अच्याय में दिया गया है।

जन्**त्**ची

स्पेस नठ० 83 श्रीर 84 लोवर ग्राउन्ड पलोर डा गोपाल दास भवन 28-बाराखम्बा रोउ नई दिल्लीं नाहाक्षो 367.46 वर्ग फोट स्पेस नठ० 83 (133.66 दर्ग फोट स्पेहनं० 84 (233.80 वर्ग फ'ट)।

> सुधोर चन्द्रा मक्षम अधिकारी सहायक ग्रायकर-ग्रायुक्त (निरोण) ग्रर्जन रेंज-1, नई दिल्लो

दिनांक 29वं1ब1985 मोहर :

[mn 1]]--@08 1

प्ररूप आर्द. टी. एन. एस.------

बागफरु बीधनियम, 1961 (1961 का 43) की

भारा 269-ष (1) के अभीन स्चना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (सिरीक्षण)

ग्रर्जन रेंज-1 नई दिल्ली

नई दिल्लो दिनांक 30 जनवरी 19 85

निदेश सं० ग्राई० ए० सो०/एक्यू०/1/37ईई/6-84/895-ग्रत: मुझे सुधीर चन्द्रा

वायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके ण्ण्चान् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह जिश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपति, जिसका उचित बाजार मुल्य 25,000/- रु से अधिक है

और जिसको सं० 904/21 हैं। तया जो वत्या बम्बा रो दिल्ली में स्थित है (और इतने उत्तबद्ध अनुसूत्रो में और जो पूर्ण रूप से वणित र) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारों के कार्यालय अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली में भारतीय अपनर फ्रांधनिक्षम 1961 के अधीन दिनांक जून। 1984

को पुर्वोक्स सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकर्ता के कार्यालय जयागगर में धारा 269 ए.बी. के अंतर्गत सक्षम अधिकारी के पास राजस्ट्रोकृत किया गया है मुझे यह विश्वास

करने का कारण है कि यिथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्थ, उसके दृश्यभाक प्रतिफल से एसे दृश्यमान प्रतिफल का पम्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्दलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में भर्म्सावक रूप से कथित नहीं किया गया है :---

- (क) अन्तरण स हुइ ाकसी आस की कावत डावल जीधनियर्म के रूधीन कर दोने के अन्तरक को दायिन्व में कमी कोरने था उससे बणने में बुढिभा के चिए; आरि/या
- (ब) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियां को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, भैं, उक्त अधिनियम को धारा 269-घ को उपधारा (1) के अधील, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :----

- मै० जिझपेक्स रबर्म प्रो० हिल्टन इजोतन्वस प्रा० लि० 40 नवयुग मार्केट गातियाबाद (यू० फी०) । (ग्रन्नरक)
- 2. श्रीमतो शकुन्तला साहनो पत्नी श्री टो०ग्रार० साहनो, ग्रनुपमा चन्ढोक श्रौर श्रंशु चन्ढोक (माइनर) काटेज 30 वेस्ट पटेल नगर नई दिल्हाली: ।

(ग्रन्तरितो)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हू।

डक्त सम्परित को अर्जन को संबंध में कोई जाक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त हाती हो, के भोटर पृर्वीकत ब्याक्तयों में से किसी व्यक्ति दुवारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावार संपरित में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकांगे।
- स्पब्टोकरणः--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अभिनियम, कें अध्याय 20-क में परिभाषित ह[#] वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया हु⁹।

वन्स्ची

प्लैट-नंगे 904 तादादी 595 वर्ग फीट 21-बाराखम्बा रोड नई दिल्लो ।

> मुधोर चन्द्रा सक्षम प्राधिकारो गहादुङ ग्रायकर_्त्रायुक्त (निरीक्षण) ग्रर्जन रेज-I₁ नई दिल्लो

दिनांक 30-3-1985 मोहर :

(ग्रन्तरक)

प्रमय बाह - वृत् एप्...

जायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) को धारा २४८०४ (२३ अ सम्प्रा २४८०४ (२३ अ सम्प्रा

~_____

भारत सरकार

भाषांग्यः सहतरक गायगर उपयुक्तन (ि गाः न)

अर्फन रेना नई दिल्ले

नई जिल जिगा ह 30 जनवरी 1995

निदेश सं० ग्राई० ए० से ०/एक्यू०/1/37 रि/6-84/897--ग्रतः मुझे सुधोर चन्द्रा

आयकर अभिर्गनयम, 1961 (1961 का 4२) (जिन इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम' कहा गया ही), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकार्ट्री को यह विश्वास करने का कारण ही कि स्थावर सपत्ति, जिसका उचिन आयार मृत्य 1,00,000/- रु. न अधिक ही

और जिसको सं 806 है जना जो 13-जलराज मार्भ नई दिल्लो में स्थित है (ओा इनसे उनावढ़ अनुसूच, का जातजो पूर्ण रूप से वणित है) रजिष्ट्राध्वर्ग आधिकारा के कार्यालय अर्जन रेंज-1 नई दिल्लो में पालका पायडर आवालन 1981 के अधीन दिनांक जून 198-

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से उम के इस्वफान प्रतिफल को लिए अन्तरित की शद है और एस यह विश्वाम करने का कारण है कि यथापूर्वाकत सपास का उपित वाजार मूल्य, उसके दरयमान प्रतिफल से, एफ दरयमान प्रतिफल का पद्रह प्रतिशत स अधिक है और उपरक (जतरका) और अतरितो (अतरितियां) के सीच एस अतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्दर्य से उक्त अन्तरण लिखित मे वास्तविक हप से कथित नहों किया गया है .--

- (क) अन्तरण ७ हुइ किसा आय को बाबस, उथछ अध्यात्रयः इ अधीन कर यान क अन्तरक के रायित्व मा कमी करने या उसख बचने मां सुविधा के लिए; और/मा
- (ख) एसो किसी आय या किसी धन या अन्य आांस्तयों को ाजन्हों भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) था उक्त अधिनियम, या धन-कर अधि-नियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया बाना खाहियों था, छिपान में सुदिधा के लिए;

अतः बद, उदत अधिनियम की भारा 269-म के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-म की उपधारा (1) इ अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :---

- · 1. श्रो संजय बंसल निवासो-बो-15, ग्रेटर कैलाश-1 नई दिल्ली
- 2. श्रोमती रितु सचदेवा | - तिवासो को/एन (पूर्वी) 33-णालोमार तिवासाय योजना, दिल्लो (अन्तरिती)

को वह सुचना जारी करके पूर्वोक्त सम्परित के **अर्चन के लिए** आर्टनाहवी करता हु।

उक्त सपरित के अजन के संजध में कोइ भी आक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राजपत्र . में प्रकाशन की तौरीख सै 45 दिन को अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होली हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में साकसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबदुष्ट किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास तिखित मा किए जा सकाये।

स्पष्टोकरण:---इसमें प्रयुक्त झब्दों और पदों का, वो उक्त वृषि-नियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही वर्भ होगा, वो उस अभ्याय में दिया गया है।

वन्स्यौ

श्राफिस स्पेस प्लट नं० 806, तादादी 390 वर्ग फीट 8वीं मजिल बहु-वॉजनो इमारत, टालस्टाय माग, नई दिल्ली ।

> सुधोर चन्द्रा सक्षम प्राधिकारी महाषक अरं।यकर त्रायुक्त (निरोक्षण) अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली

दिनाक 30-1-1985 मोहर : अगयकर अधिनियम, 196; (1961 का 43) की भारा 269-व (1) के अधीन सुचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयक्त (निरोक्षण)

• अर्जन रोज-1, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनाफ 29 जनवरी, 1985

्रिदेय: सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/1/37ईई/6-84/898----अरु: मुझे, मुर्धत: घन्द्रा

वायकर जोधोंगयम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इस्में इसके पश्चाल् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की भारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विस्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मुल्य 25,000/ र.. स बॉबक त"

स्रौर जिसर्का स० 803, है, तथा जो 13, टालस्टाय मार्ग, नई दिल्ला में (स्थत है (स्रार इनसे उपाबद्ध अनुसूची में स्रोर जो पूर्य रूप से वर्णिन है) रजिस्ट्र (कर्ता अधिकार्र) के कार्यानय, अर्जन रेंग-1, नई दिल्ला में भारतीय आयकर अधि-नियम 1961 के अधोन दिनाक जून, 1984

को पूर्वोवत संपत्ति के उणित बाआर मुल्य से कम के दश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है' 5 अधापवीक्त स्पतिल का उपिता बाजार मूल्य, उसके दश्यमान प्रतिफल से एसे दश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरका) और अन्तरिती (अन्तर्रित मे) के बीच ऐसे अन्तरफा के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नतिखित उब्ददेय से उक्त अन्तरण सिखित में बास्तविक रूप से कथिर नहीं किया गया है :----

- (क) अन्तरण से द्रुद्दे थिन्सी वाब की बावत, उक्त अधिनियम के अभीन कर दोने के अन्तरक को दावित्य में कमी करने या उज्जन्ने बचने में सुविधा अवालप्द, और/वा
- (4) एंगो किसी भाग या किमी भेन या बन्ध आस्तियां को, जिन्ह⁵ भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 को 11) के उक्त गरिंशनियम, ब, भनजर अधिनियम, 1957 (1957 को 27) को अयाजनार्थ अन्तरिता ड्वारा प्रकट नहीं फिया गया था वा किया जाना जाहिए था छिपाने में सुविषा को जिय;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, में, उक्त अधिनियम की धारा 269-थ की उपधाग (1) के अधीन निम्नलिमित व्यक्तियों अर्थात :--- श्रं एस० पो० बंसल, निवामी बी-15, ग्रॅंटर कौलाश-1, नई दिल्लों।
 श्रं मति साहर्ता, परना श्र. अशोध के जसखे, नियासी डी-13ए/26, माडल टाउन,

दिर्ल्ला-9

(अन्तरिती)

(अन्तरक)

को यह सूचना खारी करके पूर्वीक्स सम्पर्टित को मर्जन को सिए कार्यवाहिया करता हूँ।

जम्स सम्परित के कर्जन के सम्मन्ध में काई भी आक्षेपु;--

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की सारीब ते 45 दिन की अर्वाभ या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों **पर** सूचना की जामील से 30 दिन की अवधि, वो मी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर प्रॉक्त ब्यक्तियों में से किसी ब्यक्ति द्वारा;
- (स) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीस स 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्परित में हितबब्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिसित म किए जा सकोंग।
- स्पष्टीकरणः इसमें प्रयुक्त घब्दों और पत्तों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, बही अर्थ होगा उग्रे उस अध्याय में दिया गया हैं।

गन्त्या

आफिस स्पेस न० 803, तॉदादी, **3**90 वर्ग फीट, 8**वीं** मंजिली बहु-मजिर्ला इमारत, 13 टालस्टाय मार्ग, नई दिल्ली।

> सुधीर भन्द्रा सक्षम प्राधिकारी सह।यक आयकर आयक्स (निर्राक्षण) अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली

दिनांक : 29-1-1985 मोहर णींगे [[[--- खेण्ड 👍 🖓

प्रेक्स बाई.टी एन.एस.------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की 260-ब (३) के अभीन सूनना

भारत सर्कार

कायॉलय, सहायक आयकर आयुक्त (निरक्रिण) अर्जन रेज-1, नई दिल्ली नई दिल्ली, दिनाक 28 जनवर्रा, 1985 निदेशमां० आई० एठ मी०/एक्रि०/1/37ईई/6-84/901--

अतः मुझे मुर्धार चन्द्रा, बायकर अधिनियम, 1961 (1961का 43) (जिसे इसमें इसके परचाल् 'उब्ल अधिनियम' कहा गया हो), की धारा 269-269- के क्रथीन सक्षम प्राधिकारों की यह विश्वाम करने का कारण हो ¹क स्थावर 'सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रुन् से अधिक हो

भीर जिसकी सं० 802 है, तथा जो 22 कस्तूरबा गोधी मार्ग नई दिल्ली में स्थित है (ग्रांर इससे उपाबद्ध अनुसूचा में भीर जो पूर्ण रूप से बर्गित है) रजिप्ट्रा कर्ता अधि कारी के फार्यालय, अर्जन रें 1-1, नई दिल्ला में भारतीय आयकर अधिनियम 1961, ने अधान दिनाइ जून, 1984

को पृयोंक्त मगरित के लेगित जाजार मुल्य स कम के दरयमान प्रसिफल को लिए अन्तरित की गई और मुफे यह विद्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्परित का उचित बाजार मुल्य, उसके दरयमान प्रसिफल से, एसे दश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) को बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश देय से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:---

- (क) अन्तरण स हुद्र किस्तो आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के दाशिस्य में कमी कारने गा उससे वचने में मुरिया। के सिए, ज'र/या
- (भा) एरेसी किसी आय वा किसी भन या ख़ल्य लास्तियाँ को, जिन्हों भारतीय अफ़ कर अभिनियम, 1922 (1922 का 11) या उफ्त अभिनियम, मा भन-कर अभिनियम, 1957 (1957 का 27) को प्रयोजनार्थ अन्तरिती इयाद प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना भाहिए था, छिपाने में सुविभा की लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम को धारा 269-ग के अनुसरण म, म, टक्त आंधनियम को धारा 269-त्र की उपधार (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :---

 1. कुमारी मालिनी, भारत राम, (माइनर), माफैल, श्री जिवेव, भरत राम, 25-प्ररदार पटेल रोड, नई दिल्ला। (अन्तरक)

 2 भरत राम फाउन्डेमन, 25- सरदार पटेल रोड, नई दिल्ली। (अन्तरिती)

को यह मुचना जारी करके पुर्वीक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उलत संपति के गर्बन के संबंध में कोई भी जाशप :---

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकारक की तारीस र्ट 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, खो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वीकेंक स्पक्तियों में से फिन्मी क्यक्ति दबारा;
- (स) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीस सं 45 दिन के भीतर उक्स स्थावर संपत्ति में हितंबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास चिरिष्ठत में किए था सकगे।

स्पर्ख्टीकरण:—-इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क मैं परिभाषित ह⁴, वही कर्थ होगा जो उम्र अध्याय में दिया गया है।

अनुसुची

कमंशियल फ्लैट, न० 802, बहु पंजिलो इमारत, 22 कस्तूरबा गांधी मार्ग नई दिल्ली , सादादी 555 वर्ग फीट।

> मुग्रोर चन्द्रा, लक्षन प्राधिकारी सहायक आयकर घ्रायुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज 1, नई दिल्ली

विनाकः 28 जनवरी, 1985 मोहरः प्ररूप बाई. टी. एन. एस. ----

बायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ध (1) के अधीन सुचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रोंज-1, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 30 जनवरी, 1985

निदेश स`० आई० ए० र्सा०/एक्वि०/1/37ईई/6-84/90 2-अतः मुझे सुधीर चन्द्रा

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पत्थातः 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), 'की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विस्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिमका उचित बाजार मूल्य 25.000/- रइ. अमे अधिक है,

यौर जिसकी सं० एम-71 है, तथा जो ग्रेटर कैलाश-1, नई दिल्ली में स्थित है (यौर इससे उपाबद्ध अनुसूची में ग्रौर जो पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिजकारी के कार्यालय अर्जन रेंज-1 नई दिल्ली में भारतीय आयकर अधिनियम 1961 के अधीन दिनांक जून, 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मूफ्रें यह विश्वास करने करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मृत्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, एसे दश्यमान प्रतिफल का पन्ध्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अंतरितियाँ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रत्थिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथिद नहीं किया गया है:----

- (क) अंतरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या
- (स) एेसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधि्निम, 1957 (1957) का 27) के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में स्विधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधौन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थातु :---

 1. मै० प्रवासी इन्टरप्राइजेज, लि०

 27-ग्रेवर्न रोड, 10-फ्लोअर,

 नरायणी बिल्डिंग, कल्कत्ता ।

 (अन्तरक)

 2. श्रीमती राजन नेहरू ग्रीर श्री वी० वाई० नेहरू,

 कता, आर० क० नेहरू, (एच० यु० एफ०),

 तथा अटानी,

 डो-11/20/, काका नगर, नई दिल्ली ।

को यह सूचना जारी करके पूर्बोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए

उक्त सम्पत्ति कं अजन के संबंध में कोई भी आक्षेप :----

कार्यवाहिया करता हूं।

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारोख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यवितया पर सूचना की तामील सं 30 दिन की अवधि, जा भी अवधि बाद में समाप्त हाती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियाँ में से जिती व्यक्ति दवारा,
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उदत स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकॉग।
- स्पष्टीकरणः--इसमें प्रयुक्त श_ेदाें और पदों का, जो **उक्त** अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित ह¹, वही अर्थ होगा जो उस[®] अध्याय में दिया गया ह¹।

अनुसुची

पहली / मंजिल, और वरसाती मंजिल न ० एम-71, ग्रेटर कैलाज-1, नई दिल्लो, तादादी, 1800 वर्ग फीट।

> मुर्वार चन्द्रा, लक्षम ग्रधिकारो सहायक ग्रायकर ग्रायुक्त (निर्र.क्षण) कर्जन रेंज-1अ नई दिल्ली

दिनांक 30-1-1985 मोहर :: प्ररूप आई. टी. एन. एस. -----

वायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सुचना

भारत सरकार

कार्या जय सहायक आयकर आयुक्त (निरक्षिण) अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांश 30 जनवरी, 1985

निदेश सं० आई० ए० सी०/एक्वि०/1/37ईई/6-84/903~ जेत: मुझे स्धार चन्द्रा,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रुपय स अभिक है

और जिनको सं० 609 है, तथा जो 22 ..० जो० मार्ग, नई दिल्ली, में तेथत है (ग्रार इनसे उपावद्ध अनुसूची में ग्रौर जो पूर्ण रूप में दणि है) रजिस्ट्रीलती अधि कार्र के कार्यालय, अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली के भारतीय आयवार अधिनियम, 1961 के अर्थान रिनांश जून, 1984

को पूरावन गम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के इश्यमान प्रतिफल को निए अन्तरित को गई है और मुफ्ते यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोकन सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके इश्वमान प्रतिफल गे, एसे इश्यमान प्रतिफल का पन्दह प्रतिशत से अधिक है और सत्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरिति गे) के बीक एक अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरिति गे) के बीक एक अन्तरण के लिए तये पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देव्य से उक्त अन्तरण लिखित वास्तयिक रूप म कथिव नहीं किया गया है :--

- (क) अन्तरण से हुई किमी आय को बाबत उक्त अधि-अधिनियम के अधीन कर दन के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा क निगए, अरेग/या
- (ख) एंसी किमी आय या धन या जन्य आस्तियों को, जिन्हों भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया भा या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग़ के अनुसरण में, जैं, नवत अधिनियम की धारा ?69-घ की उण्धारा (1) के अधीन, निम्नलिण्डित व्यक्तियों, अर्थात :--- श्रीमती शीला भ रत राम,
 25, सरदार पटेल रोड,
 नई दिल्ली ।
 (अम्तरक)
 भरत राम फाउन्डेशन,
 25, सरदार पटेल, रोड, नई दिद्धर्ला ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करको पूर्वोंक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हुं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :----

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख सं 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकोंगे।
- स्पष्टीकरणः—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का.,. जा उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित रू, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय मे दिया ।या है।

ननसचा

कर्माशयल फ्लैंट नं० 609, बहु-मंजिली इमारत, 22-कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली, तादादी, 522 वर्ग फीट।

> सुधीर चन्द्रा, सक्षम प्राधिकार; सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रोंज-1, नईदिल्ली

दिनांक 30-1-1985 मोहर ध अरूप आर्. टी. एन. एस. ------

. जायकर अधितियम, 1961 (1961 का 43) की भाष 269-म (1) के अभीन संघग

भारत सर%तर

अधार्षिय, सह्ययक आयकर आयुक्स (निरीक्षण) अर्जनरोज-1, नई दिल्ली

गवादल्ली, दिनाक 30 जनवरी, 1985

निदेश सं० आई० ए० सी. /एक्वि०/2/37ईई/6-84/905-अतः मुझे सुधीर चन्द्रा,

वायकर शौधनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इयमें इसके परथात 'उकर अधिनियम' बड़ा गया है), की धारा 269-इ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मुख्य 25,000/-75. से अधिक ह

मौर जिनकी न ० 18/21 है, तथा जो बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली में स्थित है (ग्रीर इससे उपाबद अनुसूर्ची में भौर जो पूर्ण रूप वर्णित है) रजिस्स्ट्रीव ती अधिकार्री के कार्यालय अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली, भे भारतीय आयकर अधिनियम 1961 के अधीन दिनाक जुन, 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के इस्यमान करने का काल्भ है कि तथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार बूल्य, उसके इ≜उमान प्रतिफल मे ऐसे इदयमान प्रतिफल का पंदुइ प्रतिकत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती /= "नरितियाँ) के बोच ऐसे बन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति-फल, निम्नलिसिन उद्दोस्य से उक्त अंतरण लिसित में वास्त~ विक रूप से कथित नहीं किया∖गया है '—-

- (क), बन्तरण में "हुर्द्र किसी साथ की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर दोने के बन्तरक के दयित्व में कमी करने या उनसे वजने में सुविधा के निए, और/या
- (आ) एरेसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियाँ को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (14,2 जा 1) या उक्त अधिनियम, 1922 संत-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना बाहिए था, डिप्पान में सविधा के लिए;

वतः अव, उक्त वधिनियम कौ धारा 269-व के वनूसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-व की उपधारा, (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, जर्थात् :---- श्री शिव भ्यूर, ग्रज जोगिन्दर क्यूर 2720, अजमत खान राड, ाराल बाग, नई दिल्ला।

(अम्सरक)

- श्री भजन सिंह चौहान
 - (2) श्री समगोर राजन जौहान,
 - (3) कमारी सुजाता, चौहान,
 - निवासी, डी-6/27, बसन्त बिहार, नई दिल्ली ।

(अन्तरिती)

व शह सूचना चारी करके पूर्वों के सम्परित के वर्षन के लिय कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्परित के अर्चन के सम्बन्ध में कोई भी जाक्षेप :--

- (क) इस स्थिता को राजपत्र में प्रकादन को तारीब ते 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर मुखना की तामोन से 30 दिन को अवधि, को भी वर्षाध बाद में समाप्त होती हो, को तीतर पूर्वों का व्यसित्यां में से किसी व्यक्ति दयारा;
- (、) इस सुभगा कं राजपाल्ल मा प्रकाशन की तारीच वे 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्परित में हित्बद्भ किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताकारी के पास लिखित में किए जा स्कोंगे।
- स्थार्थ्याकरण:---इसमें प्रयुक्त शब्धों और पदों का, जो उक्क सभिनियम, के जभ्याय 20-क में परिशाणित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया ज्या है।

जन्स की

फ्लैंट तंऽ 18, पहुंची मजिल, मन्टी स्टोरी बिल्डिंग, 21-बागखम्बा रोड, चंट्रे दिल्तो सदादी, 595 वर्ग फीट ।

> सुधीर **जन्द्रा** सझयक ग्राधकारी सहायक ग्रायकर ग्रायुक्त (निर्राक्षण) जर्जन रेज 1, नई दिल्ली

दिनांक : 30-1-84 मोहर [:] प्ररूप आई. टी. एन. एस.-----

कायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) कौ धारा 269-ष (1) के अधीन सचना

भारत संग्कार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुंक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेज - 1, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 28 जनवरी, 1985

निदेश सं० आई० ए० सी०/एन्वि०/1/37ईई/6-84/917---अक्ष: मुझे सुधीर चन्द्रा

- वायकर अभिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्भात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया हैं), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारों को यह विक्वास करने का कारण है फि स्थावर संगत्ति, जिसका उचित वाजार मूल्य 25,000/- रु. ग भाभदा है
- मोर जिनकी सं० 6/ई है, तथा जो नेड्रू प्लेम, नई दिल्ली में स्थित है (स्रोर इसमे उपावढ अनुसूचो में स्रोर जो पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय अर्जन रेंज़-I, नई दिल्ली में भारनीय आयकर अधिनियम 1961 के अधीन दिनाक जून, 1984

को पूर्वोक्त संपत्ति का उचित वाजार मूल्य से कम के दरयमान प्रसिकल के लिए और मुफे यह विश्वास करने का कप्रण है कि यथाप्वोंक्त रूम्पत्ति का उचित वाजार मूल्य, उसके दरयमान प्रतिफल से, एसे दरयमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीध एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देच्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :---

- (क) अंतरण से हुईं किसी आय की बाबत; उक्त अर्घिनियम कें अधीन कर दोने के प्रन्तरक को दायित्व में कमी करने या उससे बणाने में सुविधा केलिए; और/या
- (ब) एरेसी किसी आय या किसी धन या जन्म झास्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 को 11) या उक्त अधिनयम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 को 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सविधा के लिए।

नतः अवः, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के नजूसरण में, में, उफ्त अधिनियम की भारा 269-व की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिसित व्यक्तियों, ज्यति :----36---486 GI/84 मै० नेहरू प्लेस, होटल्स, लि० इरोज सिनेमा, बिल्डिंग, जंगपुरा, एक्पटेणन नई दिल्ली।

(अन्तरक)

 मास्टर, आशोश खेरा और नुमारी भावना खेरा, ढारा, श्री एत० सी० खेरा, निवासी 213, न्यु दिल्ली, हाण्डस, 27, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली-1 (अन्नरिती)

को यह सुमना जारी करके पूर्वोक्त सम्परित के अर्जन के लिए. कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्परित के अर्थन के संबंध में किरोई भी आक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तरसंबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में सम्पद्त होती हो, के भीतर पूर्वेक्ति व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (स) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारोख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थायर संपरित में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकोंगे।
- स्पष्ट्वीकरणः—-इसमा प्रयुक्त शब्दों और पैकों का जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20्क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस जब्याय में किया गया है।

अनुसूभी

स्पेस नं० 6, ब्लाक 'ई', 6-वीं मंजिल, होटल, कम-कमर्शियल कम्प्सैनन, नेहरू प्लेम, नई दिल्ला, तादादा, 735 वर्ग फीट ।

> सुधीर चन्द्रा सक्षम प्राधिकारी सहायक श्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण) अर्जनरोज,नईदिल्ली

दिलांक 28-1-85 मोहर : प्रकृष बाई ुटी. एन ुएस. *****

वायकटु आंधनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के व्यधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय., सहायक जायक रू जायुक्त (निरुक्षिण)

अर्जन रेज I, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 29 जनवरी, 1985

निदेण स० आई० ए० सी०/एक्वि०1/37ईई/6-84/918----अतः मुझे, मुधीर चन्द्रा,

आयकर अभिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्पात् 'उक्त अभिनियम' कहा गया है), की भारा 269-खू को अभीन सूक्षम प्राधिकारी को यह बिख्तास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25.000/- रु. से अधिक है

श्रौर जिसकी स० ५/ई, है तथा जो नेहरू प्लेस, नई दिल्ली में स्थित है (और इसके उपावद अनुसूर्चा में श्रीर जा पूर्ण रूप से वर्णिन है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के तार्यालय, अर्जन रे प-[, नई दिल्ला में भारतीय आयाम अधिनियम 1961 र अधीन दिनाव जून, 1984

को पूर्वोक्स संपत्ति को उचित बाखार मूल्य से कम के इष्टयमान प्रतिफल के लिए अतरित की गई है और मूफे यह विश्वास केरने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपरित का उचित बाजार मूल्य उसके रेक्ष्यमान प्रतिफल से, एसे व्ययमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और जन्तरिती (भन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय-पाया क्या प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देय से उक्त अन्तरण लिखित में बाग्स्थिक रूप से कथित नहीं किया बबा है 6---

- (क) अन्तरण से हुई किसी आप की बाबत, उक्त अभिनियम के अधीन करू दोने के अन्तरक के दायिल्थ में कमी करने या उससे बचने से सुविधा के सिए; बॉर/या
- (ख) रोसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तिर्ण को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिरियम, 1922 (1922 का 11) या उक्षत्र अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) क प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा अकट नहीं किया गया था या किया जाना पाहिए था, ।छपान मा स्तिष्ठ दे निए;

1 मैं० नेहरू प्लेम, होटल्ल लि० इरोज, किंग, बॉल्डग, जगुरा, एक्नटेशन, नई दिल्ला।

(अन्तरक)

2 तं० तनदार फार्यमास्टर एण्ड इजानियर्स, प्रा० लि० बा-1/8, मालवीय नगर, नई दिल्ली।

(अन्तरितो)

को यह सुचना जारी करके पूर्वाक्त सम्परित के अर्जन के लिए कार्थवाहियां शुरू करता हुू ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सबभ में कोई भी आक्षप :---

- (क) इस सूचता के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की ब्विधि या तरसबधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद के समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से फिसी व्याका द्वारा,
- (ल) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारील से 45 दिन कें भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-यद्ध किसी व्यक्ति द्वारा, अभोहस्ताक्षरी के पास लिसिन में किए जा सकोंगे।
- स्पष्टीकरणः—-इसमे प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित , है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

म्पेस न० 9 ब्ताक, 'ई' 6-वा मजिल, होटल-कम-कशियल, कम्पत्रैक्स, तेड्ग प्लेस, नई दिल्ली, तादादी 484 वर्ग जिटा

> नुवीर चन्द्रा, सक्षम प्राधिकारी सहायक म्रायकर म्रायुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेज-1, भर्द दिल्ली

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-गृ कं अनुसरण भें, में, उक्त अधिनियम की धारा 269-व की उपधारा (1) के अधीग, निम्नसिकित म्थक्तियों, अर्थात् ह-----

दिनाक 29+1-85 मोहर : प्ररूप आई.टी एन.एस.-----

आगकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) को धारा 269-घ (1) के अधीन राचना

भारत सरका

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जनरेंज I, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनां ह 29 जनवरी, 1985

.निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्वि०/1/37ईई/6-84/919-अतः मुझे सुधीर चन्द्रा

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की 'नार 269-खु के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करन का कारण ही कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक ही

प्रोर जिसकों सं० 9/ई है, तथा जो ने उरू प्लेस, नई दिल्ली में स्थित है (ग्रौर इससे उपाबद्ध अनुसूर्चा में ग्रौरजो पूर्ण रूप से वणित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधि हारों के कार्य लिंध अर्जन रेज-1, नई दिल्ला भारतीय आयकर अधिनियम 1961 के अर्धान दिनांक जून, 1984 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य स कम के दर्ग्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित को गई हैं आप मुक्त यह विश्वास करने का कारण हो कि यथापूर्वावन स्पति का राचन वाजार मूल्य, उसके दश्यमान प्रतिफल स एसे दर्ग्यमान प्रतिफल का पत्न्ह प्रतिचत से अधिक हो और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरितो (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिम्बित में वास्तविक रूप से कथित वहीं किया गया है क्ष्य

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर दोने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या
- (श) एेसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अअ, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, अक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :--- मं० नेहरू प्लेस, होटल्स, लि० इरोज, सिनेमा, विल्डिंग, जंगपुरा, एक्सटेंशन, जनई दिल्ली।

(अन्तरक)

 श्रीमतो मधुबावा पत्नी,श्री एस० के० बावा, और श्री एम० के० बादा सुपुत श्री जी० एस० वावा,
 धरम मार्ग, डिप्लोमैटिक इनकलेव, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली।

(अन्तरिती)

का यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई, भी आक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीस से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस स्वना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीर्ख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकींगे।
- स्पख्टीकरणः इसमें प्रयुक्त शब्दाें और पदाे का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वहीं अर्थ होगा जो उक्त अध्याय में दिया गया है।

मन्स्चौ

स्पेस नं० 29, ब्लाक ('ई', 6-वीं मजिल, होटल-कम-कर्माशयल, कम्पलेक्स, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली, तादादी 638 वर्ग फीट ।

> मुधीर चन्द्रा सक्षम प्राधिकारी सहायक ग्रायकर श्रायुक्त (निरीक्षण) अर्जनरोज , नई दिल्ली

दिनाज 29-1-1985 मोहर : प्रस्थ बाह¹. टॉ. एं. एस. -----

थायकर अभिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-अ (1) के अधीन स्चना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकरे आयुक्त (निरक्षिण)

, अर्जन रेज-1, नई दिल्ल, नई झिल्ल , दिनान 29 जनवर,, 1985

निर्द्रेण म० आर्इ० ए० म.०।एक्यु०/1/37ईई/6-84/920---अतः मुझे, सुर्ध र चन्द्र:,

झायकर अभिनियम, 1961 (1961 फा 43) (जिसे इसमें इसके पदचात् 'उक्त अभिनियम' कढ़ा गया हूँ), की भारा 269-ड के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसूका उचित बाजार मूल्य 25,000/-फ. से अधिक ह

और जिसकी मं० 13/ ई है, तथा जो नेहरू प्लेस, नई दिल्ल। में स्थित है (और इससे उपाबढ़ अनुसूच में और जो पूर्ण रूप से बणिन है) रजिस्ट्र, रती अधिगार, के वार्यालय अर्जन रेज-नई दिल्ल, में भारत य आधवर अधिनियम, 1961 के अधान दिनांक जन, 1984

को पूर्वीवेत सम्पर्णित के उचित याज़ार सल्य से कम के इत्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विष्वास करने का कारण है कि यथापुर्वोक्स सम्परित का उचित वाजार बुक्य, उसके द्व्यमान प्रतिफल से ऐसे द्व्यमान प्रतिफल का बन्द्रह प्रतिक्षत से लिभक है कीर अंतरक (बंतरकों) और बंतरिती (अंतरितियों) के बीच एस अन्तरण के लिए त्य पावा गया प्रति-पद्य विक्नीसचिक उद्वेव्य के उक्त बंतरण विदित ये बाल्हीयक रूप से कथित नहीं किया गया है हिल्ल-

- (क) अन्तरम संदुर्ह विक्सी भाष की सागत अलग्न भोप-नियम के अधीन कार बोने के अंतरक के तायित्व में कमी कारने था उसमें वचने में सुविधा के लिए बीट्/मा
- (थ) इसी किसी बाब या किसी थन मा अञ्च वाम्लियों की, सिन्हूर्ग भारतीय नावकर अभिनियम, 1922 (1922 का 11) सा उक्त वृधिनियम, या भन-खर वर्धिनियम, 1957 (1957 का 27) को प्रयोधनार्थ लन्दरिती इंवाद्य, प्रकट नहीं किंसा ग्या था या किमा जाना जाहिए जा, किमाने में सुविभा दी विष्णु;

अतः अव, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरेण जो, मी, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की इराधारा (1) को अधीन, निम्न्लिक्ति व्यक्तियाँ, अर्थात् :---- मै० नेहरू प्लेस, होटल्स, ति० इरोज सिनेमा बिल्डिंग, जगपुरा एक्सटेशन, नई दिल्ल, ।

- (मन्तरक)
- 2. मै० इन्डियन बायाटेक क० प्रा० लि० 1,09/32--33, नेहरू प्लेस, नई दिरुल, ।

(अन्तरिती)

को यह सुभना जारी करके पूर्वोक्त संपरित के जर्जन के लिए कार्यवाहिया गुरू करता हुन्।

उक्त संपरित के अर्थन के संबंध में कोई भी आक्षेप :----

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि था तत्सबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियो में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ब) इस सुचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीब से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्परित में हितबड्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरी के पास तिचित में किए जा सकोंगे।
- स्पष्टीकरणः—–इसमें प्रयुक्त शब्दों और पर्वों का, जो उक्त जभितियम के अध्याय 20-क में परिभाषिड है, बही जर्भ होगा जो उस अध्याय में दिया भगा है।

अनुसूची

स्पेस न० 13, ब्लाक 'ई', 6-वी मजिल, होटल-क्ष्म-वमणियल कम्पलैक्स, नेहरू लेप, नइं दिङ्कला, तादादा, 726 वर्ग फीट ।

> सुधीर चन्द्रा सक्षम प्राधिकार, सहायक श्रायकर श्रायुक्त (निरीक्षण) श्रर्जन रेज-I, नई दिल्ल,

दिनारः 29-1-1985 मोह्र ७ भाग [[[----खेवर 1]

प्ररूप आई.टी.एन एस. --------

बायकर बाँधनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरोक्षण)

अर्जन रेज, I वई दिल्ला

नई दिल्लो, दिनांक 29 जनवरी, 1985

निवेश सं० म्राई० ए० सी०/एक्पु०/1[37ईई/6–84/921 मुझे, सुधार जन्द्रा,

गायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके परेवाल 'उक्त' अधिनियम' कहा गया है), की भारा 269-ज को अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सपस्ति, जिसका उचित बाजार मुल्य 1,00,00/- रु. से अधिक है

मौर जिसको सं० 8/ई है तथा का नेहरू प्लेस, नई दिल्ल, में स्थित है (और इससे उपाबढ प्रतूसूच में जीर जो पूर्ण रूप से वणित है) रजिस्ट्राल्प्ती प्रधि गराके वार्यालय, अर्जन रेज-i नई दिल्ला भारताय प्रायवार अधिनियम, 1961 के प्रधोन दिनांक जून, 1984

को पूर्वोक्त संपरित के उचित बाजार मूल्य ये कंग त उद्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित जी गई है और मुभ्ने यह विश्याल करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मुख्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिश्वत से अधिक ही और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीज ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्ददिय से उन्ते अन्तरण कि खता मा पास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :---

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत . उक्त अभिनियम के अधीन कर दोने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में मुदिया के लिए बौर/या
- (थ) एसी किसी जाय या किसी धन या अन्य जास्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में मुविधा को थिए;

बतः अब उक्त अभिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, में, उक्त अधिनिरम्म वर्गे धारा 269-घ की उपधारा (;) चे अधीन, निर्मातिसिंड व्यक्तियों, त्पर्धात् ८---- मै० नेहरू प्लेग, हॅं।टल्स 177,० इरोज, सिनेमा, विल्डिंग, गंगपुरा एक्सटेंशल, नई दिल्ल -14 (ग्रन्तरूर)

2. मास्टर विकास बजाज, भ्रभिभावक श्र, जे० एम० बजाज, निवासो—ई-92, मालचा मार्ग, चाणक्यपुर्ग, नई दिस्पा: । (अन्तरिती)

को यह सुचना आरी करके पूर्वोक्त संपरित के अर्जन के लि**ए** लिए कार्यवाहियां करता ह<u>ं</u>।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :----

- (क) इस सूचना को राजपत्र में प्रकाशन की तारोख अ 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जे भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, को भीतर पृयोंकत आयज्तियों में सं किमी व्यक्ति द्वारा;
- (ब) इस स्वना के राजपत्र में प्रकाशन को शारीख क 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबर्थ किसी जन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पाछ लिखित में किए जा सकोंगे।
- स्पच्टीकरणः :----इसमै प्रयुक्त खब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित ह⁴, वहीं अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

बन्स्ची

स्पेस न॰ 8, ब्लाफ 'ई, (6-वी मजिल), होटल-छम-कमश्चियल, कम्पलैक्त, नेहरु प्लेस, जई दिल्ला, नादाद: 484 वर्ग फोट।

> सुधार चन्द्रा सक्षम्र मधिवारा सहायक द्रायकर द्रायुक्त (निरोक्षण) द्रार्जनरेंजⁱ, नई दिल्ला

दिनां कः 2,0-1-85 मोहर :

प्र**रूप कार्ड** हो. एन., एत.,------

वायकर वीधनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-ध (1) के वधीन स्थना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रो*ं-1, नई* दिल्ली

नई दिल्ल।,दिनांक 29 जनवर,, 1985

📮 निदेश सं० ग्राई० ए० स≀०/एक्यु०/1/37ईई/6-84/922---•ग्र3 मुझे सुध,र घन्द्रा

भाषकर अभिनियम, 1961 (1961, का 43) (जिस इसके इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की भारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारों का, यह विष्ठवास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- उ. से अधिक है

और जिनको सं० 8/ई है, तथा जो नेहरू ग्लेह, नई दिल्ल, में स्थित है (और इससे उपाबढ अनुसूच। में और जो। पूर्ण रूप से बणित है) रजिस्टू. तो प्रधिन्नार, के कार्यालय अर्जन रेंज-1, नई दिल्लो में भारत थ प्रायकर प्रधिनियम 1961 के प्रधान दिनाक जुन, 1984

भन्ने पूर्वोवत संपरित को उचित वाजार मुख्य से कम के करवमान प्रतिकल को लिए जन्तरित की गई है और मूओ यह विक्वास करने का कम्र्यण है कि यथापूर्वोक्त संपरित का उचित वाजार पूरुष, असके दरयमान प्रतिफल से एसे करवमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिवत से अधिक है और जन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण को लिए तय पाया गया प्रति-फल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त जन्तरण लिखित में वास्त-विक रूप स कथित नही किया गया है :---

- (क) अंतरण से हुई किसी याय की बाबत, उक्त अभिनियम के अधीन कर दनेके अंतरक के दायित्व में कनी करने या उससे बचने में सुबिधा के लिए; और/या
- (थ) ऐसी किसी मांग वा किसी वन या बन्ध आस्तितों को, जिन्हें भारतीय वायकर वभिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त वभिनियम, वा धनकर वभिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनाथ वन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया वा वा किया जाना चाहिए था, छिपाने में स्विथा के लिए

बतः अथ, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण बर्ने, मैं*. उक्त अधिनियम की धारा 269-व उपभारा (1) व्ये अभीन, निम्नलिखित व्यक्तिवॉ, अर्थात् ध— मै० नेहरू प्लेस, होटल्स, लि० इरोज, सिनेमा विल्डिंग, जंगपुरा एक्सटेफल, नई दिल्ला।

(अन्तरय)

2. मास्टर, राजत्व शह गोहाई और मास्टर विक्रम शाह गोसाई, सुपुत्न श्र, के० के० गोसाई कुमारो, सुमना शह गोसाई, मुपुत्न श्री के० के० गोमाई, निवास एफ-31, साकेन, नई दिल्ला । (श्रन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वाक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां कारताहुः।

बक्त सम्पत्ति के अर्थन के सम्बन्ध में कांई भी आक्षेप 3----

- (क) इ.स. सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीष्ट थे 45 दिन की जबभि या तत्संबंधी व्यक्तिसयों पर सूचना की तामील से 30 दिन की वयधि, जो भी जबधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वों कत व्यक्तियों में से फिसी व्यक्ति द्यारा;...
- (च) इस सूचना को राजपत्र में प्रकाशन की तारीक्ष में 45 दिन को भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिंह बद्ध किसी लन्य व्यक्ति ट्वारा, अधोहस्ताक्षरों के पास लिचित में किए जा सर्वोंगे।
- स्पर्धाके रणः—–६समें प्रयुक्त शब्दों और भदों का, भां सकत अभिनियम, के अभ्याय 20-क में परिभाषिद है, बही अर्थ डोगा जो उस अध्याय में विया ज्या है।

अन्स्ची

स्पेस नं० 8, ब्लाक 'ई', (7वीं मजिल), हाटल कम रामगिल, कम्पलैक्स, नेहरू प्लेस, नई दिल्ल , दादाद, 484 वर्ग फोट ।

> सुर्धार चन्द्रा सक्षम ग्रधिकार, सहायक ग्रायुक्तर ग्रायुक्त (निर)क्षण) ग्रर्जन रेज 1, नई दिल्ला

ीदनौर: 29-1-1985 मोहर : प्ररूप बाई. टी. एन. एस. ------

कायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

रत सरकार

बाथ'लय रहायक अपकर जायुक्त (निरोक्षण)

म्रजंन रेज 6,नई दिल्ल, नई दिल्ल , दिनान 29 जनवर ,1985 निदेस स० म्राई० ए० स ०/एक्गु०/1/37ईई/6-84/923 ---

अप्राम् चे सुध,र चन्द्रा

बायकर अभिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इस के परचात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारों को यह विक्वास करने का कारण हैं । के स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाडारू मूल्य 25,000/- रठ स अधिक है

अ।र जि ,क स० 7/ई हे, तथा ज। नेहरू प्लेस,नई दिल्ल,मे स्थित जह (और इससे उप जड़ अनूसूत मे आर जो पूर्ण रूप से वणित है) ज़र जस्ट्र व्यती ग्राधि गर के वार्यालय, प्रार्जन रेज I,नई दिल्ला

मे जारतोय आधगर अभिनितम 1961 के अब न दिनाक जुन, 1984

को प्रांक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के इस्यमान प्रतिग्रन के लिए अन्तरित की गई है और मझ यह विश्वास करन का कारण है कि अधापूर्वाक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मृल्य, उसके इत्यमान प्रतिफल से, एसे इत्यमान प्रतिफल का पद्रह प्रतिशत से अधिक है और अतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अत रेतिया) के बीज एस अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिम्विन उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में बास्तविक रूप से कथित नहीं किमा गया है:---

- (क) अन्तरण से हुई किसी आप की बार्बर्त, उक्स अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या
- (ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्म आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अविनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा अक्तापा

'अत अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण मे, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् --- मै० नेहरू प्लेस होटरुन, लि० इरोज, सिनेमा बिल्डिंग, जगपुर, एक्पर्टेशन, नई दिल्ल, ।

(म्रन्तरन)

2 श्र। के० एन० बजाज, स्वा०श्र। पुत्न झार० एल० बजाज निवास। एस-543, ग्रेटर नैलाग 2, नई दिल्ला ।

(ग्रन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन क लिए कार्यवाहिया करता हु।

उक्त सम्परित को बर्जन को सम्बन्ध माँ कोई भी आकोप :---

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्भी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, खो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी ब्यक्ति ब्यारा;
- (ख) इस सैूक्ला के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख सै 45 दिन के भीतर उक्त∖स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताश्वरी के पाछ जिखित में किए जा सकेंगे।
- स्पष्टीकरणः इसमे प्रयुक्त शब्दों और पर्दों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

स्पेक्ष न० 7, ब्लाव 'ई', (6 वी मजिल), होटल कम कर्माशयल, वभ्पलैक्स, नेहरू प्लेस, नई दिल्ल, तादादा 484 ग्वर्ग फ.ट ।

> सुधीर चन्द्रा सक्षम प्राधिकारा सहायक श्रायकर श्रायुक्त (निरीक्षण) श्रर्जन रेज I, नईदिल्ला

दिनाव 29-1-1985 भूगोहर :

प्ररूप बाई. टी, एन. एस.-----

जायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) को भारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार,

काश्रात्मय सहायक आयकर आयकर (निरक्षिण) ग्रजन रेज-1, नई दिल्ल,

नई।दल्न, दिनाव 11 फरवर, 1985

निदेश स० म्राई० ए० स।०/एक्यु०/1/37ईई/6-84/924---ग्रतः मुझे सुध,र`ज्ञन्द्र

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है),, को धारा 269-ख के अभीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मुल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसक स० 162 है, तथा जो डा०डा० ए०, फ्लैंट्स, साके राज्यई दिल्ल, मे स्थित है (और इसरें उपावद्ध अन्सूच, मे जो पूर्ग रूप से वर्णित हे), रजिस्ट्र दर्ता अधिकार के वार्यालय अर्जन रेज, नई दिल्ल, में भारताय आवयर अधिनियम 1961 के अप्र न दिनाव जून, 1984

को पूर्वोत्त सस्म्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दरयमान प्रतिपत्न के लिए अन्तरित की गई है और मूभ्ने यह विश्वास करने, का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य., उसके डरयमान प्रतिफल से, एसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियो) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति-फल, निम्नलिखित उद्ददेय से उक्त अन्तरण लिखित में वास्त-विक रूप से कथित नहीं किया गया है :---

- (क) अन्तरण से हुई किसी आयः की वाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर दोने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या
- (ख). एमेी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) को प्रयग्जनाथ अतरिती द्वारा प्रकट नहाँ किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अस्त अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, में, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) जे अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थातु :------ डा० (अ.मत.), राज कुमार। अप्रयाल, प्रोफसर, फा० ला, पूना युन्वर्सिट, पुने-411007 (ग्रन्तरक)
 मोहम्मद, असलम और कोहम्मद, प्रदरम, सुपुत्र श्वानूर मोहम्मद, निवास। आई-6, डा० डा० ए० फ्लैट्स, तुर्कमान गट, घिल्ला-6

(ग्रन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहिया करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी बाक्षेप ---

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीय से 45 दिन की अवधि था तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी बवीध बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकोंगे।
- स्पष्टीकरण.--इसमें प्रयुवत कब्दों और पदों का, जो उक्त जधिनियभ के अध्याय 20-क म परिभाषित हैं, बही अर्थ होगा जो उस अध्याय मे दिया गया है।

अनुसूची

प्रो० न०रा - 62, ० ड एा फ्लैटस, साकेत, नई दिल्ली, तादाद, 900 दर्गफा

> सुधःर चन्द्रा, सक्षम ग्रधिकारो सहायक ग्रायकर आयुक्त (निराक्षण) ग्रार्जन रेज-1, नई दिल्लो

दिनाम 11-2-1985 पोहर : प्ररूप आई. टी. एन. एस. - - -

मायकर अधिनियझ, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ(1) के अधीन स्वना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक झायकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेज-1, नई दिल्लो

नई दिल्लो, दिनांक 29 जनवरीं 1985

निर्देश स० आई० ए०सी०/एक्यू०/1/37ईई/6-84/926----अत: मुझे, सुधीर चन्द्रा,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके परुचात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अश्रीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वेक्ष करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिलका उट्रिन बाजार मूल्य 25 000/- रुठ. से अधिक है

प्रौर जिसकी सं० 7/ई है, तथा जो ने एक प्लेस, नई दिल्ली में स्थित है (ग्रौर इससे उपाबद्ध अनुसूची में ग्रौर जो पूर्ण रूप से वणिन है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय अर्जन रेंज-I, नई दिल्ली में, आयकर अधिनियम 1961 के अधीन दिनाक जून, भ्र84

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मूझ यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दश्यमान प्रतिफल से एमें दश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और (अंत-रितियों) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल मिन्मलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित मे वास्तविक रूप रूप से कथित नहीं किया गया है

- (क) अन्तरण स हर्इं किसी आव को बाबत उन्त अधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उसमें बचने में मुविधा के लिए; आर/पा
- (ब) एसी किमो आध था किसो धन रा अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) पा उक्त अधिनियम, दाधन-कर अधिनियम, 1957 (1937 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपान में सुविधा के लिए।

अत. अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनूसरण मे, मै, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के रूपौन, निम्नलिसित व्यक्तियों, अर्थात्:----37---486 GI/84 मै० नेहरू प्लेस, होटल्स, लि.
 इरोज निनेमा बिल्डिंग, गंगपुरा, एक्सटेशन, नई दिल्ली।

.(अन्तरक)

2. मैं ० टेकइ नवेस्ट, (इन्डिया,) प्रा० लि०, 804, विशाल भवन, 95 नेहरू प्लेस, नई दिल्ली । (ग्रन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :---

- (क) इस मूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवींग या नन्यमञ्च्छी व्यक्तियों पर रचना की रामीज गां। दिन रो थापि, जो भी अवधि वाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तिर के मर रेकिगी व्यक्ति.दवारा,
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 4.5 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मा हित-बद्ध किंगी के छ व्यक्ति द्वारा त्या त्या के पास लिखिन मा किए जा सकोंगे।
- स्पर्ध्वाक् २णाः --- इसमा १७२२ सा गण्डे २२ सा गण्डे २० सा परिभाषित अधितियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित गण्ड है।

बन्सूची

स्पेस नं० 7, 7-कों मंजिल, ब्राक नं० ''ई'' होष्टल-कम-कर्माशयल, क्रम्बलैक्प, नेहरू प्त्रेस, पई दिल्लो, तादादी 484 वर्ग फीट ।

> सुधीर चन्द्रा सक्षम अधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेज-I, नई दिल्ली

दिनां कः 29-1-1985 ' मोहर : त्रकण वाहाँ . डी . युषु . एक् . +=-----

बायुआर वॉभि्नियम 1961 (1961 का 43) की धाडा 269-जु (1) के बधीन सूचना

भारत बर्भमड

कार्यालय, सहायक आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रोंज 1, नई दिल्ला

नई दिल्ली, दिनांक 11 फरवरी, 1985

निदेश सं० आई० ए० मी०-/एक्यू०/1/37ईई/6-84/927---अतः मुझे, मुर्धार चन्द्रा,

नायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इतमें इसके परवात 'उक्त अधिनियम' बहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विक्वास करने का कारण है कि स्थावर संपन्ति, जिसका उजित काजार भूल्य 25,0:00/- रु. से अधिक है

श्रीर जिसकी स० 104/56 है, तथा जो नेहरू प्लेस, नई दिल्ला में स्थित है (श्रीर इसने उपावद्ध अनुसूर्चा में श्रोर जो पूर्ण रूप से बणिर है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारां के झार्यालय अर्जन रेजना, नई दिल्ली में भारताय आयकल अधिकियस 1961 के लधान दिलांक जून, 1984

को पृटॉक्त संपरित के उचित वाजार मूल्य से कम के इड्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुके यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपरित का उचित बाजार मूक्य, उसके दश्यमान प्रतिफल से, एसे ख्र्यमान प्रतिफल का बन्द्र प्रतिशत से अभिव. हे और अन्तरक (अंतरका) और अंतरिती (अन्तरितिया) के बीच एमे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति-कल निम्नचित्रित उद्देश्य में उक्त अन्तरण लिखिल में वास्तु-विक रूप से कथित नहीं कि या गया है :----

- (फ) समराज में हुइ किसी साथ की बायत, उमल अभिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दामिएल में कमी करने का उबले बसने में सुकिधा अ किए: सौर/वा
- (व) एंसी किसी आय या किसी भन मा अन्य बास्टियों की, जिन्ही भारतीय नाय-कर वीधीनयम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या भनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) को प्रयोजनार्थ अन्तरिती ब्यारा प्रकट नहीं किया ग्या था या किया जाना का हिए था छिपाने में मुनिका को किय;

सतः जव, ठक्त अभिनियम की भारा 269-ग को, अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ को उपभारा (1) के अधीम निम्मलिजित व्यक्तियों अर्थात '---- ' श्रो तप्त्लोक नाथ बजाज, सुपुत श्री मंगत राम, निवामी २२/२, न्यु ायालपुर कार्लोनं, ट्रान्स यमुना, चन्दर नगर, दिल्ला-5। (अन्तपक)

2. श्री बाल कृष्ण चढ़ा, नुगुत्व श्री जात चन्द, तित्रामा-1/7158 जिनोजो ोकं, शाहदरा, दिल्ली-32 श्वी हरीश चन्द्र सुपुत्र स्व० श्री, कृष्ण लाल, निवासी-21-रेत्रते रोड, मेरठ, तिटी, यू०पी०। (श्रन्तरिसी)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्परित के अर्जन के लिए कार्यवाहिमां शुरू कारता तु।

जबत सम्प्रीम्त के वर्जन के सन्दर्श्व में करेडे भी वाक्षेप :---

- (क) इस सुचना के राजपत को अक्ताशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सुचना को ताझील से 30 दिन की अवधि, जो भी अनधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वीवत व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति बुवारा;
- (स) इस सूचना के राजपत्र में प्रकासन की तारीय ते 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्द्य किसी अन्य व्यक्ति दूवारा अधोद्दस्ताक्षरी के पाक लिस्ति में फिए जा सकोंगे।

स्पष्टोकरणः--इरफ्नें प्रयुक्त शब्दों अगैर पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है,, बही अर्थ होगेक जो उस अध्याय में दिया गया है।

- जन्म ची

दुकान न ० 104, पहली मंजिल, तादादी 244 वर्ग फीट, 56, नेक प्लेम, नई दिल्ली ।

> मुधीर चन्द्रा राक्षम अधिकारा महायक आयकर आयुक्त (तिरीक्षण) अर्जनरोंज-1, नई दिल्ली

किनों :: 11-2-1985 जोहर : प्रकृप आई टी एन.एस.-----

Fundamental and the second second

आयकर अभिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-इ (1) न इन्डर सचना

भारते सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेज-1,नई विल्ली

नई तिल्ली, जिनाह 29 उत्तवनी, 1985

निर्देश स० आई० ए० सी०/एक्यू०/1/37ईई/6-84/929----अतः मुझे, सुधीर चन्द्रा.

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिने इसमें इसके परचात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन तका नौधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सपरित, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रठ. से अधिक द

सौर जिसकी सं० 8 है, तथा जो 28े. बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली में स्थित है (स्रो५ इनसे उपाबेद्ध अनुसूची ने स्रो५ पूर्ण रूप में वणित है) ्जिल्द्राग्रती अधिकारी के ार्यात्य धर्जन रेज-1, नई दिल्ली में भारतीय डार्यजर अधिनियम 1961 के अधीन दिनाक जून, 1984

कां पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित यो जार मूल्य से कम के इश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई हैं और मूफे यह विश्वाम करने का कारण है कि यथापूर्वाक्त सम्पत्ति का उचित वाजार मूल्य, उसके दश्यमान प्रतिफल से, एसे दश्यमान प्रतिफल व. पद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अलग्ति (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए नय पाण गरा प्रति फल निम्नलिखित उद्देश्य में उपन अंतरण निर्धात में वाम्हविक रूप से कथित नहीं किया गया है.---

- (क्ट) अम्सरण स हुद्द जिल्सी बाथ कें) शावस उक्स अभिनियम के अभीन कर दोने के अन्सरक व्ये दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या
- (ख) एसी किसी थाय या किसी धन या अन्य आस्तियों क. जिन्हे भारतीन ताय-कर अधिनियम, 1022 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सविधा के लिए;

अत: अब, उनत अधिनियम की धारा 269-ग को, अनुसरण मों, मौं, उनत अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नरितिकृत व्यक्तियों, अर्थातु :--- 1 न ० गोताल दास इस्टेट्स, एंड हाउसिंग प्रा० लि० 28-काराखम्बा रोड, नई दिल्ली

(अन्तरक)

 श्री करोरी राम, मेहरा, सुपुत श्री लखमी चन्द मेहरा, निवासी ई-174, मस्जिद, मठ, नई दिल्ली।

(अन्तरिता)

को यह यूचना जारी करके पूर्वाक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए भार्ववाहियां करना हो।

उपन सम्परित के अर्जन के सबध में कोई भी आक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील स 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर प्वेंक्ति व्यक्तियों में से फिसी व्यक्ति द्वारा;
- (**) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख सैं 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पति में हित्बद्ध कियी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकोंगे।

स्पष्टीकरणः — इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वहा अर्ध होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है,

अन्स् थीं

स्पेस नं० 8, एल० जो० एफ०, डा० गोपाल दास, भवन 28-बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली, तादादी 140.78 वर्ग फीट।

> सुधीर चन्द्रा सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रोज-1, नई ढिल्ली

दिनांक: 29-1-1985 मोहर : प्ररूप मार्थः टो. एन. एस.....

आवकर अभिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय सहायक जायकर आख्कत (निरीक्षण) अजन रेंज-1, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 11 फरवरी, 1985

निर्वेशसं० आई० ए० सी०/एक्यू०/1/37ईई/6-84/94u----अतः मुझे, सुधार जन्द्रा,

सहायक आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके परुवात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया गया है), की भारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विख्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- 115. से अधिक है

भौर जिसकी सं० शाप नं० 57 है, तथा जो अजित अरकाडे लाला लाजपत राय रोड, नई दिल्लो, में स्थित है (स्रौर इससे उपाबद अनुसूचा में स्रौर जो पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारों के कार्यानय अर्जन रोज-1, नई दिल्ली में; भारतीय आयक्षर अधिनियम, 1961 के अर्धान दिनांक जून, 1984

को पूर्वीक्त सम्परित के रुष्चित बाजार मूल्य से कम के बरयमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुभ्ने यह बिरवास करने भा कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके इत्र्यमान प्रतिफल से, एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिदात से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच एस अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिसित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में बास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :----

- (क) सन्तरण से हुइर्द किसी साथ की बाबत उक्त अभिनियम के अधीन करदेवान के अन्तरक बं दायित्य में कमी कारने या उससे बखने में सुविभ के ।सए; सौर/या
- (ख) एसां किसी आय या किसी धन या जन्य शास्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उदल अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजगार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहों किया गया था या किया जाना बाहिए था, खिपान में साँवधा की लिए।

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग क अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) दे सधीन, निम्नलिचित व्यक्तियों, अर्थात् ः---- श्रीमती उमा किरन, निवासी एच-26, ग्रीन पार्क, एक्सटेंशन, नई दिल्ली ।
 श्री विनोद बला, ग्रीर श्री सुनील बला, निवासी ई/57, एन० डी० एस० ई-1, नई दिल्ली, ।
 श्री प्रमोद कुमार वर्मा, निवासी सी-27, एन० डी० एस० ई-1, नई दिल्ली ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्स सम्पत्ति के वर्णन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के कर्षन के संबंध में कोई भी आक्षेप :----

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाधन की तारीस से 45 दिन की अवधि या तस्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, को भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वीक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति दवारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन को ताडीब झे. 4.5 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपरित में हितबब्ध किसी अन्य व्यक्ति ब्वारा अघोहस्ताक्षरी के पात लिखित में किए जा अकरंगं।
- मोकरण :---इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, को उक्त अधिनियम के जभ्याय 20-क में परिभाषित ह⁴, वही जर्भ होगा को उस अभ्याय में किया गया है।

١

अन्सूची

दुहान नं० 37, अजित अरकाडे लाला लाजपत राय रोड, नई दिल्लो, तादादो, 225 वर्ग फीट ।

> सुर्धार चग्द्रा संक्षम अधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रोंज-1, नई दिल्ली

दिनांक : 11-2-1995 मोहर : भाग III-खण्ड 1]

নিয

अर्थन आई. टी. एन. एस	1. मै० अशोक कुमार गर्ग, एण्ड ब्रदर्स, एम-24, ग्रेटर कैलाग-II, दार्कीट नई दिल्ली-48 ।
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की थारा 269-थ (1) के अधीन सूचना	(अन्त'रक) 2. श्रीमती शामा मागू, श्रीमती सुदेश भन्डुला, म्रोप श्रीमती धर्शा सिक्ठा,
भारुक्ष सरफ्वार कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)	निवासी-एम-267, ग्रेप्टर, कौलाण-2, नई दिल्ली-48 ।
अर्जन रेज-1, नई दिल्ली	(भ्रन्तरिती)
नई दिल्ली, दिनाक 15 फरवरी, 1985	को यह सुचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अञ्जन के जिन कार्यधाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्यन्ध में कोई भी आक्षेप .---

- (क) इस सुचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख़ से 45 दिन की अवधि था तत्संबधी व्यक्तियों पर स्चनाकी तामील से 30 दिन की अवभि, ओ भी भवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर प्वोंकन भ्यक्तियों में से किसी व्यक्ति बुवारा;
- (व) इस सूचना के राजपत में प्रकालन की तारीय से 45 दिन के भीतर उक्त स्थायर सम्परित में हित-बद्भ फिसी बन्ध व्यक्ति द्वारा, अभांहस्ताक्षरी क पास भिचित में किए वा सकों ने ।
- स्पर्ध्वीकरणः ----इसमें प्रयुक्त शब्धों और पदों का, जो उसत अभि-नियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वहीं अर्थ डांगा. जा उस वभ्याय में दिया गय। है।

वन्सूची

प्रो० न० 1204-ए, (12-मंजिल), स्कीपर टावर 89, नेहरू ण्लेस, नई दिल्ली, तादाक्षी, 548 वर्ग फोट।

> सुर्धार चन्द्रा, सक्षम अधिकारी सतायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेज-1, नई दिल्ली

दिनाकः : 15-2-1985 मोहर :

निदेश सं० आइ० ए०सा०/एकपू०/ 1/ 37इइ/ 6-84/ 943---अतः मुझे सुधीर चन्द्रा

- भायकर अधिगियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें **(सके पश्चा**त् 'उक्त अधिनियम' कहा गया ह°), की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का **कारण ह**ै कि स्थावर संपत्ति, जिसका उणित बाजार मुल्य 25,000/- रु. से अधिक है
- मौर जिसकी सं० 1204-ए, है तया जो 89, नेहरु प्लेस, नई दिल्ली में स्थित है (ग्रीर इसमे उपाबद्ध अनुसूच। में मौर जो पूर्ण रूप में वणित है) रजिस्ट्री कर्ता अधिकारी के कार्यालय अर्जन रॉज-1, नई दिल्ली, में भारतीय आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन दिनाक जून, 1984

को पूर्वीक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के ध्व्यमान प्रतिकल क लिए अन्तरित को गई है और मुफ्ते यह विषवास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके पर्यमान प्रतिकल स एमें दश्यमान प्रतिफल का बन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अतरक (अतरकों) और अतरिती (अन्तरिसियों) कं बील एसे अन्तरण कलिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिण्डित उत्दद्ध स उल्ला अन्ताण लिखित मे बास्तविक रूप से कथिन नहीं किया गया है ----

- (क) अन्तरण से हुइ किसी आय की बाबत, उक्त अभिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक समिला में कभी मारने या उसने बजने ही सुविधा #डे सिए; बौर∕या
- (का) एेसी किसी आग या किसी धन या बन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अभिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) को प्रयोजनार्थ अन्तरिती वुघारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में द्वीवधा के सिए;

अतः अब, उक्स अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण , मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-च की उपधारा (1) को अधीन, निम्नलिसित व्यक्तियों, अर्थात् :---

भाग । 11--- वण्ड 1

प्ररूप बाह". टी. एन एस ------

साथकर अभिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) क सभीन स्वनः

नारत सरकार

कार्यालय, महत्वक बायकार बायुबत (बिरौक्रण)

अर्जन रेज-1, नई दिर्ल्ल(

नई बिल्ली, दिनाक 13 फरबर्रा, 1985

निदेश स० आई० ए०सी०/एक्यू०/1/37ईई/6-84/948---अस मुझे, सुधीर चन्द्रा

वायकर वभिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसं धसमे इसके परचात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की भारा 269-क के वभीन सक्षम प्राधिकारी को सह विख्यास करने का कारण है कि स्थावर सम्परि, जिसका उचित बाजार मृत्य 25,000/- रु. से अधिक है

श्वौर जिसकी स॰ 1/27 है, तथा जो झान्ती निकतन, नई दिल्ली मे स्थित है (ग्रौर इत्मे उपाबद्ध अनुसूर्ची मे ग्रौर जो पूर्ण रूप मे वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय अर्जन रेज-1, नई दिल्लो में भारतीय आयकर अधिनियम, 1961 के अर्धान दिनाक जून, 1984

का' पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित साजार मृन्य से कम के दश्ममान प्रधिकन के लिए अन्तारत को गई है जीर मुफ्ते यह विश्वास करने का कारण है कि यथापुर्वोक्त सम्पत्ति का उचित वाखार मुझ्य, उसके अप्यमान प्रतिफल से, ऐसे अप्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिघत अधिक है और अंतरक (अन्तरकां) और बन्तरिती (अन्तर्गितयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय वाया गया प्रतिफल, निम्नलिचित उद्धे हेय से उक्त अंतरण किचित में वास्त्रविक रूप से कथित नहीं किवा गया है अ--

- (क) जन्तरण से हुद्द किसी भाग की बाबस, उक्स अभिनियम के अभीन कर दोने के जन्तरक को बाबित्स में कमी करने या उत्तर वचने में सुनिधा के रिसए; बौर/या
- (क) एसी किसी थाय या किसी भन या बन्य थास्तियां को जिन्हें भारतीय आय-कर अभिनियम, 1922 (1922 को 11) या उक्त अभिनियम, या भन-कर अभिनियम 1957 (1957 को 27) को प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्यारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविभा को निष्ट;

अतः अत्व, उक्त अभिनियम की भारा 269-ग के अन्सरण अं, मं, उक्स अभिनियम की भारा 269-घ की उपभाग (1) के अभीन: निम्मलिचित व्यक्तियों, अर्थात् "---- 1 श्रोमर्ता राजा नेहरू, यौं शी पी० नाई० नेहरू, कर्ना आ२० क० ने स्ट, (ए द० पू० एक०), "या अधार्नी ई।-11/20, का हा नगप, नई । उल्ला ।

(अन्तरक)

2 प्रवसा इन्टरप्राइजेज, लि० 2**7-बेबन, रोड, 10मजिल, सारायण वि**त्डिंग, कलकत्ता ।

(अन्तरिता)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पन्ति क अजेन को लिए कार्यवाहिया -करता हु: ।

उक्त सम्पत्ति को अर्जन को सबाध मा काई भी आक्षप ----

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की ताराख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जा भी अवधि बाद में समाप्त हाती हा, क भीतर पूर्वायत व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा,
- (ब) इस सुचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन क भीतर उक्त स्थावर सम्पात में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति व्वारा, अधाहरताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेन।
- स्मच्धकिरण :----इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, क अध्याय 20 क में पारभाषत है, वही अर्थ ठामा, जा उस अध्याय में दिया गया है।

अनस्भी

प्रो० न० 1/27, शान्ता निकान, नई दिल्ती, तादादा 2000 वर्गगगा ।

> मुर्धार चन्द्रा सक्षम प्राधित्तर्ग सहायक आयत्तर आयक्त (निर्गक्षण) जर्जनरोज-I, नई दिल्ली

िदिनाक 13-2-1985 माह्रर भाग III--खण्ड 1]

प्ररूप आई. टी. एन. एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अजन रेज-1, नई दिल्ली

नई दिर्ग्ला, दिना * 29 जनवरी, 1985

गिदेश स० आई०ए०सी०/एक्यू०/1/37ईई/6-84/954---अन: पुझे, सुधीर चन्द्रा,

- मायकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पञ्चात् 'उवन अधिनियम' कहा गया है), की भारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारों को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है
- ग्रौर जिसकी स० 12/ब्लाक 'ई ' है, तथा जो नेहरू प्लेस, नई दिल्ली: मे स्थित है (ग्रोप इरासे उपावद्ध अनुसूची में ग्रौर जी: पूर्ण रूप से दणित है) रजिस्ट्री कर्ता अधिकारी के कार्यालय अर्ज र रेज-1, नई दिल्ली में भारतीय स्थायका अधिनियम, 1961 के अधीत दिनाज जून, 1984

को पयंक्त स्प्र्यति के उचित दाजार मुल्य से कम के दूरयमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है , और मुफे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वांक्त सम्पत्ति का उचित बाजार भूच्य उसके दूज्यमान प्रतिफल से, एसे दूरयमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों और अंतरिती (अन्तरितेयों) के बीच एपे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिसिन उदरस्य स उक्त अन्तरण लिखित में शस्तविक रूप से कृथिन नहीं किया गया है :---

- (को अन्तरण से हुई किसी बाय को बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर दोने को अन्तरक को दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; क'र/या
- (श) एमी फिमी आय या किसी धन या जन्य आस्तियों करे, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 192. (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, 192. धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट ब्रहों किया था या किया जाना चाहिए था. लिगाने में सविधा के लिए;

झतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग क़े अन्सरण म, म, खक्त अधिनियम को धारा 269-घ को उपधारा (1) के अधीन, निम्निलिसित व्यक्तियो अर्थांत् ---- मै० नेहरू प्लोस होथलस, लि० इरोज सिनेमा, बिल्डिंग, जंगपुरा एक्सटेशन, नई दिल्ली-14 । (अन्तरक)
 श्रीमता कैलाश वती (बिंमला), पत्नी, श्री राम लाल अग्रवाल, निवासी 104-ई, कमला नगर, दिल्ली-7।

(अन्तरितीं)

को यह सुचना जारी करके पूर्वोंक्त सपसि के अर्जन के सिए कार्यवाहियां ^{शुरु} करता ह<u>े</u> ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई आक्षेप :---

- (क) इस सुचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्वम्बन्धी व्यक्तियों पर सुचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समग्प्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तिया में से किसी व्यक्ति द्वादा;
- (ख) इस सुचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारींख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितकबूध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास तिस्ति भ किए जा सकरों।
- स्पख्टीकरण :----इसमें प्रयुक्ते शब्दों भौर पदों का, खों उक्क अधिनियम, के अध्याये 20-क में परिशावित ह⁴, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

स्पेस नं० 12, ब्लाफ 'ई', 6-वीं मंजिल, होटल-कम-कर्माण्यल, कम्प्तलैक्स, नेहरू प्लेस, नई टिल्ली, तादादी, 570 वर्ग फीट।

> सुधीर चन्द्रा सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रोंज-I, नईदिल्ली

दिनांबः : 29-1-1985 मोहर :

[माग]][----खण्ड]

- प्ररूप आदि. टी. एम. एस.-----

म्यकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) को धारा 269-थ (1) के अधीन सुचना

मारत सरकार

कार्थालय, सहायक आवकर आयुक्त (निरक्षिण)

अर्ज न रेंज-1, नई दिल्ली

ार्ट दिल्ली,दिनांक 29 जनवरी, 1985

निदेश सं० आई०ए०सी. /एक्यू०/1/37ईई/6-84/955----अतः मुझे, सुधीर चन्द्रा,

बायकर अभिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके परच्ल् 'उक्त अभिनियम' कहा गया है), की भारा 269-रू के अभान सक्षम पाधिकारी को, यह बिग्रास करने का भारण 8ै कि ग्थातर सम्पत्ति, जिसका उत्तित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

मौर जिसकी संव स्पेस नंव 17/ई है, तथा जो नेहरू प्लेस, नई दिल्ली, में स्थित है (म्रांग इससे उपाबद्ध अनुसूची में मौर जो पूर्ण रूप से वणित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय अर्जन रोंज-1, नई दिल्ली में भारतीय आयंकर अधिनियम 1961 के अधीन दिनांक जुन, 1984

को पूर्वोक्त स्माहि के उचित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई और रजिस्ट्रीकृत किया गया है मुफे यह विश्वास करने का कारण है कि यह पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दश्यमान प्रतिफल से, एसे दश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकां) और अंतरती (अंतरितियों) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिक्ति उद्द देय से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :---

- (क) जन्तरम से हुई किसी वान की वानत, बनत वीभनियम के वधीन कर दोने के जन्तरक ्के दासित्य में कमी करने या उससे वचने में सुविधा के सिए; और/वा
- (श) ऐसी किसी आय या किसी भन या अन्य आस्तियां %, जिन्ह⁵ भारतीय आय-कर अभिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्स अभिनियम, या भन-कर अभिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोधनार्थ अन्तरिती ब्वारा प्रकट नहीं कियत गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने बे सुविभा के लिए;

बतः वद, उक्त वधिनियम कौ भारा 269-ग को बनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम को भारा 269-ग की उपभारा (1) के बधीन, निम्नीलिखित व्यक्तियों, वर्थात् 1---- मै० नेहरू प्लेस, होटल्स लि० इरोज, सिनेमा विल्डिंग, जंगपुरा, एक्सटेंशन, नई दिल्ली-14

(अन्तरक)

 मैं० साज इन्टरनेक्षतल, प्रा० लि० द्वारा, डाइरेक्टर, श्री जी० एस० गिल, तिवासी बी-849, न्यु फेन्ड्स कालोनी, नई दिल्ली (अन्तरिर्ता)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्ता सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हुं।

उक्त सम्पत्ति के बर्जन के संबंध में कोई, भी बाक्षेप :----

- (क) इस सुचना के उराजपत्र में प्रकाशन की तारीय से 45 दिन की अवभि या तुत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सुचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी आवक्तर ऑधनियम, 1961 (1951 का 43) की व्यक्तियों में से किसी क्यकित द्वारा;
- (व) इ.स. सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीव छे 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बच्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के अवधि बाद भें समापा होती हो, के भीतर पूर्वोक्त पास लिखिल में किए जा सकेंगं।
- स्थध्वीकरणः --इसमें प्रयुक्त शब्दां और पर्दां का, बरे उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हु, यहां अर्थ हरोग जो उस अध्याय में किया प्या हू।

अनूसूची

स्पेस नं० 17, ब्लाक 'ई', 6-वों मंजिल, होटल-कम-कमरियल बम्पलैक्क, नेहरू प्लेम, नई दिल्ली, सादादी, 638 वर्ग फीट।

> मुधीर चन्द्रा सहायक आयकर आयुक्त (तिरीक्षण) अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली

दिनांकः : 29-1-1985 मोहरः : प्र≫प आर्द्र, टी. एन. एस. -------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेज-1, नई दिल्ली

नई दिल्ली दिनान 29 जनवरी 1985

निदेश स० आई० ७० सी०/एक्यू०/ 1/ 37 ईई/ 6-84/ 956---अतः मझे, सुधीर चन्द्रा,

झायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें भासके पश्चात् 'उक्त अतिनियम' कहा गया है), को धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी का, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार भूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

भ्रोर जिसकी स॰ 10/ई है, तथ जो नेहरू प्लेस, नई दिल्ली मे स्थित है (ग्रो / इससे उपाबद्ध अनुसूची में ग्रोर जो पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिन्ट्री कर्त्ता अधिकारी के कार्या (य, अर्जन रेज-6, नई दिल्ली में भारतीय आयार अधिनियम, 1961 के अधीन दिनांक मई, 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्प म कम के उदयपान प्रतिफल को लिए अन्तरित की गई है और मूफ यह विक्वास करने का कारण है कि गथापूर्वावत सम्पत्ति का उचित बाजार मूस्य, उसके रूबमान प्रतिफल से, ए से दश्यमान प्रतिफल का पंग्रह प्रतिकत स अधिक है और अतरक (अतरकों) आर अतरिती (अंतरितियों) के बीच एसे अतरण के निए तब पाया गया प्रति-क्य विस्वसिथित उद्द क्य से उक्त सम्तरण बिक्ति में वास्त्यिक रूप से कथित नहीं किया गया है

- (क) अन्तरण से हुए गैकसी जाय की वावल, अक्त -अभिनियम के अभीन कर दोने के अन्तरक को दायित्य में कमी करने या अत्तससे वचने में सुविभा भासए ६ ६, -।
- (पर) एभी किसी जाय मा किसी भन वा जन्य आल्हियों को जिन्हें भारतीय वाय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्षत विभिनियम, या भनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) कं प्रयोजनार्थ शन्दरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में मुविधा के लिए,

सतः भव, उक्त अभिनियम की धारा 269-ण क अनसरण में, में उक्त अभिनियम की धारा 269-श्व की उपधारा ()) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात ---38---486GI[84

- 1 मैं० नेहरू प्लेस, होटल्स, लि० इरोज सिनेमा बॉल्डग, गगपुरा एक्सटेगन, नंई दिल्ली ।
- (अल्तरन) 2 श्री गती इन्दु लावा, पत्नी श्री कें० के० लीखा, जी 4/2, संकदरजग, एन्कनेव, नई दिल्ली-29 (अन्तरिती)

को बह सूचना धारी करके पूर्वोक्स सम्परित के वर्जन के जिल् कार्यवाहिया करता हूं।

अबस सम्परित क राजेन के सम्बन्ध मा कार्ड भा शाक्षप ---

- (क) इस सूचना के उजपत्र में प्रकाशव को हाराख स् 45 दिन को अवधि या तत्सबधी व्यक्तियाें पर सूचना की तामील से 30 दिन को अवधि, जो भें/ अवधि बाद में समाप्त हाती हो, के भीतर पर्वोकन व्यक्तिया में भें हिमां जगडन दवार,
- (स) इस सूचना के राजपत्र मा प्रकाशन की तारीख स 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिन्द्रबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्यारा अधाहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सक⁵गे।

अनुसुची

स्पेस न० 10, ब्लाक 'ई', 6-वी मजिल, होटल-कम-कर्माशयल कमप्लेक्स नेहरू प्लेस, नई क्लिती सादादी 513 वरा फीट।

> सुधीर चन्द्रा, सक्षम प्राधिक्षारी सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेज-७ नई दिल्ली

विनाम . 29-1-1985 मोहर :

[MIN 111--BIS 1

प्ररूप बाई. टी. एन. एस. . ------

नायकर जीधनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-च (1) के न्धीन सुचना

सारत बहुकार

कार्यालय, सहायक जायकर जायुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेज-1, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनाक 14 फरवरी 1985

निदेश स० आई० ए० सी०/एक्यू। 1/ 37ईई। 6-84/ 957----ग्रतः मुझे, सुधीर चन्द्रा,

वायकर अभिनियम, 1961 (1961 का 43) के (जिसे इसमें इसके पक्ष्वात 'उक्स अधिनियम' कहा गया है), की भाग 269-स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सक्र्णात, जिसका उचित बाजार मूल्स 25,000 - रठ स अधिक है

मौर जिसकी स॰ 409 है, तथ, जो 89, नेहरू प्लेम, नई दिल्ली में स्थित है (म्रौर इससे उपाबद्ध अनुसूची मे म्रौर जो पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के क्यार्याल , अर्जन रेज-1, नई दिल्ली, में भारतीय आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन दिनांक जन, 1984

को पूर्वोक्त मंपत्ति के उचित गजार मूल्य से कम के इस्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकर्ता के कार्यालय गांधीनगर में धारा 269 ए बी. के अंतर्गत सक्षम अधिकारी के पास 'रजिस्ट्रीकृत किया गया है मझे यह विश्वास

करने का कारण है कि यथापुर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाबार मूल्य उसके इच्यमान प्रतिफल से, एसे इच्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्त-रिती (अन्तरिंतियों) के बीच एमें अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निग्नोलेखित उददेव्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नही किया गया है :---

- (क) अन्तरण से हुई किसी आग की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने। के अन्तरक व्हे दायित्व में कमी करने या उसस अचने में सुविधा के लिए, और/या
- (म्) एंसी किसी \ आय या धन या अन्य आस्तियाँ को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1900 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गंगा था या किया जाना चाहिए था. छिपान स्विभा **को लिए;**

मतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसेरण में _र मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (१) के अधीन, गिम्नलिखिन व्यक्तिसयों, अर्थांत् — 1 श्रोमनी र ना, ाबीन, न नी श्री सतीया । ति निवासी ई-511, प्रटर के प्राय-7, नई दिल्ल, 48

(अन्तरक)

2 श्री वशिटसुगवा एग्रो सुपुत्र स्व० श्री टेका एग्रो, निवासी खेर महल, दिमापुर (नागालैण्ड)।

(ग्रन्तरिती)

को यह सुचना चारी करके पुत्रों कत सम्परित के अर्चन के लिए कार्यवाहिया करतां हूं।

उक्त सम्पत्ति के वर्षन के सम्बन्ध में कोई भी बाखेप :---

- (क) इस सूचना के रात्रपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तिया पर सूचना की तामील से 30 दिन के अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त झोती हो, के भौगर प्वॉक्त व्यक्तियों में से किसी ब्यक्ति द्वारा,
- (ख) इस सुचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 4. दिन को भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरों के पास निरीत को फिर जा सकोंगे।
- स्पष्टीकरणः----इसमे अयुक्त शब्दा और पदांका, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाश्रित हैं, वहीं अर्थ होगा जो उस् अध्याय में दिया, बवा है।

वन्सुपौं

फ्लैट,न. 409, तादादे, 530 वर्ग फीट, 89- नेहरूप्लेस, नई दिल्ली ।

> मुधीर चन्द्रा सक्षम प्राधिवेारी सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेज-1, नई दिल्ली

दिनांक 14-2-1985 मोहर :

	मारीका र जपल, माच 9	1985 (1919)	0807
	एन . एस) मै गोपाल दास इस्टेटूस, एण्ड, दाउसिंग प्रा० 28 बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली।	
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 धारा 269-घ (1) के अधीन भारत सरकार कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त अर्जन् रेज-1, नई दि	सूचना (स्टिरीक्षण)	2 मैं० यशोमती ट्रस्ट, इ।रा ट्रस्टो, श्री भगवती प्रसाद, एम-122, कनाट सर्कम , नई दिल्ली।	ान्तरक) लरिती)
नई दिल्ली, दिनाक 29 जनवर्र निदेश स० आई० ए०सी०,एक्यू०, 1/3%		को यह मुच्ना जारी करके पर्वति सम्पत्ति के अर्जन कार्यवाहिया करता हूं।	के िि्लए
अत. मुझे, सुधीर चन्दा, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का इसके परचात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह कारण ह' छि स्थावर सम्पत्ति, जिसका जी 25,000/-रा. से अधिक है औरजिसकी स॰ 79,29 है, तथा जो बाराख- मे स्थित है (आँग इल्से उपाबध अनुसूची मे वीणित है) रजिस्ट्रीवर्ता जाधिकारी के काय नई दिल्ली मे अ रागिर आयकर अधिनियम दिनाक जून, 1984	r हैं). की. धारा विसास करने का चेत दाजार मूल्य बार्गेल, नईदिल्ली ग्रार को पूर्ण रूप से फिय अफन रेजों-1	उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सबध में कोई भी बाक्षे (क) इस स्चगा के राज़पत्र में प्रकाशन की त 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यवि मूचना की तामील से 30 दिन की अवधि अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीत व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; (ख) इस सूचना के राजपत में प्रकाशन की त 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ता पास लिखित में किए जा सकेगे।	ारीख से तयां पर , जो भी र पूर्वोक्त गरीख से में हित-
को पूर्वोक्त संपत्ति के उच्ति दातार मूल्य प्रतिफल के लिए रजिस्ट्राकृत विलेख के अन् है और मुफ्ते यह विखास करने का कारण पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उप के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्त अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तर गया प्रतिफल, निम्न्लिखित उद्दरेय से उक में वास्तविर्क रूप से कथित नही किया गया ह	स्तर जतरित कीगई हैं कि यह पूर्वोक्त सके व्क्यमान र्रातफल रक (अन्तरकों) और ण के लिए तय पाया त अन्तरण लिखित	स्पप्टीकरण — इसमें प्रयूक्त शब्दों और पदों का, अधिगियम के अध्याय 20-क में परिभा वन्नी अर्थ होगा, जो उस अध्याय में 🖞 है॥	षित हैं,

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक को दायित्व में कमी करने या उससे बचने में स्विधा के लिए; और/या
- (ख) एंसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या प्रगन्द अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत जब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसगण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थातु :----

अन्सूची

स्पेस नं० 78, (एल० जी० एफ०), डा० गोपाल दास भवन, 28 वाराखम्बा रोड, नई दिल्ला तादादा 121. 38 वर्गफोट

> सुधीर चन्द्रा, सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अजन रेंज-1, नई दिल्ली

दिनांक: 29-1-1985 मोहर : ्

| भाग III----खण्ड 1

प्ररूप. आई. टी. एन. एस. -----

मायकर अभिनियम, 196! (1961 का 43) की भारा 269-घ (1) के अधीन सुचना

भारत सरकार

कार्यालय. सहायक आयकर लायुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेज-1, नई दिल्ली

नई विल्ली, दिनाक 11 फरवरी 1985

निदेश स० आई० ए० सी०/एक्यू०/ 1/ 37ईई/6-84/961----अत. मुझे, सुधीर चन्द्र/,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-श के अधीन सक्षम आधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्परित, जिसका उचित बाजार मूल्य 23.000/-ए.. में अधिक है

त्रोर जिसकी स० ए-18 है, तथा जो कनाट प्लेस, नई दिल्ली मे स्थित है (ग्रीर इससे उनावद्व अनुसूची मे ग्रीर जो पूर्ण रूप से वर्णित है) र जिस्ट्री नी अधिकारी के कार्यालय, अर्जन रें -1, नई दिल्ली में भारतीय आयर र अधिनियम, 1961 के अधीन दिनाक जून, 1984

का पूर्वोक्त संपत्ति को उचित बाजार मूल्य से कम के धरयमान प्रतिफल को लिए अंतरित को गई है और मुभे यह विश्वास करने का कारण है कि स्थापूर्वोक्त संम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दश्यमान प्रतिफल से, एस धरयमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिक्षत से काधक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरिश्तियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिजित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित से सास्तविक क्ष्य से कांधत नहीं किया गया है ----

- (क) अन्तरण से हुइरें किसी आय को बाबत, उक्स अधिनियम के अधीन कर देने के बन्तरक के दाग्रित्व में दागी करने या उससे बचने में सुविधा के सिए; बौर∕मा
- (प) एरेसी किसी आय या किसी भन या अन्य आस्थियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के अथांजनार्थ अतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया भा या किया जाना भाइए था, छिपाने में सुविधा को आए;

बतः ङक उक्त भो जीनसभ को भारा 269-ग के अनुसरण मो, माँ उक्त अधिनियम की भारा 769-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिसित व्यक्तियों, अर्थाद्य :---- 1 श्री महेन्द्र के० बजाज, निवासी 12/164, मालवीया नगर. नई दिल्ली। श्री रवि मदन, निवासी 43-ए, मालवीया नगर, द्रार्क्व दिल्ली श्री रमेशचन्द्र, कालरा, निवासी 11/148, मालवीया नगर, नई दिल्ली मैं० अम्बिका, बिल्डर्स प्रा० लि०, निवासी 15/4577, दरीया गज, नई दिल्ली। (अन्तरक)

2.^४ूश्रीमती अमरजीत कौर, निवासी 331, बसन्त इनक्लेव, नई दिल्ली । (अ**न्तरिती)**

को यह मचना जारी करक पूर्वोक्त सम्पत्ति के **जर्जन के लिए** कार्यवाहिया करक्षा हूं ।

उक्त सम्पत्ति के गर्जन के मबध में कोई भी आक्षेप ध---

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकारन की तारीच है १८ दिन की अप्रधि या तत्सबधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की जयधि, जो मैं अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त न्यक्तियो में से किसी ज्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सुचना के राजपत्र में प्रकाशन को तारोच ते 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताकरी के पाद लिखित मा किए जा सकोंगे।
- स्पष्टोक रणः :----- इसमें प्रय्वत शब्दों और पर्दों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित ह्रीं, यही अर्थ होगा जो उस अभ्याय में दिया यमा डी।

सन्म् वी

प्रो०न०ए-18 कनाट प्लेस नईदिल्लो तादादी 154 वर्गफीट।

> सुधीर चन्द्रा, सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जनरेज-1, नई दिल्ली

दिनाकः : 11-2-1985 मोहर :

प्ररूप आइ.टि.एन.एस	 मँ० नेहरू प्लेस, होटल्स, लि०
	इरोज, सिनेमा धिल्डिंग, जगपुरः एक्सटेणन,
	नई दिल्ली । (अन्तरक)
अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की	 श्रं, बं।० भ्रार० भानोट, सुपुत्र श्रं गोपाल दास भानोट
अफिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-घ (1) के अधीन सूचना	मास्टर, सूम् _ग त भानोट, सुपुत्न श्रं, र्ब ० भ्रार० भानोट ,
, and the second s	निवासे बएल 22, आनन्द बिहार, जलरोड,
भारत सरकार	नई दिल्लं:-64 ।
नम. सहायक आयकर आयक्त (निरीक्षण)	(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वीक्त सम्पत्ति के बर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करसा हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :----

- (क) इस सचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीच चै 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्बी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, को भीतर पूर्वोंक्त व्यक्तियां में से किसी व्यक्ति दुवारा;
- (स) इस सुचना के राजपत्र में प्रकाशन की धारीस से , 45 विन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बदुभ किमी अन्य व्यक्ति दुवारा, अर्धाहस्ताक्षरी 🕏 पास लिखित में किए जा सकोंगे।
- नियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में विया गया **۲**

अनुमूची

स्रोसनं० 19, ब्लाक्ष ई, 8-मजिल, नेहरू प्लेस, नई.दल्ली तादादो, 638 वर्गफीट ।

> मुधःर चन्द्रा, सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन-रज-1, नई दिस्ली

दिन/क : 29-1-1985

मोहर 🛓

भायकर

कार्यालम, सहायक आयकर आयक्त (निराक्षण)

अर्जन रेज-6, नई पिल्ली

नई दिल्ला, दिनाक 29 जनवरी 1985

निदेश सं० आई० ए० सं:०/एक्यू०/1/37ईई/6-84/963--अक्षः मुझे, सुर्धन्द चन्द्रा,

वायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसको पक्ष्वात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया हैं), की भारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह दिश्यास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. स अधिक ह*

ग्रौर जिसक, स० स्पेस 19 ई है, तथा जो नेहरू प्लेस, नई दिल्ली में स्थित है (ग्रोर इसने उपाबद्ध जनुसूचा मे ग्रौर जो पूर्ण रूप से वणित है) रजिस्ट्री कता अधिक र के कार्यालय, जर्जन रेंज-1, नई दिल्ला में भारताय रजिस्ट्राकरण अधिनियम 1961 के अधान दिनाक जून, 1984

को पूर्वोक्स सम्पत्ति के उर्चित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान प्रतिफल को लिए अन्तरित की गई। और मुझे यह विद्यास करने का कारण है कि यथापूर्वोंक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मुल्य, उसके ध्वयमान प्रतिफल से एसे ध्वयमान प्रतिफल का पन्नाह प्रतिघत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच एस अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिसित उद्दोश्य से उक्त अन्तरण निवत में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :---

- (क) अन्तरण से हुई किसी वाय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरण को दाणित्व में कमी करने या उससे वचने में सुविधा केलिए; और/या
- (ब) ए`सी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हे भारतीय बाय-कर अभिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अभिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुवि∿ाके लिए;

बत: थव, उक्त अभिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण मे, मैं, उक्त अधिनियम की भारा 269-व की उपधारा (1) 📽 बभीन, मिम्मलिदित व्यक्तियों, अर्थात् ४----

प्ररूप आर्द्र'.टी. एन. एस. ------

आधकर अभिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सुचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली

नई दिल्ली।, दिनाक 29 जनवर। 1985

निदेश सं०।आई० ए०सं१०/एनयू०/1/37ईई/6-84/964----अतः मझे, सुधार चन्द्रा,

अगयकर अभिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके परुवात् 'उक्त अभिनियम' कहा गया है), की भारा 269-श्व के अभीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्रत्ति, जिसका उचित बाजार मूख्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसका सं० स्पेस 16/ई है, तथा जो नेहरू प्लेम, नई दिल्ला में स्थित है (ग्रीर इसने उपाबढ अनुसूचा में ग्रीर जो पूर्ण रूप से वॉणत है) राजेस्ट्र,कर्ता अधि करा के कार्यालय अर्जन रेंज-1, नई दिल्ला: में भारताय आयकर अधिनियम 1961 के अधान दिनांक जुन, 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के अध्यसान प्रतिफंस के लिए अन्तरित की गई है और मुफेयह विश्वास करने का कारण है कि यह

पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके खरयमान प्रतिफल से, ऐसे दश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकां) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उष्देख्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:---

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबस, उक्त अधिनियम के अधीन कर दोने के अन्तरक के दायित्ल में कमी करने या उससे बचने में सुविभा दायित्व के लिए; जौर/या
- (ब) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 'को जिन्हें भारतीय आयक-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, का धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्सरिती थ्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना बाहिए था, खिपाने में सुविधा के सिए;

वतः अम, उक्त अभिनियम की भारा 269-ग के अनुसरण जै, मैं, उक्त अभिनियम की भारा 269-म की उपभारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थातु :---- मै० नेहरू प्लेस, होटल्स, लि० इरोज, सिनेम, विल्डिंग, जंगपुर, एक्सटेशन नई दिल्ल; ।

(अन्तरक)

 श्री: अन्तिल बजाज, सुपुत्र श्रा: ए.स० ए.ल० वजाज श्रौर श्रामती: मारा बजाज, पत्न, श्री, अन्तिल बजाज, कनल बजाज रण्जात बजाज, श्रौर शिव बजाज, निव.सी: 140, गोल्फ, सिक्सा, नई दिल्ले, । (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए, कार्यवाहियां शुरू करता हुं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी श्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्स व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीस स 4.5 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अभाहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।
- स्पख्तीकरणः---इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित, है, बही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

णम्सर्थ

स्पेस न० 16, ब्लाक 'ई', 6-मंजिल, हॉटल कम-कर्मांग्रयल कम्पलेंक्स, नेहरू प्लेस नई दिल्ला कादादी 638 वर्गफाट

> सुधःर चन्द्रा, सक्षम प्राधेकार्रः सहायकः आयुष्त (निरंक्षण) अर्जन रेज-6, नई बिर्स्ला

दिनांक: 29-1-1985 मोहर 🗑 भाग 111---खण्ड 1)

प्ररूप बाई.टी.एन.एस. -------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सुचना

भारत लरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरक्षिण)

अर्जनः रेज-I, नई दिल्ल

नई दिल्ल, दिनाक 29 जनवर 1985

निदेश स० आई० ए०स ० एक्यू० 1/37ईई 6/-84/965----अतः मुझे, सुधार चन्द्रा,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इत्तमें इसके पदवात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), को धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह त्रिस्वास करने का कारण है कि स्थावर संपरित, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु. से अधिक है

ग्रीर जिसक स० स्पेम न० 12 ई है, तथा जं: नेहरू प्लेस, नई दिल्लामे स्थित है (ग्रीर इसरे: उपाबढ़ अनुसूची मे ग्रीर जो पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्री श्र्ती अधिक र के कर्या त्रय अर्जन रेंड-1, नई दिल्ल मे भारतीय आयकर अधिनियम, 1961 के अध,न दिनाक जून, 1984

का पर्वोक्त सपरित क**ो चित बाजार मल्य से कम के दरयमान** प्रतिफल को लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके इत्यमान प्रतिफल से एसे दञ्यमान प्रतिफल के मन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और बन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच एमें अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलियित उद्देश्य से उदत जन्तरण लिखित में वास्तविक म्हप म रुधित नही किया गया है....

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधि-नियम के अधीन कर दोनेके अन्तरक के दायित्व के कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए, और/यह
- (श) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 को 11) या उक्त अधिनियम, या धन कार अधिनियम, 1957 (1957 को 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती दवारा प्रकट नही किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के सिए;

अतः अब उक्त अधिनियम को धारा 269-ग के अनुसरण मे, मैं, उक्त अधिनियम को धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थातु :----

 1. मै० नेहरू प्लेस होटल्स, लि०

 इरोज, सिनेमा, क्रिंडिंग, जगपुरा एक्सटेन, नई दिल्ल;,।

 तई दिल्ल;,।

 (अन्तरक)

 2. डा० (श्रामत,), सरोज सागर, पत्न, श्राव ० सागर, निवं,सहके-46 जगपुरा, एक्सटेशन, नई दिल्ल,।

 (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वीक्त संपरित के बर्जन के लिय कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी साक्षेप :---

- (क) इस सुचना के राजपत्र में प्रकाखन की तारीस ह 45 दिन को बवधि या तत्सवधी व्यक्तियों पर सुचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो शी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा,
- (ख) इस सुचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पन्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास जिल्खित में किए जा सकनी।

स्पष्टीकरणः--इसमें प्रयुक्त कब्दों और पदों का, जो उक्त अभिनियस, के अध्याय 2*0-क में परिभाषित इ⁶, वहीं वर्भ इदोगाुजो उस अभ्याय में दिमा गया ह⁸। \

ग्रनुसूची

स्पेस, न० 12, ब्लाक 'ईॅ 8 त्मजिल, होटल-कम-कमशियल कम्पलैक्स, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली, तादादी 569 वर्ग फीटा।

> सुधेः र चन्द्रा, सक्षम प्राधिकारः सहायक आयकर आयुक्त (निर्रक्षण) अर्जन रेंज-I, नई दिल्ल

दिनांक : 29-11985 मोहर :

भाग ।।।---खण्ड 1

प्ररूप आइ. टी. एग. एस. ------

सायकर थांभनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-थ (1) के अधीन स्वना

भारत सरकार

कार्यालय, संजीतव गांगकर जामुक्स (निरक्षिण)

,अर्जन रों : ि ाई दिस्सी

नई दिल्लं), दिनांक 30 जनवरी 1985

िनदेशासं० आई०ए०सं∤० एक्यू० 1/37ईई/6-84/971ए----अतः मुझे, सुध∵र बन्द्रा,

मायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पद्यात् 'उक्त अधिनियम' कहा थया है), की धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उमित वाजार मृल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकं; गं० ई-101 है, तथा जो ग्रेटर कैलास-1, नई दिल्ली में स्थित है '(श्रीर इससे उपाबद्ध अनुसूची में श्रीर जो पूर्ण रूप से वणित है) रजिस्ट्राक्ती अधिकारा के कार्यालय, अर्जन रेंज-1, गई दिल्ला में आयकर अधिनियम 1961 के अधान दिनांक जून, 1984

को पूर्वोक्त सम्भत्ति के उचित बाजार मुल्य से कम के इच्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुफ़े यह विक्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्परित का उचित वाजार बुक्य, असके ध्वयमान प्रतिफल से, एसे व्यथमान प्रतिजल का पन्द्रह प्रतिषत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच एसे अंवरण के लिए तय पाया गया प्रति-कव, जिम्नलिष्टित उद्दाक से उक्त कलरण जिवित में वाड्य-विक रूप से कथित नहीं किया गया है:---

- (क) बन्तरण से हुई किसी वाय की बाबत, उपत अभिनियम के अभीन कर दोने के जन्तरक को दासित्य में कमी करने सा उससे बचने में तुविभा को लिए; और⁄सा
- (श) एरेसी किसी जाय या किसी भन था अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अभिनियम, 1922 (1922 को 11) या उक्त अभिनियम, या भत्तकर अभिनियम, 1957 (1957 को 27) के प्रयोजनार्भ जन्तरिती खुवारा प्रकट नहां किया गथा था था किया जाना थाडिएर जा खिपाने में स्1ेजभा के दिन्छन्न

सतः जब, उक्त अभिनियम की धारा 269-ग के सनुसरण कों, मैं, उक्त अभिनियम की भारा 269-म की उपभारा (1) के बभीन, निम्नलिसित व्यक्तियों, वर्भाष्ट्र ह----

 1. कुमारं, मिनं, जैन, तिवासं, मकान नं० 4782/1-23, दरे,था गज, द्रई दिल्लं। ।

 द्रई दिल्लं। ।

 (अन्तरफ)

 2. पाल एण्ड पाल बिल्डर्स, सि० 12 रंगाल बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली ।

(अन्तरिती)

को यह सुचना जारी अरके पूर्वोंक्त सम्पत्ति के अर्जन क्रे लिए। कार्यवाहियां करता हूं।

उत्तरा सम्परित के अर्जन के अभ्यन्थ में आहि भी साक्ष्ये १-

- (क) इस सचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीब से 43 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सुचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त क्यक्तियों में सिंग्लेग्ले ध्वतिन बुवादा,
- (स) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीस हो 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्परित में ग्रेहतबद्धा. किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पाम जिल्लाकत में जिल्ला की संस्थ

अनुसूची

्लाट मं० ई-101, पेटर कौलास-1, नई दिल्ली तादावी 352.5 वर्ग,गज, ।

> ूमुधीर चन्द्रा, सक्षम प्रात्धकार: सहायक आयकर आयुक्त (निरं,क्षण) अर्जन रेंज-1, नई दिल्लो

दिर्माक: 30-1-1985 मोह्र । प्ररूप आई. टी. एन. एस. ------

मायकर अभिमियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-थ (1) के अधीन सुचना

भारत सरकार

कार्यालय, गठाय ह आयकर आयुक्त (निरोक्षण)

अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली

नई दिल्लो, दिनां क 28 जनवर्रा 1985

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्ष्यू०/1/37ईई/6-8 4/972ए-----अतः मुझे, सुर्धार चन्द्रा,

बायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-स के अधीन सक्षम प्राधिकारों को यह विदयास करने का कारण है कि स्थावर सम्परित, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 1 है, तथा जो प्राचीन, मुप हाउसिंग स्कीम, सुजान, सिंह पार्क, में स्थित है (श्रौर इससे उपावख अनुसूर्च) में पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, अर्जन रेंज-1र नई दिल्ली में भारतीय आयकर आधे नयम, 1961 के अधीन जनांक जून, 1984

को पूर्वोक्त सम्परित के उचित वाजार मूल्य से कम के दूरयमान प्रतिकल के लिए अन्तरित की गई है और मुरु यह विषवास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपरित का उचित बाजार मूल्य, उसके दूरयमान प्रतिफल से, एसे इत्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण, के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिणिन उद्देव्य से उक्त अन्तरण सिखित मं वास्तयिक रूप से कथित नहीं किया गया है क्ष

- (क)) अन्तरण से हुई किसी जाव को बाबत, उक्त अधिनियम के अभीन कर देने के सम्बरफ को दायित्व में कमी कारने या जलसे वजने में सुविधा के सिए; और/मा
- (भ) एमी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों का जिन्हें भारतीय आयकर अधिनिग्रम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिसी द्वारा प्रकट नहीं किया क्या था या किया जाना चाहिए था, खिपाने में स्विभा के लिए;

सतः अव, उक्त सौधीनयम की धारा 269-ग के अनुसरभ स, म, उक्त आधीनयम की धारा 269-म की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात ध---39---486GI/84 यूनिवर्सल, जिल्डर्स, एण्ड कन्ट्रैक्टर्स, प्रवीन आपर्टमेन्ट, नुजान सिंह पार्क, (साउथ), नई दिल्ली।

(अन्तरक)

श्री अमर सिंह गिल,
 निवासी 6-हेला रोड, नई दिल्ला।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्स सम्परित के अर्जन के लिए आर्चवाहिया करता हुन्।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी जाकोप हेन्लक

- (बं) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीब से 45 दिन की दलधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामंग्त से 30 दिन की अवधि, वो भी बार्वाध गाद में मगाग होती हो, के भीतर पूर्वोक्त न्यकित के गी अगी अगीवत दवारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र से प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उबत स्थापर संपरित में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अगरेहस्ताक्षरी के पास निर्मित में लिए जा मकरों।
- स्पष्टीकरण:----इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदौं का, भो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित ही, वही अर्थ होगा जो जम अभ्याय में दिया गया ही।

लन्स् य

निवासी फ्लैट, नं० 1, दूसरी मंजिल , प्रयोग ग्रुप हाउसि,गस्कीम, मुजान सिंह पार्क, नई दिल्ती तादादी 2000 वर्ष फीट ।

> मुधीर चन्द्रा मक्षम प्राधिकारी सहायक भायकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रोज-1, नई दिल्ली

दिलांक: 28-1-1985 मोहर 13 प्रकृत माइ., टी., एम., एस.,

झायकर मीभनियम, 1961 (1961 का 43) को धारा 269-म (1) के मधीन सुचन।

मारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्स (निरक्षिण)

अर्जनरोंज-1, नई दिल्ली आसफ अली रोड नई दिल्ली नई दिल्ती, दिनांक 14 फरंचरी, 1985

निर्देण सं० आई० ए० मी:०/एक्यू०/1/37ईई 684/973-ए --अतः मुझे, मुधीर चन्द्रा,

आगकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके परणात् 'उक्त अधिनियम' वहा गया है), की धारा 269-क्स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विदवास करने का कारण है कि स्थावर, सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 2.5 000/- र. से अभिक है

और जिसकी सं० 34 है, तथा जो बायर रोड, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप में वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय अर्जन रेजना, नई दिल्ली, में भारतीय आयकर अधिनयम, 1961 के अधीन दिनांक जून, 1984

को पूर्वोकन सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के इत्रयमान प्रतिफल को लिए अन्तरित की गई है और मुभे यह विख्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके इत्रयमान प्रतिफल से एमें इत्रयमान प्रतिफल का पन्दार प्रतिघा से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच एमें अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्ददेय से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है ---

- (क) अंतरण से हुई किसी आय को बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के प्रतरक के धाीयत्व में कमी करने या उसमें अखने में सुविधा के निए; और/या
- (स) एमो किमी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1057 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया • किय, जान काहि। थ:, कियाो की लिए;

अत. उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के. सन्मरण भ, म, जैवत अधिनियम की धारा 269-ग की उपधारा (1) के प्रधीन, निम्नलिक्सित व्यक्तियों, अर्थात् :---

- अं। किंशन बहादुर माथुर, सुपुत्र अं। प्रेमशंकर माथुर और आ विनय शंकर माथुर, अं। रवि शंकर माथुर, और अं: मोहिन्दर शंकर सर्भ। सुपुत्र श्री किंशन बहादुर, माथुर निवासं:-34, वावर रोड, नई दिल्ली। यर्नमान,: पं:-95, एन० डी० एस० ई०-2, नई दिल्ली. (अन्नरक)
- अीं विक्रम दत्त सुरीं, सुपुत्र स्व० श्रीं मदन लाल सुरी, निवासी-पी-95, एन० डी० एस० ई० भाग-2, नई दिल्ली: ।

(अन्तरिती)

में बह स्वना जारों करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के वर्षन के लिए कार्यवाहियां सुरू करता हुं।

उन्त सम्परित के जर्जन के सम्बन्ध में कोई भी बाक्षेप ----

- (4) इस सुचना के राजपत्र में प्रकाशन को तारांच है 45 दिन को अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पद सुचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो मै स्वधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर प्रवॉक्त व्यक्तिया में हे जिसी व्यक्ति ट्वारा;
- (२) इस मुचना के राजपत्र में प्रकाशन को तारोंख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्व किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास निस्ति में किए जा सर्कोंगे।
- स्पष्टीकरणः इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदां का, जो उक्त जीवनियम के अध्याय 20-क में परिशाणित हों, लही अर्थ होगर जो उस अध्याय में विमा भवा दी।

णन्स्यी

प्रा०न० 34 बाबर रौड, नई दिल्ली तातादी-212.5 वर्ग गज.

> सुधीर[™] वन्द्रा; सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरींक्षण) अर्जन रेंज 1, नईदिल्ली-116002

दिन्तांक 14-2-1985

मोबर 🕫

प्रकप बाह्, री., एन. एम.------

बायक द जभिनियम, 1961 (1961 फा 43) को धारा 269-व (1) को जभीन सुचना

थारत चरकारु

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेज-1, नई दिल्लं।

नईदिल्ली, दिनांक 30 जनवर , 1985

निदेश सं० आई० ए०में:०/एनयू०/1/37ईई/6-84/974---

अतः मुझे सुर्धाःर चन्द्रा

वायकर अभिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसं इसमें इसके पद्धात 'उक्स बाधनियम' कहा गया है) की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिनका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

भौर जिसकी मं० 802 है, तथा जो 13,टालस्टाय मार्ग नई दिल्ला में स्थित है और इसम उपाबद अनुसूचा में और जो पूर्ण रूप मे वर्णित है) रजिस्ट्राकर्ता, अधिकार, के कार्यालय, अर्जन रेंज-1, नई दिल्ला, में भारताय आयकार अधिनियम, 1961 के अधीन दिनांक जून, 1984

को पुर्थोक्त संपरित को उचित बाजार मूल्य से कम को इत्यमान प्रतिफस के झिए अन्तरित की गई है और मुफे यह निज्वाक्ष धारम का कारण है कि सभापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार पुरूष, उसके इत्यमान प्रतिफल से, एसे इत्यमान प्रतिफल का प्रदुष्ठ प्रतिचत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और वंसरिती (अन्तरितियों) को बीच ऐसे अन्तरण के निए तम पाया गया प्रति-का निम्मसिचित उदद स्थ मे उक्त अन्तरण कि सित में दास्तयिक रूप से कथित नहीं किया गया है :---

- (क) जन्तरण से हुइ किसी जाय की बाबस, उक्त जीधनियम के जभीन कर दोने के जंतरक के दायित्व में कमी काउने या उससे बचने में स्विधा के लिए; आहि/या
- (क) एेसी किसी वाय या किसी धन ग्रा अन्य बास्तियों को, जिन्ह¹ भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या भनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया गयुप्र था या किया जाना चाहिए था, खिपाने में सुविधा को चिए,

अतः अध, स्वतः अभिनियम की भारा 269-ग को अनुसरज बों, मैं, ।इक्स अधिनियम की धारा 269-ण की उपधारा (1) के बधीन, निष्पनितिखत व्यक्तियाँ, अर्थात् :--- श्व: सजय वंगल, निवासी: 1767, भाग,रथ पैलेस, चादना चौक, दिल्ला ।
 श्व/मती: रेखा, लुथरा, मास्टर शरण लुथरा, कुमारा, सायत्रे, लुथरा, निवाम: जा-3, निजामुद्दे,ने, (वेस्ट), नई दिल्ला ।
 (अन्तरिती)

को यह सुधना जारो करके पूर्वोक्त सम्परित के जर्भन के ट्रिस्ट् * कार्यवाहियां करता हु।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी झाकोप:---

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीच है 45 दिन की अवधि या तरसम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि याद में समाप्त होती हो, को भीतर पूर्वोक्त ध्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ब) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीब से 45 दिन के भीतर उक्त स्थाबर सम्पत्ति में हित-बब्ध किसी जन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिमित में किए जा सकोंगे।
- स्पष्टीकरणः इसमे प्रयुक्त शब्दों और पर्दा का खो उप्यत अधिनियम, के अभ्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ द्वोगा जो उत्त अभ्याय में 'दिया गया है।

मंग्राचा

'फ्लैंट नं० 802, 8-मंजिल, 13 टालस्टाय मार्ग, नई दिल्ली, 696 वर्ग फीट।

> मुधीर चन्द्रा, सक्षम अधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज-1, नई दिर्ल्ला

दिनांक: 30-1-1985 मोहर:

[भाग 111-खण्ड 1

भरूप आह^{*}.ट<u>ो.</u>एन.<u>ए</u>ध. ------

आथकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर ब्लयक्त (निरक्षिण)

अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली

नई दिल्लं:, दिनांक 11 फरवरी 1985

निवेश स० आई० ए०स.०/एक्यू०/1/37ईई/6-34/979-ए----अतः मझे सुध/र चन्द्र।

शायकर अधिानयम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पक्षात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया ह³), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सग्पत्ति, जिसका उचित वाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

ग्नौर जिसका सं० 54 ई है, तथा जो 13 नेहरू प्लेस, नई दिल्ली में स्थित है (ग्रौर इसने उपाबद्ध अनुसूचा में ग्रौर जो पूर्ण रूप से थणित है) रजिस्ट्रेलती अधिकार, के कार्यालय अर्जन रेंज-1, नई दिल्ला, म्रें भारत य आयकर अधिनियम, 1961 के अर्धान दिनांक जून, 1984

को पूर्वोयेस सम्पत्ति को उचित बाजार मूल्य से कम के उत्त्यमान प्रसिफल को लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके इत्यमान प्रतिफल से एसे इत्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिवास से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिसी (अन्तरितियों) को बीच एसे अन्तरण को लिए सय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्वदेय से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नही किया गया है:---

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय को बाबत, उवज्ञ अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचाने में सूविधा के लिए; और/या
- (ब) एसी किसी आय या किसी धन या जन्य आस्तियां का, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना बाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-गं के अनुज़रण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-व की उपंधारा (1) के अधीन, निम्नलिडित व्यक्तियां, अर्थात् :--- मै० कैलाम अपार्टमेन्ट, प्रा० लि० चांद सिनेमा, बिल्डिंग, तिलोकपुरी, दिल्ला-91

(अन्तरक)

2. श्रा संजय मलिकं, राहुल मलिक, राहित मलिक, सभा निवासी 305, थापर नगर मेरठ, यू० पी० (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्थवाहियां शुरू करका हूं।

उक्त संपरित के अर्जन के संबंध में क्रोई भी आक्षेप :---

- (क) इस सूचना को एआपत्र में प्रकाशन की तारीब से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति दुवारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 4'5 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्परित में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी को पास लिखित में किए जा सकोंगे।
- स्पथ्दीकरणः इसमें प्रयुक्त शब्दाें और पदाे का, जो उक्त अभिनियम, को अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में विया गया है।)

नन्स्वी

प्लैट नं० 54, दोगक बिल्डिंग, 13 नेहरू प्लैस नई दिल्ली सावादी: 825 वर्ग फीट ।

> सुष्ठीार चन्द्रा सक्षम अधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रोंज-1,नई दिल्ला

दिनांक : 11-2-1985 मोहर : प्ररूप आर्थः टी. एन. एस.-----

वायकर अभिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के जभीन सूचना

भारत बरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रज-1, नई दिल्ल

नई दिल्ली, दिनांक 14 फण्वरा, 1985

निदेश स० आई ए०सा०/एवपूर्ड/1/37ईर्ट/6-84/983-ए----अतः मुझे सुधार चन्द्रा

वायकर अभिनियम, 1961 (19k1 का 43) (जिसे इसम इसके पश्चात् 'उक्त अभिनियम' कहा गया है), की भारा 269-ख के अभीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्यास करने का कारण है कि स्थावर सम्पति, जिसका उचित बाजार सून्य 25,000/- रु. से अधिक ह

और जिसकी म० 812वी है तथा जा हेमकन्त टावर, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली में स्थित है (और इसमें उपानद्व अनुसूची में और जो पूर्णरूप से वर्णित है) रजिस्ट्र क्रतां अधिकाणी के कार्यालय, प्रजीन रेंज-1, नई दिल्ली में भारतीय प्रायकर ग्रधि-नियम, 1961 के अधीन दिनाक जून, 1981

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उप्सित सजार किय स कम क उत्पंगन प्रसिफल के लिए अतरित की गई है और मूक्ते यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूवाक्त सम्पत्ति का टचित वाजार मूल्य, उसके इत्यमान प्रतिफल स, एस ध्य्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिश्वत से स्थिक है और अतरक (अतरकों) और अंतरिती (अतरितियों) के बीच एसे अतरण थ किए त्या पाया गरा पति-फल निम्ननिधित उद्देश्य से उक्त अनरण निधित में आस्तथिक स्थ बे कथित नहीं किया गया है के---

- (क) बन्तरण से हुइ। किसौ आप की बौल्त, उक्ष्त अधिनियम के अधीन कर दोने के अन्तरक, जौ दायित्य में कमी करने या उससे बचने में सुविधा को सिए; और/या
- (क) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हु भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 को 11) या उक्त अधिनियम, 21 भनकर अधिनियम, 1957 (1957 को 27) को प्रयोखनार्थ अन्तुरिती अतारा प्रअंत नदी किला गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में कुविभा के निए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अन्सरण बॅं, मॅं, उक्त अधिनियम की धारा 269-व की उपधारा (1) इजिधीन, निम्नलिखित व्यक्तियॉं, जर्थात् .--- मै० हिन्दुस्तान, आर्मेस, एच० एस०-35, कैलाश, मार्केट, नई दिल्ली ।
 श्रीपती प्रमोदा दयाल, कुमारी बृन्दा दयाल, कुमारी ग्रनुराधा दयाल, 812-बी, हेमकुण्ट टावर, 98 न्रेहरू प्लेम नई दिल्ली ।
 (ग्रन्तरिती)

को यह सुधना जारी करके पूर्वोक्त सम्परित के अर्जन के सिए कार्यथाहिया करता हु।

उम्ब सम्परित के बर्जन के सम्बन्ध में काई भी काक्षप --

- (क) इस सूचना को राजपत में प्रकाशन को तारील से 45 दिन की अवभि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जा भी अवधि याद में समाप्त हाती हो, के भीतर पृर्धीवद्य क्यवितयों में से किसी व्यक्ति दूवारा।
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारील म 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबब्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास सिसित में फिए जा सकेग ।
- स्पध्तीकरण.--इसमें प्रयुक्त शश्चों और पदा का, जो उक्त अधिनियम, के अभ्याय 20-क में पुरिभाषित ही, बही अर्थ होगा जो उस अभ्याय में दिशा प्या ही।

वन्त्रची

पलैट न० 812-बी, हेमकुण्ट टावर, 98, नेहरू प्लेम, नई दिल्ली, तादादी 541 वर्ग फीट ।

> सुधीर चन्द्रा सक्षम प्रधिकारी नहायक श्रायकर श्रायुक्त (निरीक्षण) श्रर्जन रेज-I, नई दिल्ली

दिनाकः : 14-2-1985 मो**हर** ्

(भाग 111---छाण्ड 1

अकप बाई.टी.एन.एस.------

आयकार अभिनियम, ⁹1961 (1961 का 43) कौ भारा 269-व (1) के अभीन सूचना

भारत सरकार

म्भवसिम, सद्दायक जावक<u>र</u> वायुक्त (निर्दाक्षण) म्रार्जन रेज, 1, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 30 जनवरी, 1985

निदेश स० धाई० ए० सी०/एक्यू०/1/37/ईई/6-84/984ए----मतः मुझ सुधीर चन्द्रा

वायकर अभिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमे इसके पद्मात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विद्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उभित वाजार मूल्य 25,000/-रु. से अधिक है

मौर जिसको सं० 1005 ई, सथा जो 22, कस्तूरबा गांधो मार्ग, नई दल्ला में स्थित है (ग्रौर इससे उपावद अनुसूचा नें ग्रौर जो पूर्ण रूप से वणित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारों के कार्यालय अर्जन रेंज-1, नई दिल्ला में भारताय आयकर अधिनियम 1961 के अधान दिनीक जून, 1984

को पूर्वोंग्त सम्पत्ति क उचित वाजार मूल्य से कम के ध्रयमान प्रतिफल को लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोंक्त सम्पत्ति का उचित वाजार मुख्य, इसके दर्ध्यमान प्रतिफल से, एसे ध्रयमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिश्वत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंत-रिती (जंतरितियों) के नीच एसे जंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिकल निम्नलिखित उद्देवेय से उक्त अंतरण सिचित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया हो:---

- (क) अंतरण से हुई किसी आय की बाबस, उक्त विधिनियम के अधीन कर दोने के वंतरक वे दीयित्व वें कमी करने या उससे वचने में मुविधा के सिए; जौर∕वा
- (प) एंसी फिसी शाय या किसी भन या जन्य शास्तियों को, जिन्हुं भारतीय सायकर अभिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अभिनियम, या भनकर अभिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ संतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया जया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में द्विभा के लिए;

बतः अव, उक्त वधिनियम की धाँरा 269-ग के वनुसरम में, मैं, उक्त वधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) ∎ वधीव, निम्तलिचित व्यक्तिमाँ, वर्षात्य----

षिनांक : 30-1-1985 मोहर :

- 1. श्री राज।व गुप्ता, हरमिज विल।, ৪-ए, करमिकिल, रोड, ~ बम्बई । (अन्तरक)
- 2. श्री सार्वित अग्रवाल, (एच० यू० एफ०), मार्फत, यूनाईटेड, व्हतक्त्यू, प्रा० लि०, 20/1, आसफ अलं: रोड, नई दिल्ला। (ग्रन्नरिती)

को यह सूचना बारी करूके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हुने।

उक्त संपत्ति के वर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :----

- (स्र) इ.स. सूचना को राजपत्र में प्रकाशन की तारी का से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियाँ पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, को भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियाँ में से किसी क्यक्ति द्वारा;
- (ब) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन को तारीब से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकोंगे।
- स्पर्खाकरणः ----इसमें प्रयक्त शब्दों कोर पदौं का, जो उक्त अधिनियम के अभ्याय 20-क में परिभाषित है, बही जर्थ होगा जो उस अभ्याय में दिया गया है।

मनुसुकी

पर्लंट नं० 1005, विल्डिंग नं० 22, कस्तूरखा गार्धा मार्ग, नई दिल्लो, तादादी, 542 वुर्ग फोट।

> मुधोर चन्द्रा, सक्षम प्राधिकारी सहायक ग्रायकर आयुक्त (निरीक्षण) प्रर्जन रेंज-I,नई दिल्ली

भाग III--खाण्ड 1]

प्ररूप सार्ड, टी. एन. एस.------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-भ (1) के अधीन सुचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज-1. नई दिल्ली:

नई दिल्ली, दिनाक 12 फरवरी, 1985

निर्देश सं० आई०ए०सें:०/एक्यू०/1/37ईई/6-84/985----अतः मुझे, सुधीर चन्द्रा

कायफर अधिनियम 1961 (1961. का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया हूँ), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विग्वास करने का कारण हूँ कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मुल्य 25,000/- रंड. से विभिक्ष हूँ

ग्रीर जिनके से० 406/एफ-14 है, तथा जो कनाट प्लेस, नई घिल्ती में स्थित है (ग्रोर इसने उपाबढ अनुसूचा में ग्रीर जो पूर्ण रूप से बॉगत है) रजिस्ट्रें.कर्ता अधिक र' के कार्यालय अर्जन रेज-1, नई दिल्ला में भारत य आयकर अधिनियम 1961 के अधीन दिमाक जून, 1984

को पूर्वोक्त सम्मौति के उचित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विषवास करने का कारण है कि यथान्योंक्त सम्पत्ति का उचित बाजार (मूल्य, उसके ध्र्यमान प्रतिफल से, एसे ध्र्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिकत. निग्दलिखित उददव्य से उघत बन्तरण लिचित में वाम्नेन्कि रूप से काथित नहीं किया गया है:---

- (क) सन्तरण से हुइ किसी आम की गवत, उपक सथितियत्र को जधीन कर दोने के गन्तरक की दायित्य में कमी करने या उत्तस क्यने के हुविभा के लिए; जीर/मा
- (ख) एरेसी किसी आग या किसी धन या किसी आस्तियों को, जिन्हू^न भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, गा भत-कर अधिनियग, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती बवारा प्रकट नहीं किया गया भा वा किया थाना भाहिए जा, छिपाने में सुर्विभा के लिए;

अत: जब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधील, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :---

- 1. मै० कम्प/टेन्ट बिल्डर्म 101, कम्प/टेन्ट, ह/उस, एफ-14, कराट प्लेस, नई दिल्ती। (अम्टारक)
- 2. सुभ चेरिटेबिल ट्रस्ट, ए-439, डिफोन्स कालोनी, नई दिल्ली । सपन चेरिटेबल ट्रस्ट, 191, पदमा पैलेस, 86, नेहरू प्लेस, नई दिर्ल्ल, ।

(ग्रन्तरिती)

को यह सुचना जारी करके पूर्वीवत संपरित के अर्जन को सिद् कार्यवाहियां करता हुन्।

उन्दा संपरित के वर्जन के संबंध में कोई भी बाक्षेप :----

- (क) इस सुचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की मवभि या तत्संबंधी व्यक्तिया पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवभि, जो भी सबधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकासन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्ष्त स्थाधर संपत्ति में हितबबुध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास सिखित में किए जा सकगे।
- स्पद्धीकरणः---इसमें प्रयुक्त सक्यों और पत्नों का, जो उक्त अभिनियम के अभ्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अभ्याय में दिया गया है)

मन्दनी ,

फ्लैट नं० 406, कम्पोटेंट, हाउस, एफ-14, कन्तट प्लेस, नई दिल्ली, तादादी, 730.64, वर्ग फोट।

> सुधीर घन्द्रा सक्षम प्रतिवारी सहायक मायकर ग्रायुक्त (निर्ेक्षण) अर्जन रेंज-I, नई दिल्ली

तारीखा : 12—2—1985 मोहर व ्रत्रस्प आहूर्ड. टी. यम्. एम. ----

मायकर धाँभिनियम, 1961 (1961 का 43) कौ भारा 269-घ (1) के सभीन स्वना

भारत सरकार

कार्यालय, .सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेज-1, नई दिल्ल,

नई दिल्ली, दिनाक 28 जनवरी, 1985

निर्देश स० आई०ए०सी०/एक्यू०/1/37ईई/6-84/986ए----अतः मुझे सुधीर चन्द्रा

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इमके परचात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विख्वास करने का काण्ण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित वाजार मूल्य 25,000/-रा गे अधिक है

श्रीर जिसकी स० ब -49 है तथा जो फेडस कालोत , नई दिल्ली में स्थित है (श्रीर इससे उदाख अनुसूची मे श्रीर जो पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारों के कार्यालय, अर्जन रोज-1. नई दिल्ल मे भारत य आयकर अधिनियम, 1961 के अधोन दिगाक जून, 1984

को प्र्वोक्ति सम्पत्ति के उभित बाजार मूल्य से कम के इत्यमान प्रसिफल के लिए अन्शरित की गई है और मुभने यह विष्वास करूं का कारण है कि यथापूर्वाक्त सम्पत्ति का उभित बाजार मूल्य जसके इत्यमान प्रतिफल में एसे इत्यमान प्रतिफल का मन्द्रह प्रतिहात से अधिक है और अंतरक (अंतरकाें) और अंतरिती (बंतरिसियो) के बीच एमें जन्तरण के लिए त्रय पाया गया प्रति-फल, निम्नलिखित उद्यदेय से उक्त अन्तरण लिखित में धास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :---

- (क) सम्तरण से हुई किसी थाम की बावत उक्त वाधि-नियम के संधीन कर दोने के अन्तरक के दायित्य में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; माँद्र/या
- (च) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य जास्तियों को, किन्हु⁵ भारतीय वायकर अभिनियम, 1922 (1922 का 11) मा खकर अभिनियम, या चन-कर अधिरियम, 1957 (1957 का 27) को प्रयोजनार्थ जन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया दा या किया कार्ग जालिए वा, कियाने में सविभा दे जिए;

थतः वय. अपत वीधीनवम की थारा 269-ग वी अनुसरभ हो, में, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) धे अधीव, निम्नलिखित व्यक्तिमों, अर्थात् :---

तारीख: 28-1--1985 मोहर:

1 श्री गुरमुख सिंह, तिव सं, मकान न० 8, रोड, नं० 19, पंजाब: वाग, नई दिल्ल, ।

(अन्तरक)

2. श्रीःमती शारदा गुप्ता, निवासी: 8र्स /9, अब्दुल अजीज रोड, नई दिल्ल: -।

(अन्तरिती)

को यह मुचना जारी कारके पूर्वोक्त पम्परित के वर्षज् के लिए कार्यवाहियां कारता हुए।

उनन मध्यरिन के अर्जन के मग्बन्ध में कोई भी नाक्षेप :----

- (क) इस स्पना के राजपत में प्रवाशन की तारीब से 45 दिन की अवधि या तन्सम्बन्धी व्यक्तियों पर स्वता की तामील से 30 दिन की बगधि, वा भी स्वाद बाद में नमाप्त होती हो, के भीतर प्रातक व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति ख़ारा;
- (स) इन्स सूचना को राजपत्र में प्रकाशन की तारीस से 45 दिन के भीतर उक्त स्थातर संबन्धि मों किन्-बसूध किसी अन्य ब्दनित दवारा, अभोहल्ताक्षरी के प्रब लिखित में किए जा यकगो।
- स्पष्त्व किरणः —- इसमें प्रयुक्त शब्दा और पर्वों का, जो उक्क अधिनियम के बध्याप्र 20-क में यथा परिशाणित ह⁵, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिसम गया ह⁷।

<u>लम्सुची</u>

प्रो० न० च.-49, फ्रेडम कालॉर्त,, नई दिल्ली, **तादार्व;**ं 250 वर्गगज, (209वर्गमं,टर) ।

> सुधीर **अन्द्रा** संक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आ**युन्**त (निरीक्षण) जर्जन रेज, नई दिल्ल;

and the second second

- प्ररूप आई. टी. एन. एस. - - -

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा भारा 269-घ (1) के अधीन स्पना

भारत चुरकाड

फायसिय, सहायक आयकर आयुक्त (निद्रीक्षण)

ग्रजन रेज-I, नई दिल्ल।

नई विल्ला, दिनाक 29 जनवरी 1985

निर्वेग सं० आई० ए० मो०/एक्यु०/1/37ईई/684/989 ए---यतः मुझे, सुधार चन्द्रा

- वायकर अभिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-च के अधीन सक्षम प्राधिकारों को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25.,000/- रु. से अधिक है
- भौर जिसकी सं० 405 है तथा जो 13 टाल स्टाय मार्ग, नई दिल्ली मे, स्थित है (श्रौर इससे ज्याबद अनुसूचा में श्रौर ओ , पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय अर्जनरेंज-I, नई दिल्ली मे आय पर अधिनियम, 1961 के अधीन दिनांक जुन, 1984

को पूर्वोंक्स सम्पत्ति के उयित बाजार मूल्य से कम के इष्यमान प्रतिफल को लिए रजिस्ट्रीकर्ता को कार्यालय शिवाजीनगर में धारा 269 ए. बी. को अंतर्गत सक्षम अधिकारी के मम्म्स/के पास रजिस्ट्रीकृत किया गया है मुक्ते यह विश्वास करने का कारण हू कि यह यक्षा पूर्वोंक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके द्र्य्य-मान प्रतिफल से, एसे द्र्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से बभिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच एसे अन्तरक (अन्तरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्न-सिखित उद्द क्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :----

- (क) बन्तरण सं हाइ किसी काथ को बाबत, उक्स बाधिनियभ को बधीन कर दान को बन्सरक छो दायित्व में केसी करने में। उससं बंचने में। सुविधा को निए; जौर/य;
- (ख) एरेसी किसी आप या किसी धन या बन्य आस्तियाँ को जिन्ह² भारतीय आयंकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-केंग्र अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकर्टनष्टी किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सजिधा के लिए;

- मै० बक्शां विकम विक श कन्स्ट्रक्शन कं० (प्रा०) लि० 13-टालस्टाय मार्गु. नई दिल्ला।
- . (अन्तरक) 2. डा० देविन्दर पूरो स्रोर श्री संजेव पूर: 🖌
- निवासो ब।-4 गुजरन आला टाउन नई दिल्ली। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सप्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हू

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई आक्षेप ह---

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की सारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पर्वोक्त ब्यक्तियां में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सुचना के राजपत्र में प्रकाशन की सारीख स 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्धध किसी अन्य व्यक्ति ट्वारा अधोहस्ताक्ष्री के पास लिखित में किए जा सकोंगे।

मन्सभी

आफिस स्पेस नं० 405 तादादी 696 वर्ग फीट, 4-मजिल, बहु-मंजिली इमारत. 13--टालम्ट रा मार्ग, नई दिल्ली ।

> मुर्धःर चन्द्रा सक्षम प्राधिकारी महायक आयकर आयुक्त (निरोक्षण) श्रर्जन्त रेज-I, नई दिल्ल.

सारीख : 29-1-1985

मोहर ः

(माग।।। --- जण्ड 1

प्रकण वार्द्र, टी. एन. एव. -----

बायकर जीधनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ज (1) के अधीन सूचना

मारत सरकार

कार्यांलय, सहायक आयकर आयुक्स (निरीक्षण) अर्जन रेज-I, नई दिल्लं,

नई दिल्ली, दिनाक 28 जनवरी 1985

ंनर्देश म० आई०ए०र्स ० एक्यू०/1/37ईई/6-84/990ए---। मुझे, मुधीर चन्द्रा

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के सधीन सक्षम प्राधिकारों को यह विद्याम करने वा कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य '25,000/- रु. से अधिक है

श्रीर जिसकी स० 506 है तथा जी 13--टानस्टाय मार्ग, नई दिल्ली में स्थित है (श्रीर उपने उपावढ अनुमूची मेश्रीर जो पूर्ण म्लप से वणित है) रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकार के कार्यालय अर्जन रेंज-I, नई दिल्ली में आयकर आधिनियम 1961 के अधीन दिनाक जून 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति को उचित बाजार मूख्य से कम के इष्टयमान प्रतिफल को लिए अन्तरित की गई और मूभे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, एसे दृश्यमान प्रतिफल का पुद्रह प्रनिशत में अधिक है और अतरक (अतरकारें) और अंतरितो (अंतरितयों) के बीच एसे अतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्दश्य में उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया ही ---

- (क) जन्तरण से हुइ किसी आय की बावत, उक्स अधिनियम के अधीन कर दोने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने से सूविभा शीलए. बीर/मा
- (ख) एसी किसी आय या किसी भन रुग अन्त अंग्लियो को जिन्हे भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या भनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गवा था या किया जामा भाहिए था, छिपाने में सुनिधा के लिए;

अत अद, उक्त अधिनियम, की भारा 269-ग के अन्सरण म, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-ए की उण्धारा (1) के अधीन, निम्नलिम्बित व्यक्तियो, अर्थात् --- मै० बक्शो, विक्रम विकास कन्स्ट्रशन, कं० प्रा० लि० 13-टालम्टाय मार्ग, नई दिल्ली।

(अन्तरक) 2 श्रीमतः सं.तादेवाः श्री धरम वीर अग्रवाल भौर श्रा राजेश अग्रवालः निवासा-302/3, कौशल्या पार्क हौज खास, ूनई दल्लं। । (अन्तरिती)

को यह सुघना थारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के वर्षन के लिए कार्यवाहिया करता हूंगे।

बक्त सम्पत्ति के कर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आकोए :----

- (क) इस सूचना के राजपत में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की ववीध या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर मूचना की तामील से 30 दिन की ववीध, जो भी बन्धि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वों के व्यक्तियों में से किसी जाक्ति बुवारा;
- (क्त) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाधन की वार्टीय के 45 दिन के भीतर उक्त स्थानर सम्पत्ति में हित्बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकोंगे।
- स्पच्टीकरणः इसमें प्रयुक्त सब्दों और पदों का, जो उक्त जभिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, बही अर्थ द्वोगा को उस अध्याय, में दिवा गया है।

मन्त्रभौ

आफिस पर्जेट नं० 506, तादार्द, 390 वर्ग फीट, बहु-मंजिल, इमारत, 13--टालस्टाय मार्ग, नई दिल्ली। ह

> सुधीर चन्द्रा सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेज–I,नई दिल्ल.

तारीख : 28-1-1985 मोहर : प्ररूप बाई.टी.एन.एस. -----

वांयकर कॉभनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सुचना

भारत सरकार

भार्यालय, सहायक मायकर मायुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेज-1, नई दिल्ली

नई दिल्ला, दिनांक 30 जनवर) 1985

निदेश सं० आई०ए०सं/० एक्यू०_थ1/37ईई/6-84/991/----अत: मुझे, सुर्धार चन्द्रा

भावकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें सिंक भश्माल 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-व के नधीन सेक्षम प्राधिकारी का यह विकास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित नाजार मूल्य 25 000/ रु. से व्याक ही

म्नौर जिसकः सं० 907 है. तथा जो 89 नेहरूप्लेस, नई दिल्ली में स्थित है (और इमस उपाबद्ध अनुसूचो में और जो पूर्ण रूप में वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिक रा के कार्यालय अर्जन रेंल-1, नई दिल्ली में भारतीय आयकर अधिनियम, 1961 के अध.न दिनांक जून, 1984

को पूर्धावत सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित को गई है और मूफ यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वावत सपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दश्यमान प्रतिफल स, एस दश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और बन्तरिती (अतरितियों) के बीथ एसे अतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देष्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नही किया गया है :---

- (क) अन्तरण से हुई जिसी आय की बाबत उक्त बाधिनियम क अर्धान कर दल के अन्तरक के बायित्व में कभी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या
- (श) एरेसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्ही भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या भन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनाथ अप्तरिती द्वारा प्रकाट नहीं किया गया था या जित्या जाता खाहिए था, छिपाने में प्रतिधा को निए।!

बतः अब, उक्त अधिनियम कर्र धारा 269-ग के अनुसरण में; मैं, उच्क्त अधिनियम की धारा 269-ो की उपधारा (1) को अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :

दिनांक : 30-1-85 मोहर :

1 में ब्राडवें रावर्म, (इंडिया), प्रा० लि० बं:-102, ग्रेटर कैलाश-1, नई दिल्लें।

(अन्तरक)

2 श्रा यजपाल संगारी, श्रौर श्रीमती वीला संगारी, निवामा 6/53-को, पंजाबी वाग, नई दिल्ल, ।

(अन्तरिती)

को यह सुभनाजारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए. कार्यवाहिया करता हु।

उक्त सम्पत्ति के बर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप 🛵 🛶

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना को तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वीक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के उपजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपरित में हितबय्ध किसी उन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकोंगे।
- स्पष्टीकरणः—–इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वहां अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया। गया **है**।

मन्स्भी

फ्लैट नं े 907, तादादी, 551 वर्ष फीट, 89 नेहरू प्लेस, नई दिल्ली ।

> सुधीर भन्द्रा सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरोध्धण) अर्जन रेंज- 1 दिल्ली,नई दिल्लो

[मागः [] [--खण्ड 1

श्ररूप काइ^क्टी एन. **ए**स्.,

मायकर माधिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269 प (;) के अधीन समना

RISC ECON

भार्यानय, अहायक वायकर आयुक्स (निद्रौक्षण) अर्जन रेंज-I, नई दिल्ला

नई दिल्ला दिनांक 14 फ़रवरी 1985

निदेश सं० आई०ए०सी०/एकपू०/1/37ईई/6-84/992 ----मत: मुझे, सुधीर चन्द्राः

वायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहांगया है), को घारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपति, जिसका उभित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

मोर जिसका सं० 2 है, तथा जो 36, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली में स्थित है (श्रौय इससे उपाबढ़ अनुसूचा में श्रौर जो पूर्ण रूप से वणित है) रजिस्ट्राकर्ता अधिकार। के कार्यालय, अर्जन रेज-1, नई दिल्ली में भारतीय आयकर अधिनियम 1961 के अधान दिनांक जून, 1984

को पूर्वनित सम्पति के उचित नाजार मूल्य से कम के एरयमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुभ्धे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित नाजार मूल्य उसके दश्यसान प्रतिफल से, एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्सरितियों) के बीच एसे अन्तरण ये लिए तय पाया गया प्रतिफज निम्बलिसित उद्येक्ष थं उच्छ धन्तरण सिवित वा मास्तविक्ष रूप से कथित नहीं किया गया है :---

- (क) अन्तरक से हुँई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर दोने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; आरे/या
- (ख) एसी निग्ती आय या किसी धन या अन्य मास्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम 1922 (1922 को 11) मा उक्त अधिनियम, या भन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया नदा था भा किया थाना पाहिए था, छिपाने को सुविभा के सिए;

भतः। सय, उक्स अधिनियमः, की धारा 269-न वे अमुसरण् में, मैं, उक्स अधिनियम की धारा 269-व की उपशारा (1)' के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, पर्धात् :---- 1 श्री जतिन्दर मोहन राणा श्री आरणिन्दर मोहन राणा भौर श्रीमती अन्तर प्रति कालरा, निवासो 37-ए फर्जन रोड, दालानवाला, बेहरादून : (अस्तरक)

 भास्टर, अर्जुन गुप्ता, मास्टर नकुल गुप्ता, सुपुत्र श्री अविनाग चन्द गुप्ता, निवासी एस-481, ग्रेटर कैलाग, नई दिल्सी। मास्टर, नेखिल लाल श्रौर कुमारो रितीका लाल, सुपुत्र एवं सुपुत्री, श्री अभवनी लाल, निवासी एस-487,ग्रेटर कैलाग, नई । दल्ला।

(अन्तरिती)

का कह मुचना थारों कारके पूर्वोंक्त संपत्ति के लजन के लिए कार्यवाहिया कारदा हूं।

स्वत् सुन्द्रित् में अर्थन् के सम्बन्ध में कोई भी बासेन्द्र--!

- (क) इस सूचना के उपपत्र में प्रकाशन की सारीय में 45 दिन की अवधि या तरसंबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की जवपि थों भी ब्यूचि बाद में सवाप्त होती हो, के मीतर पूबों का व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (व) इस स्थना के राजपत्र में प्रकाशन की तार्रांश से 45 दिन को भीषर उक्त स्थावर संपरित में हितबद्ध किसी बन्य व्यक्ति द्वारा, अभोद्दस्ताकरी के बाब चिविस में किए वा स्कोंगे।
- स्पष्टीकरणः इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, खां उसत अधिनियम., के अध्याय 20-कमें परिभाषित इ⁵, बही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया नया है।

श्रनुसूत्री

स्पेस नं० 2, तादादी, 637 वर्ग फीट, 5-मंजिली, 56 नेहरू प्लेस, नई दिल्ला।

> मुधीर चन्द्रा सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज–1, ग्रप्रवाल हाऊस 4/14/5, आसफअलो सोड, नई दिल्ली

तारीख: 14-2-1985 मोठर ड The second s

बायकर अभिनियम, 1961 (1961 का 43) की पारा 269-ज (1) के अभीन स्पना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक औयकर आयुक्त (निरक्षिण) अर्जन रेज जमुरुक्ष

अमृतसर, दिनाम 24 जनवरी 1985

निदेश सं० ए०एन० ऑ४/८ ।-85/163---यन्: मुझे, एम० सी०, कपिल, आई० आर० एस०

- मायकर मधिनियम, .1961 (196 1का 43) (जिसे इसमें इपके परधात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया ही), को भारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण् ही कि स्थावर सभ्पत्ति, जिसका उचित ज्ञाजार मूच्य 25,000/- रु. से बधिक ही.
- मौर जिलकी सख्या धूमि का प्लाट है तथा जे मर्जाठा रोड के पीछे, अमृतसर में स्थित है (श्रार इससे उपावड अनुसूची में श्रीर पूर्ण रूप से वर्णित है), रॉजर्स्ट्राकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय अमृतसर में रॉजस्ट्राकरण रॉधिनियम, 1908 (1908 का 16) के जधान, रॉर्सर जून, 1984

को पूर्वीक्त सम्पत्ति के उचित वाजार मृल्य से कम को टश्यमान प्रतिफल को लिए अन्तरित की गर्द मौर **म्भे यह** विश्वास यारने का कारण है कि यथापुर्वोक्त सम्पत्ति का उच्चित बाजार मुल्य, उसके इपय-मान प्रतिफल से, एरेंग इत्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अभिक है और अंतरक (अतरकों) और अवरिती (अतरितियो) के बीच एसे अंतरण के लिए तम पाया गया प्रतिफल, निम्न-मिसित अयुप के से उक्त अतरण लिखित में वास्तीयक रूप से कथित नहीं किया गया है '---

- (क.) जन्तराण को तुँद फिसी अगम की वाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर दोने के अन्तरक को दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा की सिए; और/शा
- (1) एंसी किसी जाय या किसी धन या जन्य आस्तियों करे, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 1) पा उन्ते काधितित्म, या धनकर अधिनियम, 1857 (1957 रा 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रजर नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, स्टिवाले ले सुविधा के सिए;

वत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुस. को, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ध की उपधारा (1) के जणीन, निम्नलिखित ध्यक्तियों अर्थात् :---

- 1. श्री सुरर्जात पन्द, पुत्र श्री किशन चन्द, श्रीमती नीलम कान्दा पत्नी श्री विजय कुमार, शरीफपुरा, अवमृतसर । (अन्तरक)

 2 श्री लखबीर सिंह पुत्र श्री सोथन सिंह, गली बाबा बकाला जिला-अमृतसर (अन्तरिती)

 (3) जैसा कि ऊपर मं० 2 में कोई किराएदार हो ।
- (वह को किंत, जिसको अणिभोग में सम्परित है) (4) ई
 - (थह व्यक्ति, जिनके बारे में अक्षेहस्ताक्षरी जानता है कि यह स्परित में हितब्द्ध **है**)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पर्धित के अर्जन के लिए कार्यवाहिशां करता हूं।

सक्त सम्परित के अर्थन के सम्बन्ध में कोइ। भी आ कोप त----

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तरसम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचन की तामील से 30 दिन की खवधि, खां भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त . व्यक्तियों में चे किसी व्यक्ति द्याग,
- (ब) इस सुधना को राजपत्र में प्रकाशन की तारीस से 45 दिन को भीतर उक्त स्थावर संपरित में ष्ठितबब्ध किसी अन्य व्यक्ति ब्दारा अवोहस्ताक्षरी को पास लिखित में किए जा सकोंगे।
- स्पष्टीकरणः --इसमें प्रयुक्त कथ्यां और पर्दो का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया स्या है।

- मन्स् ची

एक भूमि का प्लाट 200 व॰ग॰ जो मर्जाठा रोड के पीछे, आंखों के हस्पताल के पास, अमृतसर मे है जैसा सेल डीड नं० 2095/ 12-6-84 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी अमृतसर में दर्ज है।

> एस० सी० कपिल, सक्षम प्राधिकारी सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरोक्षण) अर्खन रेंज, अमृतसर

तारीख: 24-1-1985 मोहराध 8826

UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION

New Delhi, the 25th January 1985

No. A 32014/185-Admn. III—In partial modification o this office Notification No A. 32014/1/84-Admn III, dated 9-1-1985, the President is pleased to appoint the following Section Officers of the CSS cadre of the Union Public Service Commission to perform the duties of Desk Officers on *ad-hoc* basis in this office for the period indicated against each or until further orders, whichever is earlier —

SI. Name No.	Period
1. Shri K. P Iyer	26-11-84 to 30-6-85
2. Shn Ram Autar	30-11-84 to 30-6-85
3. Shri Sudesh Kumar	30-11-84 to 30-6-85

2. The above noted officers shall draw a special pay @ Rs, 75/- p m in terms of Deptt. of P. & A. Rs O. M. No. 12/1/74-CS(1), dated 11-12-1975.

No. A 32014/1/85-Admn III—The President is pleased to appoint the following Assistants of the CSS cadre of the Union Public Service Conmission to officiate as Section Officers on ad-hoe basis for the period indicated against each or until further orders, whichever is carlier.—

SI, Name	Period of ad-hoc
No.	° appointment
1. Shri S. L. Kumar	28-2-85 to 29-3-85
2. Shri P. John	4-2-85 to 29-3-85
3. Shri A S. Jat	14-1-85 to 29-3-85
4. Shri C L Bhat	24-1-85 to 29-3-85
5. Shri Bhanathi Kumar	12-1-85 to 29-3-85
6. Shri Tara Singh (SC)	15-2-85 to 29-3-85

The 31st January 1985

No. A 38013/2/83-Admn II.—Consequent upon her retirement on superannuation with effect from 31st January, 19855 (Afternoon), Smt D. J. Lalwan, a permanent Technical Assistant (Hollerith) and a regular Superintendent (DP) has relinquished the charge of the office of Superintendent (DP) in the office of the Union Public Service Commission.

> M. P. JAIN Under Secy (Admn.) Unic) Public Service Commission

CENTRAL VIGILANCE COMMISSION

New Delhi, the 12th February 1985

No. 2/4-Admn — The Central Vigilance Commissioner hereby appoints Shri Surinder Paul, a permanent Section Officer and offic ating PS to CVC. in the Central Vigilance Commission as Under Secretary in the Commission on ad hoc basis in the scale of pay of Rs. 1200—1600 for a period of 89 days we f. 10 12 84 or till Shri Brahm Dutt, Under Secretary, resumes duty, whichever is earlier.

The 15th February 1985

No DK PRS 61—Consequent upon his appointment as Joint Secretary, in the Department of Personnel & A R, Shri D. C. Gupta, IAS (OR \cdot 67), Director, Central Vigilance Commission, is relieved of his duties with effect from 14-2-1985 (FN) to enable him to take up his new assignment.

K. L. MALHOTRA

Under Secy (Admn) for Central Vigilance Commissioner

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

DEPARTMENT OF PERSONNEL & AR CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION

New Delhi, the 18th February 1985

No A-19019/1/18 ADV (Vol II) —In supersession of Head Office Notification of even number dated 12 2 1985, Shri E N Remson relinquished charge of the office of Additional Director/Central Buteau of Investigation and Special Inspector General of Police, Special Police Fital islament or the afternoon of 31st January, 1985 after the expiry of reemployment from 1 8 1984 to 31 1 1985

> R S NAGPAL Administrative Officer (E) CBI

BUREAU OF POLICE RESEARCH & DEVELOPMENT

New Delhi 110001, the 12th February 1985

No 3/3/85-Adm I — The President is pleased to appoint Shri Kishore Kunal IPS (Gujanat-1972) as Assistant Director in the Bureau of Police Research & Development with effect from the forenoon of 29th January 1985, until further orders.

> S K. MALLIK Director General

DIRECTORATE GENERAL (RP FORCE New Delhi-110 003, the 13th February 1985

No O II-1896/83-Lstt I — Consequent on his appointment as Inspector General (HQrs), Central Industrial Security Force, New Delhi on tenure deputation basis, Shri O. P Bhutani, IPS (UP-1952), has handed over charge of the post of IGP, S/IV, CRPF, Shillong in the forenoon of 07-1-85

No. D I-30/84-Estt-I — The services of Shri M D Deshmanya, Dy SP of 2nd Bn, C RPF are placed at the disposal of Government of Tripufa on deputation basis with effect from 23-1-85 (AN)

The 15th February 1985

No O II 1281/76-Estt —Consequent on his retirement from Government service, Shii Balwant Singh relinquished the charge of the post of Dy. S.P., GC, CRPF, New Delhi in the afternoon of 31 12 84

No O II-1466/80-Estt—consequent upon his appointment as Divisional Organiser in the HP Division of the S S B. at Simla, in the rank of Inspector General of Police on tenure basis, Shri I B Negi, IPS (UP-1958) handed over charge of the post of Deputy Director (Adm), Directorate General, CRPF, New Delhi on the forenoon of 17th October, 1984.

ASHOK RAJ MAHEPPETHI Assistant Director (Estt)

MINISTRY OF LABOUR & REHABILITATION I ABOUR BUREAU

Shimla-171004, the 2nd March 1985

No 23/3/85 CPI --- The 411 India Consumer Price Index Number for Industrial Workers on Base, 1960 ± 100 has remained stationary at 588 (Five hundled eighty eight), for the month of January, 1985 Converted to Base: 1949 ± 100 the index for the month of January, 1985 works out to 715 (Seven hundred hiteen)

> J N SHARMA Joint Director Labour Bureau

MINISTRY OF FINANCE DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS BANK NOTE PRESS

Dewas, the 10th February 1985

F No BNP/C/5/84—Shri A K Rastogi an adhoc Hindi Officer in the scale of Rs 650—1200 is reverted to the post of Hindi Translator in the scale of Rs. 425-700 (Group 'C') in Bank Note Press, Dewas with effect from 10.2.1985 (afternoon).

M. V. CHAR General Manager

INDIA GOVFRNMENT MINT

BOMEAY MINT DIARY

atta) suon dans

Bombay, the 2°1d January 1985

Older No. 284.—Consequent on the termination of the adhoc officiating atrangement of Shri S. V. Khadilkar as Dy. Chief Assayer with effect from 1-10-34, shii D. D. Koli, officiating Assay Supdt. (Garcticd) the was promoted to that post in the vacancy caused by the promotion of Shri S. V. Khadilkar, stands reveal d to his substantive pos of Asstt. Assay Supdt. (Non-Gazelted) with effect from the forenoon of 1st Oct., 1984.

Order No. 285.—The promotion of Shri S. D. Damle, as Assay Superintendent vide Bombay Mint Diaty Order No. 241 dated 1st December, 1984 is hereby cancelled

Order No. 286.—In accordance with the instructions contained in the Ministry of Finance, Deptt. of Feonomic Affairs New De hi. D.O. letter No. F.2/28-31-Coin deved 3-1-1985, the ad-hic arangement of Shri S. V. Khad Ikar as Dy. Chief Assayer is terminated with effect from 1-10-1984. Shri S. V. Khadilkai therefore, stands reverted to his substantive post of Assay Superintendent with effect from the same date.

G. R. KAHATE General Manager

INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT) KERALA

Trivandraum, the 14th February 1985

No. Entt & Cash/1/10-3/84-85/iC2—Shri P. M. Thomas, Audit Officet and Smt. P. P. Muuanma, Assistant Audit Officer, of the Office of the Accountant General (Audit) Kerala Trivandrum retired from service on superannuation on 31-1-1985 AN.

> V. LAKSHMINARAYANAN Accountant General

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (ACCOUNTY) - ALADHYA PRADESH

Gwallor, the 19th January 1985

No. Admn-I/G.Os Prom. 301 — Accountant General (A & E) Madhya Pradesh, Gwalior been pleased to promote the undermentioned officiating. Section Officer as Accounts Officer in an officiating capacity in the scale of Rs. & 40-40-1000-EB-40-1200, until further orders, with effect from the date of his taking over as noted against his name

Sl No.	Namé	Permanent	Dute of taking over.
1. Sh	ri N. C. Nim	02/2022	31-12-34 Fore-noon,
[4]	uthority A. G	. (A & F) M. P. Ord Sr. Dy. Account	ler dt. 22-12-84]. (Sč.) Illegible tant General (Admn.

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT)-J, UTTAR PRADESH

Allahabad, the 8th February 1985

No. Admn./A.G. (Av4.)-I/13-7/1892.-Following nermanent Audit Officers of the Office of the Accountant General (Audit)-II, Uttar Bradesh Allahabad have re ired from Government Service with effect from 31 January 1985 (A.N.)

Shri Ram Singh
 Shri Purshottam Prasad Tripathi.

B. K. CHATTOPADHYAY Sr. Deputy Accountant General (Audit)

OFFICE OF THE DIRECTOR OF AUDIT DEFENCE SERVICES

New Delhi, the 14th February 1985

No. 5298/A-Adm/130/82-84.—On attaining the age of superannuation Shri Gurbaksh Singh, Substantive Audit Officer, reured from service, with effect from 31-1-1985 (A N.)

B. S. TYLE Jt. Director of Audit, Defence Services

MINISTRY OF DEFENCE

INDIAN ORDNANCE FACTORIES SERVICE

ORDNANCE FACTORY BOARD

Calcutta, the 5th February 1985

No. 3/G/85.—On attaining the age of superannuation (58 years) Shri Nani Gopal Dutta, Offg. AWM (Subst. Foreman) retired from service w.e.f. 31st Oct., 1984 (AN),

V. K. MEHTA Deputy Director General

MINISTRY OF COMMERCE

OFFICE OF THE CHIEF CONTROLLER OF IMPORTS & P EXPORTS

New Delhi, the 7th February 1985

IMPORT AND EXPORT TRADE CONTROL

(ESTABLISHMENT)

No. 6/1354/81-ADMN(G)/970.—On attaining the age of superannuation, Shri Bhagat Singh Assistant Director (Draw Back) in this office retired from Government service with effect from the afternoon of the 31st January, 1985.

No. 6/1429/83-ADMN(G)|1033.-On attaining the age of superannuation Shri N. L. Ghosh, Controller of Imports and Exports in the Office of the Joint Chief Controller of Imports and Exports, Calcutta, retired from Government service with effect from the afternoon of 31st May, 1984.

The 11th February 1985

No. 1/4/85-Admn(G)/1011.—The President is pleased to appoint, Shri S. P. Sharma, Desk Officer in the Ministry of Commerce, as Senior Administrative Analyst in the Office of the Chief Controller of Imports & Exports, New Delhi with effect from 30th Januarly, 1985 (AN) on deputation basis.

M. P. ISAAC Dy. Chief Controller of Imports & Exports for Chief Controller of Imports & Exports

- -----

DIRECTORATE GENERAL OF SUPPLIES & DISPOSALS

(ADMN. SECTION-6)

New Delhi-110001, the 14th February 1985

No. A-1701/36/71/A-6.—Shri A. G. Thadani, & permanent Assistant Inspecting Officer (Engineering) in the office of Director of Inspection, Bombay retired from Government Service on the afternoon of 31st January, 1985 on attaining the age of Superannuation.

S. L. KAPOOR Dy. Director (Admn.) for Director General, Supplies & Disposals

[PART III—SEC. 1

New Delhl-110001, the 13th February 1985

8828

No. A 17011/291/85-A6.—The President is pleased to appoint Shi J. K. Chaudhary, Superintending Engineer (Electrical), Hylerabad under the C.P.W.D. as Director of Inspection (O^{*}_{1} de 1 of Indian Inspection Service, Group 'A') with effect from the forenoon of 14th January, 1985 on deputation basis for a period not exceeding three years.

2. Shri J. K. Chaudhary relinquished charge of the post of Superintending Engineer (Elec) at Hyderabad on the afternoon of 10th January, 1985 and assumed charge of the post of Director of Inspection in the Directorate General of Supplies and Disposal, New Delhi on the forenoon of 14th January, 1985.

The 15th February 1985

No. A-17011/16/71-A6.—The President is pleased to appoint Shri T. S. Sandhu, Dy. Director of Inspection (Engg.) (Grade II of the Engineering Blanch of the Indian Inspection Service, Group 'A') to officiate as Director of Inspection (Grade I of the Indian Inspection Service, Group 'A') in the scale of Rs 1500-50-1800-100-2000 on ad hoc basis with effect from the forenoon of 4th Feb. 1985, vice Shri G. Sivaraman, Director of Inspection proceeded on leave for 89 days w.e.f. 4-2-1985 to 3-5-1985.

2. The appointment of Shri T. S. Sandhu as Director of Inspection (Grade-I of Indian Inspection Service, Group 'A') is subject to the outcome of the three LPAs bearing Nos. 67/83, 68/83 and 69.83 filed by the Union of India in Delhi High Court and Writ Petition Nos. 3001/83 and 35/83 filed by Shri S. C. Anand, D.D.L., in Bombay High Court and transferred to Delhi High Court which are still pending in Delhi High Court.

3. Shii T. S. Sandhu telinguisehed charge of the post of **Dy**. Director of Inspection (Engineering) and assumed charge of the post of Director of Inspection in the Directorate General of Supplies and Disposals, New Delhi, w.e.f. the forenoon of 4th February, 1985.

S. L. KAPOOR Deputy Director (Administration)

MINISTRY OF STEEL, MINES AND COAL

DEPARTMENT OF MINES

INDIAN BUREAU OF MINES

Nagpur, the 11th February 1985

No. A-19011(20)/84-PP.—On his retirement after attaining the age of superannuation Shri N. L. Chatterjee, Reigonal Controller of Mines is relieved of his duties in the Indian Bureau o. Mines with effect from the forenoon of 1st Feb., 85 and accordingly his name has been struck off the strength of establishment of this Department.

The 16th February 1985

No. A-19012(100)/77-Estt.A.—Shri V. K. Tarsekar, Officlating Assistant Chemist, Indian Bureau of Mines, has relinquished the charge of the said post with effect from 31.1.85 (Afternoou) on his proceedings on deputation to the Department of Patent Information System, Nagpur.

> P. P. WADHI Administrative Officer for Controller General Indian Bureau of Mines

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA New Delhi-1, the 15th January 1985 CORRIGENDUM

No. F. 8-9/83-Estt.—The following amendments are made in this D-partment's No⁺ification of even number dated 25th August, 1984.

In lines 1 & 2 of the said Notification, "Smt. Sudha Rani Shārma : nd Shri S. R. Bhataja" may be read as "Smt. Sudha Rani Sarma and Shri S. R. Batheja".

The other matter of the Notification remain unchanged.

Sd/- ILLEGIBLE Director of Archives Government of India DIRECTORATE GENERAL: ALL INDIA RADIO

New Dulht-1, the 16th February 1985

No. 4(34)/81-Sf.—Shri P. Srinivasan, Programme Executive, All India Radio, Fizuchirapalli will hereafter be known as K. P. Srinivasan.

H. C. JAYAL Dy. Director of Administration for Director General

DEPARTMRENT OF FORESTS AND WILDLIFE WILDLIFE INSTITUTE OF INDIA

TRACTOR REPORT AND

Dehra Dun, the 14th January 1985

No. 1- 2/84-WII/94.—In continuation of this Institute notification No. 112/84-WII/3(22)B, dated 27.1.84, the undersigned is pleased to continue the ad-hoc appointment of Shri C. P. Palwa, as Administrative Officer in the Wildlife Institute of India, Dehra Dun, for a further period of one year with effect from 9th January, 1985, or till the post is filled on a regular basis, whichever is earlier.

> V. B. SAHARIA Director, Wildlife Institute of India

MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING FILMS DIVISION

Bombay-400 026 ,the 7th February 1985

No. 9/31/49-Est.I.—Consequent on attaining the age of superannuation., Shri H. G. Bhandatkar, relinquished charge of the post of Assistant Administrative Officer in Film Division, Bombay in the afternoon of 31st January, 1985.

N N. SHARMA Administrative Officer for Director of Administration

and and they are all the first and the second states and the second second second second second second second s

MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES

(DEPARTMENT OF FOOD)

DIRECTORATE OF SUGAR

New Delhi-11001, the 19th February 1985

No. A.32014/1/83-F5TT — shii Dem Prasad, an Assistant (Accounts and Statistics) (Selection Grade) in this Directorate has been appointed to officiate on purely temporary and ad-hoc basis, in the post of Section Officer (Accounts and Statistics), a Group 'B' (Gazetted) post in the pay scale of Rs. 500-20-700-EB-25-900 in the same Directorate, with effect from the 5th January, 1985 (Forenoon) and until further orders.

> V. LAKSHMI RATAN Chief Director

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

EDING & WITHOUT IN A DAMAGE TO THE OWNER.

REACTOR RESEARCH CENTRE

Kalpakkam, the 2nd January 1985

No. RRC/A-32023/1/83-R.- In continuation of this Centre's Notification of even number (17237) dated November 21, 1984 Director, Reactor Research Centre has extended the peiod of efficiating promotion of Shri Killikuli agata Maman Velayudhan, a permanent Assistant Accountant of this Centre as Assistant Accounts Officer in the same Centre for the period from 1-1-85 to 31-1-85 or until further orders, whichever is earlier in an officiating capacity on an ad hoc basis.

> Kum. S. GOPALAKRISHNAN Administrative Officer

N.F. RAILWAY	scale of IRAS with effect from 1-1-83.
Maligaon, the 12th February 1985	This issues with the approval of GM/N.F. Railway/Mali-
MEMORANDUM	gaon.
No. E/55/III/97(0).—Shri K. B. Nanda an officer in IRAS is hereby confirmed against an existing vacancy in junior	Sd/- ILLEGIBLE fer General, Manager (P)

OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF CIVIL AVIATION

New Delhi, the 15th December 1984

No. A. 32014/3/84-EC (Pt.) (.)— The Director General of Civil Aviation is pleased to appoint the following Technical Assistants to the grade of Asstt. Tech. Officer on ad-hoc basis in the pay'scale of Rs. 650-1200/- for a period of six months w.e.f. the date of their taking over charge of the higher post or till the post is filled on a regular basis whichever is earlier and to post them to the stations indicated against each:—

SI. No.	Name	Present Stn. of posting	Station to which posted	Date of [*] aking ov charge.
1	2	3	4	5
5/Sh				
1.	P.S. Narayanan	Madras	Madras	25-8-84 (FN)
2.	N.K. Sood	Bombay	Aurangabad	13-9-84 (FN)
З.	K. Velayudhan II	Trivandrum	Trivandrum	27-8-1984 (FN)
4.	V. K. Sharma	Nuh	Lucknow	29-9-84 (FN)
5.	K. Muthukrishnan	Nagpur	Nagpur	31-8-84 (FN)
6.	S. M. Bhandari	Sikandrabad	Jaipur	16-10-84 (AN)
7.	K. Velayudhan I	Trivandrum	Trivandrum	28-8-84 (FN)
8.	R. N. Gupta	Pant Nagar	Ludhiana	31-8-84 (FN)
9.	S. K. Ghose	Muzaffarpur	Ranchi	25-9-84 (FIN)
10.	N. K. Gupta	Farukhabad	Lucknow `	20-11-84 (FN)
11.	A. R. Goswami	Ahmedabad	Ahmedabad	31-8-84 (FN)
12.	Harish Pant	CATC Allahabad	CATC Allahabad	27-8-84 (FN)
13.	M. K. Dharmodhikari	Baroda	Belgaum	28-9-84 (FN)
14.	J. B. Sonar	Ahmedabad	Ahmedabad	31-8-84 (FN)
15.	D.C. Das	Calcutta	Bhubaneswar	27-9-84 (FN)
16.	A.K. Bansal	RCDU, Delhi	ACS, Delhi	28-8-84 (FN)
17.	- S. Palaniappan	Madras	Madras	25-8-84 (FN)
18.	K. Lawrance	Trivandrum	Mangalore	28-9-84 (FN)
19.	Surjit Singh	RCDU, Delhi	ACS, Delhi	28-8-84 (FN)
20,	Subhash Chandra	Srinagar	Lucknow	20-9-84 (FN)
21.	Sampuran Singh	RCDU, Delhi	ACS, Delhi	28-8-84 (FN)
22.	D. Bhattacharya	Gaya	Gaya	28-8-84 (FN)
23.	R. P. Gaindh ir	Varanasi	Madras	25-9-84 (FN)
24.	S. K. Nanda	Calcutta	Calcutta	2-9-84 (FN)
25.	P. S. Dholakia	Rajkot	Rajkot	26-9-84 (FN)
26.	T.M. Sainudeen	Trivandrum	Trivandrum	29-8-84 (FN)
27.	S. L. Nanda	CATC, Allahabad	CATC Allahabad	30-8-84 (FN)
28.	P. V. Kathe	Bombay	Bombay	31-8-84 (FN)
29.	S.S. Hakim	Bombay	Bombay	31-8-84 (FN)
30.	V.S. Malick	Calcutta	Calcutta	31-3-84 (FN)
31.	V.R. Nair	Trivandrum	Trivandrum	29-8-84 (FN)
32.	M.H. Aiyubi	Bombay	Bombay	31-8-84 (FN)
33.	D.K. Chakraborty	Srinagar	Kanpur	29-9-84 (FN)
34.	S. L. Binde .	Bombay	Aurangabad	°3-9-84 (FN)
35.	M.M. Bhaijwaj	Lucknow	Ahmedabad	20-9-84 (FN)
36.	M. J. Lukose	Bombay	Belgaum	19-9-84 (FN)
37.	C. Arumugham	Colmbatore	Coimbatore	31-8-84 (FN)
	P. A. Rathod	Bombay	Bombay	31-8-84 (FN)
39.	L. N. Sharma	Gauhati	Gauhati	28-8-84 (FN)
40.	L, K. Mittal	Gwalior	Lucknow	16-10-84 (FN)
41.	H. R. Ranjan	ACS, Delhi	ACS, Delhi	2-9-84 (FN)
47.	S. D. Kumar	ACS, Delhi	Madras	30-8-84 (FN)
43.	B.S. Parmar	Nagpur	Nagpur	31-8-84 (FN)
44.	P. R. Anand	Lucknow	Bhopal	31-8-84 (FN)
45,	S. C. Sood II	ACS, Delhi	ACS, Delhi	26-8-84 (FN)
46.	S. K. Khanna	Calcutta	Calcutta	29-8-84 (FN)
	P. K. Kapoor	Jaipur	Jaipur	24-8-84 (AN)

41---486GI/84

-- ----

1 2	3	4	5
S/Shri			
48. N. S. Miyan	ACS, Delhi	Hyderabad	31-8-84 (FN)
49. J. N. Nag	Jamshedpur	Jamshedpur	31-8-84 (FN)
50. J. S. Deol	ACS, Delhi	ACS, Delhi	30-8-84 (FN)
51. Nand Kishore	ACS, Delhi	ACS, Delhi	2-9-84 (FN)
52. P. K. Chanda	Calcutta	Panagarh	31-8-84 (FN)
53. S. K. Chanda	Calcutta •	Calcutta	2-9-84 (FN)
54. Yaqub Khan	Mandsaur	CATC, Allahabad	22-9-84 (AN)
55. M. K. Sengupta	Calcutta	Calcutta	31-8-84 (EN)
56. J. S. Saxena	Jaipur	Jaipur	3-9-84 (FN)
57. M. L. Kochhar 58. S. R. Mitra	ACS, Delhi Calcutta	ACS, Delhi Calcutta	2-9-84 (FN)
59. S. Karunakaran	Kancheepuram	Kancheepuram	31-8-84 (FN)
60. B. Pal	Calcutta	Calcutta	27-8-84 (FN) 30-8-34 (FN)
61. M. L. Debnath	Tarakeshwar	Patna	29-9-84 (FN)
62. G. S. Vidyarathi	ACS, Delhi	Nagpur	2-9-84 (FN)
63. B. K. Mukherjee	Calcutta	Mohanbari	27-9-84 (FN)
54. Swaminath	RCDU, Delhi	RCDU, Delai	24-8-84 (FN)
65. R. K. Chandra	Calcutta	Calcutta	17-9-84 (FN)
66. Shital Singh	ACS, Delhi	ACS, Delhi	26-8-84 (FN)
67. Binayandra Dutta	Calcutta	Calcutta	31-8-84 (FN)
68. K. S. Chaugger	RCDU, Delhi	ACS, Delhi	30-8-84 (FN)
69. V. B. Taneja	CATC, Allahahad	CATC, Allahabad	27-8-84 (FN)
70. M. N. Joshi	Nagpur	Nagrur	31-8-84 (FN)
71. R.S. Pillaí	Trivandrum	Trivandrum	29-3-84 (FN)
72. P. D. Saini	RCDU, Delh	Bangalore	27-9-84 (FN)
73. Yashpal Singh	ACS, Delhi	ACS, Delhi	26-8-84 (FN)
74. ' S. N. Lahiri	CALCUTTA	Bhubaneswar	31-8-84 (FN)
75. G. M. Gadre	Bombay	Bombay	31-8-84 (FN)
76. M. L. Girdhar	RCDU, Delhi	RCDU, Delhi	28-8-84 (FN)
77. S. C. Sawhney	ACS, Delhi	ACS, Delhi	26-8-84 (FN)
78. G. S. Datta	Calcutta	Mohanbari	26-9-84 (FN)
79. R. N. Verma.	ACS, Delhi	ACS, Delhi	28-8-84 (FN)
80. R. K. Nagi	ACS, Delhi	CRSD, Delhi	
-	Gaya		30-8-84 (FN)
81. Kalyan Kumar Sen	•	Imphal	18-9-84 (FN)
82. Ashok Jolly	ACS, Delhi	ACS, Delhi	26-8-84 (FN)
83. P. S. Verma	Bombay	Bombay	31-8-84 (FN)
84. A. N. Singh	Silchar	Silchar	31-8-84 (FN)
85. S. K. Chandra	Katihar	Silchar	26-9-84 (FN)
86. Pallab Kanti Roy	Calcutta	Teju	27-9-84 (FN) .
87. A. J. Issac	Hyderabad	Hyderabad	29-8-84 (FN)
38. Naval Bhatnagar	RCDU, Delhi	ACS, Delhi	28-8-84 (FN)
	Calcutta	Calcutta.	
	STP, DGCA		30-8-84 (AN)
90. O P. Saxera	-	CRSD, Delhi	30-8-84 (FN)
91 - Askok Ku nar, Sharma	Bombay	Bhavnagar	25-9-84 (FN)
2 J. K. Sarkar	Patna	Patna	28-8-84 (FN)
3 P K. Rov	Gaya	Gaya	28-8-84 (FND
4. Ramash Kumar	RCDU, Delhi	Hyderabad	31-8-84 (FN)
5 T. K. Chawdhury	Port Blair	Port Blair	29-8-84 (FN)
	Calcitta	Calcutta	
	Calcutta		30-8-84 (FN)
97. J. M. Serkar		Calcutta	31-8-84 (FN)
98 S. R. Biswas	Calcut'a	Calcutta	31-8-84 (FN)
99. J. S. Rekehr	Luckonw	Hyderabad	17-9-84 (AN)
0. Inderieet	Udiapur	Mangalore	27-9-84 (FN)

-

The 4th February 1985

No. A-32013/6/83-EC — The President $\sim p^4$ as d = q and d the undermensioned officers in the grad σ . Begins D , can Controller of Communication in the C $(1 + q) = 1 + p^2$ ment on regular basis with effect from 9 + 1 + 1034 and until further orders :—

S. No. & Name

1. Shri N. K. Furi, Assistant D rector of Communication

- 2. Shri P. K. Singhal, Assistant Director of Communication
- . 3. Shri K. S. Krishnamuthi, Assistant Director of Cenmunication.
- 4. Shri B. N. M. Rao, Assistant effector of Communica-

The 5th February 1985

No. A.19011/120/80-EI — On attaining the age of superalnuation, Shri M. P. Khosla, Assistant Director (Training & Licens.ng) in the office of the Director General of Cl. 1 Aviation, New Delhi is the from Government service on 31.1.1985 (AN).

No. A. $310_14/1/83$ -EC (.)—The Director General of Could Aviation is pleased to appoint the following Asistant Technical Officers in the Civic Aviation Department in a substantive capacity in the same grade w.e., the date indicated against each –

SI.	Name	Date	
No.	,	•	
1	2	3 .	
	Shri	ակչութի չումնես կողութ ու ու դրու հու ով առողութիու թուրին գետ մա	
1.	C.L. Jam	1-1-1)8-	
2.	A.K. Saxena	Do.	
a 3.	Ranjit Ghose	Do.	
4.		Do	
5.	H. L. Arora	Do.	
6.	C.K. Sobti	Do.	
7.	V. K. Rastogi	Do.	
8.	J. S. Sarin	29-4-1981	
9.	T.S. Krishnamurthy	Do.	
10.	N. N. Nambiai	Do.	
11.	B. S. Khurana	Do.	
12.	C. Venkatachalam	Do.	
13.	R.S. Sokhey	20-8-1981	
14.	M. K. Krishnan	Do.	
15.	Kulwant Singh	Do.	
16.	N. V. Subramania	Do.	
17.	Kesho Nath	Do.	
18.	G. S. Verma	16-12-1892	
19.	S. K. Seth	Do.	
20.	Jaswant Sing'i	Do.	
21.	O. P. Juneja	Do.	
22.	K.C. Sharma	Do.	
23.	B.K. Puri	Do.	
24.	R. Jayaraman	Do.	
	K.S. Mukherjee	Do.	
26.	M. Sibasubramaniam	Do.	
27.	K. T. John	Do,	
28.	V. G. Joshi	Do.	
29.	S. R. D. Burman	Do	
30.	J. S. Narula	21-4-1983	
31.	K. R. K. Sharma	Do.	
32.	N. S. Sra	1-6-1983	
33.	A. Ramadoss	Do.	
34.	S. P. Sharma	2+6-1983	

	~	50	•
 	~~~~~		
 			~~~

_۱	2	3
35.	I. S. Vedi	2-6-1983
36.	A. N. Shirke	Do.
37.	P. L. Bajaj .	Do.
38.	G.L. Akolkar	Do.
39.	1 M. P. abher	Do
1,	n Dehum ini	De
41.	H.L. Charles	2-6-1983
42	C i Nieh i	28-8-1983
43.	S. P. SLAVINIVA	Do.
14	() P 7 .	Do.
45.	S P C owdhiny	Do.
16 .	Ishwar Dayal	Do,
47.	A. Mahalingeswara	Do.
-48.	T.S Bhana	Do,
49.	R. H. Mukumih	Do.
50.	B K. Mukherjee.	1-10-1983
51.	Joginde, Singh Mann	Do.
52.	P.S. Dalvi .	Do.
53,	S. S. Kang	Do.
54.	T.K. Dasgupta	Do.
55.	K. K. Ichhpunan.	Do.
55	V. M. Kattarmal	5-11-1983 -
57.	S. K. Liswas	Do.
53.	K. S. Negi	Do.
אי.	O P. Chadda	Do.
60.	Joginder singh	12-2-1984
61.	M.K. Sathayae	Do.
62.	Y. C. Punetha	19-2-1984
63,	A. S. Gill	Do.
6.1	P. N. Mani	Do.
65	T S. Johy	Do.
30	s. Buosale در	Do.
67	D. Selvaraj	Do.
٤.	V H. Ranga Rao	Do.
6).	B.C. Rov	Do.
70,	Harnek Singh	Do.
71.	T. N. J. Nambiai.	Do.
72.	Krishan Lal	1-4-1984
73.	C.S. Ahluwalia	30-4-1984 ``
74.	Balbir Singh	Do.
75.	K, L. Kapoor	Do.
76.	S.S. Grewal.	Do.

The 6th February 1985

No A 12025/3/71-E.I.—In continuation of this office Notification No. A 12025/3/71-E.I. dated the 19-11-1984, the Director General of Civil Aviation is pleased to continue the a dhoc appointment of Shri K. K. Sharma as Hindi Officer in the Civil Aviation Department upto 31, 12, 84.

The 7th February 1975

No. A.32013/5/83-EI.—In continuation of this Office Notifcation No. A.32013/5/83-E.I., dated the 23 6 1984, the President is pleased to extend the period of ad hoc appointment of Shri F. C. Sharma in the post of Deputy Director, (R & D) in the Civil Aviation Department for the period from "12.12.1984 to 11.6 1985, or till the date the post is filled on regular basis, whichever is earlier.

> V. JAYACHANDRAN Assistant Director of Admn,

FOREST RESEARCH INSTITUTE AND COLLEGES

Dehra Dun, the 13th February 1985

No. 16/425/84-F.sts-I.--On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President, F.R.I. & Colleges, Dehra Dun is pleased to appoint Dr. C. B. S. Dutta as Research Officer under the Forest Soil *cum* Vegetation Survey, Midnapur under the Forest Research Institute and Colleges, Dehra Dun with effect from the 1st Jan., 1985 in a temporary capacity until further orders.

J. N. SAXENA Registrar Forest Research Institute & Colleges

MINISTRY OF SHIPPING & TRANSPORT

DIRECTORATE GENERAL OF SHIPPING

Bombay-1, the 12th February 1985 No. 11-TR(6),'83.—The President is pleased to accept the resignation of Shri D. Bandyonadhyay, Engineer Officer, Directorate of Marine Engineering Training, Calcutta with effect from 7.10.1984 (F.N.).

A. CHANDRA Dy. Director General of Shipping

--

MINISTRY OF INDUSTRY & COMPANY AFFAIRS

(DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS) COMPANY LAW BOARD

OFFICE OF THE REGISTRAR OF COMPANIES

Bombay, the 13th February 1985

No. 40.—Notice is hereby given pursuant to Section 445(2) of the Companies Act, 1956 that $M/_3$. Western India Spinning & Manufacturing Company Limited has been ordered to be wound up by an order dated 13-1-1977 passed by the High Court of Maharashtra and that the Official Liquidator attached to the High Court of Maharashtra has been appointed as the Official Liquidator of the company.

O. P. JAIN Addl. Registrar of Companies, Maharashtra, Bombay

In the matter of the Companies Act, 1956 and of M/s. Sungold Finance & Investment Limited

Jalandhar, the 14th February 1985

No. G/Stat/560/11226.—Notice is hereby given pursuant to sublsection (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Sungold Finance & Investment Limited, unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

In the matter of the Companies 1ct, 1956 and of M/s, Laxmi Forging Private Limited

Jalandhar, the 14th February 1985

No. G/Stat/560[4259]11230.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that the name of M/s. Laxmi Forging Private Limited, has this day been struck off the Register and the said company is dissolved.

In the matter of the Companies Act, 1956 and of M/s. Gautam Paper Mills'Limited

Jalandhar, the 14th February 1985

No. G/Stat/560/4407/11232.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Sec ion 560 of the Companies Act, 1956, that the name of M/s. Gautam Paper Mills Limited, has this day been struck off the Register and the said company is dissolved.

In the matter of the Companies Act, 1956 and of M/s. Super Star Paper Mills Private Limited.

Jalandhar, the 14th February 1985

No. G/Stat/560]4466]11234.---Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that the name of M/s. Super Star Paper Mills Pvt. Ltd. has this day been struck off the Register and the said company is dissolved.

In the matter of the Companies Act, 1936 and of $\times M/s$, B. D. Chit Fund & Financicrs Private Limited

Jalandhar, the 14th February 1985

No. G/STAT/560/11237.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. B. D. Chit Fund & Financ.ers Private Limited, unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

> B. M. JAIN Registrar of Companies Punjab, H.P. & Chandigarh

FORM ITNS-----

LAT THE THE BARRIER OF BALL - THE MARKET AND AND A LATER

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOMP-TAX ACT, 1961 (43:421-1961)

GOVERNMENT OF INLIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGE, 3-CHANDER PURI, TAYLOR ROAD, AMRITSAR

Amritsar, the 24th January 1985

Ref. No. ASR/84-85/163.---Whereas, I S. C. KAPIL, IRS being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property having a tair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Plot of land situated at behind Majitha Road

(and more fully described in the Schedule anexed hereto) has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at S.R. Amritsar on June, 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the b overty as atoresaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of -

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay can order the 50% Act, in respect of any income arising from the transfer;
- (b) facilitating the concealment of any facome or any moneys of other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferre for the purposes of the Indian Inconsectax $2x_{ij} = \frac{1}{2}/22$ (11 of 1922) or the said Acc, or the Weildt-fax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the requisition of the aforeadid property by the issue of this Notice under cabsection (1) of Section 269(D) of the said 4ct, to the following persons, namely :--- Shri Surjit Chand S/o Shri Kishan Chand, Smt. Neelam Kanta w/o Shri Vijay Kumar, Shurifprua, Amritsar.

(Transferor)

- (2) Shu Lakhbir Singh S/o Shu Sohan Singh, r/o Baba Bakala, Distt. Amntsar.
- (3) As at S. No. 2 overleat & tenants if any. (Person in occupation of the property)
- (4) Any other (Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned--

- (a) by any of the aforesaid -persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expanse later;
- (b) by any other person interested in the said memovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :--The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given that Chapter.

THE SCHEDULL

A plot of land measuring 200 sq. yds. situated behind Majitha Road, near Eye Hospital, Amritsar, as mentioned in sale deed No. 2096 dt. 12-6-84 of registering authority, Amritsar

> S. C. KAPIL, IRS Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range, Amritsar

Date : 24-1-85 Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGL, 3-CHANDER PURI, TAYLOR ROAD, AMRITSAR

Amritsar, the 24th Junuary 1985

Ref. No. ASR/84-85/164.—Whereas, I S. C. KAPIL, IRS being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000|-and bearing No.

Plot of land situated at Behind Majitha Road, Amritsar (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of

1908) in the office of the Registering Officer at S.R. Amritsar on June, 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :--

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and /or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the puposes of the Indian Income-tax Ast, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

(1) Shri Surjit Chand S/o Shri Kashan Chand, Smt. Iveriain Kanta w/u Shri-Vijay Kumar, Sharifpura, Amritsur.

(Transferor)

(2) Sh. Lakhbir Singh S/o Shri Sohan Singh, r/o Baba Bakala, Distt. Amitsar.

(Transferee) (3) As at S. No. 2 overleaf & tenants if any.

(Person in occupation of the property) (4) Any other (Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of, the said property may be made in writing to the undersigned .--

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, wi hin 45 days from the date of the publi-cation of this notice in the Official Gazette

EXPLANATION :---The trems and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A plot of land measuring 200 sq. yds., situated Behind Majitha Road, near Eye Hospital, Amritsar as mentioned in sale deed No. 2095 dated 12-6-84 of registering authority, Amritsar.

> S. C. KAPIL, IRS Competent Authority Inspecting Asstt Commissioner of Income-tax Acquisition Range, Amritsar

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate ploceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :-

Date : 24-1-85 Seal:

FORM I.T.N.S .--

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGE, 3-CHANDER PURI, TAYLOR ROAD, AMRITSAR

Amritsar, the 11th February 1985

Ref. No. ASR/84-85/165.-Whereas, I S: C. KAPIL, IRS being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding

Rs. 25,500/- and bearing No. Residential House situated at Katra Sher Singh, Amritsar and more fully described in the Schedule annexed hereto)

has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registration of a t SR. Amritsar on June, 1984 for an apparent, consideration which is less than the fair most value of the aforesaid property and J have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than ifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :---

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and /or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferce for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of (922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27) of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :---

(1) Shri Harbhajan Singh S/o Shri Gurdit Singh, Gali No. 3, Daya Nand Nagar, Lawrence Road, Amritsar.

(Transferor)

(2) Sh.i Baljit Singh S/o Shii Dayal Singh, r/o Naushehra Dhalla, Teh. Tain Taran, Dist. Amritsar.

(Transferee)

(3) As at S. No. 2 above & tenants if any. (Person in occupation of the property)) Any other

(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :-

- (b) by any other person interested in the said immovable notice in the Official Gazette or a period of 30 days property, within 45 days from the date of the publi-from the service of notice on the respective persons, cation of this notice in the Official Gazette, which er period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immov-able property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :--- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

1/4th Share of residential house No. 1296/12 at Katra Sher Singh, Amritsar as mentioned in sale deed No. 2150 dated 18-6-84 of registering authority, Amritsar.

S. C. KAPIL, IRS Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range

Date : 11-2-85 Scal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE . INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT

ACC'_ITITICIN RANGE, 3-CHANDER PURI, ⁴ I'AYLOR ROAD, AMRITSAR

Amritsar, the 11th February 1985

Ref. No. ASR/84-85/166.—Whereas, I S. C. KAPIL, IRS being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable p operty, having a fair market value exceeding $\mathbb{E} = 25 \pm 00^{1/2}$ and bearing $\mathbb{E} = 25 \pm 00^{1/2}$ and bearing

No. Residential House situated at Katra Sher Singh, (and more fully described in the Schedule - nexed hereto), has been transferred inder the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at ar S.R. Amritsar on June, 1984

for an apparent consideration which is less than the fair in arket value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforeviid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the partners has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :--

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian income-tax Act, 1922 (11 of 1922), or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

- (1) Sh. Huibhajan Singh S/o Shri Gurdit 'Singh, Gan ide, 3, Daya Nand Nager, Lawrence Road, (Transteror)
- (2) Shri Satnam Singh S/o Shri Mohinder Singh, r/o Naushehra Dhalla, Teh. Tarn Taran, Amritsar. (Transferee)
- (3) As at S. No. 2 above & tenants if any. (Person in occupation of the property)

(4) Any other (Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be in writing to the undersigned :---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :-- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same measuring as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

1/4th Shue of residential house No. 1296/12, at Katra Sher Singh, Amritsar, as mentioned in sale deed No. 2151 dt. 18-6-84 of registering authority, Amritsar.

> S. C. KAPIL, IRS Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisi.ion Range, Amritsar

Date : 11-2-85 Seal : - FORM ITNS-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGE, 3-CHANDER PURI, TAYLOR ROAD, AMRITSAR

Amritsar, the 11th February 1985

Ref. No. ASR/84-85/167.—Whereas I S. C. KAPIL, IRS being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/and bearing

No. Residential House situated at Katra Sher Singh, Amritsar

No. Residential House situated at Katra Sher Singh, Amritsar (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at at S.R. Omritsar in July, 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the atoresaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the consideration for such transfer as agreed to between the

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1972) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said

- (1) Sh. Harbhajan Singh s/o Sh. Gurdit Singh, Gali No. 3, Daya Nand Nagar, Distt. Amritsar.
 - (Transferor)
- (2) Shri Balbir Singh S/o Shri Mohinder Singh, r/o Naushehra Dhalla, Distt. Amritsar. (Transferee)

(3) As at S. No. 2 above & tenants if any. (Person in occupation of the property) (4) Any other

(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :-

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :---The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter

THE SCHEDULE

1/4th Sharo of residential house No. 1296/12 at Katra Sher Singh, Amritsar, as mentioned in sale deed No. 3051 dt. 27-7-84 of registering authority, Amritsar.

> S. C. KAPIL, IRS Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range, Amritsar

Date : 11-2-85 . Seal :

FORM LT.N.S

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME TAX ACT 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, 3-CHANDER PURI, TAYLOR ROAD, AMRITSAR

Amritsar, the 11th February 1985

Ref. No. ASR/84-85 168.—Whereas f, S. C. KAPIL, JRS bring the Competent Authouty under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immov-able property, having a fair market value exceeding Rs, 25 000/- and bearing ble Beithertiel Hume to the test of the Similar time.

No. Residential House shuated at Kotra Shei Singh, Amritsai (and more fully described in the Schedule annexed hereto),

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Regin on Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Region of the state Annitair in July, 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :---

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of my income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferred for the purposes of the lpd. Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the enid Act or the Wealth tax Act, 1957 (27 of 1957);
- Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the suid Act. I hereby initiate proceedings for the acquisition of the suid aforeshid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act. to the following persons, namely ----

Date 11-2-85 Seal :

- (1) Shri Herbhajan Singh S/o Shri Gurdit Singh, Gali No. 3, Daya Nand Nagar, Amritsar. (Transferoi)
- (2) Shy Jokrampi Longh's o Shi Mukhtai Singh, 1 o Natt-hra Lhalla, Distt. Amritsar. (Transferce)
- (3) As at S. No. 2 above & tenants if any.
 (Person in occupation of the property)
 (4) Any other

(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immov-able property within 45 days from the date of the ublication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :---The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

1/4th share of residential house No. 1296/12, at Katra Stor Singh, A milisur, is mentioned in sale deed No. dt 27 7-84 of registering authority Amritsar. 3052

> S. C. KAPIL, IRS Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range, Ameritsar

FORM NO JULY - - -

NOTICE UNDER SECTION 25"D(1) OF THE INCOME-IAX ACT, 1961 -43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SUDNER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, 3 CHANDER PUPI, TAYLOR ROAD, AMRITSAR

Amritsar, the 14th 1 cbruary 1985

Ref. No. ASR/84-85/170 .- Whereas, I S. C. KAPII, IRS being the Competent Authority under Section 269-B of the Incometar Act. 961 (44 of 196) (becomaft referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair mallet value exceeding Rs. 25 0007 and bearing No.

Agricultural land situated at Vill. Gharyala.

Agricultural land situated at VIII. Gharyah, (and more fully described in the Schedule annexed here') has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the registering office at S.R. Patti on lune 1984 for an apparent consideration which is less than the four market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market allocate the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen rescent of the apparent consideration and that the consideration for such transfer as a need to between the market has not been truly stated in the sold between the parties has not been truly stated in the sold instrument of transfer with the object of :--

(a) facilitating the reduction or evasion of the hability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the trnasfer; which ought to be disclosed by the transferee for and for

(b) fachitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or the purposes of the Indian Income-tax. Act. 1922

(11 of 1922) or the said Act or the Wealth-ta Act. 15 (27 of 1977).

- (1) Sh. Fula Singh s/o Shri Surain Singh, Vill. Ghar-yala, 1.c.n. 1'atti, Distt. Amritsar. (Transferors)
- (2) Shri Anokh Singh S/o'Shri Inder Singh, Vill. Shri Anokh Singn 5/0 Sint more series, Gharyala, Teh. Patti, Distt. Amritsar. (Transferees)
- (3) As at S. No. 2 above & tenants if any. (Person in occupation of the property)
 (4) Any other

(Person ...hom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, it any to the acquisition of the said property na be made a wraing to the undersigned :---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b, by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the pubilcation of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :- The terms and expressions used herein as are defined in (hapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agricultural land measuring 24, kanals, 2.1/2 marlas, situated in Vill. Gharyala, Teh. Patti, Distt. Amritsar, as mentioned in sale deed No. 1030 dt. 29-6-84 of registering Authority, Patti.

> S. C. KAPIL, IRS Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range, Amritsar

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act. I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the follow-ing persons, namely :--

Date: 14-2-85 Seal :

FORM ITNS-

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, 3-CHANDER PURI, TAYLOR ROAD, AMRITSAR

Amritsar, the 14th February 1985

Ref. No. ASR/84-85/170.—Whereas, I S. C. KAPII., IRS being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'Said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs, 25,000/- and bearing

No. Agricultural land situated Vill, Gharyala

(and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have

reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fiftcen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :-

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; \mathbf{nnd}/α

THE SCHEDULE

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Agricultural land measuring 24 kanals, 2.1/2 marlas, situated in Vill. Gharyala, Teh. Patti, Dist. Amritsor, as mentioned in sale deed No. 1030 dt. 29-6-84 of registering marias Authority, Patti.

> S. C. KAPIL, IRS Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range, Amritsar

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act. I. hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said. Act, to the following persons namely --

Date: 14-2-85 Seal :

- (1) Sh. Pala Singh S/o Shri Surain Singh, Vill. Gharyala, Teh. Patti, Distt. Amritsar. (Transferor)
- (2) Shri Anokh Singh s/o Shri Inder Singh, Vill. Gharyala, Teh. Patti, Distt. Amritsar. ('Transferce)

(3) As at S. No. 2 above & tenants if any.

(Person in occupation of the property) (4) Any other

· (Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :--

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons. whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immov-able property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :---The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

FORM TINS-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX. ACQUISITION RANGE, JAIPUR

Jaipur, the 15th February 1985

Ref. No. Raj. /IAC(Acq.) /2537.-Whereas, # MOHAN SINGH

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the im-movable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No. Plot situated at Jaipur (and more fully described in the Schedule appared beated)

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 Jaipur on 6-6-84

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than ' fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the partices has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :--

(a) facilitating the reduction or evasion of the hability of the transferor to pay tax under the said Act. in respect of any income arising from the transferand Aut

(b) facilitating the concealment of any income or anoneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

 Shri Gyan Prauksh, Smt. Vishwamohini Sharad Piakash, Kuman Reena R/o Chithwari Ka Bagh, Amer Road, Jaipur. (Transferor)

(2) M/s Rajesh Carpet, Bawari Gate, Fatchpur, Distt. Sikar.

(Trausferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons. whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, vithin 45 days from the date of the publica-a-a of this notice in the Official Gazotte.

EXPLANATION :---The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning ar given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot situated in Rawaton ki gali, Chithwari ka Bagh, Jaipur and more fully described in the saledced registered by the Sub-Registrar, Jaipur vide Registration No. 1388 dated 6-6-84.

> MOHAN SINGH Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range, Jaipun

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this potice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :---

Date : 15-2-1985 feal :

8842 THE GAZETTE OF INDIA, MARCH 9, 1985 (PHALGUNA 18, 1966) [* n 10-Sec 1'

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, JAIPUR

Jaipur, the 15th February 1985

Ref. No Raj./IAC(Acq.)/2538 — Whereus, I

MOHAN SINGH being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (bereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/and bearing

No. Plot No. 66B situated at Jodhpur

(and more tully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Jodhput on 23-6-84

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with object of :---

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the mid Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Portion of Plot No 66B situated in Ajeet Colony, Rai Ka Bagh Area, Jodhpur and more fully described in the Salo deed registered by the Sub Registration, Jodhpur vide Registration No 1658 dated 23-6-84

THE SCHEDULE

MOHAN SINGH Competent Authority, Inspecting Assistant Commissioner of Inco re-tax Acquisition Range, Jaipur

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the sald Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :--

Date : 15-2-1985 Seal :

- (1) Shri Bri Mohanj Sherma S/o Shri Sawal Mal Saarma, Meo Carege, Ajmer, (Transferor)
- (2) Shri Badal Chand Oswal, Plot No. 66B, Ajeet Colony, Rai Ku Bagh Atea, Jodhpur.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned "----

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a p nod of 30 days from the service of notice on the respective persons, which ever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Off tal Gazette.
- EXPLANATION :-- The terms and expressions used herein ar are defined in Chapton XXA of the said Act, and shall have the same meaning as given in that Chapter

FORM ITHS-

NOTICE UNDER SEC AON 2690(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF, THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, JAIPUR

Japur, the 15th February 1985

Ref No. Raj./IAC(Acq) 2539.---Whereas I MOHAN SINGH

being the Competent Authouty under Section 269B of the Income-tax Act, 1951 (43) of 1961) (hereinafter referred to as the said Act') have ceased to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00.000/-No. Plo. No. 66B stuated at Jodhour

property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00.000/-No. Plo, No. 66B stuated at Johnsur (and more tully discribed of the Schoule annexed hereto), has been stars ened under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Jodhpur en 23-6-84

for an apparent consideration which is less than the fair is thet value of the abbescid integerty and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than a complete consideration and that the consideration for uch transfer as agreed to between the partice has not been tube stated in the said instrument of transfer with the object of two

- (*) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act to respect of as, income arising from the transfer, and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or sny mone's or our psets, which have not been or which ought to be disclosed by the transferee' for the pupper of the index incometax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

(1) Shri Brij Mohan Sharma S/o Shri Sawal Ram Sharma, Meo College, Ajmer.

(Transfern:)

(2) Shri Shahti Lal S/o Shri Badalchand Oswal, R/o Piot No. 66B, Ajeet Colony, Rai Ka Bagh Area, Jodhpur.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.
- EXPLANATION :---The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act. shall have the same meaning as pives in that Chapter.

THE SCHEDULE

House reoperty at Flot No. 66B, situated in Ajeet Colony, Rai Ka Eugh Area, Jodhpur and more fully described in the Sale deed registered by the Sub-Registrar, Jodhpur , vide Pegistration No. 1689 dated 23-6-84.

> MOHAN SINGH Competent Authority Inspecting Assistant Commission in of Income Tax Acquisition Range, Jaipur

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :--

Date : 15-2-1985 Scal :

FORM ITNS-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-IAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX,

ACQU'SITION RANGE, JAIPUR

Jaipur, the 15th February 1985

Ref. No. Raj./LAC(Acq.)/2540.-Whereas, I

MOHAN SINGH being the Competent Authority under Section 269B of the income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a function of the immovable of the tax of tax property having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/and bearing No.

House Property situated at Ajmer (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Regis ration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at Ajmer on 14-6-84

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the atoresaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid excerds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consider..tion for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :---

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

(1) Shri Kiratmal s/o Shri Lalchand through Attorney Shri Parasram S/o Shri Ghanshyamdas, Khari Kui, Ajmer. At picsent at 5, Begampura, Mumbaired, Surat, (Transferor)

(2) Shri Rameshchand, Kundandas Usrigate, Ajmer.

((Transferce)

Objections, if any, to the acquisition of said property may be made in writing to the undersigned :----

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gezette.
- EXPLANATION The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter,

THE SCHEDULE

Property No. 630/23(30,'405) situated at Blue Castle Parao, Ajmer and more fully described in the sale deed registered by the Sub-Registrar, Ajmer vide Registration No. 2122 dated 14-6-84.

MOHAN SINGH **Competent Authority** Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range, Jaipur

now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I, hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-sec-tion (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :---

Date : 15-2-1985 Seal :

8845

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, JAIPUR

Jaipur, the 15th February 1985

Ref. No. Raj/IAC(Acq.)/2541.--Whereas, I MOHAN SINGH

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/and bearing

No. Plot No. 1 situated at Jodhpur (and more tully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Jodhpur on 16-6-64

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :---

- (a) facilitating the reduction or evasion of the Hability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income ansing from the transfer; and or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :---

43---486GI/84

- (1) Shri Dharamdas and Shri Dayaldas S/o Shri Magar Mal Sindhi, 5th C-Road, Sardarpura, Jodhpur. (Transferor)
- (2) Shri Nandlal & Shri Gopaldas S/o Shri Magar Mal Shri Nandial & Snri Ooparaas J. R/o 5th C-Road, Sardarpura, Jodhpur. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immov-able property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official റ് Official Gazette.

EXPLANATION :- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning is given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot No. 1 O.B.C.T. Road (Nai Surak)' Basement Portion' Jodhpur and more fully described in the sale deed registered by the Sub-Registrar, Jodhpur vide Registration No. 1637 dated 16-6-84.

> MOHAN SINGH Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range, Jaipur

Date : 15-2-1985 Seal :

(Transferoi)

FORM ITNS- ----

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, BHOPAL, M P

Bhopal, the 6th February 1985

Ref No IAC/Acqn/Bpl /5607 —Whereas I X K BARANWAL, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immov able property having a fair market value exceeding Rs 1,00,000 and bearing No Land bearing Survey No 312 situated at ...II Sejw (and more fully described in the Schedule annexed heret.)

(and more fully described in the Schedule annexed herets)) has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 190°) in the offic, of the registering officer at Dha in June 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have real on to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by one than fif een per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument transfer with the object of --

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and /or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferce for the purposes of the Indian Incometax Act 1922 or i of 1922) or the said Act or the Wealth to Act, 19 7 (27 of 1957).

() ^chri Babulal S o Shri Dolaji Rajput R/o Sewani, Teh Dhar

(2) Divelend Laboratories (P) Ltd, Managing Director Shri Vasu Sodani S/o Shri Badrinarayan Sodani, America Thro General power of attorney Shri Ram Avtar S/o Shri Badrinarayan Sodani, R/o 7, Sita Building, Yeshwan Roud, Indore

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :--

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service, of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.
- EXPLANATION —The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land bearing Survey No 312 situated at village Sejwaya, Dis. Dhar This is the immovable property which has been destruct in form No 37- \odot verified by the transferee

> V. K. BARANWAL Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range Income Jax Building Near Central Ind₄a Floo, Mills, BHOPAI

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the followmg persons, namely .--

Date 6 2 1985 Seal

THE GAZETTE OF INDIA. MARCH 9, 1985 (PHALGUNA 18, 1906) PART INI-SEC. 1]

FORM I.T NS ------

NOTICE UNDER SLCTION 269D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOML-TAX,

> ACQUISITION RANGE BHOIAL, MP.

Bhopal, the 6th February 1985

Ref. No. IAC/Acqn./Bpl./5608 .-- Whereas I, V. K. BARANWAL,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs 1,00,000 and bearing No. Land bearing Survey No. 1541 situated at Chimangani Manda.

Uijain *

(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transforred under the Registration Act 1908 (16 cg 1908) in the once of the registering officer at Ujjain in June, 1984

for an apparent consideration 25, 5 is less pan the fair market value of the alors it property and I have reason to believe that the famarket value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than afteen per cent of such apparent con sideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :-

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/ort
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which sught to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922), or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) Section 269D of the said Act, to the following s persons, namely

(Transferor)

 Bratat Housing Co-op. Society Maryadit, Off: Gandhi Bhavan New Road, Ujjain Thro' President: Shri Chandrabhan Gupta, P o Ugain

(Tinnsferee)

Objection, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned .-

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the end immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given at that Chapter.

THE SCHEDULE

Land bearing Survey No. 1541 is situated at Chimangang Mandi, Ujjain.

> V. K. BARANWAL Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range Income Tax Building Near Central India Floor Mills. BHOPAL

Date : 6-2-1985.

8847

FORM ITNS----

Bhopal, the 6th February 1985

TAX ACT, 1961 (4 OF 1961) OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-Ref. No, IAC/Acqn./Bpl./5609.—Whereas J, BHOPAL, M.P. ACQUISITION RANGE,

SIONER OF INCOME-TAX NOLICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-

V. K. BARANWAL,

GOVERNMENT OF INDIA

being the Competent Authority under Section 269 B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the im-movable property having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No. Land bearing Survey No. 1537 situated at Chimanganj Mandi, Uliain

Uijain.

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of of 1908) in the office of the Registering Officer at Ujjain in June, 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as afore-said exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :--

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purpose of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

(1) Shri Harishchandra Goyal S/o Shri Phoelchandji Goyal, R/o Goyal Niwas, Sakhipura, Ujjain.

(Transferor)

(2) Bharat Housing Co-op. Society Maryadit, Off: Gandhi Bhavan, New Road, Ujjain Thro' President: Shri Chandrabhan Gupta, R/o Ujjain.

(Transferce)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immov-able property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION: --- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land bearing Survey No. 1541 is situated at Chimangani Mandi, Ujjain.

> V. K. BARANWAL Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range Income Tax Building Near Central India Floor Mills, BHOPAL

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :--

Date : 6-2-1985. Seal :

8848

FORM ITNS-----

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT. 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASST. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

> ACQUISITION RANGE, BHOPAL, M.P.

Bhopal, the 6th February 1985

Ref. No. IAC/Acq.⁷⁷Bpl./5610.—Whereas, I, V. K. BARANWAL,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/and bearing No.

Land Survey No. 1541 is situated at Chimanganj Mundu. Ujjain

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office the Registering Officer at Ujiain in June, 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of ;---

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising, from the transfer; and/or

(5) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act. or the Wealth-tan Act, 1957 (27 of 1957).

Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely:— Shri Harishchandra Goyal S/o Shri Phoolchandji Goyal, R/o Goyal Niwas, Sakhipura, Ujjain.

(Transferor) (2) Bharat Housing Co-op. Society Maryadit, Off : Gandhi Bhavan, New Road, Ujjain (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.
- EXPLANATION :-- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land Survey No. 1541 situated at Chimanganj Mandi, Uijain.

V. K. BARANWAL Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range Income Tax Building Near Central India Floor Mills, BHOPAL

Date : 6-2-1985. Seal :

FORM ITNS-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

> ACQUISITION RANGE, JHOPAL, M.P.

Bhopal, the 6th February 1985

Ref. No. IAC/Acqn./Bpl./5611.---Whercas 1, V. K. BARANWAL,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000 and bearing No.

House bearing Municipal No. 15 situated at Hukumchand Marg, Indore

(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred

under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registrating Officer at Indore in June, 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :--

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act. in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1357 (27 of 1957);

(PART III-SEC. 1

(Transferce)

 (1) 1. Shrimati Tulsıbai W/o Shri Revashkarji Dubey,
 2. Shri Balkıi hna,
 3. Shii Gulabeband,
 4. Shri Ashok kumar S/o Shti Revashkatji Dubey,
 5. Smt. Pushpabai, (S. No. 4 to 4 R/o Sir Seth Hukumchand Marg, Indore),
 (S. No. 5 R/o Ratiam) & Shri Lalehand S/o Shri Lalehand S/o Shri Stiramji Dubey, R/o Teli Bakhel, House No. 60, Indore.
 (Transferor)
 (2) Shri Kamalkishole Verma S/o Shri Bansidharji Verma, R/o House No. 20, Loddhipura No. 1, Indore.

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :--- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House bearing Municipal No. 15 is situated at Hukumchand Marg, Indore. This is the immovable property which has been described in form No. 37-G duly verified by the transferce.

> V. K. BARANWAL Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range Income Tax Building Near Central India Floor Mills, BHOPAL

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :---

Date : 6-2-1985. Seal : -----

FORM ITNS-

NCTICE UNDER SECTION 269D/(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSION UNOF INCOMP TAX ACQUISITION RANGE, BHOPAL, M.P.

Bhopal, the 6th February 1985

Ref. No. IAC/Acqn /Bpl.\$5612.--Whereas I, V. K. BARANWAL, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-Lix Act, 1961 (43, of 1961) (bereingfter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding

Rs. 1,00 000 - and heating No. Agricultural land Survey 1 o. 3793/1, 3794, 3795, 3796, 3807 & 3808/1 situated at Unjam

(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Uttain in June, 1984

tor an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefore by more than fifmteen per cent of such apaptent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :---

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer: andlor
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferce for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Waelth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I bereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of the notice under sub-section (1) of Section 269D of particle Act, to the following persons, namely :-

(1) Shri Bhagirath S/o Shri Ganpatji, R/o Malipura, Ujjain,

(Transferor)

(2) Nav Akash Grih Nitman Sabakari Sanstha, Uiiain. (Transferec)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned .---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons. whichever period expires later:
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :--- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agricultural land bearing Survey No. 3793/1, 3794, 3795, 3796, 3807 & 3808/1 situated at Ujjain. This is the immovable property which has been described in form No. 37-G duly verified by the transferce.

> V. K. BARANWAL Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range Income Tax Building Near Central India Floor Mills, BHOPAI,

Date : 6-2-1985 Scal :

[PART III--SEC. 1

FORM ITNS-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIGNER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, BHOPAL, M.P.

Bhopal, the 6th February 1985

Ref. No. IAC/Acqn./Bpl./5613.--Whereas I, V. K. BARANWAL,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (bereinafter referred to as the 'said Act'), have reasn to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/and beaving No. Agricultural land situated at Ujjain

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of of 1908) in the office of the registering officer at

Ujjain in June, 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason o believe that the fair merket value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent considration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :---

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and /or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which eught to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957); Shrimati Bhuri Bai W/o Shri Goverdhanji, Shri Rameshwar, Shri Babulal, Shri Chainshri, Shri Jamnalal, R/o Ujjain.

(Transferor)

(2) Nav Akash Grih Nirman Sahkari Sanstha, Uniain.

(Transferce)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publi-cation of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :--- The forms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agricultural land is situated at Ujjain. This is the immov-able property which has been described in form No. 37-G duly verified by the Transferee.

> V. K. BARANWAL **Competent** Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range Income Tax Building Near Central India Floor Mills, BHOPAL

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, 1 hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under Subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :---

Date : 6-2-198 Seal :

(Transferor)

FORM ITNS-----

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, BHOPAL, M.P.

Bhopal, the 6th February 1985

Ref. No. IAC/Acqn./Bpl./5614 .-- Whereas I,

V. K. BARANWAL, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/-Plot No. 56 & house thereon situated at Saket Nagar Colony,

Indore

(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at Indore in June, 1984 for an apparent consideration which is less than the fair

market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :-

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Shri Yeshwardhan S/o Shri Kishan Chopra, R/o 215, Saket Nagar Colony, Indore.

(2) 1. Shri Harikishan S/o Shri Hanumandasji. 2. Shrimati Urmila Devi W/o Shri Harikishanji Agrawal, R/o 6, Sita Building, Indore.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 lays from the service of notice on the respective persons, whichever period explres later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the pub-lication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter

THE SCHEDULE

Plot No. 56 & house thereon is situated at Saket Nagar Colony, Indore. This is the immovable property which has been described in form No. 37-G duly verified by the transferee.

> V. K. BARANWAL Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range Income Tax Building Near Central India Floor Mills, BHOPAL

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :---44-486GT/84

Date : 6-2-1985. Scal :

THE GAZETTE OF INDIA, MARCH 9, 1985 (PHALGUNA 18, 1906)

[PART III-SEC.]

FORM ITNS----

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, BHOPAL, M.P.

Bhopal, the 11th February 1985

Ref. No. IAC/Acqn./Bpl./5615 .- Whereas I, V. K. BARANWAL, v. K. BAKANWAL, being the competent atthority under Section' 269B of the incume-tax Act, 1901 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable, property having a fair market value exceeding Rs. 1,00.000/- and bearing No. House bearing Mun. No. 32/1595 situated at Maina Wali Gali, Lashkar, Gwalior (and more fully descubed in the Schedule annexed betato)

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at

Gwalier in June, 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to beln ve that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration will that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said in trument of transfer with the object of :----

- (a) facilitating the reduction or evasion of the hability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income ansing from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which onter to inscribe 1 by the transferee for the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act; or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

 $r_{1} \in h_{1}$ J. K. Dey S/0 $r_{1} \in Y$. Dey. R/0 B-323, Chhittaranjan Park, New Delhi.

(Transferor)

(2) Shri N. P. Dwivedi S/o Shri P. R. Dwivedi, R/o Mina Wali Gali, Lashkar, Gwalior.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :-

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the pub-heation of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :--- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House (Part thereof) bearing Municipal No. 32/1595 is situated at Mina Wali Ganli, Lashkar, Gwalior. This is the immovable property which has been described in form No. $37-\zeta$ d.3' verified by the transferee.

V. K. BARANWAL Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range Income Tax Building Ncar Central India Floor Mills. BHOPAL

Now, therefore, in pursion we of Section 269C of the said Act. I hereby mital is exclusive of Section 209C of the said aforsaid property by the issue of this notice under sub-issee on (1 + Sector, 2000); the said Act, to the following persons, namely:---

Date : 11-2-1985. Scal:

8:51

-

PARI ILI -SEC 1]

FORM ITNS- ----

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX 3C1, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT COMMISSION' R OF INCOME-TAX ACQUISI FIOTAL AC BHOPAL M P ΠL

Bhopal the 11th February 1985

Ref. No. IAC/Acqn /Bpl /5616 —Whereas I, V K. BARANWAI, being the Completin Authority under Section 269B of the incometax Act, 1961 (4) of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act) have reason to believe that the a movable property daving a fun maket value excedin Rs 1,00,000/ and beauing No. A mait of house beaufing Mun. No. 32/1595 situated at Min.

A part of house bearing No A part of house bearing Mun No 32/1595 situated at Min Wali Gali, Lashkai, Gwahor (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred inder the Registratation Act 19ⁿ (the of 1908) in the offse of the registratation Act 19ⁿ (the Gwahor in June, 1984 for an apparent for all states (15

for an apparent concideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and 1 have reason to behave that the fan market value of the property as a ore said exceeds the apparent consideration therefor by mothan fifteen per cent of such apputent consideration and tha the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been trilly stated in the said in trument of transfer with the object of-

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer, and/or .
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys of other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferre for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957),

(1) Shri J K Dey S/o Shii K. P Dey R/o B 323 Chhittaranjan Park, New Delhi

(Transferor)

(2) Shrimati K D Dwivedi W/o Shri N P Dwivedi R/o Jama W di Gili Tashi u Gyuhoi

(Transferee)

Objections if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned

- (a) by any of the afores id p roons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Caz the or (p) pixed of 30 days from the service of notice on the respective persons which ever period express later.
- (0) I any other pe son interested in the said immov-able property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette
- EXPLANATION The terms and explassion used herein a. are defined in flupter X A of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter

THE SCHEDULE

House bearing No 32/1595 (Part thereof) situated at Mina Wali Gali Lashkar, Gwalior This is the immovable property which has been described in form No 37 G duly verified by the transferee

> V K BARANWAL Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range Income Tax Building Near Central India Floor Mills, BHOPAL

Now, therefore in pursuance of Section 269C of the said Act, i hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely .---

Date 11-2 1985 Scal.

FORM ITNS-

NOTICE UNDER SECTION 209D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, BHOPAL, M.P.

Bhopal, the 8th February 1985

Ref. No. IAC/Acqn /Bpl, /5617 .-- Whereas I,

V. K. BARANWAL, being the Competent Authority under Section 269B of ν the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immov able property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00.000/- and bearing Land Kh. No. 79/2, 70/2 situated at Vill. Bavdiya Kalan,

Dist. Bhopal

(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Bhopal in June, 1984 for an apparent consideration

which is less than the fair market value of the aforesaid proparty and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :---

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and /or

(b) facilitating the concesiment of any income or any moneys or other assets which have not been of which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

(1) Shri Jagannath S/o Shri Umkar, R/o Vavadiya Kalan, Dist. Bhopal.

(Transferer)

(2) Rohit Sahakari Grih Nirman Sansthan Maryadit, Bhopal Thro' President : Rohit Thas. (Transferce)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :-

- (a) by any of the aforeshid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette

EXPLANATION :--- The terms and expressions used herein an are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chepter.

THE SCHEDULE

Land Kh. No. 79/2, 70/2 situated at Vill, Bavadiya Kalan, The Huzur, Dist. Bhopal. This is the immovablt property which has been described in form No. 37-G duly verified by the transferee.

> V. K. BARANWAL Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range Income Tax Building Near Central India Floor Mills, BHOPAL

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :---

Date : 8-2-1985. Scal :

8856

PART III-SEC. 1]

THE GAZETTE OF INDIA, MARCH 9, 1985 (PHALGUNA 18, 1906)

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOMETAX ACT. 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISTION RANGE, BHOPAL M.P.

Bhopal, the 8th February 1985

Ref. No. IAC/Acqn./Bpl,/5618.---Whereas I, V. K. BARANWAL,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (horeinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing

House No. 1081, 1081/1, 1081/2 situated at Ram Manohar Lohiya Ward, Jabalpur

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registratation Act 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at Jabalpur in June, 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and 1 have reason to believe that the fair market value of the property as aforesail exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object or *--

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any moment or any moneys or other, assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferre for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D or the said Act, to the tollowing persons namely :--- Shri Sunil Kumar Shinde S/o Shri Sadashiy ao Shinde, R/o Andheidco, Jabalpur.

(2) Shri Anil Kumar Shinde S/o Shri Madhavrao Shinde, R/o Andherdeo, Jabalpur.

(Transferce)

(Transferor)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :---

- (a) by any of the afore-aid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazetre.
- EXPLANATION :---The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House No. 1081, 1081/1, 1081/2 situated at Ram Manohar Lohiya Ward, Jabalpur, This is the immovable property which has been described in form No. 37-O duly verified by the transferee,

> V. K. BARANWAL Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range Income Tax Building Near Central India Floor Mills, LHOPAL

Date : 8-2-1985, Seal : 8858

-

FORM ITNS-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA.

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGE, BHOPAL. M.P.

Bhopal, the 8th February 1985

Ref. No. IAC/Acqn. /Bpl /5019 --- Whereas I,

V. K. BARANWAL, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No.

Plot & House No. 67, 67/1, 67/2 situated at Galgata, Jabalpur

(and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the flice of the Registering Officer at Jabalpui in June, 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration of such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :---

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; sad/er
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act; to the following persons, namely :-

(1) Shrimati Anitha Shinde W/o Shii Piamod Shinde, R/o 159, Bajaj Nagar, Nagpur.

(Iransfeioi)

÷.

(2) Shri Gyanchand Jain & 7 Others, R/o Loidgani, Jabalpur. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :--

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot & House No. 67, 67/1, 67/2 is situated at Galeala. Jabalpur. This is the immovable property which has been described in form No. 37-G duly verilied by the transferce.

> V. K. BARANWAL Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range Income Tax Building Near Central India Floor Mills, BHCPAL

Date : 8-2-1985. Seal :

FORM ITNS--

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-CIONER OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGE, BHOPAL, M.P.

Bhopal, the 8th February 1985

Ref No. IAC/Acqn./Bpl./5620.—Whereas I, V. K BARANWAL,

being the Competent Authority under Section 269B of the Incone-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as de 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a foir market value exceeding Rs. 1,00,000/and bearing No.

Land bearing No. 98 stuated at Janki Nagar Extension, Indore

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at Indore in June_ 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :---

- (a) facilitating the/reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys o other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, 1 hereby mitu ac proceedings for the acquisition of the aforesaid property, by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :---

Date 8-2-1985. Seal :

(1) Shri Gurnam Singh So Shri Amrik Singh, R/o Mandi Bazar, Burhanpur.

Transferor(s)

(2) Shrimati Lila Chhajed W/o Shri Basant Kumar Chhajed, R/o Presently at 149, Janki Nagar Extension Indore.

Transferee(s)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Otheral Gazette or c period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.
- EXPLANATION :---The terms and expressions used herein as , are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter

THE SCHEDULE

Land bearing No. 89 is situated at Janki Nagar Extension, Indere

V. K. BARANWAL Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range Income Tax Building Near Central India Floor Mills, BHOPAL FORM ITMS-

(2) Shui Arjun Singh S/o Shui Armiksingh Kaur, R/o Mardi Bazar, Burhanpur.

(Transferor)

Shrimati Rameshwari Devi W/o Shri Om Prakash, R/o

(Transferce)

may be made in writing to the undersigned :---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) hy any other person interested in the said immovabic property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given? in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land bearing No. 97 is situated at Janaki Nagar, Indore

> V. K. BARANWAL Competent Authority Inspecting Assit. Commissioner of Income-taxy Acquisit on Range Income Tax Building Near Central India Floor Mills, BHOPAL

Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aferesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :---

Date : 8-2-1985. Scal :

(2) 1. Shi Om Prakash \$/o Shri Mohanlal, Sajan Nagar, Indore.

Objections, if any, to the acquisition of the said property

EXPIANATION :--- The terms and expressions used herein as

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGE, BHOPAL, M.P.

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

Bhopal, the 8th February 1985

Ref. No. IAC/Acqn./Bpl./5621 .-- Whereas I, V. K. BARANWAL, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter

referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding

Rs. 1,00,000/- and bearing No. Land bearing No. 97 situated at Janki Nagar, Indore (and hore fully decided in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1408) in the office of the registering officer at Indore in June, 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than filteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument; of transfer with the object of :---

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transferor, andlor
- which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922, (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269-C of the said

ART III-SEC. 1)

FORM ITNS-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACOUISITION RANGE BHOPAL (M.P.)

Bhopal, the 6th February 1985

Ref. No. IAC/Acqn/Bpl/5627 .--- Whereas, I.

Ref. No. IAC/Acqn/Bpl/3627.—watereas, 1, V. K. BARANWAL, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Be 1.0000(, ord knowing N Rs. 1,00,000/- and bearing No.

Plot No. 22 & Double storeyed house situated at Ronsra, Narsinghpur thereon

(and more tally described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Narsingpur in June 1984

for an apparent consideration which is less than the fairmarket value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of-

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and /or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the main Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957)

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following ersons. namely :----45---486GI/84

(1) Shri Birdichand S/o Shri Khushalchand Lunawat, Station Ganj, Narsingpur. (Transferor)

- (2) M/s. Girdharilai Kanchhedilal Kathal Gadarwara Thro' Partner Sh. Sharadkumar S/o Shii Kedarnath Kathal, Gadarwara, Narsingpur. (Transferee)
- Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :---
 - (b) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette, or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
 - (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.
- EXPLANATION : The terms and expressions used herein as are defined in the Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House on plot No. 22 (Nazul Sheet No. 8) is situated at Ronsra, Teh. & Dist. Narsingpur. This is the immovable property which has been described in form No. 37-G duly verified by the transferee.

> V. K. BARANWAL Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range Income Tax Building Near Central India Floor Mills, Bhopal.

Date : 6-2-1985 Scal :

FORM TINS ----

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE BHOPAL (M.P.)

Bhopal, the 11th February 1985

Ref. No IAC/Acqn/Bpl/5628 .-- Whereas, I, V. K. BARANWAL,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hoteinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs 1.00 000/- and bearing

Plot No 47-B situated at Salet Nagar. Indore (and more fully described in the schedule annexed hereto). has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering office: at Indore in June 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fitteen per cent of such apparent consideration and that the consideration to such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :---

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income suising from the transfer, suid /ôr
- (b) facilitating the concealment of any income or any money, or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax. Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act. or the Wealth-tax Act 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act. I hereby initiate proceedings for the accuss tion of the aforesaid property by the issue of this notice u der sub-section (1) of Section 269D of the said Act. to the following persons namely .---

- (1) Shri Charan Prasad S/o Jyoti Swaroop Thro' General power of attorney Pavija W/o Charan Prasad, 41, Saket Nagar, Indore. (Transferor)
- (2) Lalita Bai W/o Nandlai Joshi R/o Hatod., Teh. Indore.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later:
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the sublication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot No. 47-B is situated at Saket Nagar, Indore. This is the immovable property which has been described in form No. 37-G duly verified by the transferee.

> V. K. BARANWAL Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax Acquisition Range Income Tax Building Near Central India Floor Mills, Bhopal.

Date · 11-2-1985 Seal

8^62

PART III--SEC. 1]

FORM TINS-----

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF IND.A

OFFICE OF THE ANSPECTING ASSISTANT COMMIS

ACQUISITION RANGE BHOPAL (M.F.)

Bhopal, the 11th February 1985

Ref. No. ¶AC/Acqn/Bpl/5629.—Whereas, I,

V. K. BARANWAL, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act. 1961 (45 or 1961) hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/ and bearing No.

House (Part of) No 411 situated at South Civil Lines, Jabalpur.

(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Jabalpur on June, 1984

for an apparent consideration which is lets thin the fail market value of the aforcand property and I have reason to believe that the fair market alue of the product is aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :--

(b) facilitating the concealment of any income or any

moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the haush income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :--- Smt. Raj Bhatia W/o Shri D. P. Bhatia, South Civil Lines, Jabalpur.
 (Transferor)

(2) M/s. Bhasin Builders, (Partnership firm) Thro' Maniging Paitner Shri Gurvinder Singh Bhasin, Gorakhpur, Jabalpur.

(Traisferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property, why is made in writing to the undersigned i---

- (1) by any of the aforesa d persons within a period of 45 divestical the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the cald immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazetie

"APPANATION :---The terms and expressions used hereign as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House (Part of) No. 411 is situated at South Civil Lines, Jabalpur. This is the immovable property which has been described in form No. 37-G duly verified by the transferee.

> V. K. BARANWAI Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range Income Tax Building Near Central India Floor Mills, Bhopal.

Date : 11-2-1985 Seal :

⁽a) facilitating the reduction of evasion of the fability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOMB TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE BHOPAL (M.P.)

Bhopal, the 11th February 1985

Ref. No. IAC/Acqn/Bpl/5630.—Whereas, I, V. K. BARANWAL,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No.

Hoose (Part of) No. 411 situated at South Civil Lines, Jabalpur

(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at Jabalpur in June 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :--

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269-C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following perons, namely :---

Date : 11-2-1985 Seal :

 Shri Rajeev & Sandeep Bhatia, S₅/o Shri D. P. Bhatia, South Civil Lines, Jabalpur. Transferor(s)

(2) M/s. Bhasin Builders (Partnership firm) Theo' Managing Partner Shri Gurvinder Singh Bhasin Gorakhpur, Jabalpur,

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :- The terms and expressions used herein and expressions used herein are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House (Part of) No. 411 is situated at South Civil Lines. Jabalpur. This is the immovable property which has been described in form No 37-G dul yverified by the transferce.

> V. K. BARANWAL Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range Income Tax Building Near Central India Floor Mills, Bhopal,

8864

FORM I.T.N.S.-

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME TAX ACT 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE BHOPAL (M.P.)

Bhopal, the 8th February 1984

Ref. No. IAC/Acqn/Bpl/5623 --- Whereas, I,

- V. K. BARANWAL, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the im-
- to as the 'said Act'), have leason to believe that the im-movable property having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No. Plot No. 64 situated at C-sector. Indraputi, Bhopal (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at Bareilly in June 1984 for an apparent consideration which is less that the fair

for an apparent consideration which is less that the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as afore-said exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as acreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :---

(a) facilitating the reduction or evasion of the Hability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of say income arising from the transfer; and/or

- Shri Y. C. Garg S/o S. M. L. Garg, R/o 64, C-sector, Indiapuri, Bhopal.
- (Transferor) (2) Shri Harindra Singh S/o Shri Sardar Amar Singh, R/o Surajgani, Itarsi.

(Transferor)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :---

- (a)^F by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons. whichever period expires later.
- (b) by any other person interested in the said immov able property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the waid Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot No. 64 is situated at C-sector, Indrapuri, Bhopal.

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which wate not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Incometax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act. of the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the usue of this notice under subsection (1) of Section 2(9D of the said Act, to the following persons, namely :-

Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-fox Acquisition Range Income Tax Bui'ding Mar Central India Floor Mills,

V. K. BARANWAI

Bhopal.

Date : 8-2-1985. Scal:

THE GAZLITE OF INDIA, MARCH 9, 1985 P. LOUNA 18, 19(6) 8866

FORM ITNS-----

ություն այսոր ոչ և որը հանցերություն է է, ոչ ուրուց տունեներությունտեն չի չի հանցերատորներին տարածություն։ Մին մի այսոր ոչ և հայտ որը ու թես հանցերությունները հայտնում։ Յի հանց նախագահությանըն ուղունչի է համանատանքի պետությունների այսորությո

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 UF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOMETAX

ACQUISITION RANGE 57, RAM TIRTH MARG, LUCKNOW

Lucknow, the 13th February 1985

Ref. No. G.I.R. No. A-162/Acq.-Whereas, I, A. PRASAD,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the unmovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/and bearing

Plot of land situated at No. 35, Rampur Bagh, Civil Lines, Bareilly

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Bareilly on June 1984

for an apparent consideration which is less than the tau market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act. in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of, any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act. 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :---

- (1) 1. Pradeep Kumar Bhan 2. Kamal_Kumar_Bhan 3. Arun Kumar Bhan. 4, Girish Kumar Bhan
- (Transferor) (2) Smt. Asha Agarwal.
- (Transferee) (3) Sellers
 - (Person in occupation of the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :-

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the puolication of this notice in the Official Gazette.
- EXPLANATION :- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Charter.

THE SCHEDULE

Plot of land measuring 250 sq. yds. with construction situated at No. 35, Rampur Bagh, Plot No. A Block-S, Civil Lines, Bareilly (as mentioned in 37-G Form No. 4867) re-gistered by the Registering Authority, Bareilly, on June, 1984.

A. PRASAD Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range Lucknow.

Date : 13-2-1985 Seal :

(Transferor)

FORM ITNS

* OTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONLE OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE 57, RAM TIRTH MARG, LUCKNOW

Luckrow, the 13th February 1985

G.I.R. No. A-163/Acq.—Whereas, I, A. PRASAD.

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to, as the 'aid Act') have reason to believe that the immovable property, having a fin market value exceeding

- Rs. 25,000/- 1 1d bearing No -
- Plot of land silupted at the Campus of Hotel Waldorf, Mallital, Nainital
- (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officeat Nainital on 20-6-1984

for an apparent consideration which is less than the fair

market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair mirket value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :---

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay fax under the said Act, in respect of any income prising from the transferand/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any more solve other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the store id provinty by the issue of this notice under sub-section (i) of S ction 269D of the said Act, to the following persons namely:—

- (1) Ram Prakash
 2. Suraj Autar
 3. Om Autar
 4. Vishnu Autar
 Through Smt. Rnu V. Autar
 5. Anil Kumar
 6. Rajiv Kumar
 Through Shai Anil Kumar Goel
 7. Rakesh Kumar
 Ashok Kumar Goel
- (2) 1. Shri Aan Singh Bist
 2. Sme, Kamla Bist
 3. Km. Ganga Bist
 (3) Vendors

(Persons in occupation of the Property) (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :--

- (a) by any of the aforesaid persons within a period eff.
 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the rublication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION: -- The terms and expressions used herein as are dened in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A plot of land measuring 2022.59 sq. ft. situated in Campus of Hotel Waldorf. Malli al, Nainital, registered by the registring Authority, Nainital, on 20-6-1984.

> A. PRASAD Competent Authority Inspecting Assistant Commissione, of Income-tax Acquisition Range Lucknow.

Date : 13-2-1985 Seal : FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

CFFCL OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX,

ACOUISITION RANGE 57, RAM TIRTH MARG, LUCKNOW

Lucknow, the 13th February 1985

G.I.R. No. C-44 ACQ. Whereas I,

A. PRASAD, being the Competent Authority under Section 269B of the *ncome-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25 000/- and bearing No.

Part of Plot No. 2 situated at No. 1, Rana Pratap Marg, Lucknow

(and more fully described in the Schedue annexed herto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Lucknow on 13-6-1984

for an apparent consideration which is less than the fair narket value of the aforesaid property and I have reason to behave that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :--

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer andlor
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferce for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :---

(1) 1. Shri Brij Mohan Mehra

(Transferor)

(2) 1. Shii Chandra Prakash Sharma 2. Smt. Omshree Sharma

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice, in the Official Gazette.
- EXPLANATION :--- The terms and expressions used herein an are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Part of plot No. 2 measuring about 4600 sq. ft. situated at No. 1, Raia Pratap Marg, Lucknow, registered by the Registering Authority, Lucknow, an 13-6-1984.

> A. PRASAD Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range Lucknow.

Date : 13-2-1985 Scal :

FORM I.T.N.S.-

NUTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX,

> ACQUISITION RANGE 57, RAM TIRTH MARG, LUCKNOW

Lucknow, the 13th February 1985

Ref. No. D.LR. No. J-55/9CQ .- Whereas, I, PRASAD,

A. FRASAD, being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing Plot No. 18/7 situated at 18, Madan Mohan Malviya Marg, Hazerteani Lucknow

Hazratganj, Lucknow (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Lucknow on 2-6-1984,

Lucknow on 2-5-1984, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the transferor(s) and transferce(s) has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :--

- (a) facilitating the seduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and for
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act. 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act. (hereby initiate proceedings for the acquisition of the section (1) of Section 269D of the said Act, to the following aforesaid property by the issue of this notice under subpersons, namely ;---46-486GI/84

- (1) M/s. 9mrapalli Sahkari Grih Nirman Samiti Ltd., Lucknow Through its Secretary, Shri Dinesh Chandra Srivastava (Transferor)
- (2) 1. Shri Dalip Vaswani 2. Smt Vineeta Vaswani (Transferee)
- (3) Vendees (Person in occupation of the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :-

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:---The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot No. 18/7, measuring 7,700 sq. ft. situated at 18, Madan Mohan Malviya Marg, P.S. Hzaratgunj, Lucknow, registered by the Registering Authority, Lucknow on 2-6-1984.

A. PRASAD Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tar Acquisition Range Lucknow.

FORM I.T.N.S.

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE 57, RAM TIRTH MARG, LUCKNOW,

Lucknow, the 11th February 1985

Ref. No. G.I.R. No. I-2/Acq.-Whereas, I, A. PRASAD,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

Plot No. 3 situate dat Birbal Sahni Road, Lucknow

(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Regist ation Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Lucknow on 15-6-1984

at Lucknow on 13-5-1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as afore-said exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :--

 (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising, from the transfer; and /or

- (1) Janta Sahkari Grah Nirman Samiti Ltd., Having its office in Aminabad, Lucknow. (Transferor)
- (2) Dr. Iqbal Ahmad Qidwai (Transferce)
- (3) Vendor (Person in occupation of the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :-

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immov-able property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :--- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed to the manufactor for the purposes of the Indian Income-tox Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Plot No. 4 of the land in the Housing Scheme of the linita Sahkari Grah Nirman Samiti Ltd., measuring 2010 sq. ft. situated at Birbal Sahni Road, Lucknow, registered by the Registering Authority, Lucknow, on 15-6-1984.

> A. PRASAD Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range Lucknow.

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX

> ACQUISITION RANGE 57, RAM TIRTH MARG, LUCKNOW

Lucknow, the 13th February 1985

G.I.R. No. J-78/Acq.—Whereas, I, A. PRASAD,

being the Competent Authority under Section 269B of the mcome-tax Act, 196! (43 or 1961) (hereinafter referred to as the 'saul Act') have reason to believe that the immov-. able property, having a fair market value exceeding Rs 25000/- and bearing No

to as the said Act) have reason to believe that the diminovble property, having a fair market value exceeding Rs. 25000/- and bearing No. Plot No. 4 situated at Birbal Sahni Road, Lucknow (and more fully described in the scheduled annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Lucknow on 15-6-1984 for an approxed consultantion which he loss than the title

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as afore-and exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as taked to between the parties has been truly stated in the said intrument of transfer with the object of :--

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed on the transformer for

Act, 1957 (27 of 1957);

the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax (1) Janta Sahkari Grah Nirman Samiti Ltd., Having its Office in Aminabad, Lucknow. (Transferor)

(2) Mrs. Jameela Ahmad

(Transferce)

(3) Vendor (Person in occupation of the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned μ -

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :--- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot No. 4 of the land in the Housing Scheme of the Janta Sahkari Grah Nirman Samiti Ltd., measuring 2041 sq. ft. situated at Birbal Sahni Road, Lucknow, registered by the Registering Authority, Lucknow, on 15-6-1984.

> A. PRASAD Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range Lucknow.

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act. I hereby initiat proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely im-

⁽a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer, and/or

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE 57, RAM TIRTH MARG, LUCKNOW

or, King Tikini Minko, LUCKIOW

Lucknow, the 13th February 1985

G.I.R. No. M-209/Acq.—Whereas, I, A. PRASAD,

being the Competent Authority under Section 269B of the income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred te as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/and bearing

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Bareilly in June, 1984

for an appaient consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly, stated in the Said Instrument of Transfer in the object of :---

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferree for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act. I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesuid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons. namely :--

(1)	1. Shri	Ashok Kumar Anil Kumar	
	2. Shri	And Kumar	
			(Transferor)
(2)	1. Shri	Mahesh Chándra Sumit Saxena	
	2. Smt.	Sumit Saxena	
			(Transfereč)
(3)	Seller.		-
		(Person in occup	pation of the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this Notice in the Official Gazette.
- EXPLANATION :---The terms and expressions used therein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning, use given, in that Chapter.

THE SCHEDULE

Constructed house with land measuring 401'sq, yda. situated at Mohalla-Kunwarpur, Bareilly (as mentioned in 37-G Form No. 4630) registered by the Registering Authority, Bareilly, on June, 1984.

A. PRASAD , Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range Lucknow

8873

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME. TAX ACT. 1961 (43 OF 1961

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER

OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE 57, RAM TIRTH MARG, LUCKNOW

Lucknow, the 13th February 1985

G.I.R. No. P-133/Acq.—Whereas, 1, A. PRASAD,

being the Computent Authority under Section 259B of the Incometax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000 and bearing Agri, land No. 92 situated at Bastauli, Lucknow

Agri, land NO. 92 situated at Bastauli, Eucknow (and moving fully described in the Schedulic annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Lucknow in June 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the atoresaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :--

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/o.
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not indeen. or which ought to be disclosed by the transferre for the purposes of the Indian income-tax Act, 1922. (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, 1 hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection $^{(1)}$ of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

(1) Shri-Indra Prakash Gupta	
	(Transferor)
(2) Shii Frem Chand Agarwal	(Transferee)

(3) Vendee.

(Person in occupation of the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires flater;
- (b) by any other person interested in the said imploy able property within 45 days from the state of the publication of this notice in the Officiel Gazette

EXPLANATION — The terms and expressions used herein as the defined in Chapter XXA of the said Act; shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agri. land No. 92, measuring 17, Biswa 'slutted' at Bastauli, Lucknow, registered by the Registering Authority, Lucknow on June, 1984 (as mentioned in 37-G Form No. 7584).

> A. PRASAD Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-inx Acquisition Range Lucknow

FORM ITNS------

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE 57, RAM TIRTH MARG, LUCKNOW

Lucknow, the 11th February 1985

G.I.R. No. P-134/Acq.—Whereas, I, A. PRASAD.

STATES OF TAXABLE STATES

being the Competent Authority under Section 269 B of the Income-tax, Act 1961 (43 of 1961) (hereinatter reterred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000 and bearing No.

(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at Lucknow in luce 1981

for apparent consideration which is less than the fair market value of the storesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been tuly stated in the said instrument of transfer with the object of :--

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer: and/or.
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purpose of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax, Act, 1957 (27 of 1957);

Snit. Parmila Srivastava
 Rita. Anūradha Uhaudhavy

and a second second

- (2) Shri Prem Kishore (Transferor)
- (3) Vendee (Transferee)
 - (Person in occupation of the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective perions, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.
- EXPLANATION :--- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter

THE SCHEDULE

Plot of land situated at No. 16, Rana Pratap Marg, Lucknow, measuring 980 sq. ft. (as mentioned in 37-G Form No. 3707) registered by the Registering Authority Lucknow, on lune, 1984.

> A. PRASAD Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range, Lucknow

(Transf ror)

FORM ITNS-----

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-IAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMUSION) R OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE 57, RAM TIRTH MARG, LUCKNOW

Lucknow, the 11th February 1985

G^T.R. No, P-135/Acq—Whereas, I, A. PRASAD,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1951 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market \cdot due exceeding

 R_s , 25,000 and b at $m \in No$. Portion of plot No. 16 situated at Rana Pratap Marg, Lucknow

(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at Lucknow in June, 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the efforeand property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid excerds the apparent consideration therefor by more then fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :---

- (*) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which outlet to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1972 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Art, 1 hereby initiate proceedings for the acquisition of the aformaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :---

- (1) Shri Chaitarya Das
- (2) Shri Prem Kishore
- (Transferce) (3) Vendee
 - (Person in occupation of the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of
 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.
- EXPLANATION :-- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Portion of Plot No. 16, measuring 1100 sq. ft. situated at Rana Pratap Marg, Lucknow (as montioned in 37G Form No. 7908) registered by the Registering Authority, Lucknow, on June, 1984.

> A. PRASAD Competent Authority Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax Acquisition Range Lucknow.

Date . 11-2-1985 Scal :

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

I DI LICE OF THE INSPECTING ASSTEL COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITIÓN RANGE 57, RAM, TIRTH MARG LUCKNOW

Lucknow, the 11th February 1985

G. L. R. No. R-287/Alcq.-Whereas, h.

A. PRASAD. being the (ompetent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe

that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No

Double storeyed building situated at 4/8, Park Lanc, Narhi,

hand more fully described in the Schedule annexed hereto). has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1508) in the office of the registering officer at Luck low in June, 1984

for a apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid acceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :--

- (a) (acd)tating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said act, m respect of any income arising from the transfer; and|or
- (b) facilitating the concealment of any income or any inducys of other users which have not been or which ought to be disclosed by the transferce for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922. (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now! therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, 1 hereby initiate proceedings for the acquisition of the afore aid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :— (1) Lt. Col. R. K. Chawla. (Transferor)

- (2) 1, Shri Rakesh Sharma,
 2. Shri Hridayesh Sharma,
 (Transferee)
- (3) Seller. (Person in occupation of the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :--The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Double storeyed building having land measuring 3645 sq. ft. situated at 4/8, Park Lane, Narhi Lucknow (as mentioned in 37G Form No. 6747) registered by the Registering Authority 1 ucknow, on June, 1984

> A PRASAD Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range Lucknow

THE GAZETTE OF INDIA, MARCH 9, 1985 (PHALGUNA 18, 1906) PART III-SEC. 1]

FORM ITNS-

8877

(1)	TATION TO	CHOWIH.	
			(Tiansferor)

(1) Mrs E Chowfin

- (2) Shri Ram Prasad. (Transferee)
- (3) Vendor.
- (Person in occupation of the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :-

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons. whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immov-able property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.
- EXPLANATION :-- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House with land measuring 1020 sq. yds. situated at 84A, Civil Lines, Barelly as mentioned in 37G Form No. 4625) registered by the Registering Authority, Bareilly on June, 1984.

> A. PRASAD Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range Lucknow

Date: 13-2 1985 Scal:

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE 57, RAM TIRTH MARG LUCKNOW

Lucknow, the 13th February 1985

G. I. R. No. Rr238/Acq.-Whereas, I,

PRASAD, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immov-

as the 'said Act'), have reason to believe that the immov-able property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. House situated at 84A, Civil Lines, Batellly. (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Lucknow in June, 1984.

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than inficen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :-

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and /or
- moneys or other assets which have not been of which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the fullowing persons, namely ;---47-486G1/84

(b) facilitating the concealment of any income or any

FORM ITNS-----

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE 57, RAM TIRTH MARG LUCKNOW

Lucknow, the 13th February 1985

G. I. R. No. R-239/Acq.—Whereas, I,

A. PRASAD, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/and bearing No.

Agri. land No. 92 situated at Bastauli, Lucknow.

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer

at Lucknow in June 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :---

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

- (1) Shri Indra Prakash Gupta. (Transferor)
- (2) Shri Ram Niwas Agarwal. (Transferee)
- (3) Vendee.
 - (Person in occupation of the property)

Objections, if any to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :--- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter

THE SCHEDULE

(b) facilitating the concealment of any income or any **moneys or other assets which have not been or** which ought to be disclosed by the transferce for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the snid Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Ag1i. land No. 92 measuring 8 Biswa 10 Biswansi situated at Bastauli, Lucknow, (as mentioned in 37G Form No. 7586) registered by the Registering Authority, Lucknow on June, 1984.

Now therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :-- A. PRASAD Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range Lucknow

FORM ITNS-

NOTICE UNDER SECTION 269 D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE 57. RAM TIRTH MARG LUCKNOW

Lucknow, the 13th February 1985

G. I. R. No. R-240/Acg.-Whereas, I.

G. I. R. NO. K-240/Acq.—wybercas, I. A. PRASAD, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the im-movable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

Land situated at Beharipur, Bareilly. (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at at Lucknow in June 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :--

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

An open piece of land measuring 700 sq. yds. situated in Behavipur, Barcilly (as mentioned in 37G Form No. 4728) registered by the Registering Authority, Barcilly on June, 1984.

THE SCHEDULE

A. PRASAD Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range Lucknow

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby lititate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :---

(1) 1. Shri Ram Bahadur, 2. Shri Prem Babu, 3. Smt. Ram Kali,

- - 4. Master Mahesh (Minor) Through Mother,
 - Smt. Ram Kali, 5. Shri Chhotey.
- (Transferor) (2) Shri Ram Avtar.
- (Person in occupation of the property) (3) Vendor

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :-

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective person, whichever period expires later,
- (b) by any other person interested in the said immov-able property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :---The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

Date : 13-2 1985 Seal :

8879

(Transferee)

8880

(Transferor)

FORM I.T.N.S.-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE 57, RAM TIRTH MARG LUCKNOW

Lucknow, the 11th February 1985

G. I. R. No. S-354/Acq.—Whereas, I, A. PRASAD,

being the Competent Authority under Section 269B of the Iucome-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/and bearing No.

and bearing No. Building No. 296/29 situated at Ahata Sangi Bagh, Lucknow. (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Lucknow in June, 1984.

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :--

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or (1) Shri Mohd. Azeem Khan.

(3) Vendees.

(2) 1. Shri raj Ahmad,
2. Fazal Ahmad,
3. Qamar Ahmad,

(Transferee)

(Person in occupation of the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.
- EXPLANATION :— The terms and expressions used herein are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Double storeyed building No. 296/29, measuring 1497.5 sq. ft. situated at Ahata Sangi Bagh, Lucknow (as mentioned in 37G Form No. 7376) registered by the Registering Authority, Lucknow, on June, 1984.

> A. PRASAD Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range Lucknow

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforeasid property by the issue for this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act. to the following persons, namely :—

NOTICE UNDER SECTION 269-D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX,

> ACQUISITION RANGE 57, RAM TIRTH MARG LUCKNOW

Lucknow, the 13th February 1985

G.I.R. No. S-356/Acq.—Wheras, I, A. PRASAD,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

Agri, land No. 92 situated at Bastauli, Lucknow

(and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Lucknow in June, 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of wansfer with the object of :--

- (a) facilitating the reduction or svasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferce for the surposes of the Indian Income-tax, Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :--

- (1) Shri Indra Prakash Gupta. (Transferor)
- (2) Shri Santosh Kumar.
- (3) Vendee.
 - (Person in occupation of the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned--

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later:
- (b) by any other person interested in the said immevable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.
- EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agri. land No. 92, measuring 8 Biswa 10 Biswansi situated at Bastauli, Lucknow (as mentioned in 37G Form No 7587) registered by the Registering Authority, Lucknow, on June, 1984.

> A. PRASAD Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range Lucknow

FORM ITNS-----

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE 57, RAM TIRTH MARG LUCKNOW

Lucknow, the 13th February 1985

Ref. No. G.I.R. No. S-357/Acq.—Whereas, I, A. PRASAD,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

Agri. land 92 situated at Bastauli, Lucknow

(and more fully described in the schedule annexed here(o), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at Lucknow in June, 1984

for an apparent consideration which is less than the fair macket value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :--

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Ast, in respect of any income arising from the transfer, und/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

- (1) Shri Indra Prakash Gupta. (Transferor)
- (2) Shri Shailendra Kumar. (Transferee)
- (3) Vendec. (Person in occupation of the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :-- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agii. land No. 92, measuring 8 Biswa 10 Biswansi situatcd at Bastauli, Lucknow (as mentioned in 37G Form No 7585) registered by the Registering Authority, Lucknow, on June, 1984.

> A. PRASAD Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range Lucknow

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:---

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE 57, RAM TIRTH MARG LUCKNOW

Lucknow, the 13th February 1985

G. I. R. No. S-358/Acq.—Whereas, I, A. PRASAD,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'). have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceed ing Rs. 25,000 */-* and bearing No.

Constructed property with land situated at Shyamganj, Bareilly (and more fully described in the Schedule annexed hercto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the registering office at Lucknow in June, 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been traty stated in the said instrument of transfer with the object of :---

- (b) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/er
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said, Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

- I. Shri Prakash Chandra,
 Master Gaurav Chand (Minor), through Karta of the Family.
 - (Transferor)
- (2) Smt. Saraswati Devi Agarwal. (Transferee)
- (3) Sellers. (Person in occupation of the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person, interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.
- EXPLANATION :--The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Construted property with land measuring 305¹/₄ sq. yds. situated at Shyamganj, Bareilly as mentioned in 37G Form No. 4889) registered by the Registering Authority, Bareilly, on June, 1984.

A. PRASAD Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range Lucknow

FORM ITN

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE 57, RAM TIRTH MARG LUCKNOW

Jucknow, the 11th February 1985

I. R. No. U-39/Acq.-Whereas, I, G.

A. PRASAD, A. FRASAD, being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act) have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/and bearing No.

and bearing No. First floor situated at 26/16, Wazir Hasan Road, Lucknow. (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing at Lucknow in June 1984 for a sector restriction which is here the

for an apparent consideration which is less than the for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent con-sideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :---

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range Lucknow

A. PRASAD

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :---

Date : 11-2-1985 Scal:

(1) Mrs Piem Lata Lal.

(Transferor)

(Transferce)

(2) Mis. Usha Vidyarthi,

(3) Owner. (Person in occupation of the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act. shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

First floor having covered area 1920 sq. ft. together with measuring 215 sq. ft. situated at No. 26/16, Wazir Hasan Road, Lucknow, registered by the Registering Authority, Lucknow, on 26-6-1984.

8885

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

> ACQUISITION RANGE 57, RAM TIRTH MARG LUCKNOW

Lucknow, the 11th February 1985

G I R. No. U-40/Acq —Whereas, I, A. PRASAD,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act. 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable oroperty, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/and bearing No.

Plot of land No. 18 situated at Nehru Nagar Cooperative Housing Society Ltd., Lucknow (and more fully described in the Schedule annexed hereto),

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Lucknow in June, 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :---

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in oursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, nomely :--48-486G1/84 (1) Maj. S. N. Misra. (Transferor)

(2) Smt. Urmila Mittal. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.
- EXPLANATION :---The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as giver in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot of land No. 18, measuring 5490 sq. ft. situated at Nehru Nagar, Housing Co-operative Society Ltd., Lucknow, registered by the Registering Authority, Lucknow, on June 1984.

> A. PRASAD Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range Lucknow

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TA ACT, 1961 (43 OF 1961)

Smt Nawab Noor Jehan Begum, (1)1 2 Smt Nawab Noorunnissan Begum

(2) Smt Zaibunnissan

- (Transferor)
 - (Transferce)
- (3) Vendeo (Person in occupation of the property)

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE 57, RAM TIRTH MARG LUCKNOW

Lucknow, the 13th February 1985

G I R No Z-6/Acq —Whereas, I, A PRASAD.

being the Competent Authority under Section 269B of the Income tax Act 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding

Rs 25 000/ and bearing No House No 133/19 Ka situated at Aminabad Road, Nazirabid Lucknow

(and more fully described in the schedule annexed here) nns bren transferred under the Registration Act, 1908 (16

of 1908) in the Office of the Registering Officer at Lucknow in June, 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforeshid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :----

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer, andlor
- (b) facilitating the concealment of any income or any moncys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957),

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act I hereby initiat proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely '----

Date + 13 2 1985 Seal :

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned --

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later
- (b) by any person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette
- EXPLANATION -The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter

THE SCHEDULE

House No 133/19-Ka, with land measuring 1626 sq ft situated at Aminabad Road, Nazirabad PS Kaiserbag Lucknow registered by the Registering Authority Jucknow on 27-6-1984

A PRASAD Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range Lucknow

PART III-SEC. 1]

THE GAZETTE OF INDIA, MARCH 9, 1985 (PHALGUNA 18, 1906)

(Transferor)

FORM I.T.N.S .-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGE 57, RAM TIRTH MARG LUCKNOW

Lucknow, the 13th February 1985

G. I. R. No. A-164/Acq.-Whereas, I, A. PRASAD,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Ks. 25,000/- and bearing No.

Land, structures etc. situated at Mauza-Khabrar Patti Sat-bonga, Tch. & Distt. Nainital (and more fully described in the Schedule annexed hereto),

has been transferred

under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer

at Lucknow in June, 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as afore-said exceeds the apparent consideration therefor by more dian fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :---

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

(1) Shri Anup Kumar Poddar.

(2) Mrs. Anjali Shroff. (Transferce)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immov-able property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.
- LXPLANATION The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

All that piece or parcel of land measuring 12 acres more or less together with all plants, trees and structures situated in Mashankhet Tak at Mauza-Khabrar Patti Salbonga, Teh. & Distt. Nainital, registered by the Registering Authority, Calcutta, on June, 1984.

> A. PRASAD Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Fange Lucknow

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the atorsaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the follow-ing persons, namely :---

THE GAZETTE OF INDIA, MARCH 9, 1985 (PHALGUNA 18, 1906) [PART III-SEC. I

FORM LT.N S -

(Transferor)

(2) Shri Bharat Kumar Khemka.

(Transferce)

GOVERNMENT OF INDIA

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE

INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE 57, RAM TIRTH MARG LUCKNOW

Lucknow, the 13th February 1985

G I. R. No. B-127/Acq.-Whereas, I, PRASAD,

being the Competent Authority under Section 269B of

the income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinalter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding

Rs 25,000/- and bearing No

Land, structures etc. situated at Masankhet Tak, Moura-Khabiai, Jeh & Distt, Namital

(and more tully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registratation Act 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at Lucknow in June, 1984

for an appaient consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as afore-said exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :--

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transferor, and /or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Incomp-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :-

Date : 13-2 1985 Seal :

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazetta.

EXPLANATION :--- The terms and expressions used herein at are defined in Chapter XXA of the said Act." shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

All that piece and parcel of land measuring 10.5 acres more or less together with all plants, trees and structures situated thereon and being a portion of snowview orchards in Masankhet Tak Mouza-Khabrar Patti Satbonga, Tehsil and Distt Nainital, registered by the Registering Authority, Calcutta, on 14-6-1984.

> A. PRASAD Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Fange Lucknow

(1) Shri Anandilal Geonka,

PART III—SEC. 1] THE GAZETTE OF INDIA, MARCH 9, 1985 (PHALGUNA 18, 1906)

8889

FORM TINS-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

> ACQUISITION RANGE 57, RAM TIRTH MARG LUCKNOW

Lucknow, the 13th February 1985

G. I. R. No. D-56/Acq.—Whereas, I, A. PRASAD,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/and bearing

Land, structures etc. situated at Masankhet, Tak. & Distt. Nainital.

and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at Lucknow in June, 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax* Act, 192... (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:---- (1) Shri Anandilal Goenka.

(Transferor)

(2) Shri Deepak Kumar Khemka.

(Transferce)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :---The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

All that piece and parcel of land measuring 10 acres more or less together with all plants, trees and structures situated thereon and being a portion of snowview orchards in Masankhet, Tak Mauza-Khabrar Patti Satbonga, Tehsil and Distt. Nainital, registered by the Registering Authority, Calcutta on 14-6-1984.

> A. PRASAD Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range Lucknow

.

FORM ITNS-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

> ACQUISITION RANGE 57, RAM TIRTH MARG LUCKNOW

Lucknow, the 13th February 1985

G. I. R. No. K-146/Acq.-Whereas, I, A. PRASAD,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/and bearing

Plot of land situated at the campus of Hotel Waldorf, Mal-lital, Nainital,

(and more tully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Lucknow in June, 1984.

for an apparent consideration which is, less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :---

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and|or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922. (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the suid Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :---

(1)	1.	Shri	Ram	Prakash,	

- 2. Shri Suraj Autar, 3. Shri Om Autar,
- Vishnu Autar, 4.
- Shri Anil Kumar,
 Shri Rajiv Kumar,
 Shri Rakesh Kumar,
- 8. Shri Ashok Kumar Goel.
- (Transferor) (2) Shri Kewal Kishore Chawla.
- (Transferee) (3) Vendors.

(Person in occupation of the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable Property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette,

EXPLANATION :- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A plot of land measuring 356.90 sq. ft. or 30.33 sq. mtrs. situated in campus of Hotel Waldorf, Mallital, Nainital (as mentioned in 37G Form No. 224) registered by the Registering Authority, Nainital in June, 1984,

> A. PRASAD Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax Acquisition Range Lucknow

Date : 13-2 1985 Seal :

8890

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

> ACQUISITION RANGE, 57, RAM TIRTH MARG, LUCKNOW

Lucknow, the 13th February 1985

G I.R No. G-147/Acq -Whereas, I,

A. PRASAD A. PRASAD being the Competent Authority under Section 269B of the income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the im-movable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing land transfer of the studied at

I and, structures etc situated at Masinkhet Tak, Mauza-Khabiar, Teh, & Distt. Nainital (and more fully described in the Schedule annexed hereto) his been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer/Registrar/ Sub-Registrar at

Calcutta on 14-6-1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as afore-said exceeds the apparent consideration therefor by more than liftcen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the patties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :---

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; andior
- (b) facilitating the concealment of any income or any radinating the conceanment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or tht said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957):

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :-

(1) Shii Anandilal Goenka.

(Transferor) (2) Shii Kushna Kumar Khemka,

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :--

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette of a period of 30 days from the service of the notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.
- EXPLANATION :- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter

THE SCHEDULE

All that piece and parcel of land measuring 12.5 acres more or less together with all plants, trees and structures situated thereon and being a portion of snowiew orchards in Masankhet Tak, Mouza-Khabrar, Patti-Satbonga, Tehsil and Distt. Nainital, registered by the Registering Authority Calcutta on 14-6-1984.

> A PRASAD Competent Authority Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax Acquisition Range, Lucknow

- (1) Shri Anandilal Goenka.
- (2) Mrs. Kanta Devi Shroff.

(Transferors)

(Transferees)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX,

> ACOUISITION RANGE. 57, RAM TIRTH MARG, LUCKNOW

Lucknow, the 13th February 1985

G.I.R. No. K-148/Acq.-Whereas, J, A. PRASAD

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the im-movable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Land, structures etc. situated at

Masankhet Tak Mauza-Khabrar Teh. & Distt. Nainital (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer/Registrar/ Sub-Registrar at

Calcutta on 14-6-1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the conside-ration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :---

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer. andlor
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Incometax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :---

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immov-able property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.
- EXPLANATION :--- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the sald Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

All that piece and parcel of land measuring 12.5 acres more or less together with all plants, trees and structures situated thereon and being a portion of snowview orchards in Masankhet, Tak, Mouza-Khabrar Patti Satbonga, Tchsil and Distt. Nainital registered by the Registering Authority, Calcutta, on 14-6-1984.

A. PRASAD Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range, Lucknow

PART III-SEC. 1]

THE GAZETTE OF INDIA, MARCH 9, 1985 (PHALGUNA 18, 1906)

FORM IINS-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX

> ACQUISITION RANGE, 57, RAM TIRTH MARG, LUCKNOW

Tucknow the 13th February 1985

G.I.R. No. M-210/Acq.—Whereas, J. A. PRASAD

being the Competent Authority under Section 269B, of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) hereinafter re-ferred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. $25\,000/$ - and bearing No. Plot of 1.9.1 situated at the Campus of Hotel Waldorf, Dainital

Hotel Waldorf, Nainital

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred cader the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer/Registrar/ Sub-Registrar 44

Nainital in June, 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceed she apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of;

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said 'Act. in respect of any income arising from the transfer; uni or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income tax Act, 1922. (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act. 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the users of this notice under sab-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons pamely :----49-486GI/84

- (1) 1. Shri Ram Prakash
 - 2. Shii Sulaj Autar 3. Shii Om Autar
 - 4. Shri Vishnu Autar 5. Shri Anil Kumar

 - 6. Shti Rajiv Kumar 7. Shti Rokesh Kumar
 - S. Shri Ashok Kumar Goel,
- (Transferor) (2) 1. Shri Mohan Singh Bist. 2. Shri Govind Singh Bist.
 - (Transferce)
- (3) Vendors. (Person in occupation of the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.
- ETPENNATION :-- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A plot of land men using 550 sq. [t. or \$1.20, metres situated in campus of Hotel Waldorf, Mallital, Naivital (as mentioned in 37G Form No. 227) registered by the Registering Authority, Nainital, on June, 1984.

> A. PRASAD Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range, Lucknow

FORM ITNS -----

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX

> ACQUISITION RANGE. 57, RAM TIRTH MARG, LUCKNOW

Tucknow, the 13th February 1985

G I.R. No. M-211/Acq -Whereas, I. A. PRASAD.

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

Land, structures etc. situated at Mauze-Khabrai, Patti Satbonga Teh & Distt Nainital

(and more fully described in the schedule annexed herete) has been transferred under the Registration Act, 1902° (1) of 1908) in the Office of the Registering Officer/Re_c (st γ) Sub-Registrar at

Calcut'a in June, 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as afore-said exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen ver cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said insrument of transfer with the object of :-

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and /or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act 1957 (27 of 1957);

All that piece or parcel of land measuring 10.5 acres more or less together with all plants, trees and structures staated therein and being a portion of Masankhet Tak at Mouza-khab in Patti-Subonga, Tehsil and Distt. Nainital, registered by the Registering Authority, Calcutta, in June, 1984.

THE SCHEDULE

A. PRASAD Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range. Lucknow

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I bereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :---

Date - 13-2-1985 Seal :

(1) Shu Om Prakash Goenka. (Transferor)

(2) Machine Works (International) Itd. I, Au Mand Place, Calcutta.

*(Transferre)

Objections, if any to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :-

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immov-able property, within 45 days from the date of the publication of the notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :---The terms and expression used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX.

ACQUISITION RANGE, 57, RAM TIRTI' MARG, LUCKNOW

Lucknow, the 13th February 1985

G.J.R. No. M-212/Acq.-Whereas, I, A. PRASAD

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have teason to believe that the unmovable property having a fair market value exceedings 18, 100 h ;and bearing

Ground floor of premises No. 31/56 situated at

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act. 1908 (15) of 1908) in the Office of the Registration Glicet/Ke astra

Sub-Registrar at Lucknow on 22-6-1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesard property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the stud instrument of transfer with the object of :--

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay any under the said Act, in respect of any income arising from the transfor, and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ough to be disclosed by the transferree for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-atx Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act. to the following persons, namely :-

(1) Dr. Ranjit Bhargava.

(2) M/s. Modern Silk House, 31/56 Mahatma Gandhi Marg, Lucknow, Through its Partner, Shri Chandra Kumar Jashnani.

(Transferee)

(Transferor)

(3) Vendee. * (Person in occupation of the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :-

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this netice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immov-able or perty within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.
- EXPLANATION :-- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act. shall have the same meaning as given in that Chapter,

THE SCHEDULE

Space of the ground floor shop of premises No. 31/56 (Old No. 48) together with four walls, floor ad ceiling ex-ceptung the lant (on which the said shop exists), situated at M. G. Marg, Hazratganj, Lucknow, registered in the Re-gistering Authority, Iucknow, on 22-6-1984.

A. PRASAD Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range, Lucknow

(Transferors)

(Transferces)

A. PRASAD Competent Authority

Lucknow

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX AC1, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX

> ACQUISITION RANGE, 57, RAM TIRTH MARG, LUCKNOW

Lucknow, the 13th February 1985

G.I.R. No. R-241, Acq.--Whereas, I, A. PRASAD

A. FRASAD being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Plot of land situated at the Campus of Hotel Waldorf, Nainital (and more fully described in the Subcdule appared hereit)

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer/Registrar/ Sub-Registrar at

Nainital in June, 1984

Namital in June, 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and 1 have reason to believe that the fair market value of the property as afore-waid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :=. of transfer with the object of :---

- (a) facilitating the reduction or evasion of the hatility of the transferor to -pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; ∎ød/or
- (b) facilitating the concealment of any motions or any moneys or other assets which have not been or which ought to be discleded by the constrained for the nurposes of the industa income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

A plot of 1 and measuring 1297 77 sq ft. or 120.72 sq. met-res situated in campus of Hotel Waldrof, Malhtal, Nainital (as mentioned in 37G Gorm No. 222) registered by the Registering Authority, Namital, in June, 1984

Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax

Now, therefore in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :---

Date : 13-2-1985 Scal:

- (1) 1. Snri Ram Prakash 2. Shri Sulaj Autas
 - 3. Shii Om Autar
 - 4. Shii Vishnu Autar 5 Shii Anil Kumar
 - 6. Shri Rajiv Kumar
 - 7. Shr Rakesh Kumar
 - 8. Shri Ashok Kumai Goel.

A DESCRIPTION OF THE REAL PROPERTY OF

- (2) Shri Rajendra Prasad Agarwal,

(3) Vendois

لاستاقا والاتراث الما

(Person in occupation of the property)

Ojections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :-

- (a) by any of the aforesaid persons within a period or 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of point on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immov-able property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.
- Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Acquisition Range,

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME IAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

> ACQUISITION RANGE. 57, RAM TIRTH MARG, LUCKNOW

Lucknow, the 13th February 1985

GI.R. No. R-242/Acq.-Whereas, I, A. PRASAD

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinaiter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the imacvable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/-and bearing No.

- Land, structures etc. situated at Mauza-Khab.ar, Patti Satbonga Teh. & Distt. Nainital

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the \mathbb{R}_{+} state Act. 1203 (16 of 1908) in the Office of the \mathbb{R}_{+} that is a first \mathbb{R}_{+} that \mathbb{R}_{+} the \mathbb{R}_{+} of \mathbb{R}_{+} the \mathbb{R}_{+} th Sub-Registrar at

Calcutta in June, 1984

- tr

Calcutta in June, 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid ruor in the property as afore-said exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such approximate it is interaction and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not be $q = 10^{-1}$ is $1 \le 10^{-1}$ in transfer of transfer with the object of :--

- (a) facilitating the reduction or evasion of the Lapility of the transferor to pay tax under the said Act. in respect of any income arising from the transfer; and /or
- (b) facilitating the concealment of any incutie or any the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the said Act, to the fellowing persons. namely :---

Date : 13-2-1985 Seal :

8897

(2) Shri Reknas Limited. 5, Fancy Lane, Calcutta.

(1) Shr. Sushil Kumar Goenka

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned .

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective, persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in this said infinov-able property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :- The terms and expressions used cherein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter

THE SCHEDULE

All that piece or parcel of land measuring 11 acres more All that piece of parcer of land measuring 11 actes more or less together with all plants, trees and structures situated thereon and comprised in Mashanket Orchord at Mauza-Khabrar Patti-Satbonga, Tehs-1 and Distt. Nainital, registered by the Registering Authority, Calcutta, in June, 1984.

> A. PRASAD Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range, Lucknow

(Transferor)

|PVT IU-SEC. 1}

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269-D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX

> ACQUISITION RANGE, 57, RAM TIRTH MARG, LUCKNOW

Lucknow, the 13th February 1985

G.I.R. No. S-355/Acq.—Whereas, I, A. PRASAD

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tex Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter-referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000 and bearing No.

Plot of land situated at the Campus of Hotel Waldorf Namital

(and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer/Registrar/ Sub-Registrar at

Nainital in June, 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :--

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfery and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957):

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :--- (1) 1. Shri Ram Prakash
2. Shii Suraj Autai
3. Shii Om Autai
4. Shri Vishnu Autai
5. Shri Anil Kumar
6. Shii Rajiv Kumar
7. Shri Rakesh Kumar
8. Shri Ashok Kumar Goel.

- (2) Smt. Sheela Tandon. (Transferce)
- (3) Vendors (Person in occupation of the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :---The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning is given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A plot of land measuring 415 32 sq. ft. or 30.81 sq. metres situated in campus of Hotel Waldorf Mallital, Nainital (as mentioned in 37G Form No. 228) registered by the Reg stering Authority, Nainital, in June, 1984.

> A. PRASAD Competent Authority Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax Acquisition Range, Lucknow

Date : 13-2-1985 Seal :

8898

THE GAZETTE OF INDIA, MARCH 9, 1985 (PHALGUNA 18, 1906)

8899

FORM ITNS-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONFR OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE 57, RAM TIRTH MARG, I UCKNOW

I ucknow the 13th February 1985

GIR. No V-76/Acq-Whereas, I, PRASAD

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act. 1961 (43 of 1961) 'hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs 25,000 /and bearing

Plot of find situated at the Campus of Hotel Waldrof Malh al Namital (and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer/Registrat / Sub-Registrar et

Namital in June, 1984

for an apparent consideration which is less than

the four market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as afore-aid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per c nt of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :---

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay an under the said Act, is respect of any income arising from the transfort and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been of which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (1' of 1922) or the said Act, or the W-alth-tax Act 1957 (27 of 1957):

Now, therefore in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the assue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act. to the following ing percons. namely -

(1)	1. Shri Ram Prakash	
	2. Shri Suraj Autar	
	3. Shri Om Autau	
	4. Shri Vishnu Autar	
	5. Shri Anil Kumar	
	6. Shri Rajiv Kumar	
	7. Shri Rakesh Kumar	
	8. Shri Ashok Kumar Goel.	
		(Transferor)
(2)	Shri Vijay Gupta.	(11-40-0-0-0)

(Transferce,

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned ;---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other peron interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazetts.

EXPLANATION :- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A plot of land measuring 1045.01 sq ft. or 98 sq. mtrs. in campus of Hotel Waldorf, Mallital, Nainital (as mentioned in 37G Form No. 223) registered by the Registering Authority, Namital in June, 1984.

> A. PRASAD Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range, Lucknow

NGTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMINT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, HILLRABAD (A.P.)

Hyderabad, the 14th February 1984

Ref. No. IAC/ACQ/37-EF/123.—Whereas, I, M. JEGAN MOHAN,

being the Competent Authority under Section 2693 of the income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,060/- and bearing No.

Cflice situated at Babukhan Estate Basia bagh, Hru (abad (and me e fully described in the schedule annexed here o), has beer transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registration Officer at

IAC, Act Haderabad in 4/84

for an spparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property, as aforesaid exceeds he arparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such tapparent consideration and that the consider ion for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :-- M/s. Babu Khan Constuction Co., 5-9-58/1, Bashirbagh, Hyderabad.

(Transferor)

(2) Smt. Ratnamala Sabco, 3-4-144/3. Erion Garden, Hyderabad.

(Transferee)

Objections, if env, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :--

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons; whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.
- EXPLANATION :-- The terms and expressions used berein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE Office No. 1007, 10 h floor of Babu Khan Estate, Hyderabud, area 1058 sft., as stated in the agreement registered in t_{1}^{1} Office of the 1 A C, Acq. Hyderabad vide Sl. No. 574/

- (a facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and¹or
- (b) facilitating the concealment of any income or any imoneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :--- Acquisition Range, Hyderobad (A.P.)

Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax

M. JEGAN MOHAN Competent Authority

PART 111-SEC. 1]

FORM ITNS-----

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, HYDERABAD (A.P.)

Hyderabad, the 14th February 1984

Ref. No. IAC/ACQ/37-FE/124.—Whereas, I, M IEGAN MOHAN,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing Office situated at Babukhan Estate Bashirbagh, Hyderabad

Office situated at Babukhan Estate Bashirbagh, Hyderabad (and more fully, described in the Scheduled annexed hereto), has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registration Officer at

IAC, Acq. Hyderabad in 4/84

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :--

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer: and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Office space No. 1306 in 13th floor of 5-9-58/1-15, Babu Khan Estate, Bashirbagh, Hyderabad area 1103 sft. agreement registered in the Office of the IAC Acq. Hyderabad vide Sl No 575/84

THE SCHEDULE

M JEGAN MOHAN Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range, Hyderabad (A.P.)

 M/s. Babu Khan Constructions. 5-9-58/1-15 Bashirbagh, Hyderabad.

(Transferor)

(2) Baby Maliba Saher,
 D/o Shti Bashiruddin Babukhan,
 6-3-1,111/4, Nishat Bagh layout, Begumpet,
 Hyderabad. (Transferee)

(a) by any of the aforesaid persons within a period

Objections, it any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE GAZETTE OF INDIA, MARCH 9, 1985 (PHALGUNA 18, 1906)

FORM ITNS-

NOTICE UNDER SECTION 269(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, HYDERABAD (A.P.)

Hyderabad, the 14th February 1984

Ref. No. IAC/ACQ/37-FE/125.---Whereas, I,

M. JEGAN MOHAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that

the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Office situated at Bashirbagh Hyderabad

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred as per deed registered under the Indom Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Office at

IAC, Acq. Hyderabad in 4/84

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :---

- (a) incilitating the reduction or evention of the limbility of the transferer to pay tax under the said Act, is respect of any income arising from the transfer; iind /or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the, Wealth-tax Act. 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely ;---

- (1) M/s. Babu Khan Constructions, 5-9-58/1-15 Babu Khan Estate, Bashirbagh, Hyderabad. (Transferor)
- (2) Sri Sycd Ameer R/o 1-6-675/3, Musheerabad, Hyderabad.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons. whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of the notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:-The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Office space No. 1308 in 13th floor of Babu Khan Estate, Bashir Bagh, Hyderabad area 1022 sft., as mentioned in the agreement to sale registered in the Office of the I.A.C., Acq. Fange, Hyderabad vide Sl. No. 576/84,

> M JEGAN MOHAN Competent Authority Inspecting Asstt. Commissioner of Incom-tax, Acquisition Range. Hyderabad (A.P.)

Date : 14 2-1985 Seal :

8902

FORM TINS-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, HYDERABAD (A.P.)

Hyderabad, the 14th February 1984

Ref. No. IAC ACQ/37EE/126. –Whereas, 1, M. JEGAN MOHAN,

being the Competent Authority under Section 269B of the the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

Rs. 25,0007 and bearing Office situated at Babukhan Estate Bashirbagh, Hyderabad (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has een transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Office at IAC, Acq. Hyderabad in 4/84

market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties bas not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :--

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

THE SCHEDULE

(b) meilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transfere for the purposes of the indian income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act; 1957 (27 of 1957);

Office No. 167, 168, 172, 173 1st floor of Babu Khan Estate Bashir Bagh, Hyderabad area as mentioned in the agree-ment to (1523.76 sft.) sale registered in the office of the I.A.C., Acq. Range, Hyderabad vide Sl. No. 586/84.

> M. JEGAN MOHAN Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range, Hyderabad (A.P.)

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subtion (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :---

Date : 14-2-1985 Seal:

 M/s. Babu Khan Constructions, 5-9-58/1-15, Bashirbagh, Hyderabad.

(Transferor)

(2) Sri Ajmal Z. Sanai, <u>R/o</u> Tulipa, 1-8-303/34, S. P. Road, Hyderabad.

(Transferee)

Objections, if any to the acquisition of the sald property may be made in writing to the undersigned :--

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immov-able property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :---The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACI, 1961 (43 OF 1961)

GOVER MENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, HYDERABAD (A.P.)

Hyderabad, the 14th February 1984

Ref. No. IAC/ACQ/37-EE/127.—Whereas, I, M. JEGAN MOHAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Flat situated at Secunderabad

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Office at

IAC, Acq. Hyderabad in 4/84

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reson to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :--

- (a) facilitating the reduction or evaluation of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the 'said Act' to the following persons, namely :---

- M/s. Innovation Associates, 142/C, Prendetghasi Road, Secunderabad.
- (2) Shi K. Mohan Reddy, 1-11-28, Phulong Road, Nizamabad.

(Transferee)

(Transferor)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :--

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later.
- (b) by any other person interested in the said immervable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette
- EXPLANATION :----The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 204 in Innovation Apartments, P.G. Road, Secunderabad area 1375 sft., as montioned in the agreement to sale registered in the Office of the I.A.C. Acq. Range Hyderabad vide Serial No. 594/84.

> M. JEGAN MOHAN Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range, Hyderabad (A.P.)

FORM ITNS-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGE, HYDERABAD (A.P.)

Hyderabad, the 14th February 1985

Ref. No. IAC/ACQ/37-EE/128.--Whereas, 1, M. JLGAN MOHAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 -71963) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000and bearing No.

Office situated at Babukhan Estate Hyderabad (and more tuly described in the Schedule annexed hereto) has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registration Officer at IAC, Acq. Hyderabad in 4/84

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration, and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :---

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer: and /or
- (b) facilitating the concealment of any income or .ny moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957),

- (1) M/s. Babu Khan Constuction Co., 5-9-58/1-15, Bashinbagh, Hyderabad. (Transferor)
- (2) Smt. Masarathunissa Begum, 702, Mogul Apartments, Devcane Towers, Bashiibagh, Ivderabad.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :-

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette of a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :--- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Office No. 1301, 1302 at 13th floor of Babu Khan Estate, Bashiibagh, Hydorabad area as mentioned in the agreement to sale 2407 stt, registered in the Office of the 1 A.C. Acq. Range, Hyderabad vide Sl. No 596/84.

M, JEGAN MOHAN Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range, Hyderabad (A.P.)

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act. I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely --

FORM ITNS-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, HYDERABAD (A. P.)

Hyderabad, the 14th February 1985

Ref. No. IAC/ACQ/37-EE/129.—Whereas, I, M. JEGAN MOHAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-ma Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000]-und begins No. and bearing No.

Flat situated at Bank Street, Hyderabad (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred

under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at

IAC, Acq., Hyderabad in April, 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :---

(a) facilitating the reduction or evialogi of the link of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(1) Amrit Apartments, 4-3-336, Bank Street, Hyderabad.

(2) Smt. Proveen Rani Saxeena, 6-2-966/6, Hill Colony, Khairatabad, Hyderabad.

(Transferee)

(Transferor)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :-

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :- The terms and expressions used herein as herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

(b) facilitating the concentment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferce for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tas Act, 1957 (27 of 1957);

Flat No. 103-B in ground floor of Amrit Apartments, 4-3-336, Bank Street, Hyderabad area 763 sft. as mentioned in the agreement to sale registered in the Office of the I.A.C., Acq. Range, Hyderabad vide Sl. No. 600/84.

M. JEGAN MOHAN Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range, Hyderabad (A.P.)

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesa'd property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the followpersons, namely :---

PAR1 III-SEC. 1]

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, HYDERABAD (A.P.)

Hydetabad, the 14th February 1985

Ref. No. IAC/ACQ/37-EF/130-Whereas, J.

M JEGAN MOHAN, being the Competent Authority under Section 269-B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Flat situated at A. C. Guards, Hyderabad

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at IAC, Acqn, Hyderabad in April, 1984

for an apparent consideration which is less than the tair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consic ration therefor by more than lifteen per cent of such apparent consideration and that consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :---

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respective of any income arising from the transfer; and/or

which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

(b) facilitating the concealment of any income or any

moneys or other assets which have not been or

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initate proceedings for the acquisition of the aloresaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :---

(1) M/s Rudraraju Builders, 10-2-6, A. C. Guards, Hyderabad.

- -- - -

(Transferor) (2) Shri Namnadas, Bombay Discount, Hall, Phool Bazar, Kurnool, (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :--

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichover period expires later:
- (b) by any other person interested in the said immovable propert within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette

EXPLANATION :--- The terms and expressions used berein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat situated at 10-2-6, A.C. Guards, Hyderabad area 1021 sft, as mentioned in the agreement to sale registered in the Office of the I.A.C., Acquisition Range Hyderabad vide SI. No. 603/84.

> M. JEGAN MOHAN Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range, Hyderabad (A.P.)

Date : 14-2-1985 Seal :

8907 ·····

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGE, HYDERABAD (A.P.)

Hyderabad, the 14th February 1985

Ref. No. IAC/ACQ/37-EE/131 Whereas, I, M JEGAN MOHAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immov-able property, having a fair market value exceeding Rs. 25.000/- and bearing No. Flat situated at Marredpally Secunderabad (and more fully described in the Schedule annaxed hereto), has been transferred under the Registratation Act 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at IAC, Acqn. Hyderabad in April, 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have

fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by as alteresting exceeds the apparent consideration referror by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :--

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Ast, in respect of any income arising from the transfer; and /or

THE SCHEDULE

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferce for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act. or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Flat No. 2 in ground floor of Gitanjali Constituction, Marrodpally Secunderabad area as mentioned in the agree-ment to sale registered in the Office of the I.A.C., Acq. Range, Hyderabad vide serial No. 604/84.

> M., JEGAN MOHAN Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range, Hyderabad (AP.)

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act. I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :---

Date: 14-2-1985 Seal :

(1) Gitaniali Constrution, A.O.C. Centre, 226/A, Marredpally, Secunderabad.

(Transferor)

(2) Sri Keki Dadabhy, D-11-17, Moti bagh, New Delhi-21.

(Transferee)

Objections, if any to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :-

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days, from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immov-able property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act. shall have the same meaning as given in that Chapter.

8908

THE GAZETTE OF INDIA, MARCH 9, 1985 (PHALGUNA 18, 1906) PART III-SBC. 1]

FORM ITNS----

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASS'TT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE HYDERABAD (AP)

Hyderabad, the 14th February 1985

Ref No RAC, NO. IAC/ACQ/37-EE/132 Whereas, I,

- M. JEGAN MOHAN, being the Competent Authonity under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a tan market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No

Rs. 25,000/- and bearing No Flat situated at Marredpally Secunderabad (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at IAC, Acqn. Hyderabad in April, 1984 for an apparent consideration which is less than the fair mirket value of the aforestad property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforestaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :-

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer: and /or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the raid Act, to the following bersons namely 51--486GT/84

(1) Gitanjalı Construction, A. O. C. Centre, 225/A, Marredpally, Secunderabad

(2) Noshir Talwala, Salana Tea Estate. Salana P.O. Nowgong, Assam-782 139

(Transferee)

(Transferor)

Objections, if any to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :--

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days, from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons. whichever period expires later:
- (b) by any other person interested in the said immovble property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.
- EXPLANATION :--- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter

THE SCHEDULF

Flat No. 3 in A.O.C. Centre. 225/A, Marredphlly, Secundelabed area as mentioned in the agreement to sale registered in the Office of the IAC, Acquisition Range, Hyderabad vide SI, No 605/84

> M., JEGAN MOHAN Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range Hyderabod (AP)

FORM I.T.N.S.-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, HYDERABAD (A.P.)

Hyderabad, the 14th February 1985

Ref. No. IAC/ACQ/37-EE/133.—Whereas, I, M. JEGAN MOHAN,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961, (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/and bearing No.

Office situated at Bashirbagh Hyredabad

(and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registratation Act 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at 1AC, Acqn., Hyderabad in April, 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the offerencial economic and T then

market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as afore-said exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between parties has not been truly stated in the said instrument the of transfer with the object of ;----

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, is respect of any income arising from the transfer and or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian mecome-tax Act, 1922 (11 of 1922), or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

(1) M/s. Babu Khan Construction, 6-9-58/1-15, Basheerhagh, Hyderabad. (Transferor)

(2) Snit. Razia Ashraq, w/o Sri Ashraq Ahmed Khan, Office space No. 145, Ist floor, 5-9-58/1-15, Babu Khan Fstate, Hyderabad (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :-

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.
- EXPLANATION :- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter

THE SCHEDULE

Office space No. 145 in Bashirbagh, Hyderabad 5-9-58/1-15, agreement as registered in the office of the I.A.C., Acq. Range, Hyderabad vide SI, No. 606/84. (Arca 305.46 sft.,)

> M., JEGAN MOHAN Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range, Hyderabad (A.P.)

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, J hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:-

PART III--SEC. 1]

FORM ITNS-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, HYDERABAD (A.P.)

Hyderabad, the 14th February 1985

IAC, ACQ/37-EE/134 Whereas, I, M 3EGAN MOHAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. (and more fully described in the Schedule annexed hereto), Form No. 37EE is submitted has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer

for an apparent consideration which is less than the fair narket value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :---

(Transferor)

(2) M/s. Ahmed & Co., Sojaji gate, Jodhpul. (Rajasthan)

(Transferce)

.

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :---

- (b) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested, in the said immov-able property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 407 in 4th floor of 142/C. Penderghast Road, Secunderabad area 1650 sft., as mentioned in the 37-EF regis-tered in the Office of the J.A.C., Acq. Range, Hyderabad vide SI. No. 609/84,

> M., JEGAN MOHAN Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range, Hyderabad (A.P.)

Now, therefore, in pursuance of Section 369C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :---

⁽a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

⁽b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by trasferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

⁽¹⁾ Innovation Associates, 142/C, Penderghast Rd, Secunderabad.

[PART III-SEC. 1

FORM ITNS-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, HYDERABAD (A.P.)

Hyderabad, the 14th February 1985

Ref. No. IAC/ACQ/37-EE/135.-Wheras, I,

M. JEGAN MOHAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

l-lat situated at Bashirbagh Hyderabad

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of Registering Officer at IAC, Acq., Hyderabad in April, 1984.

to an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than liften per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :---

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or M/s. Babu Khan Construction, 5-9-58/1-15, Bashirbagh, Hydernbad.

(Transferor)

== 2..=1

 (2) Sri Mahmood Ali, 16-2-59/C, Akbarbagh, Hyderabad.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :--

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other persons interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.
- EXPLANATION: —The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferree for the purposes of the Indian Income-tav Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Office space No. 156, 157 at Babu Khan Fstate, Bashirbagh, Hyderabad area 614 sft., as mentioned in the agreement to sale registered in the Office of the I.A.C., Acq. Range, Hyderabad vide Sl. No. 611/84.

> M. JEGAN MOHAN Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range, Hyderabad (A.P.)

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :---

PART LII-SEC, 1]

FORM I.T.N.S.-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONFR OF INCOMF-TAX

ACQUISITION RANGE, HYDERABAD (A.P.)

Hyderabad, the 14th February 1985

Ref. No. IAC/ACQ/37-EE/136.—Whereas, I, M. JEGAN MOHAN,

being the Competent Authority under Section 269-B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding exceeding Rs. 1,00,000 and bearing No.

Flat situated at Hyderabad

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registratation Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Other

at I'C, Acq., Hyderabad in April, 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :--

(a) facilitating the reduction or evasion of the hability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act., I hereby mainte proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :---

 Platinum Construction Co., 4-1-966, Abdi Road, Hyderabad.

(Transferor)

 Miss Ayesha Sultana, 5-7-328, New Agapura, Hyderabad.

(Transferce)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested to the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 4 in 3-6-138, Hyderabad area 12138 sft., as mentioned in the agreement to sale registered in the Office of the I.A.C., Acquisition Range, Hyderabad vide SI. No. 612/84.

> M. JEGAN MOHAN Competent Authority Inspecting assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range. Hyderabad (A.P.)

FORM TINS-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, HYDERABAD (A.P.)

Hyderabad, the 14th February 1985

Ref. No. IAC/ACQ/37-EE/137.---Whercas, I, M. JEGAN MOHAN,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax, Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

Flat situated at Marredpally Secunderabad

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred

under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at IAC, Acq., Hyderabad in April, 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :---

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(1)M/s. Gitanjali Construction, 225/A. Marredpally, Secunderabad.

(Transferor)

(2) Mr. Mark Stephen Romeo. 218, West Marredpally, Secunderabad.

(Transferce)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undresigned :

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 43 days from the date of publication of this notice the service of notice on the respective persons, in the Official Gazette or a period of 30 days from
- (b) by any other person interested in the said immov-able property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :--- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA, of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Hat No. 1 in ground floor at Marredpally, Seconderabad area as mentioned in the agreement to sale registered in the Office of the I.A.C., Acq. Range, Hyderabad vide Sl. No. 611-A/84.

> M. JEGAN MOHAN Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range, Hyderabad (A.P.)

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-sec-tion (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely .--

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGE, HYDERABAD (A.P.)

Hyderabad, the 14th February 1985

- Ref. No. IAC/ACQ/37-EE/138.---Whereas. I, M. JEGAN MOHAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter refetred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000]and bearing No.
- Shop situated at Himayathnagar Hyderabad (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer
- at IAC, Acq., Hyderabad in April, 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and 1 have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the partics has not been truly stated in the said instrument of ransfer with the object of :--

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :---

(1) M/s. Platinum Construction, 4-1-966, Abid Road, Hyderabad.

(Transferor)

(2) Master M.A. Rajman, 5-7-328, New Agapura, Hyderabad.

(Transferce)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :--- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Shop No. 3 at Himayathnagar, Hyderabad area 12138 sft., as mentioned in agreement to sale registered in the Office of the IAC, Acq. Range, Hyderabad vide Sl. No. 613/84.

> M., JEGAN MOHAN Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range, Hyderabad (A.P.)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, HYDERABAD (A.P.)

Hyderabad, the 14th February 1985

Ref. No. IAC/ACQ/37-EE/139.-Whereas, I,

M. JEGAN MOHAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Flat situated at Himayathnagar Hyderabad (and more fully described in the Schedule annexed hereto)

has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at IAC, Acq., Hyderabad in April, 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :---

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer: aad /or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said

Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act. o the following persons, namely :--

Date : 14-2-1985 Scal :

(1) M/s. Platinum Construction Co., 4-1-966. Abid Road, Hyderabad,

(Transferor)

(2) Sri M.A. Mujeeb, 5-7-328, New Agapura, Hyderabad,

(Transferce)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later.
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the pub-lication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Shop Nos 1 and 2 at Himayathnagar, Hyderabad area 12138 sft., as mentioned in the agreement to sale registered in the Office of the I.A.C., Acq. Range, Hyderabad vide Sl. No. 614/84,

> M. JEGAN MOHAN Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range, Hyderabad (A P.)

PART 111--SEC. 11

NAMES OF A DESCRIPTION OF A

FORM ITNS-

۰,

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

UFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, HYDERABAD (A.P.)

Hyderabad, the 14th February 1985

Ref. No. IAC/ACQ/37-EE/140.—Whereas, I. M. JEGAN MOHAN,

Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000nd bearing No.

(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at

IAC, Acq., Hyderabad in April, 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fitteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of ;-

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and /or

(5) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957); (1) M/s. Platinum Construction Co., 4-1-966, Abid Road, Hyderabad.

(Transferor)

(2) M. A. Samad, 5-7-328, New Agapura, Hyderabad.

(Transferee)

Objections if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :-

- (a) by any of the aforesald persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, which-ever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immov-able property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the official gazette.

EXPLANATION :--- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Shop No. 15 at Himayathnagar, Hyderabad area 12138 sft., as mentioned in the agreement to sale as registered in the Office of the I.A.C., Acquisition Range, Hyderabad vide Sl. No. 615/84.

> M. JEGAN MOHAN Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range, Hyderabad (A.P.)

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :— 52 - 486 GI/84

FORM ITNS-----

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT

COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, HYDERABAD (A.P.)

Hyderabad, the 14th February 1985

Ref. No. 1AC/ACQ/37-EE/141.-Whereas, I, M. JEGAN MOHAN,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the im-movable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

Shop situated at Himayathnagar, Hyderabad

(and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at IAC, Acq., Hyderabad in April, 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :---

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and /or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferce for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act. 1957 (27 of 1957):

Shop No. 16 area 12138 sft., as mentioned in agreement to sale registered in the Office of the I.A.C., Acquisition Range, Hyderabad vide Sl. No. 616/84

> M. JEGAN MOHAN Competent Authority Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax Acquisition Range, Hyderabad (A.P.)

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :--

Date : 14-2-1985 Seal :

(1) M/s. Platinum Construction Co. 4-1-966, Abid Road, Hyderabad.

(Transferor)

(2) Mrs Reeta Suxena, 20-1-397, Sukhain, Koka-Tatti, Hyderabad.

(Transferce)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, which we carried termine latent. whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immov able property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :- The terms and expressions used herein as ale defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given at that Chapter.

THE SCHEDULE

8918

FORM ITNS----

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

ASSISTANT COMMIS-OFFICE OF THE INSPECTING SIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, HYDERABAD (A.P.)

Hyderabad, the 14th February 1985

Ref. No. IAC/ACQ/37-EE/142.-Whereas, I, M. JEGAN MOHAN,

M. JECAN MOHAN, being the Competent Authority under Section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immov-able property, having a fair market value exceeding Rs, 25,000/- and bearing No. Flat situated at Raghunathbugh, Hyderabad (and moto fully described in the Schedula unnexed here(a))

(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at IAC, Acq., Hyderabad in April, 1984

at IAC, ACq., Hydetabad in April, 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as afore-said exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :--of transfer with the object of :---

- (a) facilitating the reduction or evasion of the Mability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the follow-ing persons, namely :--- (1) Dr. Neena P. Desai, F. No. 5, Adarshnagar, Hyderabad.

(Transferor)

(2) Smt. Mrudula Vinod Sharma & Other, Apartment No. F-3, Raghunathbagh Apartments, Raghunathbagh, Hyderabad.

(Transferce)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :--

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immov-able property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.
- EXPLANATION :---The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 3 in Raghunath Apartments, Raghunath Bagh, Hyderabad area 979 sft., as mentioned in the agreement in the office of the I.A.C., Acq., Range, Hyderabad vide Sl. No. 619/84.

> M., JEGAN MOHAN Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisiton Renye, Hyderabad A.P.)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, HYDERABAD (A.P.)

Hyderabad, the 14th February 1985

Ref. No. IAC/ACQ/37-EE/143.-Whereas, I, M. JEGAN MOHAN,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/-and bearing No.

Flat situated at Bank Street, Hyderabad (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at IAC, Acq., Hyderabad in April, 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as afore-said exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has been not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :---

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferce for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Flat No. 55 in 4th floor of Amrit Apartments, Hyderabad area 1067 sft., as mentioned in the agreement to sale registered in the Office of the I.A.C., Acq. Range, Hyderabad vide Sl. No. 624/84.

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the follow-ing persons parally in ing persons, namely :-

(1) Amrit Apartments, 4-3-336, Bank Strect, Hyderabad.

(Transferor)

(2) Smt. Hemalatha Srinivasan, P. No. 62, Madhavnagar, Saidabad, Hyderabad.

(Transferce)

- Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :-
 - (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
 - (b) by any other person interested in the said immov-able property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette
- EXPLANATION :--- The terms and The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

M. JEGAN MOHAN Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range, Hyderabad A.P.)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE HYDERABAD (A. P.)

Hyderabad, the 11th February 1985

RAC. No. 986/84-85.-Whereas, I,

M. JEGAN MOILAN,

being the Competent Authority under Section 269D of the Incoma-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. Flat situated at Punjagutta, Hyderabad

hand more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Hyderabad on 6/84

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds, the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the instrument of transfer with the object of ;---

- (a) fucilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act. I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act. to the following persons, namely :---

(1) M/s. Virgo Constructions, Re/, by Sri B. N. Reddy, Banjara Hills, Hyderabad. (Transferor)

> (2) Smt. K. Bharathi w/o. Dr. K. Radhakrishna, Flat No. 6, Kantisikhara Compled , Punjagutta, Hyderabad. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :-

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION --- The forms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 6 in Ist floor D-Block, Kantisikhara Apartments, Punjagutta, Hyderabad admeasuring 558 sft., registered by the S.R.O., Hyderabad vide document No. 3199/84.

M. JEGAN MOHAN Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range, Hyderabad (A.P.)

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOMETAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

was an an in the second of the

GOVERNMENT OF INDIA

UFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE HYDERABAD (A. P.)

Hyderabad, the 11th February 1985

RAC. No. 987/84-85.—Whereas, I, M. JEGAN MOHAN,

M. JEGAN MOHAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hcreinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Flat situated at Red Hills, Hyderabad (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registration Officer at

1908) in the office of the Registering Officer at Hyderabad on 6/84

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :---

(a) inclicating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; andlor

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the sold Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957):

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :----

(1) Sri Mukundlal Agaiwal, s/o Giridharlal, 11-4-656/1, Red Hills, Hyderabad.

(Transferor)

(2) Smt. P. Ramani W/o P. J. J. Rapu, 1-2-593/7, Domalguda, Hyderabad .

(Transferce)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :-

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immov able property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :- The terms and expressions used nerein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in the Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. B-710, VII floor at 11-4-656/1, Red Hills, Hyderabad admeasuring 1181 sft., registered by the S.R.O. Khairatabad vide document No. 1293/84.

> M. JEGAN MOHAN Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range, Hyderabad (A.P.)

PART III-SEC. 1]

·-----

FORM ITNS-----

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME TAX ACT 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

> ACQUISITION RANGE HYDERABAD (A. P.)

Hyderabad, the 11th February 1985

RAC. No. 988/84-85.-Whereas, I, M. JEGAN MOHAN,

M. JEGAN MOHAN, being the Competent Authority under Section 269B of the income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs, 25,000/- and bearing No. Rist situated at Red Hills' Hyderabad (and more fully described in the Schedule annexed hereto), nas been transferred under the registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Hyderabad on 6/84 for an apparent consideration which is less than the fair

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to market value of the atoresaid property and 1 have reason to believe that the fair market value of the property as afore-said exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:---

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; . and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferce for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act. 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the followin persons, namely :---

-- ---(1) Sri Mukundlal Agarwal, w/o. Giridharlal, 11-4-656/1, Red Hills, Hyderabad.

(Transferor)

(2) Sri K. N. Raom s/o. K. Balaram 11-4-656/1, Flat No. 211, Red Hills Hyderabad.

(Transferce)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires late;
- (b) by any other person interested in the said immov-able property, within 45 days from the date of the publication of this notice is the Official Gazette.

EXPLANATION :---The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 211 in 2nd floor at 11-4-656/1, Red Hills, Hyderabad admeasuring 1258 sft., registered by the S.R.O., Khairatabad vide document No. 1270/84.

> M. JEGAN MOHAN Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range, Hyderabad (A.P.)

FORM ITNS-----

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

- --- -==

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX.

ACQUISITION RANGE HYDERABAD (A. P.)

Hyderabad, the 11th February 1985

RAC. No. 989/84-85.-Whereas, I,

M. II GAN MOHAN,

- - - - -

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'sa'd Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/and bearing

No. Flat situated at Red Hills, Hyderabad (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Hyderabad on 6/84

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :--

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, is respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Λ_{ct} , 1, hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:--

 (1) Sr1 Laxmi Prasad & Others, 1-1-770/1, Gandhinagar, Hyderabad.
 (Transferor)

(2) S11 1. Ramgopal 3-6-190/3, Himayathnagar, Hyderabad.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.
- EXPLANATION :---The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 706 at Red Hills, Hyderabad M. No. 11-4-656/1, Hyderabad admeasuring 1181 sft., registered by the S.R.O., Hyderabad vide document No 3047/84.

> M. JEGAN MOHAN Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range, Hyderabad (A.P.)

PART III-SEC. 1]

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX, ACT 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE HYDERABAD (A. P.)

Hyderabad, the 11th February 1985

RAC. No. 990/84-85 .--- Whereas, I, M. JEGAN MOHAN,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding

Rs. 25,000/- and bearing No. Flat situated at Red Hills, Hyderabad (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of Registering Officer at Hyderabad on 6 (84 at Hyderabad on 6/84

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :---

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer and or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferce for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922. (11 of 1922) or the said Act. or the Wealth-tax Act.

(1) Sri Laxmi Prasad & Others, Gandhinagar, Hyderabad.

(2) Sri P. V. Subramanyam, 6-3-612/7, Anandnagar, Hyderabad,

(Transferce)

(Transferor)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.
- EXPLANATION :--- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

.

THE SCHEDULE

Flat No. 713 in VIIth floor at Red Hills, Hyderabad ad-measuring 874 sft., registered by the S.R.O., Hyderabad vide doument No. 3048/84.

M. JEGAN MOHAN Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range, Hyderabad (A.P.)

Now, therefore, in pursuance of Section 269-C of the said Act, hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act. to the following persons, namely :---53-486GI/84

1957 (27 of 1957);

Date: 11-2-1985 Scal:

FORM TINS-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

> ACQUISITION RANGE HYDERABAD (A. P.)

Hyderabad, the 11th February 1985

RAC. No. 991/84-85.-Whereas, I,

M. JEGAN MOHAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/-

No. Flat situated at A. C. Guards, Hyderabad (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer

at Hyderabad on 6/84

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as afore-said exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :---

(a) facilitating the reduction or evasion of the Hability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(1) M/s. Basera Builders, Rep. by Sri Imtiaz Ahmed Khan, 10-2-287/3, Shanti nagar, Hyderabad.

(Transferor) (2) Dr. T. Adinarayanaiah, Rep. by his wife Dr. Indira Venkataratnam, 11-6-655, Red Hills, Hyderabad.

(Transferce)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immov-able property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :-- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in the Chapter.

THE SCHEDULE

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Flat No. E/Il floor at Basera Apartments, 11-4-633/4, A. C. Guards, Hyderabad admeasuring 1050 sft., registered by the S.R.O., Hyderabad vide document No. 3342/84.

> M. JEGAN MOHAN Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range, Hyderabad (A.P.)

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :-

Date: 11-2-1985 Seal :

8926 PART III --- SEC. 1] The second s

and a second second

8927

FORM ITNS-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX,

> ACQUISITION RANGE (HYDERABAD (A.P.)

Hyderabad the 11th February 1985

RAC. No. 992/84-85.—Whereas, 1, M. JEGAN MOHAN,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the

immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. House situated at Akber Jah Bazar, Hyderabad (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Hyderabad on 6.84 Hyderabad on 6/84

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have remon to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen pet cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to believe the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :-

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer: und/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferre for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, 1 hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under mbsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :----

(1) Smt. K. Lalitha, w/o late K. Jagadcshwariah, 15-5-614 to 616, Akber Jah Bazar, Hyderabad and others.

CHART CHARTER

(Transferor)

(2) Smt. Meva Baim w/o. K. Shamsunder Agarwal 15-5-729, Akber Jah Bazar, Afzalgunj, Hyderabad.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:-

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :--- The terms and expressons used herein as are defined in Chapter XXV of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House property No. 15-5-614 to 616, Akberrah Bazar. Hyderabad registered by the S.R.O., Hyderabad vide document No. 3618/84,

> M. JEGAN MOHAN Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range, Hyderabad (A.P.)

== =

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE HYDERABAD (A. P.)

Hyderabad, the 11th February 1985

RAC, No. 993/84-85.—Whereas 1, M. JEGAN MOHAN,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/and bearing

No. Flat situated at Samrat Complex, Hyderabad (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Hyderabad on 7/84

Hyderabad on 7/84 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :--

- (a) facilitating the reduction of evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, is respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issued of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :--- Flat No. 9, Kanchenbagh, Hyderabad. (Transferor)

(2) Smt. Thara Balakrishnan and Other,

(2) Smt. Anuradha Pottabathni, 16-9-427/A/1, Old Malakpet, Hyderabad. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.
- EXPLANATION :- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter

THE SCHEDULE

Flat No. D-5 in H. No. 5-9-12 and 12/1, Sairabad, Hyderabad Samrat Complex registered by the S.R.O., Hyderabad vide document No. 3998/84.

> M. JEGAN MOHAN Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range, Hyderabad (A.P.)

FORM ITNS-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE HYDERABAD (A. P.)

Hyderabad, the 11th February 1985

RAC, No. 994/84-85.—Whereas I, M. JEGAN MOHAN,

M. JEGAN MOHAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinalter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immov-able property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. House situated at Hari Bowli, Hyderabad (and more fully described in the Schedule annexed hereio).

(and more fully described in the Schedulc annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Hyderabad on 6/84

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of .--

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any incomé arising from the transfer; and or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

(1) Usha Rani Sainchar & 3 Others, Kishen Pershad Devdi, Hyderabad.

(Transferor)

(2) Smt Raja Bai and Vimal Bai, 21-7-572, Khokervadi, Hvdcrabad. (Transferce)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immov-able property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.
- EXPLANATION :- The terms and expressions used herein us are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

۰.

THE SCHEDULE

House property bearing No. 23-6-3, and 4 at Hari Bowli, Hyderabad registered by the S.R.O., Hyderabad vide document No. 3478/84.

> M. JEGAN MOHAN Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range, Hyderabad (A.P.).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :---

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 296D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE HYDERABAD (A. P.)

Hyderabad, the 11th February 1985

RAC. No. 995/84-85.—Whereas J, M. JEGAN MOHAN,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. Land situated at Nagaram (v) R.R. Dt.,

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Hyderabad on 6/84

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :---

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tar Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, the pursuance of Section 269C of the said Act, I, hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Sri G. Madhava Reddy & Others, 16-2-738/D/3, Malakpet, Hyderabad.

(Transferor)

(2) M/s. Pawan Engineering Pvt. Ltd., Rcp. by Sri Venkaturatnam, R/o 1-113, Malkajgiri, Hyderabad-47.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.
- EXPLANATION :--- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land admeasuring 3000 sq. yds. situtaed at Nagaram village, Medchal Tq., R.R. Dt., registered by the S.R.O., R.R. Dt., vide document No. 3299, 3655, 3300, 3301, 3654/84.

> M. JEGAN MOHAN Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range, Hyderabad (A.P.)

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGE HYDERABAD (A. P)

Hyderabad, the 11th February 1985

RAC, No. 996/84-85.—Whereas, I, M JEGAN MOHAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs 25,000/- and bearing

No House situated at Ramkote Hyderabad

(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Hyderabad on 6/84

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :---

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferero to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfere; andlor
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been, which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the nequisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :---

- (1) Sri Mohammed Osman and Others, 5-9-1110/4/2, King Kothi, Hyderabad (Transferor)
- (2) Su Syed Ahmed Abdul Mujeeb and others, 23-1 662/2, Mogalpura, Hyderabad. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of thiffis notice in the Ocial Gazette

EXPLANATION :--- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

H No 3-5-121/L/1/2, Part of RAHATMANZIL Ramkote, Edenbagh, Hyderabad admeasuring 538 Sq Yds of land and 843 sft, plinth area registered by the SRO, Hyderabad vide ducment No. 3168/84.

> M JEGAN MOHAN Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range, Hyderabad (AP.)

Date 11-2-1985 Seal ,

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE HYDERABAD (A. P.)

Hyderabad, the 11th February 1985

RAC. No. 997/84-85.—Whereas I, M. JEGAN MOHAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act',) have icason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/-.

and bearing No.

No. House situated at Barkatpura Hydeiabad (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transforred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Hyderabad on 6/84

for an apparent consideration

which is less than the fair market value of the aforesaid propoint is less than the fait market value of the aroresaid pro-perty and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent considera-tion therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to betwen the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of-

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; andlor

(b) facilitating the concealment of any Income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferce for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-sec-tion (1) of Section 269D of the said Act, to the following nersons, namely '---

Date : 11-2-1985 Seal :

- (1) Sri N. Jaganath Reddy, Hyderabad. 3-6-525, Himayathnagar, (Transferor)
- (2) Kum, G. Kavitha Goud, 1-2-217/8, Domalguda Hyderabad. (Transferce)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immov-able property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.
- EXPLANATION :--- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House No. 3-4-495/1, Barkatpura, Hyderabad admeasuring *1145 sq. yds. of land area and 1085 sft., plinth area registered by the S.R.O., Hyderabad vide document No 3085/84.

M. JEGAN MOHAN Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range, Hyderabad (A.P.)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1261 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, HYDERABAD (A. P.)

Hyderabad, the 11th February 1985

RAC. No. 998/84-85.—Whereas, I, M. JEGAN MOHAN,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/and bearing No.

- House situated at Himayathnagar Hyderabad (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registratation Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Hyderabad on 6/84

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :---

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or;
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

(1) Smt. Ayesha Siddiffue Begum, w/o Mohd, Sultan Ali alias Ali Sultan, 3-6-111, Himayathnagar, Hyderabad.

(Transferor)

(2) Anarkali Exports Pvt. Ltd., Anarkali Chambers, Unity House, Abids, Hyderabad.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period or 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette er a period of 30 days from the entrine of notice on the respective persone, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.
- EXPLANATION :- The terms and expressions used herein are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as gives in that Chapter.

THE SCHEDULE

House No. 3-6-11, Himayathnagar, Hyderabad registered by the S.R.O., Hyderabad vide document No. 3492/84.

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namly :-54-486GI/84

M. JEGAN MOHAN Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range, Hyderabad (A.P.)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGE, HYDERABAD (A. P.)

Hyderabad, the 11th February 1985

RAC. No. 999/8485.—Whereas, I, M. JFGAN MOHAN,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinatter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00.000 '- and bearing No.

Rs. 1,00,000'-and bearing No. J and situated at Gaddiannaram, Hyderabad (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registratation Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer Underwhad on ξ (24 Hyderabad on 6/84

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument between of transfer with the object of :-

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer, and /or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Incometax Act, 1922 (II of 1922) or the said Act, or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the afaresaid property by the issue of this notice under sub-acction '1) of Section 269D of the said 'Act, to the following persons, namely :---

(1) Mr. Rooplal Sohani & Others 5-9-83, Chappal Road, Hyderabad.

(Transferor)

(2) Sii P. Venkat Reddy s/o Kanaka Reddy, 16-11-101. Moosarambagh, Hyderabad.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :-

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immov-able property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot of Jand admeasuring 1117 sq.yds, situated at Gaddiannaram, Hyderabad registered by the SR.O., Azampur, vide document No. 2367/84.

> M. JEGAN MOHAN Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range, Hyderabad (A P.)

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGE, HYDERABAD (A. P.)

Hydrichid, the 11th February 1985

Ref. No. RAC. No. 1000/84-85.—Whereas, I, M. JEGAN MOHAN,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said ...ct') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/and bearing No. Flat situated at Ameerpet Hyderabad

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer at Hyderabad on 6/84

Fix derated on 6/84for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as alore-said exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :---

- (a) facilitating the reduction or evasion of the llability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, 1 hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice hereby under sub-section (1) of Section 269D of said Act to the following persons namely :---

(1) M/s. Vijaya Builders, 7-1-79/B/1, Rep. by Sti Y. Laxmana Rao & Others, Ameerpet, Hyderabad. (Transferor)

(2 Smt. S. Dhanalakshmi, C/o. Y. Janardhana Rao, Executive Engineer, 425/MIGH, S.R.Nagar, Hyderabad-500 038.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :--

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, which-ever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the pub-lication of this notice in the Official Gazette.
- EXPLANATION :--- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter

THE SCHEDULE

Flat No. 106 in Vijaya Apartments, Ameerpet, Hyderabad admeasuring 832 sft., registered by the S.R.O., Hyderabad vide document No. 3547/84.

> M. JEGAN MOHAN Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range, Hyderabad (A.P.)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GUVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX.

ACQUISITION RANGE HYDERABAD (A. P.)

Hyderabad, the 11th February 1985

Ref. No. RAC. No. 1001/84-85. Whereas, I, M. JEGAN MOHAN,

being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

Flat situated at Ashoknagar Hyderabad (and more fully described in the schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act 1908 (16

of 1908) in the office of the registering officer at Hyderabad on 6/84

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as afore-said exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration fo. such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :-

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

(1) M/s. Mchta Towers, Rep. by Srl Vijay Mehta, 2-4-65, M.G. Road, Secunderabad.

(Transferor)

(2) S₁i A. Hanumantha Rao, S/o A. Venkatappaiah, 1-1-293/4, Ashoknagar, Hyderabad. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immov-able property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter

THE SCHEDULE

Hat No. 405 in 1-1-293/4, at Ashoknagar, Hyderabad admeasuring 921 sft., registered by the S.R.O., Hyderabad vide document No. 3384/84.

> M. JEGAN MOHAN Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range, Hyderabad (A.P.)

Now, therefore in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of th. aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :---

PART III-SEC. 1) STREET, STREET

THE GAZETTE OF INDIA, MARCH 9, 1985 (PHALGUNA 18, 1906)

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE HYDERABAD (A. P.)

Hyderabad, the 11th February 1985

Ref. No. RAC. No. 1002/84-85. Whereas, I, M. JEGAN MOHAN,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/and bearing No. R. S. No. Flat situated at Dmalguda, Hyderabad

(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Hyderabod on 6/84

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :---

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; andlor
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Incometax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

(1) Sagar Constructions, 1-2-524, Domalguda, Hyderabad.

(Transferor)

(2) Mr. Kateja Issardas, R/o 102, Sagar Apartments, Domalguda, Hyderabad.

(Transferce)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the res-pective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the immovable property, within 45 days from the date of the publi-cation of this notice in the Official Gazette.
- EXPLANATION :--- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 102 on Ist floor of Sagar Apartments, 1-2-534, Domalguda, Hyderabad registered by the S.R.O., Hyderabad vide document No. 3092/84.

M. JEGAN MOHAN Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range, Hyderabad (A.P.)

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act. I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :-

FORM I.T.N.S.

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

> ACQUISITION RANGE HYDERABAD (A. P.)

Hyderabad, the 11th February 1985

Ref. No. RAC. No. 1003/84-85. Whereas, I, M. JEGAN MOHAN,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000]and bearing No.

Flat situated at Domalguda Hyderabad

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of Registering Officer at Hyderabad on 6/84

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefore by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :--

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferer to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or iny moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferce for the purposes of the Indian Incometax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-iam Act, 1957 (27 of 1957);

New, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the 'ollowing persons, namely :-- M/s. Vijay Builders, Rep. by Sii G.L. Rao & Others, 7-1-70|B|1, Ameerpet, Hyderabad.

(Transferor)

 (2) Smt. Y. Padmavathi, w|o Y. S. Chowdary, 1-2-593|4, Domalguda, Hyderabad.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :----

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette

EXPLANATION :--The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter

THE SCHEDULE

Flat in 1-2-593|4, Domalguda, Hyderabad admeasuring 1170 sft., registered by the S.R.O., Hyderabad vide document No. 3439|84.

M. JEGAN MOHAN Competent Authoria Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range, Hyderabad (A.P.)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGE, HYDERABAD (A.P.)

Hyderabad, 11th February 1985

RAC No. 1004/84-85.—Whereas, I, M. JEGAN MOHAN,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to ar the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

- House situated at Goshamahal, Hyderabad
- (and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the

has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Hyderabad on June 84

for an apparent consideration

which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer av agreed to between the partles has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any monevs or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act. I hereby initiate proceeding for the acquisition of the afersaid storerty by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :---

M. JEGAN MOHAN, Competent Authority Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax Acquisition Range, Hyderabad (A.P.)

Dated : 11-2-1985 Seal :

(1) Sri V. Jagadishwar Rao, 3-6-563, Himayathnagar, Hyderabad.

(Transferor)

(2) M/s. Ilai loodara Ramnath Kedia Charitable Trast, Though its, Managing Trustee Sri Girdharilal Kedia, 5-3-981 Fasijung Lane, Hyderabad.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :— The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House property bearing No. 14-2-378, 378/1 and 2, 14-2-377 situated at Goshamahal, Hyderabad registered by the S.R.O., Hyderabad vide document No. 3575/84.

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, HYDERABAD (A.P.)

Hyderabad, the 11th February 1985

RAC No. 1005/84-85.—Whereas, I, M. JEGAN MOHAN,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/and bearing

No. House situated at Masab Tank area Hyderabad

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the

Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering $Office_{\Gamma}$ at

Hyderabad on June 84

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :---

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer, and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferce for the purposes of the Indian income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :---

- (1) Sri G. V. Ramana Reddy, R/o Jubilee Hills, Hyderabad. (Transferor)
- (2) Sri Sabu, S/o Abdul Jabbar Khadri, 10-4-771/4/1, Masab Tank, Hyderabad. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :-

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later.
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.
- EXPLANATION :--- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House No. 10-4-771/4/1, Sriramnagar Colony, Masab Tank, Hyderabad registered by the S.R.O. Khairatabad vide document No. 1283/84.

> M. JEGAN MOHAN, Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range, Hyderabad (A.P.)

Dated : 11-2-1985 Scal:

THE GAZETTE OF INDIA, MARCH 9, 1985 (PHALGUNA 18, 1906) PART III-SEC, 1]

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, HYDERABAD (A.P.)

Hyderabad, the 11th February 1985

RAC No. 1006/84-85.-- Whercas, I, M. JEGAN MOHAN,

M. JEGAN MOHAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter, referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs, 25,000/- and bearing

No. Plot situated at Asifnagar, Hyderabad (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Re-gistering Officer at

that the full of the second s market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of \cdot —

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer: and/or
- (b) tachtating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the soid Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the follow-ing persons, namely ;---55-486GI/84

(1) Smt. Mohammandi Fatima, W/o S. M. Wabceduddin, 10-2-508, Asifnagar, Hyderabad. (Transferor)

(2) Sri Tajuddin and Others. R/o 145/B, Aghapura, Hyderabad. (Transferce)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :-

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette

EXPLANATION :--- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot of land bearing No. 10-2-508/A, Asifnagar, Hyderabad admeasuring 470 sq. yds. registered by the S.R.O. Khai-lutabad vide document No 1432/84

> M. JEGAN MOHAN Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range, Hyderabad (A.P.)

Dato : 11-2-1985 Seal :

FORM ITNS-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX

ACOUISITION RANGE, HYDERABAD (A.P.)

Hyderabad, 11th February 1985

RAC No. 1007/84-85.—Whereas I, M. JEGAN MOHAN,

being the Competent Authority under Section 269B of the income-tax Act. 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25.000-and bearing

No. Plot situated at Somajiguda Hyderabad (and more fully described in the Schedule annexed here to), has been transferred under the

Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Hyderabad on June 84

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as afore-said exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument transfer with the object of :--

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; ard/or
- (b) f c tating the concealment of any income or any in Mays or other ss.'s which have not been or which ought to be discussed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1920 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act. 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hardby initiate proceedings for the acquisition of the atoresaid property by the issue of this notice under sub-section section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely: ---

(1) Sri Telakshi, S/o Sri Bhanji, 6-3-354/15, Hindinagar Colony. Dyderabad and other.

(Transferoi) (2) M/s. Banjara Construction Co. Pvt. Ltd. Rep. by M1. Ali Khwaja, Office at 1, Banjara Castle, Road No. 12, Banjara Hills, Hvderabad.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable procerty, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :--- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot of land admeasuring 614 sq. yds. situated at Somaji-guda, Hyderabad registered by the S.R.O., Hyderabad vide document No 3470/84.

> M. JEG IN MOHAN, Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range, Hyderabad (A.P.)

Date: 11-2-1985 Seal :

FORM ITNS-----

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE • INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOMETAX, ACQUISITION RANGE, HYDERABAD (AP)

Hyderabad, the 11th February 1985

RAC No. 1008/84-85.-Whereas I, M. JEGAN MOHAN, being the Competent Authority under Section 269B of the income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. House situated at Mehdipatnam, Hyderabad (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registration Gifter at Khatratabad on June 84 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and 1 have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and

aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer us agreed to between the parties has not been truly stated in the sad, instrument of transfer with the object of :---

- (a) facilitging the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or;
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

(1) Sri D. Viswanadha Raju, R/o 33/MIGH Mehdipatnam, Hyderabad.

(Transferor)

(2) ^cmt. Fatima Begum, W/o late Mohd Ikramullah Khan, 33/MIGH, Mehdipatnam Colony, Hyderabad.

(Transferee)

- Objections, it any, to the acquisition of the said property ma, be made in writing to the undersigned—
 - (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons; whichever period expires later;
 - (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette,

EXPLANATION :--- The terms and expressions used hereig as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

H. No. 33/MIGH (12-2-831/69) situated at Mehdipatnam colony, Hyderabad registered by the S.R.O., Khairatabad vide document No. 1480/84.

M. JEGAN MOHAN, Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range, Hyderabad (A.P.)

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act. I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons n, amely :—

FORM ITNS-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGE, HYDERABAD (A.P.)

Hyderabad, the 11th February 1985

RAC No. 1009/84-85.—Whereas, I, M. JEGAN MOHAN,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe

that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. House situated at A. C. Guards, Hyderabad

(and more fully described in the Schedule annexed hereto). has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer Khairatabad on June 84

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :--

- (a) facilitating the reduction or evasion of the linbility of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferes for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Weelth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

(1) Sint. A. Meenakshi GPA Sri A. Venkatrao, R/o Kakinada.

(Transferor)

(2) Smt. P. Indumathi, 10-1-18/34, Shyamnagar, A.C. Guards, Hyderabad. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :-

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of the notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immov-able property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.
- EXPLANATION :---The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act. shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House No. 10-148/34 at A.C. Guirds, Shyamnagar, Hyderabad admeasuring 402 sq. yds. of land area and 1400 sft., plinth area registered by the S.R.O., Khanatabad vide document No. 1249/84.

M. JEGAN MOHAN, Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range, Hyderabad (A.P.)

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, 1 hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :---

Date 11-2-1985. Scal :

FORM ITNS-

IOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, HYDERABAD (A.P.)

Hyderabad, the 11th February 1985

RAC No. 402/84-85 — Whereas I, A. JEGAN MOHAN,

being the Competent Authority under Section 269B of he Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred o as the 'said Act'), have reason to believe that the immovble property, having a fair market value exceeding Rs. 15,000/- and bearing

Jo. House situated at Kakinada

and more fully described in the Schedule annexed hereto), is, been transferred under the Registration Act, 1908 (16 or 908) in the office of the Registering Officer at Cakinada on June 84

or an apparent consideration which is less than the fair narket value of the aforesaid property and I have reason o believe that the fair market value of the property as aforeaid exceeds the apparent consideration therefor by more han fifteen per cent of such apparent consideration and that he consideration for such transfer as agreed to between the artics has not been truly stated in the said instrument of ransfer with the object of :---

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer: and lor

(b) facilitating the concealment of any income or any

1957 (22 of 1957);

moneys or other assets which have not been or

which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act (1) Sri B. Suryanarayana Raju and Other, Kakinada.

(Transferor)

 Sri S. Jayaramarao and other D No. 38-1-16, Vallabhai Road, Kakinada.

(Transferce)

Obj ections, it any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :-

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of the notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette,
- EXPLANATION :--- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House property situated at Kakinada registered by the S.R.O., Kakinada vide document No. 5699 and 5700/84.

> M. JEGAN MOHAN, Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range, Hyderabad (A.P.)

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the suid Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the foresaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persona. namely :---

Dated : 11-2-1985 Seal :

8945 -----

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX .

ACQUISITION RANGE, HYDERABAD (A.P.)

Hyderabad, the 11th February 1985

RAC. No. 403/84-85 .-- Whereas, I,

M. JEGAN MOHAN,

being the Competent Authority under Section 269 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereniafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market vaule exceeding Rs 25.000/- and

bearing No. Land situated at Tanumalla E.G.Dt.,

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Kakinada on June 84

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :---

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; andlor
- b) facilitating the concealment of Ray income or any moneys or other assets which have not been which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Incometax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the section (1) of Section 269D of the said Act, to the followaforestiid, property by the issue of this notice under subing, persons, hamely :-

Date : 11-2-85 Seal:

- (1) Sτi P. Venkata Surya Satyanarayana, Tanumalla, Kakinada Tq., E.G. Dt., (Transferor
- (2) Sri Velugubotla Bhaskara Rao, Kazaluru village, Kakinada Tq., F G. Dt. (Transferee

Objections, if any, to the acquisition of the said propert may be made in writing to the undersigned :---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the public cation of this notice in the Official Gazette.
- EXPLANATION :--- The terms and expressions used herein a are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in tha Chapter,

THE SCHEDULE

Land admeasuring 1-67 acres situated at Tanumalla village, E.G. Dt, registered by the S.R.O., Kakinada vide document No 4498/84.

> M. JEGAN MOHAN, Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range, Hyderabad.

(PART III-SEC.

, FORM ITNS-

OTICE UNDER SECTION 259D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

FFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, HYDERABAD (A P)

Hyderabad, the 11th February 1985

RAC No. 404/84-85 — Whereas, I, A. JEGAN MOHAN,

eing the Competent Authority under Section 269B of the ncome-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to s the 'said Act') have reason to believe

iat the immovable property having a fair market value xceeding Rs 25 000]- and searing No House situated at Vizag

and more fully described in the Schedule angexed hereto) has been transferred as per deed registered under the Indian 'egistration 9Ac', 1908 (10 of 19)E) in the office of the R. istering Officer at

Jizag on June 84

or an apparent consideration which is less than the fair arket value of the afores id property and I have reason to elieve that the fair market value of the property as aforeaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fitteen per cent of such a parent consideration and that the unsideration to such the form as agreed to between the varies has not been truly stated in the said instrument of lansfe, with object of :--

- (1) Smt V Gayatri Rama, Rao, W/o V P Rama Rao, 613/34/22/5 Durrakapun Colony Pyderabad
 - (Transferor) (2) Dr. P. V. T., d. and Other Medical 1 r charoners 30-14.2, Aluputam Ward, V Zag

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :--

- (a) by any of the aforesal i persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the res-pective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immov-able property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION. -- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning Ps gives in that Chapter.

(a) facilitating the reduction or evasion of the inability of the transferor to pay tax under the said act, is respect of any income arising from the transfer; and /or

THE SCHEDULE

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by transferee for • the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922), or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

House property bearing No 30-14-2 situated at Allipuram Ward Dabagaidens Vizag repistered by the SRO, Visakha-patnam vide document No 7511/84

> M JEGAN MOHAN, Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range, Hyderabad

Now, therefore in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby invitate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the issue fact, to the follows. ing persons, namely .-

Date: 11-2-85 Seal:

(PART III-SEC. 1

FORM IT'NS-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACOUISITION RANGE. HYDERABAD (A.P.)

Hyderabad, the 11th February 1985

RAC. No. 405/84-85.—Whereas, J, M. JEGAN MOHAN,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/and bearing No. Land situated at Vizag Dt

(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Re-gistering Officer at Vizag on Jure 84

tor an appa ent consideration which is less than the fair for an appa ent consideration which is tess than the ran market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as afore-said exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :--

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer: and/or

(1) Sri K. Ramakrishna and Others, "HILLSIDE" 8-2-472/A, Road No. 1, Banjaa Hills, Hyderabad.

(Transferor)

 M/s. Pron Magnate pvt. Ltd. Harbour Approach Road, Visakhapatnam Rep. by Sri V. Sivarama Prasad, Directoa. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immov-able property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazetts.
- EXPLANATION :---The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

(v) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferce for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Land admeasuring 4.36 acres situated at Vadlapudi ad-jacent to National High Way teps et. J by the SR () Vizag-vide 2 separate sale deeds beating document Nos, 7692/84and 7726/84.

M. JEGAN MOHAN, Competent Authority Inspecting Assistant Commessioner of Income-tax Acquisition Range, Hyderabad

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice, under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :---

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX.

ACQUISITION RANGE, HYDERABAD (A.P.)

Hyderobad, the 11th February 1985

RAC. No. 406/84-85.-Whereas, I,

M. JEGAN MOHAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000|- and bearing No. Land situated at Waltair Ward Vizag

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Vizag on June 84

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :---

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and /or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Incometar Act, 1923 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the and Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :----56 --486GI/84

(1) Chandra Fabricators, 47-11-14, Dwarakanagar, Visakhapatnam.

 (2) Dr. Ch. Satya Seshe Kumari, W/o Dr. Ch. Srikrishna, 1st Lane, Guntur.

(Transferec)

(Transferul)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :-

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later:
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this potice in the Official Gazette.
- EXPLANATION :- The terms and expressions used herein are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land admeasuring 1082 sq. yds. situated at C.B.M. Com-pound, Vizag registered by the S.R.O., Vizag vide document No. 8772/84.

M. JEGAN MOHAN, Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range, Hyderabad.

THE GAZETTE OF INDIA, MARCH 9, 1985 (PHALGUNA 18, 1906) 8950

FORM ITNS-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I,

ACQUISITION RANGE-IV, CALCUTTA

Calcutta, the 13th February 1985

Ref. No. AC-65/ACQ. R-IV/CAL/84-85.—Whereas, I SANKAR K. BANERJEE,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe

that the immovable property having a fair market value No. situated at Naihati (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at Calcutta on 22-6-84

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of : -

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; andior
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269-C of the said Act. I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely t(1) M/s. Krishna Tools & Hardware Products (P) Ltd. 20, Ghoshpata Road, Hazinagar, 24-Pargapas.

Transferor (8)

(2) M/s. Unique Manufacturers. A/20. Sundia Housing Estate, P.O. Jagatdal. 24-Parganas

Transferce(s)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :--

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.
- EXPLANATION :--- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall havt the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land: 17 cottable of land with factory shed 7 building. Adress: Mouza-Prosadnagar, P.S Naihati, 24-Parganas 'Deed No. 7220 of 1984.

SANKAR K. BANERIEE Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Incomments Acquisition Range-IV, Calcutta. 54, Rafi Ahmed Kidwai Road, Calcutta-700 016

Date : 13-2-1985 Scal :

FORM ITNS-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSEPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACOUISITION RANGE-IV, CALCUTTA

Calcutta, the 12th February 1985

Ref. No. AC-64/Acq. R-IV/Cal/84-85.—Whereas, 1 SANKAR K, BANERJEE,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immov-

has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at Calcutta on 21-6-84

for an apparent consideration which is less than the fair narket value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the onsideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :---

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, m respect of any income arising from the transfer; and /or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-Tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act. I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :-

- (1) Sii Kumaiesh Chowdhury Bulbul Chowdhury Block DB8 Desh Bandhu Nagar Baguiati, Calcutta-59.
- (Transferor) (2) Smt. Sova Rani Saha Block DB8 Desh Bandhu Nagar, Baguhati, Calcutta-59.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.
- EXPLANATION :- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act. shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land 3 cottahs 8 chittaks with building. Addiess Block DB/8, Deshbandhu Nagar, Mouja-Raghubathpur, Deed No. 7187 of 1984.

> SANKAR K BANERIFE **Competent Authority** Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range-IV, Calcutta. 54, Rafi Ahmed Kidwai Road, Calcutta-700 016.

FORM ITNS-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE IV, CALCUTTA

Calcutta, the 12th February 1985

Ref No AC-63/Acq R-IV/Cal/84-85----Whereas, I SANKAR K BANERJEE,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs 25,000/- and bearing situated at Jote Helakadam, Darjeeling

(and more fully described in the Schedule annexed hereto). has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Calcutta on 7 7 84

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :---

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and /or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the stud Act I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :----

Date 12-2.85 Seal :

(1) M/s Duncans Agro Industries Ltd 31, Netaji Subhas Road, Calcutta 700 001

(Transferor)

(2) M/s RD Manufacturing Industries Ltd Middleton Street, Calcutta

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned .

- (a) by any of the aforesaid persons within a period or 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons. whichever period expires later,
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette

EXPLANATION -The terms and expr ons used herein as are defined in Chapter XXA of the save Act, shall have the same meaning as given in that Chapter

THE SCHEDULE

Land 48.04 acres with structures Addrtss Hansque Tea Fstate, Jote Helakadam, Darjeeling Decd No 7808 of 1984

> SANKAR K BANFRJEE Competent Authority Inspecting Assit Commissioner of Income tax Acquisition Range-JV Calcutta 54, Rafi Ahmed Kidwai Road, Calcutta-700 016

[PART III---SEC. 1]

THE GAZETTE OF INDIA, MARCH 9, 1985 (PHALGUNA 18, 1906)

FORM ITNS-----

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS SIONER OF INCOME-TAX.

ACQUISITION RANG-I, CALCUTTA

Calcutta, the 15th February 1985

Ref. No. C.A. 172/84-85/SI. 974 1.A.C./Acq. R-I[Cal.-Whereas, I, S. K. BANERJEE,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/and bearing

No. 12/C, situated at Camac Street, Calcutta-17 (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transforred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer/ Competent Authority, I.A.C., Acq. R.I., Cal on 7-6-84 for an apparent consideration which is less than the fair

Market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefore by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the instrument of transfer with the object of :--- (1) Sm. Rooma Bhattacharjya

(Transferor)

(2) Sm. Sudhira Sen (Transferce)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to .he undersigned----

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette

EXPLANATION :--- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

All that Flat No. 7B of a multi storied building situated and being premises No. 12/C, Camae Street, Calcutta-700017. Total Carpet Area 1242 Sq. ft. consisting of a living cum Dining room, two bed rooms with attached bathrooms two bulcones, one each on the East and West, a kitchen along with one covered car parking space on the ground floor and a servant's quarter on the mezzanine floor in a domitary. Registered before the Competent Authority, I.A.C., Acquisi-tion Range-I, Calcutta vide Sl. No. C.A. 172 dt. 7-6-84.

> S. K. BANERJEF Competent Authority Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax Acquisition Range-J, Calcutta 54, Rati Ahmed Kidwai Road, Calcutta-16.

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, 1 hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following nearons name: persons, namely:----

Date : 15-2-85 Scal :

⁽a) facilitating the reduction or svasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

⁽b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferce for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX,

Acquisition Range-I. Calcutta

Calcutta, the 15th February 1985

Ref. No. C.A. 1/84-85/SI. 975 I.A.C./Acq. R-I|Cal.— Whereas, J. S. K. BANI RJEE, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (443 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Be 25 000/ and bearing No. 3, situated at Middleton Kow, Calcutta (and more fully described in the schedule annexed hereto)) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 f 100%) mathematical for the transferred to th

of 1908) in the office of the Registering Officer at Competent Authority, J.A.C., Acg. R-I, Calcutta on 2-6-84

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforc-said exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen par control public approximation and that than fifteen per cent of such apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly staed in hes said instrument of transfer with the object of :--

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitaing the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferes for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :---

(1) Mis. Kiran G. Advani

(Transferor)

(2) Sri Mohanlal Sekhani

(Transferce)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned -

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immov-able property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION : "The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

All that property in Middleton Apartments, 7th floor, Block-D, at 3, Middleton Row, Calcutta. Registered before the Competent Authority, I.A.C., Acquisition Range-I, Calcutta vide sl. no. C.A. 5 dated 2-6-84.

S. K. BANERJFE Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range-I, Calcutta 54, Rafi Ahmed Kidwai Road, Calcutta-16.

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX

Acquisition Range I, Calcutta

Calculta the 15th February 1985

Ref. No. C.A. 6/84-85/SI 976 I.A.C. /Acg. R I]Cal — Whereas, I, S. K. BANFRJEF

where (3, 1, 5) K = BAINT KEP being the Competent Authority under Section 269B of the income t_{ab} Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the im-movable property, having a fair market value exceeding 2, situated at Wood Street Calcutta 16 (and more fully described in the Schedule annexed hereto), here been transformed under the Registration Act 1908 (16 of

has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1905) in the office of the Registering Officer at Competent Authority, IAC Acq R-I Calcutta on 14684

for an apparent consideration which is less than the fail market value of the aofressid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than lifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :---

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act 1 hereby initiate proceedings for the acquisition of the inforesaid property by the issue of this notice under rub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, aamely

15 2-85 Date Seal

(1) Smt Asha M Kewaliamani

(Transferor)

(2) Shu Ghanshyamdas Sakhrani, Shu Ashokt Sakhrani & Shu Najesh Sakhiani

(Transferce)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :-

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

Act, shall have the same meaning as given in that Chapter

THE SCHEDULE

All that property in 'Sangam Building' Flat No G-6 with car paiking space, area 1568 sq it at 2, Wood Street, Calcuta 16 Registered before the Competent Authority, Acquisition Range I Calcutta vide sl no CA 6 dated I A C 14 6-84,

> S K BANFRJEL Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax Acquisition Runge-I, Cilcutta 54 Pali Ahm I Kidwar Road, Calcutta-16

⁽a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, im respectof of any income arising from the transfer; and /or

⁽b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Incometax Act, 1922 (11 of 1922) or the said, Act, or the Wealth-tay Act, 1957 (27 of 1957);

FORM NO. I.T.N.S.-

(1) Harkishin Naraindas Advani

PARI III-SEC. 1

(Transferor)

(2) Mrs. Manju Gupta.

(Transferce)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the res-rective partons which are period expired later; pective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :--- The terms and expressions used hereis as are defined in Chapter XXA of the sale Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX Acquisition Range-I, Calcutta

Calcutta, the 15th February 1985

Ref. No C.A. 8/84-85/Sl. 977 I.A.C./Acq. R-I|Cal.— Whereas, I, S. K. BANERJEE,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act. 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable

as the said Act), have reason to believe that the immovable and bearing No. 3, situated at Middleton Row, Calcutta (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at Competitin Authority, I.A.C., Acq. R-I, Calcutta on 16-6-84 for an apparent consideration which is less than the fail market value of the aforesaid property and I have reason to market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of ;—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and /or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferce for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

THE SCHFDULE

All that Flat K-1. Apsara Co-operative Housing Society Ltd., 3, Middleton Row, Calcutta, Area : 1426 sq. ft., Regis-tered before the Competent Authority, I.A.C., Acquisition Range-I, Calcutta vide Sl. No. C.A. 8 dated, 16-6-84.

S. K. BANERJFF Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Kanee-I, Calcutta 54, Rafi Ahmed Kidwai Road, Calcutta-16.

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269C of the said Act, to the following persons namely :---

Date : 15-2-85 Sea1 :

FORM ITNS-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

- ----

GOVERNMENT OF INDLA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX

Acquisition Range-I, Calcutta

Calcutta, the 15th February 1985

being the Competent Authority under Section 269B of the income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and

bearing No.

8/1A, situated at Chowringhee Lant, Calcutta-700016

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registratation Act 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at Competent Authority, IAC., Acqn. Range-I, Cal on 16-6-84 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as afore-said exceeds the annexet consideration, therefor, by more said exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :---

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, b respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys of other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferce for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tar Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act. I, hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-sec-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :---57-486GI/84

(1) Jayant Kripalani

(2) Mrs. Jaitun Nissa, Mis. Asma Khatun & Mrs. Swimun Nissa.

(Transferee

(Transferor)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.
- EXPLANATION :--- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

All that undivided proportionate share of land together with a flat on the first floor having a total super covered area of 1899 sft (approx) at 8/1A, Chowringhee Lane, Calcutta-700016. Registered before the Competent Authority, I.A.C., Acquisition Range I, Calcutta vide Sl. No. C.A. 9 dated 16-6-84.

> S. K. BANERJEE Competent Authority Ispecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range-I, Calcutta 54, Rafi Ahmed Kidwai Road, Calcutta-16.

FORM ITNS-----

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX.

Acquisition Range-L, Calcutta

Calcutta, the 15th February 1985

Ref. No. C.A. 13/84-85/Sl. 979 I.A.C./Acq. R-I]Cal.— Whereas, I, S. K. BANERJEE,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

61B, situated at Park Street, Calcuta

(and more fully described in the Scheduled annexed hereto) has been transferred under the Registration Act 1908 (16 (1908) in the office of the Registration Content at

for unapparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :--

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer;
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

- (1) Mr. Dinesh V Hemani & Ors. (Transferor)
- (2) Mrs. Archana Dass & Ors. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.
- EXPLANATION :--- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

All that the Flat No. 5C on the 5th floor of "Neelam" at premises No. 61B, Park Street, Calcutta. Registered before the Competent Authority, I.A.C., Acquisition Range-I, Calcutta vide Sl. No. C.A. 13 dated 21-6-84.

> S. K. BANERJEE Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range-I, Calcutta 54, Rafi Ahmed Kidwai Road, Calcutta-16.

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :---

PART III-SEC. 1]

8959

FORM I.T.N.S.-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX AC1, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX,

Acquisition Range-I, Calcutta

Calcutta, the 15th February 1985

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/and bearing No.

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Competent Authority, IAC., Acq. Range-I, Cal on 26-6-84

Competent Authority, IAC., Acq. Range-I, Cal on 26-6-84 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to beliefe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :--

- (a) facilitating the reduction of evasion of the liability of the transfer to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-lax Act, 1957 (27 of 1957):

Now therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely.

Date : 15-2-85 Seal :

- (1) M/s Sujan Viniyoge Ltd. (Transferor)
- (2) Smt. Sankari Guha. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette of a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gaeztte.
- EXPLANATION :- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same measuring as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

All that undivided share or interest on the roof of 6th storey of premises No. 18A, Park Street, Calcutta, comprised in Flat No. 6-0. Registered before the Competent Authority, J.A.C., Acquisition Range-I, Calcutta vide Sl. No. C.A. 20 dated 26-6-84.

> S. K. BANERJEE Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 54, Rafi Ahmed Kidwai Road, Calcutta-16.

¹⁸A, situated at Park Street, Calcutta

FORM ITNS----

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX

Acquisition Range-I, Calcutta

Calcutta, the 15th February 1985

Ref. No. C.A. 21/84-85/SI. 981 I.A.C./Acq. R-I|Cal.---Whereas, I, S. K. BANERJEE, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immov-able property having a fair market value exceeding Re 25 000(and having

able property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing 18A, situated at Park Street, Calcutta (and more fully described in the Scheduled annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer at Competent Authority, IAC., Acqn. Range-I, Cal on 28-6-84 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to be-lieve that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than consideration for such apparent consideration and the the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :--

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any anoneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act 1957 (27 of 1957);

I.A.C., Acquis dated 28-6-84.

THE SCHEDULE

All that undivided share or interest in the 100f of 6th Storey of premises No. 18A, Park Street, Calcutta, comprised in Flat No. 6F. Registered before the Competent Authority, I.A.C., Acquisition Range-I, Calcutta vide S'. No. C.A. 21

S. K. BANERJEE Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range-I, Calcutta 54, Rafi Ahmed Kidwai Road, Calcutta-16.

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-vection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :---

- (1) M/s Sujan Viniyoge Ltd.
- (2) Sri Mukal Agarwal & Sri Shekhar Agarwal (Transferec)

(Transferor)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :-

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.
- EXPLANATION :- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the solution Act, shall have the same meaning as gives in that Chapter.

Date : 15-2-85 Scal :

PART III-SEC. 1]

FORM ITNS --

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT CUMMIS-SIONER OF INCOME-TAX

Acquisition Range-I, Calcutta

Calcutta, the 13th February 1985

- Ref. No. TR-169/84-85/SI. 982 I.C.A./Acq. R-I]Cal.— Whereas, I, S. K. BANERJEE, being the Competent Authority under Section 269 B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the im-movable property having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/-and bearing No. 196-C situated at (hiltranian Avenue, Calcutta
- 196-C situated at Chittaranjan Avenue, Calcutta
- (and more fully described in the Schedule annexed hereto), as been transferred under the Registratation Act 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at S.R.A., Cal. on 21-6-84

or an apparent consideration which is less than the fair narket value of the aforesaid property and I have reason to selieve that the fair market value of the property as aforeaid exceeds the apparent consideration therefor by more hat fifteen percent of such apparent consideration and that he consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of tansfer with the object of :---

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Aci, in respect of any income arising from the transfer; and/or

THE SCHEDULE

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been of which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

All that undivided 1/3rd share in 5 Cottahs 4 Chittacks of land with partly 5 storied and partly 4 storied building being premises No. 196-C, Chittaranjan Avenue, Calcutta, Regis-terca before the Sub-Registrar of Assurances, Calcutta vide Deed No. I-7202 dated 21-6-84.

S. K. BANERJFE Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range-I, Calcutta 54, Rafi Ahmed Kidwai Road, Calcutta-16.

Now, therefore, in pursuance of Section 269 of the said ct, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the oresaid property by the issue of this notice under sub-ction (1) of Section 269D of the said Act, to the following rsons, namely :---

Date : 13-2-85. Seal :

- (1) Sri Keshardeo Khemka (Transferor)
 - (Person in occupation)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immov-able property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.
- EXPLANATION :-- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same mennig as given in that Chapter.

(2 Smt. Gayatri Devi Ginodia

(Transferce) (3) Tenants

8962

FORM ITNS-

NUTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTA SIONER OF INCOME-TAX, ASSISTANT COMMIS-

Acquisition Range-L Calcuita

Calcutta, the 13th February 1985

Ref. No TR-170/84-85/Sl. 983 J.A.C./Acq. R-I|Cal.---Whereas, I, S. K. BANERJEE, being the Competent Authority under Section 269B of the

Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/and bearing No.

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registratation Act 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at S.R.A., Cal on 21-6-84

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :-

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer. and /or
- (v) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

- (1) Sti Satya Narayan Khemka (Transferor)
- (2) Smt. Gayatri Devi Ginodia
- (Transferee) (3) Tenants
 - (Persons in occupation)

Objections, if any to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this no.ice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publi-cation of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :--- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

All that Undivided 1/3rd Share in 5 Cottahs 4 Chittacks of land with partly 5 storitd and partly 4 storied building being premises No. 196-C, Chittaranjan Avenue, Calcutta. Registered before the Sub-Registrar of Assurances, Calcutta vide Deed No. I-7203 dated 21-6-84.

S. K. BANERJEE Competent Authority Jspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range-I, Calculta 54, Rafi Ahmed Kidwai Road, Calcutta-16.

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :---

8963

FORM TINS-

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX

Acquisition Range-f, Calcutta

Calcuta, the 13th February 1985

Ref No. TR-171/84-85/Sl. 984 I.A.C./Acq. R-1|Cal.---Whereas, I, S. K. BANERJEF,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. 196-C, situated at Chittaranjan Avenue, Calvutta

(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at S = A - Cel ar 21.6.84

S.R.A., Cal on 21-6-84

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :--

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer, and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferre for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :--- (1) Sri Dwarka Prasad Khemka

(2) Smt. Gayatri Devi Ginodia

(Transferee)

(Transferor)

(3) Tenants (Persons in occupation)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :---The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

All that undivided 1/3rd share in partly 4 storied and partly five storied building with 5 Cottahs and 4 Chittacks of land being premises No. 196-C, Chittaranjan Avenue, Calcutta. Registered before the Sub-Registrar of Assurances, Calcutta vide Deed No. 1-7204 dated 21-6-84.

> S. K. BANERJEE Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range-I, Calcutta 54, Rafi Ahmed Kidwai Road, Calcutta-16.

[PART III -SEC.1

FORM ITNS--

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE-I, CALCUTTA

Calcuita, the 12th February 1985

Ref. No. TR1174/84-85/Sl. 985 I.A.C./Acq. R-I[Cal.-Whereas, I, S. K. BANERJEE,

heing the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceding Rs. 25,000/and bearing

No. 100/5/1A, situated at Surendra Nath Banerjee Road, Calcutta-14

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at R.A., Cal. on 1-6-84

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :--

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferror to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and or

(b) facilitating the concealment of any income on any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (1) of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

All that 1150 Sq. ft. measuring flat at 1st floor at premises No. 100/5/1A, Surendra Nath Banerjee oRad, Calcutta-14. Registered Before the Registrar of Assurances, Calcutta vide Deed No I-6276 dated 1-6-84,

> S. K. BANERJEE Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range-I, Calcutta 54, Rafi Ahmed Kidwai Road, Calcutta-16,

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the follow-ing persons, namely ;----

Date : 12-2-85, Scal :

(1) Smt. Suhas Bala Devi & Sri Nirmal Kr. Banerjee (Transferor)

(2) Smt. Saraswati Gupta, Smt Krishnawati Gupta & Sin⁺. Chandrawati Gupta

(Transferce)

(3) Achhalal Shaw

(Persons in occupation)

Objections, if any, to the acquisition of the said propert may be made in writing to the undersigned :

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, which was consider period. whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immova-ble property within 45 days from the date of the publication of this movice in the Official Gazette.
- EXPLANATION :- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said 4 Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

8964

(Transferor)

FORM ITNS-

- (1) Smt. Smita Chowdhary
- (2) Rohit Properties & Trading Co. (Transferce)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-III, CALCUTTA

Calcutta, the 14th February 1985

Ref. No. 1725/Acq. R-III/Cal|84-85.—Whereas, I, SANKAR K. EANERIEE, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/and bearing

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Calcutta on 8-6-84

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as afore-said exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :--

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and /or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the sa'd Act, to the following persons, namely -58-486 GI/84

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :-

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the pub-lication of this notice in the Official Gazette.
- EXPLANATION :--- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULL

All that piece or parcel of land measuring 1 b. 10 ch. & 13 ch. (undivided 3/27th share) two storcyed building. Reg. vide No. 1-6490 dt. 8-6-84 the Property at 9, Sunny Park, Calcutta.

> SANKAR K. BANERJEE Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 54, Rafi Ahmed Kidwai Road, Calcutta-16.

FORM ITNS_____ (1) Fatehpuria Housing Society Pvt, Ltd.

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-III, CALCUTTA

Calcutta, the 14th February 1985

Ref. No. 1724/Acg. R-III/84-85.---Whereas, I, SANKAR K. BANERJEE,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (3 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/and bearing

No. 204, A B. & C situated at Netaji Subhas Chandra Bose Rd, Calcutta

(and more fully described in the Schedule annexed hereto). has been transferred under the Registratation Act 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at IAC Acq R-III/Calcutta on $27-6\cdot84$

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe, that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :--

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922), or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :---

Date : 14-2-85 Scal :

(2) Sushila Fatchpuria Foundation. (Transferce)

(Transferor)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.
- EXPLANATION :-- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall havt the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

All that Flat Area 4112 sft. being premises No. 204, A, B & C, Netaji Subhas Ch. Bose Rd., Cal. Regd. before IAC Acq R-III/Cal. vide Reg No. 37EE/Acq R-111/273 dt., 27-6-84.

> SANKAR K. BANERJEE Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range-III, 54, Rafi Ahmed Kudwai Road, Calcutta-16.

PART III-SEC. 1]

THE GAZETTE OF INDIA. MARCH 9, 1985 (PHALGUNA 18, 1906)

8967

FORM ITNS-

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-III, CALCUITA

Calcutta, the 14th February 1985

Ref. No. 1723/Acq R-III/Cal/84-85.—Whereas, I, SANKAR K. BANERJEE,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding

Rs. 1,00,000/- and bearing No. 9, situated at Sunny Park, Calcutta

(and more fully described in the Schedule annexed hereto). has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 1908) in the office of the Registering Officer at Calcutta on 8-6-84

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :---

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act. in respect of any income arising from the transfer; andlor
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or ôther assets which have not been which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269O of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :----

(1) Sri Kumar Chowdhury

(Transferor)

(2) Rohit Properties & Trading Co. (Transferce)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :--- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act. shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

All that piece or parcel of Land measuring 1B-10ck-13ch. (undivided 10/27th share) being Premises No. 9, Sunny Park, Calcutta Reg. before R/A, Cal vide Deed No. 6491 dt. 8-6-84.

> SANKAR K. BANERJEE Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range-III, 54, Rafi Ahmed Kidwai Road, Calcutta-16.

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-III, CALCUTTA

Calcutta, the 14th February 1985

Ref. No. 1722/Acq R-III/Cal/84-85.—Whereas, I, SANKAR K. BANERIEE, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (bereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair movies under succeeding

to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No. 9, situated at Sunny Park, Calcutta (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at Calcutta in 8.6 24 Calcutta in 8-6-84

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :---

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

- (1) Smt. Anuradha Gupta (now Chawdhury) (Transferor)
 - (2) Rohit Properties & Trading Co. (Transferce)

Objections, if any, to the acquisition of the sald property may be made in writing to the undersigned :---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of forty five days from the date of publication of this notice in the official gazette of a period of 30 days from the service of notices on the persons, which ever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within forty five days from the date of publication of this notice in the official gazette.
- EXPLANATION :- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that chapter.

THE SCHEDULE

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957):

All that piece or parcel of Land measuring 1B-10ck-13ch. (undivided 4/27th share) being Premises No. 9, Sunny Park, Calcutta. Reg. before R/A, Cal. vide deed No. 1-6493 dt. 8-6-84.

> SANKAR K. BANERJEE Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range-III, 54, Rafi Ahmed Kidwai Road, Calcutta-16.

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :---

FORM ITNS-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX

> ACOUISITION RANGE-III CALCUTTA

Calcutta, the 14th February 1985

Ref. No. 1721/Acq R-III/Cal/84-85.—Whereas, I, SARKAR BANERJEE, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/-and bearing No. 9 situated at Sunny Park Calcutta, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registratation Act 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at-

of 1908) in the office of the registering officer at-Calcutta on 8-6-84

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as afore-aid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of .--

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer;
 - and /or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

All the piece or parcel of land measuring 1 B.--10 ch.--13 ch undivide(10/27th Share) with two storied building being Premises No. 9, Sunny Park, Calcutta Reg. vide deed No. 1-6492, dated 8-6-84 with R/A.

SANKAR BANERJEE Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range-III 54, Rafi Ahmed Kidwai Road Calcutta-16

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 259D of the said Act. to the following persons, namely :-

(1) Saura Kumar Chowdhury.

(Transferor)

(2) Rohit Properties & Trading Co.

(Transferee)

- Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :---
 - (a) By any of the aforesaid person within a period of 45 days from the date of publication of this in the official Gazette or a period of 30 days from the scrvice of notice on the respective persons, whichever period expires later;
 - (b) by any other person interested in the said immov-able property within 45 days from the date of the publication of the notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of hte said 89 Act, shall have the same meaning as given in that Chapter

THE SCHEDULE

Date : 14-2-1985 Seal :

8969

FORM ITNS

- (1) Shii Krishna Pasha Seth.
- (2) Raichand Co-op Housing Society Ltd. (Transferee)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-III CALCUTTA

Calcutta, the 14th February 1985

Ref. No. 1720/Acq R-III/84-85.—Whereas, I, SARKAR BANERJEE,

Income-tax, Acquisition Range, Bangalore, -

being the Competent Authority under Section 269B of the income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding $R_{2} \simeq 25000 t_{e}$ and bearing No

Rs. 25,000/- and bearing No. 21 & 21/1 situated at Prannath Pandit Steel, Calcutta,

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at Calcutta on 18-6-84,

Calcutta on 18-6-84, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :--

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :---

Date : 14-2-85 Seal :

.

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expression used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

All that land with brick built structures measuring 5K—13 ch—42 sq. ft. situated at 21 and 21/1 Prannath Pandit Steel, Calcutta registered on 18-6-84 vide Deed No. I 6916.

SANKAR BANERJEE Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range-III 54, Rafi Ahmed Kidwai Road Calcutta-16 _____

FORM ITNS-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-III CALCUTTA

Calcutta, the 14th February 1985

Ref. No. 1719/Acq R-III/84-85.—Whereas, I, SARKAR BANERJEE.

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/and bearing

No. 167/3 situated at Bidhar Sarani, Calcutta, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at Calcutta on 26-6-84

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and J have remon to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparat consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :---

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; und/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

(1) Sri Kashi Nath Roy.

(Transferor)

(2) Sri Dina Bandhu Kar and Sri Subodh Kr. Kar. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persona. whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immov-able property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

The terms and expressions used herein as EXPLANATION :are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

All that piece or parcel of land measuring 1 K.-7 Ch. (undivided 1/2 share) together with three (3) storied build-ing, being Premises No. 167/3, Bishan Sarari, Calcutta.

> SANKAR BANERJEE Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax Acquisition Range-III 54, Rafi Ahmed Kidwai Road Calcutta-16

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice unde, sub-Section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :---

FORM ITNS _____

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-JII CALCUITA

Calcutta, the 14th February 1985

Ref. No. 1718/Acq R-III/84-85.—Whereas I, SANKAR BANERJEE,

Income-tax, Acquisition Range, Bangalore,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/and bearing

No. 224/1 A.I.C situated at A.I.C. Bose Road and 68 BC. Road, Calcutta,

and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at IAC, Acqn R-III on 5-6-84,

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :--

- (a) facilitating the reduction or evasion of the fability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer: and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 ef 1957);

(1) M/s V. K. Thakkar Properties Pvt. Ltd. (Transferor)

(2) Jhunjhunwalla Traders.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.
- EXPLANATION :--- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

All that (1)3 flats of 'F' type at 7th, 8th and 9th floor of 1561 sq. ft cach (2)2 flats of 'D' type at 8th and 9th floor of 932 sq. ft. cach (3) 5 Car parking spaces at the premises of 224/1 A.J.C. Bose Road and 68, B.C. Road, Calcutta registered before IAC Acq. R-III Calcutta by filing Form No. 37EE deemed Reg. 5-6-84.

SANKAR BANNERJEE Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range-III 54, Rafi Ahmed Kidwai Road Calcutta-16

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :---

PART III-SEC. 1]

FORM ITNS-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

> GOVERNMENT OF INDIA OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX.

ACQUISITION RANGE-III CALCUTTA

Calcutta, the 14th February 1985

- Ref. No. 1717/Acq R-III/84-85.—Whereas, I, SANKAR BANNERJEE, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding
- as the said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/-and bearing No. 7/2 situated at Bondel Road, Calcutta-19, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908, (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at IAC Acqn R-III on 3-6-84,

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :---

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liablity of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any secome or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) of the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said

(1) Jogendra Nath Anddy. (Transferor)

(2) Priyalal Saha & ors. (Transferce)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :--

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days, from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons. whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act. shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

All that land with 4 storeyed building situated at 1, Mandir Street, Calcutta registered before IAC Acqn R-III, Calcutta on 3-6-84 by filing Form No. 37EE.

SANKAR BANNERJEE **Competent Authority** Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range-III 54, Rafi Ahmed Kidwai Road Calcutta-16

FORM LT.N.S.

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVFRNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGE-III CALCUTTA

Calcutta, the 14th February 1985

Ref. No. 1716 Acq R-III 84-85.—Whereas I, SANKAR BANNERJEE, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/-

and bearing No. 2, situated at Narendra Ch. Dutta Sarani, Calcutta, (and more fully described in the schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at

IAC, Acq. R-IJI, Calcutta on 2-6-84,

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :---

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

All that property of unit No. 2, in the 1st floor measuring 5235 sq. it. (Super built up area) at 2, Narendra Ch. Dutta Sarani registered before IAC Acq. R-III, Calcutta on 2-6-84 by filing Form No. 37EE.

THE SCHEDULE

SANKAR BANNERJEE Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range-III 54, Rafi Ahmed Kidwai Road Calcutta-16

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :-

Date : 14-2-85 Seal :

(1) M/s Ram Gopal Gaveriwalla (P) Ltd. & ors. (Transferor)

(2) M/s. Shankarlal Poddar & Ors.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later:
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.
- EXPLANATION :--- The terms and expressions used berein as are defined in Chaper XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

8974

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX

> ACQUISITION RANGE-I CALCUITA

Calcutta, the 13th February 1985

Ref. No. 1715/Acq R-III/84-85.—Whereas, I, SANKAR BANNERJEE,

being the Competent Authority under

Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 2, situated at Narendra Ch. Dutta Sarani, Calcutta, (and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer Calcutta on 19-6-84,

for an apparent consideration which is less than the l market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforsaid exceeds the apparent consideration therefore by more than fifteen percent of such apparent consideration and it with the consideration for such transfer as agreed to between l parties has truly stated in the said instrument of transfer with the object of :--

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferer to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transferor and/or
- (b) factilitating the concealment of any income or any monoys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the eforestid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :--- (1) Ram Gopal Ganeriwalla (P) Ltd. or. (Transferor)

(2) M/s Horizon Murti Projects Ltd. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :--

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.
- EXPLANATION :--- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

All that flat No. 5 and 6 measuring 1394, sq ft. at 2, Narendra Ch. Dutta Satani registered before IAC Acq. R-III, Calcutta on 19-6-84 by filing Form No. 37EE.

> SANKAR BANNERJEE Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range-III 54, Rafi Ahmed Kidwai Road Calcutta-16

[PART III-SEC. 1

FORM ITNS-

NOTICE UNDER SECTION 269-D (1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-III CALCUTTA

Calcutta, the 13th February 1985

Ref. No. 1714/Acq R-III/84-85 .--- Whereas, I,

SANKAR BANNERJEE, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the im-movable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

situated at Mauza Kankulia (and more fully described in the schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act 1908 (16

has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at Calcutta on 27-6-84, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as afore-said exceeds the apparent consideration therefor by more there for an exceed the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :-

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any sconeys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

All that a small structure on a land measuring 6K-11 ch. at Mauza Kankulia registered at Calcutta on 27-6-84 vide Deed No. 3046.

THE SCHEDULE

SANKAR BANNERJEE Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range-III 54, Rafi Ahmed Kidwai Road Calcutta-16

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :---

Date : 13-2-85 Seal :

(2) Amal Kr. Ghatak.

(1) Sh. Ashrafali,

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the andersigned :---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immov-able property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.
- EXPLANATION :--- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

> ACQUISITION RANGE-III CALCUTTA

Calcutta, the 13th February 1985

Ref. No. 1713/Acq R-III/84-85.—Whereas, I, SANKAR BANNERJEE,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/and bearing

No. 2, situated at Narendra Ch. Dutta Sarani, Calcutta, (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at JAC Acq R-III, Calcutta on 2-6-84

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of \cdot .—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been on which ought to be disclosed by the transferree for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the section (1) of Section 269D of the said Act, to the following section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :— (1) M/s, Ram Gopal Ganeriwalla & ors. (Transferor)

(2) M/s. Halary Commercial Enterprises Ltd. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons. whichever period expires later:
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.
- EXPLANATION :-- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

All that space unit No. 9 and 10 in 4th floor measuring 1418 sq. ft. at 2, Narendra Ch. Dutta Sarani, Calcutta registered before IAC Acq R-III, Calcutta on 2-6-84 by filing Form No. 37EE.

SANKAR BANNERIEE Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range-III 54, Rafi Ahmed Kidwai Road Calcutta-16

Date : 13-2-85 Seal : FORM I.T.N.S.----

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-III CALCUTTA

Calcutta, the 13th February 1985

Ref. No. 1712/Acq R-III/84-85,-Whereas, I, SANKAR BANNERJEE,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/and bearing

No. 2, situated at Narendra Ch. Dutta Sarani, Calcutta, (and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred

under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office ot the Registering officer IAC Acq R-III on 2-6-84,

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :--

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

(1) M/s Ram Gopal Ganeriwalla (P) Ltd. & ors. (Transferor)

(2) M/s Lions Commercial Company Ltd. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons. whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.
- EXPLANATION :- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

All that space unit No. 7 and 8 in 4th floor measuring 1528 sq. ft. at 2, Narendia Ch. Dutta Sarani, Calcutta registered before IAC Acq. R-III, Calcutta on 2-6-84 by filing Form No. 37EE.

SANKAR BANNERJEE Competent Authouity Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range-III 54, Rafi Ahmed Kidwai Road Calcutta-16

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act. I htreby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269(D) of the said Act, to the following persons, namely :---

Dato : 13-2-85 Seal :

FORM ITNS-----

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

> ACQUISITION RANGE-III CALCUTTA

Calcutta, the 13th February 1985

Ref. No. 1711/Acq R-III/84-85.—Whereas, I, SANKAR BANNERJEE,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/and bearing

No. 35 situated at Vivekananda Road, Calcutta-32,

(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at Calcutta on 26-6-84,

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :--

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforcsaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

(1) Sukumai Chatterjee.

(2) Sankar Ray and other (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immevable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :--- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, aball have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

All that one storyed building and land measuring 4-X 4. ch. at 35, Vivekananda Road, Calcutta-32 registered at Calcutta on 26-6-84 vide Deed No. I 7327.

> SANKAR BANNERJEE Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range-JII 54, Rafi Ahmed Kidwai Road Calcutta-16

Date : 13-2-85 Seal : (Transferor)

FORM ITNS-----

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE-III CALCUTTA

Calcutta, the 12th February 1985

Ref. No. 1710/Acg R-111/84-85.—Whereas, I, SANKAR BANNERJEE,

being the Competent Authority under Section 269 B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immevable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/and bearing

No. 101 situated at Kankulia Road, Calcutta,

(and more fully described in the schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of

the Registering officer at Calcutta on 11-6-84.

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :--

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been er which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tux Act, 1922 (11 ef 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act. I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :---

Date : 12-2-85 Seal :

(1) Sri Snehamoy Chattapadhaya.

(Transferor)

(2) Smt. Shila Chattapadhaya.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:--The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

All that 1/3rd space of 2 cuttah 7 chittacks of land with three storied bldg, and partly flour storied building being the premises No. 101, Kankulia Road, Calcutta registered at Cal, vide Deed. No. 2740 dt. 11-6-84.

> SANKAR BANNERJEE Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range-III 54, Rafi Ahmed Kidwai Road Calcutta-16

PART III-SEC. 1)

and the second se

FORM ITNS-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

> ACQUISITION RANGE-III CALCUTTA

Calcutta, the 12th February 1985

Ref. No. 1709/Acg R-111/84-85.-Whereas, I,

- SANKAR BANNERJEE, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000|-and bearing
- No. 85 situated at Ibrahimpur Road, Calcutta (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Calcutta on 22-6-84,

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fiften per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :--

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act. in respect of any income arising from the transfer; und /or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957):

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the snid Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :---

60-486 GI/84

1

(1) Sri Sachindra Nath Saha.

(2) Arati Ghosh.

(Transferce)

(Transferor)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :-

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.
- EXPLANATION :- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

All that property of 50% of undivided share of land and building measuring 1 cottah 5 ch of 12 sq ft. (Two storied bldg.) registered at Calcutta vide deed No. 2987 dt. 22-6-84.

SANKAR BANNERJEE **Competent** Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range-III 54, Rafi Ahmed Kidwai Road Calcutta-16

Date : 12-2-85 Scal:

FORM ITNS (1) Sri Diptimoy Chattopadhaya. (Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-III CALCUITA

Calcutta, the 12th February 1985

Ref. No. 1708/Acq R-III/84-85.—Whereas, I, R, BHARDWAJ,

R. BHARDWAJ, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immov-able property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 101 situated at Kankulia Road, Calcuta-29

(and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Office at Calcuta on 11-6-84,

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have ica.on to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent con-sideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of i--

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer: and /or

(15) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, merefore in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, of the following persons. namely :-

Date : 12-2-85 Seal :

(2) Sri Shila Chattapadhaya.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :--

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days, from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immov-able property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.
- EXPLANATION :--- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter

,

THE SCHEDULE

All that 1/3rd share of 2 Cottah 7chittacks of land with three storeyed building and partly 4 storeyed building at pre-mises No. 101G, Kankulia Road, Calcutta registered at Cal-vide deed No. 2741 dt. 11-6-84.

SANKAR BANNERJEE Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range-III 54, Rafi Ahmed Kidwai Road Calcutta-16

8982 -----

FORM ITNS-----

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-III CALCUITA

Calcutta, the 12th February 1985

Ref. No. 1707/Acq R-III/84-85.—Whereas, I, SANKAR BANNERJEE,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (herinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000]and bearing

No. 2, situated at Narendra Ch. Dutta Sarani, Cal.

(and more fully described in the schedule annexed hereto) has been transferred under the Reg.stration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer IAC Acqn R-III on 19-6-84,

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :--

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferce for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957); (1) Sri Lilabati Devi Ganveriwalla & ors. (Transferor)

(2) Sri Kamal Kumar Agarwal, (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, which ever period expires later:
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :-- The terms and expressions used herein aare defined in Chapter XXA of the value Act, shall have the same meaning as g(val)in that Chapter.

THE SCHEDULE

All that undivided proportionate share of land and office room unit No. 2 in the 3rd floor measuring 1053 sq ft. at 2, Narendra Ch. Dutta Sarani Cal. registered before IAC Acq. R-III Cal. on 19-6-84 by filing Form No. 37EE.

> SANKAR BANNERJEE / Competent Authority, Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax, Acquisition Range-III 54, Rafi Ahmed Kidwai Road Calcuta-16

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the sait Act, to the following persons, namely :--

Date : 12-2-85 Seal : NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

FORM ITNS

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

> ACOUISITION RANGE-III CALCUTTA

Calcutta, the 12th February 1985

Ref. No. 1706/Acq R-III/84-85.—Whereas, I, SANKAR BANNERJEE, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred the income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinatter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immov-able property, having a fair market value exceeding Rs, 25,000/- and bearing No. 335 situated at Jodhpur Park, Calcutta, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1008) in the office of the Desistration Officer of

1908) in the office of the Registering Officer at IAC, Acq R-JII on

for an apparent consideration which is less than the fair transket value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :--

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and /or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

All that portion of roof at 2nd floor of premises No. 335, Jadhpur Park, Calcutta comprising of an area of 1400 sq. ft. with part construction thereon registered before IAC, Acqn. R-III, Calcutta on 24-6-84 filing Form No. 37EE.

> SANKAR BANNERJEE Competent Authority Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax Acquisition Range-III 54, Rafi Ahmed Kidwai Road Calcutta-16

Date : 12-2-85 Soal :

(2) Mr. H. S. Sinha.

(1) M/s Constructions.

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

ing persons, namely :---

(Transferor)

(Transferce)

FORM ITNS-----

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX.

> ACQUISITION RANGE-III CALCUTTA

Calcutta, the 11th February 1985

Ref. No. 1705/Acq.R-III/84-85.—Whereaa, I, SANKAR BANNERJEE, being the Competent Authority under Section 269B of the

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/and bearing

No. 116B situated at Kalighat Road, Calcutta

(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at Calcutta on 25-6-1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more 'ban fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :--

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Ast, in respect of any income arising from the transfer; and/er (1) Sri Kanyakubja Vaishya Naba Yuvak Sangha (WB) (Transferor)

(2) Smt. Usha Malhotra. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.
- EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been er which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act. 1957 (27 of 1957); All that land measuring 3K-8ch-43 sq. ft. together with a structure of tolly a tin shed at the premises No. 116B, Kalighat Road, registered at Calcutta vide deed No. 3023 dated 25-6-1984.

SANKAR BANNERJEE Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range-III 54, Rafi Ahmed Kidwai Road CALCUTTA-16

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, 1 hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

Date : 11-2-1985 Scal : FORM ITNS-

(1) Sri Ashok Kumar Sood and Others.

(Transferor)

(2) Smt. Ava Sood,

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned-

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publiction of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :---The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

All that flat No. 2, measuring 900 sq. ft. at 38, Lake Gardens registered at Calcutta vide Deed No. 6515 dated 8-6-84.

> SANKAR BANNERJEE **Competent** Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range-III 54, Rafi Ahmed Kidwai Road CALCUTTA-16

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:-

Date : 11-2-1985 Scal :

8986

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACOUISITION RANGE-III CALCUTTA

Calcutta, the 12th February 1985

Ref. No. 1704/Acq.R-III/84-85.-Whereas, I, SANKAR BANNERJEE, SANKAR BANNERJEE, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 38 situated at Lake Gardens, Calcutta (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registration Giffer at

1908) in the Office of the Registering Officer at

Calcutta on 8-6-1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :---

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

8987

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX,

> ACOUISITION RANGE-III CALCUTTA Calcutta, the 12th February 1985

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/

and bearing No. Bansdroni situated at Khaitan No. 741 PS. Regent Park, 24 Pgs. (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at Calcutta on 27-6-1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :---

Ref. No. 1703/Acg.R-III/84-85.-Whereas, I.

SANKAR BANNERJEE,

and /or:

and bearing No.

- (1) Sri Sekharendra Nath Scngupta. (Transferor)
- (2) Sri Arup Chakraborty. (Transferce)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :----

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of the notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
 - (b) by any other person interested in the said immov-able property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette
- EXPLANATION :- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

All that 4 Cottahs of land at Mouza Bansdroni Khaitan No. 741, Deed No. 1362, P.S. Regent Park 24 pgs. registered at Calcutta vide Deed No. 3048 on 27-6-1984.

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferce for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer;

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act. to the followingpersons, namely :-

Date : 12-2-1985 Seal :

SANKAR BANNERJEE Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range-III 54, Rafi Ahmed Kidwaj Road CALCUTTA-16 Competent Authority

[PART III-SEC. 1]

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-III CALCUTTA

Calcutta, the 11th February 1985

Ref. No. 1702/Acq. R-III/84-85.-Whereas, I, SANKAR BANNÉRJÉE,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding

Rs. 25.000/- and bearing No. 63A, situated at Bright Street, Calcutta

(and more fully described in the Schedule annexed hereto),

has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at IAC, Acq. R-III on 25-6-1984 for an apparent consideration which is less than the tair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly state in the said instrument of transfer with the object of :---

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; end or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :--

Date : 11-2-1985 Scal:

(1) M/s. Pushpa Apartment.

(Transferor)

(2) Sri R. S. Haralalka.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :---

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given terms and expressions EXPLANATION :--- The in that Chapter.

THE SCHEDULE

All that flat measuring 1000 sq. ft. on the third floor being the flat No. 3A situated at 63A, Bright Street, Calcutta regis-tered before IAC., Acq. R-III, Calcutta by filing Form No. 37EE dated 25-6-1984.

SANKAR BANNERJEE Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range-III 54, Rafi Ahmed Kidwai Road CALCUTTA-16

8988

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

AC JUISITION RAUGE-'II CALCUTTA

Calcutta, the 11th Fobrury 1985

Pef. 1 o 1701/Ang R-III/84-85 Whereas, I, SANKAR BANNERJEE,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of $(9^{1/3})$ bereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair orker value exceeding.

 R° 25.000/- and braring No 2, situated at Narendra Chandre Dutta Sarani, Calcutta (and more fully described in the Sc. due-summerst hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at IAC Acq-R-III on 2/6/84

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid susperty, and I have reason to believe that the fair market value of the property as for said every the apparent or of a on therefor by more that fifteen pure out of such apparent or of 1 about and that the consideration for such transfer or agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :---

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, 1 breby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act to the following pursons namely -61-486 GI 84 (1) M/s. Ramgopal Baneri Walla (P) Ltd. & Other. (Transferol)

(2) M/s, Gambhir Chand Bohra (HUF.). (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other rerson interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the oublication of this notice in the Official Gazette
- EXPLANTION :---The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

All that unit No. 10 consisting an area of 454 sq. ft. at the p emises, No. 2 Narendra Ch. Dutta Sarani, Calcutta registered on 2-6-1984 vide 37EE/251 before C.A., IAC Acq. R-III, Calcutta.

SANKAR BANNERJFE Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range-III 54, Rafi Ahmed Kidwai Road CALCUTTA-16

Date · 11-2-1985 Seal ·

⁽a) facilitating the reduction or evasion of the unbit? of the transferor to pay ax us or the said Act, as respect of any income setsing from the transfer and/or

⁽b) facilitating the concealment of any income of any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian inconstax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

FORM ITNS-

NOTICE UNDER SUCTION 209D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERMMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

> ACOUISITION RANGE-I AGGARWAL HOUSE 4/14A, ASAF ALI ROAD NFW DELIHI

New Delhi. the 11t's February 1985

Ref. No. IAC/Acci J/SR-JH/6 84/222.--Whereas, I, SU)HIR CHANDRA,

being the Computent Authority $1n^3$. Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/-and bearing

No. H-II/26, Lajpat Nagar, New Delhi situated at New Delhi.

(and more fully described in the schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908, (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at New Delhi in June, 1984.

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the angular consideration therefor by more than fifteen per cent of such to achieve consideration and that the consideration for such to achieve as egreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :--

 (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income orking from the transfer; and/or

THE SCHEDULE

Property No. H-II/26, J ajpat Nagar, New Delhi, measuring 100 sq. yds.

(b) facilit, the ' concentrient of any income or any monets or other asses. Lich have not been or which much t by diclosed by the transferee for the purpose of the rail Act, 1922 (11 of 1973) of the rail Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

SUDHIR CHANDRA Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Icnome-tax Acquisition Range-J Aggarwal House 4/14A, Asaf All Road New Delhi.

Now, therefore in purchases of Section 2690 of the soid Act. I hereby initially a given for the acquisition of the afor said property by the inner of this police under subsection (1) of Section 2690 of the wid Act, to the following persons, namely the

Date : 11-2-1985 Seal ·

 Smt. Vidya Wati Sawhney, w/o Sh. Tara Chand Sawhney, R/o H-II/25, Lajpat Nagar, New Delhi.
 Smt. Vijya Laxmi, w/o Sh. R. K. Gupta, R/o M. B. 120, Shakurpur,

New Delhi.

(Transferee)

Objection, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXELANATION: -- The terms and expressions used berein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter. 508M 1T.N.S -----

NOTICE UND' R SECTION 269D (1) OF THE INCOME '.AX ACT 1961 (43 OF 1961)

GOVFRNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SUG 2R OF INCOME-TAX

> ACOUISITION RANGI-I AGCARWAL HOUSE 4/14A. ASAF ALI ROAD NEW DELHI

New Delhi, the 31st January 1985

Ref. No. IAC/Aca I/SR-III/6-84/325.—Whereas, I, SUDHIR CHANDRA,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tar Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the mimovable property having a fair market value exceeding

Rs. 25.000 /~ and br ring

No. E-IV/218, Amar Colony, Lajpat Nagar, situated at New Delhi.

(and more fully decribed in the Schedule annexed hereto), has been transferred un for the Registration Act, 1908, (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at New Delhi in June, 1984.

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :--

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :-- SHI K.L.h. n K.m. ar Madan, 2134, Sector 23, Fandsbed (are y all)

(Transferce)

(2) Shri Hori Lal Gueta, 1553, Gurdawar Kord, Kotla Mubreakpur, New Delhi.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :--

- (a) by any of the abound persons within a period of 45 days from down of publication of this notice is the effectal fiberate or a period of 39 days from the line of a state of a period of average persons, whenever period expires later;
- (b) by any other poison interacted in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this across in the Official Gazette.
- EXPLANATION :-- The former of expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

 $2\frac{1}{2}$ storey 1 No. ' $(1/21)^{\circ}$ A dat Colony, Lajpat Nagar, New Delhi. Built projectly with an area 100 sq. yds.

SUDHIR CHANDRA Competent Authority Inspecting Assestant Compassioner of Incometax Acquisition Range-I Aggarwal House 4/14A, Asaf Ail Read New Delhi.

Date : 31-1-1985 Seal : 8991

אורי במצואות בין זייטווערנים קאפטע משפט עריקאשי עי טאר בווערט בע אישו או אינער ביו אייר בי אי FORM ITNS-----

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-I AGGARWAL HOUSE 4/14A, ASAF ALI ROAD NEW DELHI

New Delhi, the 30th January 1985,

Ref. No. 1AC/Acq.I/SR-1II/6-84/329.--Whereas, I, SUDHIR, CHANDRA,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immobavle property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/and bearing

No. M-50, Greater Kailash-I, New Delhi situated at New Delhi.

(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at

New Delhi in June, 1984,

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said unstrument of transfer with the object of :---

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transfer to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesnid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act. to the following persons, namely :----

(1) Smt. Parkash Khanna and Surr Kacu, Khanna, S/o & W/o Shri Late Buxis Rai Khanna, R/o C-143, Greater Kailash-I, New Delhi-48. (Transfero)

1 Part 1700

/ ___

(2) Shri B. L. Shailesh, Shri S. L. Ratnakar and Master Rajesh Kumar (Minor) through Smt. Asha Shailesh, R/o R-192, Greater Kailash-I, New Delhi.

(Transferce)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons. whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.
- FXPLANATION :--- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

M-50, Greater Kailash-I, New Delhi. Area 510 sq. yds.

SUDHIR CHANDR \ Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range-I Angarwal House 4/14A, Asaf Ail Road New Delhi

Date: 30-1-1985 Scal:

.

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGE-I AGGARWAL HOUSE 4/14A, ASAF ALI ROAD NEW DELHI

New Delhi, the 31st January 1985

R f. No. JAC/Aco.I/SR-III/6-84/334.-Whereas, I,

SUDHIR CHANDRA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tex Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'sold Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/and bearing No.

No M-78, Greater Kailash-I, New Delhi situated at New Delhi.

that more fully described in the Schedule annexed hereto), has been h r. for reduced the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at New Delhi in June, 1984

the argument consideration which is less than the fair market v. a. of the aloresaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by ' more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such it asfer as agreed to between the parties has not been troly stated in the said instrument of

transfer with the object of-

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the pressferor to pay tax under the said Act, in respect of a to meeting from the transfer; and/or
- (v) facilitating the concealment of any income or an. moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purpuses of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act. 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforeshill property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :---

(1) Modern Agencies Limited, Thapar House, 124, Janpath, New Delhi.

(2) Sterling Overseas Impex Pvt. Ltd., 70, Medows Street, Fort. Bombay-400 023.

(Transferee)

(Transferor)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :--

and a second second

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this motice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the importance persons whichever period expired later;
- (b) by any other person interested in the said immov able property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette

FXPLANATION :- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act. shull have the same meening as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

 $2\frac{1}{2}$ storeyed residential building situated on Plot No. 78. Block M, Greater Kailash-I, New Delhi. admeasuring 500 sq. vards.

> SUDHIR CHANDRA Competent Authority Inspecting Assi tunt Commissioner of Income-tax Acquisition Range-I Aggarwal House 4/14A, Asaf Ali Road New Delhi.

Date : 31-1-1985 Seal :

FULM HINS---- -

NOTICE UNDER ECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SION F& OF INCOME-FAX,

ACQUISITION RANGE-I AGGARWAL HOUSE 4 14A, ASAF ALI ROAD NEW DELHI

New Dulhi, the 11th February 1985

Ref. No. IAC/ * / J/SR-III/6-84/336.—Whereas, I, SUDHIR CHANDRA,

being the Computer' Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, hing a fair market value exceeding Rs. 25.000/- and bearing

(and more failly doubled to the schedule annexed he

(and more failly d' ribed to the schedule annexed hereto), has been transferred

under the R g. that or Act 1908, (16 of 1903) in the office of the Registering Officer at New Delhi in June, 1984.

for an a pagent and acts in worth is less than the fair market value of the acts and property and I have reason to believe that the famouriet value of the property as aforesaid exceeds the optimic of idention therefor by more than fifteen per cont of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the next of :--

- (a) facilitation are the on or evaluer of the hability of the transferrer it say tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer: andlor
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1912) or the said Act, or the Wealth-tax Act. 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initia e proce dings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D or the said Act, to the following persons, namely :---

(1) Shri Pradeep Shankar Bnatt and Shri Azhali Shankar Bhatt S/o Shii Amba zhankar Bhatt, through attorney Satish Seth, R/o G-1/16, Darya Ganj, New Delhi.

(2) Mr. Ranjit Ajwani S/o Shri Amba Shankar Bhatt, R/o D-20, Aaram Housing Society Santa Cruz East, Bombay.

(Transferee)

(Transferor)

Objections, if any, to the acquisition of the taid property may be made in writing to the undersigned .--

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette,

EXPLANATION :--- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Third Floor real portion of Property No. E-603, Greater Kailash-II, New Delhi. Mg. 397 sq. yds.

> SUDHIR CHANDRA Competent Auth-virity Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range-1 Aggarwal House 4/14A, Asaf Ail Read New Delhi.

Date : 11-2-1985 Seal :

8994

FORM TINS . . ---

NOTICE UNDER SECTION 269 D (1) OF THE INCOME TAX ACI, 1951 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

GITICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMVIS-SIONER OF INCOME-TAX,

> ACQUISITIO , RANGE I AGGARWAL HOUSE 4 14A. ASAF ALI ROAD NEW DE'LHI

New Delhi, the 11th Lebrury 1985

- Ref. No. 1AC/Acq1 SR-III 6.84 33^{-1} Whereas I. S()HIR CHANDRA, being the Competen. Authority under Section 269B of the Incorperate Act, 1961 (43 of 1961) (herein ffer referred to s. the analysis of the incorp. The bebase that the immov-oble property having a fair market value exceding Rs. 25,000/- and bearing No. 2-605, Greater Knijash-II, situated at New Delhi. (and more fully described in the Scheduly annayed hereto).
- (and more fully deforibed in the Schedule annexed hereto), has been transfer ed under the Registration Act 1908, (16 of 1.03) or tri offen or the heges et ag offenrie New Delhi in June, 1984
- for p expansion in the diration which is 1 so that the fair market value of the afor soil property, and I have reason to belie that the fair mark is value of the property as aforesaid expedit the argumation value of the property as aforesaid expedit the argumation value of the property as aforesaid expedit the argumation value of the property as aforesaid expedit the fair mark is value of the property as aforesaid expedit to a real the short of the short the short matter the consideration for using transfer as expected to between the parties has not been truly stated in the short instrument of transf i with the object of
 - (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of the ying me arising from the transfer; and /or
 - 'b) facilitating the concealment of any income or any which curit to be disclosed by the transferre for the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 (11 of 1922) of the said Act, or the Wenlth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

New, therefore, in pursuance of Section 269C of the said atcrisaid memory in the issue of this rate sure, sub-section (1) of Section 269D of the suit Section the follow-Act, I hereby initian proceedings for the acquisition of the ing persons, namely

Date · 11-2-1985 Seal :

, (1) Shri Pradcep Shankar Bhatt and Shi A hi h Shankar Bhatt S/o Shri Anda Shankar Bhatt, in ugh attorney Satish Seth, R/o G-1/16, Darya Ganj, New Delhi.

(Transferor)

(2) MI. Ranjit Dass S/o Shri Ashwani Dass and Mrs. Lakashmi Dass W/o Shri Ranjit Dass, 992, DDA Flate, Kalkaji, New Delhi.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may ... made in writing to the undersigned :--

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gozette et a period of 00 days from the service of notice on the respective persona, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immov-able property within 45 days f om the date of the publication of this notice in the Official Gazette

EXPLANATION .- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Rear portion on ground floor of property No. E-605, Gleater Kailash-II, New Delhi. Mo. 397 sq. yds.

> SUDHIR CHANDRA SUDHIR CHANDRA Competent Authority Inspecting Assistant Commise oner of Income-tax Acquisition Range-I Aggarwal House 4/14A, Acaf All Pead New Delhi

LORM ITNS -----

(1) Mrs. Savitri Devi Kohli W/o Mr. K. C. Kohli, R/o C-226, Greater Kailash-I, New Delhi.

(Transferor)

(Transferee)

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-4. OMP 1 . . . 1. OPP (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-JULY ALL OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGE-I AGGARWAL HOUSE 4/14A, ASAF ALI ROAD NEW DELHI

New Del'hi, the 4th February 1985

Ret. No. IAC/ Mrg 5-3R-III /6-84/353.---Whereas, I, SUDHIR CHANDRA,

being the competer Anthority under Section 269B of the Incorpetax Act, 1951 (43 or 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') 1 - c reason to be even that the immovable mor ty laving a fair market value exceeding Ks. 25,000]and bearing No. Age and is village Dijwegan, situated at Teh. Mehrauli, New

Delhi.

has been to note fully discribed in the Schedule annexed hereto) has been to note ed under the Registration Act, 1908, (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Note Delhi in June, 1984.

for a capita out consideration which is less than the fair mark apply of the four through the and I have reason to which any the second structure of the property as aforesaid where s is a power of the direction that the consideration of the prime that the consideration to such that the consideration to such that the sengred to between the mattice between t parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :--

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) fact tating the concealing prior any income or any factors c = c for assets which have not been or where outputs where have not been of where outputs of the disclosed by the transferee for the purposes of the ladian income-lax Act, 1922 (11 of 192[°]) or the said Act, or the Wealth-tax Act, .957 (27 of 1957);

SUDHIR CHANDRA Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income T x Acquisition Range I Argarwal Horrow 4/14A, Asaf Ail Road New Dell i

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, r hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforeshid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :---

Date : 4-2-85 Seal :

.(2) M/s. Deer Wood Pwt. Ltd., 8/3, Asaf Ali Road, New Delhi.

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the understop d.....

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later:
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :- The terms and expressions used herein as are defined in t hapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Kh. No. 188/4, Min having total area of 22 bighas and 19 biswas out of which 16 bighas and 4 biswas of vill. Bij-wasan, Teh. Mahrauli, New Delhi. wasan, Teh.

[PART IU-SEC.]

3996

FORM ITNS-----

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME TAX, ACQUISITION RANGE-I AGGARWAL HOUSE 4/14A. ASAF ALI ROAD NEW DELHI

New Delhi, the 4th February 1985

Ref. No. IAC/Acq.I/SR-III/6-84/354.—Whereas, I, SUDHIR CHANDRA,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/and bearing No.

and bearing No. Agr. land in village Bijwasan, situated at Teh. Mehrauli, New Delhi.

(and more fully described in the Schedule annexed bereto) has been transferred under the Registration Act, 1908, (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at New Delhi in June, 1984.

for an apparent consideration which is less than the fair maret value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :--

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or others assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

 Mrs. Savitri Devi Kohli W/o Mr. K. C. Kohli, R/o C-226, Greater Kailash-I, New Delhi.

(Transferor)

 M/s. South Fork Ranch (P) Ltd., 8/3, Asaf Ali Road, New Delhi.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette

EXPLANATION :--- The terms and expressions used herein **a** are defined in Chapter XXA of the sak Act, shall have the same meaning as gives in that Chapter.

THE SCHEDULE

Kh. No. 188/4, Min having total area of 22 bighas and 19 biswas out of which of 6 bighas and 15 biswas (having some old structure) i.e. two small coltages, a summer house, comented well, water tank, well house, one room and one servant house at vilage Bijwasan, Teh. Meh. New Delhi.

> SUDHIR CHANDRA Competent Authority Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax Acquisition Range-I Aggarwal House 4/14A, Asaf Ail Road New Delhi.

Date : 4-2-85 Seal : FORM ITNS-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGE-I AGGARWAL HOUSE 4/14A, ASAF ALI ROAD NEW DELHI

New Delhi, the 11th February 1985

Ref. No. IAC/Acq.I/SR-III/6-84/355.-Whereas, I, SUDHIR CHANDRA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the im-

movable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. I-E/108-109, Lajpat Nagar situated at New Delhi. (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908, (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer

at New Delhi in June, 1984.

for a napparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :-

- of the transferor to pay tax under the said Act, in and /or
- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability respect of any income arising from the transfer;
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been er which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922

(11 of 1922) or the said Act. or the Wealth-tax

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act. I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act. to the follow-ing persons, namely :---

Act, 1957 (27 of 1957);

(2) S/Shri Bhakwan Mamtani, Prabhu Mamtani, Deepo Mamtani and Neelam Keswani, F-136, Sarojani Nagar, New Delhi,

(Transferor)

(2) Smt, Shobha Shora and Smt. Suman Shera, R/o 1-E/108-109, Lajpat Nagar, New Delhi.•

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.
- EXPLANATION :- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property No. I-E/108-109, Lajpat Nagar, New Delhi, Mg. 200 sq. yds.

> SUDHIR CHANDRA Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range-I Aggarwal House 4/14A, Asaf All Road New Delhi.

FORM ITNS-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX.

ACQUISITION RANGE-I AGGARWAL HOUSE 4/14A, ASAF ALI ROAD NEW DELHI

New Delhi, the 30th January 1985

- Ref. No. IAC/Acq.I/SR-III/6-84/380.—Whereas, I. SUDHIR CHANDRA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/and bearing No.
- W-60, Greater Kailash-I, situated at New Delhi,
- W-00, Greater Kauash-I, situated at New Delhi. (and more fully described in the Schedule annexed hereto). has been transferred under the Registration Act, 1908, (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at New Delhi in June, 1984. for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as afore-said aforesait consideration therefore her more than
- said exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :--
 - (a) facilitating the reduction or evasion of liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and /or
 - (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by transferse for the service of notice on the respective persons (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :---

Mata Jai Kaur Charitable Trust (Regd.) through one of its trustee S. Darshan Singh, R/o 6/21, Roop Nagar, Delhi.

(Transferor)

(2) Shri Narinder Singh Sethi Smt. Manjit Kaur Seth, through attorney Sh. Paramjit Singh, R/o 10, Raj Niwas Marg, New Delhi.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publi-cation of this notice in the Official Gazette.
- EXPLANATION :- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property No. W-60, Greater Kailash-I, New Delhi, Mg. 500 sq. yds.

> SUDHIR CHANDRA Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range-I Aggarwal House 4/14A, Asaf Ail Road New Delhi.

Date : 30-1-1985 Scal:

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT. 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE-I AGGARWAL HOUSE 4/14A, ASAF ALI ROAD NEW DELHI

New Delhi, the 11th February 1985

Ref. No. IAC/Acq.I/SR-III/6-84/390.—Whereas, I, SUDHIR CHANDRA.

being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (heicinafter referred to as the 'said Act) have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/ and beaung

as the said Act) have reason to believe that the miniovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/ and bearing No. G-II/57. Lajpat Nagar situated at New Delhi. (and more tuliy described in Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at New Delhi in June, 1984.

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :--

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act. in respect of any income arising from the transfer, and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferce for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957):

 Smt. Lajwanti W/o Late Shri Prem Chand, R/o House No. E/139, Saket, New Delhi-17.

(Transferor)

(2) Shri Satinder Kumar Gupta So Late Shri Tota Ram, R/o House No. 8/47, Punjabi Bagh, New Delhi.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of the notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of Publication of this notice in the Official Gazette.
- EXPLANATION :-- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the gaid Act, shall have the same meaning is given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property No. G-II/57, Lafpat Nagar, New Delhi, measuring about 100 sq. yds.

SUDHIR CHANDRA Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range-I Aggarwal House 4/14A, Asaf Ail Road New Delhi.

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act. I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesnid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :---

Date : 11-2-1985 Scal : -------

9001

FORM ITNS-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, AGGARWAL BHAWAN, 4/14A, ASAF ALI ROAD NEW DELHI

New Delbi, the 11th February 1985

No. IAC/Acq.I/SR-III/6-84/433.---Whereas I. Ref. SUDHIR CHANDRA,

being the Competent Authority under Section 269B of the income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

E-101, Greater Kailash-I situated at New Delhi

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908, (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at New Delhi in June, 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration

therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfor; und/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

(1) Mi s. Mini Jain, R/o K-41, Hanz Khas Enclave, New Delhi

(Transferor)

 M/s. Pal & Pal Builders Ltd., 12, Gef.al Building, Parliament Street, New Delhi.

(Transferce)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Odicial Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later :
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION .--- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given to that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat in property No. E-101, Greater, Kailash-I, New Delhi, area 352.5 sq. yds.

> SUDHIR CHANDRA Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range Aggarwal Bhawan 4/14A, Asaf Ali Road, New Delhi

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act. I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :-

FORM ITNS-

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

0.000

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX ACQUISTION RANGE-II, AGGARWAL BHAWAN 4/14A, ASAF ALI ROAD NEW DELHI

New Delhi, the 6th February 1985

Ref. No. IAC/Acq.II/37EE/6-84/387.-Whereas I, R. P. RAJESH.

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred

income-tax Act, 1901 (43 of 1901) (nereinance felened to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No. BB-3 situated at Dilkhush Industrial Estate, New Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Incomentar Act 1961 in

(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Income-tax Act, 1961 in the office of the IAC. ACQ-II in June, 1984. for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :--

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said act, in respect of any income arising from the transfer; and/or.

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax, Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :----

(1) Shri Joginder Kumar Gandhi, R/o A-77, Gurrawalan Town, Delhi.

(Transferor)

 Shrimati Kiran Soni & Shiimati Kavita Soni, R/o 37, Hanuman Road, New Delhi.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :--

- (a) by any of the aforesaid porsons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immov-able property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property No. BB-3, Dilkhush Industrial Estate, New Delbi. Measuring 872 sq. ft.

> R. P. RAJESH Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range-II, 4/14A, Asaf Ali Road, New Delhi

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II, G-13, GROUND FLOOR, CR BUILDING, I. P. ESTATE, NEW DELHI

New Delhi, the 6th February 1985

Ref. No. IAC/Acq.II/37EE/6-84/388.-Whereas I,

R. P. RAJESH, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/and bearing

and bearing No. 1-12, A-31/34 situated at Dr. Mukherjee Nagar, Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Income-tax Act, 1961 in the office of the Registering Officer at IAC. ACQ.-II Delhi in June, 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more that

exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :---

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and /or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

1(1) M/s. Delhi Commercial Builders Pvt. Ltd., Adinath Shree House, Connaught Circus, New Delhi.

(Transferor)

(2) Shri Anil Kumar & Sons (HUF) through Karta Shri Anil Kumar, R/o 50-A. Banarasi Dass Estate, Timarpur. Delki.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :-

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later:
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.
- EXPEANATION :--- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property No. 1-12, A-31/34 Dr. Mukherjee Nagar, Delhi Measuring 492 sq. ft.

> R. P. RAJESH Competent_Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range-II, Delhi/New Delhi

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the eforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :--

9004

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX, ACQUISITION RANGE-II, G-13, GROUND FLOOR, CR BUILDING, I. P. ESTATE, NEW DELHI

New Delhi, the 6th February 1985

Ref. No. IAC/Acq.II/37EE/6-84/389.—Whereas I, R. P. RAJESH,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing

No. 101 situated at A-31/34, Dr. Mukherice Nagar, Delhi (and more fully described in the schedule annexed hereto) has been transferred

under the Income-tax Act, 1961 in the office of the Register-

IAC. ACQ-II Delhi in June, 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aloresaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the p'operty as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :--

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the sold Act, in respect to any income arising from the transfer: and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferce for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

 Shrimati Rukmani Gupta, Smt. Meena Kumarl Bhatia & Smt. Chander Kanta Malhotra, R/o WVA/170, Shakarpur, Delhi.

(Transferor)

(2) M/s. Delhi Commercial Builders, Adinath Shree House, Connaught Circus, New Delhi.

(Transferce)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the sald immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :--The trems and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 101, at A-31/34 Dr. Mukherjee Nagar, Delhi. Measuring 460 sq. ft.

> R. P. RAJESH Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range-II, Delhi/New Delhi

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :--

FORM ITNS

NOTICE UNDER SUCTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II, G-13, GROUND FLOOR, CR BUILDING, I. P. ESTATE, NEW DELHI

New Delhi, the 6th February 1985

Ref. No. IAC/Acq.II/37-EF/6-84/390.---Whereas I, R. P. RAJESH,

being the Competent Authority under Section 269B of the **Income-tax Act**, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the **immovable** property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00.000/and bearing

No 1-12 & I-14 situated at Dr. Mukherjee Nagar, Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred

under the Income-tax Act, 1961 in the office of the IAC ACQ-II Delhi in June, 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :---

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transfer to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act. I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :— 63-486G1/84

 M/s. Delhi Commercial Builders Pvt. Ltd., Admath Shree House, Opp. Super Bazar, Connaught Circus, New Delhi.

(Transferor)

9005

(2) Shri Kundan Lal Bhasin, R/o C-5/108, Lawrence Road, New Delhi.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.
- EXPLANATION :---The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given 'n that chapter.

THE SCHEDULE

Property No. 1-12 & 1-14 Dr. Mukherjee Nagar, Delhi, Measuring 384 sq. ft.

R. P. RAJESH Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range-If Delhi/New Delh

FORM ITNS-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE-II, G-13, GROUND FLOOR, CR BUILDING, J. P. ESTATE, NEW DELHI

New Delhi, the 6th February 1985

Ref. No. IAC/Acq.11/37EE/6-84/391 .--- Whereas 1, R. P. RAJESH,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/and bearing No. 401 & 402 situated at A-31/34, Dr. Mukherjce Nagar,

Delhi

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Income-tax Act, 1961 in the

has been transferred under the Income-tax Act, 1961 in the Office of the Registering Officer at IAC. ACQ-II in June, 1984 for an apparent consideration which is less then the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as afore-said exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not hear thruly stated in the sold instrument. parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :-

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer: and /or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following psons, namely :

Date : 6-2-1985 Seal :

(1) M/s. Delhi Commercial Builders, Adi Nath Shree House, Connaught Cncus, New Delhi. (Transferor) (2) Smt. Vidyawati Jain & Shin Paramvir Jain & Others, 103, Veer Nagar, Jain Colony, New York, Nagar, Jain Colony, New Delhi. (Transferce)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :-

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publi-cation of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 401 & 402, at A-31/34, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi. Measuring 312 sq. ft.

> R. P. RAJESH Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range-II New Delhi

9006

FORM ITNS-----

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

<u>_____</u>

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-II, G-13, GROUND FLOOR, CR BUILDING, I. P. ESTATE, NEW DELHI

New Delhi, the 6th February 1985

Ref. No AIC/Acq.II/37EE/6-84/392.---Whereas I, R. P. RAJESH,

being the Competent Authority under section 269B of the Income tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/and bearing

No. 2 situated at Basement at D-I, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Income-tax Act, 1961 in the Office of the Registering Officer at IAC. ACQ-II, Delhi in June 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :---

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferce for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

New, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :--

(1) Master Swarup Aggarwal, R/o 3/74. Vishnupuri, Kanpur (U.P.).

(Transferor)

(2) M/s. Anand Traders, 52-54, Kaushalya Bhawan, Sadar Bazar, Delhi.

(Transferce)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice of the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.
- EXPLANATION :- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Basement No. 2 at D-I, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi. Measuring 575 sq. ft.

> R. P. RAJESH **Competent Authority** Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax Acquisition Range-II Delhi/New Delhi

9008

(PART III--SEC. 1

FORM I.T.N.S.---

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II, G-13, GROUND FLOOR, CR BUILDING, I. P. ESTATE, NEW DELHI

New Delhi, the 6th February 1985

Ref. No. IAC/Acq.II/37EE/6-84/393.-Wheteas I,

R. P. RAJESH, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred

to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding

Rs. 1,00,000/- and bearing

No. 404 & 403 situated at A-31/34, Dr. Mukherjee Nagar Delhi

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Income-tax Act, 1961 in the Office of the

IAC. ACQ.-II in June, 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :--

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

(1) M/s. Delhi Commercial Builders, Admath Shree House, Connaught Circus, New Delhi. (Transferor) (2) Master Himanshu Malhotra S/o Shu Khushal Chand, R/o 52/24, Ramjas Road, Karol Bagh, New Delhi. (Transferce)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :-

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 403 & 404 at A-31/34, Di. Mukherjee Nagar, Delhi Measuring 456 sq. ft.

> R. P. RAJESH Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range-If Delhi /New Delhi

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :---

Dato : 6-2-1985 Scal:

FORM ITNS-----

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE-II, G-13, GROUND FLOOR, CR BUILDING, I. P. ESTATE, NEW DELHI

New Delhi, the 6th February 1985

Ref. No. 1AC /Acq.II /37EE /6-84/394.-Whereas 1, R. P. RAJESH.

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act. 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing

No. I-15 situated at Jam House Extn., Dr. Mukherjee Nagar, Delhi

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Income-tax Act, 1961 in the Office of he IAC, ACQ.-II in June, 1984 for an apparent consideration which is less than the

fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than lifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :-

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and /or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act. 1957 (27 of 1957);

(1) M/s. Delhi Commercial Builders, Adinath Shree House, Connaught Circus, New Delhi.

(Transferor)

(2) Shri Atul Kumar Gupta S/o Shri Puran Chand, 21/A/4696, Ansari Road, ' Delhi.

(Transferce)

Objections, if any, to the acquisit: on of the said property may be made in writing to the undersigned :---

- (a) by any of the atoresaid persons within a period of 45 days, from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persone, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immov able property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :--- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property No. I-15, Jain House Extension, Dr. Mukheriee Nagar, Delhi.

Measuring 83 sq. ft.

R. P. RAJESH Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range-11 Delhi/New Delhi

Now, therefore, it. parsuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :-

Date : 6-2-1985 Seal :

9009

THE GAZETTE OF INDIA, MARCH 9, 1985 (PHALGUNA 18, 1906)

[PART III-SEC. 1

FORM ITNS-

NOTICE UNDER SECTION 269-D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

9010

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE-II, G-13, GROUND FLOOR, CR BUILDING, I. P. ESTATE, NEW DELHI

New Delhi, the 6th February 1985

Ref. No. IAC /Acq.II / 37EE / 6-84 / 395. - Whereas I,

Ret. No. IAC/ACQ.II/3/LE/10-04/375. WHEreas I. R. P. RAJESH, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961(43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing

No. 1-10 situated at A-31/34, Dr. Mukherjee Marg, Delhi. (and more fully described in the Schedule annexed hereto),

has been transferred under the Income-tax Act, 1961 in the Office of the

IAC. ACQ-II, at Delhi in June 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of 5-

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer, and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Property No. I-10 at A-31/34, Dr. Mukherjce Nagar, Delhi. Measuring 364 sq. ft.

> R. P. RAJESH Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range-II Delhi/New Delhi

Now, therefore in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following ing persons, namely :---

Date : 6-2-1985. Seal :

(1) M/s, Delhi Commercial Builders, Adjusth Shree House, Connaught Circus, New Delhi. (Transferor) (2) Mrs. Rita Chawla W/o Shri Swaran Singh Chawla, R/o 50 Udai Park, New Delbi. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publications of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immov-able property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.
- EXPLANATION :-- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

FORM ITNS-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II. G-13, GROUND FLOOR, CR BUILDING, I. P. ESTATE, NFW DELHI

New Delhi, the 6th February 1985

Ref. No. JAC/Acq.11/37FE/6-84/396.-Whereas I.

R. P. RAJESH, being the Competent Authority under Section

269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs, 1.00,000/- and bearing

No. G-5 situated at 4, 5 & 6, Bhai Parmanand Colony, Delhi (and more fully described in the Scheduled annexed hereto), has been transferred under the Income-tax Act, 1961 in the Office of the

Once of the IAC. ACQ-II, at Delhi in June, 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :---

- (a) facilitating the reduction or evanion of the liability of the transferor to pay tax under the said Ast, in respect of any income arising from the unsafer; sal/ar
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferse for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act. 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act. I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 296D of the said Act, to the follow ing persons, namely :---

Date : 6-2-1985. Scal :

(1) Smt. Krishna Kumari, R/o F-6/7, Model Town, Delhi.

(2) Smt Rakhee Valicha, R/o L/G-21, Sebh Sarai, Phase-II, New Delhi.

(Transferee)

(Transferor)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :----

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immov-able property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.
- EXPLANATION :- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property No. G-5 at 4, 5 & 6, Bhai Parmanand Colony, Delhi. Measuring 221 sq. ft.

> R. P. RAJESH Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range-II Delhi/New Delhi

FORM ITNS-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGF-II, G-13, GROUND FLOOR, CR BUILDING, I. P. ESTATE, NEW DELHI

New Delhi, the oth February 1985

Ref. No. IAC/Acq.JI/37EF/6-84/397.—Whereas I, R. P. RAJESH.

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe

that the immovable property, having a fair market value No. 25 situated at Racquet Court, Civil Lines, Delhi

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Income-tax Act, 1961 in the Office of the Registering Officer at IAC, ACQ Debbi in June, 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aloresaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :--

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and /or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act. 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons. namely :---

(1)	M/s. High Tower Builders,
	Racquet Court Road, Civil Lines,
	Delhi-54.

(Transferor)

(2) Mrs. Sushila B. Mehta & Shu B. H. Mehta, R/o 73. Lucknow Road, Timarpur, Delhi.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :-

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
 - (b) by any other persons interested in the said immov-able property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :--- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 25 at 4 Racquet Court Road, Civil Line, Delhi-54,

R. P. RAIFSH Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range-II Delhi/New Delhi

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-III, AGGARWAL BHAWAN, 4/14-A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI

New Delhi, the 30th January 1985

Ref. No. IAC/Acq.3/37EE/6-84/384 .--- Whereas I. G. S. GOPALA,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/and bearing No.

12 situated at Siri Fort Road, New Delhi (and more fully described in the Scheduled annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Delhi in June, 1984

Defin in June, 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the most of the property and in the action for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :-

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :-64-486GI/84

(1) Shri Dharam Singh, Trustee of M/s. Dharam Singh Family Trust, A-2/140, Safdarjung Enclave, New Delhi.

(Transferor)

(2) S. B. Commercial (P) Ltd., 94, Kazi Syed Street, Ganga Vihar, Bombay-400 003.

(Transferce)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period (a) 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immov-able property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.
- EXPLANATION :---The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

12, Siri Fort Road, New Delhi. Area-750 So. Ft.

> G. S. GOPALA Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range-III New Delhi

FORM JTNS-

(1) Saket Properties (P) Ltd., C-538, Defence Colony, New Delhi.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT

COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE-III, AGGARWAL BHAWAN, 4/14-A, ASAF ALI ROAD, NEW DELIHI

New Delhi, the 30th January 1985

Ref. No. IAC/Acq.3/37EE/6-84/385.---Whereas I, G. S. GOPALA,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/and bearing

No. 4 situated at Plot No. 21, Yusuf Sarai, New Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at

Delhi in June, 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :---

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now therefore, in pursuance of Section 269C of the said

persons, namely :---

G. S. GOPALA Competent Authority Inspecting Assit. Commissioner of Income-tax Acquisition Range-III New Delhi

Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-rection (1) of Section 269D of the said Act, to the following

Date : 30-1-1985. Seal :

 Shrimati Sushma Suri & S. V. S. Investments, GF-7/92, Nehru Place, New Delhi.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :--

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :---The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 4 (basement) Plot No. 21, Yusuf Sarai Commu-nity Centre, N. Delhi.

Area-318 Sq. Ft.

FORM ITNS----

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-III, AGGARWAL BHAWAN, 4/14-A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI

New Delhi, the 30th January 1985

Ref. No. IAC/Acq.3/37EE/6-84/385A.-Whereas I, G. S. GOPALA,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the im-movable property having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing Shop No. 167A situated at 9, Bhikaji Cama Place, New Delhi

(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transfered under the Income-tax Act, 1961 in the Office of the Registering Officer at IAC. ACQ-II, Delhi in June, 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than lifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :--

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transfer to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferce for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

(1) Lt. Col. G. D. Dayal Puri (Retd.), R/o C-25, West End Colony, New Delhi.

(Transferor)

(2) Mr. Arvind Bali, R/o B-1, West End Colony, New Delhi.

(Transferce)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :-

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, which are period expires later. whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :---The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter,

THE SCHEDULE

Under Construction Building, Shop No.-167A, at 9, Bhikaji Cama Place, New Delhi, Area-183 Sq. Feet.

> G. S. GOPALA Competent Authority Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax Acquisition Range-III New Delhi

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, ω the following persons, namely :-

9016 THE GAZETTE OF INDIA, MARCH 9, 1985 (PHALGUNA 18, 1906) [PART III-SEC. 1

FORM I.T.N.S.-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-III, NEW DELHI

New Delhi, the 30th January 1985

Ref. No. IAC/Acq.3/37EE/6-84/386.—Whereas, I, G. S. GOPALA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/and bearing

No. 163 si uated at Plot No. 6 Bhikaji Cama Place N. Delhi

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registeration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the registering Officer in June 1984

for an apaprtment consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aloresaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :---

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the indian income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :---

(1) Gajinder Pal Singh G.H.R. Inds., 1328, Sultan Singh Building, Kashmere Gate, Delhi. (Transferor)

(2) Avinash Purl & Smt. Prem Puri, 26/72 Punjabi Bagh, New Delhi.

(Transferce)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned-

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.
- EXPLANATION :--- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 163 Plot No. 6, Bhikaji Cama Place, New Delhi. Area-260 Sq. Ft.

> G. S. GOPALA Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range-III, New Delhi.

FORM I.T.N.S.

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, NEW DELHI

New Delhi, the 30th January 1985

Ref. No. IAC/Acq.3/37EE/6-84/387.—Whereas, I. G. S. GOPALA.

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'),

have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 2 situated at Plot No. C-1 Najafgarh, New Delhi (and more fully described in the Scheduled annexed hereto)

has been transferred under the Registeration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the registering Officer at in June 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid

property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :--

- (i) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax, under the said act, in respect of any income arising from the transfer; and or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferce for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the imme of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :---

- Meena Match Inds.,
 19, Thiruttangal Rd., Bhoopati Buildings, Sivakasi.
- (Transferor) (2) Mohiud Din & Sons, B-48, Part-1, Vishnu Garden, N, Delhi. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULB

Space No. 2, on basement floor "KANCHAN HOUSE" Plot C-1, Najafgarh Rd., Community Centre, N. Delhi.

> G. S. GOPALA, Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range-III, New Delhi.

PART III-SEC. 1

FORM ITNS-

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACOUISITION RANGE. NEW DELHI

New Delhi, the 30th January 1985

Ref. No. IAC/Acq.3/37EE/6-84/388.---Whereas, I,

G. S. GOPALA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/and bearing

No. 4 situated at Plot No. A-7, 8, 9, Ranjit Ngr.,

New Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registeration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the registering Officer at in June 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :---

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and /or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferce for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act. I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following versons, namely :---

(1) S.P.S. International B-197, Naraina Vihar, N. Delhi. (Transferor)

(2) Guru Amardass International (P) Ltd., B-197, Narain Vihar, N. Delhi. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :-

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.
- EXPLANATION :--- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Space No. 4 on third floor, "SAMRAT BHAWAN" Plot A-7-8-9, Ranjit Ngr., Community Centre, N. Delhi. Area-529 Sq. Ft.

> G. S. GOPALA, Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range-III, New Delhi.

Dated : 30-1-85 Scal:

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGE, NEW DELHI

New Delhi, the 30th January 1985

Ref. No. IAC/Acq.3/37EE/6-84/389.—Whereas, I, G. S. GOPALA,

being the Compotent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/and bearing

No. B-1/185 situated at Pashim Vihar, New Delhi

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registeration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the registering Officer at in Juno 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid excerds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :--

- (a) inclitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transferand/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferree for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :--- Gurbachan Kaur & S. Rahinder Singh, H-58, Bali Ngr., New Delhi.

(2) Tara Chand Himmat Ranka, 21/35 West Patel Ngr., N. Delhi.

(Transferce)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazate.
- EXPLANATION :— The terms and expression used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in the Chapter.

THE SCHEDULE

No. B-1/185, Paschim Vihar, New Delhi. Area-150 Sq. Yds.

> G. S. GOPALA, Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range-III, New Delhi.

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-III, NEW DELHI

New Delhi, the 30th January 1985

Ref. No. IAC/Acq.3/37EE/6-84/390.—Whereas, I, G. S. GOPALA,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. 10, situated at Plot 3 & 4 Prit Nagar, Delhi

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registeration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the registering Officer at in June 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :---

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :-- (1) Savitri Properties (P) Ltd. 5/92, "Deepali" Nehru Place, N. Delhi. (Transferor)

(2) Bhim Sain Vij, D-141 Vivak Vihar, Delhi.

(Transferce)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons. whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.
- EXPLANATION :---The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Shop No. 10, on ground floor, at Plot Nos. 3 & 4 Preet Nagar, Delhi.

Area-157 Sq. Ft.

G. S. GOPALA, Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range-III, New Delhi.

FORM ITNS-----

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

÷

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, NEW DELHI

New Delhi, the 30th January 1985

Ref. No. IAC/Acq.3/37EE/6-84/391.—Whereas, I, G. S. GOPALA,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/and bearing

No. 607-A situated at 9-Bhikaji Cama Place, New Delhi

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registeration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the registering Officer at in June 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :--

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by transferse for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act. 1957 (27 of 1957);

- (1) Neeta Sethi & Mrs. Atuna Bhandati, 16/334, Khajoot Road, Katol Bagh, New Delhi. (Transferor)
- (2) Khemka Instruments (P) Ltd. Shakaspear Court. Shakeshpear Satain, Calcutta.
 (Transferce)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :----

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.
- EXPLANATION :-- The terms and expression used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 607-A in 9 Bhikaji Cama Place, N. Delhi, Area-333 Sq. Ft.

G. S. GOPALA, Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range-III, New Delht.

Dated : 30-1-85 Scal : _____

FORM ITNS-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGE, NEW DELHI

New Delhi, the 30th January 1985

Ref. No. IAC/Acq.3/37EE/6-84/392.—Whereas, I, G. S. GOPALA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (horeinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market will a standard Br. 25 000/property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/and bearing

No. 614 situated at 9, Bhikaji Cama Place, N. Delhi (and more tully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 ol 1908) in the Office of the registering Officer at in June 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :--

(a) facilitating the reduction or evision of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; end/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferre for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tan Act, 1957 (27 of 1957);

(1) Shri Vinod K. Anand, C-19, Chirag Enclave, N. Delhi.

(Transferor)

(2) Khemka Instruments (P) Ltd., Shakespear Court, Shakespear Sarain, Calcutta. (Transferce)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :-

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the res-pective persons, whichever period expires later:
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publi-cation of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :---The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 614 in 9 Bhikaji Cama Place, New Delhi. Area-352.5 Sq. Ft.

G. S. GOPALA, Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range-III, New Jolh.

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :---

NÖTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, NEW DELHI

New Delhi, the 30th January 1985

Ref. No. IAC/Acq.3/37EE/6-84/393.—Whereas, I, G. S. GOPALA,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/and bearing No. 507 situated at 2-A Bhikaji Cama Place, New Delhi

(and more fully described in the schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer in June 1984

for an apparent consideration which is less than the fair matter value of the aforesaid property and I have reason to behave that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefore by more than before per cost of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the partice has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act. I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :--- Kailash Nath & Associates, 18006 Kanchenjunga, 18 Barakhamba Rd., N. Delhi,

(2) Miss Jyoti Anand C/o Mr. K. K. Anand, S-218, Greater Kailash-II, New Delhi.

(Transferce)

(Transferor)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette
- EXPLANATION :---The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 507 on 5th floor of proposed Commercial Complex 'ALPS', 2-A Bhikaji Cama Place, New Delhi, Area-205 Sq. Ft.

> G. S. GOPALA, Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range-III, New Delhi.

⁽a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the mid Act, in respect of any income arising from the transfers and/or

⁽b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Incometax Act, 1922 (i1 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-III, NEW DELHI

New Delhi, the 30th January 1985

Ref. No. IAC/Acq.3/37EE/6-84/394.---Whereas, I, G. S. GOPALA,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/and bearing No. situated at Plot No. 2-A Bhikaji Cama Place,

Now Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer

for an apparent consideration which is less than the fair for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the a_{II} and a_{DI} consideration therefore by more than iffeen per cent of such apparent consideration and that the consider that a_{DI} such a parent consideration and that the parties have not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :---

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; andlor
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

(1) Kailash Nath & Associates, 1006 Kanchanjunga, 18 Barakhamba Road, New Delhi.

- (Transferor)
- (2) Bimal Kumeri, 128, Sector No. 3 R. K. Puram, N. Delhi (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :-

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publiction of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons; whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.
- EXPLANATION :--- The terms and expressions used herein a are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Shop No. 7, Upper Ground Floor, Commercial Complex "ALPS' 2-A Bhikaji Cama Place, N. Delhi. Area-88 Sq. Ft.

> G. S. GOPALA, **Competent Authority** Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range-III, New Delhi.

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :-

Date: 30-1-85 Scal 🗄

FORM TINS-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, NEW DELHI

New Delhi, the 30th January 1985

Ref. No. IAC/Acq.3/37EE/6-84/395.--Whereas, I,

G. S. GOPALA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter reforred to a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/and bearing No. 614-A situated at 9, Bhikaji Cama Place, N. Delhi

(and more fully described in the Scheduled annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at in June 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :---

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, is respect of any income usising from the transfer;

(b) facilitating the conscalment of any income or any racentaining the concentration of any income or any racencys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957); (1) Pramila Rei C-19, Chirag Enclave, N. Delhi.

(Transferoi)

(2) Khemka Instruments (P) Ltd. Shakespear Court, Shakespear Sarain, Calcutta.

(Transferce)

Objections, if any, to the acquisition of the said preperty may be made in writing to the undersigned :---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of the notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.
- EXPLANATION :- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act. shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 614-A in 9 Bhikaji Cama Place, N. Delhi.

> G. S. GOPALA, Competent Authority ACQUISITION RANGE-III, NEW DELHI Acquisition Range-III, New Delhi,

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Ast, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persens, namely :---

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACOUISITION RANGE-III, NEW DELHI

New Delhi, the 30th January 1985

Ref. No. (AC/Acq.3/37EE/5-84/396.-Whereas, I, G. S. GOPALA,

- being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1261 (43 of 1961) thereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and beating No. 4-D/64, situated at Old, Rajinder Magar, New Delhi

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1948 (16 of 1908) in the office of the registering officer in June 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :---

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be discussed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the foresaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, the following persons, namely :---

Date: 30-1-85 Seal :

Mohini Devi W/o (1)Sh. Girdhari Lal, 4D/64, Rajinder Ngr., N. Delhi.

(Transferor)

PART III-SEC 1

(2) Ashok Kumar Jain S/o Sh. K. C. Jain, H-252 Sarojini Ngr., New Delhi.

(Transferce)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :--

- (a) by any of the aforesaid persons within a period r of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publi-cation of this notice in the Official Gazette.
- · EXPLANATION :--- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SOMEDULE

4-D/64 Old Rajinder Nagar, New Delbi. Area-88.1 Sq. Ft.

> G. S. GOPALA, Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range-III, New Delhi.

9026

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOMP-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE-III, NEW DELHI

New Delhi, the 30th January 1985

Ref. No. IAC/Acq.3/37EE/6-84/397 .--- Whereas, I,

G. S. GOPALA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immov-able property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

Rs. 25,000/- and bearing res. UG-7 situated at Jaina Tower, Dist. Centre, Janak Puri, N. Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registration Officer in June 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as afore-said exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:--

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act. in respect of any income arising from the transfer; and /or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other ascets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

(1) Jaina Properties (P) I til, And nach Salos Heale One. Super Bazar, Con. Crews, New Dohn. (Transferor)

 Rajiv Dutt S/o Sh. B. L. Dutt Smt. Lahta Dutt W/o Sh. Rajiv Dutt, E-A/139 Inder Pure, N* Delhi, (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in wr tung to the underspined --

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immov-able property, within 5 days from the date of publi-cation of this notice n the Official Gazette

EXPLANATION :-- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given m that Chapter.

THE SCHEDULE

UG-7, Jaina Tower, Distt. Centre Janak Puri, New Delhi. Area-80 Sq. Ft.

> G. S. GOPALA, Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range-III, New Delhi.

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, 1 hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :--

[PART III-SEC. 1

FORM ITNS-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE-III AGGARWAL BHAWAN NEAR BROADWAY HOTEL 4/14-A, ASAF ALJ ROAD NEW DELHI

New Delhi, the 30th January 1985

Ref. No. IAC/Acq.3/37EE/6-84/389.---Whereas, I, G. S. GOPALA,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immevable property having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/and bearing

No. UG-18 situated at Jaina Tower, Janak Puri, New Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at New Delhi in June 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fiften per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :--

(ā) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

- Jaina Properties (P) Ltd., Addinath Shree House, Opp. Super Bazar, Conn. Circus, New Delhi.
 (Transferor)
- (2) Smt. Sudesh Kathuria W/o Shri K. L. Kathuria, C-18, Vikas Puri, New Delhl.
 (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.
- EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

UG-18, Jaina, Tower, Distt. Centre, Janak Pürl, New Delhi, Area 98 sq. ft.

G. S. GOPALA. Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range-III Delhi/New Delhi.

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act. I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely :---

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGE 111 AGGARWAL BHAWAN NEAR BROADWAY HOTEL 4/14-A, ASAF ALI ROAD NEW DFLHI

New Delhi, the 30th January 1985

Ref. No. IAC/Acq.3/37EE/6-84|399.-Whereas, I, G. S. GOPALA,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immov-

able property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. No, UG-11 situated at Janak Puri, New Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registratation Act 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at New Delhi in June 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :---

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer: and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1937 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following porsona, namely:---66-486G1/84

(1) Jaina Properties (P) Ltd., Addinath Shree House, Opp. Super Bazar, Conn. Circus. New Delhi.

(Transferor)

(2) Smt. Adarsh Kathuria W/o Shri D. R. Kathuria, C-28/98B, Janak Puri, New Delhi.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned ;---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person intersted in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :--- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

UG-11, Jaina Tower, Distt. Centre, Janak Puri, New Delhi. Area-155 sq. ft.

> G. S. GOPALA Competent Authon Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range-III Delhi/New Delhi.

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-

SIONER OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGE-JII AGGARWAL BHAWAN NEAR BROADWAY HOTEL 4/14-A. ASAF ALI ROAD NEW DEI ID

New Delhi, the 30th January 1985

Ref. No. IAC/Acq 3/37FE/6-84|400.—Whereas, I. G. S GOPALA,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs, 25,000/- and bearing No.

484-C situated at Janak Puri, New Delhi

and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registratation Act 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at

New Delhi in June 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of 'ransfer with the object of :--

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act. 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, J hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :— (1) Jaina Properties (P) Ltd., Addinath Shree House, Opp. Super Bazar, Conn. Cncus, New Delhi.

(Transferor)

(2) Shri Kapoor Chand Jain, S. o Sh. Khem Chand Jain, A-99, Vikas Puri, New Delhi.

(Fiansferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned '---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:---The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULP

484-C Jaina Tower, Distt Centre. Janak Puri, New Delhi. Area-178 Sq. Ft

G. S. GOPALA Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range-III Delhi/New Delhi.

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE-III AGGARWAL BHAWAN NEAR BROADWAY HOTEL 4/14-A, ASAF ALI ROAD NEW DELHI

New Delhi, the 30th January 1985

Rel. No. IAC/Acq.3/3711, 6-84[401,--Whereas, I, G. S. GOPALA,

being the Competent Authority under Sectior 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'sa'd Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000 and bearing No.

UG-14A situated at Janak Puri, Now Delhi

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at New Delhi in June 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :--

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :

- Jaina Properties (P) Ltd., Addinath Shree House, Opp. Super Bazar, Conn. Circus, New Delhi.
- (2) Shri Bij Bhushan Shaima
 S'o Shii Tirath Ram Sharma,
 C/5 New Krishna Paik, Dholi Piau,
 Najafgarh Road, New Delhi.
 (Transferee)

Objections, if any, to the aquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :--

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.
- EXPLANATION :--- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as gives in that Chapter

THE SCHEDULE

14-A Jaina Tower, Dist. Centre, Janak Puri, New Delhi Area-J88 Sg. 1t.

G. S. GOPALA Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range-III Delhi/New Delhi.

Date + 30-1 1985 Seal :

FORM TINS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-III AGGARWAL BHAWAN NEAR BROADWAY HOTEL 4/14-A, ASAF ALI ROAD NEW DELHI

New Delhi, the 30th January 1985 Ref. No. IAC/Acq.3/37EE/6-84]402.-Wheras, I,

G. S. GOPALA,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe hat the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. UG-8A situated at Janak Puri, New Delhi

(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at New Delhi in June 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as afore-said exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :--

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the taid Act, in respect of any income arising from the transfer; andlor

(b) facilitating the concealment of any income or any

moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferce for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore in pursuance of Section 269C of the and Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following

persons, namely :---

Date : 30 1-1985 Seal :

- (1) Jaina Properties (P) Ltd., Addinath Shree House, Opp. Super Bazar, Conn. Circus, New Delhi. (Transferor)
- (2) Snit, Raj Barry W/o Major V. K. Barry, Plot No. 82, Flat No. 82, Pocket No. 13, Block C-4B, Janak Puri, New Delhi, _____

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immov-able property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :---The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

UG-8A, Jaina Tower, Distt. Centre, Janak Puri, New Delhi. Area-89 Sq. ft.

> G. S. GOPALA Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range-III Delhi/New Delhi.

9032

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE-III AGGARWAL BHAWAN NEAR BROADWAY HOTEL 4/14-A, ASAF ALI ROAD NEW DELHI

New Delhi, the 30th January 1985

Ref. No. IAC/Acq.3/37EE/6-84|403.-Whereas, 1, G. S. GOPALA,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (herein-in-after referred to as the said Act), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/and bearing Flat No. 506, situated at 3, Janak Puii, New Delhi

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the 1. T. Act, 1961 in the Office of the registering Officer

at IAC/ Acq. Range-III, in June 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason (believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therfor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :---

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transferor, andlor
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act. 1957 (27 of 1957);

Jaina Properties (Pvt) Ltd, Addinath Shree House, Opp. Super Bazar, Connaught Circus, New Delhi.

(Transferor)

(2) Sh. Satpal Bhatia S/o J. N. Bhatia, & Smt. Suman Bala Bhatia W/o Satpal Bhatia, R/o, B1/624, Janak Puri, New Delhi. (Transferec)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be plade in writing to the undersigned :---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publi-cation of this notice in the Official Gazette.

FXPLANATION : - The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XAA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 506, 5th Floor, Plot No. 3, Jaina Tower Distt. Center Janak Puri, New Delhi, Area-462 Sq. Ft.

> G. S. GOPALA Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range-III Aggarwal Bhawan Near Broadway Hotel 4/14-A, Asaf Ali Road, New Delhi.

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to following persons, namely :----

FORM I.T.N.S.

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME TAX ACT 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE-III AGGARWAL BHAWAN NFAR BROADWAY HOTEL 4/14-A, ASAF ALJ ROAD NFW DEJ HI

Now Delhi, the 30th January 1985

Ref. No. IAC, Acq.3/37EE/6-84]404.-Whereas, 1, G. S. GOPALA,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. UG-32, situated at Janak Puri, New Delhi

(and more fully described in the Schedule annexed hereta), has been transferred under the I. T. Act, 1961 in the Office of the registering Officer

at IAC/Acq. Range-III, in June 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :--

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer, and /or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferes for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act. or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, i hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :---

(1) Jaina Properties (Pvt) Ltd. Addinath Shree House, Opp. Super Bazar, Connaught Circus, New Delhi. (Transferor)

(2) Sh. Tivinder Pal Singh S/o Sardul Singh Sethi, R/o F-64, Gura Nanak Pura, Jail Road, Tilak Nagar, New Delhi.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :-

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :--- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Prop. No. UG-32, Jaina Tower, Disti. Center, Janak Puri, New Delhi. Area --155 sq. ft.

> G. S. GOPALA Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range-III Aggarwal Bhawan Near Broadway Hotel 4/14-A. Asaf Ali Road,, New Delhi.

FORM ITNS-----

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THF INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDLA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT

COMMISSIONER OF INCOMETAX. ACQUISTION RANGE-III AGGARWAL BHAWAN NEAR BROADWAY HOTH 4/14-A, ASAF ALI ROAD NFW DFLHI

New Delhi, the 30th January 1985

G. S. GOPALA,

G. S. GOPALA, being the Competent Authority under Section 269AB of the Income-tax Act, 1981 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immov-able property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. UG-7B, situated at Janak Puri, New Delh

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the I. T. Act, 1961 in the Office of the registering Officer at IAC/Acq. Range-III, in June 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :---

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer: and /or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922), or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957); (1) Jaina Properties (Pvt) Ltd, Addinath Shree House, Opp. Super Bazar, Connaught Cricus, New Delhi

('Transferor)

(2) Smt. Kailosh Bansal W/o R. K Bansal R o B 10, Ramesh Nagar, D. S. Qrs. New Delhi. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned ;---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.
- f XPU ANATION :--- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Prop. No. UG-7B, Jaina Tower, Distt. Center, Janak Putt, New Delhi, Area-75 Sq. Feet.

> G. S. GOPALA Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range-III Aggarwal Bhawan Near Broadway Hotel 4/14-A Asaf Ali Road, New Delhi.

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I bereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the follow-ing perconstruction: ing persons, namely '--

Date : 30-1-1985 Scal:

.

[РАКТ Ш.—SEC. 1

FORM ITNS-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSIT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE-III, AGGARWAL BHAWAN NEAR BROADWAY HOTEL 4/14-A, ASAF ALI ROAD NEW DELHI

New Delhi, the 30th January 1985

Ref. No. IAC/Acq.3/37EE/6-84 406 .--- Whereas, L, G. S. GOPALA,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs, 25,900]- and bearing No. UG-16B, situated at Janak Puri, New Delhi, (and more described in the Schedule annexed herto) has been transferred under the I. T. Act, 1961 in the Office

of the registering Officer

at IAC/Acq. Range-III, in June 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than lifteen persent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :---

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-tection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :---

Date : 30-1-1985 Seal :

(1) Jama Properties (Pvt) Ltd, Addinath Shree House, Opp. Super Bazar, Connaught Circus, New Delhi.

(Transferor)

(2) Sh. Inder Pal Singh & Vijender Pal Singh, R/o H, No. 6-3/4. Vill. Binda Pur, D.O. Ultravio Market Dalki P.O. Uttam Nagar, New Delhi.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :-

- (b) by any aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publications of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within forty five days from the date of publication of this notice in the official Gazette.

EXPLANATION :- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Prop. No. UG-16B, Jaina Tower, Distt. Center. Janak Puri, New Delhi, Super Bazar, Area-80 Sq. Ft.

> G. S. GOPALA Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range-III Aggarwal Bhawan Near Bloadway Hotel 4/14-A, Asaf Ali Road... New Delhi.

9036

PART III-SEC. 1

FORM ITNS-----

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 QF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX. ACQUISITION RANGE-III AGGARWAL BHAWAN NEAR BROADWAY HOTEL. 4/14-A, ASAF ALI ROAD NEW DELHI

New Delhi, the 30th January 1985

Ref. No. IAC/Acq.3/37EE/6-84|407.---Whereas, I, G. S. GOPALA.

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/and bearing

and bearing No. 207, situated at Jalna C. Complex, Yusuf Sarai, New Delhi

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the I. T. Act, 1961 in the Office of the registering Officer

at IAC/Acq. Range-III, in June 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than difteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :---

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer and/or

,

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act 1957 (27 of 1957);

(1) Aar Pee Apartments (Pvt) Ltd., Addinath Shree House, Opp Super Bazar, Connaught Circus, New Delhi.

(Transferor)

 (2) Smt. Renu Gupta W/o Sh. Sudhir Gupta, C/o Sh. Anupam Goyal R/o 114, Jor Bagh, New Delhi.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :----

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.
- EXPLANATION :---The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act. shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 297, Jaina Commercial Complex, Yusuf Sarai, New Delhi, Area-285 Sq. Feet.

> G. S. GOPALA Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Incone-tax Acquisition Range-III Aggarwal Bhawan Near Broadway Hotel 4/14-A, Asaf Ali Road, New Delhi.

> > 11

[PART III-SEC. 1

FORM TINS-----

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGE-III AGGARWAL BHAWAN NEAR BROADWAY HOTEL 4/14-A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI

New Delhi, the 30th January 1985

Ref. No. IAC/Acq.3/37EE|6-84|408.--Whereas, I, G. S. GOPALA,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'auid Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,060]and bearing No. U G.-9B, situated at Janak Puri, New Delhi

(and more fully described in the Scheduled annexed hereto), has been transferred under the I.T. Act, 18961 in the Office

of the registering Officer at IAC/Acq. Range-III, in June 1984,

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :--

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transrofor to pay tax and the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the encomment efany income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferree for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

(1) Jaina Properties (Pvt) Ltd., Addinath Shree House, Opp. Super Bazar, Connaught Circus, New Delhi.

(Transferor)

(2) Shri Sagar Mal Sharma S/o Late Shri Anant Ram Sharma R/o WZ-26, Manobar Park, Rohtak Road, Delhi.

(Transferce)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

FXPLANATION :---The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Prop No. U.G.-9B, Jaina Tower, Distt Center, Janak Puri, New Delhi, Super Area-100 Sq. Fect.

> G. S. GOPALA Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range-III Delhi/New Delhi

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceeding for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-secuon (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 @F 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE-III AGGARWAL BHAWAN NEAR BROADWAY HOTEL 4/14-A ASAF ALI ROAD, NEW DELHI

New Delhi, the 30th January 1985

Ref. No. IAC/Acq.3/37EE/6-84/409.-Whereas, I, G. S. GOPALA,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. U.G-5A situated at Janak Puri, New Delhi

(and more fully described in the Schedule annexed herete) has been transferred under the I.T. Act in the Office of the regstering Officer at IAC/Acq. Range-III, in June 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as afore-said exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :---

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/ar

(b) facilitating the canesalment of any income or r moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferes for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922. (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :----

(1) Jaina Properties (Pvt) Ltd., Addinath Shree House, Opp. Super Bazar, Connaught Circus, New Delhi.

(Transferor)

(2) Shri Parkash Chandra Kakkar S/o Shri Ramji Kakkar, R/o M-50, Vikas Puri, New Delhi.

(Transferce)

Objections, if any, to the acquisition of the said $p_1\sigma$ may be made in writing to the undersigned :---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period 44
 45 days from the date of publication of this notice
 in the Official Gazette or a period of 30 days
 from the service of notice on the respective persons,
 whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazet

EXPLANATION :--- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Prop. No. U.G.-5A, Jaina Tower, Dist, Center, Janak Puri, New Delhi, Super Area-100 Sq. Ft.

> G. S. GOPALA **Competent** Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range-III Delbi/New Delhi

FORM ITNS-----

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE-III AGGARWAL BHAWAN NEAR BROADWAY HOTEL 4/14-A ASAF ALI ROAD, NEW DELHI

New Delhi, the 30th January 1985

Ref. No. IAC/Acq3/37EE/6-84/410. Whereas, I, G. S. GOPALA,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. G 17A situated at Janak Puri, New Dehli

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the I.T. Act 1961 in the office of the registering Officer at

IAC/Acqn. Range-III, New Delhi in June 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such apparent consideration and that the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :--

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/os
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferree for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the sald Act. I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:--- Jaina Properties (Pvt) Ltd., Addinath Shree House, Opp. Super Bazar, Connaught Circus, New Delbi.

(Transferor)

 Mr. Amarjit Singh S/o Shri Jagram, R/o H. No. 10- Vill. Bindapur, P.O. Uttam Nagar, New Delhi.
 (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazetta.

EXPLANATION :---The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Prop. No.-G-17, Jaina Tower, Distt. Center, Janak Purl, New Delhi, Super Bazar-90 Sq. ft.

> G. S. GOPALA Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range-III Delhi/New Delhi

FORM ITNS-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGE-III AGGARWAL BHAWAN NFAR BROADWAY HOTEL 4/14 A ASAF ALI ROAD, NEW DELHI

New Delhi, the 30th January 1985

Ref. No. IAC/Acq.3/37EE/6-84/411.—Whereas, I, G. S. GOPALA,

G. S. GOPALA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing Plot No. 83, situated at New Rajdhani Enclave, New Delhi (and mere feilly decembed in the Schedule encoursed bearing

Plot No. 83, situated at New Rajdhani Enclave, New Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the I.T. Act 1961 in the office of the registering Officer at

the registering Officer at IAC/Acqn. Range-III, New Delhi in June 1984 for an apparent consideration and which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforeuaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957):

No, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of th aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :--- (1) L. N. Modi &Sons (HUF) C-8, South Extention, Part II, New Delhi.

(Transferor)

(2) Shri Sudesh Kumar, 469 Dev Motor Market, Hamilton Road, Kashmere Gate, Delhi.

(Transferce)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :-- The terms and expressions used hereix as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in the Chapter.

THE SCHEDULE

Prop. No.-G-83, New Rajdhani Fuclave, New Delhi, Lease Hold.

G. S. GOPALA Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range-III Delhi/New Delhi

FORM TINS-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE-III AGGARWAL BHAWAN NEAR BROADWAY HOTEL 4/14-A ASAF ALI ROAD, NEW DELHI

New Delhi, the 30th January 1985

Ref. No. IAC/Acq.3/37EE/6-84[412.--Whereas, I, G. S. GOPALA,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No, 411-B, situated at Janak Puri, New Delhi,

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the I.T. Act 1961 in the office of the registering Officer at IAC/Acqn. Range-III, New Delhi in June 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been only stated in the said instrument of transfer with the object of :---

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer: and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922), or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this office notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :----

Date : 30-1-1985 Scal:

(1) Jaina Froperties (Pvt) Ltd., Addinath Shree House, Opp. Super Bazar, Connaught Circus, New Delhi. (Transferor)

(2) Shri C. K. Rampal S/o Late Shri Ham Raj Rampal R/o A-80, Sjhankar Garden, New Delhi.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :--- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Prop. No.-411B, Jaina Tower, Distt. Center, Janak Puri, New Delhi, Area-85 Sq. ft.

> G. S. GOPALA Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range-III Delhi/New Delhi

FORM LT.N.S.-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX, **ACQUISITION RANGE-III** AGGARWAL BHAWAN NEAR BROADWAY HOTEL 4/14-A ASAF ALI ROAD, NEW DELHI

New Delhi, the 30th January 1985

Ref. No. IAC/Acq.3/37EE/6-84/413.-Whereas, I. G. S. GOPALA,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. U.G. 76. situated at Janak Purl, New Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto). has been transferred under the I.T. Act 1961 in the office of the registering Officer at

IAC/Acqn. Range-III, New Delhi in June 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as believe that the fair inspect value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :---

- (a) faciliting the reduction of evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer: and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sus-section (1) of Section 269D of the said Act to the followpersons, namely :---

(1) Jaina Properties (Pvt) Ltd., Addinath Shree House, Opp. Super Bazar, Connaught Circus, New Delhi.

(Transferor)

(2) Shri C. K. Idnani S/o Shri J.G. Idnani, C/o Shri R. K. Tevari, R/o B-2/B-147, D-2/B-147, Janak Puri, New Delhi.

(Transferce)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :-

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immov-able property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall havt the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Prop. No. U.G. 7-C. Jaina Tower, Distt. Center, Janak Purl, New Delhi, Area-75 Sq. ft.

> G. S. GOPALA Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range-III Delhi/New Delhi

[PART III----SEC.

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX ACOUISITION RANGE-III AGGARWAL BHAWAN NEAR BROADWAY HOTEL 4/14A, ASAF ALI ROAD NEW DELHI

New Delhi, the 30th January 1985

Ref. No. IAC/Acq-3/37EE/6-84/414.—Whereas, I, G. S. GOPALA.

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act, have reason to believe that the immov-able property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and hearing No. U.G-12, situated at Janak Puri, New Delhi,

(and more fully described in the Schedule annexed hereto). has been transferred

under the I.T.Act. 1961 in the office of the Registering Officer

at IAC/Acq. Range. III in June, 1984.

at IACVACq. Range. III in June, 1984. for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as afore-said exceeds the apparent consideration therefor by more than filteen per cent of such apparent consideration and that the consideration by such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :--

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the pur-pose of the Indian Incometax Act 1922, (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act 1957, 27 of 1957)

G. S. GOPALA Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range-III Aggarwal Bhawan Near Broadway Hotel 4/14A, Asaf Ali Road New Delhi

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act. I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :

Date : 30-1-1985 Scal:

(1) Jaina Properties (Pvt.) Ltd., Addinath Shree House, Opp. Super Bazar, Connaught Circus, New Delhi,

(2) Smt. Birmi Devi W/o Sh. Chander Singh, R/o B-3/186, Janak Puri, New Delhi.

(Transferee)

(Transferor)

Objections, if any ,to the aquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :-

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immov-able property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazcite.

EXPLANATION :--The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Prop. No. U.G.-12, Jaina Towar, Distt. Center, Janak Puri, New Delhi, Area-155 Sq. feet.

FORM ITNS-

NOTICE UNDER SECTIOU 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT

COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-III AGGARWAL BHAWAN NEAR BROADWAY HOTEL 4/14A, ASAF ALI ROAD NEW DELHI.

New Delhi, the 30th January 1985

Ref. No. IAC/Acq-3/37EE/6-84/415.—Whereas. I, G. S. GOPALA,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. U.G.-4, situated at Janak Puri, New Delhi. (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the I.T. Act 1961 in the office of the Registering Officer

at IAC/Acq. Range. III in June, 1984.

at IAC/Acq. Range. III in June, 1984. for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said treatment of transfer with the object of :---

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; azd/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the same of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following

(1) Jaina Properties (Pvt.) Ltd., Addinath Shree House, Opp. Super Bazar, Connaught Circus. New Delhi. (Transferor) (2) Shri Subhash Chander Bhalla and Shri Ashok Kumar Bhalla, R/o WZ 32, Krishna Park Extn., New Delhi.

(Transferec)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :--

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immov-able property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :---The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter

THE SCHEDULE

Prop. No. U.G.-4, Jaina Tower. Distt. Center, Janak Puri, New Delhi, Super Arca-205 Sq. feet.

G. S. GOPALA Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range-III Aggarwal Bhawan Ncar Broadway Hotel 4/14A, Asaf Ali Road New Delhi.

FORM I.T.N.S.----

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-III, AGGARWAL BHAWAN NFAR BROADWAY HOTEL 4/14A, ASAF ALI ROAD NEW DFLHI.

New Delhi, the 30th January 1985

Ref. No. IAC/Acq-3/37EE/6-84/416 .--- Whereas, I. G. S. GOPALA,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 603 situated at Janak Puri, New Delhi.

(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the I. T. Act, in the Office of the registering Officer at IAC/ACQ. Range III on June 1984 an apparent consideration which is less for than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the aparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :-

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer: and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transforce for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act. or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Sectio · 269D of the said Act, to the following persons, namely :---

7- و مراجع المراجع الم	
 Jaina Properties (Pvt.) Ltd., Addinath Shree House, , Opp. Super Bazar, Connaught Circus, New Delhi, 	
	(Transferor)
 (2) Smt. Kailash Aggarwal W/o Sh. R. K. Aggarwal, R/o 2C2/Pocket No. 2/Flat No. 76, Janak Puri, 	
New Dclhi.	(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION : -- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Prop. No. 603, Jaina Tower, Distt. Center, Janak Puri, New Delhi, Super Area-300 Sq. feet,

> G. S. GOPALA Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range-III Aggarwal Bhawan 4/14A, Asaf Ali Road New Delhi.

Date 1 30-1-1985.

Seal :

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

> ACQUISITION RANGE III, AGGARWAL BHAWAN NEAR BROADWAY HOTEL 4/14A, ASAF ALI ROAD NEW DELHI.

New Delhi, the 30th January 1985

Rei No IAC/Acq-3/37FE/6 84/417 ---Whereas, I, G S GOPALA,

being the Competent Authority under Section 269B of the income-tax Act, 1961 (43 of 1961) thereinafter referred to as the said Act), have reason to believe that the immovable property having a fair marktt value exceeding Rs 25,000/and bearing

No U.G. 16A situated at Janak Puri, New Delhi

(and mote fully described in the schedule annexed here to), has been transferred under the [T Act, 1961 in the office of the Registering Officer

the Registering Officer at IAC/Acq Range III, on Junc, 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as afore-said exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of '--

(a) facilitating the reduction or evasion of the hability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and /or

(1) Jama Properties (Pvt.) Ltd., Addinath Shree House, Opp Super Bazar, Connaught Cucus, New Delhi. (Transferor) (2) M s Sahkti Industrial Stamping Industries, & Bharat Bhushan, R/o 23, Raja Garden, New Delhi.

(Transferec)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the rea-pective persons, whichevel period expires later,
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publi-cation of this notice in the Official Gazette

EXPLANATION '--- The terms and expressions used herein 28 are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter

THE SCHEDULE

Property No. UG-16A, Jama Tower, Distt. Center, Janak Puri, New Delhi Super Area-75 Sq feet

Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax

G § GOPALA Competent Authority

Acquisition Range-III Aggarwal Bhawan 4/14A, Asaf Ali Road New Delhi

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the suid Act, of the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the follow-ing persons, namely :--

Date 30-1-1985 Scal:

(PART III-SEC. 1

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGE-III, NEW DELIM AGGARWAL BHAWAN NEAR BROADWAY HOTEL 4/14A, ASAF ALI ROAD

New Delhi, the 30th January 1985

Ref. No. 1AC/Acq-3/37EE/6-84/418 .--- Whereas, 1,

G. S. GOPALA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable of the tax act is a section of the secti property having a fair market value exceeding Rs. 25,000|and bearing

No. 404B situated at Janak Puri, New Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the I. T. Act, 1961 in the office of the Registering Officer

at IAC/Acq. Range. III in lune, 1984. for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid enceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; nnå /or

(1) Jaina Properties (Pvt.) Ltd., Addinath Shree House, Opp. Super Bazar, Connaught Circus, New Delhi.

(2) Smt, Asha Rani W/o Shri M. P. Vagmi, R/o 2/5, Tilak Nagar, New Delhi-18.

(Transferee)

(Transferor)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publi-cation of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :- The terms and expressions used herein are defined in Chapter XXA of the said Act. shall have the same meaning as given in that Chapter

THE SCHEDULE

Prop. No. 484B, Jaina Tower, Distt. Center, Janak Puri, New Delhi, Arca-130 Sg. feet.

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferce for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

G. S. GOPALA. Competent Authority Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax Acquisition Range-III Aggarwal Bhawan 4/14A. Aşaf Ali Road New Delhi

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :---

NOTICE UNDER SECTION 269-D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX,

> ACQUISTION RANGE-III AGGARWAL BIIAWAN NEAR BROADWAY HOTEL 4/14A, ASAF ALI ROAD NEW DELHI.

New Delhi, the 30th January 1985

Ref. No. 1AC/Acq.-3/37EE -684 /419.—Whereas, I, G. S. GOPALA,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs 25,000 - and bearing

No U.G.-8 situated at Jank Puri, New Delhi.

(and more fully described in the Scheduled annexed hmets), has been transferred under the Income Tax Act 1961 in the office of the Registering Officer at

IAC/Acq. Range-III Delhi in June, 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforestid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the parent consideration consideration and that than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :--

- (a) facilitating the reduction or evasion at the linbility of the transferer to pay tax under the said Act, is respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (ii ad 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforcasid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :-- Iaina Properties (Pvt.) Ltd., Addinath Shree House, , Opp. Super Bazar, Connaught Circus, New Delhi.
 (1) Transferor)
 (2) Shri Chacke Thanka Chand S/o Sh. Chack Chacke, R/o Y-2, Hauz Khas, New Delhi-16.

(Transferce

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires latter,
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :---The terms and expression used herein as - are defined in Chapter XXA of 'he said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Prop. No. U.G.-8, Jaina Tower, Distt. Center, Janak Puri, New Delhi, Super Area-84 Sq. feet.

> G. S. GOPALA Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Incomo-tag Acquisition Range-III Aggarwal Bhawan 4/14A, Asaf Ali Road New Delhi.

NOTIGE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

> ACQUISITION RANGE-III AGGARWAL BHAWAN NEAR BROADWAY HOTEL 4/14A, ASAF ALI ROAD

New Delhi, the 30th January 1985

Ref. No. IAC/Acq-3/37EE/6-84/420.---Whereas, 1, G. S. GOPALA,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000|and bearing

No. U.G.-7A situated at Janak Puri, New Delhi. (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Income Tax Act 1961 in the office of the Registering Officer at

IAC /Acq. Range-III, Delhi in June, 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :---

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tex under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and /or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act. 1957 (27 of 1957):

(1) Jaina Properties (Pvt.) Ltd., Addinath Shree House, , Opp. Super Bazar, Connaught Circus, New Delhi. (Transferor) (2) Shri Sujan Singh Rana S/o Shri Ujjagar Singh Rana, R/o D-182, Fateh Nagar, New Delhi-18.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Prop. No. U.G.-7A, Jaina Tower, Distt. Center, Janak Puri, Area-100 Sq. feet.

> G. S. GOPALA Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range-III Aggarwal Bhawan 4/14A, Asaf Ali Road New Delhi.

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act. to the following persons, namely :-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVFRNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGE-III AGGARWAL BHAWAN NEAR BROADWAY HOTEL 4/14A, ASAF ALI ROAD NEW DELHI

New Delhi, the 30th January 1985

Ref. No. IAC/Acq-3/37EE/6-84/421.--Whereas, I,

- G. S. GOPALA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax. Act. 1961 (43 of 1961) (bereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No C 14B situated at Lonch Buri New Deth:
- exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. G-14B, situated at Janak Puri, New Delhi. (and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Income Tax Act 1961 in the office of the Registering Officer at IAC/Aca. Range-III, Delhi in June, 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than lifteen per cent of such apparent consideration and that

than lifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :---

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said act, is respect of any income arising from the transfer: ani/er

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

(1) Jaina Properties (Pvt.) Ltd., Addinath Shree House, Opp. Super Bazar, Connaught Circus, New Delhi.

(Transferor)

(2) Capt. J. N. Johar, R/o B-1/500, Janak Puri, New Delhi.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immov-able property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION '--- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the sold Act, shall have the same meaning as given in the Chapter,

THE SCHEDULE

Prop. No. G-148, Jaina Tower, Distt. Center Janak Puri, Super Area. 100 Sq. feet.

> G. S. GOPALA Competent Authority Inspecting a Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range-III Algarwal Bhawan 4/14A, Asaf Ali Road New Delhi

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :---

(1) Jaina Properties (Pvt.) Ltd.. Addinath Shree House, , Opp. Super Bazar, New Delhl. NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-III AGGARWAL BHAWAN 4/14A, ASAF ALI ROAD NEW DELHI

New Delhi, the 30th January 1985

Ref. No. IAC / Acq-3/37EF / 6-84 / 422 .--- Whereas, I.

G. S. GOPALA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding

Rs. 25,000/- and bearing No. G-25 situated at Parchim Vihar, New Delhi. (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Income Tax Act 1961 in the office of the Registering Officer at IAC/Acg. Range-III. Delhi in June, 1984

JAC/Acg. Range-III. Delhi in June, 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; mā/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I bereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :---

Date : 30-1-1985 Seal :

(Transferor) Shii Sanjay Aggarwal and Shii Delbir Aggarwal, R o A-2/48, Pashim Vihar, New Delhi. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immov-able property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Garette.

EXPLANATION :--- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Prop. No. G-25, Pashim Vihar, New Delhi, Super Area-100 Sq. feet.

> G. S. GOPALA Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range-III Aggarwal Bhawan 4/14A, Asaf Ali Road New Delhi

FORM ITNS-

CORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMEN' OF INDIA

FFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-III AGGARWAL BHAWAN NEAR BROADWAY HOTEL 4/14A, ASAF ALI ROAD

New Delhi, the 30th January 1985

Ref. No. IAC/Acq-3/37EE/6-84/423 .--- Whereas, I,

- Ref. No. IAC/Acq-3/3/EE/6-84/423.---Whereas, I, S. GOPALA, ing the Competent Authority under Section 269B of the come-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred as the 'said Act') have reason to believe that the immov-le property, having a fair market value exceeding : 25,000/- and bearing B 23 cituated of Larole Buri New Delki
- o. B-22 situated at Janak Puri, New Delhi. ind more fully described in the Schedule annexed hereto), s been transferred under the I. T. Act, 1961 in the effice
- the Registering Officer IAC/Acq. Range-III in June, 1984 an apparent consideration which is less then the fair irket value of the aforesaid property and I have reason to lieve that the fair market value of the property as afore-d exceeds the apparent consideration therefor by more an afteen per cent of such apparent consideration and that e consideration for such transfer as agreed to between e parties has not been truly stated in the said instrument transfer with the object of :--

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

THE SCHEDULE

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Prop. No. B-22, Jaina Tower, Distt. Center, Janak Puri, New Delhi, Super Area-170 Sq. feet.

G. S. GOPALA Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range-III Aggarwal Bhawan 4/14A. Asaf Ali Road New Delhi.

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the esaid property by the issue of this notice under subion (1) of Section 269D of the said Act, to the following

Date : 30-1-1985 Scal :

Addinath Shree House Opp. Super Bazar, Connaught Circus, New Delhi. (Transferor) (2) M/s. H. B. R. Printers, Prop. Sh. Harjeet Singh Thaper, R/o H-31. Bali Nagar,

(1) Jaina Properties (Pvt.) Ltd.,

New Delhi.

(Transferce)

Objections, it any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :----

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Officical Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, which was residue variance later. whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.
- EXPLANATION :- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

FORM LT.N.S.-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING. ASSIST COMMISSIONER OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGE-III ASSISTANT ACOUISITION RANGE-III AGGARWAL BHAWAN NEAR BROADWAY HOTEL 4/14A, ASAF ALI ROAD NEW DELHI

New Delhi, the 30th January 1985

Ref. No. IAC/Acq-3/37EE/6-84/424 .--- Whereas, I, G. S. GOPALA,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'soid Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000|and bearing

No. 110A situated at Janak Purl, New Delhi. (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred

under the Income-tax Act, 1961 in the office of the Register-Officer

Officer at IAC/Acq. Range-III in June, 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the maid instrument of transfer with the object of :--transfer with the object of :--

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and /or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moreys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :---

Date : 30-1-1985. Seal:

(1) Jaina Properties (Pvt.) Ltd., Addinath Shree House, Opp. Super Bazar, Connaught Circus, New Delhi.

(2) Smt. Kiran Singh W/o Shri O. N. Singh, R/o C-2/98, Moti Bagh, New Delhi,

(Transferee)

(Transferor)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :---

- (b) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immov-able property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.
- EXPLANATION :- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Prop. No. 110A, Jaina Tower Distt. Center, Janak Purl, New Delhi, Super Area-170 S. Feet.

> G. S. GOPALA Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range-III Aggarwal Bhawan 4/14A, Asaf Ali Road New Delhi.

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERMNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

> ACOUISITION RANGE-III AGGARWAL BHAWAN NEAR BROADWAY HOTEL 4/14A, ASAF ALJ ROAD NEW DELHI

New Delhi, the 30th January 1985

Ref. No. IAC/Acq-3/37EE/6-84/425.-Whereas, I, G. S. GOPALA,

- being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. G-5A situated at Janak Puri, New Delhi. (and more fully described in the Schedule annexed hereto),
- has been transferred under the LT. Act, 1961 in the Office of the Registering Officer
- at IAC/Acq. Range-III, New Delhi in June, 1984
- for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as afore- . said exceeds the apparent consideration therefor by more than afteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :---
 - (a) facilitating the reduction of evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer and/or
 - (b) facilitating the concealment of any income of any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by t ehtransferee for the purposes of the Indian Incometax Act 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by te issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the follow-ing persons, namely :--- (1) Jaina Properties (Pvt.) Ltd., Addinath Shree House, Opp. Super Bazar, Connaught Circus, New Delhi.

(2) Shri Ashok Kumar Malhotra S/o Sh. Kundan Lal Malhotra, Shri Yoginder Kumar S/o Shri Sita Ram, R/o A-82, Vikas Puri, New Delhi.

(Transferce)

(Transferor)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.
- EXPLANATION :- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Prop. No. G-5A, Jaina Tower Distt. Centre, Janak Puri, New Delhi, Super Area-100 Sq. feet.

> G. S. GOPALA Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range-III Aggarwal Bhawan 4/14A, Asaf Ali Road New Delhi

(1)	Jaina Properties (Pvt.) Ltd., Addinath Shree House, Opp. Super Bazar, Connaught Circus, New Delhi.	(Transferor
(2)	Smt. Vidha Seth W/o Shri Suresh Seth, R/o F/58A, MIG, Flats ,G-8, Area Hari Nagar, New Delhi.	(Transfere

Objections, if any, to the acquisition of the said proper may be made in writing to the undersigned '---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period (45 days from the date of publication of this notiin the Official Gazette or a period of 30 days fro the service of notice on the respective perso whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immeable property, within 45 days from the date the publication of this notice in the Offici Gazette

EXPLANATION :--- The terms and expressions used herein are defined in Chapter XXA of the sa Act, shall have the same meaning as giv in that Chapter.

THE SCHEDULE

Prop. No.-UG-14, Jaina Tower, Distt. Centre, Janak Pr New Delhi, Super Area-105 Sq. foet.

G. S. GOPAL **Competent** Authori Inspecting Assistant Commissioner of Income-(Acquisition Range-I Aggarwal Bhawa 4/14A. Asaf All Ro: New Dell

Now, therefore in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the follow Seal :

Dato : 30-1-1985.

9056

FORM ITNS-

NOTICE UNDER SECTION 269 D(1) OF THE INCOME-TAX ACT 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

> ACQUISITION RANGE-III AGGARWAL BHAWAN NEAR BROADWAY HOTEL 4/14A, ASAF ALI ROAD NEW DELHI.

New Delhi, the 30th January 1985

Ref. No. IAC/Acq-3/37EE/6-84/426 .--- Whereas, I, G. S. GOPALA,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. UG-14 situated at Janak Puri, New Delhi.

(and more fully described in the Schedule annexed hereto). has been transferred under the I. T. Act, 1961 in the office of the Registering Officer

at IAC/Acq. Range-III, New Delhi, in June, 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :---

- (a) facilitating the reduction or evasion of the Nahility of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Iudian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act; or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957):

ing persons, namely :----

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

> ACQUISITION RANGE-III AGGARWAL BHAWAN NEAR BROADWAY HOTEL 4/14A, ASAF ALI ROAD NEW DELHI.

New Delhi, the 30th January 1985

Ref. No. IAC/Acq-3/37EE/6-84/427.—Whereas, I, G. S. GOPALA,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25.000]and bearing

No. G-9, situated at Jank Puri, New Delhi.

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the I. T. Act, 1961 in the office of the Registering Officer

at IAC/Acq. Range-II in June, 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :--

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which eught to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :—

and a feature of the second	بتجنبيها ومستعديه بالمتقالك
 Jaina Properties (Pvt.) Ltd., Addinath Shree House, Opp. Super Bazar, Connaught Circus, New Delhi. 	
New Denn.	(Transferor)
	(11000000000000000000000000000000000000
(2) Shri Charanjit Singh,	
Shri Surinder Singh Sethi.	
Shri Amarjit S ngh Sethi, and	
Shri Kuldip Singh Sethi,	
R/o B-1 47, Fatch Nagar,	
New Delhi.	
	(Transferee)
	(/ _ / _ / / / / / / / / /

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :---The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the Jaid Act, shall have the same meaning as given un that Chapter

THE SCHEDULE

Prop. No. G-9, Jaina Tower, Distt. Center Janak Puri, New Delhi, Super Area-120 Sq. feet.

> G. S. GOPALA Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range-III Aggarwal Bhawan 4/14A, Asaf Ali Road New Delhi.

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

> ACQUISITION RANGE-III AGGARWAL BHAWAN NEAR BROADWAY HOTEL 4/14A. ASAF ALI ROAD NEW DELHI.

New Delhi, the 30th January 1985

Ref. No. IAC/Acq-3/37EE/6-84/428.---Whereas, I, G. S. GOPALA,

being the Competent Authority under Section 269F of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. 410-B situated at Janak Puri, New Delhi.

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the I.T. Act, 1961 in the office of the Registering Officer

IAC/Acq. Range-III, New Delhi in June, 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to belive that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :--

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been at which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :-- Jaina Properties (Pvt.) Ltd., Addinath Shree House, Opp. Super Bazar, Connaught Circus, New Delhi.

(Transferor)

(2) Dr. Lalit Kumar Uppal and Dr. Smt. K. L. Uppal, R/o-B-2/286, Janak Puri, New Delhi.

(Transferce)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said humer able property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.
- EXPLANATION :-- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Prop. No. 410-B, Jaina Tower, Distt. Centre, Janak Puri, New Delhi, Super Area-180 Sq. feet.

> G. S. GOPALA Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner o. In come-Tax Acquisition Range-III Aggarwal Bhawan 4/14A, Asaf Ali Road New Delhi.

FORM I.T.N.S.-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX

> ACQUISITION RANGE-III AGGARWAL BHAWAN NEAR BROADWAY HOTEL 4/14A. ASAF ALL ROAD NEW DELHI.

New Delhi, the 30th January 1985

Ref. No. JAC/Acq-3/37EE/6-84/429.-Whereas, I, G. S. GOPALA,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. 604-B, situated at Janak Puri, New Delhi. (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the J.T. Act, 1961 in the office of the Registering Officer

at IAC/Acq. Range, in June, 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid acceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :---

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; nd/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferce for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (V7 of 1957):

New, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of the notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :---

(1) Jaina Properties (Pvt.) Ltd., Addinath Shree House, Opp. Super Bazar, Connaught Circus, New Delhi. (Transferer) (2) Shri Surinder Singh Sethi and Shri Narinder Singh Sethi, S/o Shri B. K. Sethi, R/o WZ-M-33, New Mahabir Nagar, New Delhi,

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires latert
- (b) by any other person, interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter,

THE SCHEDULE

Prop. No. 604B, Jaina Tower, Distt.Centre, Janak Puri, New Delhi, Super Area-130 Sq. feet.

G. S. GOPALA Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range-III Aggarwal Bhawan 4/14A, Asaf Ali Road New Delhi.

FORM ITNS ____

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX,

> ACQUISITION RANGE-III AGGARWAL BHAWAN NEAR BROADWAY HOTEL 4/14A, ASAF AJI ROAD NEW DELHI.

New Delhi, the 30th January 1985

Ref. No. IAC/Acq-3/37EE/6-84/430.—Whereas, I, G. S. GOPALA,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of $1^{0}61$) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. UG-23, situated at Janak Puri, New Delhi.

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the J. T. Act, 1961 in the office of the Registering Officer

at IAC/Acq. Range, in June, 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the objects of :--

- (b) facilitating the concealment of any income or any of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :---

(1)	Jaina Properties (Pvt.) Ltd., Adinath Saree House, Opp. Super Bazar, Connaught Circus, New Delhi.	an a
(2)	Shri Kamal Kishor Singh, S/o Shri M. L. Singal, R/o C3/1 91, Janak Puri, New Delhi.	(Transferor)
	The Dona.	(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :--

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires late;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Guzette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Prop. No. UG-23, Jaina, Distt. Center, Janak Purl. New Delhi, Super Area-100 Sq. feet.

G. S. GOPALA Competent Authority Inspecting Assistant Commission.r of Income-tax, Acquisition Range-III Azgarwal Bhawan 4/14A, Asaf Ali Road New Delhi

PART III-SEC. 1]

(Transferor)

FORM I.T.N.S.-

la _____

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING NT COMMISSIONER OF INCOME-TAX ASSISTANT COMMISSIONER OF ACOUISITION RANGE-III AGGARWAL BHAWAN NEAR BROADWAY HOTEL 4/14A, ASAF ALI ROAD NEW DELHI.

New Delhi, the 30th January 1985

Ref. No. IAC/Acq-3/37EE/6-84/431.-Whereas, I.

Ref. No. 1AC/AG-5/5/EE/0-04/451.—whereas, i, G. S. GOPALA, being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable of the said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000|bcaring

No. UG-6 situated at Janak Purl, New Delhi.

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the I.T. Act, 1961 in the office

of the Registering Officer at IAC/Acq. Range, in June, 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :-

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer, andlor
- (b) facilitating the concealment of any iscome or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act. or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act. I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of the notice under sub-

- (1) Jaina Properties (Pvt.) Ltd., Admath Sarce House, Opp. Super Bazar, Connaught Circus, New Delhi.
- (2) Smt. Raj Khanna W/o Shri S. D. Khanna, Shri Sain Dass Khanna S/o Late Sh. Kishore Chand Khanna, R/o C-300, Vikas Purl, Naw Dulk New Delhi.

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :-

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette,

EXPLANATION :--- The terms and expressions used hreein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chaster.

THE SCHEDULE

Prop. No. UG-6, Jaina Tower, Distt. Center, Janak Puri, New Delhi, Super Bazar, 105 Sq. feet.

> G. S. GOPALA Competent_Authority Lispecting Asstt. Commissioner of Income-tax Acquisition Range-III Acgarwal Bhawan 4/14A, Asaf Ali Road New Delhi

FORM I.T.N.S .---

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOMB TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

> ACQUISITION RANGE-III AGGARWAL BHAWAN NEAR BROADWAY HOTEL 4/14A, ASAF ALI ROAD NEW DELHI.

New Delhi, the 30th January 1985

Ref. No. IAC/Acq-3/37EE/6-84/432 .--- Whereas, J, G. S. GOPALA,

being the Competent Authority under Section 269B of Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to being the Competent as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs, 25,000/- and bearing No. UG-5, situated at Janak Puri, New Delhi. (and more fully described in the schedule annexed hereto)

has been transferred

under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at IAC/Acq. Range-III in June. 1984.

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor bv more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :--

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; andlor
- (b) facilating the concealment of any Income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act. I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :---

(1) Jaina Properties (Pvt.) Ltd., Addinath Shree House, Opp. Super Bazar, Connaught Circus, New Delhi, (2) Shri Ravinder Lal Malhotra, S/o Shri Purshottam Lal Malhotra, R/o A/73A, Kirti Nagar,

Now Delhi.

(Transferce)

(Transferor)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writting to the undersigned :---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

.

EXPLANATION:---The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Prop. No. UG-5, Jaina Tower, Distt. Center, Janak Puri, New Delhi, Super Area-155 Sq. feet.

> G. S. GOPALA Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax. Acquisition Range-III Accarwal Bhawan 4/14A, Asaf Ali Road New Delhi

FORM LT.N.S .---

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOMF-TAX ACT 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX

> ACQUISITION RANGE-III, AGGARWAL BHAWAN NEAR BROADWAY HOTEL 4/14A, ASAF ALI ROAD

New Delhi, the 30th January 1985

Ref. No. iAC/Acq-3/37EE/6-84/433,—Whereas, I, G. S. GOPALA,

being the Competent Authority under Section 269B of the accore Tax act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'and Act') have reason to believe that the immov-able property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. G-14 situated at Jaina Tower, Distt. Contre, Janak Puri, Now Oathi

New Delhi,

(and more cully cescribed in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the I.T. Act, 1961 in the office

Into the main sector index the I, I, Act, 1961 in the office of the Registering Officer at IAC/Acq. Range-H in June, 1984. for an apparent consideration which is less than the fair market value of the storesaid property and I have reason to believe that the run n.a.ket value of the property as afore-said exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of the transferred market value of the property as aforethan liftcen per cent of such appaient consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :--

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and|or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922. (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate Proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of the notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :--

(1)	Jaina Properties (Pvt.) Ltd., Adinath Saree House, Opp. Super Bazar, Connaught Circus, New Delhi.	(Transferor)
(2)	Mr. Rajesh Kumar Bhalla and Shri Sunil Kumar Bhalla, R/o WZ-38, Street No. 3 Krishana Park, New Delhi,	(

(Transferce)

Obections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publi-cation of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :--- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Prop. No. G-14, Jaina Tower, Distt. Center, Janak Purl, New Delhi, Super Area-100 Sq. feet.

G. S. GOPALA Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range-III Aggarwal Bhawan 4/14A. Asaf Ali Road New Delhi.

[PART III-SEC. 1

FORM ITNS-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-III, AGGARWAL BHAWAN, NEAR BROAD HOTEL, 4/14-A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI

New Delhi, the 30th January 1985

Ref. No. IAC/Acq.3/37EE/6-84./434.--Whereas, I,

G. S. GOPALA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. G-6A, situated at Jaina Towerfi, Distt Centea, Janak

Puri, New Delhi

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the I. T. Act, 1961 in the office of the registering officer

at IAC/Acq Range-III, in June 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as afore-said exceeds the apparent consideration therefore by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :-

 (\bar{a}) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and /or

- (1) Jaina Properties (Pvt.) Ltd., Addinath Shree House, Opp. Super Bazar, Connaught Circue, New Delhi. (Transferor)
- (2) Shri I. S. Anand & S. K. Anand, S/o Late Shri B. S. Anand, R/o 15/3-B, Tilak Nagar, New Delhi.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the understaned :---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette,
- EXPLANATION :---The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chaptor.

THE SCHEDULE

(b) facilitating the concealment of any income or any monoys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922), or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Prop. No., G-6A, Jaina Tower, District Center, Janak Purl, New Delhi, Super Area-90 Sq., Feet,

> G. S. GOPALA Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax Acquisition Range III Delhi/New Delhi

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :---

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-III, AGGARWAL BHAWAN, NEAR BROADWAY HOTEL, 4/14-A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI

New Delhi, the 30th January 1985

Ref. No. IAC/Acq.3/37EE/6-84/435.---Whereas, I, G. S. GOPALA

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act. 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No.

No. G-5, situated at 3, Janak Puri, District, Center, New Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the I.T. Act 1961 in the office of the register officer at IAC/Acqn. Range-III in June 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :-

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfers ŝ∎l/a
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notict under subsection (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :-

- (1) Jaina Properties (Pvt.) Ltd., Addinath Shree House, Opp. Super Bazar, Connaught Circus, New Delhi. (Transferor)
- (2) Shri Paramiti Singh Arora, Shri Charanjit Singh Arora, R/o C-35, Fateh Nagar, Jail Road, Tilak Nagar, Delhi.

(Transferce)

Objections. If any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :-

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:-The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Prop. No. G-5, Plot No. 3, Janak Puri, Distt. Center, New Delhi, Super Area-90 Sq. Feet.

> G. S. GOPALA Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range-III Aggarwal Bhawan 4/14-A, Asaf Ali Road New Delhi

9066

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSIT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-JII, AGGARWAL BHAWAN, NEAR BROADWAY HOTEL, 4/14-A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI

New Delh', the 20th January 1985

Ref. No. IAC/Acq.3/37EE/6-84/436.—Whereas, J, G, S. GOPALA

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act. 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a \tilde{r} ir market value exceeding

Rs. 25.000/- and bearing No. G/14-B, situated at 3, Janak Puri, Distt. Center. New

Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been manifored under the LT. Act 1901 in the office of the register officer at IAC/Acqn. Range-III in June 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per onli 64 such sparrent consideration and that the consideration for such transfer as spreed so between the parties has not been 1015 such sparrent consideration for transfer with the object of -

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the anid Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :---- Jaina Properties (Pvt.) Ltd., Addinath Shree House, Opp. Super Bazar, Connaught Circus, New Delhi.

(Transferor)

(2) Smt. Raj Rani W/o Shri Raj kumar Bhalla Shri Raj Kumar Bhalla S/o Shri D. D. Bhalla, R/o D-A/98-D, I iG Flats, Hari Nagar, New Delhi. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of
 45 days from the date of publication of this notice in; the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.
- EXPLANATION :- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act. shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Prop. No. G/14-D, Plot No. 3, Janak Purl District Center, New Delhi, Super Area 100 Sq. Feet.

> G. S. GOPALA Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range-III Aggarwal Bhawan 4/14-A, Asaf Al iRoad, New Delhi

9067

FORM I.T.N.S.-

NOTIC: UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT 1961 (43 OF 1961)

and the second second

GOVFRNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-III, AGGARWAL BHAWAN, NEAR BROADWAY HOTEL, 4/14-A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI

New Delhi, the 30th January 1985

Ref. No. IAC/Acg.3/37FE/6-84/437.-Wehreas, I, G. S. GOPALA

being the Corr petent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'). have reason to believe that the immev-able property. having a fair market value exceeding Rs. 1.00,00/- and bearing

Rs. 1.00,00- and bearing No. G-1 situated at Paschim Vihar, New Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the I.T. Act 1961 in the office of the register officer at IAC/Acqn. Range-III in June 1984 for an apprent consideration which is less than the fair market value of the aforestid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as afore-said exceeds the apperent consideration therefor by more than fifteen part cent of guide apprent consideration and thet the said exceeds the appenent consideration deteror by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :---

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and /or

(1) Ushr Rowal W/o Shri R. K. Rawal, C-11, Lomesh Nuga, Double Storey, New Delh.

-

(Transferor)

(2) Seila Veraia W/o Shi Surinder Mohan, A-5/55, Moti Nagar, New Delhi.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :-

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immov-able property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.
- EXPLANATION:-The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

No. G-1, Jaina Commercial Complex, Paschim Vihar, New Delhi. Area-120 Sq. Ft.

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act. 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act. I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforestid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :---

G. S. GOPALA Competent Authority Impecting Assistant Commissioner of Incom-tax Acquisition Range-III Aggarwal Bhawan 4/14-A, Asaf Ali Road New Deihi

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-III, AGGARWAL BHAWAN, NEAR BROADWAY HOTEL, 4/14-A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI

New Delhi, the 30th January 1985

Ref. No. IAC/Acq.3/37EE/6-84/438.-Whereas, I, G. S. GOPALA,

G. S. GOPALA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the unmovable property, having a fair market value exceeding Rs, 1,00,000/- and bearing No. B-8 situated at Basement Oriental Apartments Com-munity Centre, Yusuf Sarai (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the I.T. Act 1961 in the office of the register officer at IAC/Acqn. Range-III in June 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :--

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, is respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for which ought of the Indian Income-tax Act, 1922 the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

No. B-8, Basement at Oriental Apartments Community Centre, Yusuf Sarai, Plot No. 19, New Delhl-110016.

> G. S. GOPALA Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range-III Aggarwal Bhawan 4/14-A, Asaf Al iRoad, New Delhi

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :---

Date: 30-1-1985 Seal ;

(1) Bombay Builders India (P) Ltd., 18, Malcha Marg, Commercial Complex,

(Transferor)

(Transferee)

(2) Harish Chander Sakhuja, Prop. Diamond Edge, E-57, Kalkaji, New Delhi.

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this potice in the Official Gazette.

EXPLANATION :--- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

New Delhi.

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMM(SSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-III. AGGARWAL BHAWAN, NEAR BROADWAY HOTEL, 4/14-A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI

New Delhi, the 30th January 1985

Ref. No. IAC/Acq/37FE/6-84/439.—Whereas, I, G. S. GOPALA

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the im-

movable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000 - and bearing No. 104 situated at K-84 Green Park New Lehi (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the LT. Act 1961 in the office of the register officer at IAC/Acqn. Range-III in June 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceed the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :---

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act. in respect of any income arising from the transfer: andlor
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in purusuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the Act, to the following persons namely :--71-486 GI/84

(1) K. L. Mehta & Dr. Atma Deva Sharma, A-1/41 Panchshal Enclave, New Delhi.

(2) Surjit Kaur W/o S. Harbans Singh. L-3. Green Park. Delhi.

(Transferee)

(Transferor)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :-

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons. whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :- The terms and expressions used herein #4 are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as giver in that Chapter

THE SCHEDULE

Office Flat No. 104, on 1st floor of Multistoreved Commercial Bldg., Ash'iwad K-84, Green Park, Delhi. Area-300 Sq, Ft.

> G. S. GOPALA Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of In ome-tax Aggarwal Bhawan 4/14-A, Asaf Al iRoad. Acquisition Range-III New Delhi

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-III, AGGARWAL BHAWAN, NEAR BROADWAY HOTEL, 4/14-A, ASAF ALI ROAD. NEW DELHI

New Delhi, the 30th January 1985

Ref. No. IAC/Acq./37EF/6-84/448 ----Whereas, I, G. S. GOPALA

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'snid Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs 1,00,000/and beating No. F-10-B situated at Ianak Puri, New Delhi

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the J'T. Act 1961 in the office of the registering officer at IAC/Acq Range-III, in June 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of : -

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act. in respect of any income arising from the transfer: and or
- (b) facilitating the concentment of any income or any meneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferes for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act. 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act. I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons mamely :-

(1) Jaina Properties (Pvt.) Ltd., Addinath Shree House, Opp. Super Bazar, Connaught Circus, New Delhi.

(Transferor)

(2) Kawaijit Singh Bedi S/o S. S. Bedi, Smt Kushna Mehta W/o Shii D. D. Mehta, R/o A-2/73, Rajouri Garden, New Delhi.

(Transferree)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.
- EXPLANATION :--- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the suid Act, shall have the same meaning as given in that Chapter

THE SCHEDULE

F. 10 B, Jaina Tower, District Centre, Janak Puri, New Delhi, Alca-185 Sq. ft.

> G. S. GOPALA Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range-III Aggarwal Bhawan 4/14-A, Asaf Al iRoad, New Delhi

FORM LT.N.S.

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX ACT 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-III AGGARWAL KHAWAN, NEAR BROADWAY HOTEL 4/14-A, ASAF ALI ROAD NEW DFLHI

New Dolhi, the 30th January 1985

Ref. No. 1RC /Acq.3/37EE /6-84/441.—Whereas I, G. S. GOPALA,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/and bearing No. U.G -13 situated at Janak Puri, New Delhi

No. U.G. 15 situated at Janak Puri, New Delini (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the registering Officer at New Delhi in June, 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than lifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :--

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely:---- (1) Jaina Froperties (P) Ltd., Admath Saree House, Opp. Super Bazar, Connaught Circus, New Delhi.

(Transferor)

(2) Shri Paramjit Singh Arora, Shri Charanjit Arora, C-53 Fatch Nagar, Jail Road, Tilak Nagar, New Delhi.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later.
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the pubilcation of this notice in the Official Gazette.
- EXPLANATION :-- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

UG-13, at Plot No. 3, Janak Puri, Dist. Centre, New Delhi. Atea-155 Sq. Ft.

> G. S. GOPALA Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range-III Dclhi/New Delhi

(1) Jaina Properties (P) Ltd., Adinath Saree House, Opp. Super Bazar, Connaught Circus, New Delhi.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-III AGGARWAL BHAWAN, NEAR BROADWAY HOTEL 4/14-A, ASAF ALI ROAD NEW DELHI

New Delhi, the 30th January 1985

Ret. No. IAC/Acq.3/37EE/6-84/442.—Whereas, I, G. S. GOPALA,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that

the immovable property having a fair market value

exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. 11-A situated at Tanak Puri, New Delhi

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the registering Officer at New Delhi in June, 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :---

- (a) facilitating the reduction or evasion of the hability of the transferor to pay tax under said Act. in respect of any income arising from the transfer, and or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269° of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notion under subvection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:-

Date : 30-1-1985 Seal :

 (2) Gyatti Enterprises, Smt. Radha Rani Gupta & Smt. Asha Agarwal (Partner) R/o 23-A, LIG Flats, Rampura, Delbi,

(Transferce)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned : -

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective person, whichever period expires lates;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :---The terms and explessions used herein as as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Prop. No. 111A, Jaina Tower. Distt. Center, Janak Puri, New Delhi, Super Area-130 Sq. Feet.

> G. S. GOPAI A Competent Authority Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax Acquisition Range-III Delhi/New Delhi

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-III AGGARWAL BHAWAN, NEAR BROADWAY HOTEL 4/14-A, ASAF ALI ROAD NEW DELHI

New Delhi, the 30th January 1985

Ref. No. IAC/Acq.3/37EE/6-84/443.—Whereas, I, G. S. GOPALA,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and being

novable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and being No. 107 situated 14 Plot No. 11, Yusu Sarai, New Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the registering Officer at New Delhi in June, 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :--

(a) facilitating the reduction or evasion of the imbility of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/er

(b) facilitating the concealment of any income or any

moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferce for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :-- (1) R. P. Apartment: (P) Ltd. Adinath Saree House, Opp. Super Bazar, Connaught Circus, New Delhi. (Transferor)

 (2) Grace Rani Gonga & Master Rajiv Gonga (Minors) C/o Shri Amit Lal, J-62, Rajouri Garden, New Delhi.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period ot 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immevable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :---The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

No. 107, Plot No. 11, Yusuf Sarai, New Delhi. Area-260 Sq. Ft.

> G. S. GOPALA Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range-III Delhi/New Delhi

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA OF INDIA OFFICE OF THE INSPECTING ASSIT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGE-III AGGARWAL BHAWAN, NEAR BROADWAY HOTEL 4/14 A, ASAF ALI ROAD NEW DEL 10 NEW DELHI

New Delhi, the 30th January 1985

Ref. No. IAC/Acq 3/37FI²/6-80/444.---Whereas, I, G. S. GOPALA,

being the Competent Authority under sec. 269B of the In-come-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the

immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. No. 281 situated at Yusuf Sarai, New Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the registering Officer at New Delhi is func 1081. New Delhi in June, 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :---

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer: andlor

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys 6, other assets which have not been or ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1922 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :---

Date : 30-1-1985 Scal:

(1) Shri Ashok Kumar Aggarwal, B-7/187, Safdarjung Enclave, New Delhi.

(Transferor)

(2) R. P. Apartments (P) Ltd., Adinath Saree House, Opp. Super Bazar, Connaught Circus, New Delhi.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned ;-

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immov-able property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

No. 281, Commercial Complex. Yusuf Sari, New Delhi. Area 228 Sq. Ft.

G. S. GOPALA Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range-III Delhi/New Delhi

9074

FORM NO. I.T.N.S.

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONFR OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-III AGGARWAL BHAWAN, NEAR BROADWAY HOTEL 4/14-A, ASAF ALI ROAD NEW DFLHI

New Delhi, the 30th January 1985

Ref. No 14C/Acq.3/37EF/6-84/445.—Whereas, I, G. S. GOPALA,

being the Competent Authority, under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinfater referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable

as the 'said Act'), have reason to believe that the infinovative property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. No. 111, situated at 4 Bhikaji Cama Place, New Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the registering Officer at New Delhi in the Office of the registering Officer at New Delhi in June, 1984

New Delmin func, 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :--

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arlains from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :--

Date : 30-1-1985 Seal :

- (1) Rajdhani Builder Prop. Mehta Industrics Ltd., Atma Ram House, 1, Tolstoy Marg, New Delhi.
- (2) Neclam Sharma, Z-5, West Patel Nagar, New Delhi.

(Transferee)

(Transferor)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :----

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immov-able property within 45 days from the date of the Publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :--- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter

THE SCHEDULE

No. 111 First Floor, Plot No. 4, Bhakiji Cama Place, New Delhi. Measuring-515.5 Sq Ft.

G. S. GOPALA Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range-III Delhi/New Delhi

[PART 111-SEC. 1

FORM	ITN9	
------	------	--

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THL INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-III AGGARWAL BHAWAN, NEAR BROADWAY HOTFL 4/14-A, ASAF ALI ROAD NEW DELHI

New Delhi, the 30th January 1985

Ref. No. IAC / \cq3/37EE /6-84/446.-Whereas, I, G. S. GOPALA,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000]-No 287 situated at A-2, Najafgarh Road, New Delhi

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the I.T. Act. 1961 in the Office of the Registering Officer at

New Delhi in June, 1984

New Delhi in June, 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :---

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transferand/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the Acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269 D of said Act, to the following persons, namely :-

Date : 30-1-1985 Seal :

 Shri Satish Chawla S/o Shri Ladha Malji, Model Town, Kainal. 	(Transferor)
(2) Shivlok Properties, Adinath Saree House, Opp. Super Eazar, Connaught Circus, New	v Delhi.

(Transferce)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :-

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days, from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immov able property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :---The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

No. 207, Milan Ciuenta Complex, A/2, Najafgarh Road, Commercial Complex, New Delhi. Measuring 500 Sq. Ft.

> G. S. GOPALA Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range-III Delhi/New Delhi

9077

FORM JTNS----

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE-III AGGARWAL BHAWAN, NEAR BROADWAY HOTEL 4/14-A, ASAF ALI ROAD NEW DELHI

New Delhi, the 30th January 1985

Ref. No. IAC/Acg.3/37EE/6-84/447.---Whereas, J, G. S. GOPALA,

- being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immov-
- able property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 288, situated at C-3, Karam Pura, Community Centre, New Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the registering Officer at New Delhi in June, 1984
- for an apparent consideration which is less than the fair for an apparent consideration which is less than the hair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fir market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :--
 - (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act. in respect of any income arising from the transfer; and/or
 - (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act. 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the afore-aid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :-72--486GI/84

(1) Smt. Kusum Sandhu & Shri Madhavendra Singh Sandhu, B-171, Greater Kailash-I, New Delhi.

(Transferor)

(2) Smt. Madhu Gupta, 10/2 Jai Dev Park, Near Punjabi Bagh, New Delhi.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days, from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons. whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immov-able property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.
- EXPLANATION .— The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

No. 208 Second Floor, Building No. C-3, Karam Pura (U.C.M.B) Community Centre, New Delhi.

> G. S. GOPALA Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range-JII Delhi/New Delhi

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-III AGGARWAL BHAWAN, NEAR BROADWAY HOTEL 4/14-A, ASAF ALI ROAD NEW DELHI

New Delhi, the 30th January 1985

Ref. No. IAC/Acq.III/37EE/6-84/448.—Whereas, I, G. S. GOPALA,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter "eferred to as the said Act"), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25.000/ and bearing

No. 283 situated at Plot No. R-1, Hauz Khas, New Delhi (and more fully described in the schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the registering Officer at New Delhi in June, 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer, and for

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 {11 of 1922} or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957); (1) Shri Karanjit Singh F-62, Green Park, New Delhl.

(Transferor)

(2) Shri R. Ramamurthy, III/E-12, Lajpat Nagar, New Delhi.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:----

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the official Gazette or a period of 30 days from the service of notice, on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :--- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

No. 283, Ground Floor, Plot No. R-1, Hauz Khas, New Delhi.-Area-1319.35 Sq. Ft.

G. S. GOPALA Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range-III Delhi/New Delhi

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the suid Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D $\sim f$ the said Act, to the following persons, namely :---

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE-III AGGARWAL BHAWAN, NEAR BROADWAY HOTEL 4/14-A, ASAF ALI ROAD NEW DELHI

New Delhi, the 30th January 1985

Ref. No. IAC/Acq.3/37EE/6-84/449.—Whereas, I, O. S. GOPALA,

being the competent authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hercunder referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/and bearing

No. F-181 to 184 situated at Plot No. 4,

Bhikajt Cama Place, New Delhi,

(and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the registering Officer at New Delhi in June, 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been trully stated in the said instrument of transfer with the object of :--

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and[or Rajdhani Builders Prop. Mehta Industries Ltd., Atma Ram House,
 Tolstoy Marg, New Delhi.

(Transferor)

(2) Orissa Industries Infrastructure Development Carp., Post Box No. 7, Hauz Khas, New Delhi.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this noitee in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gauette.

EXPLANATION :---The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act. 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax, Act. 1957 (27 of 1957);

Shop No. 181 to 184 at first floor at 4 Bhikaji Cama Place, New Delhl. Area—1583 Sq. Ft.

> G. S. GOPALA Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Refere-III Delhi /Nor Delhi .

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :--

FORM ITNS-----

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-III AGGARWAL RHAWAN, NEAR BROADWAY HOTEL 4/14-A, ASAF ALI ROAD NEW DELHI

New Delhi, the 30th January 1985

Ref. No. IAC/Acq. 3/37EE/6-84/450.—Whereas, I. G. S. GOPALA,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. F-185, situated at Pot No. 4, Bhikaji Cama Place, New Dclhi

(and more fully described in the Schedule annexed herete) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the registering Officer at New Delhi in June, 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefore by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer, with the object of :---

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, m respect of any income arising from the transfer. and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :---

(1) Rajdhani Builders	
Prop. Mehta Industries Ltd., Atma Ram House,	
1, Tolstoy Marg, New Delhi.	
	(Transferor)
(2) Smt. Sarga Devi	
W/o Shri S. K. Shakdhar,	
2 Palam Marg, Vasant Vihar,	
New Delhi.	
	(Transferec)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period 4. 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, which period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :---The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter,

THE SCHEDULE

F-186, Plot No. 4, Ehikaji Cama Place, New Delhi. Area-285 Sq. Ft.

> G. S. GOPALA Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range-III Delhi/New Delhi

9081

FORM I.T.N.S.-----

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-III AGGARWAL BHAWAN, NEAR BROADWAY HOTEL 4/14-A, ASAF ALI ROAD NEW DELHI

New Delhi, the 30th January 1985

Ref. No. IAC/Acq. 3/37EE/6-84/451.—Whereas, I, G. S. GOPALA,

being the Competent Authority under Section 269-B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000 and bearing

No. 198, situated at Block B-2, Pachim Vihar, New Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the registering Officer at New Delhi in June, 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than lifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :--

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferre for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore is pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :-- Shri Mulakh Raj A/8 Punjabi Bagh, New Delhi.

 (2) Smt. Gurbachan Kaur H-58 Bali Nagar, New Delhi.

(Transferce)

(Transferor)

Objection if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :--

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.
- EXPLANATION :— The terms and expression used herein as are defined in Chapter XXA of the said Acashall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot No. 190 Block B-2, Pashim Vihar, New Delhi. Area-158 Sq. Yds.

> G. S. GOPALA Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range-III Delhi/New Delhi

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGE-III AGGARWAL BHAWAN, NEAR BROADWAY HOTEL 4/14-A, ASAF ALI ROAD NEW DELHI

New Delhi, the 30th January 1985

Ref No. IAC/Acq.3/37EE/6-84/452.---Whereas, I, G. S. GOPALA,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

Flat No. 103, situated at Plot No. 22, C. Center,

Yusuf Sarai, New Delhi,

2082

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the I.T. Act, 1961 in the Office of the registering Officer at IAC/Acq. Range-III New Delhi in June, 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :--

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; und/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

(1) Bhanot Properties & Industries Ltd. 102-103, Raja House, 30-31, Nehru Place, New Delhi. (Transferor) (2) Master Rahul Nayar & Miss Radhika Nayar, C/o Shri V. Nayar, R/o C-5, Friends Colony (East), New Delhi.

(Transferree)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :--- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as gives in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 103, 1st Floor of building to be Constructed on Plot No. 22, C. Center, Yusuf Sarai, New Delhi Area-385 Sq. Ft.

G. S. GOPALA Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range-III Delhi/New Delhi

Now, therefore in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :--

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 of 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-III AGGARWAL BHAWAN, NEAR BROADWAY HOTEL 4/14-A, ASAF ALI ROAD NEW DELHI

New Delhi, the 30th January 1985

Ref. No. IAC/Acq.3/37EE/6-84/453.—Whereas, I, G. S. GOPALA,

- being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/and bearing No.
- and bearing No. Flat No. 184, situated at Plot 22, Community Center, Yusuf Sarai, New Delhi,
- (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the I.T. Act, 1961 in the Office of the registering Officer at IAC/Acq. Range-III New Delhi in June, 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has been truly stated in the said instrument of 'cansfer with the object of :--

- (a) facilitating the reduction or evasion of the limbility of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer und/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferce for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

 Bhanot Properties & Industries Ltd. 102-102, Raja House, 30-31, Nehru Place, New Delhi.

(2) Mrs. Meera Nayar C/o Shri V. Nayar, R/o C-5, Friends Colony (East), New Delhi.

(Transferee)

(Transferor)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned-

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.
- EXPLANATION :---The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said. Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 184, First Floor Of Building to de Constructed, On Plot No. 22, Community Center, Yusuf Sarai, New Delhi, Having approx Arca-280 Sq. Ft.

> G. S. GOPALA Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range-III Delhi/New Delhi

9084 THE GAZETTE OF INDIA, MARCH 9, 1985 (PHALGUNA 18, 1906) [PART III-SEC 1

FORM ITNS-

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGE-III AGGARWAL BHAWAN, NEAR BROADWAY HOTEL 4/14-A, ASAF ALI ROAD NEW DELHI

New Delhi, the 30th January 1985

Ref. No. IAC/Acq.3/37EE/6-84/454 .--- Whereas, I, G. S. GOPALA,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,0001and bearing

and bearing Flat No. 383, situated at Plot No. 22, Community Centre, Yusuf Sarai, New Delhi, (and more fully described in the Schedule annexed kersto) has been transferred under the I.T. Act, 1961 in the Office of the Registering Officer at IAC/Acq. Range-III. New Delhi in June, 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as afore-said exceeds the apparent consideration therefor by more-then fifteen per cent of such apparent consideration and that than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :---

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferer to pay tax under the mid Ast, in respect of any income arising from the transfer; nać /or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269-C of the said Act. I bereby initiate proceedings for the acquisition of the atoresaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :---

Date : 30-1-1985 Scal:

(1) Bhanot Properties & Industries Ltd. 102-103, Raja House, 30-31, Nehru Place, New Delhi.

(Transferor)

Mr. Vijay Gupta,
 R/o 681, Chiranjiv Tower,
 43, Nehru Place, New Delhi.

(Transforce)

- Objections, if any, to the acquisition of the anid property may be made in writing to the undersigned :---
 - (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the action of potice of the period of 30 days from the service of notice on the respective persons, which ever period expires later;
 - (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the pub-lication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :--- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXV of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 303, IIIrd Floor of building to be Constructed. On Plot No. 22, Community Centre, Yusuf Sarai, N. Nelhi, Having approx. Super Area—584 Sq. Ft.

> G. S. GOPALA Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range-III Delhi/New Delhi

FORM ITNS NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOMI-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASST. COMMISSIONER OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGF-III AGGARWAL BHAWAN, NEAR BROADWAY HOIFL 4/14-A, ASAF ALI ROAD NEW DELHI

New Delhi, the 30th January 1985

Ref. No. IAC/Acq.3/37EE/6-84/455.—Whereas, I, G. S. GOPALA,

,

being the Competent Authority under Section 269B of the income-tax ...et, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'suid Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/ and bearing

and bearing Flat No. 381, situated at Plot No. 22, Community Centre, Yusuf Sarat, New Delhi,

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the LT. Act, 1961 in the Office of the registering Officer at IAC/Acq. Range-III New Delhi in June, 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesail exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been time visited in the sind instrument of transfer with the object of :--

- (a) facilitating the reduction or evasion of the hability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which there not been or which ought to be disclosed by the transferre for the purposes of the Indian Incometax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by this issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :---

73-486GI/84

 Bhonot Properties & Industries Ltd. 102-103, Raja House, 30-31, Nohiu Place, New Delhi.

(Transferon)

(2) Jenny Saw & Veneer Mills (P) Ltd. 2045/2, Chuna Mandi Street No. 6, Pahar Ganj, New Delhi.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :---

- (a) by any of the aforessid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said primov able property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette :---
- EXPLANATION :---The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter,

THE SCHEDULE

Flat No. 301, HIrd Floor of building to be Constructed, On Plot No. 22, Community Centre Yusuf Sarai, N. Delhi, having approx. Super Area—585 Sq. Ft.

> G. S. GOPALA Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range-IU Delhi/New Delhi

Date : 30-1-1985 Seal :

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-* TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGE-III AGGARWAL BHAWAN, NEAR BROADWAY HOTEL 4/14-A, ASAF ALI ROAD NEW DELHI

New Delhi, the 30th January 1985

Ref. No IAC/Acq.3/37EE/6-84/456.---Whereas, J, G. S. GOPALA,

being the Commetent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

Flat No. 302, situated at Plot No. 22, Community Centre Yusuf Sarai, New Delhi,

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the I.T. Act. 1961 in the Office of the regivering Officer at IAC/Acq. Range-III New Delhi n June, 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforsaid property and I have reason to believe that he fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than lifteen per c nt of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :--

- (a) facilitating the reduction or evasion of the hability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) fac hitating the concealment of any income or any money or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 209C of the said Act, I herely initiate proceedings for the acquisition of the atoresaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely —

Date : 30-1-1985 Seal :

 Bhanot Properties & Industries Ltd. 102-103, Raja House, 30-31, Nehru Place, New Delhi.

(Transferor)

(2) Jenny Saw & Veneer Mills (P) Ltd. 284/2, Chuna Mandi Street No. 6, Pahar Ganj, New Delhl.

(Transferce)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette
- EXPLANATION :---The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 302, Hild Floor of building to be Constructed, On Plot No. 22, Community Centre, Yusuf Sarai, New Delhi, hvving approx. Super Area-584 Sq Ft.

> G. S. GOPALA Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax Acquisition Plan w-HI Delhi/New De'hi

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGE-III AGGARWAL BIIAWAN, NEAR BROADWAY HOTEL 4/14-A, ASAF ALI ROAD NEW DELHI

New Delhi, the 30th January 1985

Ref. No. IAC/Acq.3/37EE/6-84/457.--Whereas, I, G. S. GOPALA,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000|-and bearing No.

Flat No. 105, situated at Plot No. 22, Community Centre, Yusuf Sarai, New Delhi,

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the I.T. Act, 1961 in the Office of the registering Officer at IAC/Acq. Range-III

New Della in June, 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than atteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :---

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I leteby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, numely :----

(1) Bhaaot Properties & Industries Ltd. 102-103, Raja House, 30-31, Nchu Place, New Delhi.

(Transferor)

(2) Shii Sulesh Gupta, S/o Shrì Harish Gupta R/o N-8, Panchhila Park, New Delhi.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :-

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immov-able property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :--- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter,

THE SCHEDULE

Flat No. 105, First Floor of building to be Constructed, on Plot No. 22, Community Center, Yusuf Sarai, N. Delhi, having approx, Super Area-347 Sq. Ft.

G. S. GOPALA Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range-III Delhi/New Delhi

Date : 30-1-1985 Seal :

THE GAZETTE OF INDIA, MARCH 9, 1985 (PHALGUNA 18, 1906) . .

[PART III-SEC. 1

FORM ITNS-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGE-III AGGARWAL KHAWAN, NFAR BROADWAY HOTEL 4/14-A, ASAF ALI ROAD NEW DELHI

New Delhi, the 30th January 1985

Ref. No. IAC/Acq.3/37EE/6-84/458.—Whereas, t, G. S. GOP^LA,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding

Rs. 25,006/ and bearing fFlat No. 304, situated at Plot No. 22, Community Centre, Yusuf Sarai, New Delbi,

(and more fully described in the schedule annexed hereto) has been transferred under the 1.T. Act, 1961 in the Office of the Registering Officer at IAC/Acq. Range-III, New Delhi in June, 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as afore said exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :---

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (D) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been of which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957):

Now, therefore, R pursuance of Section 269C of the said Act. I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :---

(1) Bhanot Properties & Industries Ltd. 102-103, Raja House, 30-31, Nebru Place, New Delhi

(2) M/s. Alp Art, D-5, West End, New Delhi.

(Transferor)

(Transferor)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :---

- (a) oy any of the aforesaid persons within a period ot 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immov-able property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gezette.

EXPLANATION .- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 304, IIIrd Floor of building to be Constructed on Plot No. 22, Community Centre, Yusuf Sarai, New Delhi, having approx. Super Area-505, Sq. Ft.

G. S. GOPALA Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range-III Delhi/New Delhi

Date : 30-1-1985 Seal :

,

9088

FORM ITNS-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICT OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE-III AGGARWAL BHAWAN NFAR BROAD WAY HOTEL 4/14A, ASAF ALI ROAD NEW DELHI.

New Delhi, the 30th January 1985

Ref No IAC/Acq-3/37FE/6 34/459 -Whereas, I. G GOPALA,

- being the empetent Authority under Section 269B of the Incom as x = 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as ine 'said Act'), have reason to believe that the
- movable property, have reason to beneve that the exceeding 25.000/- and bearing
- Flat No. 101,

situited at R-1, Hauz Khas, New Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), this is on transforred under the I T. Vet, 1961 in the Office of the Registering Officer at IAC/Acq Range-III in June, 1984 for in app rent consideration which is less than the fair muket value of the aforesaid property and I have reason to be use that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than afteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of ----

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; 684 01
- (b) facilitating the concealment of any income or *(*)* moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act. 1922 (11 of 1922) or the said Act, of the Wealth-tax Act. 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely .___

(1) Sh Karar 1 ° -h R/o 12, Regal Bilg Philisment Street. Nez D.hi

(Transferor)

(2) Smt Manmohen Kaur R/o B-57, Sarvodava Enclave, New Delhi

(Transferee)

Objections if , is to the acquission of the stud property may be man with the utilistenet ,

- (a) by any of the aforesaid persons within a perior of 45 days from the date of publications of the notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the re-pective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immov-able property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.
- EXPLANATION ---- The terms and expressions used htrein as defined in Chapter XXA of the said Ast shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No 101, Plot No. R-1, Hauz Khas, New Delhi, Covered Area Approx. 1030 Sq Feet

> G S GOPALA Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range-III, Delhi/New Delhi.

Date 30-1-1985 Seal :

9:020

FORM ITNS-

(1) Sh Karanut Singh, R/o 12, Regal Bidg, Failianent St. New Delhi.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTA STONER OF INCOME-TAX, ACQUISTITION RANGE-III ASSISTANT COMMIS-AGGARWAL BHAWAN NFAR BROAD WAY HOTEL 4/14A, ASAF ALI ROAD NEW DELHI.

New Delhi, the 30th January 1985

IAC/Acq 3/37EE/6-84/460.---Whereas, I, G. S. GOPALA, being the competent Authority under Section 269B of the Inconnective $\lambda = 26.1$ (45 of 1961) (hereinafter referred to as the sa α Act) have reason to believe that the immovable

property, he ing a fair market value exceeding Rs. 25,000/-and dealing No. Flat No. 301, situated a C^{+} , Hurr Khis, New Delhi (and have tun, described in the Schedule annexed hereto), has been the second of the L. F. Act, 1961 in the Office of the key on the University of the LAC, Acq. Range-III in June, 1984 for the test to the det down which is less than the tar the Regist of the Onlice at IAC/Acq. Range-III in June, 1984 for an up to it of ors detailon which is less than the rain a is et view of the aboves a property and I have reason to be heve the deconstruction of the property as afore-said exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen b is unit of such a parent consideration and that the consideration is too such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer v is the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in rest of other inj income arising from the transfer; andior
- the facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which hought to be disclosed by the transferee for the purposes of the indian Income-tax Act, 1922 (\$1 of 1922), or the said Act, or the Wealth-tax Act 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :---

Date : 30-1-1985 Seal :

(2) Sh. Tara Chand Verma & Smt. Nisha Malik, K/o H-523, Satouni Nagar, New Delhi.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :-

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 36 days from the service of notice on the respective persons, which ever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immov-able property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.
- EXPLANATION :--- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 381, R-1, Hauz Khas, New Delhi, Covered Area Approx 1005 Sq Feet

> G. S. GOPALA Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range-III Delhi/New Delhi.

FORM ITNS-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE-III AGGAR'VAL BHAWAN NEAR BROAD WAY HOTEL 4/14A, ASAF AI I ROAD NEW DELHI.

New Delhi, the 30th January 1985

Ref. No. IAC/Acq-3/37EE/6-84/461.-Whereas, I, G. S. GOPALA,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

Flat No. 302,

of transfer with object of -

Flat No. 302, situated at R-1, Hauz Khas, New Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transforred under the I T. Act. 1961 in the Office of the Registering Officer at IAC/Acq. Range-III in June, 1984 for an appulant consideration which is less than the fair market value of the aforesait property and I have reason to believe that the fair market value of the property as afgresaid exceed the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under that said Act, in respect of any income arising from the transfer: and /or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act. or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, the fore in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initial proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :---

(1) Sh. Karanjit Singh, 12, Regal Bldg. Parliament Street, New Delhi.

(Transferor)

(2) Smt. Hemlata Mehta, R/043, Southern Avenue, Calcuita.

(Transferree)

.

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :---

- . (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons which are period before before whichever period expires later;
 - (b) by any other person interested in the said immov-able property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Grazette.

EXPLANATION :- The terms and expressions user hereir as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the some meaning as given in that Chapter

THE SCHEDULE

Flat No. 302, R-1, Hauz Khas, New Delhi Area-1000 Sa. Fect,

> G. S. GOPALA Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income tax Aconivities Rangeril Delhi/New Delhi,

Date : 30-1-1985 Seal :

(1) Smt. P. S. Kanwal & Smt. Kuldip Kaur, R/o 21/101 Lodhi Colony, New Delhi-3.

Daryaganj, Delhi.

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-1 AN ACT, 1961 (43 OF 1961)

OF VERYMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOMETAX ACQUISITION RANGE-III ACOUSTION KANDE-IN ACCORT VAL B5-4WAN NEAR BROAD WAY HOTFL 4/14A, A*AF ALI ROAD NFW DELHI.

New Delhi, the 30th January 1985

Ref. No. IAC/2...q 5/37EE/6 84 482.--Whereas, I, G. S. GOPALA,

being the Competent Authorny under Section 269B of the Income-tax Ac. 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Ast'), have reason to believe that the immersely property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000 /and bearing No. 264-E.

situated at Ni nan Mhar, Delhi (and more fully is the in the Scinduled a mexed hereto), has been from a lineder the x = 1 Act. 1961 in the Office of has been from a consider the CF Act. 1961 in the Office of the Registering Officer at IAC/Acq. Range-III in June, 1984 for an applied consideration which were than the fair market value of the correct of order to be the property and I have reason to believe that the fair market alue of the property as afore-said exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truely stated in the said instrument of transfer with the object of :---

- (a) facilitating the resultion of evasion of the hability of the transferor to pay tax under the said Act, in reserved of any income crising from the transfer, and r
- (b) facilitating the concealment of any income or any mon. s or other usets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act. 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following nersons, name of

Date : 30-1-1985 Seal :

(2) Smt. Razia Sultan, W/o Intazar Ahmed. Siddiqui, R/o 2139, M. P. Street Near Patandi House,

(Transferee)

(Transferor)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovabl-property, within 45 days from the date of the pub-lication of this notice in the Official Gazette.
- EXPLANATION :--- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Prop. No. 364-E, Nirman Vihar. New Delhi, Area, 802 St. Feet.

> G. S. GOPALA Competent Authority Inspecting Asst. Commissioner of Income-tax Acquisition R area of Delh' (22 + 1 c.).

9092

FORM I.T.N.S.-

NOTICE UNDER SECTION 269-D(1) OF THE INCOME-LAX AC1, 1961 (13 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONR OF INCOME-FAX. ACQUISTION RANGE-III AGGARWAL BIAWAN 4/14A, ASAF ALI ROAD NFW DELHI.

New Delhi, the 30th January 1985

- Ref. No IAC /Acg 3/37FF /6-94 463.----Whereas, I, G. S GOPALA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act')
- have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25.000/- and bearing
- Store No B-1,

situated at 20, Community Centre, Yusuf Sarai, New Delhi

(and more fully described in the Scheduled annexed hereto) has been transferred under the I F. Act, 1961 in the Office of the Registering Officer at IAC/Acqn. Range-III in June, 1984 for an apparent consideration which is less than the fair marker value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of -

- a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transferand/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferce for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely -

74-486GI/84

(1) Oxford Engineers (P) L.d 18. Commercial Complex, Malcha Marg, Diplomat Enclave, New Delhi

(Transferor)

(2) Miss. Indira Kohli D-II/A-13. Moti Bagh, New Delhi.

(Transferce)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later:
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION ---- The terms and expressions used her in as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Store No. B-I. Plot No. 20, Oriental Apartments. Buld, Community Centre, Yusuf Sarar New Delhi, Area-360.79 Sq. Fect

> G. S. GOPALA Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax Acquisition Range-III New Delhi.

Date : 30-1-1985 Scal ;

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX

> ACQUISITION RANGE-I, AGGARWAL HOUSE, 4/14A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI

New Delhi, the 29th January 1985

Ref. No. IAC/Acq. I/37EE/6-84/892,-Whereas, I.

SUDHIR CHANDRA, being the Competent Authority under Section 269B of the income-tax Act, 1961 (43 of 1961) hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the

to as the 'said Act'), have reason to believe that the Immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Plot No. S-466, Greater Kailash-II, situated at New Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto). has been transferred under the I. T. Act, 1961 in the Office of the Registering Officer at IAC/Acq. Range-I, in June, 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration there for by more than fifteen necent of such apparent consideration and that than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :--

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Plot No. 466 Block No. S. Greater Kailash-II, New Delhi Area mg. 551 sq. yds.

> SUDHIR CHANDRA Competent Authority, Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax. Acquisition Range-I Aggarwal House, 4/14 A Asaf Ali Road, New Delhi,

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the ssue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :---

Date : 29-1-1985 Seal :

(1) Rajspin Officer's Welfare Foundation Pvt. Ltd., Bhilwara Bhavan, 40-41, Community Centre, New Friends Colony, N. Delhi-65. (Transferør) (2) M/s. Hindustan Electro Graphites I.td. 40-41, Community Centre, New Friends Colony, New Delhi.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :-

- (a) by any of the bioresaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons. whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immov-able property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :-- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

> ACQUISITION RANGE-J, AGGARWAL HOUSE, 4/14-A, ASAF ALL ROAD, NEW DELHI

New Delhi, the 29th January 1985

Ref. No. IAC/Acq.I/37EE/6-84/894.—Whereas, I, SUDHIR CHANDRA,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, hyper a fair masket with the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/-Space No, 83 and 84 on L. G. F. 28, B. K. Rd,

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the I. T. Act, 1961 in the Office of the Registering Officer at IAC/Acqn. Range-III in June, 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as afore-said exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the partice has not been truly stated in the said instrument of parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :---

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and /or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for moneys of other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :---

(1) M/s. Gopal Das Estates-and Housing Pvt. Ltd., 28, Barakhamba Road, New Delhi-110001.

(Transferor)

(2) Devi Sahai Kohli (HUF) \$/22, Civil Township, Rourkela-IV-Area No. 7 and 8.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :-

- period (a) by any of the aforesaid persons within a of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gezette or a period of 30 days from the service of notice on the res-pective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.
- EXPLANATION :---The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Space No. 83 and 84 on Lower Ground Floor in 'DR. Gopal Das Bhawan' 28, Barakhamba Road, New Delhi-1. Area mg. 367.46 sq. ft. (Space No. 83, 133.66 sq. ft.) (Space No. 84, 233.80 sq. ft.)

SUDHIR CHANDRA Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax Acquisition Range-T Aggarwal House, 4/14 A Asaf Ali Road, New Delhi.

Date : 29-1-1985 Seal :

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSIT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I, NEW DELHI

New Delhi, the 30th January 1985

Ref. No. IAC/Acq.I/37EE/6-84/895 .-- Whereas, I, SUDHIR CHANDRA,

SUDHIR CHANDRA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000]-Flat No. 904, in 21, B. K. Road, situated at New Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the I. T. Act, 1961 in the Office of the registering Officer at IAC /Acq. Range-I, on June, 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as afore-said exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that than fifteen per cent of such apparent consideration and that

the consideration for such transfer as agreed to between the

parties has not been truly stated in the said instrument of itunsfer with the object of :---

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and /or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following porary for a period upto 26-3-85 or till such time regular persons, namely :--

Date : 30-1-1985 Seal :

(1) M/s. Gimpex Rubbers, Prop. Hilton Engineers (P) Ltd., 40, Navyug Market, Ghaziabad (U.P.) (Transferor) (2) Smt. Shakuntala Sahni W/o T. R. Sahni, Anupama Chandok & Anshu Chandok (Minors), Cottage 30, West Patel Nagar, New Delhi-8.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons. whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immov-able property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :---The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 904 in 21 Barakhamba Road, New Delhi, Area 595 sq. ft.

> SUDHIR CHANDRA Competent Authority Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax Acquisition Rango-I Aggarwal House, 4/14 A Asaf Ali Road, New Delhi.

FORM ITNS-----

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

> ACQUISITION RANGE-I, NEW DELHI

New Delhi, the 30th January 1985

Ref. No. 1AC/Acq.1/37EE/6-84/897.— Whereas, I, SUDHIR CHANDRA,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs 25,000/- and bearing No.

Flat No. 806, 13, Tolstoy Marg,

situated at New Delhi

(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the I.T. Act, 1961 in the Office of the registering Officer at IAC/Acq Range-I, on June, 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than lifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :--

- (a) facilitating hte reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the advressid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the Act, to the following persons, namely :--

Date : 30-1-1985 Scal :

 Sh. Sanjay Bansal R/o B-15, Greater Kailash-I, New Delhi.

(Transferor)

(2) Smt. Ritu Sachdeva, R/o B/N (Poo(vi), 33, Shalimai Bagh Resl Scheme, Delhi.

(Transferce)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :---The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Booking of office space measuring 390 sq. ft. on 8th floor in the proposed multi-storeyed building at 13, Tolstoy Marg, New Delhi-110001. Flat No. 806.

> SUDHIR CHANDRA Competent Authority Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax Acquisition Range-T Aggarwal House, 4/14 A Asaf Ali Road, New Delhi.

_ _ _

FORM I.T.N.S.-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

> ACQUISITION RANGE-I, NEW DELHI

New Delhi, the 29th January 1985

Ref. No. IAC/Acq.I/37EE/6-84/898.-Whereas, I, SUDHIR CHANDRA, being the Competent Authority under Section 269B of the income-tar Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act')' have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/-

property having a fair market value exceeding KS. 25,0007 and bearing Space No. 803, at 13, Tolstoy Marg, situated at New Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the I. T. Act, 1961 in the Office of the registering Officer at IAC/Acq. Range-I, on June, 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such opparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to believe the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:---

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and /or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been of which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforcsaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following person namely :---

Date : 29-1-1985 Scal ,

(1) Sh. S. P. Bansal, R/o B-15, Greater Kailash-II, New Delhi.

(Transferor)

(2) Mis Willa Sawhney, R/o D-13A/26, Model Town, Delhi-9.

(Transferce)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :-

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publi-cation of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Booking of office space measuring 390 sq. ft. on 8th floor in the proposed mult-storeyed building at 13, Tolstoy Marg, New Delhi, Space Flat No. 803.

> SUDHIR CHANDRA **Competent Authority** luspecting Assit. Commissioner of Income-tax Acquisition Range-I Aggarwal House, 4/14 A Asaf Ali Road, New Delhi.

NOFICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTIG ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

> ACQUISITION RANGE-I, NEW DELHI

New Delhi, the 28th January 1985

Ref. No. IAC/Acq.I 37EE /6-84/901,---Whereas, I, SUDHIR CHANDRA,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/and bearing No. Flat No. 802 at 22, K. G Marg,

situated at New Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the I. T. Act, 1961 in the Office of the registering Officer ut IAC/Acq. Range-I, on June, 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as afore-said exceeds the apparent consideration therefor by more than fiften per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :---

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer: and /or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the mid Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :-

Date : 28-1-1985 Scal :

 Miss. Malini Bhatat Rarm (Minor) UGO Mr. Vivek Bharat Ram, R/o 25, Sardar Patel Road, New Delhi.

(2) Bharat Ram Foundation, 25, Sardar Patel Road, New Delhi.

(Transferce)

(Transferor)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.
- EXPLANATION :- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Commercial Flat No. 802, proposed multistoreyed building at 22, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi, mg. 555 sq. ft.

> SUDHIR CHANDRA **Competent Authority** Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range-I Aggarwal House, 4/14 A Asaf Ali Road, New Delhi.

FORM ITNS----

NOFICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I AGGARWAL HOUSE, 4/14A ASAF ALI ROAD, NEW DELHI.

New Delhi, the 30th January 1985

Ref. No. 1AC/Acq. 1/37FE/6-84/902.---Whereas I, SUDHIR CHANDRA,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. M-71, Greater Kailash-II, situated at New Delhi

(and more fully described in the Scheduled annexed hereto), has been transferred under the

I.T. Act, 1961 in the Oflice of the registering Officer at IAC/Acq. Range-1 on June 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(P) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely:--- (1) M/s. Pravasi Enterprises Ltd.,
 27, Brobourne Road, 10th floor,
 Narayani Bidg., Calcutta.
 (Transferer)

(2) Mrs. Rajan Nehru and Mt. V. P. Nehru (acting for self and as Karta of R. K. Nehru, D-11/20, Kaka Nagar, New Delhi.

('Transferce)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :----

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :---The terms and expressions used herein are are defined in Chapter XXA of the said Act. shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

First and Barsati floors of premises No M-71, Greater Kailash-II, New Delhi. Covered area 1800 sq. ft. approx.

SUDHIR CHANDRA Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax. Acquisition Range-I Aggarwal House 4/14A Asaf Alı Road, New Delhi

Date : 30-1-1985 Seal :

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT OOMMIS-SIONER OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGE-I AGGARWAL HOUSE, 4/14A ASAF AIJ ROAD, NEW DELHI.

New Delbi, the 30th January 1985

Ref. No. IAC/Acg. I/37EE/6-84/903,---Whereas I. SUDHIR CHANDRA,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the im-

movable property, having a fair market value exceeding Rs, 25,000/- and bearing No. Flat No, 609, a. 22, K. C. Marg, situated at New Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the 1.T. Act, 1961 in the Office of the Registering Officer at " IAC/Acg, Range-L on Lune 1984

IAC/Acq. Range-I on June 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of ;---

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer, and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :---75--486GI/84

(1) Mrs. Sheila Bharat Ram, 25, Sardar Patel Road, New Delhi.

(2) M/s. Bharat Ram Foundation, 25, Sardar Patel Road, New Delhi.

(Transferee)

(Transferor)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :--

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later:
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.
- EXPLANATION :-- The terms and expressions used herein are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Commercial Flat No. 609 in proposed multistoreyed building under construction at 22, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi, mg. 522 sq. ft

SUDHIR CHANDRA Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range-I Aggarwal House 4/14A Asaf Ali Road, New Delhi

Date : 30-1-1985 Seal ;

(Transferor)

FORM ITNS-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX

> ACQUISITION RANGE-I AGGARWAL HOUSE, 4/14A ASAF ALI ROAD, NEW DELHI.

New Delhi, the 30th January 1985

Ref. No. IAC/Acq. I/37EE/6-84/905.—Whereas I, SUDHIR CHANDRA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs, 25,000/- and bearing No. I-lat No. 18, in 21, B.K. Road, situated at New Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the I.T. Act, 1961 in the Office of the Registering Office, at

of the Registering Office1 at IAC/Acq. Range-I on June 1984

.

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :---

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957); for

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act. I beteby initiate proceedings for the acquisition of the aforeshid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :---

Date: 30-1-1985 Seal :

- (1) Sh. Shiv Kapur, Joginder Kapur, R/o 2720, Ajmal Khan Road, Katol Bagh, New Delhi.
- (2) Sh. Bhajan Singh Chauhan,
 (2) Sh. Shamsher Rajau Chauhan,
 (3) Miss Sujata Chauhan,
 D-6/27, Vasant Vihar, New Delhi.
 - (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be madee in writing to the undersigned :-

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons. whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:--The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 18, First Floor in multi-storeyed building at 21-Barakhamba Road, New Delhi. Area 595 sq. ft.

> SUDHIR CHANDRA Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range-I Aggarwal House 4/14A Asaf Ali Road, New Delhi

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX.

ACQUISITION RANGE-I AGGARWAL HOUSE, 4/14A ASAF ALI ROAD, NEW DELHI.

New Delhi, the 28th January 1985

Ref. No. IAC/Acq. I/37EE/6-84/917 .--- Whereas I, SUDHIR CHANDRA,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (heremafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Space No. 6, 6th floor, Block E. situated at Nehru Place,

New Delhi

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the I.T. Act, 1961 in the Office of the Registering Officer at IAC/Acq. Range-I on lune 1984 for an apparent consideration which is less than the

fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that, the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than lifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :---

(a) facilitating the reduction or evasion of the inability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer and /or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act. I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :--

(1) M/s. Nehru Place Hotels 1 td., Elos Cinema Building, Jangpura Extension, New Derhi-14,

(Transferor)

(2) Master Ashish Khera & Miss Bhavna Khera, U/F Mr. S. C. Khera,
213, New Delhi House,
27, Barakhamba Road, New Delhi-1. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whether period before the test of the service persons. whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said Immov-able property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

Space No. 6 on sixth floor in Block No. F of Holel-cum-commercial Complex, Nehru Place, New Delhi. Approx Area 735 sq. ft.

THE SCHEDULE

SUDHIR CHANDRA Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range-I Aggarwal House 4/14A Asaf Ali Road, New Delhi

Da e : 28-1 1985 Seal :

THE GAZETTE OF INDIA, MARCH 9, 1985 (PHALGUNA 18, 1906)

[PART II]-SEC. 1

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I AGGARWAL HOUSE, 4/14A ASAF ALI ROAD, NEW DELHI

New Delhi, the 29th January 1985

Ref. No. IAC/Acq. 1/37EE/6-84/918.—Whereas 1, SUDHIR CHANDRA,

being the Competent Authority under Section 269B of me Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred ω as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

Space No. 9 (6th floor) E-Block, situated at Nehru Place, New Delhi

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the I.T. Act, 1961 in the Office of the Registering Officer at -1084

JAC/Acq. Range-I on June 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :---

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, *i*, hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this office notice under sub-section (I) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:--- M/s. Nehru Place Hotels Ltd., Eros Cinema Building, Jangpura Extn., New Delhi-14.

(Transferor)

 M/s. Talwar Forgemasters & Engineers Pvt. Ltd., B-1/8, Malviya Nagar, New Delhi. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective person whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act. shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Space No. 9 on 6th floor in Block No. E, of Hotel-cum-Commercial Complex, Nehru Place, New Delhi. Approx Area 484 sq. ft.

> SUDHIR CHANDRA Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-lav Acquisition Range-1 Aggarwal House 4/14A Asuf Ali Road, New Delhi

Date : 29-1-1985 Seal :

9104

PART III-SEC. 1]

FORM ITNS-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGE-I AGGARWAL HOUSE, 4/14A ASAF ALI ROAD, NEW DELHI.

New Delhi, the 29th January 1985

Ref. No. IAC/Acq. I/37EE/6-84/919.---Whereas I, SUDHIR CHANDRA

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000|and bearing No.

Space No 18, 6th floor E-Block situated at Nehru Place, New Delhi

(and more fully described in the schedule annexed hereto) has been transferred under the I.T. Act, 1961 in the Office of the Registering Officer at IAC/Acq. Range-I on June 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :---

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; andior
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act. 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :---

- (1) M/s. Nchru Place Hotels Ltd., Eros Cinema Building, Jangpura Extension, New Delhi-14.
- (Transferor) (2) Mrs. Madhu Bawa w/o S. K. Bawa & S. K. Bawa s/o G. S. Bawa,
 4, Dharam Marg, Deplomatic Enclave, Nehru Place, New Delhi.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this Notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :--- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as gived in that Chapter.

THE SCHEDULE

Space No. 18 on 6th floor in Block 'E' Hotel-cum-Commercial Complex, Nehru Place, New Delhi. Approx. Area 638 sq. ft.

> SUDHIR CHANDRA Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income tax Aggarwal House Aggarwal House 4/14A Asaf Ali Road, New Delh

Date : 29-1-1985 Seal :

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-1 AGGARWAL HOUSE, 4/14A ASAF ALI ROAD, NEW DELHI.

New Delhi, the 29th January 1985

Rcf. No. IAC/Acq. 1/37EE/6-84/920.---Whereas 1, SUDHIR CHANDRA,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (bereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/and bearing No. Space No. 13, 6th floor, E-Block, situated at Nehru Place,

New Delhi

(and more fully described in the Schedule annexed hereto)

(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the I.1. Act, 1961 in the Office of the Registering Officer at IAC/Acq. Range-I on June 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the atoresaid property and I have reason to believe hat the fair market value of the property as aforesaid .xceeds the apparent consideration therefor by more than ifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of wansfer with the object of :--wansfer with the object of :-

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and /or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or thought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

- (1) M/s. Nehru Place Hotels Ltd., Eros Cinema Building, Jangpura Extension, New Delhi-14.
- (Transferor) (2) M/s. Indian Biotech Company (P) Ltd., 109/32-33, Nehru Place, New Delhi.

(Transferee)

.

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :-

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publi-cation of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chepter.

THE SCHEDULE

Space No. 13, on 6th floor in Block No. E, of Hotel-cumcommercial complex, Nehru Place, New Delhi. Approx. Area 726 sq. ft.

> SUDHIR CHANDRA Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Aggarwal House 4/14A Asaf Ali Road, New Delhi

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act I hereby initiate proceedings for the acquiaition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :----

Date : 29-1-1985 Seai :

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I · AGGARWAL HOUSE, 4/14A ASAF ALI ROAD, NEW DELHI.

New Delhi, the 29th January 1985

Ref. No. IAC/Acq. 1/37EE/6-84/921.—Whereas I, SUDHIR CHANDRA, being the Computent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the Im-movable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

Space No. 8 (6th floor) E-Block, situated at Nehru Place, New Delhi

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the I.T. Act, 1961 in the Office of the Registering Officer at

IAC/Acq. Range-I on June 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :----

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; andlor

THE SCHEDULE

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act. 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :---

Space No. 8, on 6th floor in Block No. E, of Hotel-cumcommercial complex, Nehru Place, New Delhi, Approx Area 484 sq. ft.

> SUDHIR CHANDRA Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range-I Aggarwal House 4/14A Asaf Ali Road, New Delhi

Date : 29-1-1985 Scal :

(1) M/s. Nehru Place Hotels Ltd., Eros Cinema Building, Jangpura Extension, New Delhi-14. (Transferor)

(2) Master Vikas Bajaj. U/G. Sh. J. M. Bajaj, R/o E-92, Malcha Marg, Chanakiya Puri, New Delhi.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :-

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publlcation of this notice in the Official Gaze.te.

EXPLANATION :--The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act. shall have the same meaning as given in that Chapter.

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

> ACQUISITION RANGE-I AGGARWAL HOUSE, 4/14A ASAF ALI ROAD, NEW DELHI.

New Delhi, the 29th January 1985

Ref. No. IAC/Acq. I/37EE/6-84/922.—Whereas 1, SUDHIR CHANDRA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act. 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000[and bearing Space No. 8, 8th floor, E-Block, situated at Nehru Place, New

Delhi.

(and more fully described in the Schedule annered her the has been transferred under the I.T. Act, 1961 in the Office of the Registering Officer at IAC/Acq. Range-I on June 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :---

- (a) facilitating the reduction or evasion of the linbility of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer and /or
- (b) facilitating the concealment of any income or pro-moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the effect. Act. I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this office notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :---

Date : 29-1-1985 Search :

(1) M/s. Nehru, Place Hotel Ltd., Eros Cinema Building, Jangpura Extension, New Delhi-14.

(Transferor)

(2) Master Rajiv Shah Gosain & Master Vikram Shah Gosain s/o's of Sh. K. K. Gosain, F-31, Saket, New Delhi. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned 1-

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :--- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chanter.

THE SCHEDULE

Space No. 8, on 7th floor in Block No. E, Approx Area 484 sq. ft. Hotel-cum-Commercial Complex, Nehru Place, New Delhi.

> SUDHIR CHANDRA Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range-I Aggarwal House 4/14A Asat Ali Road, New Delhi

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I AGGARWAL HOUSE, 4/14A ASAF ALI ROAD, NEW DELHI.

New Delhi, the 29th January 1985

IAC/Acq. 1/37EE/6-84/923.-Whereas I, Ref. No.

SUDHIR CHANDRA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25.000/- and bearing No. Space No. 7 (6th floor) E-Block, situated at Nehru Place,

New Dolhi

(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the I.T. Act, 1961 in the Office the Registering Officer at

IAC/Acq. Rage- in June 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by the more than fiftsen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :-

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/er
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269-C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under supsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :-476GI/84 75-

- (1) M/s. Nehru Place Hotels Ltd., Eros Cinema Building, Jangpura Extension, New Delhi-14.
- (Transferor) (2) Sh. K. N. Bajaj s/olate Sh. R. L. Baja], R/o S-543, Greater Kailash-II, New Delhi-48.

(Transferce)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :-

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the mid immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.
- EXPLANATION :--- The terms and expressions used herein are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Space No. 7 on 6th floor in block-E, Hotel-cum-Commercial Complex, Nehru Place, New Delhi. Approx Arca 484 sq. ft.

> SUDHIR CHANDRA Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range-I Aggarwal House 4/14A Asaf Ali Road, New Delhi

Date : 29-1-1985 Seal:

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

> ACQUISITION RANGE-I, 4/14A ASAF ALI ROAD NEW DELHI

New Delhi, the 11th February 1985

Ref. No. IAC/Acq.1/37EE/6-84/924.—Whereas, I, SUDHIR CHANDRA,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair mraket value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

Flat No. C-162, DDA Flat, Sakat, situated at New Delhi

(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the I.T. Act 1961 in the Office of the Registering Officer at IAC/Acq. Range-I New Delhi on June 1984,

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the atoresaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between t he parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :--

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and /or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferre for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :---

- (1) Dr. (Mrs.) Rej Kumar Aggarwal, Prof. of Law, Puna University, Pune-411007.
- Mohd. Aslam & Mohd. Akram,
 Ss/o Shri Noor Mohd, R/o I-6/D.D.A. Flats, Turkman Gate, Delhi-6. (Transferge)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.
- EXPLANATION :---The terms and expressions used here as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

C-162, D.D.A. Flats, Sakat, New Delhi-17, measuring 900 sq. ft.

SUDHIR CHANDRA Completent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range-I Aggarwai House 4/14A Asaf Ali Road, New Delhi

Date : 11-2-1985 Scal :

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGE 4/14A ASAF ALI ROAD NEW DELHI

New Delhi, the 29th January 1985

Ref. No. IAC/Acq.I/37EE/6-84/926 .-- Whereas, I,

Ref. No. IAC/Acq.1/3/EE/6-84/926.—whereas, 1, SUDHIR CHANDRA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immov-able property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Space No. 7 on 7th floor, E-Block, situated at Nehru Place, Naw Dabla

New Delhi, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the I.T. Act 1961 in the Office of the registering Officer at

IAC/Acq. Range-I on June 1984, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such apparent consideration ween the partice has not been truly stated in the said instru-ment of transfer with the object of :---

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer, and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269 C of the said Act. I hereby initiate proceeding for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-sec-tion (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :---

(1) M/s. Nehru Place Hotels Ltd., Eros Cinema Building, Jangpura Extn., New Delhi-14. (Transferor)

(2) M/s. Techinvest (India) (P.), 804, Vishal Bhawan, 95, Nehru Place, New Delhi. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :----

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days, from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immov-able property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Space No. 7 on 7th floor in Block-E, Hotel-Cum-Commercial Complex, Nehru Place, New Delhi, Area Approx 484 sq. ft.

> SUDHIR CHANDRA Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range-I Aggarwal House 4/14A Asaf Ali Road, New Delhi

Date : 29-1-1985 Seal :

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

9112

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX,

> ACQUISITION RANGE 4/14A ASAF ALI ROAD NEW DELHI

New Delhi, the 11th February 1985

Ref. No. IAC/Acq.I/37EE/6-84/927.—Whereas, I, SUDHIR CHANDRA.

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/and bearing No.

Shop No. 104 (First floor), 56, N. Place, situated at New Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Office at New Delhi on June 1984,

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as afore said exceeds the apparent consideration therefor by more that fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :--

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer, and/or
- (b) facilitating the concentment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act. I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :--- Sh. Tarlok Nath Bajaj S/o Sh. Mangat Ram, 92/B, New Layall Pur Colony, Trans Yamuna, Chander Nagar, Delhi-51. (Transferor)

 (2) Shri Balkrishan Chadha S/o Shri Gian Chand, R/o 1/7158, Shivajee Park, Shahdara, Delhi-32, Shri Harish Chandra, R/o 21, Railway Road, Meerut City (U.P.). (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.
- EXPLANATION :---The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Shop No. 104 on First floor of 224 sq. ft, covered area in 56, Nehru Place, New Delhi.

SUDHIR CHANDRA Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range-1 Aggarwal House 4/14A Asaf Ali Road, New Delhi

Date : 11-2-1985

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE-I, 4/14A ASAF ALI ROAD NEW DELHI

New Delhi, the 29th January 1985

Ref. No. IAC/Acq.I/37EE/6-84/929.---Whereas, I, SUDHIR CHANDRA,

- being the Competent Authority under Section 269B of the Incometax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding D = 26 000 (, set begins)
- Rs. 25,000/- and bearing Space No. 8, L.G.F. at 28, B.K. Road, situated at New Delhi, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the I.T. Act 1961 in the Office of the registering Officer at
- IAC/Acq. Range-I, New Delhi in June 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :--

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transferand/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Weslth-tax Act. 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons; namely :--- M/s. Gopal Das Estatés and Housing Pvt. Ltd., 28-Barakhamba Road, New Delhi-110001. (Transferor)

(2) Mr. Karori Ram Mehra S/o Mr. Lakhmi Chand Mehra, R/o E-174, Masjid Moth, New Delhi-48.

(Transferce)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a periou of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette-
- EXPLANATION :— The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Space No. 8 on Lower Ground Floor in DR. Gopal Das Bhawan' at 28, Barakhamba Road, New Delhi. Area (super) 140.78 sq. ft.

> SUDHIR CHANDRA Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range-1 Aggarwal House 4/14A Asaf All Road, New Delhi

Date : 29-1-1985 Seal :

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX

ACQUISITION, RANGE 4/14A ASAF ALI ROAD NEW DELHI

New Delhi; the 11th February 1985

Ref. No. IAC/Acq.1/37EE/6-84/940.-Whereas, I, SUDHIR CHANDRA,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the said Act) have reason to believe that

the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

Shop No. 37, Ajit Arcade, Lajpat Rai Road, situated at New Delhi,

(and more fully described in the Schedule annexed hereto). has been transferred under the I.T. Act 1961 in the Office of the registering Officer at

IAC/Acq. Range-I, New Delhi on June 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :--

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, is respect of any income arising from the transfer andler
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferse for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice ander subsection (1) of Section 269D of the said Act. to the following persons, namely '---

- (1) Smt. Uma Kiran, H-26, Green Park Extn. New Delhi. (Transferor) (2) Shri Vinod Batra, Shri Sunil Batta, R/o E 57, N.D.S.E. Part-I, New Delhi and Sh. Parmod Kumar Verma, r/o C-27, N.D.S.E. Part-I, New Delhi,

(Transferce)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.
- EXPLANATION :--- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Shop No. 37, Ajit Arcade, Lala Lajpat Rai Road, New Delhi, Area 225 sq. ft.

> SUDHIR CHANDRA Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range-I Aggarwal House 4/14A Asaf Ali Road, New Delhi

Date : 11-2-1985 Scal:

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGE-I, 4/14A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI

New Delhi, the 15th February 1985

Ref. No. IAC/Acq.I/37EE/6-84/943.--Whereas I, SUDHIR CHANDRA,

- being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act. 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/-bearing
- Flat No 1204-A, at 89, Nehru Place,

situated at New Delhi

- (and more fully described in the Schedule annexed hereto). has been transferred under the I.T. Act 1961 in the office of the registering Officer at IAC/Acq. Range-J, New Delhi on June 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such ransfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :---

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; andlor
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons namely :---

(1) M/s. Ashok Kumar Garg and Brothers, R/o M-24, Greater Kailash, Market, New Delhi-48. (Transferor)

(2) Mrs Shashi Sikka, Mrs. Shama Magoo, Mrs. Sudesh Bhandula, M-267, Greater Kailash-II, New Delhi-48.

(Transferce)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respec-tive persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publi-cation of the notice in the Official Gazette.
- EXPLANATION :--- The terms and expression used herein 85 are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the name meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Office Flat No. 1204-A (12th floor) in Skipper Tower, 89, Nehru Place, flat area 548 sq. ft. New Delhi. Date : 15-2-1985

> SUDHIR CHANDRA Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range-I, Delhi/New Delhi

Date: 15-2-1985 Scal :

9116 100

Form No. I.T.N.S.

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGE-I, AGGARWAL HOUSE, 4/14A, ASAF ALI ROAD,

New Delhi, the 13th February 1985

Ref. No. IAC/Acq. 1/37EE/6-84/948.---Whereas I, SUDHIR CHANDRA, being the Competent Authority under Section 269B of the

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 1/27, Shanti Neketa, situated at New Delhi (and more fully described in the Schedule annexed here(o) has been transferred under the UT. Act, 1961 in the Office of the Registering Officer at IAC/Acq. Range-I, on June, 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the property as aforcsaid exceeds the apparent consideration and that the consideration for such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :--

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and /or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 ot 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the Issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :---

Date: 13-2-1985 Seal :

(1) Ms. Rajan Nehru and Mr. V. Y. Nehru acting for self and as Karta of R. K. Nehru, HUF D-1/20, Kaka Nagar, New Delhi.

(Transferor)

(2) Pravasi Enterprises Ltd. 27, Brabourne Road, 10th floor, Narayani Bldg., Calcutta.

(Transferse)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :-

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of \$0 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :--- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the aid Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property No. 1/27, Shantiniketan, New Delhi, total area of about 2,000 sq. yds.

> SUDHIR CHANDRA Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range-I, Delhi/New Delhi

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

> ACQUISITION RANGE-J, 4/14A. ASAF ALI ROAD, NEW DELHI

New Delhi, the 29th January 1985

Ref. No. IAC-Acq.J/37EE/6-84/954.---Whereas I, SUDHIR CHANDRA,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding

Rs. 25.000/- and bearing No. Space No. 12 (6th floor) E-Block, situated at Nehru Place, New Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the I.T. Act 1961 in the office of the registering Officer at

IAC/Acq. Range-I, New Delhi on June 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :---

- (iii) facilitating the reduction or evision of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, is respect of any income arising from the transfer, and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1927);

-Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :---77-~486GJ/84

(1)	M/s. Nehru Place Hotels	Ltd.,
	Eros Cinema Building,	
	Jangpura Extn.,	
	New Delhi-14.	

(2) Smt. Kailash Wati (Bimla), W/o Sh. Ram Lal Aggarwal, 104-E, Kamla Nagar, Delhi-:10007.

(Transferce)

(Transferor)

9117

Objections. if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days, from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later:
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Space No. 12 on 6th floor in Block No. E, of Hotel Cum Commercial Complex, Nehru Place, New Delhi. Approx. Area 570 sq. ft.

> SUDHIR CHANDRA Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range-I, Delhi/New Delhi

Date: 29-1-1985 Scal:

(1) M/s Nehru Place Hotels Ltd. FORM I.T.N.S.-Eros Cinema Building, Jangpura Extn., New Delhi-14. NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME TAX ACT 1961 (43 OF 1961) (Transferor) (2) M/s. Saz International (P) Lt., through its Director Shri G. S. Gill, B-849, GOVERNMENT OF INDIA New Friends Colony, New Delhi. OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :---

- period (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immov-able property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :-- The terms and expressions used herein as ar∈ defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given ip that Chapter.

(a) facilitating the reduction or evasions of the itability of the transferor to pay tax under the said Act. in respect of any income arising from the transfer and /or

(b) facilitating the concealment of any income or any

moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Space No. 17 on 6th floor, in Block-E, of Hotel-cum-commeroial complex Nehru Place, New Del'ii, Approx. Area 638 sq. ft.

THE SCHEDULE

SUDHIR CHANDRA Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range-T, Delhi/New Delhi

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :---

Date : 29-1-1985 Seal :

ACQUISITION RANGE 4/14A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI

New Delhi, the 29th January 1985

Ref. No. IAC/Acq.1/37EE/6-84/955 .- Whereas I, SUDHIR CHANDRA,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (3 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable as the said Act), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/-and bearing Space No. 17 6th floor, E-Block, situated at Nehru Place, New Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the I.T. Act 1961 in the office of the meistering Officer at

the registering Officer at IAC/Acq. Range-I in June 1984 for an apparent consideration which is less than the fair narket value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than afteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :--

9118

FORM ITMS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGE-I,

4/14A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI

New Delhi, the 29th January 1985

Ref. No. LAC/ Acq.I/37EF/6-84/956.-Whereas 1, SUDHIR CHANDK 1,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing Space No. 10 (6th floor) E-Block, situated at Nehru Place, New Dolhi

(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the I.T. Act 1961 in the office of the registering Officer at

IAC/Acq. Range-1, New Delhi on June 1984

for an apparent consideration which is less than the fair moment value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of the said instrument of transfer with the object of :---

(a) facilitaing the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other as as which have not been or which ought to be divided by the transferce for the purposes of the indian income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957):

Space No. 10, on 6th floor in Block No. E, of Hotel Cum Commercial Complex, Nehru Place, New Delhi Arca Approx. 513, sq. ft.

THE SCHEDULE

SUDHIR CHANDRA Competent Authority Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax Acquisition Range-I, Delhi/New Delhi

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said. Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :---

(1) M/s. Nehru Place Hotels Ltd., Fros Cinema Building, Jangpura Extn. New Delhi.

(Transferor)

(2) Mrs. Judu Leekha w/o Mr. K. K. Leekha, B-4/1, Safdai jang Enclave, New Delhi-29.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later:
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.
- EXPLANATION :--- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as gives in that Chapter.

Date : 29-1-1985 Seal :

[PART III -- SEC. 1

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

> ACQUISITION RANGE-I, 4/14A, ASAF ALL ROAD, NEW DELHI

New Delhi, the 14th February 1985

Ref No. IAC/Acq.1/37EE/6-84/957.---Whereas I. SUDHIR CHANDRA,

being the Competent Authority under Section 269 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000]and bearing No. Flat No. 409, at 89, Nehru Place,

situated at New Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto),

has been transferred under the I.T. Act 1961 in the office of

has been transferred tilder the 1.1. Act 1961 in the once of the registering Officer at IAC/Acq. Range-I, New Delhi on lune 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforeshid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as afore-shid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration interefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :---

- (a) facilitating the reduction or evasion of the Hability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which cught to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate Proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the fellowing persons, namely :---

Date : 14-2-1985 Seal :

- (1) Mrs. Rita Lakhina w/o Sh. Satish Lakhina, R/o E-511, Greater Kailash-II, New Delhi. (Transferor)
- (2) Mr. Vashitsungba Ao s/o Late Mr. Taka Ao Kher Mohal, Dimapur (Nagaland).

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette,

EXPLANATION :--- The terms and expressions used herein 25 are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given that Chapter.

THE SCHEDULE

Office flat No. 409 measuring 530 sq. ft. on fourth floor in Bldg., No. 89, Nehru Place, New Delhi, (Under Construction).

> SUDHIR CHANDRA **Competent Authority** Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax Acquisition Range-I, Delhi/New Delhi

FORM ITNS------

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX

> ACQUISITION RANGE, NEW DELHI

New Delhi, the 21st January 1985

Ref. No. IAC/Acq.I/37EE/6-84/959.—Whereas I, SUDHIR CHANDRA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000]-und hering.

property having a fair market value exceeding Rs. 25,000]-and bearing Space No. 78, L.G.F. at 28, B. K. Road, situated at New Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the I.T. Act 1961 in the office of the Registering Officer at IAC(Acc. Roard Lin. Lung, 1984)

IAC/Acq. Range-I in June 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reoson to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therfor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :---

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and /or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Space No. 78 on Lower Ground Floor in 'Dr. Gopal Das Bhawan' 28, Barakhamba Road, New Delhi. (super) 121.38 6q. ft.

THE SCHEDULE

SUDHIR CHANDRA Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range-I New Delhi

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Ast, 1 hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons namely :---

Date : 29-1-1985 Seal :

- (i) M/s. Gopal Das Estates and Housing Pvt. Ltd., 28, Barakhamba Road, New Delhi. (Transferor)
- (2) M/s. Yashomati Trust, through its Trustees Shri Bhagwati Pershad, M-122, Connaught Circus, New Delhi-110001. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :-

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :--- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

(PART III-SEC. 1

FORM ITNS----

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX

ACQUISTION RANGE, I.P. LSTATE, NEW DELHI

New Delhi, the 11th February 1985

Ref. No. IAC/Acq. 1/37EE/6-84/961.—Whereas I, SUDHIR CHANDRA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. A-18, Connaught Place (Basement) situated at New Delh LT. Act. 1961 in the Office of the Registering Officer at

(and more fully asscribed in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the I.T. Act, 1961 in the Office

has been itensitered under me i.i. Net, por in me once of the Registering at for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as afore-said saceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer w. perced to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of the

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and /or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :---

Date : 11-2-1985 Seal :

ני - ביבער <u>ה. ה. ה. ד. ה. ה. ה. היי</u> המוצאת אות המאו <mark>רה המוצ</mark> א	
(1) Mr. Mohinder Kumar Bajaj,	
1/0 12/164, Malviya Nagar,	
2. Ravi Madan,	
43-A, Malviya Nagar,	
3. Mr. R. C. Kaira,	
11/148, Malviya Nagar,	
4. Anibica Builders (P) Ltd.,	
15/4577, Darya Ganj,	
New Delhi.	
	(Transferor)
(2) Mrs. Ambrut Kaur,	· · · · /
r/o 331, Basant Enclave,	
New Delhi.	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Galetto or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person increased in the said immov-able property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :--- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

154 sq. ft. in Basement in A-18, Connaught Place, New Delhi.

> SUDHIR CHANDRA Competent_Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range-I. New Delhi

FORM ITNS ----

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-⁹ AX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, I.P. ESTATE, NEW DELHI

New Delhi, the 29th January 1985

IAC / Acq. I/37EE /6 84/963 .--- Whereas, I, No. Ref. SUDHIR CHANDRA,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000]-Space No. 19 (8th floor) F-Block, situated at Nehru Place, New Delhi (and more fully described in the Scheduled annexed hereto),

has been transferred under the I.T. Act, 1961 in the Office of the Registering at

IAC/Acq Pange-I on June 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believed that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :---

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; ind/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, of the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the nforesaid property by the issue of this notice under subrection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :---

(1) M/s Nob-u Place Hotels Ltd., Lio. Cinema Ruilding Lorgpina Extn.; Nev Delhi-14.

(Transferor)

(2) Sh. B. R. Bhanot s/o Late Sh. Gopal Day Bhanot & duster sumeet Phanot s/o Sh. B. R. Ehanot, r/o BL-22, Anand Vihar, Iail Road, New Delhi-64.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Odicial Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever persol exores later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the sublication of this nation in the Official Gazette

EXPLANATION :- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Space No. 19 on 8th floor, in Block-E, of Hotel Cum Com-mercial Complex, Nehu Place, New Delhi, Approx. area 638 sq. ft.

> SUDHIR CHANDRA Competent Authority Inspecting Asstt Commissioner of Income-tax Acquisition' Range-I New Delhi

Date: 29-1-1985 Seal :

FORM ITNS-

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACOUISITION RANGE. NEW DELHI

New Delht, the 29th January 1985

IAC/Acq I/37FF/6 84/964 --- Whereas I. Ref No. SUDHIR CHANDRA,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding

Rs. 25,000/- and bearing Space No 16 (6th floor) E-Block, situated at Nehru Place, New Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the IT Act, 1961 in the Office of the Basiciana and

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :-

- (\bar{a}) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; andior
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purpose of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957):

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :---

Seal

(1) M/s Nehru Place Hotels Ltd., Eros Cinenia Building, Jangpura Extn., New Delhi 14.

(Transferor)

(2) Mr. Anil Bajaj s/o Sh. S. I Bajaj & Mrs. Mcera Bajaj w/o Sh. Anil Baja], Kunal Bajaj, Ranjit Bajaj & Shiv Bajaj, r/o 140, Golf Links, New Delhi.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immev-able property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :--- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Space No. 16 on 6th floor in Block-E, of Hotel Cum Commercial Complex, Nehru Place, New Delhi, Area Approx. 638 sq. ft.

> SUDHIR CHANDRA Competent Authority Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax, Acquisition Range-I, New Delhi

Date : 29-1-1985

FORM ITNS-

NOTICL UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I, AGGARWAL HOUSE, 4/14A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI

New Delhi, the 29th January 1985

No. IAC/Acq. 1/37EE/6-84/965.---Whereas, I, SUDHIR CHANDRA,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/-and bearing No.

Space No. 12, (8th floor) E-Block, situated at Nehru Place, New Delhi

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the I.T. Act, 1961 in the Office of the Registering at at IAC/Acq. Range-I in June, 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as afore-said exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been taily stated in the said instrument of transfer with the object of :---

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922. (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, 1 hereby initiate proceedings for the acquisition of the said Act, 1 hereby initiate proceedings for the acquisition of the information property by the issue of this notice under sub-action (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely:---78-480G1/84

(1) M/s. Nehru Place Hotels Ltd. Eros Cinema Building, Jangpura Extn., New Delhi-14. (Transferor) (2) Dr. (Mrs) Saroj Sagar, w/o Sh V. Sagar, R/o K.46, Jangpura Extn., New Delhi-14.

(Transferce)

Objections, if any to the acquisition of the said property may be made in writing to the andersigned :-

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immov-able property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazetto.

EXPLANATION :--- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Space No. 12 on 8th floor, in Block E, of Hotel-Cum-Commercial Complex, Nehru Place, New Delhi, Approx. Area 569 sq. ft.

> SUDHIR CHANDRA Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range-I Aggarwal House. 4/14A Asaf Ali Road. New Delhi.

Date : 29-1-1985 Seal :

THE GAZETTE OF INDIA, MARCH 9, 1985 (PHALGUNA 18, 1906)

[PART III-SEC. 1

FORM ITNS-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

> ACQUISITION RANGE-I, AGGARWAL HOUSE, 4/14-A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI

New Delhi, the 30th January 1985

Ref. No. IAC/Acq. I/37EE 6-84 971-A .--- Whereas, I, SUDHIR CHANDRA,

being the Competent Authority under Section

269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

Plot No. E-101, Greater Kailash-I, situated at New Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the I.T. Act, 1961 in the Office of the Registering Officer

at IAC/Acq. Range-I in June, 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :---

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer: and /or
- (b) facilitating the concealment of any income or any the function of the contract of any model of any models of the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269(7 1.1 the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquiation of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D 47 the said Act, to the following persons, namely :-

(1) Miss Mini Jain, House No. 4782/1-23, Daryaganj, New Delhi.

(Transferor)

(2) Pal & Pal Builders Ltd., 12, Regal Building, Parliament Street, New Delhi.

(Transferce)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.
- EXPLANATION :- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as gives in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot No. F-101, Greater Kailash-I, New Delhi. (352.5 sq. vards).

> SUDHIR CHANDRA Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range-I Aggarwal House. 4/14A Asaf Ali Road. New Delhi.

Date - 30-1-1985 Seal :

(Transferor)

(Transferce)

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THB INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFR E OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I, AGGARWAL HOUSE, 4/14A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI

New Delhi, the 28th January 1985

Ref. No. IAC/Acq. I/37EE/6-84|972-A.-Whereas, I, SUDHIR CHANDRA,

being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/and bearing

Flat No. 1, Sujan Singh Parl, situated at New Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the I.T. Act, 1961 in the Office of the Registering Officer at IAC/Acg. Range-I in June, 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair

market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such aparenpt consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :--

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and /or

(b) facilitating the concealment of any income or any

moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferce for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :---

Mr. Amar Singh Gill, 6, Hailey Road, New Delhl.

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of police on the respective persons, whichever period expires later;

(1) Universal Builders & Contractors, Parveen Apart-

ment 'Sujan Singh Park (South) New Delhi.

(b) by any other person interested in the said immev-able property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :-- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Residential Flat No. 1 on 2nd floor in proposed Praveen Group Housing Scheme at Sujan Singh Park, New Delhi. mg. 2000 sq. ft.

> SUDHIR CHANDRA Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range-I Aggarwal House, 4/14A Asaf Ali Road, New Delhi.

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following emons namely ----79-486GI/84

Date : 28-1-1985 Scal:

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-1AX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I, AGGARWAL HOUSE, 4/14A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI

New Delhi, the 14th February 1985

Ref. No. IAC/Acq. 1/37EE/6-84/973-A .-- Whereas, I, SUDHIR CHANDRA,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/-

and bearing No. Prop No. 34, Babar Road, New Delhi situated at New Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the I.T. Act, 1961 in the Office of the Registering at IAC/Acq. Range-I in June, 1984

for an apparent consideration which is less than the fair fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :-

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922. (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tag Act. 1957 (27 of 1957):

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :-

(1)	Sh. Kishan Bahadur Mathur		
• •	S/o Sh. Prem Shanker Mathu	ιг,	
	and Viney Shanker Mathur,	-	
	Ravi Shanker Mathur,		
	Mohinder Shanker,		
	R/o 34, Babar Road,		
	New Delhi.		
	Now P-95, South Extn. New	Delhi.	
			(Transferor)
(2)	Sh. Vıkram Dutt Suri		(11000000)
	S/o Late Sh. Madan Lal Suu	i,	
	R/o P-95- N.D.S.E-II,		
	New Delhi-49		

(Transferce)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :-

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immov-able property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :-- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House No. 34, Babar Road, New Delhi having a Plot area 212.5 sq. yards.

> SUDHIR CHANDRA Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range-I Aggarwal House, 4/14A Asaf Ali Road, New Dolhi.

Date : 14-2-1985 Seal :

FORM ITNS_____

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX.

ACQUISITION RANGE-I, AGGARWAL HOUSE, 4/14A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI

New Delhi, the 30th January 1985

Ref. No. IAC/Acq. 1/37EE/6-84/974.—Whereas, I, SUDHIR CHANDRA,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/and bearing

Flat No. 802 situated at 13 Tolstoy Marg, New Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the I.T Act, 1961 in the Office of the Registering at

IAC/Acq. Range-I in June, 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :---

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferre for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1923) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957): (1) Mr. Sanjay Bansal, 1767, Bhagirath Place, Chandm Chowk, Delhi.

(2) Mrs Rekha Luthra, Master Sharan Luthra, Miss Gayatri Luthra, C-3, Nizamuddin West, New Delhi.

(Transferee)

(Transferor)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.
- EXPLANATION :-- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Objections, if any, to the acquisition of the said property Tolstoy Marg, New Delhi. Flat No. 802.

> SUDHIR CHANDRA Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range-I Aggarwal House, 4/14A Asaf Ali Road, New Delbi,

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following sections, namely :---

Date : 30-1-1985 Scal : FORM ITNS-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I, AGGARWAL HOUSE, 4/14A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI

New Delhi, the 11th February 1985

Ref. No. IAC/Acq. 1/37EE/6-84/979-A.-Whereas I, SUDHIR CHANDRA,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/and bearing Flat No. 54, Deepak Bldg., 13, Nehru Place,

situated at New Delhi

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the IT Act, 1961 in the Office of the Registering at IAC/Acq. Range-I on June, 1984,

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :--

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in purusance of Section 269C of the said Act. I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :---

(1) M/s. Kailash Apartments (P) Ltd., Chand Cinema Building, Trilokpuri, Delhi-91.

(Transferor)

(2) Sanjay Malik, Rahul Malik, Rohit Malik, Sanjay Sethi & Sandeep Sethi, 305, Thaper Nagar, Meerut (U.P.). (Transferce)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publications of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 54, Deepak Building, 13, Nehru Place, New Delbi measuring 825 sq. ft.

> SUDHIR CHANDRA Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range-I Aggarwal House 4/14A Asaf Ali Road, New Delhi

Date : 11-2-1985 Seal :

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX ACQUISTTION RANGE-I, AGGARWAL HOUSE 4/14A ASAF ALI ROAD, NEW DELHI

New Delhi, the 14th February 1985

Ref. No. IAC/Acq. 1/37El 6-84/983-A.-Whereas 1, SUDHIR CHANDRA,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25.000/- and bearing

Flat No. 812-B, Hemkunt fower, N. Place situated at New

Delhi

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the LT Act, 1961 in the Office of the Registering at IAC Acq. Range-1 on June, 1984, for an apparent consideration which is less than the fair

market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market vidue of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of : --between

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer: and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax, Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :---

- (1) M/S. Hindustan Arms, H. S. 35, Kailash Market, New Delhi.
 - (Transferor)
 - M15. Pramoda Dayal, Miss Brinda Dayal, Miss Anuradha Dayal
 R/o Fla, No. 812-B, Hemkunt Tower, 98, Nehru Place, New Delhi.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immov-able property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the official Gazette.

EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 812-B, Hemkunt Tower, 98, Nehru Place, New Delhi, measuring 541 sq. ft.

> SUDHIR CHANDRA Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range-I Aggarwal House 4/14A Asaf Ali Road, New Delhi

Date : 14-2-1985 Seal :

FORM ITNS-----

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVFRNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGE-I, AGGARWAI HOUSE 4 14A ASAF ALI ROAD, NFW DELHI

New Delhi, the 30th January 1985

Ref. No. IAC/Acq. 1/37F1⁷/6-84/984-A ----Whereas 1, SUDHIR CHANDRA,

being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000]and bearing

Flat No. 1005, at 22, K.G. Marg, situated at New Delhi

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the I.T. Act, 1961 in the Office of the Recistering Officer at

IAC/Acq. Range-I ou June, 1984, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property, as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument to transfer with the object of :--

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income of any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property, by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the followng persons, namely :--- (1) Sh. Rajiv Gupta R/o Harmiz Villa, 8-A, Carmicheal Road. Bombay.

(2) Sh. C. B. Aggatwal (HUF), c/o United Wheels (P) Ltd., 20/1, Asaf Ali Road, New Delhi.

(Transferee)

(Transferor)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

FXPLANATION :—'The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No 1005, in Building at 22. Kasturba Gandhi Marg, New Delhi, Proposed (Area 542 sq. ft.

> SUDHIR CHANDRA Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range-I Aggarwal House 4/14A Asaf Ali Road, New Delhi

Date : 30-1-1985 Seal :

FORM ITNS-

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

T-112

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

> ACQUISITION RANGE-I, AGGARWAL HOUSF 4 14A ASAF ALI ROAD, NEW DEI HI

New Delhi, the 12th February 1985

Ref. No. IAC/Acq. 1/37FF '6-84/985-A.—Whereas I, SUDHIR CHANDRA,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 196i) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. 406, Competent House F-14, Con. Place, situated at New Delhi

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the I.T. Act, 1961 in the Office of the Registering at 1084

fAC/Acq. Range-I on June, 1984,

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :--

- (a) facilitating the reduction or evasion or the hability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :--

- (1) M.s. Competent Builders, 101-Competent House, F-14. Connaught Place, New Delhi-1 (Transferor)
- (2) Shubh Charitable Trust, A-439 Defence Colony, New Delhi-24 and Sapan Charitable Trust, 101-Padma Palace, 86, Nehru Place, New Delhi-19. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette

EXPLANATION :-- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 406-Competent House, F-14, Connaught Place, New Delhi, measuring 730.64 sq. ft.

SUDHIR CHANDRA Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range-I Aggarwal House 4/14A Asaf Ali Road, New Delhi

Date : 12-2-1985 Seal :

FORM ITNS----

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITNION RANGE-I AGGARWAL HOUSE 4 14A ASAF ALI ROAD, NEW DELHI

New Delhi, the 28th January 1985

No JAC/Acg. 1/37EF, 6-84/896-A --- Whereas, I. Ref SUDHIR CHANDRA,

being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said net), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000 and bearing

No B-49, Friends Colony, New Delhi situated at New Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been tran ferred order the I.T. Act. 1961 in the Office of the Registering Officer at IAC Acq Range-I on June, 1984, for an apparent consideration which is less than the fair

market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of-

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act. in respect of any income arising from the transfer; and /or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-the Act 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act. to the following persons, namely :-

 Sh. Gurmukh Singh, House No. 8, Road No. 19, Punjabi Bagh, New Delhi-26. 	
(2) Smt, Shaida Gupta, 8C/9, Abdul Aziz Road,	(Tiansferoi)
New Delhi-5.	(Transferce)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable moperty within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :- The terms and expressions used herein as sre defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter

THE SCHEDULE

B-49, Friends Colony, New Delhi. mg 209 sq. meters, 250 sq. yds.

> SUDHIR CHANDRA Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range-I Aggarwal House 4/14A Asaf Alı Road, New Delhi

Date · 28-1-1985 Seal

FORM NO. I.T.N.S.

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT. 1961 (4) OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX

> ACOUISTION RANGE-I. ACGARWAL HOUSE, 4/14A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI

New Delhi, the 29th January 1985

Ref. No. IAC/Acq. 1/37EE/6-84/989-A.-Whereas 1,

SUDHIR CHANDRA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing Flat No. 405, in the multistoreyed Bldgs. situated at 13,

Tolstoy Marg, New Delhi

(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the I.T. Act, 1961 in the Office

of the Registering at I.T. Act, 1961 in the Office of the registering Officer at IAC/Acq. Range-I on June, 1984, in bat then the fair

for an apparent consideration which is less than the fuir market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :-

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act. I hereby initiale proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :---

(1) M/s. Bakshi Vikram Vikas Const. Co. (P) Ltd., 13, Tolstoy Marg, New Delhi.

(Transferor)

(2) Dr. Devinder Puri and Mr. Sanjiv Puri, B-4, Gugaranwala Town, New Delhi.

(Transferce)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective person, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immov-able property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.
- EXPLANATION :-- The terms and expressions used herein are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Booking of office space No. 405, mg. 696 sq. ft. on 4th floor in the proposed multistoreyed building at 13, Tolstoy Marg, New Delhi.

> SUDHIR CHANDRA Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range-I Aggarwal House 4/14A Asaf Ali Road, New Delhi

Date : 29-1-1985 Seal :

(PART III-SEC. 1

FORM ITNS-----

(1) M. s. Bakshi Vikrain Vikas Construction Co. (Pvt.) Ltd. 13, Toistoy Marg, New Delhi-1,

(Transferors)

(2) Smt. Sita Devi, Sh. Dharam Vir Aggarwal & Sh. Rujesh Aggarwal, 302/3, Kaushalya Park, Hauz Khas, New Delhi.

Transferees

- Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :---
 - (a) by any of the aforesaid persons within a period or 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons. whichever period expires later;
 - (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this potice in the Official Gazette.

EXPLANATION :--- The terms and expressions used herein #4 are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter

THE SCHEDULE

Booking of Office Flat No. 506 mg. 390 sq. ft. on 5th floor in the proposed multistoreyed building at 13, Tolstoy Marg, New Delhi.

> SUDHIR CHANDRA Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Aggarwal House 4/14A Asat Ali Road, New Delhi Acquisition Range-I New Delhi

Date : 28-1-85 Seal :

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I, AGGARWAL HOUSE 4 14A ASAF ALI ROAD, NEW DELHI

New Delhi, the 28th January 1985

Ref. No. 1AC/Acq. 1/37EE/6-84/990-A.—Whereas I, SUDHIR CHANDRA,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to an the 'sai' Act'), have reason to believe that the monovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/and bearing No.

Office space on the 5th floor F. No. 506, situated at 13,

Conce space on the 5th noor F. No. 506, situated at 13, Tolstoy Marg, New Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the I.T. Act, 1961 in the Office of the Registering Officer at IAC/Acq. Range-1 on June 1984, for an approximate according to the terms.

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of '---

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and /or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :---

FORM ITNS-----

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX ACQUISITNION RANGE-I ACGARWAI HOUSE 4/14A ASAF ALL ROAD, NFW DELHJ

New Delhi, the 30th January 1985 Ref. No. IAC/Acq. 1'37FF, 6-84 991-A.---Whereas I. SUDHIR CHANDRA,

- being the Competent Authority under Section 269B of the Income-Tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said 'Act'). have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing Flat No. 907 at 89, Nehru Place, situated at New Delhi
- Fint No. 907 at 89, Nehru Place, situated at New Delhi (and more fully described in the schedule annexed hereto) has been transferred under the 1T. Act, 1961 in the Office of the Registering Officer at

IAC//Acq. Range-I on tune 1984, for an apparent consideration and which is less than the fair market value of the afore-said property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said matrument of transfer with the object of :---

- (a) facilitating the reduction or evasion or the liability of the transferer to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer/ and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 260D of the sold Act, to be the following persons, namely -- M/s, Broadway Towers (India) Pvt. Ltd., B-102, Greater Kailash-I, New Delhi-48.
 (Transferots)

(2) Sh. Yash Paul Sangari & Mrs. Veena Sangari R/o 6/53B, Punjabi Bagh, New Delhi.

(Transferees)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immevable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette

EXPLANATION :--- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHLDULE

Hat No. 907 measuring 551 sq. ft. in 89, Nehru Place, New Delhi.

SUDHIR CHANDRA / Competent Authority, Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax, Aggarwal House 4/14A Asaf Ali Road, New Delhi Acquisition Range-I New Delhi

Date : 30-1-1985 Seal :

FORM ITNS-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I. 4/14A ASAF ALI ROAD, NEW DELHI New Delhi, the 14th February 1985

Ref. No 1AC/Acq. 1/37EE/6-84/992-A .--- Whereas I, SUDHIR CHANDRA.

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing Space No 2, 56, Nehru Place, situated at New Delhi

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the I.T. Act, 1961 in the Office of the Registering Officer at IAC/Acq. Range-I on June 1984,

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to belleve that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than afteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :-

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer: and /or:
- (b) facilitating the concealment of any income or any inoneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

(1) Sh. Jotinder Mohan Rana, & Sh. Aishinder Mohan Rana & Mrs. Antai Preet Kalra, 37 A, Curzon Road, Dallanwala, Debradun. (Transferors) Master Arjun Gupta, Master Nakul Gupta, ss/o
 Sh. Avinash C. Gupta,
 S-481, Greater Kailash, N. Delhi, & Master Nikhil Laul & M188 Ritika Laul, D/o Sh. Ashwani Laul, R/o S-487, G. K. New Dehli. (Transferees)

Objections, if any, to the acquisition of the said property any be made in writing to the undersigned :---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 daya from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later.
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :- The terms and expressions used herein 88 are defined in Chapter XXA of the said Act. shall have the same meaning as given 1D that Chapter.

THF SCHEDULE

Space No. 2 on 5th floor, 56, Nehru Place, New Delhi, measuring 637 sq ft.

> SUDHIR CHANDRA Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range-I Aggarwal House 4/14A, Asaf Ali Road, New Delhi

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 209D of the said Act, to the following persons, iamely :--

Date : 14-2-1985 Seal :

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND PUBLISHIND BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1985